राजभाषा हिन्दी: नीति प्रयोग और समस्याएँ

डा० सुभाष चन्द्र गौड़

GAUR, DR. SUBHASH CHANDRA
RAJBHASHA HINDI : NITI, PARYOG AUR SAMASYAEN
HBC, 1997
Price : Rs. Two hundred fifty only (Rs. 250/-)

ISBN. 81-85244-35-9

प्रस्तुत पुस्तक पटना विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत व उपाधि प्राप्त शोध प्रबध है

प्रकाशक : हिन्दी बुक सेन्टर
4/5-बी, आसफ अली रोड
नई दिल्ली - 110 002

संस्करण : प्रथम 1997

मूल्य : दो सौ पचास रुपये मात्र (रु 250/-)

अक्षर-यौजक : आर. एस. प्रिंट्स, नई दिल्ली-110049

मुद्रक : जे. ऐ. आफसेट, दिल्ली

प्रस्तावना

भारत वर्ष की भाषायी समस्या विश्व के अन्य किसी भी देश की भाषा समस्या से भिन्न और विकट है। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से ही नहीं वरन् भावनाओं के धरातल पर भी भारत एक उपमहाद्वीप है। देश में कितनी ही समृद्ध भाषाएँ हो, जब तक इसकी एक राजभाषा न हो तो देश गूँगा है। जिस देश की विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने व आचार-विचार के सम्पर्क सूत्र के लिए सम्पर्क भाषा न हो वह देश एक होकर भी टुकड़ों में बँटा होता है। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि जो देश राज्यों, व्यक्तियों, क्षेत्रों के विचारों का सेतु बनाने व सम्पर्क साधने के लिए किसी विदेशी भाषा को अपनाता हो वह देश स्वतंत्र होकर भी परतंत्रप्राय होता है, सजीव होते हुए भी निर्जीव है।

राजभाषा का संबंध राज तथा शासन से है। राजभाषा शासक, शासन और शासित के बीच की भाषा होती है, जब तक इनमें आपसी तालमेल के लिए समान भाषाप्रयोग नहीं होगा तब तक शासन कभी भी शासित के समीप नहीं आ सकता। उनके बीच एक दूरी बनी रहती है, और तब तक इनके बीच में संप्रेषण की समस्याएँ बनी रहती हैं। इस खाई को मिटाने व संप्रेषण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से ही आजादी के साथ ही हिन्दी को संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया तथा इसके प्रचार–प्रसार का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया। यह अपेक्षा की गई कि संविधान की अष्टम अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त अन्य 18 भाषाओं के विकास के साथ-साथ राजभाषा हिन्दी का विकास संघ सरकार सुनिश्चित करेगी।

इस बहुभाषी राष्ट्र का यह अनुष्ठान आजादी के 50 वर्ष बाद भी अपेक्षित सीमा तक सफल नहीं हुआ है। इसके मूल में कई राजनीतिक, सामाजिक कारण हैं, जैसे भाषावार प्रांतों का गठन, भाषा को लेकर राजनीतिक दलों के गठन की प्रवृत्ति, आजीविका के मोह में व मानसिकता का शिकार होकर अबाध रूप से अंग्रेजी का प्रयोग, व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं, धर्मों में अन्य भाषा का परिवेश उपलब्ध होते हुए भी हिन्दी सीखने की अनिच्छा इत्यादि कुछ मुख्य कारण हैं। जिनके चलते राजभाषा हिन्दी को अपेक्षित स्थान दिलाने के लिए, प्रयासों के बावजूद उद्देश्य पूरा नहीं हो सका है। राजभाषा के रूप में हिन्दी की पदस्थापना, भारतीय संविधान में राजभाषा स्वीकार किए जाने से पूर्व संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान समिति द्वारा इस संबंध में चर्चा, राजभाषा के सिंहासन पर आरूढ़ होने से पूर्व के घटना क्रम और राजभाषा बनने के बाद इसके प्रचार-प्रसार के लिए बनाए गए कानून, अधिनियम, नियम व जारी निर्देशों की समीक्षा करके तथ्यों को सामने रखने का विनीत प्रयास है, यह शोध प्रबंध **'राजभाषा हिन्दी : नीति, प्रयोग और**

समस्याएँ'।

शोध का उद्देश्य

भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और आंदोलन से जुड़ा भाषा का प्रश्न अलग-अलग से प्रतीत होते हुए भी एक ही लक्ष्य बिन्दु पर पहुँचने वाले दो ऐसे मार्ग हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही एक-दूसरे में समाहित होते दिखाई देते हैं। इसके साथ-साथ हिन्दी भाषा का आंदोलन मुख्यतः दो क्षेत्रों में प्रविष्ट होकर दो धाराओं में गतिशील होता है। एक धारा साहित्यिक परिवेश में खड़ी बोली, दूसरी धारा राजनीति के बीच अंग्रेजी के खिलाफ 'निजभाषा' के रूप में हिन्दी आंदोलन की कड़ी। राजनेताओं ने अपनी पैनी दृष्टि और कुशाग्र बुद्धि से जहाँ विदेशी शासकों के चंगुल से देश को स्वतंत्र कराने का आंदोलन चलाया वहीं मानसिक गुलामी से उबरने के लिए निजभाषा अपनाने के राष्ट्रव्यापी अभियान की आवश्यकता महसूस की। परंतु भ्रमवश इस आंदोलन को तत्कालीन विद्वानों एवं आदोलनकारियों ने 'राष्ट्रभाषा आंदोलन' की संज्ञा दे दी। इस संज्ञा ने इतना सशक्त रूप धारण कर लिया कि परवर्ती सभी विद्वानों ने भी इसे 'राष्ट्रभाषा आंदोलन' की संज्ञा दी। आंदोलन के प्रणेता व नायक राष्ट्रपिता ने भी हर मोड़ पर, हर मंच से हिन्दी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया। इसी आधार पर तत्कालीन व परवर्ती विद्वानों द्वारा 'राष्ट्रभाषा हिन्दी : समस्याएँ व समाधान' पर खूब चर्चा की गई। यदि विषय की गहराई व घटनाओं का समीप से अवलोकन करें तो एक बिन्दु जो स्पष्ट रूप से उभरकर आता है वह है कि इस आंदोलन की जड़ अंगेज शासकों के खिलाफ स्व शासन व भारतीय प्रशासन में आरोपित राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को बिठाने के उद्देश्य से इसका अनुप्राणित रहना और अंततः स्वाधीन भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा का पद दिया जाना, इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हिन्दी का यह आंदोलन राष्ट्रभाषा का नहीं बल्कि राजभाषा का आंदोलन रहा है। आम जनता की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा के रूप में तो हिन्दी अपना स्थान पहले से ही बनाए हुए थी, उसे शासन में प्रवेश करने के लिए फारसी व अंग्रेजी से जो संघर्ष करना पड़ा वह राजभाषा के रूप में रहा है। प्रस्तुत शोध-प्रबंध 'राजभाषा हिन्दी : नीति, प्रयोग और समस्याएँ' इस दिशा में किया गया विनम्र प्रयास है।

राजभाषा हिन्दी के संदर्भ में हुए आज तक के कार्यों से मात्र हिन्दी के राष्ट्रभाषायी रूप का आधा-अधूरा लेखा-जोखा मिलता है। वह भी हिन्दी की विकास यात्रा या उसके इतिहास के रूप में। राजभाषा के रूप में हिन्दी की स्थिति के बारे में आरंभिक सूचनाएं तो प्राप्त होती हैं अथवा राजभाषा के क्षेत्र में इसके विकास, प्रचार-प्रसार के बारे में इधर-उधर बिखरे हुए प्रकरण व सरकार के द्वारा किए गए

प्रयासों, इसके द्वारा जारी आदेशों के माध्यम से उल्लेख मिलता है, जो सरकार या सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित रह पाता है। अपने देश की राजभाषा नीति की जानकारी रखना किसी भी सजग नागरिक की लालसा स्वाभाविक हो सकती है। इसके लिए वांछनीय है कि इस विषय से संबंधित जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध हो ताकि जिज्ञासुओं को इधर-उधर भटकना न पड़े। संघ सरकार द्वारा हिन्दी को राजभाषा के रूप में संविधान में स्थान दिए जाने के पश्चात् संविधान की भावना को पूरा करने के उद्देश्य से उसके प्रचार, प्रसार और स्थायित्व प्रदान करने के लिए अपनायी गई नीति, उसके प्रयोग व कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रयासों का विवरण व उसमें आनेवाली विभिन्न समस्याओं का विवेचन प्रस्तुत शोध-प्रबंध में देने का विनम्र प्रयास किया है।

शोध-प्रबंध को मौलिक रूप देने के लिए राजभाषा का दर्जा मिलने से पूर्व संविधान सभा की कार्रवाई, उसमें हुई चर्चा व सदस्यों का तर्क-वितर्क प्रस्तुत किया गया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में लादा नहीं गया, बल्कि इसकी विशेषताओं के कारण यह तर्क-वितर्क रूपी अग्नि-परीक्षा से गुजरकर कुंदन बनकर अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ संविधान की धाराओं में उतरी है। इससे आज की धारणा कि हिन्दी को थोपा जा रहा है मिथ्या सिद्ध होगी व तथ्यों के आधार पर यह मानसिक भ्रांति दूर होगी। शोध का गहन अध्ययन करने के लिए सरकार की नीति व कार्यान्वयन को तीन अवस्थाओं में बाँटा गया है। शोध-प्रबंध में दी गई जानकारी, वर्गीकरण, इसके नाम **'राजभाषा हिन्दी : नीति, प्रयोग और समस्याएँ'** को सार्थकता प्रदान करती है। अनुसंधितसु ने शोध-कार्य को सार्थक व उद्देश्यपरक बनाने के लिए एक प्रश्नावली तैयार करके राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भेजी व उनसे उनके विचार व तथ्यों की जानकारी प्राप्त की। अनेक प्रशासनिक अधिकारियों से साक्षात्कार किया। इसके आधार पर शोध-प्रबंध पूर्णतया मौलिक बन सका है।

विषय का स्पष्टीकरण

राजभाषा का प्रकरण अलग-अलग दिशाओं में उलझा हुआ-सा दिखाई देता है किंतु इसके तथ्यों व विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन करने से इसके मूल में जो समस्याएँ उजागर होती हैं वे ऐसी प्रतीत नहीं होती जिनका निदान उपलब्ध न हो। यदि कुछ देर के लिए राजनीतिक आकांक्षाओं, संकीर्ण स्वार्थों, क्षेत्रीयता से प्रभावित विभिन्न भाषा भाषियों की मनोवृत्ति, अनिष्ट के भय से एक वर्ग विशेष के प्रभावी होने की आशंका और आत्महीनता के कारण अंग्रेजी के प्रति मोह को राजभाषा हिन्दी के कंटकाकीर्ण मार्ग से हटा दिया जाए तो एक चमत्कारिक ढंग से हिन्दी सर्व स्वीकार्य भाषा के रूप में समक्ष आ जाती है।

अनेक योजनाओं और प्रोत्साहनों के बावजूद आज के भारतीय समाज में प्रादेशिक भाषाओं और हिन्दी के प्रति न तो अपेक्षित, उत्साह है और न उतना लगाव जो उन्हें अंग्रेजी के समर्थ और अनिवार्य प्रतिद्वन्दी के रूप में खड़ा कर सके। केन्द्रीय सरकार की राजभाषा के प्रचार-प्रसार की योजनाएँ, स्वयं सेवी व अन्य संस्थाओं के हिन्दी प्रचार संबंधी प्रयास, शिक्षा तंत्र में त्रिभाषा फार्मूला, भाषायी आयोग, नियम, अधिनियम, संकल्प, कार्यक्रम यथाशक्ति हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा के रूप में आगे बढ़ाने में लगे है। परंतु प्रगति अपेक्षाकृत बहुत धीमी है। उपरोक्त कारण इसके मूल में बहुत बड़ा अवरोध बने हुए हैं।

प्रस्तुत शोध-प्रबंध के लिए किए गए समग्र अध्ययन से जो निष्कर्ष सामने आते हैं, उनके बारे में कहा जा सकता है कि देश का सामूहिक नेतृत्व चारों दिशाओं से एक ध्वनि के साथ, अनेक स्तरों से पूर्ण निष्ठा व दृढ़ निश्चय के साथ राजभाषा हिन्दी के प्रयोग पर जब तक बल नहीं देगा तब तक कोई भी प्रोत्साहन व प्रलोभन कारगर सिद्ध नहीं होंगे। कार्यालय का लिपिक, विश्वविद्यालय, कालेज व स्कूल का अध्यापक, देश का इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, व्यापारी, सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्र, कारखाने का मजदूर आदि जब नियमों व अधिनियमों के अधीन नहीं बल्कि मन से हिन्दी को स्वीकार करेंगे तो व्यापार के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और समूचे देश में एक समृद्ध वातावरण बनेगा व छात्र, कर्मचारी, वृद्ध, युवक सभी का मनोबल बढ़ने लगेगा। इन सभी बिन्दुओं को लेकर प्रस्तुत शोध-प्रबंध में अध्ययन और विवेचन के आधार पर निम्नलिखित अध्यायों के बल पर विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोध-प्रबंध के अध्ययन की सुविधा व प्रत्येक विषय के संपूर्ण विश्लेषण तथा गहन अध्ययन करने की दृष्टि से शोध विषय 'राजभाषा हिन्दी : नीति, प्रयोग और समस्याएँ' को 5 अध्यायों तथा उप-अध्यायों में बाँट कर तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

अध्याय विवरण

प्रथम अध्याय में हिन्दी के भाषा रूप का विकास तथा विभिन्न कालों और शासकों के साथ इसके संघर्ष का विवरण देने का प्रयास किया गया है।

दूसरे अध्याय में हिन्दी प्रयोग के आधार पर उसके लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न रूपों का सतर्क विवेचन प्रस्तुत किया गया है। हिन्दी के संबंध में अलग-अलग मंचों से अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग स्थितियों में भिन्न-भिन्न नामों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हिन्दी के भिन्न-भिन्न पदनामों का प्रायोगिक आधार पर अर्थ व विशेषता प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

तीसरे अध्याय में राजभाषा के रूप में हिन्दी की विकास यात्रा की विवरण इसके संघर्षों के माध्यम से देते हुए यह औचित्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि भारत में अनेक समृद्ध भाषाएँ होने के बावजूद हिन्दी को ही राजभाषा का दर्जा क्यों दिया गया? अन्य किसी भाषा को क्यों नहीं? इस अध्याय में हमने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि एक विदेशी भाषा के मुकाबले अपने देश की भाषा अपनाने का क्या महत्त्व है। तथ्यों को प्रमाणिक सिद्ध करने के उद्देश्य से अनेक साहित्यविदों और नेताओं के उद्धरण प्रस्तुत किये हैं।

चौथे अध्याय को पाँच भागों में विभाजित करके राजभाषा के रूप में हिन्दी की संवैधानिक स्थिति, अधिनियम व नियमों का विवरण दिया गया है। संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व, राजभाषा बनने के बाद की स्थिति व संविधान लागू होने के बाद, वर्तमान स्थिति तक सरकारी नीति, निर्देशों के माध्यम से राजभाषा नीति को लागू करने के मार्ग में आनेवाली बाधाओं, बाधाओं के लिए जिम्मेदार तत्त्वों का विश्लेषण करके अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जहाँ कहीं आवश्यकता हुई और अवसर मिला अनुसंधान ने तर्क सहित सुझाव देने का प्रयास किया है।

पाँचवें अध्याय में समस्त अध्ययन का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय शोध-प्रबंध का उपसंहार अध्याय है। इस अध्याय में शोध-प्रबंध की विभिन्न उपलब्धियों को निरूपित करते हुए शोध की मौलिकता व नवीनता का विवेचन प्रस्तुत किया है।

जैसा कि आरंभ में बताया जा चुका है कि अब तक विभिन्न साहित्यविदों द्वारा हिन्दी के **राष्ट्रभाषा** रूप का तो विवरण दिया गया है, इस संबंध में रचित पुस्तकों से राष्ट्रभाषा रूप की कमोबेश स्थिति स्पष्ट हो जाती है। राजभाषा के रूप में हिन्दी के बारे में पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापनों, आदेशों, संकल्पों, नियमों, अधिनियमों, मूल्यांकन रिपोर्टों, वार्षिक रिपोर्टों व वार्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से अव्यवस्थित व बिखरी हुई जानकारी मिलती है। परन्तु **राजभाषा हिन्दी** के बारे में एक स्थान पर व्यवस्थित रूप में सामग्री प्रस्तुत करने का यह मौलिक प्रयास है। अनुसंधित्सु द्वारा राजभाषा हिन्दी के बारे में किया गया यह मौलिक प्रयास राष्ट्र के लिए एक अमूल्य निधि सिद्ध होगा, ऐसा हमारा नम्र निवेदन है।

— **डॉ. सुभाष चन्द्र गौड़**



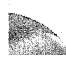
म
क्षा

ख

र

[illegible]

स



आभार

प्रस्तुत शोध-प्रबंध मेरी ममतामयी माताजी के शुभाशीष व स्वर्गीय पूज्य पिताजी, जिनका समस्त जीवन शिक्षा और समाज की सेवा में व्यतीत हुआ है व जिनका आदर्श व्यक्तित्व सदा मेरे जीवन में प्रकाश संचरित करता रहा है उनकी प्रेरणा की सुखद परिणति है।

शोध-प्रबंध के निदेशक पटना विश्वविद्यालय, हिन्दी विभाग के प्रोफेसर, गुरुवर डॉ. अमरनाथ सिन्हा का हृदय से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे विषय चयन, अध्ययन सामग्री से लेकर शोध-प्रबंध को अंतिम रूप देने तक हर अवसर पर मेरा मार्गदर्शन किया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के निवर्तमान प्रोफेसर डॉ. धर्मपाल मैनी का आभारी हूँ जिन्होंने समय–समय पर शोध-कार्य से जुड़ी बारीकियों के बारे में चर्चा हेतु अपना अमूल्य समय दिया। बैंकिंग जीवन से जुड़े मेरे सहकर्मियों डॉ. यू. एन. एस. पाण्डेय, श्रीमती सुलेखा मोहन, श्रीमती टी. एस. निर्मला, श्री सत्यप्रकाश राणा, श्री एम. वी. गोपालकृष्ण व अन्य सहकर्मियों, विशेष रूप से श्री आर. जे. कामत, श्री एन. कान्त कुमार, श्री एन. एल. कोहली व श्री एम सीताराम प्रभु व स. जसवन्त सिंह, वेद प्रकाश गौड़ का आभारी हूँ जिन्होंने शोध-प्रबंध को पूरा करने के लिए मेरा उत्साहवर्धन किया। टंकण कार्य को कम से कम समय में पूरा करके श्री जे. ए. बी. राड्रिग्स व श्रीमती बी. के. उषा द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अभारी हूँ।

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र से जुड़े उन अधिकारियों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरे द्वारा भेजी गई प्रश्नावली के अनुसार समस्याओं का निदान ढूँढ़ने में सहयोग दिया व साक्षात्कार के माध्यम से मेरे अध्ययन को मौलिक बनाने में मदद की।

उन साहित्यसेवियों का कृतज्ञ हूँ जिनकी पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, लेखों आदि से प्रस्तुत शोध-प्रबंध के लेखन में प्रत्यक्ष व परोक्ष में सहायता ली गई है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने शोध-कार्य के लिए सामग्री व अद्यतन आँकड़े उपलब्ध कराए।

अपने अग्रज ईश्वर चन्द, डॉ. ओमप्रकाश, अनुज-कैप्टन सत्यनारायण व जगदीश प्रसाद का आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्य के लिए मेरा मनोबल बढ़ाया। मैं अपनी पत्नी श्रीमती सरोज गौड़ का हृदय से आभारी हूँ जिसने इस अवधि में मेरे समस्त सामाजिक दायित्वों का कुशलता के निर्वाह करके मुझे शोध-कार्य के लिए एकाग्रचित होकर कार्य करने में मदद की। अपने पुत्रों-आदित्य, दिवाकर व अभिषेक गौड़ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता तो मैं अपने रचनात्मक कार्य के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उनके प्यार और सहयोग के बल पर ही मैं इस शोध-कार्य को सम्पन्न करने में समर्थ हुआ हूँ।

— डॉ. सुभाष चन्द्र गौड़



न
ता

ख

र

र

त



प्राक्कथन

सामान्यतया राजभाषा का प्रश्न, किसी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अथवा स्वराज्य के लिए कोई प्रश्न होता ही नहीं है। महात्मा ने जिस स्वराज्य की कल्पना की थी, उसमें यह प्रश्न था भी नहीं। यहाँ तक कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की आज़ाद सरकार की भाषानीति भी स्पष्ट थी—राष्ट्रभाषा हिन्दी ही राजभाषा होगी। परन्तु स्वतंत्रता संघर्ष के दौर का यह सहज "स्वीकार्य" स्वतंत्र भारतीय गणतंत्र के लिए एवं असहज "असमंजस एवं अनिवार्य" में बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? शोध प्रबन्ध में इस मुद्दे का विशद आंकलन किया गया है। अनुसंधान का दृष्टिकोण पूर्वाग्रहरहित तथा पर्यापत उदार है —"यदि पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान का विभाजन न हुआ होता तो निश्चित ही राजभाषा का नाम हिन्दुस्तानी होता, किन्तु विभाजन के पश्चात हिन्दुस्तानी नाम दिया जाना कुछ उचित प्रतीत नहीं होता था। अतः हिन्दी नाम दिया गया। "राजभाषा" अनावश्यक रूप से विवादास्पद बनायी गयी, वह हिन्दी जो स्वातंत्र्य संघर्ष के दौरान जनजागरण की वाणी थी, स्वतंत्र भारत में उसे देश तोड़क की संज्ञा तक दी जाने लगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और अनुसंधायक ने बड़ी बेबाकी से इस तथ्य को स्वीकार किया है तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की विकासयात्रा का रेखांकन, संविधान सभा में एतद्विषयक बहस से ही किया गया है, जो विभिन्न प्रावस्थाओं से गुज़रते हुए, आज के दुर्भाग्यपूर्ण सच में बदल गयी है। उन प्रावस्थाओं के विषय में अनुसंधायक के निष्कर्ष ध्यान देने लायक हैं :—

१. संविधान सभा ने जहाँ भारत देश के लिए राजभाषा अंकों एवं लिपि संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिया, वहीं इसके कार्यान्वयन में लचीलापन रखकर आने वाली संतानों के लिए जटिलताओं एवं समस्याओं के गड्ढे भी तैयार कर दिये।"

२. "स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो लोग समर्पण की भावना से स्वतंत्रता के लिए अथवा स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, हिंदी के पक्षधर थे, उन्हीं लोगों में से कुछ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् किस प्रकार क्षेत्रीय स्वार्थ के वशीभूत होकर बोलते पाये गये।"

३. "इसके पश्चात भाषा के संबंध में ७ अगस्त १९५९ को एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने संसद में आश्वासन दिलाया कि—**१. ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, २. अनिश्चित काल तक अंग्रेज़ी सहयोगी भाषा रहेगी, ३. अंग्रेज़ी विकल्पभाषा तब तक रहेगी जब तक अहिन्दी भाषा-भाषी चाहेंगे।"** प. नेहरू के इस बयान पर तत्कालीन सांसद प्रकाशवीर शास्त्री की प्रतिक्रिया भी रेखांकित की गयी है कि प्रधानमंत्री का यह आश्वासन इसी प्रकार की भूल है, जिस प्रकार की भूल उन्होंने कश्मीर

में जनमत संग्रह का आश्वासन देकर की थी और हम जानते हैं कि कश्मीर के मसले की तरह राजभाषा हिन्दी का मसला भी जटिल होता गया है। सारी तथाकथित सरकारी नीतियों के बावजूद।

शोध प्रबंध की प्रतिज्ञा है "राजभाषा हिंदी के बारे में एक स्थान पर व्यवस्थित रूप से सामग्री प्रस्तुत करने का मौलिक प्रयास। क्योंकि राष्ट्रभाषा हिन्दी के बारे में तो कहुत चर्चाएं हुई हैं, पर राजभाषा हिन्दी संबंधी संघर्ष, संवैधानिक प्रावधान, राजकीय नीतियों के कार्यान्वयन, तत्संबंधी नैतिक–राजनैतिक, तकनीकि–मनोवैज्ञानिक तथा अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों का विवेचन विश्लेषण नहीं मिलता। प्रस्तुत शोध प्रबंध में संकलित सामग्री का मूल स्त्रोतों से संकलन–आंकलन तथा उनके विवेचन विश्लेषण का मौलिक प्रयास है। पैनी दृष्टि और मुद्दों की गहरी पकड़ के कारण अनुसंधायक मूल समस्या, बिंदु की स्पष्ट पहचान कर पाता है कि–"राजभाषा के संबंध में संविधान निर्माताओं की नीयत में फ़र्क था" अंग्रेज़ी के पक्षधरों के लिए अनुसंधायक का यह वाक्य चुनौती भरा है और बेचैन करने वाला प्रश्न भी किं, "कुछ व्यक्ति अंग्रेजी को लेकर अंतर्राष्ट्रीयता का नारा लगाते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यदि हम अपनी राष्ट्रीयता को ही जीवित न रख सके तो हम अंतर्राष्ट्रीयता का मात्र ढोंग ही रचते हैं।"

शोध प्रबंध का मूल कलेवर (अध्याय ४) विश्वकोशीय है, इसे अद्यतन बनाया जाना चाहिए, इस शोध प्रबंध से नीयत, नीति कार्यान्वयन के समीकरणों को समेकित रूप से जानने समझने की सुविधा मिलेगी। अतः शोध प्रबंध की उपयोगिता असंदिग्ध है इस प्रयास के लिए मैं लेखक को बधाई देता हूँ तथा सफलता की कामना करता हूँ।

पटना

डा. अमर नाथ सिन्हा
प्रो. हिन्दी विभाग,
पटना विश्वविद्यालय, पटना

विषय सूची

विषय

प्राक्कथन

सामान्यतया राजभाषा का प्रश्न, किसी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अथवा स्वराज्य के लिए कोई प्रश्न होता ही नहीं है। महात्मा ने जिस स्वराज्य की कल्पना की थी, उसमें यह प्रश्न था भी नहीं। यहाँ तक कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की आज़ाद सरकार की भाषानीति भी स्पष्ट थी—राष्ट्रभाषा हिन्दी ही राजभाषा होगी। परंतु स्वतंत्रता संघर्ष के दौर का यह सहज "स्वीकार्य" स्वतंत्र भारतीय गणतंत्र के लिए एव असहज "असमंजस एवं अनिवार्य" में बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? शोध प्रबन्ध में इस मुद्दे का विशद आंकलन किया गया है। अनुसंधान का दृष्टिकोण पूर्वग्रहरहित तथा पर्यापत उदार है —"यदि पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान का विभाजन न हुआ होता तो निश्चित ही राजभाषा का नाम हिन्दुस्तानी होता, किन्तु विभाजन के पश्चात हिन्दुस्तानी नाम दिया जाना कुछ उचित प्रतीत नहीं होता था। अतः हिन्दी नाम दिया गया। "राजभाषा" अनावश्यक रूप से विवादास्पद बनायी गयी, वह हिन्दी जो स्वातंत्र्य संघर्ष के दौरान जनजागरण की वाणी थी, स्वतंत्र भारत में उसे देश तोड़क की संज्ञा तक दी जाने लगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और अनुसंधायक ने बड़ी बेबाकी से इस तथ्य को स्वीकार किया है तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की विकासयात्रा का रेखांकन, संविधान सभा में एतद्विषयक बहस से ही किया गया है, जो विभिन्न प्रावस्थाओं से गुज़रते हुए, आज के दुर्भाग्यपूर्ण सच में बदल गयी है। उन प्रावस्थाओं के विषय में अनुसंधायक के निष्कर्ष ध्यान देने लायक हैं :—

१. संविधान सभा ने जहाँ भारत देश के लिए राजभाषा अंकों एवं लिपि संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिया, वहीं इसके कार्यान्वयन में लचीलापन रखकर आने वाली संतानों के लिए जटिलताओं एवं समस्याओं के गड्ढे भी तैयार कर दिये।"

२. "स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो लोग समर्पण की भावना से स्वतंत्रता के लिए अथवा स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, हिंदी के पक्षधर थे, उन्हीं लोगों में से कुछ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् किस प्रकार क्षेत्रीय स्वार्थ के वशीभूत होकर बोलते पाये गये।"

३. "इसके पश्चात भाषा के संबंध में ७ अगस्त १९५९ को एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने संसद में आश्वासन दिलाया कि—**१. ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, २. अनिश्चित काल तक अंग्रेज़ी सहयोगी भाषा रहेगी, ३. अंग्रेज़ी विकल्पभाषा तब तक रहेगी जब तक अहिन्दी भाषा-भाषी चाहेंगे।"** प. नेहरू के इस बयान पर तत्कालीन सांसद प्रकाशवीर शास्त्री की प्रतिक्रिया भी रेखांकित की गयी है कि प्रधानमंत्री का यह आश्वासन इसी प्रकार की भूल है, जिस प्रकार की भूल उन्होंने कश्मीर

में जनमत संग्रह का आश्वासन देकर की थी और हम जानते हैं कि कश्मीर के मसले की तरह राजभाषा हिन्दी का मसला भी जटिल होता गया है। सारी तथाकथित सरकारी नीतियों के बावजूद।

शोध प्रबंध की प्रतिज्ञा है "राजभाषा हिंदी के बारे में एक स्थान पर व्यवस्थित रूप से सामग्री प्रस्तुत करने का मौलिक प्रयास। क्योंकि राष्ट्रभाषा हिन्दी के बारे में तो कहुत चर्चाएं हुई हैं, पर राजभाषा हिन्दी संबंधी संघर्ष, संवैधानिक प्रावधान, राजकीय नीतियों के कार्यान्वयन, तत्संबंधी नैतिक–राजनैतिक, तकनीकि–मनोवैज्ञानिक तथा अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों का विवेचन विश्लेषण नहीं मिलता। प्रस्तुत शोध प्रबंध में संकलित सामग्री का मूल स्त्रोतों से संकलन–आंकलन तथा उनके विवेचन विश्लेषण का मौलिक प्रयास है। पैनी दृष्टि और मुद्दों की गहरी पकड़ के कारण अनुसंधायक मूल समस्या, बिंदु की स्पष्ट पहचान कर पाता है कि–"राजभाषा के संबंध में संविधान निर्माताओं की नीयत में फ़र्क था" अंग्रेज़ी के पक्षधरों के लिए अनुसंधायक का यह वाक्य चुनौती भरा है और बेचैन करने वाला प्रश्न भी किं, "कुछ व्यक्ति अंग्रेजी को लेकर अंतर्राष्ट्रीयता का नारा लगाते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यदि हम अपनी राष्ट्रीयता को ही जीवित न रख सके तो हम अंतर्राष्ट्रीयता का मात्र ढ़ोंग ही रचते हैं।"

शोध प्रबंध का मूल कलेवर (अध्याय ४) विश्वकोशीय है, इसे अद्यतन बनाया जाना चाहिए, इस शोध प्रबंध से नीयत, नीति कार्यान्वयन के समीकरणों को समेकित रूप से जानने समझने की सुविधा मिलेगी। अतः शोध प्रबंध की उपयोगिता असंदिग्ध है इस प्रयास के लिए मैं लेखक को बधाई देता हूँ तथा सफलता की कामना करता हूँ।

पटना

डा. अमर नाथ सिन्हा
प्रो. हिन्दी विभाग,
पटना विश्वविद्यालय, पटना

पुस्तक के विषय में

शोधार्थी ने अपने शोध–प्रबन्ध को पाँच अध्यायों में विभक्त किया है, जिसमें चौथे अध्याय को पुनः पाँच भागों में बांटा है, जो प्रबन्ध का मूल विषय है और इसी का विस्तार लगभग तीन सौ पृष्ठों में हुआ है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस विषय पर विधिवत् शोध कार्य नहीं हुआ, यद्यपि इस विषय से संबंधित पर्याप्त सामग्री इधर–उधर अव्यवस्थित रूप में उपलब्ध थी। शोध–निदेशक ने यह विषय देकर और इसका उपयुक्त निर्देशन कर हिन्दी की विशेष सेवा की है। शोधार्थी ने इस विषय पर उपलब्ध व्यापार सामग्री को देखा–परखा और उसका परीक्षण कर ग्राहय का उपयोग किया है। संदर्भ–ग्रंथ सूची को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है।

प्रथम अध्याय में हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि को प्रस्तुत किया है। दूसरे में राजभाषा और निकटवर्ती शब्दों के प्रयोग और उनकी उपयुक्त व्यवस्था दी है। तीसरे में राजभाषा के रूप में हिन्दी का औचित्य प्रतिपादित किया है। चौथे अध्याय के प्रथम भाग में संविधान सभा में राजभाषा संबंधी बहस का विवरण प्रस्तुत किया है। दूसरे भाग संवैधानिक व्यवस्था का स्पष्टीकरण किया है। तीसरे में सन् १९७५ तक राजभाषा के प्रयोग में आने के कारण उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण किया है। चतुर्थ भाग में सन् १९७५ से सन् १९८६ तक का विवेचन किया है और पाँचवें भाग में सन् १९८६ से अब तक की समस्याओं पर विचार किया है। पंचम अध्याय में समग्र प्रगति और समस्याओं के आलोक में अन्यान्य साधनों (साक्षात्कार, प्रश्नावली आदि) से उपलब्ध निष्कर्षो के रूप में सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं।

शोधार्थी ने उपलब्ध व्यापक तथ्यों को संगृहित किया है। उनके विश्लेषण में वैज्ञानिक पद्धति का आश्रय लिया हैं अतः उनके निष्कर्ष मौलिकता लिए हुए हैं। उनकी अभिव्यक्ति भी विषय के अनुरूप होते हुए शोध–प्रबंधोपयुक्त है।

एक नये अव्यस्थित विषय को लेकर लेखक ने राष्ट्रीयता से जुड़े महत्वपूर्ण विषय को सत्य एवं सहज रूप में प्रस्तुत किया है जो सतुत्य है। मेरा विश्वास है कि शोध प्रबंध को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जाना जहाँ स्कूल व कालेज के छात्रों के लिए लाभप्रद हो वहीं कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रेरणात्मक व सूचनाप्रद सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित।

चण्डीगढ़

डा. डी. पी. मैनी
प्रो० व विभागाध्यक्ष (सेवानिवृत)
हिन्दी विभाग,
पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

पुस्तक विवेचन

श्री सुभाष चन्द्र गौड़ द्वारा पटना विश्वविद्यालय की पी.एच.डी. की उपाधि के लिए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध **राजभाषा, नीति प्रयोग और समस्याएँ** समसामायिक समस्या पर केन्द्रित शोध कार्य है। इसमें राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक स्थिति से लेकर आज तक की समस्याओं का ऐतिहासिक एवं विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध--प्रबन्ध राजभाषा हिन्दी की प्रभूत सामग्री समेटे हुए है तथा अद्यतन संदर्भों से अनुप्रणित है।

अनुसंधाता ने राजभाषा हिन्दी की विकास परम्परा का संक्षेप में निरूपण करते हुए राजभाषा से मिलते जुलते शब्दों की आर्यवत्ता का सही रूप उद्घटित करने की चेष्टा की है। तदनंतर उसने राजभाषा की विकास यात्रा का विवेचन किया है। इसमें उसने हिन्दी की केन्द्रीय स्थिति का निरूपण किया है। इसको आगे बढ़ाते हुए अनुसंधाता ने राजभाषा हिन्दी के संवैधानिक प्रावधानो और विविध आयामों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। इसमें उसकी दृष्टि ऐतिहासिक रही है तथा सामग्री का प्रस्तुतीकरण नये मनोयोग से किया गया है। राजभाषा नीति के सम्बन्ध में अनुसंधाता ने संवैधानिक उपक्रमों एवं शासकीय कार्यों की विविधतापूर्ण व्याख्या की है। नये उपकरणों की इस हलचल में विवेचना अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हिन्दी के अधिकांश पाठक इससे अपरिचित हैं। राजभाषा के कार्यान्वयन की अनुसंधाता ने तथ्यात्मक मीमासां प्रस्तुत की है। ऐतिहासिक आयाम के साथ अनुसंधाता ने वर्तमान नीति एवं प्रयोग स्थितियों का तथ्यवपूर्ण विवेचन करते हुए समस्याओं का निदान किया है तथा शोध--प्रबन्ध को पूर्णता प्रदान की है। अंत में निष्कर्मों के साथ अनुसंधाता ने सुझाव भी दिए है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध--प्रबन्ध प्रतिपाद्य का सम्यक विवेचन प्रस्तुत करता है।

प्रस्तुत शोध--प्रबन्ध की शैली वैज्ञानिक एवं भाषा साहित्यिक है। अनुसंधान के द्वारा प्रस्तुत किए गए अनेक निष्कर्ष ग्राहय हैं। तथ्य निरूपण एवं विवेचन दोनों ही दृष्टि से प्रस्तुत शोध प्रबन्ध महत्वपूर्ण है।

इसके प्रकाशन से राजभाषा का व्यवस्थित अध्ययन प्रकाश में आ सकेगा।

शुभकामनाओं सहित

इलाहाबाद
14.8.1995

डा. राजेन्द्र कुमार वर्मा
प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष
हिन्दी विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

विषय सूची

विषय

ङ. हिन्दी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि सीखने के लिए सुविधायें और प्रोत्साहन

च. हिन्दी शिक्षण की अनिवार्यता

छ. हिन्दी शिक्षण के लिए उपाय एवं सुझाव

4.5.6 अनुवाद तथा अनुवाद प्रशिक्षण कार्य

क. अनुवाद प्रशिक्षण

ख. राजभाषा नीति के प्रभावी अनुपालन के लिए संसदीय राजभाषा समिति के अनुवाद संबंधी सुझाव

4.5.7 यांत्रिक सुविधायें/यांत्रिक उपकरण

क. तकनीकी कक्ष के कार्य

ख. यांत्रिक सुविधाओं का द्विभाषीकरण

ग. केंद्रीय सरकार के निर्देश

घ. केंद्रीय कार्यालयों में केवल द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलिप्रिंटर/टेलेक्स लगाना

ङ. यांत्रिक इलैक्ट्रानिक उपकरणों की वर्तमान स्थिति

च. तकनीकी कक्ष की गतिविधियाँ

4.5.8 समितियों के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन

क. सलाहकार समितियों के गठन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

ख. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

ग. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

घ. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

4.5.9 प्रकाशन व प्रचार

4.5.10 जाँच बिन्दु निर्धारण व नियंत्रण

4.5.11 प्रोत्साहन योजनायें

क. शील्ड व ट्राफी योजना

ख. सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन

ग. विशिष्ट क्षेत्रों में हिन्दी में काम करने के लिए पुरस्कार योजना

घ. अंग्रेजी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों के लिए प्रोत्साहन योजना

ङ. पी सी व टेलेक्स परिचालकों को भत्ता

च. सर्वश्रेष्ठ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को पुरस्कार देने की योजना

छ. केंद्रीय हिन्दी परिषद द्वारा प्रोत्साहन

समर्पित

उन राष्ट्र भक्तों व मनीषियों को

जिनके दृढ़ निश्चय व परिपक्व सोच के फलस्वरूप

हिन्दी

संघ की राजभाषा के रूप में

पदासीन हुई।

पहला अध्याय

हिन्दी की विकास यात्रा—एक अवलोकन

1.1 विषय-प्रवेश

राजभाषा का स्थान एवं सामर्थ्य प्राप्त करने के पूर्व किसी भी भाषा को विभिन्न स्तरों एवं रूपों में से गुजरना पड़ता है। राजभाषा हिन्दी भी इसका अपवाद नहीं है। राजभाषा के स्थान तक पहुँचने के लिए हिन्दी को भी एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। राजभाषा बनने से पूर्व हिन्दी भाषा की प्रकृति व विकास यात्रा पर प्रकाश डाले बिना, राजभाषा के रूप में हिन्दी की मान्यता व पद स्थापना कर पाना अस्पष्ट होगा। हिन्दी भाषा की विकास यात्रा के दो रूप हैं। पहला हिन्दी का भाषा रूप में विकास और दूसरा हिन्दी का राजभाषा रूप में विकास। इस अध्याय में हम हिन्दी के भाषा रूप विकास का सर्वेक्षण, प्रबंध की मूल प्रतिज्ञा की पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे।

1.2 भाषा का महत्त्व

मानव जीवन के लिए भाषा का असाधारण महत्त्व है–

"सा सर्वविद्या शिल्पानाम्, कलानां चौपबंधनी
तदवशादपि निष्पन्नं सर्व वस्तु विभज्यते।"[1]

संसार की सभी विद्यायें, कलायें तथा शिल्प, शब्द शक्ति से संबद्ध है। समस्त वस्तुओं का विभाजन तथा विवेचन भी उसी के आश्रित है।

"भाषा हमारे मन का परिधान व लिबास है। उसके माध्यम से हम अपने विचारों, आदर्शों, सत्य मिथ्या के भावों तथा अपनी भावनाओं व अनुभूतियों को सरलतापूर्वक व्यक्त कर, एक-दूसरे के मन में वहन करते हैं।"[2] पाश्चात्य के विद्वान मैक्समूलर ने भाषा के महत्त्व का वर्णन करते हुए कहा था, "यदि भाषा प्रकृति की उपज है तो अवश्य ही यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है और यह रचना प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए सुरक्षित कर रखी है। यदि यह मानवीय कृति है तो ऐसा मालूम होता है कि यह कला मानव को दिव्य सिरजनहार के बराबर का कर देगी। यदि यह परमात्मा की देन है तो वह उसकी सबसे बड़ी देन है।[3]

---

1. वाक्य पदीयम 1–125 (प्रथम अध्याय, श्लोक 125)
2. राष्ट्रभाषा हिन्दी (भाषा का प्रश्न) सुमित्रानंदन पंत, पृष्ठ 199
3. भाषा विज्ञान पर भाषण–मैक्समूलर, पृष्ठ 3, अनुवादक हेमचंद्र जोशी

जहाँ अथर्ववेद संपूर्ण ब्रह्मांड को वाक तत्त्व से परिव्याप्त मानता है[1] वहीं शतपथ ब्राह्मण वाक तत्त्व को समस्त ज्ञानों को विराट रूप बतलाता है।[2] ऐतरेय ने इसे साक्षात सरस्वती की संज्ञा दी है।[3]

भाषा के द्वारा ही समस्त भावों व विचारों का विश्लेषण एवं उनकी अभिव्यक्ति की जाती है। संसार को एक सूत्र में बाँधने, परस्पर सहयोग तथा विश्व बंधुत्व की भावना जगाने की क्षमता एकमात्र भाषा में ही है। भाषा ही मनुष्य की समस्त उपलब्धियों, उसकी सभ्यता, संस्कृति व विकास की आधारशिला है।

1.3 भाषा के लक्षण

विद्वानों ने भाषा को आत्मा और बुद्धि से समन्वित मन तथा इंद्रियों का व्यापार कहा है। "जिन्ह ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समिष्ट भाषा कहलाती है।"[4] भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है, जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं–जैसे नेत्रग्राह्य, स्त्रोतग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से स्त्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ हैं।[5]

महर्षि पाणिनि ने भाषा को "व्यक्तवाचां सम्मुच्चारणे"[6] अर्थात् सम्यक प्रकार से उच्चरित व्यक्त वाणी ही भाषा है। महाभाष्यकार आचार्य पतंजलि ने अष्टाध्यायी के इस सूत्र की निम्नलिखित व्याख्या की है– (व्यक्तवाचास्तत्र प्रकर्षगतिर्विज्ञास्यते। साधीयोये व्यक्तवाच इति। के च साधीय? येषां वाच्चकारदयो वर्णाः व्यंज्यंते।)[7]

"मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मित का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं।"[8]

"भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किये गये वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।"[9]

---

1. अथर्ववेद "एतदवै विश्वरूपं, सर्वरूपं गोरूपं. . . " 9-7-25
2. शतपथ ब्राह्मण -4-6-7-5
3. ऐतरेय-3-1
4. सामान्य भाषा विज्ञान–डॉ. बाबूराम सक्सेना, पृष्ठ 6
5. भाषाशास्त्र की रूपरेखा–डॉ, उदयनारायण तिवारी, पृष्ठ 2
6. अष्टाध्यायी–महर्षि पाणिनि 1-3-48
7. महाभाष्यम, आचार्य पतंजलि
8. भाषा विज्ञान–डॉ श्याम सुंदर दास, पृष्ठ 20, भाषा रहस्य, पृष्ठ 44
9. तुलनात्मक भाषाशास्त्र–डॉ. मंगल देव शास्त्री, पृष्ठ 17

भाषा की प्रकृति, व्यवहारिक अनुभव व मान्य विद्वानों की उपर्युक्त परिभाषाओं का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि इनमें से किसी एक को भी पूर्ण वैज्ञानिक कहना संभव नहीं है। यों तो किसी भी परिभाषा में भाषा के समूचे लक्षण को पाना संभव नहीं है फिर भी यदि सभी परिभाषाओं का सार ग्रहण किया जाय तो भाषा के बारे में जो मूल तत्त्व सामने आते हैं वे हैं–

1. भाषा विचाराभिव्यक्ति का साधन है।
2. यह मनुष्य के उच्चरण अवयवों से निःसृत सार्थक ध्वनि समिष्ट है।
3. इन ध्वनि समिष्टयों की अपनी एक व्यवस्था है जो यादृच्छिक एवं अध्ययन विश्लेषणीय है।

1.4 हिन्दी भाषा का उद्भव व विकास

भारतीय भाषाओं के संबंध में भाषा शास्त्रियों की पहुँच तीन हजार वर्ष कालावधि तक है। प्राचीन काल में भारत अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर, कांबोज, चोल, चेर आदि छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय उत्तर भारत में क्रमशः संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषायें बोली जाती थीं और दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु आदि द्रविड़ परिवार की भाषायें चलती थीं। यद्यपि संस्कृत द्रविड़ परिवार से संबंधित नहीं थी फिर भी दक्षिण के कई विद्वानों व दार्शनिकों ने इसका अध्ययन, अध्यापन किया और बाल्मीकि रामायण, व्यास महाभारत आदि का अपनी-अपनी भाषाओं में अनुवाद भी किया।[1]

भारत में बोलचाल की भाषा कभी पाली या प्राकृत थी जिसका सबसे प्राचीन रूप अशोक के शिलालेख तथा पुरातन बौद्ध और जैन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। उसके बाद मध्य और उत्तरकालीन प्राकृतों का प्रादुर्भाव होता है। फिर अपभ्रंश काल और आगे चलकर प्राकृत का घिस-घिसा कर जो रूप बना वह अपभ्रंश कहलाया। इस अपभ्रंश के विविध रूपों से आज के आर्य भाषाकुल की भाषायें निकलीं। इस प्रकार से अपभ्रंश का अस्तित्व विक्रम की आठवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक माना जाता है। ग्यारहवीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क और मुसलमान भारत आये और शासन की बागडोर उनके हाथों में चली गई। परिणामतः हमारी जनता और साहित्य पर फारसी और अरबी का प्रभाव पड़ा। "उत्तर भारत की इन भाषाओं को इन शासकों ने हिन्दी का नाम दिया। हिन्दी के प्रारंभिक स्वरूप का विकास अपभ्रंशकालीन युग से अर्थात् ग्यारहवीं शताब्दी से हुआ। इसके प्रमाण 1172 ई. के कुछ दानपत्र तथा शिलालेखों से मिलते हैं। पृथ्वीराज के राज्यारोहण का उल्लेख 1178 ई. में इसी माध्यम से हुआ मिलता है। यदि हम प्राचीन काल के सिक्के देखें

---

1. "राष्ट्रभाषा विहीन राष्ट्र", गोपाल राव एकबोटे, अनुवादक प्राचार्य खंडेराव कुलकर्णी, प्रथमावृत्ति 1987, अध्याय पहला, पृष्ठ 3।

तो मुहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी पाई जाती है।"[1]

"सातवीं शताब्दी ई. पूर्व के आसपास इस नींव पर मानक भाषा की एक इमारत खड़ी की गई, जिसे संस्कृत कहते हैं। पाणिनि के पूर्व विद्वानों की कई पीढ़ियों ने व्याकरणिक विश्लेषण तथा शोध के क्षेत्रों में यद्यपि काफी काम किया था किन्तु पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण और वाक्य रचना का जो रूप निर्धारित किया था उसे ही मानक शास्त्रीय संस्कृत की उपाधि दी जाती है।

संस्कृतोत्तर परिनिठित साहित्य भाषाओं (पालि, शौरसेनी, प्राकृत और शौरसेनी अपभ्रंश) ने मध्यदेशीय भाषा की महती परंपरा का पालन करती हुई अपने-अपने समय में राजभाषा एवं अखिल भारतीय संपर्क भाषा के गौरवमय पद को सुशोभित किया किन्तु साथ ही भारतीय आर्य भाषाओं एवं उनके साहित्य तथा प्राचीन भारत का इतिहास हमें यह भी जानकारी देता है कि संस्कृत मुसलमानी राज्य स्थापित होने के पूर्व अर्थात् अपभ्रंश काल तक एक परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त राजभाषा और राष्ट्रभाषा के दायित्व को संभालती रही है। यह दूसरी बात है कि पालि, शौरसेनी, प्राकृत एवं अपभ्रंश के होश संभालने तक इसका भार कुछ हल्का हो गया। डॉ. चंडिका प्रसाद शुक्ल के शब्दों में "12वीं शताब्दी तक प्रायः सभी भारतीय राज्यों में शासन कार्य संस्कृत में ही होता था। संपूर्ण भारत में संस्कृत राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी।"[2] डॉ. शुक्ल का यह कथन मात्र गौरवगान नहीं बल्कि सत्यांश समन्वित है। इसकी पुष्टि प्रो. ई. जे. राप्सन ने भी की है, "संस्कृत भी वैसी ही बोलचाल की भाषा थी जैसी साहित्यिक अंग्रेजी है जिसे हम बोलते हैं। संस्कृत उत्तर पश्चिम भारत की बोलचाल की भाषा थी। जिसके विकास का पता संपूर्ण साहित्य दे रहा है।"[3]

मध्य भारतीय आर्य भाषा समूह के अंतर्गत वे प्राकृत अर्थात् लोक-भाषायें आती हैं जिनके साहित्यिक स्वरूप का विकास 600 ई. पू. से 1000 ई. के मध्य हुआ। इसलिए इन 1600 वर्षों के मध्य भारतीय आर्य भाषा काल को कुछ विद्वानों ने प्राकृत, द्वितीय प्राकृत एवं तृतीय प्राकृत की संज्ञा दी है। डॉ. उदय नारायण तिवारी ने इसे तीन पर्वों में बाँटा है—प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पर्व।[4]

"द्रविड़ भाषाओं का जन्म लगभग 3000 ई. पू. से 2000 ई. पू. के बीच का बताया जाता है और आर्य भाषाओं का क्रम विकास 2000 ई. पू. के बाद का है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध 15 भाषायें केवल द्रविड़ तथा आर्य

---

1. "राष्ट्र भाषा विहीन राष्ट्र"—गोपाल राव एकबोटे, अनुवादक प्राचार्य खंडेराव कुलकर्णी, प्रथमावृत्ति 1987, अध्याय पहला, पृष्ठ 3
2. "हिन्दी साहित्य", प्रथम खंड—डॉ. चंडिका प्रसाद शुक्ल, पृष्ठ 238
3. "हिन्दी साहित्य", प्रथम खंड, डॉ चंडिका प्रसाद शुक्ल, पृष्ठ 239
4. "हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास", डॉ उदय नारायण तिवारी, पृष्ठ 60

परिवार से संबंधित हैं। इनमें 4 द्रविड़ परिवार से तथा 11 आर्य परिवार से हैं।"[1]

यहाँ पर यह बात महत्त्वपूर्ण नहीं है कि मध्य भारतीय आर्य भाषा को पर्वों में बाँटना उपयुक्त है अथवा प्राकृतों में, बल्कि महत्त्व इस बात का है कि डॉ. चटर्जी, श्री टी. डब्ल्यू. रायडेविस प्रभृति विद्वानों ने भी मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के विकास को 3 सोपानों में बाँटने की आवश्यकता महसूस की:"[2]

1. प्रथम स्तर 100 ई. पू. से 200 ई. पू. –पालि एवं अशोक के अभिलेख
2. द्वितीय स्तर 200 ई. पू. से 600 ई. पू.–साहित्यिक प्राकृतें
3. तृतीय स्तर 600 ई. पू. से 1000 ई. पू.–अपभ्रंश भाषायें

1001 ई0 तक जब महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण करना आरंभ किया। देश में अनेक अपभ्रंश भाषायें विकसित हो चुकी थीं। इन्हीं अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। ये अपभ्रंश इस प्रकार थीं[3]

अपभ्रंश	**आधुनिक भारतीय भाषा**	**भौगोलिक क्षेत्र**
1. ब्राचड	सिंधी	सिंध का निचला क्षेत्र
2. केकय	लेहंदा	सिंध का ऊपरी क्षेत्र
3. तक्का एवं उपनागर	पंजाबी	पंजाब
4. नागर	गुजराती	गुजरात
5. आवंत्य	राजस्थानी एवं पहाड़ी बोलियाँ	उज्जयिनी तथा पंजाब और नेपाल के बीच हिमालय क्षेत्र व राजस्थान
6. शौर सेनी	पश्चिमी हिन्दी, खड़ी बोली हिन्दी	गंगा घाटी का मध्य भाग, मध्य देश
7. वैदर्भी	मराठी	महाराष्ट्र
8. अर्ध मागधी	पूर्वी हिन्दी	वाराणसी से इलाहाबाद के आसपास का भाग
9. मागधी	असमी, बंगला, भोजपुरी, मगही, मैथिली	असम, बिहार, बंगाल
10. उत्कल	उड़िया	उड़ीसा

---

1. "राजभाषा समस्या और व्यवहारिक समाधान", कन्हैया लाल गांधी, प्रथम संस्करण 1985, भूमिका–पृष्ठ 2 × नेपाली, मणीपुरी और कोंकणी मिलाकर संख्या 18 हो गई है।
2. सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य, टी. डब्ल्यू. राय डेविस, पृष्ठ 25।
3. "राजभाषा समस्या : "व्यवहारिक समाधान–कन्हैयालाल गांधी, पृष्ठ 4, भूमिका

ग्यारहवीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क और मुसलमानों ने शासन की बागडोर संभाली। परिणामतः हमारी जनता और साहित्य पर फारसी और अरबी का प्रभाव हुआ। उत्तर भारत की इन भाषाओं को इन शासकों ने खड़ीबोली नाम दिया। 1192 में शहाबुद्दीन ने ब्रज मिश्रित हिन्दी का उपयोग किया। दानपात्र और शिलाखंड इसके प्रमाण हैं।

यहाँ भाषा विज्ञान या भाषा का क्रमिक इतिहास देना हमारा लक्ष्य नहीं है। संक्षेप में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का नामोल्लेख केवल यह दर्शाने के लिए किया गया है ताकि हमें पता चल सके कि हिन्दी भाषा कहाँ से और कैसे परिवर्तित एवं विकसित होते हुए आगे बढ़ी और आधुनिक अवस्था तक पहुँची।

जब तुर्क पूर्ण रूप से भारत में बस गये तो इन्होंने प्रचलित आम मानक भाषा अर्थात् खड़ीबोली को परस्पर बातचीत का माध्यम बनाया। 1326 ई. में जब मुहम्मद तुगलक ने अपने शाही दफ्तर दक्षिण में स्थानांतरित कर दिये और सभी लोगों को दक्कन प्रस्थान का आदेश दिया तो खड़ीबोली भी उनके साथ दक्षिण तक पहुँची। वहाँ गुजराती, मराठी, तमिल और कन्नड जैसे निकटवर्ती क्षेत्रों की भाषाओं का प्रभाव खड़ीबोली पर पड़ा। इस प्रभाव के कारण इस भाषा ने एक नया रूप धारण किया, जिसे दक्खिनी कहा। दक्खिनी भाषा के विशेषज्ञ डॉ. श्रीराम शर्मा ने उल्लेख किया है कि उस समय कुछ मुस्लिम परिवारों के अलावा बहुत से व्यापारी और श्रमिक भी दक्षिण आये थे। ये अधिकतर दिल्ली के रहनेवाले थे। यह भाषा केवल हिन्दुस्थानी ही नहीं बल्कि ईराक व ईरान से आये हुए विदेशी मुसलमान जो मराठी तेलुगु, कन्नड भाषी क्षेत्रों में रहते थे वे खड़ीबोली को उपयोग में लाने में सहयोगी रहे। हिन्दी के नाम के अतिरिक्त हिन्दुई, हिन्दवी, दहलवी, खड़ीबोली, दक्खनी नामों का भी समय-समय पर प्रयोग किया गया है।[1]

शौर सेनी अपभ्रंश को सार्वदेशिक व्यापकता प्रदान करने में राजपूत राजाओं, व्यवसायियों, सामान्य नागरिकों के अतिरिक्त विविध धर्मावलंबी साधुओं एवं साधकों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। डॉ. चटर्जी का निम्नलिखित कथन दृष्टव्य है, "मध्य युग के उत्तर भारत के संत और साधु लोगों की परंपरा, जिन्होंने स्थापित की थी ऐसे राजपुताना, पंजाब और गुजरात के जैन आचार्य लोग तथा पूर्व भारत के बौद्ध सिद्धाचार्य और बाद में समग्र उत्तर भारत में फैले हुए शैव योगी या नागपंथ के आचार्य लोग, बंगाल के सहजिया पंथ के साधक इन सब के लिए शौर सैनी अपभ्रंश जनता के साथ अपने मत और अपनी शिक्षा के प्रसार के लिए एक अच्छा साधन बना।"[2] हिन्दी के आदिकाल का जो कुछ भी साहित्य उपलब्ध है उसका अधिकांश

---

1. "राष्ट्रभाषा विहीन राष्ट्र", गोपाल राव एकबोटे, अनुवादक प्राचार्य खांडेराव कुलकर्णी, प्रथम संस्करण 1987, पृष्ठ 3
2. "राजस्थानी भाषा", डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी, पृष्ठ 62-63

भाग राजस्थान में प्राप्त हुआ। कन्नौज के राजा जयचंद की पराजय के पश्चात प्रायः सारे हिन्दी प्रदेश पर मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो गया। हिन्दी भाषा के इस काल में राजस्थान और उसके आसपास के इलाके में मुख्यतः चार प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता रहा। एक अप्रभ्रंश मिश्रित पश्चिमी हिन्दी, दूसरी डिंगल, तीसरी शुद्ध मरुभाषा और चौथी पिंगल। साहित्य की दृष्टि से डिंगल और पिंगल का विशेष महत्त्व था।[1]

डिंगल उस राजस्थानी मिश्रित कृत्रिम अपभ्रंश का नाम है जो दरबारी चारणों के परंपरागत रूढ़ि के रूप में प्राप्त हुई थी। हिन्दी का रासो साहित्य डिंगल साहित्य कहलाता है। इसका व्यवहार हिन्दी के आदिकाल के साथ ही समाप्त हो गया। डिंगल के अपेक्षाकृत पिंगल अधिक व्यापक क्षेत्र की साहित्यिक भाषा कहलाती थी जो सरस कोमल तो थी ही साथ ही शास्त्र संगत और व्यस्थित भी थी। "उक्त व्यक्ति प्रकरण", प्राकृत पैंगलम, जयचंद्र प्रबंध में इसकी पर्याप्त झलक मिलती है। वस्तुतः इसे ब्रजभाषा का पूर्व रूप कहा जाता है।[2]

हिन्दी के मध्य काल में प्रमुखतः हिन्दी की तीन बोलियाँ अवधि, ब्रज और खड़ी बोली साहित्यिक मंच पर आसीन दिखाई पड़ती हैं। अवधि की धारा तुलसी के बाद क्रमशः क्षीण होती चली गई और भक्ति काल तक आते–आते यह मात्र लोक-भाषा बनकर रह गई। मध्य देश की महान भाषा परंपरा के उत्तरदायित्व का निर्वाह यदि किसी भाषा ने किया है तो वह ब्रज थी। शूरसेन प्रदेश की इस बोली को संस्कृत से लेकर शौरसेनी अपभ्रंश तक की सारी शक्ति और गरिमा अपनी परंपरा के रूप में एक साथ मिली हुई थी। 1000 ई. के आसपास शौरसेनी अपभ्रंश की अपनी जन्मभूमि में ब्रजभाषा का उदय हुआ–उस समय इसके सिर पर साहित्यिक अपभ्रंश की छाया थी और रक्त में शौरसेनी भाषाओं की परंपरा और अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक तत्त्वों का ओज और बल[3] इतना ही नहीं ईसा की 18वीं शताब्दी तक अपनी किशोरावस्था में मुसलमानी आक्रमण काल में जहाँ इसने उत्तर की सांस्कृतिक और राजकीय भाषा का पद प्रतिष्ठित किया, वहीं अपनी प्रौढ़ावस्था में अपनी माधुरी से मुगल सम्राटों को चलचकित और सम्मोहित किया।[4]

किन्तु मुस्लिम शासकों के द्वारा फारसी को राजभाषा बनाये जाने के कारण राजकाज के कार्यों से इसे प्रायः वंचित रहना पड़ा। भारतीय भाषाओं के इतिहास में यह पहला अवसर था जब मध्य प्रदेश की भाषाओं की राजभाषा परंपरा खंडित

---

1. "राजभाषा के संदर्भ में हिन्दी आंदोलन का इतिहास"–डॉ. उदयनारायण दुबे, प्रथम संस्करण 1979, पृष्ठ 54-55
2. "वही", पृष्ठ 55
3. "सूरपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य", डॉ. शिव प्रसाद सिंह, पृष्ठ 39
4. "भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी", डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी, पृष्ठ 206-207

हुई और भारत के सिंहासन पर भारतीय नहीं बल्कि फारसी जैसी भाषा आरूढ़ हुई। इस प्रकार जहाँ ब्रजभाषा ने अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा अखिल देशीय संपर्क भाषा की परंपरा को कायम रखा वहीं राजभाषा के अपने प्राप्य अधिकार से वंचित रही और मध्यदेशीय राजभाषा की गरिमामयी परंपरा का पालन न कर सकी।

हिन्दी के मध्य काल में तीसरी साहित्यिक बोली, खड़ीबोली थी जिसके मिश्रित रूप की झाँकी समस्त उत्तर भारत में फैले हुए साधु-संतों की अटपटी वाणी तथा साहित्य में देखी जा सकती है। यों तो उत्तर भारत में साहित्यिक भाषा के रूप में इस बोली का कोई विशेष महत्त्व नहीं था, अमीर खुसरो जैसे एकाधिक व्यक्ति ने कुछ रचनायें इसमें अवश्य कीं। किन्तु मौखिक परंपरा के माध्यम से इस बोली का प्रचार व प्रसार न केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी साधु-संतों ने किया। इसीलिए अल्लाउद्दीन की दक्षिण विजय के साथ उत्तर भारत से गये मुसलमानों को दक्षिण में इस परिचित बोली को पाकर बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने फारसी का मोह त्याग कर इसे शासन व साहित्य का माध्यम बनाया। इस प्रकार इस बोली को जो महत्त्व अपने घर में न मिल सका वह ईसा की चौदहवीं शताब्दी में घर से बाहर यानी दक्षिण भारत में मिला। कालांतर में दक्षिण के साहित्यकारों द्वारा यह बोली उत्तर भारत में लाई गई, तब "दक्खिनी" नाम से प्रसिद्ध हुई।[1] इसकी पुष्टि उपरोक्त विश्लेषण से हो चुकी है।

समय के साथ-साथ भाषा के रूप में भी परिवर्तन आया। हिन्दी के आधुनिक काल तक आते-आते मध्य काल में पनपी ब्रजभाषा लोकभाषा से काफी दूर हट चुकी थी। 18वीं शती के अंत में राजनीतिक दशा में परिवर्तन आया। 19वीं शती के आरंभ में ही देश पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। इस परिवर्तन से भाषाक्षेत्र भी अछूता नहीं रह सका। जब ब्रज तथा अवधी भाषायें जनक्षेत्र छोड़ चुकीं तो अठारहवीं शती में खड़ीबोली ने उनका स्थान लेना आरंभ किया। अवधी ने तो बहुत समय पहले ही साहित्य से मुंह मोड़ लिया था, किन्तु ब्रज ने अपना अस्तित्व बनाये रखा। खड़ीबोली को बहुत संघर्ष करना पड़ा किन्तु यह विकसित होती रही विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक आंदोलनों से खड़ीबोली के विकास में बहुत सहायता मिली। परिणामस्वरूप यह साहित्य एवं समाज की प्रमुख भाषा बन गई। अंग्रेजों ने इसका प्रयोग करना आरंभ कर दिया। खड़ीबोली के प्रचार का बहुत कुछ श्रेय अंग्रेजी और उससे भी अधिक भारतेन्दु युग के साहित्यकारों को दिया जा सकता है।

20वीं शती के आरम्भ से ही समस्त हिन्दी प्रदेश में खड़ीबोली हिन्दी ने अपना आधिपत्य कायम कर लिया। द्विवेदी युग में कविता ने भी ब्रज का परिधान उतार

1. "राजभाषा के संदर्भ में हिन्दी आंदोलन का इतिहास, डॉ. उदयनारायण दुबे, प्रथम संस्करण 1979, पृष्ठ 56-57

फेंका और इस प्रकार 20वीं शताब्दी के अंत से ही समस्त हिन्दी प्रदेश में खड़ी बोली हिन्दी ने अपना एकाधिकार कायम कर लिया और फिर खड़ीबोली साहित्य का विकास इतनी तीव्र गति से हुआ कि उसकी होड़ लेना किसी भाषा और साहित्य के लिए नामुमकिन हो गया।[1] हिन्दी का वर्तमान रूप कोई एक दिन के संघर्ष का परिणाम नहीं बल्कि इस स्तर पर पहुँचने में उसे विभिन्न विपरीत परिस्थितियों एवं संघर्षों से गुजरना पड़ा है। इसके विकास के लिए केवल एक पहलू को श्रेय नहीं दिया जा सकता बल्कि विभिन्न पहलुओं का योगदान रहा है, जिनमें धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और साहित्यिक कारण हैं। स्वतंत्रता संघर्ष की बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में थी। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन ने महात्मा गांधी के नेतृत्व और सूझबूझ में खड़ीबोली को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर उसे अंतरप्रांतीय भाषा के रूप में विकसित किया। स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन चलाने के लिए इसका प्रयोग किया। गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, बालगंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, जवाहर लाल आदि नेताओं ने एक स्वर से इसे राष्ट्रभाषा का नाम दिया। जब अंग्रेजों ने मुसलमानों से शासन सत्ता छीन ली तो फारसी के स्थान पर अंग्रेजी राजभाषा बनी। इसमें मैकाले की शिक्षा नीति बड़ी कारगर सिद्ध हुई क्योंकि ब्रजभाषा अथवा खड़ीबोली के रूप में मुलमान बादशाहों के दरबार में हिन्दी को जो सम्मान मिला था उसे भी अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता और उर्दू के नाम पर समाप्त करने का प्रयास किया।

स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यह बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत के लिए किसी एक प्रतिनिधि या संपर्क भाषा की आवश्यकता है और वह भाषा अपेक्षाकृत अधिक लोगों द्वारा बोली जाने के कारण हिन्दी ही हो सकती है। राजाराम मोहन राय, केशवचंद्र सेन, बंकिम चंद्र, महात्मा गांधी आदि भाषायी महानुभावों ने भी हिन्दी को अखिल भारतीय स्तर पर अपनाने पर बल दिया।

स्वामी दयानंद सरस्वती पहले संस्कृत में भाषण देते थे। एक बार कलकत्ता में उन्होंने भाषण दिया जिसे सुनकर केशवचंद सेन ने स्वामीजी को राय दी कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी बातों को भारत की अधिकांश जनता सुने तथा समझे तो अपना भाषण हिन्दी में दीजिए। इसके पश्चात स्वामीजी ने न केवल अपना भाषण हिन्दी में देना आरंभ कर दिया, बल्कि अपना ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी हिन्दी में लिखा।

स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी विभिन्न स्थानों से आकर एकत्रित होते थे, जो विभिन्न विचारधाराओं तथा भाषाओं को जानने वाले होते थे। वे अलग-अलग भाषाओं में बात करते थे। इसी दौरान पारस्परिक सामूहिक संवाद की दृष्टि से एक

---

1. "राजभाषा के संदर्भ में हिन्दी आंदोलन का इतिहास", डॉ. उदयनारायण दुबे, प्रथम संस्करण 1979, पृष्ठ 57

मिली-जुली भाषा की आवश्यकता को प्रोत्साहन मिला। हिन्दी के विकास को इस संघर्ष से बहुत मदद मिली। दूसरी ओर, अंगेजों ने अंग्रेजी के प्रचार के लिए विभिन्न संस्थायें खोलीं। भाषा के मामले में यहाँ भी दो विचारधारायें सामने आईं। कट्टरपंथी तथा उदारपंथी। कट्टरपंथियों में अंग्रेजीपरस्त विचारों के लोग थे। इसी समय में मेकाले की शिक्षानीति ने प्रभाव डाला जिससे भारत में अंग्रेजियत का बोलबाला होने लगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना के साथ अनुवाद का झगड़ा आरंभ हो गया तथा दो राजाओं राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारेहिन्द के मध्य संषर्ध हो गया। पारसी पदों के समर्थक राजा शिव प्रसाद सिंह ने एक नया मोड़ लिया जिससे दो धारायें बह चलीं। खड़ीबोली हिन्दी तथा खड़ी बोली उर्दू। इससे अंग्रेजी को लाभ हुआ और अदालतों, कार्यालयों, शिक्षा संस्थानों, स्वायत्त संस्थाओं, निजी व्यवसायों, विधान सभाओं में जिस समय भारत आजाद हुआ, अंग्रेजी का सामाज्य था।

"मुस्लिम शासन काल में भारत की राजभाषा फारसी थी। इन मुसलमान शासकों से शासन सत्ता अंग्रेजों ने छीनी। अंग्रेजों ने फारसी को राजसिंहासन से हटाकर उस पर अंग्रेजी को ला बिठाया। अंग्रेजी को राजभाषा के पद पर बिठाने में मैकाले की भाषानीति बड़ी कारगर सिद्ध हुई। कहना न होगा कि सत्ता के इस परिवर्तन से राजभाषा के क्षेत्र में हिन्दी जैसी मध्य देशीय भाषा को कोई उल्लेखनीय लाभ नहीं हुआ। ब्रजभाषा और खड़ीबोली के रूप में हिन्दी को मुसलमान बादशाहों के दरबार में जो महत्ता मिली थी उससे भी अंग्रेजों की सांप्रदायिकता बढ़ाने वाली नीति के कारण उर्दू को बीच में ला खड़ा किया। सरकारी कामकाज में क्लिलष्ठ उर्दू जिसमें अरबी और फारसी के शब्दों की भरमार थी, यह प्रयोग में आती रही और हिन्दी को इस पद से वंचित रहना पड़ा। किन्तु खड़ीबोली हिन्दी ने हिम्मत नहीं हारी, ब्रजभाषा के द्वारा खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए स्वाधीनता संघर्ष में पग से पग मिलाती हुई राजभाषा हिन्दी ने अंग्रेजों के साथ कठिन लोहा लिया।"[1]

हिन्दी को राजभाषा का पद देने तथा अंग्रेजी को इस पद से हटाने का संघर्ष आजादी के संघर्ष के साथ-साथ ही चलता रहा। प्रायः बहुत से देशों में हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जागृति की लहर आई और स्वभाषा का आंदोलन चला। बहुत से देशो में यह आंदोलन जल्दी सफल हो गया किन्तु कुछ देशों में स्वभाषा की जागृति को विरोध का सामना करना पड़ा जिसमें भारत भी एक है।

---

1. "राजभाषा के संदर्भ में हिन्दी का इतिहास", डॉ. उदयनारायण दुबे, प्रथम संस्करण 1979, पृष्ठ 57

1.5 उपसंहार

इन संघर्षों के बावजूद भी हिन्दी अपनी समृद्ध परंपरा को बनाये हुए है तथा भारत सरकार इसी हिन्दी के विकास, प्रचार-प्रसार के लिए कटिबद्ध है। क्योंकि हिन्दी की विकास यात्रा से स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी शासन में इसका अपना विशेष स्थान रहा है। इसने अपनी पहचान बनाये रखी है। अंततः वह स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान के द्वारा राजभाषा पर प्रतिष्ठित हुई। किन्तु स्वार्थलोलुप कुछ स्वदेशियों की दूषित नीति के फलस्वरूप जीत कर भी सही मायनों में जीत न पाई और आज भी अंग्रेजी व्यवहारिक रूप में राजभाषा बनी हुई है।

हिन्दी की विकास यात्रा का सांगोपांग अध्ययन करने से निष्कर्ष निकलता है कि इस देश की एक महान भाषा परंपरा रही संस्कृत से लेकर हिन्दी तक की संपूर्ण मध्य देशीय परिनिष्ठित भाषाओं ने अपने-अपने समय में यथा सामर्थ्य इस परंपरा को पुष्ट किया है। इस महती परंपरा की दो धारायें रही हैं। एक अखिल भारतीय संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा की धारा, दूसरी राजभाषा की। संस्कृत, पालि, शौरसेनी प्राकृत एवं शौरसेनी अपभ्रंश ने अपनी-अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा दोनों धाराओं को गतिशील रखा है। हिन्दीयुग में आकर मुसलमान और अंग्रेज शासकों के द्वारा अवरोध उत्पन्न करने तथा उनकी भाषा नीति के कारण लगभग 700 वर्षों तक विभिन्न रूपों में हिन्दी ने अखिल देशीय भाषा की धारावाहिक परंपरा को कायम रखने का कार्य किया है। राजभाषा का क्षेत्र प्रायः इससे अछूता रहा है। और आज यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दोनों क्षेत्र खड़ीबोली हिन्दी के हिस्से आये हैं। फिर भी राजभाषा हिन्दी की समस्या सुलझ नहीं सकी है।

पहले हिन्दी को विभिन्न भाषाओं के साथ संघर्ष करना पड़ा। अब स्वतंत्रता के पश्चात इसे विभिन्न धार्मिक राजनीतिक, क्षेत्रीय विवादों का सामना करना पड़ रहा है जिसका उल्लेख हम आगे करेंगे।



दूसरा अध्याय
राजभाषा तथा इससे मिलते-जुलते पारिभाषिक शब्द

2.1 अध्याय का प्रतिपाद्य

हिन्दी को संविधान में राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा दोनों ही रूप में दर्जा प्राप्त है। वैसे संविधान की अष्टम सूची में भारत की अन्य सतरह प्रांतीय भाषाओं को भी राष्ट्रीय भाषा के नाम से अभिहित किया गया है। इसके अतिरिक्त जहाँ भी भाषा का प्रश्न हमारे समक्ष होता है तो इनमें मिलते-जुलते कई पदनाम व शब्द हमारे सामने आते हैं जैसे साहित्यिक भाषा, जनभाषा, संपर्कभाषा, राजभाषा क्षेत्रीय भाषा, इत्यादि। जब भी उक्त शब्द हमारे सामने आते हैं प्रायः विभ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जो सामान्य व्यक्ति की ज्ञान सीमा से बाहर की बात बनकर रह जाती है। जब राजभाषा का प्रश्न स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है, तो निश्चित ही इन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना समीचीन एवं संगत प्रतीत होता। इन बिन्दुओं को स्पष्ट करने के पश्चात राजभाषा के महत्त्वपूर्ण पहलू को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। अतः संक्षेप में इन बिन्दुओं का स्पष्टीकरण प्रस्तुत है।

2.2 राष्ट्रभाषा

राष्ट्रीय एकता की प्रतीक, राष्ट्रीय सम्मान, भावनात्मक अखंडता और आर्थिक लाभ के लिए संपूर्ण राष्ट्र में मान्य भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। आंचलिक, क्षेत्रीय और प्रादेशिक भाषायें अपने-अपने क्षेत्रों के लिए नितांत आवश्यक हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में वहाँ के निवासियों का निर्वाह इस भाषा के द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। यह भाषा क्षेत्र विशेष के लिये तो कार्यसाधक सिद्ध हो सकती है, किन्तु संपूर्ण राष्ट्र अथवा संघ के लिए एक ऐसी भाषा अनिवार्य होती है जो व्यापक हो, जिसमें समस्त राष्ट्र का प्रतिबिंब झलकता हो। जिसके माध्यम से लोग देश के एक भाग से दूसरे भाग में अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हुए सुगमता से विचरण कर सकें तथा अपने कार्यों का निष्पादन कर सकें। इस प्रकार की व्यापक एवं बहु-प्रचलित भाषा ही राष्ट्रीय एकता ला सकती है तथा ऐसी भाषा को ही राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जा सकता है।

हम कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा के माध्यम से देश के साहित्य, धर्म, दर्शन और कला की भावना को राष्ट्रीय परिवेश में व्यक्त किया जाता है। राष्ट्रभाषा वास्तव में

वही भाषा हो सकती है जिसकी प्रकृति राष्ट्र तथा प्रांतीय भाषाओं को जोड़ती हो। यह आवश्यक नहीं है कि एक राष्ट की एक ही राष्ट्रभाषा हो, बल्कि अनेक राष्टों की भी एक राष्ट्रभाषा हो सकती है। जैसे इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड; इन सभी राष्ट्रों की केवल एक ही राष्ट्रभाषा है। दूसरी ओर यह भी आवश्यक नहीं है कि एक राष्ट्र की केवल एक ही राष्ट्रभाषा हो बल्कि एक राष्ट्र में भी अनेक राष्ट्रभाषायें हो सकती हैं जैसे भारतवर्ष में 18 भाषाओं को संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रभाषाओं की मान्यता प्राप्त है। रूस अनेक छोटे-छोटे जनतंत्रों का संघ था जिनकी अलग-अलग भाषायें थीं किन्तु संपूर्ण सोवियत संघ की एक ही राष्ट्रभाषा थी रूसी।

राष्ट्रभाषा संवाद सुविधा का एक साधन है। इससे राष्ट्र जीवन सरलता तथा सुगमता से चलता है। राष्ट्र प्रभुसत्ता संपन्न होता है। वहाँ एक शासनतंत्र होता है। उसकी अपनी भौगोलिक सीमायें होती हैं और जनसंख्या होती है। इन्हीं तत्त्वों के साथ उसकी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जनसाधारण की भाषा ही समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार स्वरूप परिवर्तन कर उस देश या राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बनती रहती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र का वास्तविक रूप परिलक्षित होता है। राष्ट्र के विकास के साथ उसके लिए एक झंडा तथा राष्ट्रगान की आवश्यकता होती है। इन्हीं आवश्यकताओं के साथ मूलभूत आवश्यकता पनपती है राष्ट्रभाषा की। जिस प्रकार राष्ट्रीय झंडा मात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं संपूर्ण राष्ट्र की एकता का प्रतीक होता है, राष्ट्र की ध्वनि का द्योतक होता है, उसी प्रकार राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है जिसके द्वारा समस्त राष्ट्र एक ध्वनि से गुंजायमान है। राष्ट्र के सदस्यों का हृदय एक हो जाता है अतः विशाल जन समुदाय जिस भाषा के द्वारा अपने सदस्य बंधुओं के आचार-विचार, व्यवहार विनिमय और अन्य क्रियाकलापों को हृदयंगम करने में सुविधा का अनुभव करता है यह सुविधाजनक भाषिक माध्यम राष्ट्रभाषा कहलाता है।[1]

जिस भाषा में देश की हजारों वर्ष की परंपरायें अविच्छिन्न रूप में विगत का वहन करती हुई नवीन परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ हैं, जो प्राचीन परंपराओं की उत्तराधिकारिणी हो तथा नई चिंतन धाराओं की प्रवाहिका भी, वही राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण करने की अधिकारिणी है। इसीलिए हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, क्योंकि यह देश की परंपराओं एवं आत्मा का मूलाधार बनकर अवतरित हुई है। हिन्दी समस्त भारतीय भाषाओं में सब से अधिक देशीय और प्राचीन परंपराओं की उत्तराधिकारिणी, नवीन चिंतनधारा की वाहिका तथा देश की अन्य समस्त भाषाओं की पोषक है। यह देश की प्रचलित अन्य भाषाओं की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है।

---

1. "राष्ट्रभाषा हिन्दी स्वरूप"–डॉ. रामेश्वर मिश्र, पृष्ठ 42

"राष्ट्रभाषा राष्ट्र की भावात्मक एकता की आधारशिला है। यह जितनी जनप्रिय, व्यापक, सरल और उन्नत होगी, राष्ट्रीय भावात्मक एकता और अखंडता की आधारशिला भी उतनी ही मजबूत, टिकाऊ और प्रशस्य होगी। आज के वैज्ञानिक युग में अब समय और दूरी का कोई मूल्य नहीं रह गया है। मनुष्य घर बैठे ही न केवल दूर देशों की खबरों को सुनते हैं, बल्कि बोलनेवालों की आकृति को भी देख सकते हैं; इस वातावरण में राष्ट्रभाषा का महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दृष्टि से राष्ट्र के बुद्धिजीवियों के लिए राष्ट्रभाषा एक मानसिक खुराक है।"[1]

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रभाषा का राष्ट्र के मूलभूत तीनों तत्त्वों के लिए विशेष महत्त्व है। डॉ. धीरेंद्र वर्मा ने भी इसी प्रकार का मंतव्य दिया है तथा हिन्दी को भारत की एकमात्र राष्ट्रभाषा माना है। "हिन्दी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि यह कभी न सूखनेवाला अक्षयवट है। अक्षयवट इसलिए कि वास्तव में संस्कृत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आदि पूर्वकालीन भाषायें तथा साहित्य हिन्दी भाषा के ही पूर्वरूप है। हिन्दी इनकी ही आधुनिक प्रतिनिधि तथा उत्तराधिकारिणी है। हिन्दी रूपी अक्षयवट की जड़ें, तना तथा शाखायें आर्यवर्त के मध्य देश में भले ही अवस्थित और फैली हुई हैं किन्तु इस विशाल वटवृक्ष के स्निग्ध हरित पत्तों की शीतल वरदायिनी छाया समस्त भारत को शीतलता प्रदान कर रही है। यदि भारत वर्ष को एक उपवन मान लें तो हम कह सकते हैं कि इस मध्य देश रूपी भारत के हृदय में अवस्थित हिन्दी रूपी अक्षयवट के चारों ओर बंगला, असमियाँ, उड़िया, तेलुगु, तमिल आदि के रूप में अनेक छोटे-बड़े और नये-पुराने वृक्ष अपनी मस्ती में झूल रहे हैं। इस वटवृक्ष पार्श्वभूमि में सब विकसित और विलसित है। इन नये-पुराने वृक्षों को भी प्राण रक्षक जल और उर्वरक भारतीय संस्कृति से ही प्राप्त होते हैं। भारतीय संस्कृति का मूल प्रतिनिधि तो यह हिन्दी रूपी अक्षयवट ही है।"[2]

इस प्रकार हिन्दी में राष्ट्रभाषा के सभी तत्त्व एवं सभी गुण विद्यमान हैं तथा यह राष्ट्रभाषा के पद की अधिकारिणी है।

2.3 साहित्यिक भाषा

भारत की सभ्यता अति प्राचीन है। अपनी अंतर्निहित विशेषताओं के कारण ही यह समृद्धिशाली सभ्यता काल कराल के मुख में जाकर विलीन होने से बची रही जबकि इसकी समकालीन अनेक सभ्यतायें अब केवल नाम के लिए सुनाई पड़ती हैं। उनका अस्तित्व समाप्तप्राय हो चुका है। इसका श्रेय जहाँ भारतीय सभ्यता की महान परंपराओं को जाता है वहीं इसकी समृद्ध एवं महान भाषाओं को भी जाता है। साहित्य समाज का दर्पण है। इसकी समृद्ध एवं महान भाषाओं की भी भाषायें होती

---

1. "राष्ट्रभाषा हिन्दी का स्वरूप", डॉ. रामेश्वर मिश्र, पृष्ठ 41
2. "विचारधारा भाषा", डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ 190

हैं जिसमें तत्कालीन परंपराओं, कार्यकलापों, संस्कृति, रीतिरिवाजों रहन-सहन, आचार-व्यवहार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मर्यादाओं का स्पष्ट उल्लेख होता है। जिस प्रचलित भाषा में समकालीन साहित्य लिखा जाता है उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। एक काल में विभिन्न साहित्यकारों की विभिन्न भाषायें हो सकती हैं, क्योंकि साहित्यकार विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं अतः साहित्यिक भाषाओं का अनेक रूप होना स्वाभाविक है।

साहित्यिक भाषा का आधार बोलचाल की ही भाषा हुआ करती है। किन्तु साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश पाने पर वह परिष्कृत व परिमार्जित हो अपने पूर्ण रूप से कुछ भिन्न हो जाती है। उसमें एक विशिष्ट सौंदर्य, गांभीर्य की अनोखी चमक, अलंकरण की दिव्य छटा आदि अपूर्व कलात्मकता समाविष्ट हो जाती है। इस प्रकार यह सामान्य बोलचाल से ऊपर उठकर शिक्षित समुदाय के विचार-विमर्श का माध्यम एवं साहित्यकारों की सहभागिनी बन जाती है।[1]

विगत को जानने के लिए तथा अपने पूर्वजों की परंपराओं का अवलोकन करने के लिए हम इतिहास अथवा साहित्य का सहारा लेते हैं। प्राचीन काल में प्रायः संस्कृत ही हमारी साहित्यिक भाषा रही। आर्यकुल की भाषाओं में साहित्य रचना हुई। अरबी, फारसी, उर्दू, ब्रज–अवधी खड़ीबोली तथा अंग्रेजी समय–समय पर साहित्य की भाषा रह और हैं। देखा यह भी गया है कि कोई एक भाषा रूप सर्वमान्य या सार्वकालिक साहित्यिक भाषा नहीं रह पाती। वैसा संभव भी नहीं है क्योंकि लोकवृत्ति के विकास के साथ-साथ भाषिक अभिव्यक्ति की अपेक्षाओं में भी अंतर आता जाता है।

साहित्यिक भाषा का अस्तित्व स्वतंत्र होता है। राष्ट्रभाषा में अन्य भाषाओं का सम्मिश्रण तथा व्याकरणिक त्रुटियों की ओर विशेष ध्यान नहीं होता, वह सर्वग्राही होती है। राजभाषा में पारिभाषिक निश्चयात्मकता पर बल होता है और साहित्यिक भाषा में मानकीकरण परिष्कार तथा अभिव्यंजकता का आग्रह होता है।

लेकिन भिन्न अस्तित्व के होते हुए भी साहित्यिक भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा से भिन्न नहीं किया जा सकता। हाँ यह अवश्य संभव है कि किसी युगविशेष में राजभाषा और राष्ट्रभाषा–साहित्यिक भाषा के भाषारूप भिन्न हो। जैसे मुगल काल में राजभाषा तो फारसी थी किन्तु राष्ट्र की वाणी एवं मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति की भाषा ब्रज, अवधी आदि के रूप में हिन्दी थी।

अतः कहा जा सकता है कि साहित्यिक भाषा वह भाषा है जिसमें समकालीन संस्कृति, धर्म, शिक्षा, नीति एवं मर्यादाओं अर्थात् समस्त मानवीय व्यापारों की अभिव्यक्ति होती है।

---

1. "सजभाषा के संदर्भ में हिन्दी आंदोलन का इतिहास", डॉ. उदयनारायण दुबे, पृष्ठ 10

"राष्ट्रभाषा राष्ट्र की भावात्मक एकता की आधारशिला है। यह जितनी जनप्रिय, व्यापक, सरल और उन्नत होगी, राष्ट्रीय भावात्मक एकता और अखंडता की आधारशिला भी उतनी ही मजबूत, टिकाऊ और प्रशस्य होगी। आज के वैज्ञानिक युग में अब समय और दूरी का कोई मूल्य नहीं रह गया है। मनुष्य घर बैठे ही न केवल दूर देशों की खबरों को सुनते हैं, बल्कि बोलनेवालों की आकृति को भी देख सकते हैं। इस वातावरण में राष्ट्रभाषा का महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दृष्टि से राष्ट्र के बुद्धिजीवियों के लिए राष्ट्रभाषा एक मानसिक खुराक है।"[1]

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रभाषा का राष्ट्र के मूलभूत तीनों तत्त्वों के लिए विशेष महत्त्व है। डॉ. धीरेंद्र वर्मा ने भी इसी प्रकार का मतव्य दिया है तथा हिन्दी को भारत की एकमात्र राष्ट्रभाषा माना है। "हिन्दी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि यह कभी न सूखनेवाला अक्षयवट है। अक्षयवट इसलिए कि वास्तव में संस्कृत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आदि पूर्वकालीन भाषायें तथा साहित्य हिन्दी भाषा के ही पूर्वरूप है। हिन्दी इनकी ही आधुनिक प्रतिनिधि तथा उत्तराधिकारिणी है। हिन्दी रूपी अक्षयवट की जड़ें, तना तथा शाखायें आर्यवर्त के मध्य देश में भले ही अवस्थित और फैली हुई हैं किन्तु इस विशाल वटवृक्ष के स्निग्ध हरित पत्तों की शीतल वरदायिनी छाया समस्त भारत को शीतलता प्रदान कर रही है। यदि भारत वर्ष को एक उपवन मान लें तो हम कह सकते हैं कि इस मध्य देश रूपी भारत के हृदय में अवस्थित हिन्दी रूपी अक्षयवट के चारों ओर बंगला, असमियाँ, उड़िया, तेलुगु, तमिल आदि के रूप में अनेक छोटे-बड़े और नये-पुराने वृक्ष अपनी मस्ती में झूल रहे हैं। इस वटवृक्ष पार्श्वभूमि में सब विकसित और विलसित है। इन नये-पुराने वृक्षों को भी प्राण रक्षक जल और उर्वरक भारतीय संस्कृति से ही प्राप्त होते हैं। भारतीय संस्कृति का मूल प्रतिनिधि तो यह हिन्दी रूपी अक्षयवट ही है।"[2]

इस प्रकार हिन्दी में राष्ट्रभाषा के सभी तत्त्व एवं सभी गुण विद्यमान हैं तथा यह राष्ट्रभाषा के पद की अधिकारिणी है।

2.3 साहित्यिक भाषा

भारत की सभ्यता अति प्राचीन है। अपनी अंतर्निहित विशेषताओं के कारण ही यह समृद्धिशाली सभ्यता काल कराल के मुख में जाकर विलीन होने से बची रही जबकि इसकी समकालीन अनेक सभ्यतायें अब केवल नाम के लिए सुनाई पड़ती हैं। उनका अस्तित्व समाप्तप्राय हो चुका है। इसका श्रेय जहाँ भारतीय सभ्यता की महान परंपराओं को जाता है वहीं इसकी समृद्ध एवं महान भाषाओं को भी जाता है। साहित्य समाज का दर्पण है। इसकी समृद्ध एवं महान भाषाओं की भी भाषायें होती

---

1. "राष्ट्रभाषा हिन्दी का स्वरूप", डॉ. रामेश्वर मिश्र, पृष्ठ 41
2. "विचारधारा भाषा", डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ 190

हैं जिसमें तत्कालीन परंपराओं, कार्यकलापों, संस्कृति, रीतिरिवाजों रहन-सहन, आचार-व्यवहार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मर्यादाओं का स्पष्ट उल्लेख होता है। जिस प्रचलित भाषा में समकालीन साहित्य लिखा जाता है उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। एक काल में विभिन्न साहित्यकारों की विभिन्न भाषायें हो सकती हैं, क्योंकि साहित्यकार विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं अतः साहित्यिक भाषाओं का अनेक रूप होना स्वाभाविक है।

साहित्यिक भाषा का आधार बोलचाल की ही भाषा हुआ करती है। किन्तु साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश पाने पर वह परिष्कृत व परिमार्जित हो अपने पूर्ण रूप से कुछ भिन्न हो जाती है। उसमें एक विशिष्ट सौंदर्य, गांभीर्य की अनोखी चमक, अलंकरण की दिव्य छटा आदि अपूर्व कलात्मकता समाविष्ट हो जाती है। इस प्रकार यह सामान्य बोलचाल से ऊपर उठकर शिक्षित समुदाय के विचार-विमर्श का माध्यम एवं साहित्यकारों की सहभागिनी बन जाती है।[1]

विगत को जानने के लिए तथा अपने पूर्वजों की परंपराओं का अवलोकन करने के लिए हम इतिहास अथवा साहित्य का सहारा लेते हैं। प्राचीन काल में प्रायः संस्कृत ही हमारी साहित्यिक भाषा रही। आर्यकुल की भाषाओं में साहित्य रचना हुई। अरबी, फारसी, उर्दू, ब्रज–अवधी खड़ीबोली तथा अंग्रेजी समय–समय पर साहित्य की भाषा रह और हैं। देखा यह भी गया है कि कोई एक भाषा रूप सर्वमान्य या सार्वकालिक साहित्यिक भाषा नहीं रह पाती। वैसा संभव भी नहीं है क्योंकि लोकवृत्ति के विकास के साथ-साथ भाषिक अभिव्यक्ति की अपेक्षाओं में भी अंतर आता जाता है।

साहित्यिक भाषा का अस्तित्व स्वतंत्र होता है। राष्ट्रभाषा में अन्य भाषाओं का सम्मिश्रण तथा व्याकरणिक त्रुटियों की ओर विशेष ध्यान नहीं होता, वह सर्वग्राही होती है। राजभाषा में पारिभाषिक निश्चयात्मकता पर बल होता है और साहित्यिक भाषा में मानकीकरण परिष्कार तथा अभिव्यंजकता का आग्रह होता है।

लेकिन भिन्न अस्तित्व के होते हुए भी साहित्यिक भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा से भिन्न नहीं किया जा सकता। हाँ यह अवश्य संभव है कि किसी युगविशेष में राजभाषा और राष्ट्रभाषा–साहित्यिक भाषा के भाषारूप भिन्न हो। जैसे मुगल काल में राजभाषा तो फारसी थी किन्तु राष्ट्र की वाणी एवं मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति की भाषा ब्रज, अवधी आदि के रूप में हिन्दी थी।

अतः कहा जा सकता है कि साहित्यिक भाषा वह भाषा है जिसमें समकालीन संस्कृति, धर्म, शिक्षा, नीति एवं मर्यादाओं अर्थात् समस्त मानवीय व्यापारों की अभिव्यक्ति होती है।

---

1. "राजभाषा के संदर्भ में हिन्दी आंदोलन का इतिहास", डॉ. उदयनारायण दुबे, पृष्ठ 10

2.4 जनभाषा

जिस भाषा को आम लोग आसानी के समझ सकें बोल सके तथा अपने विचार व्यक्त कर सकें उसे ही जनभाषा का नाम दिया जा सकता है। भारत वर्ष में अनेक भाषायें एवं बोलियाँ प्रचलित हैं। इस स्थिति में प्रत्येक के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐसी भाषा कौन-सी है जिसे जनभाषा का नाम दिया जा सके। हिन्दी भाषा समूह है, इसलिए वह एक वृहत्तर क्षेत्र की जनभाषा है। वस्तुतः हर लोकभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा को भी जनभाषा कहा जा सकता है। गत अध्याय में दिये गये विवरण व मान्यताओं के आधार पर बेझिझक यह कहा जा सकता है कि हिन्दी ही ऐसी भाषा है जिसे जनभाषा का नाम दिया जा सकता है। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण एवं बड़ा कारण यह है कि हिन्दी हमारी संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्रीयता एवं सामाजिकता से जुड़ी है, इसे किसी भी रूप में भारतीयता से अलग नहीं किया जा सकता।

जब भी किसी स्थान पर चाहे कोई धार्मिक कारण से या किसी अन्य कारण से भारत के विभिन्न कोनों से लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं उस समय हिन्दी का साम्राज्य देखते ही बनता है, तब प्रतीत होता है कि हम वास्तव में भारतीय हैं तथा हमारे देश में भाषा का कोई विवाद नहीं, क्योंकि सभी लोग मिश्रित शब्दों एवं क्षेत्रीय प्रभाव से उच्चारण भिन्नता के बावजूद हिन्दी में बातचीत करते हैं। अन्य किसी भी सर्वेक्षण की अपेक्षा यदि व्यावहारिकता के इस उदाहरण को अंगीकार कर लें तो जनभाषा संबंधी सभी भ्रांतियाँ स्वतः दूर हो जाती हैं।

कुछ मुट्ठी-भर लोग अपनी विशिष्टता दिखाने के उद्देश्य से विदेशी भाषा अर्थात् अंग्रेजी को महत्त्व देने लगते हैं। हम किसी पर अपनी बात का प्रभाव तब तक नहीं डाल सकते जब तक कि आम जनता की भाषा में हम बातचीत नहीं करेंगे। दूसरी भाषा बोलकर हम कुछ देर के लिए दूसरों को चमत्कृत अवश्य कर सकते हैं लेकिन प्रभावित नहीं कर सकते।

आम जनता की भाषा में कोई बात करने से जो प्रभाव जनसाधारण पर पड़ता है, अपरिचित भाषा में बात करके हम सदैव अपरिचित बने रहते हैं, कभी भी हममें अपनापन नहीं आ सकता। यही कारण है कि महापुरुषों ने अपने-अपने क्षेत्र में जागृति लाने एवं अपने विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए जनसामान्य की भाषा का प्रयोग किया। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों का माध्यम संस्कृत को छोड़कर पाली को बनाया। महात्मा गांधी ने गुजराती को छोड़कर हिन्दी को अपनाया। इसी कारण वे राष्ट्रपिता की उपाधि प्राप्त कर पाये, अन्यथा यदि वे गुजराती का प्रयोग करते रहते तो कदापि राष्ट्रनेता न बन पाते, केवल एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व कर पाते। कबीर, तुलसी, नानक ने जन साधारण की भाषा में अपनी रचनायें कीं जिसके कारण आज भी वे साहित्य के आकाश में अमर हैं। घटनाक्रम इस बात को सिद्ध

करते हैं कि जब भी कोई नया कदम, विचार अथवा अभियान मात्र बौद्धिक वर्ग तक सीमित रहा या यों कहिये कि भाषा की दूरी के कारण जनसाधारण तक न पहुँचा वह क्रांति का रूप न धारण कर सका।

सामान्य जनता में प्रवेश करने या उनके द्वारा धारण किये जाने के बाद ही उस विचारधारा को एक नई दिशा मिली। हमें यदि किसी भी बात को जनसाधारण तक पहुंचाना है तो उनकी भाषा में ही पहुँचाना होगा। इसके लिए अन्य कोई साधन नहीं। यही वह भाषा है जिसे जनभाषा कहा जाता है। रूस की क्रांति, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन इस बात के साक्षी हैं कि इन सभी की सफलता का श्रेय जनभाषा में प्रकट विचारों को जाता है। स्पष्ट है कि विचारों का वहन तो कोई भी भाषारूप कर सकता है, किन्तु उसके प्रभाव, प्रसार तो जनभाषा में ही संभव हैं।

2.5 संपर्क भाषा

जिसके माध्यम से एक क्षेत्र के निवासी उस राष्ट्र के अन्य क्षेत्रों के निवासियों से, एक भाषा के बोलने वाले दूसरे क्षेत्रों में बोली जानेवाली भाषा-भाषियों से अपने विचारों का आदान–प्रदान करके अपना संपर्क बनाये रखते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं।

भारतवर्ष भौगोलिक दृष्टि से भिन्नताओं का देश है। कहते हैं। हर तीन कोस के पश्चात् बोली में परिवर्तन आ जाता है। बोली किसी-न-किसी क्षेत्रीय भाषा से जुड़ी होती है और क्षेत्रीय भाषाओं का संबंध राष्ट्रीय भाषाओं से है। संविधान के द्वारा 18 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषायें घोषित किया गया है। इन भाषाओं का अपना विशेष स्थान है, अपना अलग महत्त्व है तथा शब्द भंडार, साहित्य रचना एवं अपनी परंपरा की दृष्टि से सभी भाषायें समृद्ध हैं। इनकी समृद्धि की दृष्टि से तुलना करके यह बता पाना असंभव है कि कौन-सी भाषा अधिक समृद्ध है कौन-सी कम। कभी-कभी जहाँ-तहाँ उठनेवाले भाषाविवाद के कारण ही देश भिन्न-भिन्न भागों में बंटा-सा प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं, क्योंकि जहाँ इन भाषाओं का स्वतंत्र अस्तित्व है, वहीं मौलिक तथा व्यावहारिक रूप से समस्त भाषायें आपस में जुडी हुई हैं। इन भाषाओं के आपस में जोड़ने एवं समस्त राष्ट्र में इन भाषाओं के संपर्क सूत्र स्थापित करने के लिए भी एक भाषा होती, जो लगभग देश के सभी भागों में बोली तथा समझी जाती है। वही संपर्क भाषा है। यह भाषा अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक प्रसारवाली होती है। इसी लिए उसी भाषा को संपर्क भाषा के नाम से अभिहीत किया जा सकता है जो आम जनता द्वारा सुविधापूर्वक आसानी से बोली एवं समझी जा सके तथा सभी राष्ट्रीय भाषाओं को आपस में संपर्क सूत्र में बाँध सके। उपर्युक्त चर्चा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विशाल जन समुदाय जिस भाषा के द्वारा अपने विनिमय और अन्य क्रियाकलापों को

हृदयंगम करने में सुविधा का अनुभव करता है, ऐसी संपर्क सूत्र में जोड़नेवाली भाषा 'संपर्क भाषा' कहलाने की अधिकारिणी है।

स्वतंत्रतापूर्व भारतवर्ष में यह भूमिका कुछ सीमा तक अंग्रेजी निभा रही थी अब हिन्दी धीरे-धीरे यह स्थान ग्रहण कर रही है। संवैधानिक दृष्टि से हिन्दी यह स्थान स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ की प्राप्त कर चुकी है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इस स्थान को प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

संपर्क भाषा को संक्षेप में इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कि जब विभिन्न भाषा-भाषी मिलने पर जिस समान भाषा में अपने को व्यक्त करें वह संपर्क भाषा है। व्यापक प्रसार के कारण हिन्दी ही वह संपर्क भाषा हो सकती है जिसमें तमिल, बंगला, पंजाबी, असमी आदि विभिन्न भाषा-भाषी समान रूप से विचार विनिमय कर सकते हैं।

हिन्दी की वर्तमान स्थिति को तीन स्तरों पर परिभाषित किया जा सकता है:

क. विभिन्न भाषा-भाषी राज्यों की संपर्क भाषा

ख. केंद्र और राज्य की संपर्क भाषा

ग. विभिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोगों के पत्राचार की भाषा।

पहले दो स्तरों के लिए तो कम या अधिक हिन्दी का संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है किन्तु तीसरे स्तर पर अभी पर्याप्त प्रगति नहीं हो पाई है, भविष्य में वैसा होगा जिसकी पूरी संभावना है। वर्तमान में व्यावहारिकता के आधार पर इसे सफलता भी मिली है। अन्य देशों के साथ संपर्क बनाये रखने के लिए चाहे अंग्रेजी संपर्क भाषा का स्थान लिये हुए है, किन्तु अंतःदेशीय संपर्क की भाषा तो हिन्दी ही हो सकती है।

2.6 क्षेत्रीय भाषा

भाषा तथा बोली में अंतर होता है भारतवर्ष को विचित्र भिन्नताओं का देश कहा जाता है। यहाँ पर तो कहावत प्रचलित है–

"तीन कोस पर बोली बदले
बीस कोस पर पानी।"

अर्थात् इस देश में भाषा, पानी, वेशभूषा आदि की भिन्नता कुछ दूरी पर ही बदली दिखाई देती है। यही कारण था संविधान समिति ने देश का संविधान बनाते समय हिन्दी के अतिरिक्त चौदह (अब सत्तरह भाषायें) अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया। ये भाषायें राष्ट्रीय स्तर की भाषायें हैं, किन्तु देश के एक विशिष्ट क्षेत्र में ही बोली तथा समझी जाती हैं। इसलिए इन्हें क्षेत्रीय भाषायें कहा जाता है। यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी है, जैसे रूस छोटे-बड़े अनेक जनतंत्रों का संघ था जिनकी अलग-अलग

क्षेत्रीय भाषायें थीं, किन्तु समस्त रूस की राष्ट्रभाषा रूसी ही रही। अमेरिका में भी क्षेत्रीय भाषाओं की बहुलता है, किन्तु राजभाषा अंग्रेजी है।

कई देशों में तो अनेक क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ राजभाषा भी एक से अधिक है, जैसे कनाडा में कई क्षेत्रीय भाषायें हैं, परन्तु अंग्रेजी के साथ फ्रेंच भी राजभाषा है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में फ्रेंच, जर्मनी, इतालबी आदि राजभाषायें हैं। जहाँ कई देशों में अनेक क्षेत्रीय भाषायें हैं पर राजभाषा एक है. वहीं कई राष्ट्र ऐसे भी हैं जो अलग-अलग देश हैं किन्तु उनकी राजभाषा एक है। जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड।

इस प्रकार अनेक देशों की एक भाषा भी हो सकती है तथा इसके विपरीत एक देश की अनेक क्षेत्रीय भाषायें भी हैं। भारत भी बहुभाषी देश है, जिसमें अनेक क्षेत्रीय भाषायें हैं। यहाँ यह भी विशेषता है कि ये भाषायें क्षेत्रीय अवश्य हैं, किन्तु इनका महत्व राष्ट्रीय है।

अतः कहा जा सकता है कि देश के एक विशेष क्षेत्र में बोली एवं प्रयोग में लाई जानेवाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं।

2.7 राष्ट्रीय भाषा

राष्ट्रीय भाषा तथा राष्ट्रभाषा दोनों एक जैसे दिखाई देनेवाले शब्द भी सर्वथा भिन्न हैं। जहाँ तक राष्ट्रभाषा शब्द के लक्ष्यार्थ का संबंध है वह केवल राष्ट्र में बोली जानेवाली एक सामान्य भाषा से है। इस दृष्टि से राष्ट्रभाषा एक ही होनी चाहिए। जिसका उल्लेख हमने राष्ट्रभाषा शीर्षक के अंतर्गत किया है।

संविधान की अष्टम अनुसूची में वास्तव में जिन 18 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया है उनमें से 17 राष्ट्रीय भाषायें हैं, केवल एक हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा के नाम से अभिहीत किया जा सकता है। इसलिए इन सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषायें कहा जाना चाहिए। ये सभी भाषायें उसी प्रकार राष्ट्रीय हैं जिस अर्थ में राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय धन, राष्ट्रीय गुण, राष्ट्रीय धर्म आदि शब्दों में राष्ट्रीय शब्द प्रयुक्त होता है।

डॉ. सव्यव्रत ने बहुत ही सुंदर ढंग से राष्ट्रीय भाषाओं के द्वारा राष्ट्रभाषा को दिये जानेवाले सहयोग का वर्णन किया है: "राष्ट्रभवन के निर्माण में क्षेत्रीय (राष्ट्रीय) भाषायें ईंट और राष्ट्रभाषा (हिन्दी) उन्हें जोड़नेवाले सिमेंट का काम करेगी।"[1]

अतः राष्ट्रीय भाषा का अर्थ राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा दोनों से सर्वथा भिन्न है। जो भाषायें क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता का चोला पहन चुकी हैं उन्हें राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है।

---

1. "भारतीय राष्ट्रभाषायें, सीमायें तथा समस्यायें", अध्याय 2, पृष्ठ 28

2.3. राजभाषा

भाषा परिवारों के वर्गीकरण की दृष्टि से संसार में कुल बारह भाषा परिवार हैं जिनमें से चार भाषा परिवारों के बोलनेवाले भारत में हैं। ये हैं भारोपीय, द्रविड़ आस्ट्रिक और भोढ चीनी। समस्त संसार में लगभग तीन हज़ार भाषायें अथवा बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें से 1652 के लगभग अकेले भारत में बोली जाती हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार इनमें से 281 बोलियों/भाषाओं के बोलनेवालों की संख्या 5000 से अधिक है। यही कारण है कि भारत जैसे देश में से सभी भाषायें मिलकर देश का बहुरंगी भाषायी दृश्यपटल प्रस्तुत करती हैं। साथ ही भारत की भाषा समस्या सुलझकर भी उलझी हुई प्रतीत होती है। यह समस्या मुख्यतया तीन प्रकार की है: शासन और न्याय की भाषा का रूप, शिक्षा के माध्यम की भाषा तथा अन्य देशों में साथ संपर्क की भाषा।

यह समस्या है कि पहले रूप में संघ-प्रदेश, प्रदेश-प्रदेश तथा प्रांतीय स्तर पर न्याय एवं प्रशासन के लिए इस भाषा का प्रयोग हो, दूसरे स्तर पर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा का माध्यम कौन-सी भाषा हो? तीसरी, विदेशों के साथ संबंध व व्यवहार के लिए कौन-सी भाषा हो? स्पष्ट है कि प्रशासन की भाषा ही राजभाषा होगी।

पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी देश में अधिकांश जनता द्वारा बोली जानेवाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जिसके लिए संविधान में 18 भाषाओं को स्थान दिया गया है, हिन्दी भी उनमें से एक है। बल्कि स्थिति यह है कि हिन्दी एवं राष्ट्रभाषा एक–दूसरे के पर्याय से बन गये हैं। जब भी राष्ट्रभाषा से बात करते हैं बरबस हिन्दी सामने आ जाती है।

राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा को भी कुछ लोग एकार्थक मानते हैं। जबकि समानार्थक प्रतीत होते हुए भी ये भिन्नार्थक है। सर्वप्रथम यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत के संदर्भ में जब हम राजभाषा की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन उस भाषा से होता है जिसमें केंद्र या राज्य सरकार अपना प्रशासनिक कामकाज चलाती है, अथवा केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों से पत्र–व्यवहार करती है तथा अन्य प्रशासनिक न्यायिक कार्यालयों के लिए भाषिक माध्यम बनाती है। इसको राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा से उलझाकर समस्या को और अधिक जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता से पूर्व समस्त राष्ट्र हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहता था। आज हिन्दी को माननेवाले या तो हिन्दी भाषी हैं। या पुरानी पीढ़ी के अन्य भाषी। पुरानी परंपरा क्या कहती रही है अब इसका महत्त्व इतना अधिक नहीं रह जाता, बल्कि सार्थकता इस बात की है कि हिन्दी को संविधान में राजभाषा घोषित किया गया है राष्ट्रभाषा नहीं। हाँ, संविधान की अष्टम अनुसूची में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया गया है। अतः यह राष्ट्रभाषा तो है ही, संविधान सभा के निर्णय के अनुसार संघ की

राजभाषा भी है। इस स्थिति में हिन्दी को राजभाषा कहना उचित है। अतः कहा जा सकता है कि जिस भाषा का प्रशासनिक कामकाज में प्रयोग को वह राजभाषा है।

राजभाषा देश के प्रशासनिक कार्यों में व्यवहृत होने वाली भाषा होती है। प्रशासन के उलटफेर से यह बदलती रहती है, किन्तु राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र में विचरण करनेवाली संपर्क भाषा होती है।[1]

"हमारी राष्ट्रभाषाओं और राजभाषा में वही अंतर है जोकि बेल और पौधों और गमलों में शोभित होनेवाली कटोरन में है, एक से भारत की झोंपडी--झोंपड़ी महमह करती रही है और दूसरे से दीवानेखास और बंगलों की शोभा बढ़ती रही है।"[2]

2.9 उपसंहार

उपर्युक्त परिचर्चा से एवं विभिन्न पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत दिये गये तर्कों से स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी पारिभाषिक शब्द एक से प्रतीत होते हुए भी भिन्नार्थ हैं। प्रत्येक का कार्यक्षेत्र तथा उद्दीष्ट अलग है। यह बात दूसरी है कि हिन्दी उन सभी की तकनीकी पारिभाषिकता के अनुकूल पड़ती है जहाँ जनसाधारण द्वारा स्वीकृत तथा राष्ट्र के अधिकतम भागों में बोली समझी जानेवाली, व्यवहार में लाई जानेवाली भाषा होने के कारण यह राष्ट्रभाषा है, वहीं भारत जैसे विशाल देश की पहले जनभाषा तथा बाद में सरकारी मुहर लगी संविधान में मान्यता प्राप्त राजभाषा है। जनभाषा होने के कारण भिन्न-भिन्न भागों में आपसी संपर्क बनाये रखने के लिए यह संपर्कभाषा भी है। वह क्षेत्र विशेष में पनपी तथा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा होने के कारण क्षेत्रीय भाषा भी है तथा समय-समय पर साहित्यकारों, रचनाकारों एवं लेखकों द्वारा प्रयोग में लाई जानेवाली साहित्यिक भाषा के रूप में भी सर्वव्यापक है।

❐

---

1. "राजभाषा के संदर्भ में हिन्दी आंदोलन का इतिहास"--डॉ उदय नारायण दुबे, प्रथम संस्करण 1979, पृष्ठ 15
2. "हिन्दी की समस्यायें", प्रो. कामेश्वर शर्मा, पृष्ठ 78

तीसरा अध्याय

राजभाषा के रूप में हिन्दी की विकास यात्रा—हिन्दी ही राजभाषा क्यों ?

3.1 विषय-प्रवेश

राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का अन्तर तथा दोनों के विस्तृत अर्थ को जानने के पश्चात् यह अनिवार्य हो गया है कि भारत में संवैधानिक प्रावधान के अनुसार घोषित देश की राजभाषा हिन्दी के विषय में परिचर्चा से पूर्व इस विषय पर विचार कर लिया जाये कि भारत में आरंभ से राजभाषाओं की परंपरा का निर्वाह किस प्रकार हुआ है तथा भारत जैसे विविधता प्रधान देश में हिन्दी को ही राजभाषा क्यों बनाया गया है? जब तक इस विषय पर परिपक्व चर्चा नहीं की जायेगी तब तक राजभाषा के रूप में हिन्दी के वर्तमान रूप तथा क्षमता के बारे में परिचर्चा अधूरी-सी प्रतीत होगी।

3.2 राजभाषा की आवश्यकता क्यों ?

समाज में शासन तंत्र सदैव रहा है और उसके व्यापारों के संचालन के लिए कोई-न-कोई भाषिक माध्यम का होना भी अनिवार्य रहा है। अतः शासन प्रबंध की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। प्रत्येक स्वाधीन सार्वभौम राष्ट्र का अपना एक व्यक्तित्व होता है, उसी व्यक्तित्व के आधार पर उसका विश्व समाज में स्थान होता है, उसकी भूमिका होती है। राष्ट्र का व्यक्तित्व उसकी संस्कृति, वेशभूषा, भाषा, कार्यकलाप अथवा आर्थिक विकास पर निर्भर करता है, और उसके विविध आयात राष्ट्रजीवन के विभिन्न पक्षों को मुखर करती है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। प्रत्येक प्रजातंत्र में, राजकाज भाषा जनता की भाषा होनी चाहिए। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश, जिसमें भौगोलिक, धार्मिक, वैचारिक विविधता भरी पड़ी है, में एक राजभाषा का होना और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इस विशाल देश के एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग 1652 भाषायें, बोलियाँ तथा उपबोलियाँ बोली जाती हैं जिनमें से 18 भाषाओं को संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। राजनैतिक भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषायी अनेकताओं को सूत्रबद्ध एवं संघटित करने में राजभाषा की प्रबल भूमिका होगी, यह निर्विवाद है।

समस्त राष्ट्र को एक माला में पिरोए रखने के लिए तथा देश के व्यक्तित्व को

उज्ज्वल बनाये रखने तथा सुचारु रूपेण राजकाज संचालन के लिए राजभाषा की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि किसी भी छोर पर स्थित व्यक्ति के लिए कार्य प्रणाली की एक भाषा हो। जो सभी स्थानों पर समझी जा सकें। विभिन्न राष्ट्रभाषाओं की प्रादेशिकता की खाई को पाटने के लिए भी राष्ट्र में एक राजभाषा की आवश्यकता महसूस की गई।

भारतवर्ष के संदर्भ में यहाँ संभवतया एक प्रश्न उठता है कि राजभाषा स्वदेशी हो या विदेशी। भारतीय संविधान में राजभाषा के लिए राष्ट्रीय अस्मिता को व्यापक अभिव्यक्ति प्रदान करनेवाली भाषा हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी है औश औपनिवेशिक तंत्र की भाषा अंग्रेजी को कुछ अवधि के लिए द्वितीय संपर्क भाषा करार दिया। अनेक दुरभिसंधियों के परिणामस्वरूप उक्त संवैधानिक संकल्प अब तक सफल नहीं हो सका है। यह स्थिति चिंत्य है। यहाँ स्मरण रखा जाना चाहिए कि राष्ट्र की अस्मिता, व्यक्तित्व एवं संस्कार की अभिव्यक्ति एवं स्थापना विदेशी भाषा के माध्यम से हो, यह संभव नहीं। व्यक्ति अपनी भाषा को समझता है। जो व्यक्ति के लिए है, वही सार्वभौम राज्य अथवा राष्ट्र के लिए भी। अतः देशी राजभाषा इसलिए भी आवश्यक है कि देश की आंतरिक शक्ति एवं संभावनायें अनुकूल माध्यम से उभर सकें।

3.3 प्रथम चरण

भारत में राजभाषा के प्रारंभिक रूप की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमारा ध्यान संस्कृत काल की ओर जाता है। संस्कृत भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी है। सारे भारत में धर्म, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा आदि विषयों की भाषा कुछ सौ वर्ष पूर्व तक संस्कृत ही थी।

हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के बीच सरस्वती के अदृश्य होने के स्थान से लेकर गंगा-यमुना के संगम प्रदेश का भाग मध्य देश कहा जाता रहा है। मनु ने इस ह्रददेश कहा है, क्योंकि इसी से भारतीय संस्कृति के कमल का फूल विकसित हुआ है जिसने कालांतर में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के विस्तृत भू भाग को घेर लिया। फलस्वरूप संपूर्ण भारतवर्ष हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक सांस्कृतिक एकता की भौगोलिक इकाई के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस देश की संस्कृति के साथ-साथ यहाँ की भाषा भी समस्त राष्ट्र में प्रचलित हो गई। जिस समय संस्कृत का व्यापक प्रयोग हो रहा था मध्य देश की संस्कृति ही मानक और अनुकरणीय मानी जाती थी। पूरे देश में औपचारिक अवसरों पर संस्कृत के मध्यदेशीय रूप का ही प्रयोग होता था। प्राचीन काल से लेकर लगभग 12वीं सदी तक मुख्य सभी भारतीय राज्यों में संस्कृत का मध्यदेशीय रूप ही राजभाषा था।

"आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा का नमूना ऋग्वेद में मिलता है। इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष ईसा पूर्व हुई थी। ऋग्वेद से लेकर उपनिषद के सूत्र ग्रंथों आदि वेदांगों में प्रयुक्त भाषा के पश्चात संस्कृत का पदार्पण हुआ जो महर्षि पाणिनि तक पूर्ण साहित्यिक भाषा बन चुकी थी। पाणिनि ने इसमें एकरूपता स्थापित करने और साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान करने के लिए अष्टाध्यायी की रचना की। ऋग्वेद की बौद्धिक साधुभाषा, ब्राह्मण ग्रंथों की साहित्यिक भाषा के बाद साहित्यिक संस्कृत का जन्म हुआ। राज्यों के द्वारा सम्मानित होने के कारण तथा राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किये जाने के कारण संस्कृत की विशेष उन्नति हुई। किन्तु इसकी वास्तविक उन्नति तब हुई जब गुप्तवंशीय राजाओं ने सत्ता संभाली तथा संस्कृत को राजभाषा के पद पर आसीन किया। यही कारण है कि इस युग में, जितना उपयोगी धार्मिक एवं ललित साहित्य संस्कृत में लिखा गया उतना संभवतया उन कई शताब्दियों के बीच विश्व की किसी भाषा में नहीं लिखा गया। यही नहीं बल्कि संस्कृत में राजनीति, धर्म, दर्शन, ज्योतिष आदि के ग्रंथों के साथ संगीत, नृत्य, अभिनय, कामशास्त्र आदि विभिन्न विषयों का वैज्ञानिक विवेचन भी किया गया। 12वीं शताब्दी तक प्रायः सभी भारतीय राज्यों में शासन कार्य संस्कृत में ही होता था।"[1]

मध्य काल में संस्कृत के साथ कुछ अन्य भाषा-रूपों का भी व्यापक प्रयोग हुआ। पाली का 500 ई. पूर्व से ईसवीसन तक व्यापक प्रयोग हुआ। उल्लेखनीय है कि पाली भी मूलतः मध्यदेशीय भाषा थी और आधुनिक हिन्दी का ही प्राचीन रूप थी। उस पर पूर्वी प्रभाद अवश्य था जो मगध का था और वह भी हिन्दी प्रदेश ही है। अशोक ने बौध धर्म स्वीकार कर लिया था और राज्य में पालि को आदर प्राप्त था, किन्तु उसके राज्यकाल की भाषा प्राचीन शौरसेनी थी जो प्राकृत का प्राचीन रूप है। यह प्राचीन शौरसेनी प्राकृत भी मध्यदेशीय भाषा थी जो ब्रज–खड़ीबोली का अत्यंत प्राचीन रूप है। बौद्धमत को मानने वालों के अनुसार 'पाली' मागधी ही है। यही वह मूल भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध ने विश्व को जन कल्याणकारी धर्म का उपदेश दिया था। वास्तव में पाली ईसा से 600 वर्ष पूर्व से ही संस्कृत से समानांतर विकसित हो रही थी। महात्मा बुद्ध जैसा प्रबल समर्थक पाकर यह संपूर्ण भारत में ही नहीं लंका, चीन, बर्मा आदि देशों में पहुँच गई तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा का रूप धारण कर लिया।[2]

3.4 द्वितीय चरण

दूसरे चरण में पैशाची मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी प्रमुख विकसित राजभाषायें

1. "हिन्दी समस्या और समाधान"–बलराज सिरोही, पृष्ठ 18-19
2. वही, पृष्ठ 19

चाथा अध्याय

राजभाषा के विविध आयाम—संवैधानिक प्रावधान

4.1 संविधान सभा की राजभाषा संबंधी बहस और निर्णय

4.1.1 अध्याय का प्रतिपाद्य

भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान समिति द्वारा डॉ. —भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कार्य किया गया, जिसके आधार पर भारत का संविधान तैयार हुआ। संविधान के लिए तैयार किये गये मसौदे के आधर पर संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 से आरंभ हुई तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को विधिवत् रूप से चुनाव करके संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में 296 सदस्य थे, जिनमें 205 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग तथा 18 स्वतंत्र सदस्य थे। मुसिलम लीग के सदस्यों ने आरंभ में ही सहयोग देने से इनकार कर दिया था। इस सभा की प्रमुख समिति 'प्रारूप समिति' थी, जिसने 21 फरवरी 1948 को प्रारूप तैयार किया। संविधान के प्रारूप को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान की अन्य धाराओं को छोड़कर हमारा उद्देश्य यहाँ राजभाषा हिन्दी के संबंध में संविधान सभा में हुई बहस और उसके संबंध में लिये गये निर्णय से है। राजभाषा हिन्दी के विषय में विचार करते समय यहाँ इसके संवैधानिक इतिहास और संविधान बनने से पूर्व राजभाषा के संबंध में जो गहन चर्चा हुई और समय-समय पर संविधान समिति के सदस्यों द्वारा इस संबंध में जो तर्क-वितर्क प्रस्तुत किये गए उन परिस्थितियों पर विचार करना अनिवार्य प्रतीत होता है। तभी राजभाषा के रूप में हिन्दी की मान्यता को प्रमाणित कर पाना संभव होगा। अतः इस अध्याय में हम संविधान समिति की बहस के मुख्य अंशों तथा अंत में दिये गये निर्णय का विवेचन करेंगे।

4.1.2 राजभाषा संबंधी निर्णय के लिए चर्चा

संविधान के 17वें भाग के प्रथम अध्याय के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा के संबंध में प्रावधान है। संविधान सभी की बैठक के आरंभ से ही ज्यों-ज्यों हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाने पर विचार किया जाने लगा त्यों-त्यों साथ

8. यह एक ओजपूर्ण पौरुषयुक्त भाषा है।
9. हिन्दी की ध्वनियाँ नपीतुली एवं सुनिश्चित हैं।
10. प्रशासनिक एवं तकनीकी शब्दावली इसमें उपलब्ध है तथा आवश्यकता अनुसार नई शब्दावली का निर्माण सरलता से किया जा सकता है।

3.10 उपसंहार

उपरोक्त अध्ययन का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना तार्किक एवं संगत था। हर पहलू पर हिन्दी में राजभाषा की मर्यादडा का निर्वाह करने की क्षमता है। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि बिना एक राजभाषा के किसी भी स्वावलंबी राष्ट्र का शासन-प्रशासन सुचारु रूप से चला पाना असंभव है। ऊपर बताई गई विशेषताओं के कारण संविधान में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया है तथा संविधान के 17वें अध्याय के अंतिम अनुच्छेद 351 में निर्देश दिया गया है कि हिन्दी की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की समन्वित संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा उसकी स्वाभाविकताा में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम् अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं की रूप शैली और शब्दावली को आत्मसात करते हुए जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्दभंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि करना संघ का कर्तव्य होगा।

संविधान की भावना स्पष्ट है कि भारत की राजभाषा हिन्दी होगी, राजभाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओं को भी पनपने का पूरा अवसर दिया जायेगा।

सारतः कहा जा सकता है कि हिन्दी राजभाषा के पद के लिए उचित एवं सक्षम भाषा है। इसीलिए इसे संविधान सभा ने राजभाषा का स्थान दिया है।



चाथा अध्याय

राजभाषा के विविध आयाम— संवैधानिक प्रावधान

4.1 संविधान सभा की राजभाषा संबंधी बहस और निर्णय

4.1.1 अध्याय का प्रतिपाद्य

भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान समिति द्वारा डॉ. —भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कार्य किया गया, जिसके आधार पर भारत का संविधान तैयार हुआ। संविधान के लिए तैयार किये गये मसौदे के आधर पर संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 से आरंभ हुई तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को विधिवत् रूप से चुनाव करके संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में 296 सदस्य थे, जिनमें 205 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग तथा 18 स्वतंत्र सदस्य थे। मुसिलम लीग के सदस्यों ने आरंभ में ही सहयोग देने से इनकार कर दिया था। इस सभा की प्रमुख समिति 'प्रारूप समिति' थी, जिसने 21 फरवरी 1948 को प्रारूप तैयार किया। संविधान के प्रारूप को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान की अन्य धाराओं को छोड़कर हमारा उद्देश्य यहाँ राजभाषा हिन्दी के संबंध में संविधान सभा में हुई बहस और उसके संबंध में लिये गये निर्णय से है। राजभाषा हिन्दी के विषय में विचार करते समय यहाँ इसके संवैधानिक इतिहास और संविधान बनने से पूर्व राजभाषा के संबंध में जो गहन चर्चा हुई और समय-समय पर संविधान समिति के सदस्यों द्वारा इस संबंध में जो तर्क-वितर्क प्रस्तुत किये गए उन परिस्थितियों पर विचार करना अनिवार्य प्रतीत होता है। तभी राजभाषा के रूप में हिन्दी की मान्यता को प्रमाणित कर पाना संभव होगा। अतः इस अध्याय में हम संविधान समिति की बहस के मुख्य अंशों तथा अंत में दिये गये निर्णय का विवेचन करेंगे।

4.1.2 राजभाषा संबंधी निर्णय के लिए चर्चा

संविधान के 17वें भाग के प्रथम अध्याय के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा के संबंध में प्रावधान है। संविधान सभी की बैठक के आरंभ से ही ज्यों-ज्यों हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाने पर विचार किया जाने लगा त्यों-त्यों साथ

8. यह एक ओजपूर्ण पौरुषयुक्त भाषा है।
9. हिन्दी की ध्वनियाँ नपीतुली एवं सुनिश्चित हैं।
10. प्रशासनिक एवं तकनीकी शब्दावली इसमें उपलब्ध है तथा आवश्यकता अनुसार नई शब्दावली का निर्माण सरलता से किया जा सकता है।

3.10 उपसंहार

उपरोक्त अध्ययन का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना तार्किक एवं संगत था। हर पहलू पर हिन्दी में राजभाषा की मर्यादडा का निर्वाह करने की क्षमता है। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि बिना एक राजभाषा के किसी भी स्वावलंबी राष्ट्र का शासन-प्रशासन सुचारु रूप से चला पाना असंभव है। ऊपर बताई गई विशेषताओं के कारण संविधान में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया है तथा संविधान के 17वें अध्याय के अंतिम अनुच्छेद 351 में निर्देश दिया गया है कि हिन्दी की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की समन्वित संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा उसकी स्वाभाविकताा में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम् अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं की रूप शैली और शब्दावली को आत्मसात करते हुए जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्दभंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि करना संघ का कर्तव्य होगा।

संविधान की भावना स्पष्ट है कि भारत की राजभाषा हिन्दी होगी, राजभाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओं को भी पनपने का पूरा अवसर दिया जायेगा।

सारतः कहा जा सकता है कि हिन्दी राजभाषा के पद के लिए उचित एवं सक्षम भाषा है। इसीलिए इसे संविधान सभा ने राजभाषा का स्थान दिया है।



प्रकार की हो सकती है।

8. यह एक ओजपूर्ण पौरुषयुक्त भाषा है।
9. हिन्दी की ध्वनियाँ नपीतुली एवं सुनिश्चित हैं।
10. प्रशासनिक एवं तकनीकी शब्दावली इसमें उपलब्ध है तथा आवश्यकता अनुसार नई शब्दावली का निर्माण सरलता से किया जा सकता है।

3.10 उपसंहार

उपरोक्त अध्ययन का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना तार्किक एवं संगत था। हर पहलू पर हिन्दी में राजभाषा की मर्यादडा का निर्वाह करने की क्षमता है। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि बिना एक राजभाषा के किसी भी स्वावलंबी राष्ट्र का शासन-प्रशासन सुचारु रूप से चला पाना असंभव है। ऊपर बताई गई विशेषताओं के कारण संविधान में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया है तथा संविधान के 17वें अध्याय के अंतिम अनुच्छेद 351 में निर्देश दिया गया है कि हिन्दी की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की समन्वित संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा उसकी स्वाभाविकताा में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम् अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं की रूप शैली और शब्दावली को आत्मसात करते हुए जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्दभंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि करना संघ का कर्तव्य होगा।

संविधान की भावना स्पष्ट है कि भारत की राजभाषा हिन्दी होगी, राजभाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओं को भी पनपने का पूरा अवसर दिया जायेगा।

सारतः कहा जा सकता है कि हिन्दी राजभाषा के पद के लिए उचित एवं सक्षम भाषा है। इसीलिए इसे संविधान सभा ने राजभाषा का स्थान दिया है।



चौथा अध्याय

राजभाषा के विविध आयाम
संवैधानिक प्रावधान

4.1 संविधान सभा की राजभाषा संबंधी बहस और निर्णय

4.1.1 अध्याय का प्रतिपाद्य

भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान [illegible] –भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कार्य किया गया, जिसके आधार [illegible] संविधान तैयार हुआ। संविधान के लिए तैयार किए गए मसौदे के [illegible] संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई, जिसके अध्यक्ष भारत [illegible] राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को [illegible] हुई तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को विधिवत रूप से [illegible] संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में 296 सदस्य [illegible] 205 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग तथा 18 स्वतंत्र सदस्य थे। मुस्लिम लीग [illegible] ने आरंभ में ही सहयोग देने से इनकार कर दिया था। इस सभा की प्रमुख [illegible] 'प्रारूप समिति' थी, जिसने 21 फरवरी 1948 को प्रारूप तैयार किया। [illegible] प्रारूप को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया तथा [illegible] 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान की अन्य धाराओं की [illegible] उद्देश्य यहाँ राजभाषा हिन्दी के संबंध में संविधान सभा में हुई बहस [illegible] संबंध में लिये गये निर्णय से है। राजभाषा हिन्दी के विषय में विचार [illegible] यहाँ इसके संवैधानिक इतिहास और संविधान बनने से पूर्व राजभाषा के [illegible] जो गहन चर्चा हुई और समय-समय पर संविधान समिति के सदस्यों [illegible] संबंध में जो तर्क-वितर्क प्रस्तुत किये गए उन परिस्थितियों पर वि[illegible] अनिवार्य प्रतीत होता है। तभी राजभाषा के रूप में हिन्दी की मान्यता [illegible] कर पाना संभव होगा। अतः इस अध्याय में हम संविधान समिति की बहस [illegible] अंशों तथा अंत में दिये गये निर्णय का विवेचन करेंगे।

4.1.2 राजभाषा संबंधी निर्णय के लिए चर्चा

संविधान के 17वें भाग के प्रथम अध्याय के अनुच्छेद 343 से [illegible] राजभाषा के संबंध में प्रावधान है। संविधान सभी की बैठक के आरंभ [illegible] ज्यों हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाने पर विचार किया जाने लगा। [illegible]

अतिरिक्त भारत में अन्य भाषा-भाषी भी हिन्दी बोल तथा समझ सकते हैं। यह उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हो चुका है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग हिन्दी भाषी है। हिन्दी में आर्थिक, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषयों से संबद्ध गूढ़तम विचारों की अभिव्यक्ति सफलतापूर्वक की जा सकती है। यह भाषा इतनी सरल है कि आसानी से सीखी जा सकती है।

3.9 राजभाषा के रूप में हिन्दी की विशेषतायें

हिन्दी में यह क्षमता है कि वह देश की अन्य भाषाओं को साथ लेकर चल सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 351 में दिये गये निर्देश की भावना को पूर्णतया पूरा करती है। यह अष्टम सूची में उल्लिखित अन्य भाषाओं की शब्दावली के रूप, शैली को आत्मसात करते हुए यथावश्यक इन भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए आगे बढ़ सकती है।

हिन्दी भारत की आत्मा के रूप में पनपी हुई भाषा है। इसका क्षेत्र अति विस्तृत है तथा भारत सरकार की नीति के अनुसार यह दिन-प्रति-दिन विस्तृत होता जा रहा है। जितनी बड़ी संख्या हिन्दी जानने और बोलनेवालों की है उतनी बड़ी संख्या विश्व की अन्य दो-तीन भाषाओं की ही है। यह भाषा केवल भारतीय स्तर की नहीं बल्कि विश्व स्तरीय है। हिन्दी की क्लिष्ठता से ऊपर उठकर हमें आम-फहम भाषा का प्रयोग करना होगा क्योंकि शब्द भंडार की वृद्धि तथा नये शब्दों का निर्माण बुरा नहीं है। लेकिन भाषा की मौलिकता, भावप्रेषण एवं भावाभिव्यक्ति में है, इससे दूर नहीं ले जाना चाहिए, न ही राष्ट्र भाषा अथवा राजभाषा-भ्रष्ट भाषा का पर्याय है। अतः दूसरी भाषा के शब्दों से तात्पर्य इसकी मौलिकता समाप्त करना भी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी एक समृद्ध, व्यापक, परिष्कृत तथा सर्वसुलभ भाषा है, जिसमें राष्ट्र की एकता स्पष्ट झलकती है।

हिन्दी में निम्नलिखित ऐसी विशेषतायें हैं जो अन्य भाषाओं की अपेक्षा इसे ऊँचा उठा देती हैं। यह—

1. भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक समझी एवं बोली जाती है।
2. हिन्दी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है,जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपना काम चला सकता है।
3. इसमें अन्य भाषाओं, बोलियों, उपबोलियों के शब्दग्र करने की क्षमता है।
4. इसकी लिपि में किसी भी भाषा के शब्दों को स्पष्ट लिखा जा सकता है।
5. यह बहुत सरल भाषा है, जिसमें बहुत बड़ी वैज्ञानिकता यह है कि इसके उच्चारण एवं लेखन में समानता है।
6. यह भारत की सभी भाषाओं के अत्यधिक समीप है।
7. हिन्दी की शैली संक्षिप्त एवं लाघवपूर्ण तथा विस्तृत एवं अलंकृत दोनों

... उन्हें आम लोगों से दूर कर दिया है। प्रशिक्षण को अकारण खर्चीला बना दिया है। यह प्रक्रिया अब भी जारी रही तो जान पड़ता है कि यह राष्ट्र की आत्मा को नष्ट कर देगी।''[1]

यंग इंडिया के माध्यम से 27 अप्रैल 1921 को उन्होंने कहा था, ''हम अशिक्षित और अनपढ़ भले पर अंग्रेजी की दासता अब हमें स्वीकार नहीं'' आज की अंग्रेजी शिक्षा ने हमें नकलची बना दिया है। कोई भी देश नकलचियों की जाति पैदा कर राष्ट्रीय नहीं बन सकता, अंग्रेजी के मोह से छूटना स्वराज्य का एक आवश्यक तत्त्व है।''[2]

गुजरात प्रांतीय शिक्षा सम्मेलन के अवसर पर उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा न देकर मातृभाषा से दी जाये तो प्रत्येक विद्यार्थी के 6 वर्ष बच सकते है। इस तरह हजारों लाखों विधार्थियों के 6 वर्ष बचने का अर्थ है हजारों लाखों वर्षों की बचत। माँ के दूध के संस्कार के साथ जो मीठे वचन मिलते हैं उनके और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिए वह विदेशी भाषा के माध्यम के शिक्षा देने से छूट जाता है। इससे राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं आ पाती तथा अनेकानेक हानियाँ होती हैं विशेषकर शिक्षित वर्ग सामान्य जनता से अलग हो जाता है।

उन्होंने 1921 में कहा था, ''यदि मुझे निरंकुश राजा की सत्ता मिले तो मैं अपने बालकों को विदेशी भाषा के माध्यम से मिलने वाला शिक्षण तुरंत बंद कर दूँ। इसके लिए यदि शिक्षकों को भी बरखास्त करना पड़े तो मैं उस हद तक भी पहुँच जाऊँ। पाठ्यपुस्तकें तैयार हो जायें तब तक की प्रतीक्षा वाली बात मैं कभी स्वीकार न करूँ, जब माध्यम परिवर्तन होगा तो पाठ्यपुस्तक अपने आप तैयार होनी शुरू हो जायेगी।''[3]

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजी कदापि भारतीय भाषाओं की अपेक्षा भारत में उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। भारत में अंग्रेजी का वही स्थान होगा जो विश्व की अन्य भाषाओं का भारत में है। हिन्दी का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। उसकी परिधि बढ़ रही है। यह राष्ट्रीय स्तर से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त कर रही है।

इस स्थिति में जब हमारे देश की अपनी भाषा राजभाषा के महत्त्वपूर्ण स्थान को वहन करने में समक्ष है तो अंग्रेजी यहाँ पर खिड़की के रूप में रह सकती है, द्वार का स्थान कदापि ग्रहण नहीं कर सकती। जिनकी मातृभाषा हिन्दी है उनके

---

1. हिन्दी दैनिक नवजीवन, 5 जुलाई 1928
2. यंग इंडिया पत्रिका, 2 जनवरी 1921
3. हिन्दी नवजीवन, 2 सितंबर 1921, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वक्तव्य।

चौथा अध्याय

राजभाषा के विविध आयाम— संवैधानिक प्रावधान

4.1 संविधान सभा की राजभाषा संबंधी बहस और निर्णय

4.1.1 अध्याय का प्रतिपाद्य

भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान समिति द्वारा डॉ. —भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कार्य किया गया, जिसके आधार पर भारत का संविधान तैयार हुआ। संविधान के लिए तैयार किये गये मसौदे के आधर पर संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 से आरंभ हुई तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को विधिवत् रूप से चुनाव करके संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में 296 सदस्य थे, जिनमें 205 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग तथा 18 स्वतंत्र सदस्य थे। मुसिलम लीग के सदस्यों ने आरंभ में ही सहयोग देने से इनकार कर दिया था। इस सभा की प्रमुख समिति 'प्रारूप समिति' थी, जिसने 21 फरवरी 1948 को प्रारूप तैयार किया। संविधान के प्रारूप को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान की अन्य धाराओं को छोड़कर हमारा उद्देश्य यहाँ राजभाषा हिन्दी के संबंध में संविधान सभा में हुई बहस और उसके संबंध में लिये गये निर्णय से है। राजभाषा हिन्दी के विषय में विचार करते समय यहाँ इसके संवैधानिक इतिहास और संविधान बनने से पूर्व राजभाषा के संबंध में जो गहन चर्चा हुई और समय-समय पर संविधान समिति के सदस्यों द्वारा इस संबंध में जो तर्क-वितर्क प्रस्तुत किये गए उन परिस्थितियों पर विचार करना अनिवार्य प्रतीत होता है। तभी राजभाषा के रूप में हिन्दी की मान्यता को प्रमाणित कर पाना संभव होगा। अतः इस अध्याय में हम संविधान समिति की बहस के मुख्य अंशों तथा अंत में दिये गये निर्णय का विवेचन करेंगे।

4.1.2 राजभाषा संबंधी निर्णय के लिए चर्चा

संविधान के 17वें भाग के प्रथम अध्याय के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा के संबंध में प्रावधान है। संविधान सभी की बैठक के आरंभ से ही ज्यों-ज्यों हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाने पर विचार किया जाने लगा त्यों-त्यों साथ

8. यह एक ओजपूर्ण पौरुषयुक्त भाषा है।
9. हिन्दी की ध्वनियाँ नपीतुली एवं सुनिश्चित हैं।
10. प्रशासनिक एवं तकनीकी शब्दावली इसमें उपलब्ध है तथा आवश्यकता अनुसार नई शब्दावली का निर्माण सरलता से किया जा सकता है।

3.10 उपसंहार

उपरोक्त अध्ययन का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना तार्किक एवं संगत था। हर पहलू पर हिन्दी में राजभाषा की मर्यादडा का निर्वाह करने की क्षमता है। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि बिना एक राजभाषा के किसी भी स्वावलंबी राष्ट्र का शासन-प्रशासन सुचारु रूप से चला पाना असंभव है। ऊपर बताई गई विशेषताओं के कारण संविधान में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया है तथा संविधान के 17वें अध्याय के अंतिम अनुच्छेद 351 में निर्देश दिया गया है कि हिन्दी की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की समन्वित संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा उसकी स्वाभाविकताा में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम् अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं की रूप शैली और शब्दावली को आत्मसात करते हुए जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्दभंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि करना संघ का कर्तव्य होगा।

संविधान की भावना स्पष्ट है कि भारत की राजभाषा हिन्दी होगी, राजभाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओं को भी पनपने का पूरा अवसर दिया जायेगा।

सारतः कहा जा सकता है कि हिन्दी राजभाषा के पद के लिए उचित एवं सक्षम भाषा है। इसीलिए इसे संविधान सभा ने राजभाषा का स्थान दिया है।



अतिरिक्त भारत में अन्य भाषा-भाषी भी हिन्दी बोल तथा समझ सकते हैं। यह उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हो चुका है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग हिन्दी भाषी है। हिन्दी में आर्थिक, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषयों से संबद्ध गूढ़तम विचारों की अभिव्यक्ति सफलतापूर्वक की जा सकती है। यह भाषा इतनी सरल है कि आसानी से सीखी जा सकती है।

3.9 राजभाषा के रूप में हिन्दी की विशेषतायें

हिन्दी में यह क्षमता है कि वह देश की अन्य भाषाओं को साथ लेकर चल सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 351 में दिये गये निर्देश की भावना को पूर्णतया पूरा करती है। यह अष्टम सूची में उल्लिखित अन्य भाषाओं की शब्दावली के रूप, शैली को आत्मसात करते हुए यथावश्यक इन भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए आगे बढ़ सकती है।

हिन्दी भारत की आत्मा के रूप में पनपी हुई भाषा है। इसका क्षेत्र अति विस्तृत है तथा भारत सरकार की नीति के अनुसार यह दिन-प्रति-दिन विस्तृत होता जा रहा है। जितनी बड़ी संख्या हिन्दी जानने और बोलनेवालों की है उतनी बड़ी संख्या विश्व की अन्य दो-तीन भाषाओं की ही है। यह भाषा केवल भारतीय स्तर की नहीं बल्कि विश्व स्तरीय है। हिन्दी की क्लिष्ठता से ऊपर उठकर हमें आम-फहम भाषा का प्रयोग करना होगा क्योंकि शब्द भंडार की वृद्धि तथा नये शब्दों का निर्माण बुरा नहीं है। लेकिन भाषा की मौलिकता, भावप्रेषण एवं भावाभिव्यक्ति में है, इससे दूर नहीं ले जाना चाहिए, न ही राष्ट्र भाषा अथवा राजभाषा-भ्रष्ट भाषा का पर्याय है। अतः दूसरी भाषा के शब्दों से तात्पर्य इसकी मौलिकता समाप्त करना भी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी एक समृद्ध, व्यापक, परिष्कृत तथा सर्वसुलभ भाषा है, जिसमें राष्ट्र की एकता स्पष्ट झलकती है।

हिन्दी में निम्नलिखित ऐसी विशेषतायें हैं जो अन्य भाषाओं की अपेक्षा इसे ऊँचा उठा देती हैं। यह–

1. भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक समझी एवं बोली जाती है।
2. हिन्दी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है,जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपना काम चला सकता है।
3. इसमें अन्य भाषाओं, बोलियों, उपबोलियों के शब्दग्र करने की क्षमता है।
4. इसकी लिपि में किसी भी भाषा के शब्दों को स्पष्ट लिखा जा सकता है।
5. यह बहुत सरल भाषा है, जिसमें बहुत बड़ी वैज्ञानिकता यह है कि इसके उच्चारण एवं लेखन में समानता है।
6. यह भारत की सभी भाषाओं के अत्यधिक समीप है।
7. हिन्दी की शैली संक्षिप्त एवं लाघवपूर्ण तथा विस्तृत एवं अलंकृत दोनों

... उन्हें आम लोगों से दूर कर दिया है। प्रशिक्षण को अकारण खर्चीला बना दिया है। यह प्रक्रिया अब भी जारी रही तो जान पड़ता है कि यह राष्ट्र की आत्मा को नष्ट कर देगी।''[1]

यंग इंडिया के माध्यम से 27 अप्रैल 1921 को उन्होंने कहा था, ''हम अशिक्षित और अनपढ़ भले पर अंग्रेजी की दासता अब हमें स्वीकार नहीं'' आज की अंग्रेजी शिक्षा ने हमें नकलची बना दिया है। कोई भी देश नकलचियों की जाति पैदा कर राष्ट्रीय नहीं बन सकता, अंग्रेजी के मोह से छूटना स्वराज्य का एक आवश्यक तत्त्व है।''[2]

गुजरात प्रांतीय शिक्षा सम्मेलन के अवसर पर उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा न देकर मातृभाषा से दी जाये तो प्रत्येक विद्यार्थी के 6 वर्ष बच सकते है। इस तरह हजारों लाखों विधार्थियों के 6 वर्ष बचने का अर्थ है हजारों लाखों वर्षों की बचत। माँ के दूध के संस्कार के साथ जो मीठे वचन मिलते हैं उनके और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिए वह विदेशी भाषा के माध्यम के शिक्षा देने से छूट जाता है। इससे राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं आ पाती तथा अनेकानेक हानियाँ होती हैं विशेषकर शिक्षित वर्ग सामान्य जनता से अलग हो जाता है।

उन्होंने 1921 में कहा था, ''यदि मुझे निरंकुश राजा की सत्ता मिले तो मैं अपने बालकों को विदेशी भाषा के माध्यम से मिलने वाला शिक्षण तुरंत बंद कर दूँ। इसके लिए यदि शिक्षकों को भी बरखास्त करना पड़े तो मैं उस हद तक भी पहुँच जाऊँ। पाठ्यपुस्तकें तैयार हो जायें तब तक की प्रतीक्षा वाली बात मैं कभी स्वीकार न करूँ, जब माध्यम परिवर्तन होगा तो पाठ्यपुस्तक अपने आप तैयार होनी शुरू हो जायेगी।''[3]

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजी कदापि भारतीय भाषाओं की अपेक्षा भारत में उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। भारत में अंग्रेजी का वही स्थान होगा जो विश्व की अन्य भाषाओं का भारत में है। हिन्दी का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। उसकी परिधि बढ़ रही है। यह राष्ट्रीय स्तर से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त कर रही है।

इस स्थिति में जब हमारे देश की अपनी भाषा राजभाषा के महत्त्वपूर्ण स्थान को वहन करने में समक्ष है तो अंग्रेजी यहाँ पर खिड़की के रूप में रह सकती है, द्वार का स्थान कदापि ग्रहण नहीं कर सकती। जिनकी मातृभाषा हिन्दी है उनके

---

1. हिन्दी दैनिक नवजीवन, 5 जुलाई 1928
2. यंग इंडिया पत्रिका, 2 जनवरी 1921
3. हिन्दी नवजीवन, 2 सितंबर 1921, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वक्तव्य।

... कदापि संभव नहीं है। इसके लिए वे अंग्रेजियत का आवरण ओढ़े रखने में भी नहीं झिझकते। भारत की भाषानीति में हिन्दी को राजभाषा बनाया गया है, यह कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि भारत में कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। हर व्यक्ति एकाध्कि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर अपनी विद्वत्ता बढ़ाने को स्वतंत्र है। राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के न स्वीकार करने से किसी व्यक्ति विशेष का अंग्रेजी पढ़ना-पढ़ाना भला कहाँ प्रभवित होता है? "अनेक व्यक्ति अंत:प्रांतीय एवं राष्ट्रीय या जातीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को ही स्वीकार करने का अनुमोदन करते हैं किन्तु मेरा विचार है कि यह पूर्णतया संभव नहीं है।"[1]

अंग्रेजी हमारे देश के लिए दीमक का कार्य कर रही है जो लाख प्रयास करने के बावजूद देश को खोखला करने का प्रयास कर रही है। यह हमारे देश को केवल दो-चार ही नहीं अपितु कई भागों में बाँट रही है। पूर्ववर्ती केंद्रीय शिक्षामंत्री डॉ. त्रिभुवन सेन कहा करते थे : "मुझे उस अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं है जो मुझे अपने देश के लोगों से बेगाना बनाती है, और मेरे 98% देशवासियों को अपनी जन्मभूमि में विदेशी बना दें तथा स्वयं एक शोषक वर्ग की समृद्धि की निशानी बनी रहे। केवल यह मानकर चलना कि अंग्रेजी के बिना कोई भी उन्नति नहीं कर सकता सर्वथा भ्रामक है, क्योंकि हमारे देश के नेता, जिन्हें अंग्रेजी का तनिक भी ज्ञान नहीं है, उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ तथा विश्व के आकाश में देदीप्यमान नक्षत्र की भाँति चमकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि देशी अंग्रेजी परस्त तथा अंग्रेजी साम्राज्य के कार्यों में लीन अंग्रेज से भी अधिक अंग्रेज हो जाता है। ऐसा ही व्यक्ति देश के लिए सर्वाधिक हानिकारक सिद्ध होता है। विश्व के अनेकों देशों ने अंग्रेजी को पूर्णतया तिलांजलि दे दी है। वे अत्यधिक सम्माननीय पदों पर होते हुए भी अंग्रेजी की अपेक्षा अपनी ही भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं तथा उनके मार्ग में अंग्रेजी न जानने का प्रश्न कभी बाधक बनता है? कभी नहीं।"[2] महात्मा गांधी ने भी कहा था, "दुनिया के लोगों को बता दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।"

फिर भी उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। कुछ व्यक्ति अंग्रेजी को लेकर अंतर्राष्ट्रीयता का नारा लगाते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि यदि हम अपनी राष्ट्रीयता को ही जीवित न रख सके तो हम अंतर्राष्ट्रीयता का मात्र ढोंग ही रचते है। उसको जीवित रखने में हमारा कोई योगदान नहीं हो सकता। जब हम अपनी राष्ट्रीयता को मजबूत करते हैं। बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्रवादी नहीं हुआ जा सकता।

वैसी हालत में अंतर्राष्ट्रीय वादी होना भी नामुमकिन है। अंतर्राष्ट्रीयता तभी संभव है जबकि राष्ट्रीयता वास्तव में स्थापित हो जाती है।"[3]

1. "भारत की भाषा संबंधी समस्यायें, डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी प्रथम संस्करण, पृष्ठ 61
2. "साप्ताहिक हिन्दुस्तान", 6 अगस्त 1967, पृष्ठ 7
3. दैनिक हिन्दुस्तान, 25 नवंबर 1907

चुका है और बस हिन्दी की ध्वज फहराने मात्र की देर है। अन्य सभी भाषायें किले के बाहर युद्ध करती हुई आशा भरी नजरों से हिन्दी के साहस को निहार रही हैं और उसे उत्साह प्रदान कर रही हैं। अंग्रेजी के सिपाही अब अपने किले और झंडे की रक्षा की चिंता छोड़कर कूटनीति के द्वारा भारतीय भाषाओं में फूट डालने के लिए यत्नशील है। बस हमें इसी कूटनीति से सावधान रहने की इस समय सर्वाधिक जरूरत है।"[1]

ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि संस्कृत अब एक मृतप्राय भषा हो चुकी है, क्योंकि कई करोड़ आबादीवाले देश में हजार व्यक्ति भी शयद ही मिलें हो इसका अधिकार के साथ बोलने तथा लिखने में प्रयोग कर सकें। डॉ. सनीति कुमार चटर्जी ने भी इस संबंध में स्पष्ट कहा है, "मुसलमान तथा ऐसे अनेक हिन्दू जिनका मानसिक विकास संस्कृत के वातावरण में नहीं हुआ है सरल संस्कृत को भी स्वीकार नहीं करेंगे।"[2]

उपर्युक्त तथ्य को देखते हुए राजभाषा के संबंध में विचार करते समय संस्कृत को छोड़ ही देना चाहिए। वस्तुतः जब हम अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में बनाये रखने का आग्रह करते हैं तब हम भूल जाते हैं कि एक स्वतंत्र तथा स्वाभिमानी देश के लिए यह अपमानजनक है कि वह अपनी भाषाओं को छोड़कर किसी विदेशी भाषा को इस सम्माननीय स्थान पर प्रतिष्ठित करे। इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेजी भारत की किसी भी भाषा की तुलना में बहुत विकसित और संपन्न भाषा है, किन्तु ऐसे प्रसंग में तर्क के अतिरिक्त और भी बातों का सामने उभर आना स्वाभाविक है। जैसे केवल इस आधर पर कि कोई विदेशी संपन्न विकसित एवं समृद्धिशली है उसको अपने देश में कोई महत्त्वपूर्ण पद नहीं सौंपा जा सकता। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद प्राप्त करने के लिए भारतीय होना अनिवार्य है, उसी प्रकार भारत की राजभाषा भी कोई भारतीय भाषा ही हो सकती है। जिस प्रकार किसी अन्य राष्ट्र के व्यक्ति को केवल इस आधर पर राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री बना सके कि वह बहुत योग्य है, उसी प्रकार किसी अन्य देश की भाषा को राजभाषा नहीं बनाया जा सकता।

अंग्रेजी चाहे कितनी भी विकसित भाषा रही हो किन्तु भारतवर्ष में इसके जाननेवालों की संख्या 1% से अधिक नहीं है। उसमें भी ऐसे व्यक्ति जो विश्वास के साथ अंग्रेजी बोल-लिख सकें शायद ½% से अधिक नहीं है और इस ½% के लिए शेष 99.5% जनता को भुलाया नहीं जा सकता और यदि भुलाया जाता है तो वह देशद्रोह से कम नहीं होगा। कुछ लोगों का मत है कि अंग्रेजी उनके लिए

1. "राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता"–डॉ. रामधारी सिंह दिनकर, पृष्ठ 19, 22
2. "भारत की भाषा संबंधित समस्यायें", डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 60

... थी और इस गणना में पाकिस्तान तथा विदेशों में रहनेवाले हिन्दी भाषियों की गणना नहीं की गई थी। गणना करने वालों ने उर्दू भाषियों को भी इसमें नहीं जोड़ा था। यदि इन सबको मिलाकर गणना की जाय तो विश्व में इसका स्थान दूसरा है।"[1]

हिन्दी शासन की भाषा बाद में है पहले जनसाधारण की भाषा है। सड़क के किनारे बैठने वाले से लेकर शासक तक, किसान, व्यापारी, मजदूर, कुली से मिलमालिक तक सभी की भाषा हिन्दी है। राष्ट्र के स्वाधीनता संग्राम में सभी भाषाओं का योगदान रहा है। किन्तु इस दृष्टि से कि सभी भाषाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया है सभी भाषाओं को तो राजभाषा नहीं बनाया जा सकता।

अंग्रेजों की नीति के कारण अंग्रेजी प्रशासन की भाषा बनी और आज भी कम या अधिक अधिकार जमाये हुए है। वास्तविक संघर्ष हिन्दी तथा अंग्रेजी में है। एक तो पहले ही सिंहासन पर आरूढ़ है, दूसरी—जिसे संविधान में तो सिंहासन सौंप दिया गया किन्तु वास्तव में अभी उस स्थान तक पहुँचने का संघर्ष कर रही है। संविधान की भावनाओं की दृष्टि से सभी क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित होने का अवसर दिया जायेगा। यही कारण है कि प्रत्येक प्रदेश में अंग्रेजी के स्थान पर उन प्रदेशों की भाषाओं को उस प्रदेश में सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला है।

कुछ क्षेत्रों से यह आक्षेप किया जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति में सभी भाषाओं का सामूहिक योगदान रहा है, किन्तु इसका फल केवल एक ही भाषा भोग रही है। वास्तव में यह सर्वथा तथ्यहीन है। हिन्दी को अखिल भारतीय स्तर पर राजभाषा घोषित किया गया है। किसी प्रादेशिक भाषा के अधिकार को काटकर उनके स्वतंत्र व्यवहार में कदाचित बाधा नहीं डाली गई। प्रत्येक प्रदेश में उन्हें फूलने-फलने का अवसर दिया गया है।

संघर्ष केवल हिन्दी का अंग्रेजी के साथ है वह भी शासन के काम काज की भाषा के माध्यम के रूप में। दिनकर जी ने अपनी पुस्तक 'राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रीय एकता' में बहुत ही स्वतंत्र रूप से इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं, "इस समय युद्ध में एक ओर तो अंग्रेजी और दूसरी ओर हिन्दी सहित समस्त राष्ट्रीय भाषायें हैं। अंग्रेजी किले में बैठकर मोर्चा बाँधकर बड़े-बड़े हथियारों से लड़ रही है जबकि सभी भारतीय भाषायें अपने छोटे-मोटे हथियारों से अपार सैनिक शक्ति द्वारा आगे बढ़ रही हैं। भेद इतना ही है कि लड़ते-लड़ते हिन्दी इतनी आगे पहुँच चुकी है कि वह तो किले के बुर्ज पर पहुँच चुकी है। झंडा भी उसके हाथ में है, लेकिन वह उसे फहरा नहीं पाई है। क्योंकि किले के कई बूढ़े पुराने पहरेदार अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसमें रुकावट डाल रहे हैं और झंडा छीनने की कोशिश में हैं।

1. "राष्ट्रभाषा—एक भारतीय आत्मा"—रवि कैलाग, पृ0 29

उड़िया	19085000
बंगला	44079000
संस्कृत	2212

1971 के आँकड़े देने का उद्देश्य यह है ताक़ि यह स्पष्ट किया जा सके कि संविधान समिति ने हिन्दी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया था वह तत्कालीन परिस्थितियों में सही था।*

*टिप्पणी : 1981 की जनगणना के अनुसार अष्टम अनुसूची में दी गई भाषाओं में से विभिन्न भाषा-भाषियों में हिन्दी जाननेवालों की संख्या परिशिष्ट–5

इससे स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 30 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो हिन्दी अथवा हिन्दी से मिलती-जुलती भाषा बोलते तथा जानते हैं। लगभग 14 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी भारत सरकार की नीति के अनुसार हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। लगभग 9 प्रतिशत लोग व्यापार, धार्मिक, राजनीतिक, सिनेमा, तीर्थयात्राओं के माध्यम से हिन्दी का कम या अधिक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार समस्त जनसंख्या का लगभग 91 प्रतिशत लोग हिन्दी का ज्ञान रखते हैं। इस स्थिति में हिन्दी का राजभाषा माना जाना सही प्रतीत होता है। इस संबंध में ऊपर दिये गये आँकड़े स्वयंसिद्ध हैं।

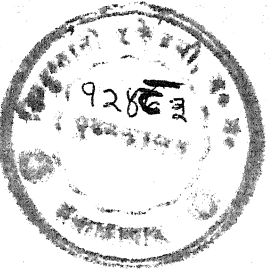
संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित सभी भारतीय भाषायें अपने-अपने क्षेत्र में समृद्ध तथा संपन्न हैं, किन्तु राजभाषा का दर्जा सभी भाषाओं को नहीं दिया जा सकता था। अतः सभी प्रकार से विचार-विमर्श करने के पश्चात् संविधान समिति द्वारा हिन्दी को संघ की राजभाषा तथा देवनागरी लिपि अपनाने का निर्णय लिया था।

संविधान समिति द्वारा लिया गया यह निर्णय सर्वथा उचित है। वास्तव में हिन्दी समस्त राष्ट्र की वाणी है। इसी लिए इसे राजभाषा का पद दिया गया है। राजभाषा वही हो सकती है जिसके माध्यम से समस्त राष्ट्र में प्रशासन का काम सफलतापूर्वक चलाया जा सके। यह भाषा न हिन्दू, न मुसलमान, न आर्य, न अनार्य, न बंगाली, न बिहारी, न पूर्व, न पश्चिम, न केवल उत्तर, न दक्षिण बल्कि समस्त राष्ट्र की आत्मा की भाषा हैं। यह भारत के प्रत्येक भाग में बोली तथा समझी जा सकती है। इसका व्यवहार भारत में ही नहीं विदेशों में भी होता है।

"विश्व में बोली जानेवाली विभिन्न भाषाओं में हिन्दी का तीसरा स्थान है। किन्तु यदि उर्दू, बिहारी एवं पाकिस्तान में बोली जाने वाली उर्दू को भी बीच में गिन लिया जाय तो इसका स्थान दूसरा हो जाता है। यह तीसरा स्थान भी उस गणना

भारतीय भाषाओं के बोलनेवालों की संख्या

क्रम सं.	भाषा	संख्या (लाखों में)
1.	असमिया	89.6
2.	उड़िया	198.6
3.	कन्नड़	217.1
4.	उर्दू	286.2
5.	कश्मीरी	25.0
6.	गुजराती	258.7
7.	तमिल	376.9
8.	तेलुगु	447.6
9.	पंजाबी	141.1
10.	बंगला	447.9
11.	मराठी	417.7
12.	मलयालम	219.4
13.	सिंधी	16.6
14.	संस्कृत	0.02
15.	हिन्दी	1625.8



टिप्पणी : नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को हाल ही में इस सूची में जोड़ा गया है। अतः 1971 के अनुसार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भाषा—वार प्रांतों की रिपोर्ट (आयोग) नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा कहा गया हैं कि "कहीं भी ऐसे भाषायी प्रांत का निर्माण करना मुमकिन नहीं जिसमें सत्तर से अस्सी प्रतिशत तक से अधिक एक ही भाषा के बोलने वाले लोग थे। इस प्रकार प्रत्येक प्रांत में कम-से-कम 20 प्रतिशत लोगों की अल्पसंख्या ऐसी रह जाती है जो अन्य भाषा-भाषी होंगे"।[1]

1971 की जनगणना की स्थिति से ही भाषावार बोलने वालों की संख्या का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि कुल जनसंख्या का 38 प्रतिशत भाग ऐसा है जिनकी मातृभाषा हिन्दी रही है। उपलब्ध आँकड़े 1971 के अनुसार विषय को स्पष्ट करने के लिए देना समीचीन होगा।

भाषा-भाषी	विभिन्न भाषा-भाषियों में हिन्दी जाननेवालों की संख्या
सिंधी	1067000
असमिया	8095000
पंजाबी	16044000

1. भाषावार प्रान्तों की रिपोर्ट (आयोग) नई दिल्ली भारत सरकार का गजट 1948 पृष्ठ 28

... अगर हिन्दुस्तान को सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने या न माने राजभाषा तो हिन्दी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिन्दी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को नहीं मिल सकता—हम किसी भी हालत में प्रांतीय भाषाओं को मिटाना नहीं चाहते। हमारा मतलब सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रांतों में पारस्परिक संबंध के लिए हम हिन्दी भाषा सीखें।"[1]

अतः गांधी जी शुरू से ही प्रातीय भाषाओं के विकास तथा हिन्दी राजभाषा के पक्ष में थे।

आचार्य विनोबा भावे तथा बंकिमचंद्र चटर्जी ने भी हिन्दी की शैली. . . .सुगम वाक्य रचना की सराहना करते हुए कहा था, "हिन्दुस्तान की भाषाओं में जो आंतरिक सामर्थ्य और समृद्धि है वह दुनिया की किसी अन्य भाषा में नहीं है। हिन्दी समुद्र है। इसमें सब नदियाँ मिलने आजी है। इसमें खास खूबी है कि वह आसानी से क्षेत्रीय शब्दों, वाक्यों, शैलियों को पचा सकती है। इसीलिए यह राजभाषा की अधिकारिणी है।"

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि हिन्दी अथवा भाषी क्षेत्रों के महापुरुषों का दोटूक विचार था कि भारत से अंग्रेजों की पराधीनता उनके यहाँ से चले जाने से नहीं, बल्कि उनकी भाषा के भी यहाँ से निकलने पर दूर होगी। कहीं पर भी, किसी भी समय, किसी भी महापुरुष ने अपने ही देश की भाषाओं का विरोध नहीं किया, बल्कि सभी का विचार था कि सभी प्रांतीय भाषाओं को प्रांतों में विकसित होने का अवसर दिया जाय तथा समस्त राष्ट्र के कार्यकलाप के लिए राजभाषा के रूप में हिन्दी को विकसित किया जाय। संविधान निर्माताओं की भी यही स्पष्ट भावना रही है।

यह तो स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी रूप में एक विदेशी भाषा हमारे देश की राजभाषा नहीं बन सकती। भारत की अनेक भाषाओं एवं बोलियों में से 18 भाषायें राष्ट्रीयभाषा के रूप में संविधान की आठवीं अनुसूची में हैं। इनमें से हिन्दी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यदि भारत में अनेक साहित्य संपन्न भाषाओं के स्थान पर केवल एक भाषा होती तो राजभाषा चयन में कोई कठिनाई न आती। किन्तु कई भाषायें ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या संसार के कुछ देशों की सम्मिलित जनसंख्या से भी अधिक है। यह तथ्य नीचे दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है।[2]

1. "अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 8वाँ अधिवेशन इदौर, 20 अप्रैल 1935
2. "सेंसिज ऑफ इंडिया 1971 सीजिज I, पार्ट II (स)–(11)
   रजिस्ट्रार ऑफ सेंसिज, कमिश्नर ऑफ इंडिया, मुद्रक मैनेजर, भारत सरकार का छापाखाना, फरीदाबाद 1977.
   टिप्पणी : 1981 की जनगणना के अनुसार अष्टम अनुसूची में दी गई भाषाओं के बोलने वालों की संख्या अवरोही क्रम में दी है–परिशिष्ट–4

अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निजभाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल" लेकिन भारत में केवल हिन्दी ही तो अपनी भाषा नहीं है। 18 अन्य राष्ट्रभाषाओं का दर्जा प्राप्त भाषायें भी तो अपनी भाषायें हैं, उन्हें राजभाषा क्यों नहीं बनाया गया? हिन्दी को ही राजभाषा क्यों बनाया गया? इसमें ऐसी कौन-सी विशेषतायें हैं, जिनके कारण संविधान समिति ने केवल हिन्दी को ही राजभाषा का स्थान दिया है?

राष्ट्र भाषायें तो अनेक हो सकती हैं, किन्तु प्रत्येक देश की राजभाषा एक ही हो सकती है। इसके उदाहरण भी अनेक देशों में पाये जाते है। उनमें से भारतवर्ष भी एक है। सोवियत संघ में लगभग 90 राष्ट्रीय भाषायें हैं, किन्तु राजभाषा के रूप में केवल रूसी भाषा है। फ्रांस में अनेक भाषायें हैं, किन्तु राजभाषा फ्रैंच ही है। पाकिस्तान में उर्दू तथा बंगला बोलने वालों की संख्या लगभग बराबर है, किन्तु राजभाषा उर्दू ही है। स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर गांधी जी के साथ में थी। ऐसा पुरुषरत्न युगों के बाद ही किसी देश को मिलता है। भारत की लगभग सभी समस्याओं का उन्होंने अध्ययन तथा चिंतन किया था। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि भारत को एक भाषा की आवश्यकता है जिसके द्वारा समस्त देश का प्रशासनिक कामकाज चल सके। समय-समय पर उन्होंने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने अंग्रेजी के विषय में स्पष्ट कहा था–"अंग्रेजी से किसी को नफरत नहीं। इसमें अटूट ज्ञान का भंडार है। यह विश्व भाषा है। फिर भी हिन्दुस्तानियों को अनिवार्य रूप से अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता नहीं है।" उन्होंने स्पष्ट कहा था, "अंग्रेजी कभी भी हमारी राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा नहीं बन सकती। यदि हम भारत को एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो केवल हिन्दी ही हमारी राजभाषा हो सकती है।"[1]

गांधी जी ने अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान ही राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा की रूपरेखा बना ली थी। उनका विचार था कि भारत के हिन्दू तथा मुसलमान जिस भाषा को आमतौर पर बोलते हैं तथा जो देवनागरी और फारसी दोनों ही लिपियों में लिखी जाती है, उसी भाषा को भारत की राजभाषा का पद मिलना चाहिए। उनके विचार में यदि संस्कृतनिष्ठ हिन्दी को राजभाषा बनाया गया तो ईसाई, मुसलमान, फारसी, सिक्ख इस भाषा को हिन्दुत्व की भाषा समझकर उसका विरोध करेंगे। सन् 1918 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति के पद से बोलते हुए उन्होंने कहा था–"मैंने हिन्दी भाषी जगत को सुझाया था कि वह हिन्दी की अपनी व्याख्या को इतना प्रशस्त बना ले कि उसमें उर्दू का भी समावेश हो जाय।"[2] पुन:

1. अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इंदौर : 28 मार्च 1918 में महात्मा गांधी का उद्‌घोष।
2. "अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इंदौर, 28 मार्च, 1918

भाव-विनिमय को सुगम बनाने की शक्ति केवल स्वदेशी भाषा में ही हो सकती है। जिस भाषा की व्यापकता और विस्तार जितना अधिक होगा उस भाषा-भाषी जनता की भावनात्मक, राजनैतिक एकता उतनी ही अधिक टिकाऊ और स्पृहणीय होगी। अंग्रेजी को ही लें। इस भाषा को बोलने वाले लोग विश्व-भर में फैले हुए हैं अतः इस भाषा का स्वरूप विश्वभाषा के रूप में कभी समाप्त नहीं हो सकता। किन्तु केवल इस आधार पर इसे किसी देश की राजभाषा नहीं बनाया जा सकता कि यह विश्व-भर में बोली तथा समझी जाती है। प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना अस्तित्व होता है, उसकी अपनी भाषा होती है। उस देश विशेष में रहनेवाली जनता की आम भाषा ही उस देश की राजभाषा का स्थान पाने की अधिकारिणी होती है, जिसके द्वारा लोगों की आवाज प्रशासन तक, प्रशासन की अपेक्षायें जनसाधारण तक पहुँच सकें और निश्चित ही यह कार्य कोई विदेशी भाषा नहीं कर सकती।

3.7 राजभाषा की विशेषतायें

राजभाषा का पद प्राप्त करने के लिए किसी भी भाषा में निम्नलिखित विशेषतायें होना अति आवश्यक है :

1. जन साधारण के लिए यह भाषा सरल होनी चाहिए।
2. इस भाषा के द्वारा समस्त देश का आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवहार होना संभव हो।
3. उस भाषा को देश के बहुसंख्यक लोग बोलते-समझते एवं व्यवहार में लाते हों।
4. भाषा स्वदेशी अथवा अपनी मिट्टी की उपज हो।
5. लिपि मुद्रण की दृष्टि से कठिन न हो।
6. अन्य भाषाओं की प्रवृत्ति-प्रकृति को आत्मसात तथा समायोजित करने में सक्षम हो।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि भारत सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक रूप से विभिन्नताओं का देश है। इसके साथ ही भाषा की दृष्टि से भी इसमें अनेकानेक विभिन्नतायें हैं। इसमें लगभग 1652 भाषायें बोली, उपबोलियाँ हैं, जिसमें से हिन्दी को संविधान में राजभाषा का स्थान तथा 18 क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रभाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है।

3.8 राष्ट्रीय भाषायें व उनका स्थान

भारत की जितनी भी राष्ट्रीय भाषायें हैं सभी समृद्ध हैं, फिर भी हिन्दी को ही राजभाषा क्यों बनाया गया? अपनी राजभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा हो जाता है।

महाराष्ट्र में अंग्रेजी के साथ मराठी, तो बंगाल में अंग्रेजी के साथ बंगला। हिन्दी प्रवेश में अंग्रेजी के साथ हिन्दुस्थानी थी। अरबी-फारसी मिश्रित शैली उर्दू को कचहरियों की भाषा बनाया गया। गिलक्राइस्ट ने 1800 में कहा था, "हिन्दी-हिन्दुस्थानी-उर्दू एक ही भाषा की तीन शैलियाँ हैं। इनका व्याकरण एक है, अंतर केवल शब्दों का है। अंग्रेजों ने अंग्रेजी का प्रचार-प्रसार तो किया ही साथ ही उनकी यह भी भावना थी कि हिन्दी भारत की प्रतिनिधि भाषा है, अतः विकसित न होने पाये। कन्हैयालाल गांधी ने लिखा है, "1823 ई0 में देश में दो विचारधाराओं का जन्म हुआ। प्राच्यविद तथा अंग्रेजीपरस्त। प्राच्यविदों में एलिफिंस्टन तथा कई अन्य लोगों के नाम लिये जा सकते हैं, जिन्होंने भारतीय साहित्य की वृद्धि का पक्ष लिया। दूसरे ओर मैकाले तथा अंग्रेजी परस्तों का विचार था कि विधि एवं धर्म की उन्नति की दृष्टि से संस्कृत अथवा अरबी भाषायें राज्य द्वारा प्रोत्साहन के योग्य नहीं हैं। राजा राममोहनराय जैसे समाज सुधारकों की सहायता से अंग्रेजी सदस्यों की विजय हुई और अंग्रेजी भारत की शिक्षा प्रणाली में प्रवेश कर गई जो आज हिन्दी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंव्दी भाषा है।"[1]

जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तब तक अंग्रेजी देश की शिक्षा संस्थाओं, दफ्तरों, अदालतों, विधान सभाओं में अपना प्रभुत्व जमा चुकी थी। अंग्रेजों की भाषा संबंधी जो भी नीति रही हो हिन्दी ने अपना अस्तित्व बनाये रखा। स्वतंत्रता के लिए जूझने वाले विभिन्न प्रांतों के लोगों के द्वारा विचार-विमर्श मिली-जुली भाषा में होता था इससे हिन्दी को अत्यधिक बल मिला। स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथ में थी, वे हिन्दुस्थानी अथवा हिन्दी के पक्षधर थे।

स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यह बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत के लिए प्रतिनिधि या संपर्क भाषा की आवश्यकता है जो देश के एक भाग से दूसरे भाग तक के लोगों के आचार-व्यवहार तथा विचार-विनिमय का माध्यम हो। वह भाषा वही हो सकती थी जिसे अपेक्षाकृत अधिक लोग बोल-समझ सकते थे। वह भाषा हिन्दी ही हो सकती है। 1909 में गांधी जी ने अपनी पुस्तक "हिन्दी स्वराज और होमरूल" में तथा 1917 में गुजरात में शिक्षापरिषद के सभापति पद से बोलते हुए इस बात पर बल दिया था। 1925 में कानपुर के कांग्रेस महाधिवेशन में कांग्रेस की महासमिति और कार्यकारिणी का काम हिन्दी में करने का प्रस्ताव इसी दृष्टि से पारित हुआ था। आज हिन्दी संवैधानिक दृष्टि से भारत की राजभाषा है। इस स्थान को हिन्दी ने अचानक ही प्राप्त नहीं कर लिया बल्कि इस स्थान तक पहुँचते-पहुँचते इसे कई शताब्दियाँ लगीं, बहुत से उतार-चढ़ावों से गुजरना पड़ा। एक क्षेत्रीय भाषा से राष्ट्रभाषा तक सर्वमान्य एवं लोकप्रिय भाषा बनने में इसे विभिन्न विरोधों एवं विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी को राजभाषा बनाया गया।

1. "राजभाषा समस्या"—कन्हैयालाल गांधी, पृष्ठ 7

विजय के साथ-साथ हिन्दी का प्रचार भी दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ इसे आदिलशाही, कुतुबशाही, वरीदशाही, हमामशाही तथा निजामशाही राजाओं का संरक्षण मिला। कुछ समय तक दक्खिनी के नाम से प्रसिद्ध होने वाली उत्तर भारत की यही भाषा दक्षिण में लंबे समय तक शासन, साहित्य, व्यापार और जनसंपर्क की भाषा बनी रही। मुगल शासन काल में यद्यपि फारसी को राजकाज की भाषा घोषित कर दिया गया था लेकिन फिर भी हिन्दी अपने ढंग से सह-राजभाषा के रूप में विकसित होती रही। अकबर स्वयं हिन्दी में लिखते थे। उनके दरबार के कवि रहीम खानखाना हिन्दी के प्रसिद्ध कवि थे। जहाँगीर को भी हिन्दी का अच्छा ज्ञान था। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा हिन्दी में कवितायें करती थी। हिन्दी के सह-भाषा होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शेरशाह सूरी से लेकर बांद तक के सिक्कों पर प्रायः फारसी के साथ हिन्दी का प्रयोग मिलता है।

डॉ, भोलानाथ तिवारी लिखते हैं : "वस्तुतः अपने प्रचार-प्रसार के कारण भारतीय भाषाओं में हिन्दी स्वतः राजभाषा के रूप में उभरकर धीरे-धीरे आगे आ रही थी तथा वह हिन्दी प्रदेश के बाहर तरह-तरह से अखिल भारतवर्षीय भाषा के रूप में प्रचार-प्रसार पा रही थी। अधिकांश मराठी राजाओं (पेशवा, होलकर, सिंधिया आदि) की राजभाषा हिन्दी थी।"[1]

केवल हिन्दी भाषी प्रदेशों में नहीं बल्कि अहिन्दी भाषी प्रदेशों में भी विभिन्न विद्वानों ने हिन्दी में रचनायें कीं। असम में शंकर देव और नारायण देव ने भक्ति गीत ब्रजबोली में लिखे। बंगाल के कवि गुणाकर, निर्गुणियॉ संत चैतन्य महाप्रभु ने अपने विचरण के दौरान हिन्दी की वृद्धि में योगदान दिया। केरल के राजा रामवर्मा हिन्दी के अच्छे कवि थे। आंध्र के कवि पद्दना, उड़िया कवि ब्रजनाथ बड़नेत ने हिन्दी में रचनायें कीं। अठारहवीं सदी में केरल महाराज तिरुनाल ने अपने गीति पद हिन्दुस्थानी में लिखे। उन्नीसवी सदी में तेलुगु कवि पुरुषोत्तम ने हिन्दी में 32 नाटक लिखे। सिख गुरुओं ने अपनी रचनाओं में हिन्दी का यथेष्ट प्रयोग किया। मुसलमान कवियों का भी हिन्दी साहित्य की वृद्धि में महान योगदान रहा।

3.5 तृतीय चरण

1752 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजसत्ता हथिया ली और भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया। ईसाइयों ने यहाँ अनेक शिल्प संस्थायें खोलीं। मुगल राज्य में फारसी के साथ-साथ एक सीमा तक हिन्दी साथ-साथ चलती रही। मुगलों के पतन के पश्चात फारसी का महत्त्व घटता गया। अंग्रेजी राज्य में फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया और स्थानीय भाषाओं को सह–राजभाषा बनाया गया। जैसे,

1. "राजभाषा हिन्दी", डॉ. भोलानाथ तिवारी, पृष्ठ 40

हैं। कलिंग के जैन राजाओं तथा आंध्रवंशी राजाओं ने शौरसेनी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। आगे चलकर इसी शौरसेनी अपभ्रंश को सातवाहन, प्रवरसेन, यशोधर्मन आदि परवर्ती राजाओं ने राजभाषा माना।[1]

मध्यकाल की भाषाओं की अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहा गया। यही अपभ्रंश आधुनिक और मध्यकाल की भाषाओं के बीच की कड़ी है। प्राकृतिक भाषायें जब साहित्यिक भाषाओं का रूप धारण करने लगीं और व्याकरण द्वारा उनके प्रवाह को सीमित करने का प्रयास किया गया तो अपभ्रंश जनसामान्य की बोलचाल की भाषा के रूप में सामने आई और बाद में साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लिया। उस समय शौरसेनी अपभ्रंश संपूर्ण उत्तर भारत की एकमात्र परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा थी, किन्तु जिस प्रकार से आज हिन्दी के होते हुए भी हिन्दी प्रदेश में अवधी भोजपुरी, मगधी, मैथिली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, बांगरू, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, कुमाऊँनी–गढ़वाली, कन्नौजी आदि प्रचलित हैं वैसे ही अपभ्रंश के युग में भी धीरे-धीरे जनसामान्य की भाषायें अलग रूप ग्रहण कर रही थीं। फिर भी उत्तर भारत के राजवंशों में महाराष्ट्र से बंगाल तक अपभ्रंश एक लंबे समय तक राजभाषा बनी रही। राजाओं की यशोगाथायें इसी भाषा में छंदोबद्ध की गई।

दक्षिण भारत की भाषा-स्थिति भी देशी भाषाओं के अनुकूल थी। "1347 ई. दक्षिण के मुसलमान सरदारों ने दिल्ली साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया और हसनगंज के नेतृत्व में गुलबर्गा में बहमनी वंश के राज्य में दक्खिनी भाषा बोली तथा समझी जाती थी। वह एक प्रकार की सामान्य भाषा थी, इसलिए शासन उसे राजभाषा का पद देने में विवश हो गया था।"[2]

प्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ता ने लिखा है, "बहमनी राज्य के दफ्तरों में हिन्दी जुबान प्रचलित थी। सल्तनत ने उसे सरकारी जुबान का नाम दे रखा था। बहमनी राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने पर भी हिन्दी का यह पद उत्तराधिकारी रियासतों ने कायम रखा।"[3]

हिन्दी के मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रजभाषा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने जहाँ इसे जनभाषा की चहेती बनाया, वहीं रीतिकाल के कवियों और आचार्यों ने इसे व्याकरण सम्मत रूप दिया। पंजाब से बंगाल तब ब्रजभाषा की मधुर मुरली शताब्दियों तक गूँजती रही। खड़ीबोली हिन्दी का भी समानांतर विकास हो रहा था। हिन्दी के सबसे पहले कवि अमीर खुसरो ने खड़ीबोली में ही कविता आरंभ की थी जो मध्य युग में आम बोलचाल की भाषा के रूप में उत्तर से दक्षिण तक फैली थी। अलाउद्दीन की दक्षिण

1. "हिन्दी समस्या और समाधान," बलराज सिरोही, पृष्ठ 19
2. "राजभाषा हिन्दी विकास के विविध आयाम,–डॉ मलिक मोहम्मद, पृष्ठ 60
3. "दक्खिनी हिन्दी", बाबूराम सक्सेना–पृष्ठ 34

[illegible] राजभाषा के संबंध में श्री आयंगर ने मसौदा तैयार किया जिस पर विचार करने के लिए 2 सितंबर 1949 को कांग्रेस दल की बैठक हुई। विचारणीय विषय था कि सदन के समक्ष प्रारूप समिति की ओर से यह मुद्दा लाया जाय अथवा व्यक्तिगत रूप से। इस पर भी दो मत थे। अतः अंत में व्यक्तिगत रूप से यह प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। (सदस्यों की सूची परिशिष्ट–1)

4.1.3 संविधान सभा में चर्चा के विषय

संविधान के 17वें भाग में धारा 343 से 351 तक राजभाषा विषयक प्रावधान है। अनुच्छेदों की विषयवस्तु को मुख्य रूप से छः विषयों में बाँटा जा सकता है :

क. संघ की राजभाषा
ख. लिपि व्यवस्था
ग. अंक व्यवस्था
घ. प्रादेशिक भाषायें
ङ न्यायालयों की भाषा
च. सामयिक विशेष निदेश

इनमें पहले तीन पर इस अध्याय में तथा प्रादेशिक भाषाओं, न्यायालय की भाषा और सामयिक विशेष निदेश पर चर्चा अगले अध्याय (4.2) में करेंगे।

4.1.3 क. संघ की राजभाषा

सेठ गोविंद दास आरंभ से ही इस बात पर बल देते रहे कि सभा की समस्त कार्रवाई हिन्दुस्तानी में होनी चाहिए। 19 अगस्त 1947 को उन्होंने माँग की थी कि मूल संविधान हिन्दी में ही बने तथा इसका हिन्दी रूप ही प्राधिकृत रूप से होना चाहिए।

30 जुलाई 1949 को भी उन्होंने कहा था कि भाषा का प्रश्न हल कर लिया जाय तथा इसका निर्णय कर लिया जाना चाहिए।

संविधान सभा के सामने अनेक सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर से एक प्रस्ताव भी रखा कि "हम लोग इस बात के पक्ष में हैं कि भारत के संविधान में यह रखा जाय कि राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि क्रमशः हिन्दी और देवनागरी होगी। राष्ट्रसंघ संसद में सब काम हिन्दी और देवनागरी अक्षरों के द्वारा अथवा उस समय तक के लिए जो संघ संसद निश्चित करे, अंग्रेजी में होगी।" इस पर विभिन्न क्षेत्रों के सदस्यों ने हस्ताक्षर किये। जिनमें दक्षिण के श्री गोपाल स्वामी आयंगर, प्रोफेसर रंगा, श्री अलगुसेन, श्री विमलाराव, श्री अनंत शयनम आयंगर, डॉ. पट्टाभिसीतारमटया तथा श्री विश्वनाथ दास; श्री काला वेंकटराव पूर्वी क्षेत्र के श्री गुहा, श्री मजूमदार

श्री युधिठिठर सिंह, श्री चालिह; पश्चिम क्षेत्र के श्री निजलिंगप्पा, श्री गुप्ते, श्री पाटस्कर, श्री जैन आदि के हस्ताक्षर थे। इनके अतिरिक्त लगभग सभी हिन्दी भाषा भाषियों के हस्ताक्षर थे।"[1]

4 नवंबर 1948 को कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ तो सेठ गोविंददास का पहला प्रश्न था, "मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब हम संविधान संबंधी परिच्छेदों, अनुच्छेदों पर बातचीत करेंगे तो हमारी भाषा कौन-सी होगी? जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता तब तक जो धारायें हम अंग्रेजी में पास करेंगे क्या वे भाषा संबंधी निर्णय होने के पश्चात फिर से हिन्दी में आयेंगी ?"[2]

अध्यक्ष महोदय का आश्वासन थ कि तब केवल ड्राफ्ट पर विचार होगा, धारा के संबंध में नहीं। तब केवल यह देखा जायेगा कि तर्जुमा ठीक हुआ है अथवा नहीं। श्री बालकृष्ण शर्मा ने पुनः दोहराया कि "प्रत्येक खंड को जिस रूप में सभा ने संशोधित किया है या अनुवाद किया उसे ही पास करें ताकि कुछ समय पश्चात जब अंग्रेजी दृट जाएगी तो मूलरूप में विधान हिन्दी भाषा में स्वीकृत समझा जाए और प्रामाणिक विधान माना जाए। उन्होंने आग्रह किया कि मेरे कुछ दक्षिण भारतीय मित्रों को उस समय कुछ कठिनाई तो अवश्य होगी जब खंड 99 पर विचार होगा तथा भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी घोषित की जायेगी, किन्तु मेरे विचार में जिस प्रकार से अंग्रेजी न जाननेवाले सदस्य अपने मित्रों पर विश्वास कर रहे हैं उसी प्रकार अहिन्दी भाषी मित्र भी अपने साथियों की सद्‌बुद्धि पर अवश्य विश्वास करेंगे।"[3]

श्री आर. वी. धुलेकर का वक्तव्य हिन्दी में उन्होंने कहा था, "चाहे बहस किसी भी भाषा में हो, किन्तु मूल विधान उसी भाषा में माना जाए जो राष्ट्रीय भाषा होगी। अंग्रेजी का विधान उसका अनुवाद माना जाए अन्यथा अंग्रेजी से हिन्दी अनूदित विधान स्वीकार करना हमारे लिए अपमानजनक होगा। ऐसा पहले किसी राष्ट्र में नहीं हुआ।"[4]

विश्वंभर दयाल त्रिपाठी ने अपनी भाषा का पक्ष लेते हुए कहा, "हमारा देश विशाल है। अभी यह संभव नहीं है कि एक भाषा समस्त राष्ट्र के लिए हो किन्तु एक स्वतंत्र राष्ट्र का निवासी होने के नाते अब हमें एक ऐसी भाषा विकसित करनी है जो भारत की राष्ट्रभाषा का रूप धारण कर सके। मेरा सुझाव है कि (1) प्रत्येक प्रांत में सरकार तथा लोगों के बीच का कार्य लोगों की भाषा में होना चाहिए, (2) यद्यपि अंग्रेजी हम पर लादी गई है, उसे कुछ समय के लिए अंतर्प्रांतीय व्यवहार के

---

1. "हिन्दी भाषा आंदोलन," संकलनकर्ता: लक्ष्मीचंद, पृष्ठ 24-25
2. "भारतीय विधान परिषद–बहस की सरकारी रिपोर्ट," अंक 7, पृष्ठ 37
3. "भारतीय विधान परिठाद–बहस की सरकारी रिपोर्ट, अंक 7, पृष्ठ 37
4. वही, पृष्ठ 38

के अंदर भी इस विषय में मतभेद थे। राजभाषा के संबंध में मुंशी आयंगर ने मसौदा तैयार किया जिस पर विचार करने के लिए 2 सितंबर 1949 को कांग्रेस दल की बैठक हुई। विचारणीय विषय था कि सदन के समक्ष प्रारूप समिति की ओर से यह मुद्दा लाया जाय अथवा व्यक्तिगत रूप से। इस पर भी दो मत थे। अतः अंत में व्यक्तिगत रूप से यह प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। (सदस्यों की सूची परिशिष्ट–1)

4.1.3 संविधान सभा में चर्चा के विषय

संविधान के 17वें भाग में धारा 343 से 351 तक राजभाषा विषयक प्रावधान है। अनुच्छेदों की विषयवस्तु को मुख्य रूप से छः विषयों में बाँटा जा सकता है :

क. संघ की राजभाषा
ख. लिपि व्यवस्था
ग. अंक व्यवस्था
घ. प्रादेशिक भाषायें
ङ न्यायालयों की भाषा
च. सामयिक विशेष निदेश

इनमें पहले तीन पर इस अध्याय में तथा प्रादेशिक भाषाओं, न्यायालय की भाषा और सामयिक विशेष निदेश पर चर्चा अगले अध्याय (4.2) में करेंगे।

4.1.3 क. संघ की राजभाषा

सेठ गोविंद दास आरंभ से ही इस बात पर बल देते रहे कि सभा की समस्त कार्रवाई हिन्दुस्तानी में होनी चाहिए। 19 अगस्त 1947 को उन्होंने माँग की थी कि मूल संविधान हिन्दी में ही बने तथा इसका हिन्दी रूप ही प्राधिकृत रूप से होना चाहिए।

30 जुलाई 1949 को भी उन्होंने कहा था कि भाषा का प्रश्न हल कर लिया जाय तथा इसका निर्णय कर लिया जाना चाहिए।

संविधान सभा के सामने अनेक सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर से एक प्रस्ताव भी रखा कि "हम लोग इस बात के पक्ष में हैं कि भारत के संविधान में यह रखा जाय कि राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि क्रमशः हिन्दी और देवनागरी होगी। राष्ट्रसंघ संसद में सब काम हिन्दी और देवनागरी अक्षरों के द्वारा अथवा उस समय तक के लिए जो संघ संसद निश्चित करे, अंग्रेजी में होगी।" इस पर विभिन्न क्षेत्रों के सदस्यों ने हस्ताक्षर किये। जिनमें दक्षिण के श्री गोपाल स्वामी आयंगर, प्रोफेसर रंगा, श्री अलगुसेन, श्री विमलाराव, श्री अनंत शयनम आयंगर, डॉ. पट्टाभिसीतारमटया तथा श्री विश्वनाथ दास; श्री काला वेंकटराव पूर्वी क्षेत्र के श्री गुहा, श्री मजूमदार

श्री युधिठिठर सिंह, श्री चालिह; पश्चिम क्षेत्र के श्री निजलिंगप्पा, श्री गुप्ते, श्री पाटस्कर, श्री जैन आदि के हस्ताक्षर थे। इनके अतिरिक्त लगभग सभी हिन्दी भाषा भाषियों के हस्ताक्षर थे।"[1]

4 नवंबर 1948 को कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ तो सेठ गोविंददास का पहला प्रश्न था, "मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब हम संविधान संबंधी परिच्छेदों, अनुच्छेदों पर बातचीत करेंगे तो हमारी भाषा कौन-सी होगी? जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता तब तक जो धारायें हम अंग्रेजी में पास करेंगे क्या वे भाषा संबंधी निर्णय होने के पश्चात फिर से हिन्दी में आयेंगी ?"[2]

अध्यक्ष महोदय का आश्वासन थ कि तब केवल ड्राफ्ट पर विचार होगा, धारा के संबंध में नहीं। तब केवल यह देखा जायेगा कि तर्जुमा ठीक हुआ है अथवा नहीं। श्री बालकृष्ण शर्मा ने पुनः दोहराया कि "प्रत्येक खंड को जिस रूप में सभा ने संशोधित किया है या अनुवाद किया उसे ही पास करें ताकि कुछ समय पश्चात जब अंग्रेजी दूट जाएगी तो मूलरूप में विधान हिन्दी भाषा में स्वीकृत समझा जाए और प्रामाणिक विधान माना जाए। उन्होंने आग्रह किया कि मेरे कुछ दक्षिण भारतीय मित्रों को उस समय कुछ कठिनाई तो अवश्य होगी जब खंड 99 पर विचार होगा तथा भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी घोषित की जायेगी, किन्तु मेरे विचार में जिस प्रकार से अंग्रेजी न जाननेवाले सदस्य अपने मित्रों पर विश्वास कर रहे हैं उसी प्रकार अहिन्दी भाषी मित्र भी अपने साथियों की सद्बुद्धि पर अवश्य विश्वास करेंगे।"[3]

श्री आर. वी. धुलेकर का वक्तव्य हिन्दी में उन्होंने कहा था, "चाहे बहस किसी भी भाषा में हो, किन्तु मूल विधान उसी भाषा में माना जाए जो राष्ट्रीय भाषा होगी। अंग्रेजी का विधान उसका अनुवाद माना जाए अन्यथा अंग्रेजी से हिन्दी अनूदित विधान स्वीकार करना हमारे लिए अपमानजनक होगा। ऐसा पहले किसी राष्ट्र में नहीं हुआ।"[4]

विश्वंभर दयाल त्रिपाठी ने अपनी भाषा का पक्ष लेते हुए कहा, "हमारा देश विशाल है। अभी यह संभव नहीं है कि एक भाषा समस्त राष्ट्र के लिए हो किन्तु एक स्वतंत्र राष्ट्र का निवासी होने के नाते अब हमें एक ऐसी भाषा विकसित करनी है जो भारत की राष्ट्रभाषा का रूप धारण कर सके। मेरा सुझाव है कि (1) प्रत्येक प्रांत में सरकार तथा लोगों के बीच का कार्य लोगों की भाषा में होना चाहिए, (2) यद्यपि अंग्रेजी हम पर लादी गई है, उसे कुछ समय के लिए अंतर्प्रांतीय व्यवहार के

---

1. "हिन्दी भाषा आंदोलन," संकलनकर्ता: लक्ष्मीचंद, पृष्ठ 24-25
2. "भारतीय विधान परिषद–बहस की सरकारी रिपोर्ट," अंक 7, पृष्ठ 37
3. "भारतीय विधान परिठाद–बहस की सरकारी रिपोर्ट, अंक 7, पृष्ठ 37
4. वही, पृष्ठ 38

लिए रहने देना चाहिए, (3) हमें देवनागरी लिपि के साथ हिन्दी को अपनी राष्ट्रभाषा स्वीकार करना चाहिए। हमें इसी विधान पर और समय निश्चित कर लेना चाहिए कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा होगी, यद्यपि तब तक अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में रहे।''[1]

त्रिपाठी जी ने संविधान की वर्तमान भावनाओं के अनुकूल सुझाव दिया था, जिससे भाषा कार्यान्वयन में कठिनाई न आये, किन्तु हिन्दी राजभाषा के रूप में हो ऐसा उनका मंतव्य स्पष्ट था। संविधान सभा की राजभाषा संबंधी बहस से क्षेत्रीयता एवं राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा स्पष्ट रूप से सामने आ रही थी, क्योंकि विभिन्न सदस्य अपने क्षेत्र की भाषा को इस पद के योग्य सिद्ध करना चाहते थे। अलग-अलग भाषाओं अंग्रेजी, हिन्दी, हिन्दुस्तानी, संस्कृत, बांगला के लिये दावे प्रस्तुत किये गये। ''भाषा के प्रश्न पर जब बहस आरंभ हुई तो बैठक में सदस्यों की संख्या अभूतपूर्व थी। इससे पता चलता है कि सदस्य इस प्रश्न को कितने महत्त्व की दृष्टि से देखते थे।''[2]

दो-तीन दिन तक लगातार यह प्रश्न सभी महत्त्वपूर्ण अखबारों की मुख्य सुर्खियों में रहा। राजभाषा हिन्दी के अतिरिक्त सदस्यों द्वारा अन्य भाषाओं के पक्ष में दिये गये तर्कों का विवेचन करना समीचीन प्रतीत होता है जिससे विधान सभा सदस्यों की भावनाओं का समीप से आभास किया जा सके।

एन 'गोपाल स्वामी आयंगर ने अंग्रेजी का पक्ष लेते हुए कहा' ''मेरे विचार में इस भाषा द्वारा हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है और इस पर अपनी आजादी की इमारत खड़ी की है।''[3]

नसीरुद्दीन अहमद ने अंग्रेजी को समस्त संसार की भाषा कहा और जापान का उदाहरण दिया। ''जापान ने स्वेच्छा से अंग्रेजी को राजभाषा बनाया।

ये लोग अमेरिका तथा अन्य देश में अंग्रेजी सीखने गये। इस भाषा के द्वारा विज्ञान, नवीन चिंतन और कार्यकलापों का पूरा संसार उनके सामने उपस्थित हो गया।

यदि दुर्भाग्यवश जापान को पिछले महायुद्ध में न कूदना पड़ता तो जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा बनाया जाए। यह अनिवार्यता भले ही अरूचिकर हो पर यह अपरिहार्य है।''[4]

श्री टी. टी, कृष्णमाचारी (मद्रास) ने पं. बालकृष्ण द्वारा हिन्दी के पक्ष में दिये गये वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रया व्यक्त करते हुए कहा–

1. संविधान सभा की सरकारी रिपोर्ट–बहस 9.11.1948, पृष्ठ 404 शून्य 8
2. दैनिक पत्र, हिन्दू, 13 सितंबर 1949
3. संविधान सभा बहस नई दिल्ली, 12 सितबंर 1949'', ग्रंथ 9 सं. 32, पृष्ठ 1317
4. संविधान सभा बहस, 12 सितंबर 1949'', पृष्ठ 1331

"जिन लोगों के बारे में मेरी यह धारणा रही है कि वे अत्यंत मनीषी, अत्यंत सभ्य तथा कलाप्रेमी हैं उन्हीं लोगों को कल मैंने कुछ असहिष्णुता व कुछ मात्रा में विचार हीनता प्रदर्शित करते देखा है। मेरा संकेत एक ऐसी साम्राज्य प्रवृत्ति से है जो हम पर छा जाना चाहती है और यदि उस प्रवृत्ति को अबाधरूपेण अंत तक कार्य करने दिया गया तो वह उस प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप विशेष प्रकार की घोर निरंकुश समस्या की स्थापना कर देगा, जो प्रतिक्रिया को प्रकृति के भावी भारत के संघ को इकाइयों में कार्य करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होगी। मेरा संकेत भाषा की साम्राज्य प्रवृत्ति की ओर है। यह निर्विवाद सत्य है कि इस देश का एक बड़ा भाग एक विशेष भाषा बोलनेवाला है। यदि मैं हिन्दीभाषी होता तो मैं भी अवश्य उस दिन का स्वप्न देखता जिस दिन हिन्दी भाषा–भाषी प्रदेश शक्तिशाली एवं सुसंगठित राष्ट्र बन जायेगा। किन्तु मैं पूछता हूँ कि अन्य प्रदेशों का क्या होगा?

दक्षिण भारत में अंग्रेजी से घृणा की जाती थी, किन्तु अब जाती रही। यदि इस उम्र में शिकायतें सुनने और करने के लिए हमें हिन्दी सीखने के लिए विवश किया जायेगा तो यह असंभव है। . . . मैं दक्षिण भारतीयों की ओर से चेतावनी दूँगा जो पृथक होना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि संपूर्ण शक्ति लगाकर उन विचारों को न पनपने दें, किन्तु संयुक्त प्रांत के लोग हिन्दी संबंधी प्रसंग बार-बार दोहराकर इस मामले में हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। अतः यह संयुक्त प्रांत के मित्रों के हाथ में है कि वे अखंड भारत की स्थापना करें अथवा हिन्दी भारत की।"[1]

एंग्लो इंडियन सदस्य फ्रेंक एन्थनी ने अंग्रेजी के प्रति कटुता त्यागने का आग्रह करते हुए कहा–

"पिछले 200 वर्षों में अंग्रेजी भाषा का जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए भारत की महान निधि है। मैं बलपूर्वक कहने को तैयार हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के अग्रणी होने के दावे का आधार एवं अन्य देशों द्वारा इस प्रकार की महल्ला प्राप्त करने का एकमात्र कारण यही है कि विदेशों में रहनेवाले हमारे प्रतिनिधि अतंर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिकारपूर्ण अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।"

डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी ने कहा, "अंग्रेजी के माध्यम से संसार के अनेक भागों की संस्कृति के द्वार हमारे लिए खुल गये, विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी की जानकारी इसके बिना मुश्किल थी।"[2]

इसी से मिलती–जुलती बात पं. जवाहर लाल नेहरू ने भी कही थी, "हमारी भाषा का प्रयोग आवश्यक है किन्तु अंग्रेजी भी भारत की महत्त्वपूर्ण भाषा बनी रहनी चाहिए, निस्संदेह अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा हैं।"[3]

---

1. संविधान सभा बहस, 5 नवंबर 1948, पृष्ठ 146
2. संविधान सभा, बहस, नई दिल्ली 1949, वाल्यूम 9 नं. 32, सितंबर 12, 1949, पृष्ठ 1390
3. वही, पृष्ठ 1414

उपरोक्त कथनों के एकदम विपरीत कथन का अवलोकन भी करना अनिवार्य है जिसमें सदस्यों ने अंग्रेजी का विरोध किया तथा अपनी स्वदेशी भाषा पर बल दिया। उत्तर प्रदेश के श्री आर. वी. धुलेकर ने कहा–

"जिन लोगों की अंग्रेजी में अनास्था थी, बल्कि यूँ कहिए कि अंग्रेजी को भुला दिया था, उन्होंने ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, क्योंकि अंग्रेजी इतनी विषैली है कि इसका प्रचलन देश को नष्ट कर देगा।"[1]

लक्ष्मी नारायण साहू ने अंग्रेजी समर्थकों की तुलना उस शराबी से की जो यह समझता है कि "नशेबंदी से उसकी मृत्यु हो जायेगी।"[2]

श्री साहू ने वास्तव में भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए दृढ़ निश्चय एवं आत्म विश्वास का आह्वान किया था क्योंकि कोई भी व्यक्ति नशा नहीं छोड़ पाता क्योंकि उसका आंतरिक भय उसे कोई भी कदम उठाने की अनुमति नहीं देता।

अंग्रेजी के पक्षधरों के अतिरिक्त कुछ सदस्यों ने संस्कृत का पक्ष लिया। उनका तर्क था कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। यह इतनी समृद्ध भाषा है कि विश्व की बहुत–सी भाषाओं ने इससे शब्द लिये हैं। लक्ष्मीकांत मैत्र ने संस्कृत का पक्ष लिया। उनका विचार था कि संस्कृत भारतवर्ष की वह निधि है जो अद्वितीय है, न केवल उत्तर, बल्कि दक्षिण भारत की भाषाओं ने भी इससे शब्द लेकर अपना रूप सँवारा है। लेकिन उनका यह मत इसलिए था क्योंकि भाषा संबंधी विवाद उत्पन्न हो गया है, अन्यथा वे हिन्दी के पक्षधर थे। उन्होंने कहा "संस्कृत की शब्दावली प्राचीनतम है। इसका प्रयोग गहन दर्शन, विज्ञान, सुगम साहित्य सभी में हो सकता है।" आगे उन्होंने कहा, "मेरे विचार में भाषा का संपूर्ण अध्याय या तो एकसाथ स्वीकार कर लिया जाए अथवा निकाल दिया जाए। इसका यह मतलब नहीं कि यंत्रतंत्र थोड़े परिवर्तन के लिए जायें, परंतु यह बात हमें कदाचित स्वीकार नहीं होगी कि पहले भाग को, जिसमें यह कहा गया है कि देवनागरी लिपि में हिन्दी देश की भाषा होगी तो मान लिया जाए और शेष उपबंधों का बहिष्कार कर दिया जाए, हिन्दी को इस शर्त पर स्वीकार किया जा सकता है कि बाकी उपबंध भी मान लिए जायेंगे।"[3]

कुलाधर छलिया, जो असम क्षेत्र से थे ने संस्कृत का पक्ष लिया। उनका विचार था कि संस्कृत के साथ ही भारत का विकास हुआ है। उन्होंने कहा, "संस्कृत हमारी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। संस्कृत और भारत का विकास साथ-साथ हुआ है। हमारी सांसें इस भाषा के साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे जीवन-मूल्यों के निर्माण में संस्कृत भाषा के दर्शन ग्रंथों का बहुत बड़ा हाथ है।"[4]

---

1. संविधान सभा, बहस, पृष्ठ 1349
2. वही, पृष्ठ 1369
3. संविधान सभा, बहस नई दिल्ली 1949, पृष्ठ 1357–58
4. वही, पृष्ठ 1402

किन्तु अनेकानेक सदस्यों ने संस्कृत की क्लिष्ठता तथा बोलने वालों की कम संख्या के कारण इसका पक्ष नहीं लिया। इसके अतिरिक्त बंगाली का तर्क दिया गया किन्तु जिन सदस्यों ने बंगला भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का विचार दिया था उनसे आत्म विश्वास की कमी की झलक स्पष्ट होती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि जो वे कहने जा रहे हैं उन्हें स्वयं ही उसे मानने में झिझक थी।

सतीश चंद सामंत, जो पश्चिमी बंगाल से थे, ने कहा, "केवल इस आधार पर हिन्दी का पक्ष लेना कि अधिक संख्या में लोग इसे बोलते हैं, समझते हैं उचित नहीं, इससे महत्त्वपूर्ण मानदंड है कि जो भी भाषा राजभाषा स्वीकार की जाए वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए। बंगाली भाषा आक्सफोर्ड, वार्ता आदि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। हावर्ड में रवींद्र पीठ है, और टैगोर का नाम सारा संसार जानता है। फिर भी में कहना चाहूँगा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं उस निर्णय को मानने को तैयार हूँ जो इस सदन द्वारा बहुमत से लिया जायेगा।"

इसके अतिरिक्त कुछ सदस्यों ने हिन्दी-उर्दू मिश्रित हिन्दुस्तानी का पक्ष लिया। सदस्यों का मत था कि हिंदुस्तानी को राजभाषा स्वीकार करने से हिन्दु-मुस्लिमों के बीच की खाई समाप्त हो जायेगी। इसके साथ ही क्षेत्रीयता की दीवार भी टूट जायेगी, क्योंकि इसमें बहुत-सी भाषाओं का सम्मिश्रण है।

हिंदुस्तानीः उत्तर प्रदेश से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने राजभाषा के रूप में हिंदुस्तानी को स्वीकार करने के लिए जोरदार अपील की थी। उनका विचार था कि हिन्दी-उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी राजभाषा स्वीकार करने से हिन्दू-मुसलमानों के बीच की दूरी को मिटाया जा सकता है। श्री हुकमसिंह जो पंजाब से थे तथा पहले हिन्दी के समर्थक थे बाद में अपना मंतव्य बदल कर हिंदुस्तानी के पक्षधर हो गये। उनके विचार में हिन्दी में अधिक कट्टरपन एवं अनुदारता है, अतः उन्होंने कहा, "मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने हिन्दी के समर्थकों के कट्टरपन और अनुदारता के दृष्टिकोण को देखकर इस भाषा को अपना समर्थन देना बंद कर दिया है।"२

इसके विपरीत कुछ सदस्यों का मत था कि हिन्दुस्तानी हिन्दी भाषा की ही एक शैली मात्र है, अतः मूल को छोड़कर उसके आश्रित को यह महत्त्वपूर्ण स्थानं नहीं दिया जा सकता। मध्य प्रदेश के डॉ. रघुबीर का मत था कि हिन्दुस्तानी उर्दू का दूसरा नाम है जबकि कुछ लोग इसे हिन्दी एवं उर्दू का मिश्रित रूप मानते हैं। जिस भाषा के नाम में अर्थ भेद हो

उसे राजभाषा नहीं बताया जा सकता उन्होंने कहा—"मैं न हिन्दी का पक्ष ले रहा हूँ न उर्दू का मैं आपके सामने केवल नामकरण की समस्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि यह मामला एक विधान अधिकरण के सामने जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों पेश करें, और हिन्दुस्तानी शब्द और इससे संबंधित सभी प्रमाण इस अधिकरण के सामने रख दें तो उनका सर्वसम्मत निर्णय यही होगा कि हिन्दुस्तानी

उर्दू है"।[1]

इन भाषाओं के अतिरिक्त हिन्दी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिऐ विचार दिये गये। आयंगर फार्मूले को लगभग मान लिया गया था तथा इसके अनुसार हिन्दी को संघ की राजभाषा तथा देवनागरी को लिपि के रूप में प्रस्ताव रखा गया था। यह नहीं कि केवल हिन्दी भाषी सदस्यों ने ही हिन्दी का पक्ष लिया हो, बल्कि अधिकतर अहिन्दी भाषी सदस्यों ने ही हिन्दी के पक्ष में अपने विचार दिये थे। पश्चिमी बंगाल के श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने बड़े विद्वतापूर्ण ढंग से हिन्दी के पक्ष में अपना विचार रखा उन्होंने कहा "हिन्दी को राजभाषा मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि देश की अधिकतम जनता इसे समझती है। यदि 32 करोड़ लोगों में से 14 करोड़ जनता इसे समझती हो तथा यह भाषा क्रमिक विकास में भी समर्थ हो तो हमारा विचार है कि इसे समस्त भारत के लिए स्वीकार कर लेना चाहिए, परंतु यह इस प्रकार होना चाहिए कि इससे राजकार्य अथवा प्राशनिक कामों के स्तर में कोई अपकर्ष न आये आये और नही किसी प्रकार से देश इतनी भाषाओं की प्रगति में कोई विध्न पड़े"[2] मद्रास की सदस्या जी, दुर्गाबाई देशमुख ने हिन्दी का जोरदार शब्दों में समर्थन किया, किन्तु उनकाविचार था कि यह हिन्दी क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आयंगर फार्मूले को लागू करने का पक्ष लिया। उत्कल निवासी श्री लक्ष्मी नारायण साहू ने हिन्दी का समर्थन किया तथा जी. दुर्गाबाई के कथन पर कटाक्ष भी किया, ''अध्यक्ष महोदय मैं उत्कल निवासी हूँ परंतु मैं हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का पूरा समर्थन करता हूँ यह मुमकिन नहीं कि कोई भाषा तो अपना ली जाए किन्तु उसके साहित्य का परित्याग कर दिया जाए। ऐसी हिन्दी का निर्माण नितांत असंभव है जिसमें ऐसे सरल शब्द हों जो देश के सभी जनसाधारण आसानी से समझ लें। यह स्थिति कभी नहीं आ सकती।''[3]

आयंगर का कहना था कि ''उच्चतम न्यायालय तथा न्यायालयों की समस्त कार्यवाही और सभी विधान मंडलों में प्रस्तुत किये जानेवाले बिलों और प्रस्तावों तथा अन्य समस्त आदेश का प्रमाणिक मजमून अंग्रेजी में होगा, क्योंकि इन कार्यो के लिए हिन्दी में अंग्रेजी की–सी सूक्ष्मता नहीं है।''[4]

श्री करीमुद्दीन का विचार था कि भाषा के प्रश्न को अभी भविष्य के लिए छोड़ देना चाहिए। उनके विचार में अभी इस मामले को उठाने से देश में हलचल होने की संभावना हो जायेगी। उन्होंने कहा, ''देश के विभाजन का जख्म अभी ताजा है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सांप्रदायिक निर्वाचक वर्ग के आधार पर हुआ

1. संविधान सभा बहस, नई दिल्ली, 1949] पृष्ठ 1376
2. वही, पृष्ठ 1436
3. संविधान सभा बहस नई दिल्ली, वोल्यूम 9, 1949, पृष्ठ 1368
4. कंस्टीटूयेंट असेंब्ली ऑफ इंडिया, 1949 वाल्यूम 9, पृष्ट 1437

है इसलिए समझदारी इसी में है कि भाषा के प्रश्न पर सोच-विचार अभी स्थगित कर दिया जाए।"[1]

आर. वी. धुलेकर जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते थे तथा चाहते थे कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा का निर्णय तत्काल किया जाना चाहिए। वे इस हक में नहीं थे कि इस मामले को अधिक लंबित किया जाये। उनका विचार था कि अधिक देर करने से मामला खटाई में पड़ेगा और अंग्रेजों की नीति पूर्णतया सफल सिद्ध होगी जिसके आधार पर वे भारतीयों को मानसिक तौर पर गुलाम बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा, "लार्ड मैकाले की प्रेतात्मा क्या कहेगी? वह जरूर हम पर हँसेगी और कहेगी, 'ओल्ड जानीवाकर में अभी काफी जान है, और कहेगी 'हिन्दुस्तानियों पर अंग्रेजी भाषा का इतना जादू है कि वे इसे 15 वर्ष तक और बनाये रखेंगे'। कुछ सदस्यों का कहना है कि यह 20 वर्ष तक बनी रहेगी। कुछ इस अवधि को 50 वर्ष बताते हैं और अभी कुछ लोगों का कहना है कि मालूम नहीं कि कब तक यह हमारे देश की राजभाषा बनी रहेगी।"[2]

इसके अतिरिक्त कुछ सदस्यों का मत था कि यह राष्ट्रीय महत्त्व का मामला है। यदि 15 वर्षों में इसका हल निकल सकता है तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अतिरिक्त इसी मत का समर्थन करने वालों का विचार था कि किसी भी भाषा को सीखने में समय तो लगेगा ही। एकदम से कोई भाषा सीखी नहीं जा सकती। अतः चाहे अपने ही देश की भाषा क्यों न हो जब नये सिरे से सीखनी है तो उसमें समय तो अवश्य लगेगा।

मौलाना आज़ाद का विचार था–

"यदि राष्ट्रीय भाषा जैसी महत्त्वपूर्ण समस्या का हल पंद्रह वर्ष में मिल सके तो हमें यह समझौता मान लेना चाहिए क्योंकि यह बहुत सस्ता सौदा होगा।"[3]

कृष्णमूर्ति राव एस. वी. जो मैसूर के प्रतिनिधि थे, के विचार में 15 वर्ष की अवधि में हिन्दी का विकास एवं ऐसे समय तक अंग्रेजी जारी रखने का प्रावधान निश्चित रूप से सराहनीय है। भाषा सीखने में समय तो लगता ही है चाहे वह कोई भी क्यों न हो।

उन्होंने कहा, "यदि उत्तर के लोग दक्षिण की भाषा सीखें तो उन्हें भी पंद्रह वर्ष से कम समय नहीं लगेगा। इस भाषा को केवल भारत के लोग ही नहीं बल्कि जो भारत में अन्य देश के राजनयिक और वाणिज्यिक प्रतिनिधि हैं उन्हें भी यह भाषा सीखनी होगी। इसके लिए पंद्रह वर्ष का समय जरूरी है।"[4]

---

1. कंस्ट्टीटूयेंट असेंब्ली ऑफ डिबेट, नई दिल्ली, 1949, वाल्यूम 9, सं. 33, पृष्ठ 1393
2. कंस्ट्टीयूयेंट एसेंबली ऑफ इंडिया, 1949, वाल्यूम 9, 1938
3. वही
4. कंस्टीट्यूयेंट असेंबली डिबेट, वाल्यूम 9, नं. 33, पृष्ठ 1394

संविधान सभा की चर्चा के समय से पूर्व यह तो निश्चित हो गया था कि हिन्दी ही संविधान में संघ की राजभाषा स्वीकार की जायेगी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जितने भी नेता थे उन सभी ने हिन्दी के पक्ष में अपने विचार दिये। स्वतंत्रता से पूर्व ही हिन्दी की राजभाषा के रूप में आधार भूमि तैयार हो चुकी थी उस समय किसी भी रूप में इसका विरोध नहीं हुआ, जो भी छुटपुट विरोध हुआ वह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हुआ। क्योंकि इससे पूर्व तो एक ही लक्ष्य समस्त नेताओं के सामने था और वह था स्वतंत्रता प्राप्ति।

संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिये जाने के साथ-साथ कि हिन्दी संघ की राजभाषा होगी लिपि के विषय में भी निर्णय लिया गया, जिसमें देवनागरी को लिपि स्वीकार किया गया।

4.1.3 (ख) लिपि व्यवस्था

लिपि के प्रश्न पर भी काफी तर्क–वितर्क हुआ। संविधान सभा द्वारा लिपि संबंधी निर्णय एक अति महत्त्वपूर्ण निर्णय था। संविधान की धारा 343 (1) में ही स्पष्ट उल्लेख है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।[1]

लिपि संबंधी निर्णय के समय देवनागरी, रोमन, फारसी अथवा उर्दू तीन लिपियों पर विचार किया गया। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि श्री हुकम सिंह पहले हिन्दी के पक्ष में थे, किन्तु बाद में हिन्दुस्तानी का पक्ष लेने लगे उन्होंने लिपि के विषय में रोमन लिपि का पक्ष लेते हुए सुझाव दिये :

1. "सशस्त्र सेना के जवान रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं उत्तर तथा दक्षिण के सभी लोग इसे आसानी से सीख सकते हैं।"[2]
2. अपेक्षाकृत अधिकांश लोग लिपि में प्रवीण हैं।
3. परिवर्तन के बिना देवनागरी लिपि मुद्रण के लिए अनुपयुक्त होगी।
4. हॉट एंड डैसिज के यत्र-तत्र बढ़ाने के पश्चात रोमन लिपि हमारे मतलब के अनुकूल बन जाती है। ऐसा करने से रेल की सारणी, स्थानों के नाम, टेलिग्राफ कोड में कोई उलझन पैदा नहीं होगी।
5. इससे हम शेष दुनिया से जुड़ जायेंगे तथा इसी पर मैं सुभाषचंद बोस का उल्लेख करना चाहूँगा जिन्होंने इसी विधि की वकालत की थी।
6. सदन में जो तनातनी है वह इस लिपि के अपनाने से दूर हो जायेगी।[2]

फारसी अथवा उर्दू लिपि का पक्ष लेते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देवनागरी तथा उर्दू लिपि संयुक्त रूप से स्वीकार करने पर बल दिया, किन्तु खर्च, समय तथा जटिलता को देखते हुए बाद में उन्होंने देवनागरी लिपि को स्वीकार

---

1. भारत का संविधान, धारा 343 (1), भाग 17
2. शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय हिन्दी निदेशालय, परिवर्विद्धत देवनागरी दिल्ली, 1966, पृष्ठ 11

करने का पक्ष लेते हुए कहा, "कांग्रेस का निर्णय था कि देवनागरी और उर्दू लिपियों को अंगीकार किया जायेगा। इस निर्णय पर यह आपत्ति उठाई गई कि यदि इस निर्णय के कारण दोनों लिपियों को सरकारी दफ्तरों के दस्तावेज में बराबरी का दर्जा देना पड़े तो इसमें कई कठिनाइयां आएँगी। कर्मचारियों को अधिक काम करना पड़ेगा और खर्चा भी बढ़ जायेगा। मैं इस दलील के वजन को समझता हूँ इसलिए मैं इस बात पर सहमत हो गया हूँ कि सरकारी दफ्तरों के लिए देवनागरी लिपि को अंगीकार कर लिया जाए।"[1]

इस प्रकार विभिन्न लिपियों के बारें में भिन्नभिन्न विचार आये। देवनागरी लिपि के पक्ष में कई सदस्यों ने बहुत ही विद्वत्तापूर्ण तर्क दिये। श्री लक्ष्मीनारायण साहू ने कहा, "जब हिन्दी को रोमन लिपि में लिखा जाता है तब इसे समझने और उच्चारण में कठिनाई आती है। अतः मेरा कहना है कि रोमन लिपि सर्वथा अस्वीकार्य है। यह वीभत्स और अवैज्ञानिक है। देवनागरी में लिखी हुई हिन्दी ही सर्वाधिक वैज्ञानिक है और इसी का प्रयोग होना चाहिए।"[2]

फ्रैंक एंटोनी भी रोमन के पक्ष में थे। बाद में जब स्थिति विवादास्पद बनी तब उन्होंने हिन्दी का पक्ष लेना आरंभ किया। उनका कहना था, "विवाद आरंभ होने से पूर्व मैं इसे स्वयंसिद्ध समझता था कि हिन्दी ही देश की राष्ट्रभाषा होगी। उस समय लिपि के संबंध में मेरे मन में किसी ओर कोई विशेष झुकाव नहीं था, किन्तु अब स्थिति स्पष्ट है कि देवनागरी लिपि संसार की सरलतम लिपियों में से एक है।"[3]

श्री अलगुराय शास्त्री, जो एक प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक थे ने देवनागरी की तुलना अर्द्ध तथा रोमन लिपि से बड़े तर्कपूर्ण ढंग से की, उन्होंने कहा, "हम बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अ आ से आरंभ करते हैं। यदि हम अ, आ के स्थान पर 'ए' बोलें तो अवैज्ञानिक होगा। इससे बच्चों के प्रशिक्षण पर विपरीत असर पड़ेगा। ए, बी, सी, डी रोमन लिपि की वर्णमाला है। हम बोलते तो ए तथा बी हैं किन्तु हमारा तात्पर्य होता है अ, आ ब से। इसी प्रकार "स" की ध्वनि के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। यह सब अवैज्ञानिक है। रोमन लिपि धोर वीभत्स लिपि है। इसमें यह भारी त्रुटि है। उर्दू लिपि में भी इसी प्रकार त्रुटियाँ हैं जैसे कि रोमन में। उर्दू में वर्णो तथा ध्वनियों में अंतर रहता है। अलिफ का वर्ण अ अथवा आ ध्वनियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हम उच्चारण तो करते हैं लाम परंतु हमारा अभिप्रायः होता है ल। यदि हमें लोकर लिखना हो तो इस शब्द में उर्दू के ये वर्ण आयेंगे: लाभ, वाव, काफ, अलिफ और त। अतः उर्दू के वर्णों का उच्चारण से कोई संबंध

---

1. संविधान सभा, बहस, नई दिल्ली, 1949, पृष्ठ 1437
   संविधान सभा बहस, नई दिल्ली, 1949, पृष्ठ 1957
2. वही, पृष्ठ 1370
3. संविधान सभा बहस, रिपोर्ट, नई दिल्ली, 1949, पृष्ठ 1361

नहीं रहता।[1]

इस प्रकार संविधान सभा ने निर्णय लिया कि देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा होगी क्योंकि यह अत्यधिक सरल तथा सर्वाधिक वैज्ञानिक है।

लिपि के प्रश्न का निर्णय लेने के पश्चात अंकों का प्रश्न सामने आया।

4.1.3(ग) अंक व्यवस्था:

इस संबंध में भी काफी गर्मागर्म बहस हुई। डॉ. अंबेडकर द्वारा रचित पुस्तक थाट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस् में कहा गया है कि 26 अगस्त 1949 ई. की कांग्रेस पार्टी की बैठक में अंकों को स्वीकार करने के प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में केवल एक वोट का अंतर था। गृहमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका राजभाषा भारती में बृजकिशोर का लेख, "क्या हिन्दी एक वोट से राजभाषा बनी" जुलाई 2, 1978 में इसका उल्लेख किया गया है।[2]

संविधान में कहा गया है कि भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जायेगा। इस संबंध में दो मत थे। एक विचार था कि देवनागरी अंकों को स्वीकार किया जाए, किन्तु दूसरा मत था कि जिन अंकों को संसार के लगभग सभी देशों ने अपना लिया है उनको ही अपनाया जाए। इस संबंध में कई तक-वितर्क हुए। अधिकाधिक सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया।

देवनागरी अंकों के पक्षधर सदस्यों का मत था कि जब भाषा स्वदेशी है, लिपि भी स्वदेशी ली गई है तो अंक भी स्वदेशी होने चाहिए।

पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा, "हिन्दी अंकों का बहिष्कार नहीं किया जा रहा। इच्छानुसार कोई भी इनका प्रयोग कर सकता है। परंतु सरकारी काम में जहाँ बैंकिग, लेखा परीक्षण, जनगणना और अन्य अभी प्रकार के आँकड़े आते हैं, निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय अंकों का इस्तेमाल लाभप्रद होगा और इसके अतिरिक्त दूसरे भी बहुत से लाभ हैं। इन अंकों के द्वारा हमारे और दूसरे देशों के बीच व्यवधान नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि विज्ञान के विकास और उसके अनुप्रयोग में अंकों का काफी महत्त्व है"।

पं. जवाहर लाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को ध्यान में रख कर जो विचार व्यक्त किया संभवतया वह काफी सदस्यों को पसंद नहीं था तभी उन्होंने दोनों प्रकार के अंकों को स्वीकार करने की बात कही तथा निर्णय भावी पीढ़ी पर छोड़ने का आग्रह किया। पुरुषोत्तम दास टंडन का विचार था, "देवनागरी अंकों को स्वीकार न करने से किसी को लाभ तो नहीं होगा, किन्तु इससे हिन्दी को हानि

---

1. "संविधान सभा बहस, रिपोर्ट, नई दिल्ली", 1948, पृष्ठ 1360
2. 'राजभाषा', भारती, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार की पत्रिका, जुलाई 2 1978

जरूर होगी। अतः मेरा अनुरोध है कि दोनों प्रकार के अंकों को 15 वर्ष तक बनाये रखना चाहिए तथा फैसला भावी पीढ़ी पर छोड़ देना चाहिए।" उनका विचार स्पष्ट नहीं था, उन्होंने दोनों ही पलड़ों में पाँव रखना चाहा जबकि आवश्यकता थी किसी स्पष्ट निर्णय की। तत्काल निर्णय न लेकर भावी पीढ़ी पर किसी समस्या को अंतरित कर देने का विचार किसी भी प्रकार से बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता। इससे समस्या का हल मिलने के स्थान पर जटिल होने की संभावना बनी रहती है। जब हिन्दी को राजभाषा घोषित करने के पश्चात कार्यान्वयन की अवधि 15 वर्ष रखने से समस्या गंभीर हो सकती है। तो इस समय निर्णय न लेकर भविष्य के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है तो निश्चित रूप से स्थिति बदतर होगी।[1]

एन. बी. गाडगिल का तर्क था कि "यह एक अत्यंत दुखद निर्णय होगा यदि इस देश की एकता और एकप्राणता की आहुति अंकों की वेदी पर चढ़ा दी जाए।"[2]

अधिकतर सदस्य तत्काल निर्णय लेने के पक्ष में थे, इसे लटकाना नहीं चाहते थे। गोपाल स्वामी आयंगर ने अनुरोध किया कि ये अंक भारत की ही देन हैं जिन अंकों को संसार के अधिकतर देशों ने स्वीकार किया है। हमें गर्व होना चाहिए कि आज समस्त संसार हमारे अंकों को स्वीकार कर भारत के साथ मिलकर चलना चाहता है। अतः हमें अपनी ही देन को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, "अंकों के इस स्वरूप का आविर्भाव हमारे ही देश में हुआ है। इन्हें राजभाषा के भावी ढाँचे का अंग बनाने में हमें गर्व होना चाहिए। एक-दो अपवादों को छोड़कर सारे संसार ने इन अंकों को अपना लिया है– हमने ही ये अंक संसार को दिये हैं। क्या हमें संसार में इस गौरवमय स्थान और इसके साथ मिलनेवाले अतिरिक्त लाभों को छोड़ देना चाहिए।"[3]

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यह सिद्ध करने के उद्देश्य से कि ये अंक हमारे ही देश की देन है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा, "आठवीं शताब्दी ई. में जबकि द्वितीय अंबासीदी खलीफा, अलमंसूर की हकूमत थी। भारतीय आयुर्वेदिक डाक्टरों की एक टोली बगदाद पहुँची और अलमंसूर के दरबार में आई। इस दल का एक वैद्यखगोलशास्त्र का विशेषज्ञ था। उसके पास ब्रह्मगुप्त की सिद्धांत नाम की पुस्तक भी थी। जब अलमंसूर को इसका पता चला तो उसने अरब के एक दार्शनिक इब्राहीम अलगुजारी को सिद्धांत का भारतीय पंडित की मदद से अरबी में अनुवाद करने का आदेश दिया। ऐसा माना जाता है कि अरब के लोगों को इस अनुवाद द्वारा भारतीय अंकों की जानकारी हुई और जब उन्होंने इन अंकों के प्रचुर लाभ को देखा तो तत्काल इन्हें अपना लिया। लैटिन की

---

1. संविधान सभा, बहस, नई दिल्ली, 1948, पृष्ठ 1415
2. संविधान सभा बहस, नई दिल्ली, 1949, पृष्ठ 1371
3. "संविधान सभा बहस, नई दिल्ली, 1949, पृष्ठ 1320

भाँति अरबी में भी अंकों के लिए कोई विशेष चिन्ह नहीं थे, प्रत्येक संख्या और अंकों को शब्दों में लिख जाता था। . . . . तत्पश्चात ये अंक अरबी अंकों के नाम से प्रसिद्ध हो गये। यूरोप पहुँचने के बाद उन्होंने यह अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लिया और आज हम इन्हें इसी रूप में पाते हैं।"[1]

जब समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंक स्वीकार कर लिये गये तो उनका कथन था–

"इस छोटे-से मामले पर विचार करने के लिए आखिर इतनी बहस और समय का व्यय किसलिए किया गया? ले-देकर ये अंक हैं क्या? ये दस अंक हैं। जहाँ तक मुझे याद है इनमें से तीन अंक अंग्रेजी और हिन्दी में एक समान हैं। ये हैं 2, 3, 0। मेरे विचार में चार अंक शक्ल में समरूप हैं, यद्यपि अर्थ में अलग हैं। उदाहरणार्थ हिन्दी का चार . . अंग्रेजी के आठ से मिलता-जुलता है। अंग्रेजी का छह हिन्दी के सात जैसा है . . . कुछ सदस्यों ने इसमें छापेखाने की असुविधा की बात कही है। इसका कोई प्रश्न नहीं। इसमें अंग्रेजी और हिन्दी में कोई अंतर नहीं।"[2]

स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक छोटे-से-छोटे प्रश्न को हल करने के लिए कितना अधिक तर्क-वितर्क हुआ। कुछ आलोचकों द्वारा यह कहा जाना कि केवल एक वोट के आधार पर हिन्दी राजभाषा बनी-निराधार प्रतीत होता है क्योंकि जब दोनों ही पक्ष अपने-अपने मत पर अड़ जायें तब वोट की स्थिति प्रजातंत्र में आवश्यक है और फिर राजभाषा के प्रश्न पर अनेकानेक तर्क दिये गये। उसके पश्चात् हिन्दी को राजभाषा, देवनागरी लिपि तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार करना कोई आपत्तिजनक प्रतीत नहीं होता। अतः यह सही दिशा में लिया गया सही निर्णय था।

4.1.4 विवेचन

संविधान सभा में दिये गये तर्कों से तीन प्रकार की प्रक्रिया के पक्षधर सामने आते हैं:

1. पहले प्रकार के वे लोग थे जो भाषा के विरुद्ध विवाद अथवा मामले को भविष्य पर छोड़ना चाहते थे। वे तत्काल कोई भी निर्णय लेने के हक में नहीं थे।
2. दूसरी प्रकार के सदस्य पंद्रह वर्ष की अवधि को उचित मानते थे।
3. तीसरी प्रकार के सदस्यों का विचार था कि 15 वर्ष की अवधि बहुत लंबी है। इसे तत्काल लागू कर देना चाहिए और अंग्रेजी को तत्काल भारत से हटा देना चाहिए।

---

1. संविधान सभा बहस, नई, दिल्ली, वाल्यूम 9, अंक 32, 1949, पृष्ठ 1458
2. कंस्टीचुयेंट एसेंबली डिवेट ऑफ इण्डिया 1949 वाल्यूम 9 पृष्ठ 1491

किन्तु अधिकतर सदस्यों का विचार था कि भाषा संबंधी जो भी नीति अपनाई जाए वह ठोस हो उसमें किसी प्रकार का लचीलापन उचित नहीं होगा। यदि इसे दृढ़ निश्चय से लागू नहीं किया जाता तो हिन्दी को बहुत–सी कठिनाइयों का सामना पड़ सकता है।

मद्रास के रामालिंगम केरिघट का विचार था कि इस प्रकार की अवधि निर्धारित करके भावी आयोगों पर छोड़ने से हिन्दी को राजभाषा के रूप में आने में काफी समय लगेगा और इतिहास गवाह है कि उनकी आशंका निर्मूल नहीं थी।

जो भी हो, संविधान सभा ने जो भी निर्णय लिये काफी सोच-विचार के पश्चात् लिये। इसके लिए पूर्णतया प्रजातांत्रिक प्रणाली का सहारा लिया गया। इस बहस को प्रारंभ से अंत तक पढ़ने से एक बात और सामने आती है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो लोग समर्पण की भावना से स्वतंत्रता के लिए अथवा स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे हिन्दी के पक्षधर थे, उन्हीं लोगों में से कुछ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् किस प्रकार क्षेत्रीय स्वार्थ के वशीभूत होकर बोलते पाये गये।

दूसरे, यह भी स्पष्ट होता है कि भाषा का मामला कितना महत्त्वपूर्ण है जिसके लिए विचार-विमर्श पर सर्वाधिक समय लगा और इतना समय देने के बावजूद समय बहुत कम था, क्योंकि वास्तव में यदि कहा जाए तो भाषा संबंधी संविधान में जो भी प्रावधान रखे गये उनमें लचीलापन अधिक है, जो हिन्दी को राजभाषा के पद पर आसीन करने में पूर्ण तथा सहायक सिद्ध न हो सके। कुछ एक प्रावधानों को छोड़कर संविधान समिति द्वारा लिये गये निर्णय ठोस नहीं हैं, जो भावी आयोगों एवं समितियों के सहारे छोड़ दिये गये हैं। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि संविधान सभा में जो भी बहस हुई उसमें इसी विषय पर सर्वाधिक सदस्यों ने तर्क-वितर्क किये। अतः यह बहस भाषा के मामले के महत्त्व को स्पष्ट प्रकट करती है।

तीसरी बात जो मुख्य रूप से संविधान सभा में हुई वह थी आपाधापी की स्थिति। प्रत्येक सदस्य कुछ–न–कुछ अपने क्षेत्र के लिए चाहता था। डॉ. पी. सुब्बारामन का कथन देखें–"जब हिन्दी हाईस्कूलों की पहली तीन कक्षाओं में लागू की गई, यदि आपको उस समय की स्थिति का पता चलेगा तभी आप अनुमान लगा सकेंगे कि मैं क्यों चिंतित हूँ और घर जाने से पूर्व मेरे लिए कुछ उपलब्ध करना क्यों जरूरी है। तीन मास तक हर सुबह जब मैं घर से बाहर जाता था तो एक ही नारा सुनाई पड़ता था, 'हिन्दी मुर्दाबाद, तमिल जिंदाबाद' मुब्बारामन हाय हाय, राजगोपालाचारी हाय, हाय।"

बहस को पढ़ने से पता चलता है कि स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात् क्षेत्रीयता की ओर सदस्यों, प्रतिनिधियों का झुकाव हो गया था। प्रत्येक प्रतिनिधि के विचार से स्पष्ट होता है कि वे अपने-अपने क्षेत्र को अधिकाधिक महत्त्व देकर आम जनता की भावनाओं का लाभ उठाना चाहते थे। कुछ ही सदस्यों ने भाषा की बारीकियों का तर्क देकर राजभाषा/राष्ट्रभाषा के मामले को हल करने पर विचार रखे, शेष सभी

सदस्यों का तर्क इतना प्रभावशाली प्रतीत नहीं हुआ।

उसमें मात्र दबी हुई स्वार्थी अथवा क्षेत्रीयता की भावना की गंध आती है। उसमें राष्ट्रीयता स्तर को आधार मानकर बहुत कम सदस्यों ने तर्क दिये। जिस भी सदस्य ने भाषा की बारीकियों को देखते हुए राष्ट्रीयता से परिपूर्ण तर्क दिये उनके विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत जैसे देश में हिन्दी ही एकमात्र भाषा है जो राजभाषा की भूमिका निभाने में सक्षम है। इस विषय में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को भारतवर्ष की राजभाषा मानकर सूझबूझ का परिचय तो दिया ही, साथ ही प्रजातंत्रीय प्रणाली को भी सुदृढ़ किया। किन्तु इस निर्णय के पश्चात राजभाषा हिन्दी को कार्यान्वित करने के लिए जो सुविधायें जोड़ी गईं उनमें इतना लचीलापन है जो उचित प्रतीत नहीं होता। फिर भी हम समझते हैं कि लिये गये निर्णय परिस्थितियों के अनुसार उचित ही होंगे, क्योंकि संसद में बिल पारित होने के पश्चात् संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद का कथन उपयुक्त प्रतीत होता है, "हमने संभवतः उच्चतम बुद्धिमता का निर्णय लिया है और मुझे खुशी है और उम्मीद भी है कि आगामी पीढ़ियाँ इसके लिए हमारी कृतज्ञ होंगी।"[1]

4.1.5 निष्कर्ष

हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात् हिन्दी को राजभाषा के रूप में तत्काल लागू किया जा सकता था तथा आज जो स्थिति हैं उससे बचा जा सकता था। समिति के बहुत से सदस्यों का भी ऐसा ही विचार था। उन दिनों देशप्रेम और राष्ट्रीय भावना की लहर चल रही थी। विघटनकारी शक्तियाँ जो बाद में उभरी उस समय इतनी प्रबल नहीं थी। हमने पहले ही उल्लेख किया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय आपसी मतभेद तो थे किन्तु वे स्वतंत्रता प्राप्ति के सर्वोपरि लक्ष्य के कारण उभरकर सामने नहीं आ पाते थे।

स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र के लिए स्वार्थवश कुछ-न-कुछ पाने की होड़ में असंबद्ध तर्क देते थें। यद्यपि संविधान निर्माताओं ने समता, लोकतंत्र एवं समाजवादी प्रणाली की ओर अपने भाषणों में कई बार संकेत किये, परंतु किसी भी सदस्य ने अल्पसंख्यक वर्गों तथा जनसाधारण द्वारा बोली जानेवाली भाषाओं के विकास का प्रश्न नहीं उठाया। यह भी उचित होता कि संविधान सभा में अष्टम अनुसूची की भारतीय भाषाओं के विकास के संबंध में भी एक नीति पर विचार किया जाता। अनेक भारतीय भाषाओं के शब्द भंडार का विस्तार किस प्रकार से किया जाए तथा अनुवाद का कार्यक्रम एवं एक नियत समय पर उसे संपन्न किये जाने पर भी विचार की आवश्यकता थी। क्योंकि उसी ढंग से

---

1. इंडिया कन्स्टीचुयेंट एसैंबली डिबेट, नई दिल्ली, 1949, वाल्यूम 9, नं. 33, सितंबर 13 1949, पृष्ठ 1401

वर्तमान भारतीय साहित्य की निधि को संवर्धित किया जा सकता है। यह अनिवार्य नहीं था कि इन सभी बातों को संविधान में उल्लिखित किया जाता, किन्तु इन पर गहन विचार कर एक कार्यप्रणाली निर्धारित की जा सकती थी।

संविधान सभा में किसी विद्वान ने इन पहलुओं की ओर सभा का ध्यान आकर्षित नहीं किया। कहा जा सकता है कि इस प्रकार के अनिवार्य पहलुओं की अवहेलना किया जाना लाभदायक सिद्ध न हुआ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान सभा ने जहाँ भारत देश के लिए राजभाषा अंकों एवं लिपि संबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया वहीं इसके कार्यान्वयन में लचीलापन रखकर आनेवाली संतानों के लिए जटिलता एवं समस्याओं के गड्ढे भी तैयार कर दिये। सटीक एवं सही निर्णयों के पश्चात् स्पष्ट नीति से जहाँ भाषा संबंधी नीति में अनेक दिशायें खुल सकती थीं, वहीं हमारे सभासद राजनयिक केवल हिन्दी-अंग्रेजी के बीच मुक्केबाजी में खो कर रह गये। यह भी खेद का विषय है कि इस विषय को स्पष्ट किये बिना, समयाभाव के कारण मझधार में ही अनिर्णीत छोड़कर अपने दायित्व को आनेवाली संतानों के कंधों पर छोड़ दिया। इसका दूसरा पहलू है कि समय कम था अतः संविधान सभा ने कम समय में जो निर्णय लिये वे भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। यदि वर्तमान स्थिति में भी सझबूझ से काम लिया जाए तो संविधान सभा के निर्णयों से काफी क्षेत्रों में मार्ग प्रशस्त हो जाता है।



अध्याय-4.2

राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था

4.2.1 विषय-प्रवेश

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही इसके अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा हो गई। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार किया गया, किन्तु इस अनुच्छेद के आगे की धाराओं तथा उपधाराओं के कारण राजभाषा हिन्दी का भविष्य अन्धकारमय होता चला गया। किसी भी कानून अथवा विधान में जितना अधिक लचीलापन तथा छूट होगी वह उतना ही कम प्रभावी हो जाता है। यही स्थिति राजभाषा संबंधी प्रावधानों की हुई। संविधान सभा ने जनतंत्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जितना अधिक लचीलापन रखा उतनी ही कठिनाई राजभाषा को उसके स्थान पर स्थापित करने में हुई। इस कठिनाई का आभास संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद को पहले ही हो गया था, जब 12 सितंबर 1949 को बहस आरंभ होने से पूर्व उन्होंने कहा था, "सदस्यों को यह ध्यान रखना होगा कि बहस में बाल की खाल उतारने से कोई लाभ नहीं होगा। इस सदन का फैसला समस्त देश को मान्य होना चाहिए। भले ही कोई निर्णय बहुमत से पारित हो जाए। यदि वह उत्तर या दक्षिण में जनसाधारण के किसी भी वर्ग को स्वीकार नहीं होगा तो संविधान को कार्यान्वित करने में बड़ी कठिनाई पैदा होगी।"[1]

संविधान की धारा 343 से 351 भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान समाविष्ट है।

संविधान की धारा 120(1) तथा भाग 6 में धारा 210(1) में संसद में प्रयुक्त होनेवाली भाषा तथा विधान मंडल में प्रयुक्त होनेवाली भाषा के बारे में प्रावधान है। संविधान में राजभाषा के संबंध में प्रदत्त प्रावधान इस प्रकार है:

4.2.2 संसद में प्रयुक्त होनेवाली भाषा

120(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा।

परंतु यथास्थिति, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे

1. भारत, संविधान सभा बहस, नई दिल्ली 1949, वाल्यूम 9, अंक 32, सितंबर 12, 1949, पृष्ठ 1312

रूप में कार्य करनेवाला व्यक्ति, किसी सदस्य को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकेगा।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात वह अनुच्देद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि 'या अंग्रेजी में' ये शब्द उसमें लुप्त कर दिये गये हों।

4.2.3 विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा

210(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान मंडल में कार्य, राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा।

परंतु यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करनेवाला व्यक्ति, किसी सदस्य को, जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकेगा। (यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं है।)

(2) जब तक राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक की कालावधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि 'या अंग्रेजी में' ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गये हैं।

परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य विधानमंडल के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो कि उसमें आनेवाले 'पंद्रह वर्ष' शब्द के स्थान पर 'पच्चीस वर्ष' शब्द रख दिये गये हैं।

4.2.4.I. संघ की राजभाषा

343(1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

संघ के राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होनेवाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारंभ के ही पहले वह प्रयोग की जाती थी।

परंतु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा, उक्त 15 साल की कालावधि के पश्चात्–

(क) अंग्रेजी भाषा का, अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हो।

4.2.4.II राजभाषा के लिए आयोग और संसद की समिति

344(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष को समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसे कि राष्ट्रपति, नियुक्त करें, तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के भी आदेश परिभाषित करेगा।

(2) राष्ट्रपति को–

(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तक अधिक प्रयोग के,

(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों से या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों के,

(ग) अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से तब या किसी के लिए प्रयोग की जानेवानी भाषा के,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये जानेवाले अंकों के रूप में,

(ड.) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोगों के बारे में, राष्ट्रपति, द्वारा आयोग से किये हुए किसी अन्य विषय के बारे में, सिफारिश करने का आयोग का कर्तव्य होगा।

(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक-सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

(4) तीस सदस्य की एक समिति गठित की जायेगी जिनमें से बीस लोकसभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्यसभा के सदस्य होंगे, जोकि क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, अनुपाती

प्रतिनिधित्व–पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को करना समिति का कर्तव्य होगा।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा।

4.2.5 प्रादेशिक भाषायें

4.2.5 (क) राज्य की राजभाषा/राजभाषायें

345. अनुच्छेद 345 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होनेवाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा।

परंतु जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा, इससे अन्यथा उपलब्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी निजनके लिए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।

4-2-5(ख) एक राज्य और दूसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा

346 संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा होगी।

परंतु यदि दो या राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिए राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी।

4-2-5(6): किसी राज्य जनसमुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जानेवाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

347. तद्विषयक माँग की जाने पर यदि राष्ट्रपति, का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली

जानेवाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करें, राजकीय मान्यता दी जाए।

4.2.6 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जानेवाली भाषा

348. (1) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा अपबंध न करें तब तक–

क. उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में तब कार्यवाहियाँ

ख. जो–

(1) विधेयक अथवा उन पर प्रस्तावित देये जानेवाले जो संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में अथवा राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किये जायें, उन सब के प्राधिकृत पाठ,

(2) अधिनियम संसद द्वारा या राज्य के विधाान मंडलद्वारा पारित किये जायें तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किये जायें, उन सब के प्राधिकृत पाठ, तथा

(3) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि इस संविधान के अधीन, अथवा संसद या राज्यों के विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन निकाले जायें उन सबके प्राधिकृत पाठ, अंग्रेजी भाषा में होंगे (2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य या राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होनेवाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखनेवाले उच्च न्यायालय में की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, आज्ञप्ति आदेश को लागू न होगी।

(3) खंड (1) के उपबंध (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधाान मंडल ने, उस विधाान मंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशें में अथवा उपखंड की खंडिका (3) में विनिर्दिष्ट पत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी में उसका अनुवाद उस खंड के अभिप्रायों के लिए उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया वहाँ उसे सूचना पाठ समझा जायेगा।

भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

349. इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद 348 के खंड (1) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा के लिए उपबंध करनेवाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जायेगा तथा ऐसे किसी विधेयक के पुनः स्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित किये जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही राष्ट्रपति देगा।

4.2.7 विशेष निर्देश

350. किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी की, यथास्थित संघ में या राज्य में प्रयोग होनेवाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा।

5. संविधान (सप्तम् संशोधन) अधिनियम 1956 की धारा 21 द्वारा अनुच्छेद 350 के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ दिये गये हैं।

350(क) प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास होगा कि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जैसे कि वह ऐसी सुविधाओं को उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

350(ख) भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2)भाषा या अल्पसंख्यकों के लिए जिन संरक्षण की इस संविधान के अधीन व्यवस्था की जाए उनसे संबद्ध सब विषयों का अनुसंधान करना और ऐसे अंतरावधियों पर उन विषयों के संबंध में जैसे राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा। राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवायेगा।

351. हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो वह उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

4.2.8 अनुच्छेदों का विवेचन

भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय अथवा राज्य भाषाओं के प्रयोग, प्रगति और संवर्द्धन के संबंध में भी बहुत उदारता बरती गई थी। अनुच्छेद 345 तथा 346 में स्पष्ट रूप से यह निर्देश किया गया कि यदि दो या दो से अधिक राज्य आपस में हिन्दी में पारस्परिक विनिमय के लिए सहमत हों तो उन राज्यों के बीच में व्यवहार विनिमय की भाषा 15 वर्षों के भीतर भी हिन्दी हो सकती है। इस अनुच्छेद के अनुसार भी हिन्दी को अहिन्दी राज्यों पर हिन्दी थोपने की जो बात बार-बार दोहराई जाती है वह कहीं नहीं कही गई।

संविधान की धारा 348 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि किसी राज्य विशेष की अधिकांश जनता अपनी मातृभाषा को ही राजभाषा के रूप में व्यवहरित करना चाहती है तो 'राष्ट्रपति' उस राज्य अथवा राज्य के भागविशेष में बोली जानेवाली प्रचलित भाषा के लिए जनता की माँग पर उसके राजकीय प्रयोग के लिए आदेश दे सकते हैं। इस अनुच्छेद में भी क्षेत्रीय भाषाओं की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा गया है। जहाँ तक उच्च न्यायालयों के अभिलेख व विवरणी इत्यादि का प्रश्न है। संविधाान के अनुच्छेद 348 में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति की सहमति से उस राज्यविशेष की प्रधान भाषा को उच्च न्यायालय के अभिलेखों एवं विवरण की भाषा अधिकृत कर सकते हैं। यहाँ भी क्षेत्रविशेष की बहुसंख्यक द्वारा बोली जानेवाली भाषा को प्रधानता दी गई है। कुछ उच्च न्यायालयों ने इसे लागू भी किया है यथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व हिमाचल प्रदेश इत्यादि। संविधाान की धारा 349 में भी स्पष्ट निर्देश है कि 1950 से 1965 तक 15 वर्षों की अवधि में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा कानून एवं विधि के लिए प्रयुक्त होनेवाली भाषा के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन विधेयक राष्ट्रपति पूर्वानुमति के बिना संसद में नहीं लाया जायेगा। अर्थात संविधान की धारा 348(1) के अनुसार इन सभी कार्यों के लिए 1965 तक समस्त कार्य अंग्रेजी में ही होगा। जो भारतीय संविधान निर्माताओं की उदार नीति का प्रतीक है।

संविधान की धारा 350 के अनुसार संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं को अक्षुण्ण रखा गया है। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षित करने का अधिकार देकर भारत की किसी भी भाषा के साथ पक्षपात नहीं किया है। संघ का राज्य के प्रत्येक अधिकारी, प्राधिकारी को अधिकार दिया गया है कि वह अपने सुविधानुसार उस राज्य में प्रयुक्त होनेवाली किसी भाषा में अभिवेदन, प्रतिवेदन दे सकता है। इसके अतिरिक्त संविधाान के सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 21 में अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक अपनी ही मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है।

धारा 350(1) में उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति अल्पसंख्यकों की भाषा विषयक शिकायत सुनने तथा शिकायत दूर करने के लिए एक ऐसे पदाधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं, जिसका कार्य अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा सुरक्षा की गारंटी देना होगा तथा यह देखना होगा कि संविधान में निहित भाषा विषयक उद्देश्यों का पालन होता है अथवा नहीं। इस उद्देश्य के लिए नियुक्त पदाधिकारी अपने इस कार्य का लेखा–जोखा समय-समय पर प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों में विचारार्थ भेजेंगे। संसद की अपेक्षित टिप्पणी व मंतव्य के पश्चात उस प्रतिवेदन को संबद्ध राज्यों की सरकार के पास लागू करने हेतु भेजेगा। इस प्रकार संविधान में अल्पसंख्यकों की भाषा विकास के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

संविधान की धारा 351 में इस बात पर बल दिया गया है कि संघीय सरकार हिन्दी भाषा के प्रसार व प्रचार के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगी। केंद्र सरकार हिन्दी के प्रसार–प्रचार के समय इस बात का ध्यान देगी कि भारत जैसे मिश्रित संस्कृति वाले देश की अभिव्यक्ति का हिन्दी एक सही माध्यम हो तथा हिन्दुस्तानी भाषा में व्यक्त उनके स्वरूप, शैली, अभिव्यक्ति और संस्कार में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थिति न हो। केंद्र सरकार संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित 18 भाषाओं में स्वीकृत हिन्दी हिन्दुस्तानी के स्वरूप, शैली और उसकी आत्मा के अक्षुण रखने का संकल्प लेगी तथा हिन्दी की शब्दावली को यह प्रधानतः संस्कृत वाङ्मय से आकलित करेगी और आवश्यकता पड़ने पर अन्य भारतीय भाषाओं से भी ग्रहण कर हिन्दी के शब्द भंडार को संपन्न बनायेगी। (अष्टम अनुसूची में स्वीकृत 18 भाषाओां की सूची, परिशिष्ट–2)

संविधाान के अनुच्छेद 343 से 351 तक का अध्ययन करने से संविधान निर्माताओं की सद्भावना स्पष्ट झलकती है। जहाँ देश को एकसूत्र में पिरोने के उद्देश्य से एक राजभाषा हिन्दी की व्यवस्था की गई वहीं क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की ओर भी ध्यान दिया गया। अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने की प्रक्रिया भी इतनी लंबी दी गई कि इस विदेशी भाषा को भी एक साथ उखाड़ फेंकने की बजाय धीरे–धीरे इसके स्थान पर हिन्दी को स्थापित करने की योजना बनाई गई। इन संवैधानिक प्रावधानों में हिन्दीतर भारतीय भाषाओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, जिससे हिन्दी उनके विकास में बाधक सिद्ध हो। संविधान के राजभाषा विषय खंड, अनुच्छेदों, खंडों तथा उपखंडों का सूक्ष्म अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सभी भारतीय भाषाओं का विकास चाहता है। इससे भी आगे की कार्यप्रणाली के लिए शब्दावली का निर्माण समस्त भारतीय भाषाओं के सहयोग से तैयार किया जाए। हाँ। यहाँ संविधान निर्माताओं ने इस बात का अवश्य ध्यान रखा है कि स्वतंत्र राष्ट्र के लिए सभी देशी भाषाओं में से एक भाषा को राजभाषा बनाया जाय, जो देशी भी हो तथा राजकाज चलाने में सक्षम भी हो। वह

भाषा वहीं हो सकती है जो अधिक लोगों व क्षेत्रों की भाषा हो और पूर्व अध्याय के विवेचन से यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है कि हिन्दी ही ऐसी भाषा है जिसमें व्यापकता व समन्वयात्मक क्षमता है। इसमें दूसरी भाषाओं के शब्द संयोजन की भी क्षमता है जो राजभाषा के लिए अनिवार्य तत्त्व है। यही सोचकर हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया।

4.2.9 निष्कर्ष

भारतीय संविधान के राजभाषा संबंधी उपर्युक्त अनुच्छेदों के अध्ययन, चिंतन एवं मनन से यह बात स्पष्ट होती है कि संविधान बनाते समय ही चाहे राजभाषा के संबंध में काफी उदारता के साथ चर्चा की गई और प्रावधान रखे गए किन्तु साथ ही उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजभाषा के संबंध में संविधान निर्माताओं की नियत में फरक था। अन्यथा अनुच्छेद 343 की धारा (1) के पश्चात धारा 2 के लिखने की आवश्यकता ही क्या थी?

जो भाषा मुस्लिम शासन से लेकर आज तक, और उससे भी पहले विभिन्न शासकों के शासन काल में अखिल भारत की संपर्क भाषा का कम या अधिक, दायित्व निर्वाह करती रही हो, जिसने अनेक सम्राटों व नवाबों एवं उच्च अंग्रेजी पदाधिकारियों को उदित एवं अस्त होते देखा हो, जिसने गुरुनानक, संत तुकाराम, कबीर, सूर, तुलसी जैसे महात्माओं की अमृतमय वाणी का रसास्वादन किया हो, भारतेंदु, महावीर, शुक्ल, प्रेमचंद, प्रसाद, पंत, निराला जैसे विद्वान दिये हों, जो महान राष्ट्र भक्तों, समाज सुधारकों, संतों एवं नेताओं की कंठहार रही हो, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में पग से पग मिलाकर राष्ट्रीय स्वरूप और सामाजिक क्षमता का परिचय देकर सारे देशवासियों का दिल जीत लिया हो, उसे संविधान में राजभाषा के उत्तरदायित्व को संभालने में अक्षम व अयोग्य बताकर उसके न्यायिक अधिकार को छीनकर, अंग्रेजी को स्वतंत्र भारत के राजसिंहासन पर व्यवहारिक रूप में बिठाना कौन–सा न्याय है, कौन–सी सही नीति, लोकप्रियता व राष्ट्रीयता है?

क्या समस्त भारत का पारस्परिक संपर्क। 1½ प्रतिशत अंग्रेजी के हितैषी भारतीयों के बीच उछलने-कूदनेवाली अंग्रेजी से चलेगा? नहीं। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि काले अंग्रेज जो कहने को भारतीय हैं किन्तु मैकाले के उत्तराधिकारी के रूप में शासन कर कब्जा किये हुए हैं। उन कूटनीतिज्ञों की यह बहुत बड़ी चाल थी, जिसके द्वारा स्वदेशी भाषाओं के साथ–साथ हिन्दी के अधिकारों का शोषण किया गया।

डॉ० उदय नारायण दुबे का कथन यहाँ दिया जानायुक्ति संगत प्रतीत होता है। "वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 343(2) ही सारे कुचक्रों की वह कुंजी है जिसने देशवासियों की सुकोमल भावनाओं पर हिमपात किया और देश की राजभाषा समस्या को त्रिशंकु बना दिया। इसी अनुच्छेद की धारा 3 ऐसी प्रचंड धारा है जो

न तो कभी विश्राम लेती है न राजभाषा हिन्दी की समस्या व उसके आंदोलन को विराम लेने देती है। यदि इन दो धाराओं की मायावी रचना न होती, न तो शेष नौ अनुच्छेदों का भार संविधान को उठाना पड़ता, न भारतीयों की नैतिकता अधोगति की ओर जाती।"[1]

इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रजी की धीरे-धीरे हटाओ नीति, जिसे हिन्द सरकार ने अपनाया है, अंग्रेजी को सदैव कायम रखनेवाली नीति है। अन्यथा स्वतंत्रता के साथ ही जब प्रत्येक भारतीय के दिलो-दिमाग पर केवल राष्ट्रीयता का रंग चढ़ा हुआ था, राजभाषा के पद पर हिन्दी का सीधे-सीधे बिना शर्तों के, इसकी क्षमता पर संदेह किये बिना अभिषेक कर दिया होता तो हिन्दी आज जो दयनीय स्थिति है वह देखने को न मिलती, राजभाषा हिन्दी को अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच एक विदेशी भाषा से संघर्ष न करना पड़ता जो आज उसे करना पड़ रहा है।

अगले अध्याय में हम भारत सरकार की नीति—प्रथम अवस्था इस पर चर्चा करेंगे।



---

1. "राजभाषा के संदर्भ में हिन्दी आंदोलन का इतिहास", डा. उदय नारायण दुबे, प्रथम संस्करण 1979, पृष्ठ 202–203

अध्याय-4.3

राजभाषा नीति : प्रथम अवस्था 1950-1975
प्रयोग और समस्याएँ

भारत सरकार की राजभाषा संबंधी नीति के बारे में, संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत जो गत अध्याय में दी गई है, विवेचन किया है। उसके कार्यान्वयन, प्रयोग, बनाये गये अधिनियम व सरकार की नीति और मानसिकता, उसमें आनेवाली समस्याओं का अध्ययन अधिक सार्थक व उद्देश्यपरक बनाने की दृष्टि से हमने समस्त शोध को आगे तीन भागों में बाँटा है। प्रथम अवस्था में संविधान लागू होने के बाद 25 वर्ष के क्रियाकलापों का विवेचन किया है। पहले भाग में 25 वर्ष लेने का उद्देश्य यह है कि हम इस भाग में संविधान के प्रावधानों, सरकार द्वारा जारी निर्देशों व संविधान के प्रावधानों के अनुसार बनाये गये अधिनियम व समय-समय पर किये गये संशोधनों का विवेचन करना चाहते हैं। दूसरी अवस्था में राजभाषा नियमों अर्थात 1976 से अगले 10 वर्ष अर्थात् 1986 तक का अध्ययन किया गया है। इस अवस्था को 1986 तक रखने का उद्देश्य यह है कि 1986 में भारत सरकार द्वारा 1950 से लेकर इस अवधि तक किये गये प्रयासों का संकलन जारी किया। इसलिए दूसरे भाग में अध्ययन को इस वर्ष तक सीमित रखा गया ताकि सरकार की नीति के विवेचन में, उसको लागू करने पर आनेवाली समस्याओं पर गहराई से अध्ययन किया जा सके। तीसरी अवस्था में 1987 से लेकर अद्यतन स्थिति का विवेचन व अध्ययन किया गया है।

अब हम प्रथम अवस्था अर्थात् 1950 से 1975 तक राजभाषा नीति प्रयोग और समस्याओं पर चर्चा करेंगे।

4.3.1 अध्याय का प्रतिपाद्य

भारतीय संविधान के भाग 5 धारा 120(1) के पढ़ने से संविधान समिति की मूल धारणा का स्पष्ट चित्रण मिल जाता है जिसमें संविधान की धारा 348(1) में प्रदत्त प्रावधान के अंतर्गत रहते हुए 15 वर्ष की अवधि तक संसद का कार्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी में चलेगा, किन्तु उन सदस्यों के लिए जिन्हें इनमें से दोनों भाषाओं का ज्ञान न हो अथवा अध्यक्ष की अनुमति से मातृभाषा में वक्तव्य देने का प्रावधान रखा गया! इसके पश्चात 'अथवा अंग्रेजी' शब्द समाप्त समझा जायेगा। इसका तात्पर्य है कि संविधान समिति का विश्वास था कि सरकार द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रचार हेतु ऐसे सशक्त कदम उठाये जायेंगे कि 15 वर्ष में भारत इस स्थिति में पहुँच

जायेगा कि इसका समस्त काम हिन्दी में होने लगेगा। संविधान की धारा 344 में जो प्रावधान रखे गये हैं वे इसलिए रखे गये प्रतीत होते हैं कि समिति ने भावी पीढ़ी के लिए यह छूट रख दी कि यदि परिस्थितियाँ अनुकूल न हों तो आगामी कार्य योजना अथवा इस अवधि को 15 साल से आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन संविधान के मूल में स्पष्ट झलकता है कि समिति का विश्वास था कि 15 वर्ष पश्चात परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि कोई विधेयक लाने की आवश्यकता ही न पड़ेगी। इसीलिए 120(2) में प्रयुक्त वाक्यांश 'या अंग्रेजी' में लुप्त समझे जायेंगे का प्रयोग हुआ है।

धारा 343(1) में स्पष्ट है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि 'देवनागरी'। अंकों के विषय में भी स्पष्ट कर दिया गया कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होनेवाले अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा किन्तु धारा 343(2) में व्यवस्था दी गई कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार होता रहेगा जिस प्रकार इसका पहले प्रयोग होता रहा है। चाहे संविधान समिति ने यह सोचकर यह व्यवस्था दी थी कि क्योंकि भारत प्रजातांत्रिक देश है, अतः समय के साथ-साथ लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी ही और जो लोग आज अंग्रेजी को जारी रखने पर बल दे रहे हैं वे स्वयं ही हिन्दी भाषा के महत्त्व को समझेंगे तथा स्वयं ही हिन्दी का पक्ष लेने लगेंगे। दूसरी भावना यह रही होगी कि जिन लोगों को हिन्दी का ज्ञान नहीं है तथा वे लोग जो अंग्रेजी में काम करने के अभ्यस्त हो चुके हैं वे इन 15 वर्षों में हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उस समय समिति ने केवल एक पहलू को देखा या फिर परिस्थितियों से विवश होकर समिति को ऐसा काम करना पड़ा।

इसी अनुच्छेद की धारा 2 में व्यवस्था दी गई कि राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा इन 15 वर्षो की अवधि में ऐसा आदेश जारी कर सकता है जिससे अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी का भी प्रयोग किया जा सके तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों के साथ–साथ 'देवनागरी' अंकों का प्रयोग प्राधिकृत कर सकें।

इसी अनुच्छेद की उपधारा 3 में संसद को अधिकार प्रदत्त है कि यदि संसद चाहे तो 15 साल की अवधि के पश्चात भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकता है। गत अध्याय के 4.2.7 व 4.2.8 —अनुच्छेदों का विवेचन व निष्कर्ष—के अंतर्गत हम इस लचीलेपन के दुष्प्रभावों का विवेचन कर चुके हैं।

4.3.2 राजभाषा आयोग

संविधान की धारा 344 की उपधारा१ में व्यवस्था दी गई कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के पाँचवें तथा दसवें वर्ष में राजभाषा आयोग नियुक्त करेगा। जो राजभाषा के प्रयोग, प्रगति व संवर्धन के बारे में अपनी रिपोर्ट व अनुशंसायें राष्ट्रपति

को प्रस्तुत करेगा।

इस अनुच्छेद की भावनाओं के अनुसार राष्ट्रपति ने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में किया। इसमें 20 सदस्य थे। इस आयोग से अनुरोध किया गया कि संविधान की धारा 344(2) के अंतर्गत निमनलिखित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें–

क. भारतीय संघ के राजकीय प्रयोजनों एवं कार्यकलापों के लिए हिन्दी की प्रगति एवं उसका प्रयोग।

ख. संघ के सभी अथवा कुछ राजकीय उद्देश्यों, कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध।

ग. सर्वोच्च न्यायालय, प्रांतीय उच्च न्यायालय के अभिलेख और निर्णय संसद के दोनों सदनों में पारित या संशोधित बिल, विधान मंडल में पारित या संशोधित किये जानेवाले बिल, संसद द्वारा पारित कानून, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश एवं विधान सभाओं द्वारा पारित कानून तथा राज्यपाल, द्वारा पारित और स्वीकृत नियम सभी प्रकार के अधिनियम एवं उन कानूनों की भाषा।

घ. संघ के विशेष रूप से उल्लिखित उद्देश्यों में प्रयुक्त होनेवाले अंक।

ङ 15 वर्षों की अवधि के अंदर (सन् 1965 के पहले का कोई समय) अवधि की कोई ऐसी सीमा रेखा प्रस्तुत करना, जब धीरे-धीरे हिन्दी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान ग्रहण कर लेगी तथा विभिन्न राज्यों एवं केंद्रीय सरकार के बीच तथा एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच संपर्क भाषा 'पत्राचार' आदि के माध्यम के रूप में अब वह स्वीकृत हो जायेगी।

4.3.3 राजभाषा आयोग की सिफारिशें

आयोग ने 15 जुलाई 1955 की पहली बैठक बंबई में बुलाकर भारत की भाषा समस्या पर एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की और विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों के पास भेजा। इसके उत्तर में लगभग 1100 लिखित पत्र आयोग को प्राप्त हुए। आयोग की रिपोर्ट लगभग 495 पृष्ठ की थी, जिसमें आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें दीं। मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं।[1]

1. निशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का माध्यम राज्यों की प्रादेशिक भाषायें हों तथा अंतःप्रांतीय संबंधों के लिए किसी एक ही भाषा को मान्यता प्रदान करना व्यावहारिक है, जिसके लिए हिन्दी इसलिए ठीक है कि वह इस विशाल देश के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा बोली और समझी जाती है।

---

1. "भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग के बारे में जारी किये गये अनुदेशों की पुस्तिका", मई 1974 तक–से साभार, पृष्ठ?

2. राजभाषा के पारिभाषिक शब्दों के निर्णय और चयन में सरलता, बोधगम्यता, संक्षिप्तता और स्पष्टता का विशेष ध्यान देना चाहिए।
3. जहाँ तक माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है देश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य विषय के रूप में हो, जिससे 14 वर्ष का होते-होते प्रत्येक छात्र तीन-चार वर्ष तक हिन्दी अवश्य पढ़ ले।
4. सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में हिन्दी के माध्यम से सभी कार्यो को संपादित करने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो प्रादेशिक भाषाओं में उन कार्यों की विश्वसनीय और प्रामाणिक अनुदित प्रतिलिपि भी तैयार की जाए।
5. सभी प्रशासनिक एवं सरकारी आदेशों, निदेशों, नियमों और विज्ञप्तियों का प्रकाशन निश्चित पारिभाषिक शब्दों के साथ राजभाषा हिन्दी में हो।
6. हिन्दी के क्षेत्र में स्वीकृत शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा को ही प्रांतीय प्रतियोगिता की परीक्षाओं में स्वीकार किया जाए और अखिल भारतीय प्रतियोगिता संघ लोक सेवा आयोग आदि की परीक्षाओं में निश्चित सूचना के पश्चात् हिन्दी का अनिवार्य पत्र लागू किया जाए।

राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के पश्चात् तत्कालीन मद्रास में भयंकर विरोध हुआ। समाचार पत्रों तथा लोकसभा की कार्यवाही में राजभाषा आयोग की सिफारिशों की बहुत निंदा की गई जिसमें सुनीति कुमार चटर्जी तथा डा. पी. सुब्बारामन का विशेष हाथ रहा। डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी ने राजभाषा आयोग की सिफारिशों का विरोध करते हुए आयोग के अध्यक्ष को संबोधित पत्र लिखा। उनकी प्रतिक्रिया पर राजभाषा आयोग के अध्यक्ष ने सुनिती कुमार चटर्जी के द्वारा दिये गये विरोध बिंदुओं से क्षुब्ध होकर इस पर टिप्पणी करते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखा–

"So for the notes of Sh. S. K. Chatterjee and Dr. P. Subraman are concerned, I deeply, regret that they should have thought fit, inspite of my request to retain certain unfortune remarks and Expression in their notes. The reference to the Creation of Two class of Citizen in India. The allegation of Hindi imperialism, The denigiration of the Hindi language and its cultural value and tradition are most unfortunate.[1]

देश के सभी भागों में अपनी-अपनी भाषा के पक्ष में काफी शोर हुआ। तमिलनाडु शोर सर्वाधिक ऊँचा था। जहाँ लूटपाट, हिंसा, आगजनी जैसे भयंकर उपद्रव हुए, जिससे सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया तथा स्थिति से निपटने

1. "हिन्दी की समस्यायें" प्रो. कामेश्वर शर्मा, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 105

के लिए भारत सरकार को सेना का सहारा लेना पड़ा। हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतना उपद्रव इसलिए नहीं हुआ कि किसी आम व्यक्ति पर राजभाषा आयोग की सिफारिशों का प्रभाव पड़ा हो बल्कि यह सब राजनीतिक बवंडर था, जिसका नेतृत्व राजनीति के धुरंधर योद्धा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य कर रहे थे।[1]

दिसंबर 1957 में कलकत्ता में बंगाली लेखकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें एक मत से प्रस्ताव पारित हुआ कि चूँकि राजभाषा आयोग की सिफारिशें हिन्दी को छोड़कर अन्य सभी भारतीय भाषाओं के लिए अनिष्टकारी हैं, अतः इसे स्वीकार न किया जाये तथा अंग्रेजी को ही भारत की राजभाषा घोषित किया जाय।

एक ही मास में दूसरा सम्मेलन अर्थात् दिसंबर 1957 में ही मद्रास में हुआ जिसका नाम था "यूनियन लेंग्वेज़ कनवेंशन ऑफ साउथ इंडिया"। इसकी अध्यक्षता डॉ. पी. सी. रामस्वामी अय्यर ने की। इसमें भी अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में जारी रखने का प्रस्ताव पारित हुआ। मद्रास, मैसूर तथा आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने भी सम्मिलित रूप से यह विचार व्यक्त किया कि संघीय राजभाषा के रूप में हिन्दी की मान्यता तथा अंग्रजी की विस्थापना अव्यावहारिक है इसलिए भारत सरकार के पास तत्कालीन मद्रास के शिक्षामंत्री ने अपना यह मंतव्य भेजा कि अंग्रेजी और हिन्दी दोनों साथ-साथ राजभाषाओं के रूप में सन् 1965 के बाद भी कायम रहें।

ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि संविधान के प्रावधानों की रक्षा के लिए और उससे भी बढ़कर राजभाषा हिन्दी को राजनीतिक दावँपेंच की दलदल से उबारने के लिए हिन्दी के सच्चे हितैषियों के मन में भी उस प्रतिक्रिया के विरोध में प्रतिकार की भावना उठती। हिन्दी भाषी लोगों ने कभी भी कानूनी दृष्टि से हिन्दी को राजभाषा के रूप में आसीन नहीं करना चाहा था, क्योंकि इन लोगों के समस्त कार्यकलाप हिन्दी के माध्यम से हिन्दी में ही चल रहे थे। लेकिन संविधान में, हिन्दी के स्वाभाविक प्रचार-प्रसार और इसकी अंतर्निहित क्षमता के कारण राजभाषा का पद देकर उसकी इज्जत उतारने की साजिश को हिन्दी समर्थक किस प्रकार सहन करते। परिणामस्वरूप 11 व 12 अगस्त 1962 को दिल्ली में मराठी के सुप्रसिद्ध नाट्यकार भाभा बरेंरकर की अध्यक्षता में दिल्ली में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। इसमें मुख्य रूप से आचार्य काका कालेलकर, श्री माधव हरिअण्ण तमिल के विद्वान, सिंसिपल श्री पी. महादेवन, तेलुगु के प्रसिद्ध संपादक, श्री टी. लक्ष्मीनारायण थे। सभी ने एक स्वर से घोषणा की थी कि "अंग्रेजों की दासता मात्र राजनीतिक दासता थी किन्तु अंग्रेजी की दासता सांस्कृतिक दासता है जिससे राष्ट्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। यह संकल्प किया गया कि भारत अपने अस्तित्व को मिटने नहीं देगा। यह दृढ़ भावना हिन्दी की नहीं अपितु गुजराती, मराठी,

---

1. वही, पृष्ठ 109

बंगाली, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम आदि भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधियों ने एक के बाद एक बड़ी निर्भीकता और दृढ़ता के साथ व्यक्त की। इस ऐतिहासिक सम्मेलन की यह एक बड़ी विशेषता थी कि प्रायः सभी प्रतिनिधियों ने राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही अपने दृढ़ संकल्पों को व्यक्त किया।"[1]

राजभाषा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 344(4) के उपबंधों के अनुसार लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्यों की समिति नियुक्त की ताकि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री श्री गोविंदवल्लभ पंत इस समिति के अध्यक्ष चुने गये। इस समिति ने लगातार कई बैठकों के पश्चात् अपना अंतिम निर्णय लिया और 8 फरवरी, 1959 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। अप्रैल, 1959 में यही रिपोर्ट संसद में चर्चा के लिए प्रस्तुत की। अप्रैल, 1959 में यही रिपोर्ट संसद में चर्चा के लिए प्रस्तुत की गई। समिति के प्रमुख इस प्रकार थेः

1. सरकारी पदों और नौकरियों के लिए इस समय जो अंग्रेजी की शिक्षा का स्तर निर्धारित है, संक्रमण की अवस्थाओं में हिन्दी-ज्ञान का स्तर यदि कुछ कम भी हो तो चल सकता है।

2. निर्धारित समय में कर्मचारियों द्वारा निर्धारित हिन्दी का ज्ञान प्राप्त न करने पर उनको दंडित किया जाना असंगत होगा।

3. संघ सरकार के प्रशासन में जहाँ भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के विकास की आवश्यकता न हो तथा विदेशों से संबंध बनाये रखने के लिए अनिश्चित काल तक अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

4. 45 वर्ष से ऊपर की आयुवाले सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी के प्रशिक्षण से छूट दी जानी चाहिए।

5. संघ सरकार द्वारा ऐसी योजना बनाई जाए, जिससे हिन्दी का राजभाषा के रूप में अधिकाधिक प्रयोग एवं विकास किया जा सके।

6. सरकार एवं मंत्रालयों के प्रकाशनों में रोमन अंकों के साथ-साथ देवनागरी अंकों को प्रयुक्त करने के बारे में संघ सरकार की मूलभूत समान नीति होनी चाहिए।

7. संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों में पारित होनेवाले विधेयकों की भाषा अंग्रेजी का स्थान जब तक हिन्दी न ले ले, तब तक संसद में विधि-निर्माण का कार्य अंग्रेजी में होता रहे।

8. राज्यों की विधानसभाओं, अपने राज्यों की राजभाषाओं में विधि-निर्माण-कार्य कर सकती है, परंतु संविधान के 348 अनुच्छेद के अनुसार कानूनों का प्राधिकृत

1. "हिंदी की समस्यायें", कामेश्वर शर्मा, पृष्ठ 105

पाठ अंग्रेजी में प्रकाशित करना आवश्यक है।

9. राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालयों में राज्य की राजभाषा अथवा हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु उनके द्वारा किये जानेवाले निर्णयों, अभिलेखों और आदेशों को अंग्रेजी में ही होना चाहिए तथा दूसरी भाषाओं में दिये जाने वाले निर्णयों, डिग्रियों एवं आदेशों का अंग्रेजी अनुवाद साथ में रहना चाहिए।

10. हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान न्यायाधीशों के लिए उपर्युक्त हो सकता है, परंतु उनके लिए भाषा संबंधी परीक्षायें निर्धारित करना उचित नहीं है।

11. सांविधिक ग्रंथों के अनुवाद तथा कानूनी पारिभाषिक शब्दावली आदि के निर्माण की उचित योजना बनाने तथा संपूर्ण कार्य की व्यवस्था करने के लिए भारत के विभिन्न भाषा-भाषी विधि-विशारदों के स्थायी आयोग की उच्चस्तरीय समिति का निर्माण किया जाना चाहिए।

12. अखिल भारतीय तथा उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को चलने दिया जाए तथा कुछ समय बाद हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए। तदनंतर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों को वैकल्पिक माध्यम के रूप में चलने दिया जाए।

13. सन् 1965 तक भारत सरकार के राजकाज की प्रधान भाषा अंग्रेजी रहे और इस अवधि में हिन्दी गौण राजभाषा रहे। सन् 1965 के बाद हिन्दी प्रधान राजभाषा रहे तथा अंग्रेजी के प्रयोग के लिए जो सीमा एवं क्षेत्र निर्धारित करेगी तब तक आवश्यकतानुसार उनका प्रयोग जारी रहे।

संसदीय राजभाषा समिति के पीछे दिये मुख्य सुझावों से राजऋषिदास टंडन और सेठ गोविंददास असहमत और असंतुष्ट थे और उन्होंने यह आरोप लगाया कि सरकार ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रस्थापित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये हैं।

इन दोनों नेताओं ने समिति द्वारा अंग्रेजी को राजभाषा बनाये रखने का भी घोर विरोध किया। संसदीय समिति ने राजभाषा आयोग के अधिकांश सुझावों को स्वीकार करने की राय राष्ट्रपति को दी। इसके अनुसार राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल, 1960 को संघ राजभाषा के संबंध में एक आदेश जारी किया।

4.3.4 संघ राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के 1960 के आदेश की मुख्य बातें

संविधान के अनुच्छेद 344(4) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा समिति की सिफरिशों के आधार पर विस्तृत रूप से जारी 27 अप्रैल 1960 का आदेश राजभाषा कार्यान्वयन के लिए विशेष महत्त्व रखता है। जिसमें मुख्य बल निम्नलिखित बातों पर दिया गया–

1. **शब्दावली**–ऐसी शब्दावली तैयार की जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शब्दों को अपने अनुकूल कर सके।[1]

2. **अनुवाद कार्य**–संहिताओं तथा अन्य कार्यविधि साहित्य के अनुवाद में एकरूपता लाने की दृष्टि से शिक्षा-मंत्रालय को सांविधिक नियमों, विनियमों व आदेशों को छोड़कर अन्य समस्त अनुवाद का काम सौंपा गया[2]

3. **कर्मचारियों को प्रशिक्षण**–हिन्दी प्रचार, उच्चतर व अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में परीक्षा का माध्यम, विधि के क्षेत्र में हिन्दी कार्यान्वयन हेतु व हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए इस आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया।

4. प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद।

5. हिन्दी प्रचार।

6. केंद्रीय सरकारी विभाग के स्थानीय कर्मचारियों के लिए भर्ती।

7. प्रशिक्षण संस्थाओं में हिन्दी माध्यम से शिक्ष की व्यवस्था।

8. अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में भर्ती–परीक्षा का माध्यम।

9. अंतर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग के लिए नीति अपनाना।

10. अधिनियमों, विधेयकों के हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था।

11. विधि व न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग।

12. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजना व कार्यक्रम।

गृह मंत्रालय को निर्देश दिये गये कि हिन्दी के प्रयोग के संबंध में योजना तैयार की जाये तथा कार्रवाई करें। आदेश में कहा गया–(इस योजना का उद्‌देश्य होगा संघीय प्रशासन में बिना कठिनाई के हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रारंभिक कदम उठाना और संविधान के अनुच्छेद 343 खंड (2) में किये गये उपबंध के अनुसार संघ के विभिन्न कार्यों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग कहाँ तक किया जा सकता है यह बात इन प्रारंभिक कार्रवाइयों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करेगी। इस बीच प्राप्त अनुमान के आधार पर अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी के वास्तविक प्रयोग की योजना पर समय-समय पर पुनर्विचार और उसमें हेर–फेर करना होगी[4]

राष्ट्रपति का यह आदेश भावी योजनाओं का स्पष्ट चित्रण था, किन्तु संभवतः राजभाषा कार्यान्वयनअपेक्षानुसार नहीं हो सकता। इस आदेश से पूर्व, संविधान की

---

1. "गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 2/8/60––रा भा दि. 27 4 60
2. "राष्ट्रपति का 27 अप्रैल, 1960 के आदेश की धारा 14, गृह मंत्रालय द्वारा हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन 1985 तक पृष्ठ–9
3. "गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं. 2/8/60–रा.भा.दि. 27 अप्रैल 19 60
4. "गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं. 2/8/60–रा.भा.दि. 27 अप्रैल 19 60

धारा 343(2) की प्रदत्त शक्तियों के अनुसार 3 दिसंबर 1955 को आदेश जारी किया गया जिसमें निर्दिष्ट कार्यों की सूची दी गई थी।[1]

इसी प्रकार 8 दिसंबर 1955 को आदेश जारी किया गया, जिसमें हिन्दी पत्राचार की आरंभिक वयवस्थायें निर्दिष्ट की गईं।[2]

17 मार्च, 1961 में समस्त प्रादेशिक भाषाओं के लिए एक लिपि अर्थात् देवनागरी लिपि स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया। प्रस्ताव लानेवाले सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने अपना प्रस्ताव इस प्रकार रखा:

This House is of the opinion that Dev nagiri be adopted as a common script for all the regional languages in order to bring them closer to each other.[3]

इस प्रस्ताव पर काफी वाद-विवाद हुआ। तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री दातार ने इस प्रस्ताव को असामयिक व अनुपयुक्त तथा देश की अखंडता पर प्रभाव डालने वाला बताया, जिसके कारण श्री शास्त्री जी ने अपना प्रस्ताव 1 अप्रैल 1961 को वापस ले लिया। हम समझते हैं कि श्री शास्त्री का यह प्रस्ताव सामयिक था तथा इससे हिन्दी को तो बल मिलता ही, राजभाषा का जो प्रश्न आज भी उसी प्रकार प्रश्न ही बना हुआ है जो आरंभ में था, उसका समाधान भी होता। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने से भारतीय भाषाओं को समीप आने का अवसर मिलता और निश्चित रूप से आज हिन्दी को जिस विरोध का सामना करना पड़ रहा है, न करना पड़ता।

4.3.5 राजभाषा अधिनियम 1963

संविधान में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविधान लागू होने के 15 वर्ष के बाद अर्थात् 1965 के पश्चात सारा सरकारी कामकाज हिन्दी में शुरू होना था परंतु सरकार की अस्पष्ट नीतियों के कारण यह संभव न हो सका। हिन्दी को उसका निर्धारित स्थान उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार तथा हिन्दी भाषा क्षेत्रों को जो ठोस कदम उठाने थे उनमें जो शिथिलता परिचालित हो रही थी् उससे लाभ उठाकर स्वार्थी राजनीतिकों ने हिन्दी के पक्ष को दुर्बल बनाने के लिए जहाँ भी अवसर मिला साधारण जनता को भड़काना आरंभ कर दिया। अहिन्दी भाषी क्षेत्र मद्रास में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने हिन्दी का विरोध भड़काकर एक नया मोड़ दे दिया। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में आग भड़क उठी। पक्ष-विपक्ष, समर्थन-विरोध का आंदोलन आरंभ हो गया जो हिन्दी के लिए अहितकर सिद्ध हुआ। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में आयोजित आंदोलनों ने हिन्दी को लाभ पहुँचाने के बदले हानि पहुँचाई। हिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी के समर्थन

1. "गृह मंत्रालय की दिनांक 3 1955 की अधिसूचना दिसंबर संख्या 58/2/54
2. "गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 59/2/54 पृष्ठ 1 दि. 8 दिसंबर 1958
3. "लोकसभा की कार्यवाही, 17 मार्च 1961"

में और अहिन्दी क्षेत्रों में राजनीतिक कुचक्र में हिन्दी के विरोध में बुलंद आवाजें उठीं। ऐसे में सरकार ने एक मध्य मार्ग अपनाया।

संविधान की धारा 343(2) खंड (1) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत सरकार द्वारा राजभाषा संबंधी विधेयक लोकसभा में लाया गया। तत्कालीन गृहमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में विधेयक रखा।

राजभाषा विधेयक का उद्देश्य था कि जहाँ राजकीय प्रयोजनों के लिए 15 वर्ष बाद हिन्दी का प्रयोग होना था वहाँ व्यवस्था को पूर्व रूप से लागू करके उस अवधि के पश्चात् भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग बनाए रखा जाए।

इससे पूर्व 1959 में एंग्लो इंडियन वर्ग के नामजद सदस्य फ्रैंक एंथनी ने 7 अगस्त 1959 को प्रस्ताव रखा अंग्रेजी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। फ्रैंक एंथनी चाहते थे कि अंग्रेजी को भारत में उसी प्रकार से सम्मान मिले जिस प्रकार से अन्य भारतीय भाषाओं को दिया गया है।

प्रस्ताव का विरोध करते हुए सी. पी. आई. नेता हीरेन मुखर्जी ने कहा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि हम हमेशा के लिए अंग्रेजी को यथास्थान बनाये रखना चाहते हैं, इसके परिणामस्वरूप, बिना किसी राष्ट्रीय हित के, संक्रमण अवधि को और लंबा पट्टा दे देंगे। इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा "शायद कोई भी सांख्यिकीविद् देश के उस मानसिक नुकसान की अभिकल्पना नहीं कर सकता जो एक सर्वथा विदेशी भाषा को सीखने के कारण हुआ है। निस्संदेह यह सारी कोशिश व्यर्थ नहीं रही है। भाषिक विविधता व्यक्तिगत दृष्टि से भले ही आकर्षणिक हो, परंतु इससे राष्ट्र की हानि होती है। और इस हानि का कारण है हमारी सभ्यता में अंग्रेजी का बोलबाला। यदि हमें एक नव संस्कृति की सृष्टि करनी है तो अंग्रेजी के प्रभुत्व को समाप्त करना होगा।"[1]

इसके पश्चात् भाषा के संबंध में 7 अगस्त, 1959 को एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने संसद में आश्वासन दिलाया कि "मैं दो बातों में विश्वास रखता हूँ, जैसे कि ने अभी कहा किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अनिश्चित काल तक–मुझे मालूम नहीं कब तक—अंग्रेजी को एक अतिरिक्त सहयोगी भाषा के रूप में रखना चाहिए, और मैं रखूँगा। मैं केवल इसमें उपलब्ध सुविधाओं के कारण ही ऐसा नहीं करना चाहता, यद्यपि इस प्रकार के लाभ की भी अवहेलना नहीं की जा सकती, परंतु इसलिए भी अंग्रेजी को बनाये रखना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अहिन्दी भाषी लोग ऐसा महसूस करें कि उन्नति के कुछ मार्ग उनके लिए बंद हैं, क्योंकि सरकार का

---

1. लोकसभा बहस, नई दिल्ली लोकसभा सचिवालय 1959, ग्रंथ 31, संख्या 61–65, मई 8, 1959, पृष्ठ 15967–68

पत्र–व्यवहार हिन्दी के माध्यम से होता है। अतः जब तक जनता की इच्छा होगी मैं अंग्रेजी को विकल्प भाषा बनाये रखूँगा और इस बात का निर्णय मैं हिन्दी भाषा–भाषी लोगों के हाथों में नहीं वरन् अहिन्दी भाषा–भाषी लोगों पर छोड़ूँगा''।

इस आश्वासन के मिलते ही फ्रैंक एंथनी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया तथा बहस को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा ''मैं प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ क्योंकि जितना मैंने मांगा था उन्होंने उससे अधिक दे दिया है''[2]

वास्तव में यही आश्वासन आज तक भी हिन्दी विरोधी तत्वों के लिए ढाल का काम कर रहा है। इससे हिन्दी को बहुत क्षति पहुँची तथा इसके पश्चात् ही एक नए कानून निर्माण की नींव तैयार हो गई जिसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। 1963 का राजभाषा अधिनियम इसी की नींव पर खड़ा हुआ महल है। जहाँ नेहरू के इस वक्तव्य पर अहिन्दी भाषी सदस्यों को प्रसन्नता हुई वहीं हिन्दी भाषी सदस्यों ने इस वक्तव्य का विरोध भी किया। राजभाषा विधेयक 1963 यदि पारित न होता तो संविधान की धारा 343(3) के अंतर्गत 1965 में ही हिन्दी भारत की राजभाषा बन गई होती। जब यह विधेयक लाया गया उस समय संसद में अभूतपूर्व हंगामा हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया पत्र ने लिखा था ''संसद के इतिहास में इस प्रकार के हुल्लड़बाजी के दृश्य इससे पूर्व कभी दिखाई नहीं दिये''। नेहरू ने इस दृश्य को घृणित व लज्जाजनक बताया। उन्होंने कहा ''मैं फिनिश, स्वीडिश अथवा किसी अन्य भाषा को तरजीह दूंगा परंतु इस प्रकार का व्यवहार सहन करने तथा लोकतंत्र का नाश करने को तैयार नहीं''[4]

इस पर अनेक सदस्य सदन चले गये तथा तीन को मुअतल कर दिया गया तथा दो को जबरदस्ती बाहर भेजा गया। एक सदस्य ने संसद भवन में ही विधेयक को जला दिया तथा बाहर लोगों की भीड़ ने नारे लगाये। सांसद प्रकाश वीर शास्त्री ने इसे संविधान विरोधी बताया––''प्रधानमंत्री का इस प्रकार का आश्वासन संविधान की मान्यताओं का उल्लंधन है।. . . .मुझे इस कटु सत्य को कहने की आज्ञा दीजिए कि प्रधान मंत्री का यह आश्वासन उसी प्रकार भी भूल है जिस प्रकार की भूल उन्होंने कश्मीर में जनमत संग्रह करने का आश्वासन देकर की थी।''[5]

---

1. ''लोकसभा बहस नई दिल्ली, लोससभा सचिवालय 1959, ग्रंथ 32 संख्या 1–10 अगस्त 7, 1959, पृष्ठ 1298–99.
2. ''लोकसभा बहस नई दिल्ली, लोकसभा सचिवालय 1959, ग्रंथ 32 संख्या 1–10 अगस्त 7, 1959, पृष्ठ 1331
3. टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक समाचार पत्र, 14 अप्रैल 1963
4. ''लोकसभा बहस नई दिल्ली, लोकसभा सचिवालय 1963, ग्रंथ 17, संख्या 41–50, तीसरा खंड, अप्रैल 13–24, 1963, पृष्ठ 11633
5. ''लोकसभा बहस नई दिल्ली, लोकसभा सचिवालय 1963, ग्रंथ 17, संख्या 41–50, तीसरा खंड, 13–24, 1963, पृष्ठ 11731

कहने की आवश्यकता नहीं कि दोनों पक्ष अपने अकाट्य तर्क देकर दूसरे पक्ष को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। प्रकाशवीर शास्त्री ने इस नीति का विरोध किया जो सरकार के दब्बूपन का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती थी। उन्होंने कहा कि "मुझे अच्छी तरह याद है कि 26 जनवरी को मद्रास नगर में जब हिन्दी विरोधी जुलूस निकाला गया तो उसमें कुछ लड़के थे जो छोटी आयु के थे। आप यदि चाहें तो उनके चित्र भी मेरे पास मौजूद हैं, मैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। . . . . हमसे कहा जाता है कि मद्रास में रेलगाड़ियाँ जलाई गईं, डाकखाने जलाये गाये उसके बाद सरकार के नेता इस तरह का निर्णय लेने के लिए विवश हो गये, तो, प्रधानमंत्री जी मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम इस क्षेत्र के निवासी जो कि पिछले 20 वर्षों से अपनी जबान पर ताला डाले हुए हैं, इस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाहियों से यदि सरकार के निर्णय बदलने लग गये तो आप याद रखिये कि हमने रेलगाड़ियों की पटरियाँ उस समय उखाड़ी थीं जिस समय ये लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। 1942 ई. का वातावरण उनको याद होगा। अगर हमने कहीं इस तरह की ज्वालायें भड़का दीं, जैसी वहाँ उठ रही हैं और क्रांति की यह चिंगारी देश के अंदर उठ पड़ी जैसे के आसार बनने लगे हैं तो यह ज्वालायें आकर संसद भवन को छूएँगी और स्थिति को आप बचा नहीं सकेंगे। साथ ही उसकी सारी जिम्मेदारी इस कमजोर सरकार पर होगी जो इस प्रकार का निर्णय करती है।"[1]

उपर्युक्त चर्चा से हमें संसद में उस समय की परिस्थितियों की जानकारी मिलती है जो सरकार की राजभाषा संबंधी धारणा तथा लोगों की प्रतिक्रिया का स्पष्ट रूप प्रस्तुत करती है। 25 अप्रैल 1963 को विधेयक पारित हो गया जिसके परिणामस्वरूप जो स्थान हिन्दी को 1965 में मिलना था आज तक भी नहीं मिल सका। अंग्रेजी ज्यों-की-ज्यों अपने स्थान पर बैठी है। लोकसभां के बाद राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया। स्थिति ऐसी नहीं है कि हिन्दी ने इसके पश्चात प्रगति नहीं की, बल्कि तत्कालीन गृहमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के अनुसार देश के विभाजन को रोकने के लिए यह विधेयक आवश्यक था।[2] उसके पश्चात हिन्दी धीरे-धीरे प्रगति की ओर बढ़ रही है।

राजभाषा 1963 का अधिनियम पारित होते ही राजभाषा हिन्दी के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया जिसके आधार पर आगामी कार्य योजना तैयार करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। इस अधिनियम के साथ ही एक चरण पूरा करके हम दूसरे चरण में पहुँचे हैं, यह तो निश्चित है। चरण से हमारा तात्पर्य है कि चाहे संविधान में हिन्दी को 1950 में ही माान्यता मिल गई थी, किन्तु अंग्रेजी का साम्राज्य

---

1. "लोकसभा बहस ग्रंथ 38 संख्या 1–10 फरवरी 1965, पृष्ठ 265–269
2. वही, पृष्ठ 269

ज्यों-का-त्यों ही बना रहा। 1963 के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार हमें सभी आदेश, प्रलेख व संसद के समक्ष रिपोर्ट द्विभाषी ही जारी करने हैं, इससे हम केवल अंग्रेजी युग से द्विभाषिकता के युग में आ गये हैं।

हम समझते हैं कि हिन्दी कार्यान्वयन की दिशा में यह पहला एवं महत्त्वपूर्ण कदम था। क्योंकि इससे पूर्व राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं गया था। अधिनियम की धारा 4(1) में कहा गया है कि धारा 3 के लागू होने के 10 वर्ष पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा एक समिति गठित की जायेगी तथा 4(2) में समिति के सदस्यों की संख्या 30 दी गई है जिसमें 20 सदस्य लोकसभा व 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। समिति का कार्य था संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनरावलोकन करना तथा प्रतिवेदन अपनी सिफारिशों सहित राष्ट्रपति को भेजना।

इस प्रावधान के अनुसार संसदीय राजभाषा समितियों का गठन किया गया जो प्रभावशाली ढंग से काम कर रही हैं। अधिनियम की धारा 8(1) में केंद्र सरकार को राजभाषा के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया इसमें कहा गया कि "केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके बना सकेगी।

इस प्रकार 1963 के राजभाषा अधिनियम की धाराओं का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम ने राजभाषा कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यद्वार का काम किया है जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल है।

1963 के अधिनियम के क्रम में 1968 में राजभाषा के लिए संकल्प संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ। इसमें संसद ने राजभाषा कार्यान्वयन के लिए संकल्प लिया इसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं[1] :

1. संविधान की धारा 343 व 351 के प्रावधानों का अनुपालन।

2. अष्टम अनुसूची में दी गई 18 भाषाओं के विकास हेतु सामूहिक उपाय।

3. वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना तथा किये जानेवाले उपायों एवं प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखना तथा रिपोर्ट सभी राज्यों को भेजना।

4. सभी राज्यों के लिए त्रिभाषा सूत्र लागू करना।

5. संघ लोक सेवा आयोग से विचार जानने के बाद अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति।

---

1. "राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 18 जनवरी 1968 के संकलन संख्या एफ 5/8/65 रा. भा. की प्रति से साभार।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिये कि 1963 के अनुसार द्विभाषिक स्थिति लागू हो गई है, जिसमें कि संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषायें प्रयुक्त की जा सकती हैं।[1]

4.3.6 राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967

समय-समय पर पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गये आश्वासनों तथा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राजभाषा विधेयक 1963 को प्रस्तुत करते समय अहिन्दी भाषियों को दिखाये गये विश्वास को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1967 में एक नया राजभाषा संशोधन अधिनियम संसद ने पारित किया, जिसमें राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के स्थान पर नये उपबंध लागू हुए जो निम्नलिखित हैं :

3.(1) संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा नियत दिन से ही–

क. संघ के उन राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी तथा

ख. संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी।

अधिनियम की धारा 4 के अंत में जोड़ा गया है कि :–

(परंतु इस प्रकार निकाले गये निदेश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे)

1967 का विधेयक, जिसमें उपरोक्त उपबंधों का समावेश किया गया, 17 नवंबर 1967 को लोकसभा में प्रस्तुत तथा 16 दिसंबर 1967 को पारित हुआ। राज्यसभा ने इसे 22 दिसंबर को पारित किया। 8 जनवरी 1968 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई।

इस विधेयक के अनुसार गृह मंत्रालय के आदेश में कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं को स्पष्ट किया गया। इसमें मुख्य रूप से इस बात की व्यवस्था रखी गई कि अंग्रेजी सरकार के कामकाज के लिए सहभाषा के रूप में तब तक बनी रहेगी जब तक अहिन्दी भाषी राज्य हिन्दी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत न हो जायँ। जिस राज्य ने हिन्दी को सरकारी कामकाज के लिए नहीं माना है उसके साथ केंद्रीय सरकार अंग्रेजी में पत्राचार करेगी। जिस राज्य ने हिन्दी को सरकारी कामकाज के लिए अपना लिया है उस राज्य के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार करेगी तथा जिसने हिन्दी को सरकारी काम काज के लिए नहीं अपनाया है उसे हिन्दी पत्र के साथ उसका अनुवाद भी भेजा जायेगा। लेकिन वह राज्य जिसने सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी को नहीं अपनाया है, वह अंग्रेजी पत्र के साथ हिन्दी

---

1. "गृह मंत्रालय भारत सरकार का कार्यालय ज्ञान सं. 2/29/68–रा. भा. दिनांक 6 जुलाई 1968

अनुवाद भी भेजा जायेगा। लेकिन वह राज्य जिसने सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी को नहीं अपनाया है, वह अंग्रेजी पत्र के साथ हिन्दी अनुवाद भेजने के लिए बाध्य नहीं होगा। इन राज्यों को इस बात की छूट दी गई है कि वह हिन्दी भाषी राज्यों के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार कर सकते हैं। केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों या कंपनियों, निगमों आदि के कार्यालयों के पारस्परिक पत्र-व्यवहार में हिन्दी पत्र के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी पत्र के साथ उसका हिन्दी अनुवाद भेजा जायेगा। सरकारी संकल्पों, सरकारी आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक रिपोर्टों, प्रेस विज्ञप्तियों आदि में हिन्दी व अंग्रेजी का साथ-साथ प्रयोग किया जायेगा। संसद में प्रयुक्त किये जानेवाले कागजपत्र भी दोनों भाषाओं में रहेंगे और सरकार की ओर से जारी या निष्पन्न संविदाओं, करारों आदि में तथा लाइसेंसों, परमिटों, टेंडर फार्मों आदि में दोनों भाषाओं को प्रयोग किया जायेगा, इसी के साथ भाषानीति विषयक एक संकल्प पारित किया गया जिसका पहले उल्लेख किया गया है।

विधेयक पर हुई बहस के दौरान श्री यशवंत राव चव्हाण ने कुछ महत्त्वपूर्ण घोषणायें कीं। मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि

–केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी अपनी फाइलों का सारा काम हिन्दी में कर सकता है।

– हर मंत्रालय में एक अनुवाद एकक खोला जायेगा ताकि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की अधिक सुविधा हो।

इस प्रकार एक लंबी द्विभाषिक स्थिति शुरू हो गई जिसमें प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सरकारी कामकाज में हिन्दी या अंग्रेजी में से किसी भी भाषा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हो गया। उसे हिन्दी या अंग्रेजी में तैयार किये गये नोट या प्रारूप का स्वयं दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं देना होगा। साथ ही धारा 3 उपधारा 3 के अंतर्गत सामान्य आदेश, नोटिस, टेंडर, अनुबंध, करार संसद के सामने रखे जानेवाले कागजात, विज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति इत्यादि में हिन्दी व अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया।

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के 6 जुलाई 1968 के प्रशासनिक आदेश द्वारा मंत्रालयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया[1] तथा अपेक्षा की गई थी कि अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें।

4.3.6 (क) राजभाषा प्रभाग की स्थापना

राजभाषा नीति के निर्धारण तथा उसके कार्यान्वयन का कार्य प्रभावी ढंग से

---

1. गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन 2/29/68 दिनांक 6 जुलाई 1968

लागू व नियंत्रित करने के लिए गृह मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए एक प्रभाग 1968 में बनाया गया जो 25 जून 1975 तक प्रभाग के रूप में कार्य करता रहा।[1] 25 जून 1975 से इस प्रभाग का स्तर बढ़ाकर विभाग बना दिया गया। निश्चित रूप से वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने, मूल्यांकन रिपोर्ट व अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस प्रभाग ने कई महत्त्वपूर्ण कार्य किये।

4.3.6 (ख) वार्षिक कार्यक्रम

प्रथम बार 1968-69 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी वार्षिक कार्यक्रम बनाया गया जो 1968 में पारित संकल्प के अनुपालन की शुरुआत है। 1973-74 के वार्षिक कार्यक्रम में हिन्दीभाषी क्षेत्रों में स्थित उपक्रमों एवं निगमों से पहली बार कहा गया कि वह अधिनियम का अनुपालन करने के लिए टाइपराइटरों, हिन्दी अनुवाद के लिए स्टाफ और अहिन्दीभाषी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त प्रबंध करें। इसके पश्चात प्रति वर्ष गहन वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया।

जुलाई 1968 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में कुछ समय के लिए ढील दी गई थी, किन्तु उन्हें निर्देश दिया गया था कि राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति को लागू करने के लिए हिन्दी अनुवाद का जल्द. से. जल्द प्रबंध करें।

1973-74 के वार्षिक कार्यक्रम में इस बात पर पहली बार बल दिया गया कि कार्यालयों में अंग्रेजी-हिन्दी व हिन्दी-अंग्रेजी में अनुवाद के लिए स्टाफ की नियुक्ति करें तथा फार्मों का हिन्दी में अनुवाद व उनकी छपाई आदि की प्रारंभिक कार्रवाई की जाए। इस उद्देश्य से राजभाषा प्रभाग द्वारा अक्तूबर 1964 में कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया तथा बाद में इसे वार्षिक कार्यक्रम में 1974-75 में सम्मिलित किया गया। इसके लिए मार्च 71, अप्रैल 71 तथा मई 73 में अलग से कार्यालय ज्ञापन जारी किये गये।[2]

1974-75 के वार्षिक कार्यक्रम में अहिन्दीभाषी क्षेत्रों व कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण के लिए बल दिया गया तथा इसकी व्यवस्था के लिए पग उठाने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रकार राजभाषा हिन्दी का हाथी, अधिनियम संशोधन व कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार मंथर गति से चलने लगा और 1975 के अंत तक आते-जाते इसका स्वरूप लगभग स्पष्ट-सा हो गया। अब तक इस क्षेत्र से जुड़े लोगों ने इसकी सभी समस्यायें व उनके समाधान की रूपरेखा अपने मस्तिष्क में तैयार कर ली थी जो आरंभ से अब तक के प्रयासों से स्पष्ट हो जाता है।

---

1. "राजभाषा प्रभाग, गृह मंत्रालय का. का. ज्ञा. 2/29/68, रा. भा. दिनांक 7-7-68
2. "गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग का कार्यालय ज्ञापन 7/2/71, दिनांक 16-4-71

आगे हम समय-समय पर इस क्षेत्र में हुए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करके स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।

4.3.7 वर्ष 1975 के अंत तक विभिन्न क्षेत्रों में किये गये प्रयास

हमने अब तक राजभाषा की संवैधानिक पृष्ठभूमि तथा राजभाषा के संबंध में वर्ष 1963 से 1975 तक के अधिनियमों, नियमों का विवेचन एवं विवरण दिये हैं। इस क्षेत्र में वैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जो प्रयास हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए किये गये उन पर दृष्टिपात नहीं करेंगे तो शोध का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अतः अब हम इस अवधि में इस संबंध में सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवेचन करेंगे। सांविधिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए किये गये प्रबंध और उपाय इस प्रकार हैं :

क. अनुवाद प्रबंध

सर्वप्रथम यह आवश्यकता महसूस की गई कि अंग्रेजी, जो हमारे कार्यकलापों व प्रशासनिक ढाँचे का आधार बनी हुई है उसके स्थान पर हिन्दी में आधारभूत संहितायें, मैन्युअल, फार्म आदि तैयार किये जायें, क्योंकि यहीं से हमारे समस्त कार्यालयों का आरंभ होता है। इसमें विभागीय कार्यविधि साहित्य का अनुवाद, सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण आरंभिक उपाय है। जिस कार्यविधि साहित्य का अनुवाद किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई वह न केवल मात्रा में बहुत अधिक था, बल्कि वह अलग-अलग अभिकरणों को सौंपा गया। सांविधिक कागज व प्रलेख अर्थात् अधिनियम, नियम, विनियमों का अनुवाद कार्यविधि मंत्रालय के राजभाषा (विधायी) आयोग को दिया गया। सभी मैन्युअलों, फार्मों, और अन्य असांविधिक प्रकार के कार्यविधि साहित्य का हिन्दी अनुवाद शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय हिन्दी निदेशालय को सौंपा गया।[2]

राष्ट्रपति के 27 अप्रैल 1960 के आदेश के पैरा 4 में निहित निर्देशों के अनुसार मैन्युअलों, फार्मों, असांविधिक प्रकार के कार्यविधि साहित्य के अनुवाद का कार्य शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय हिन्दी निदेशालय को सौंपा गया था। इसके लिए 1961 में एक समय-सारणी निर्धारित की गई। 1969 में केंद्रीय हिन्दी निदेशालय से कहा गया कि वह मैन्युअलों के अनुवाद से संबंधित कार्य निर्धारित तिथि पर पूरा करें।[3]

---

1. "राजभाषा प्रभाग, गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन 7/12/68 रा. भा. दिनांक 15-1-69 "गृह मंत्रालय के आदेशों की पुस्तिका"
2. "राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के आदेशों की पुस्तिका" राजभाषा प्रभाग का कार्यालय ज्ञापन 26/46/71 रा. भा. दिनांक 7-12-71
3. "राजभाषा प्रभाग, गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 7/12/68 रा. भा. 15/1/68 व कार्यालय ज्ञापन 16 9 69 रा. भा. दि. 17 5 69

सभी मंत्रालयों/विभागों को कहा गया कि वे अपने मैन्युअलों के अनुवाद की स्थिति का पुनरीक्षण करें और इसके लिए एक कार्यक्रम बनायें। अत्यंत तकनीकी प्रकार की पुस्तकों व मैन्युअलों के लिए यह उचित समझा गया कि अंतिम रूप से पुनरीक्षित अनुवाद की संबंधित मंत्रालय/विभाग के किसी हिन्दी जाननेवाले तकनीकी अधिकारी से जांच करा ली जाए।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 1971 को की गई और अनुवाद का यह काम भी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया।[1] इसके बाद मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध किया गया कि वह इस कार्य की जिम्मेदारी एक विशेष अनुभाग को सौंप दें जिससे कि काम जल्दी से किया जा सके और इसकी प्रगति पर निगरानी रखी जा सके तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार ने अपने अर्द्धशासिकीय पत्र की टिप्पणी में निर्देश दिया कि अनुवाद कार्य के लिए संपर्क करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी निश्चित किया जाए। तीनों रक्षासेनाओं को निर्देश दिये गये कि वे अपने स्तर पर ही अनुवाद की व्यवस्था करें किन्तु इसके लिए आवश्यकता अनुसार केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संपर्क व सलाह ले सकते हैं।

अनुवाद करने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था

जब एक भाषा से दूसरी भाषा में माध्यम परिवर्तन होना है तो उसके लिए अनुवाद कार्य हेतु कर्मचारियों की आवश्यंकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि सभी कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त नहीं थे। वे अपना कार्य मौलिक एवं स्वतंत्र रूप से हिन्दी में करने में असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त दूसरी आवश्यकता इसलिएं भी अधिक महसूस की गई–

1. राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967 के कारण आरंभ हुई द्विंभाषिक स्थिति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए।

2. प्रत्येक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को अपना सरकारी काम हिन्दी-अंग्रेजी किसी भी भाषा में करने की स्वतंत्रता दी गई और उसे स्वयं दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं करना था।

3. जब तक सभी कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न हो जाये तब तक पत्र व्यवहार आदि का अंग्रेजी या हिन्दी में यथा स्थिति अनुवाद करना।

4. असांविधिक और बार-बार प्रयुक्त होनेवाले विभागीय कार्यविधि साहित्य के अनुवाद के लिए।

---

1. "राजभाषा प्रभाग गृह मंत्रालय का ज्ञापन सं. 26/46271 रा. भा. दि. 7-12-71

अनुवाद का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए संबंधित विभाग/मंत्रालय/कार्यालय के आकार व संगठनात्मक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हिन्दी अनुवादक नियुक्त करने का निर्देश दिया गया।[2]

इसके लिए सुचारु कार्यान्वयन हेतु योजनेत्तर पदों के निर्माण पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा नियुक्तियों पर लगाये गये प्रतिबंध में भी छूट दी गई।[3] अनुवादकों के पदों की संख्या का निर्धारण करने के लिए मानक निर्धारित किये गये। इसके लिए प्रतिदिन प्रति अनुवादक 1350 शब्द निर्धारित किये गये, जिससे पदसृजन में सुविधा रही।[4]

आज जो स्थिति चल रही है पहले यह अनुमान लगा लिया गया कि यह द्विभाषिक स्थिति इतनी जल्दी समाप्त होनेवाली नहीं है, इसलिए यह महसूस किया गया कि अनुवाद एकक को जारी रखना होगा। अतः यह निर्णय लिया गया कि हिन्दी अनुवादकों के जो पद तीन वर्ष से चल रहे हैं वे स्थायी कर दिये जायें।[5] इस प्रकार की व्यवस्था से निश्चित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा।

ख. हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था

कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए जहाँ भी अंग्रेजी टाइपराइटर चाहिए वहीं हिन्दी को बढ़ोत्तरी देने के लिए हिन्दी टाइपराइटरों की आवश्यकता अनुभव की गई। 1968-69 से हर वर्ष इस विषय को वार्षिक कार्यक्रम में रखा गया। सन् 1972—73 के वार्षिक कार्यक्रम में यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 1973 तक हिन्दी टाइपराइटर खरीद लिये जायें।[6] निदेशों के बावजूद इस क्षेत्र में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

ग. सहायक साहित्य की व्यवस्था

टिप्पण तथा लेखन में हिन्दी के प्रयोग में सहायता करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार

---

1. "हिन्दी सलाहकार का अ. सरकारी पत्र 4/11/71 रा. भा. एकक दि. 31-12-71
2. "गृह मंत्रालय राजभाषा प्रभाग का रा. भा. 6/59/64 रा. भा. दि. 19-12-64
3. "वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कार्यालय ज्ञापन एफ 14(14)(ई) (एफ आई)70 दिनांक 17-11-1970
4. "गृह मंत्रालय राजभाषा प्रभाग का रा. भा. ज्ञा. 20/3/70 रा. भा. एकक दि. 1-1-72
5. "गृह मंत्रालय राजभाषा प्रभाग का राभा ज्ञा. ई 11034/17/72 रा. भा. दि. 9-3-72
6. "गृह मंत्रालय राजभाषा प्रभाग का राभा. ज्ञा. ई 11013/1/71 रा. भा. (1) 30-12-72

अपने अनुभागों और अधिकारियों को सहायक साहित्य उपलब्ध करायें।[1] आरंभ में छोटे-छोटे कार्यों से अंग्रेजी के साथ हिन्दी शब्दों का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया। अनुदेश जारी किया गया कि सामान्य रूप से सभी सरकारी समारोहों के लिए निमंत्रण पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी करने की पद्धति अपनाई जाए।[2]

यह निर्णय लिया गया कि सभी फार्म हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापे जाने चाहिए (पहले हिन्दी बाद में अंग्रेजी)। इस आदेश को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी मुद्रणालयों को ये अनुदेश जारी किये गये कि वे केवल अंगेजी में कोई भी फार्म न छापें। केवल अंग्रेजी के छापे फार्मों का समुचित स्टाक होने के बावजूद ये सभी फार्म हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपवा लेने चाहिए।[3]

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रयोग में आनेवाले सभी फार्मों का पूर्ण पुनरीक्षण किया जाए और वैज्ञानिक तथा तकनीकी, लेखा और लेख परीक्षा आदि शब्दावलियों की सहायता से उनके अनुवाद तुरंत करने के लिए तत्काल प्रयत्न किये जाएँ, जिससे कि सभी फार्म छपाई के लिए द्विभाषिक रूप में भेजे जायें और फार्मों को सरकारी मुद्रणालयों को छपाई के लिए भेजे जाने से पूर्व अपवादात्मक मामलों में ही छूट माँगी जायें। गृह मंत्रालय की सहमति के बिना फार्मों को केवल अंग्रेजी में छपवाने के लिए सीधे सरकारी मुद्रणालयों को न भेजने का प्रयत्न किया जाए।[4]

सन् 1955 में कहा गया था कि प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकायें संसद को प्रयुक्त होनेवाली रिपोर्ट आदि यदि संभव हो तो अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रकाशित होनी चाहिए। ऐसा विचार है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित की जानेवाली सरकारी पत्रिकाओं में भी हिन्दी का प्रयोग किया जाए तो केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप होगा। इससे सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। तदनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा प्रकाशित की जानेवाली सभी सरकारी पत्रिकाओं में हिन्दी का प्रयोग आरंभ करने के लिए यथोचित कार्रवाई की जाए। शुरुआत के तौर पर तकनीकी पत्रिकाओं में कुछ चुने हुए लेख हिन्दी में प्रकाशित किये जा सकते हैं।[5]

यह भी निर्देश दिये गये कि मंत्रालयों, विभागों आदि के संबंध में सांख्यिकीय सूचना देनेवाली जेबी पुस्तकें द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जानी चाहिए। वर्णन संबंधी अंश द्विभाषिक रूप में छाये जा सकते हैं, जिसमें हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतर एक-दूसरे के आमने-सामने हों और सारणियों के शीर्षक हिन्दी तथा अंग्रेजी में हों

1. गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन 12/9/60 रा. भा. दि. 21-5-1960
2. वही, 5/95/64 रा. भा. दि. 27-10-1964
3. कार्यालय ज्ञापन सं. 7/2/71 रा. भा. दिनांक 16-4-1971
4. कार्यालय ज्ञापन सं. ई 11021/3/73 रा. भा. दिनांक 11-5-1973
5. गृह मंत्रालय कार्यालय ज्ञा. सं. ई 11015/43/73/रा. भा. दि. 27-8-73

ताकि वे जेबी पुस्तकें अनावश्यक रूप से बोझिल न होने पायें तथा साथ ही कागज की बचत हो सके। यदि जेबी पुस्तकों का आकार बड़ा होने की आशंका हो तो हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर अलग-अलग पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित किये जा सकते हैं।[1]

घ. भारत के राजपत्र की हिन्दी में छपाई

भारत के मुद्रणालयों को ये अनुदेश दिये गये कि वे राजपत्र में प्रकाशन के लिए किसी भी सामग्री को तब तक स्वीकार न करें जब तक कि वह साथ-साथ दोनों भाषाओं में अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में न भेजी जायें।

1. "गृह मंत्रालयों को ये अनुदेश दिये गये कि वे राजपत्र में प्रकाशन के लिए किसी भी सामग्री को तब तक स्वीकार न करें जब तक की वह साथ–साथ दोनों भाषाओं में अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में न भेजी जायें।

अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई कि 1962–63 से भारत के राजपत्र के निम्नलिखित चुने हुए भागों को हिन्दी में प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाए। अर्थात् भाग–1 असांविधिक अधिसूचनायें, भाग–3 संघ लोक सेवा आयोग और हिन्दीभाषी संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों द्वारा जारी की जानेवाली अधिसूचनायें भाग–4 निजी व्यक्तियों और निकायों के नोटिस और विज्ञापन, भाग–5, जन्म और मृत्यु के आँकड़े उसके साथ-साथ सरकारी संकल्पों को हिन्दी में भी जारी किया जाए।[2]

इसके पश्चात् 1968 में कुछ कदम और आगे बढ़ाए गए तथा निर्देश जारी किए गये कि यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार संकल्पों नियमों, अधिसूचनाओं और नोटिसों आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य हैं। इसलिए भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए ऐसी सभी सामग्री दोनों भाषाओं में साथ-साथ भेजी जाए।[3]

मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त कार्रवाई करें कि भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजी जानेवाली सभी सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में साथ-साथ भेजी जाए। मुद्रण व लेखन सामग्री नियंत्रक को इसके लिए जाँच बिन्दु बनाया गया तथा अनुरोध किया गया कि वे सरकारी मुद्रणलयों को आदेश दें कि। अप्रैल 1970 से औद्योगिक/निर्वाचन अधिकारियों के निर्णयों, प्राइवेट पार्टियों द्वारा दिये गये नोटिसों और जिन नियमों का अभी तक हिन्दी अनुवाद राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है उनके संशोधनों के

---

1. गृह मंत्रालय कार्यालय ज्ञा. सं. 11020/18/73 रा. भा. दि. 3-10-73
2. गृह मंत्रालय का का. ज्ञा. सं. 16/7/61, रा. भा. दि. 27-3-61
3. वही, 2/18/68, रा. भा दि. 20-3-70

अतिरिक्त जो भी सामग्री केवल अंग्रेजी में प्राप्त हो उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए स्वीकार न करें।[1]

ङ. तिमाही प्रगति रिपोर्ट:

भारत सरकार के कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का एक कार्यक्रम मंत्रिमंडल के अनुमोदन से बनाया गया और उसे 27 मार्च 1961 को सभी मंत्रालयों/विभागों में परिचालित किया गया।[2] इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की जाँच करने के उद्देश्य से अर्धवार्षिक विवरणी का संशोधित प्रपत्र निर्धारित किया गया तथा 25 सितंबर 1961 को परिचालित किया गया। फिर संशोधित करके 8 जनवरी 1963 को परिचालित किया गया।[3] राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967 के उपबंधों और सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में समय-सम्रय पर गृह मंत्रालाय को भेजने के लिए जुलाई 1968 में एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित की गई।[4]

तिमाही प्रगति रिपोर्ट के इस प्रपत्र को पुनः 1972 में संशोधित किया गया तथा इस रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की तिथि भी निर्धारित कर दी गई जो 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 31 अक्तूबर, 31 जनवरी के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।[5]

गृह मंत्रालय में इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट की संवीक्षा की जाती है और जहाँ कहीं इसमें कमियाँ दिखाई देती हैं, उन्हें संबंधित मंत्रालय/विभागों के ध्यान में लाया जाता है, ताकि वे उनको दूर करने के लिए उपाय करें। इन तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर, भाषानीति विषयक सरकारी संकल्प पैरा१ में यथापेक्षित एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है और संसद के समक्ष प्रस्तुत की ज़ाती है। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति बढ़ाने के उपायों का ब्यौरा रहता है।[6]

च. राजभाषा संबंधी समितियाँ

1. केंद्रीय हिन्दी समितिः

प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष, राजभाषा विभाग के सचिव इसके सदस्य सचिव होते

1. "गृह मंत्रालय का. का. ज्ञा. सं. 2/18/68/रा. भा. दि. 20-3-70
2. "कार्यालय ज्ञापन सं. 16/7/51 रा. भा. दिनांक 27-3-61
3. "कार्यालय ज्ञापन सं. 12/76/62 रा. भा. दिनांक 18-1-63
4. "गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/68 रा. भा. दि. 6-7-68
5. "गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञा. सं. 3/51/71 रा. भा. दि. 4-12-72
6. "गृह मंत्रालय का का. ज्ञा. सं. 11024/29/72 रा. भा. एकक दि. 1-5-72

हैं। विदेशमंत्री, कृषिमंत्री, रक्षामंत्री, विधिमंत्री, गृहमंत्री, संचारमंत्री, वित्तमंत्री,, शिक्षामंत्री, सूचना एवं प्रसारणमंत्री, गृह राज्यमंत्री तथा कुछ गैर सरकारी व्यक्ति इस समिति के सदस्य हैं। यह समिति हिन्दी के विकास और प्रसार तथा सरकारी काम-काज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का समन्वय करती है। राजभाषा संबंधी नीति निर्धारण में राज्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने यह निर्णय किया है कि दो अहिन्दी भाषी राज्यों के मुख्यमंत्री और एक हिन्दीभाषी राज्य का मुख्यमंत्री रोटेशन से इसके सदस्य होंगे[1]।

2. केंद्रीय हिन्दी समिति की कार्यान्वयन उपसमिति

केंद्रीय हिन्दी समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए नवंबर 1973 में समिति की एक उपसमिति गठित की गई थी।[2]

3. हिन्दी सलाहकार समिति

सरकार की यह नीति है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और इस संबंध में सलाह देने के लिए जनता से काफी संपर्क रखनेवाले खास-खास मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियाँ बनाई जैसे —1. गृह मंत्रालय 2. शिक्षा मंत्रालय 3. विधि मंत्रालय 4. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 5. रेल मंत्रालय 6. कृषि मंत्रालय 7. डाकतार विभाग, में हिन्दी सलाहकार समितियाँ पहले से काम कर रही हैं। वित्त मंत्रालय में भी हिन्दी सलाहकार समिति बनाई जा चुकी है।

अभी तक गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति राजभाषा नीति निर्धारण के बारे में निर्णय लिया करती थी। स्वतंत्र राजभाषा विभाग बनने के बाद गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के कार्य के स्वरूप को बदलना पड़ा। अब यह समिति अन्य मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की तरह गृह मंत्रालय की राजभाषा नीति के अनुसार हिन्दी के प्रयोग पर नजर रखेगी और उसका प्रयोग बढ़ाने के संबंध में सलाह देगी। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समितियों के बदले में केंद्रीय हिन्दी समिति की उपसमितियाँ काम देख रही हैं।[3]

---

1. "भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, हिन्दी के प्रचार व विकास के संबंध में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट–1975–76 पृष्ठ 41(1)
2. "भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, हिन्दी के प्रचार व विकास के संबंध में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट–1975–76 पृष्ठ 42(2)
3. "गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के हिन्दी केर प्रसार तथा विकास के संबंध में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट" 1975–76, पृष्ठ 412–43

इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान निम्नलिखित मंत्रालयों ने भी केंद्रीय सलाहकार समितियाँ गठित की जानी है :

वाणिज्य, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, उद्योग व नागरिक आपूर्ति ऊर्जा, पेट्रोलियम एवं रसायन, पर्यटन एवं नगर विमानन, नौवहन व परिवहन पूर्ति एवं पुनर्वास, इस्पात व खान और श्रम मंत्रालय।

टिप्पणी : इन सभी मंत्रालयों में निर्धारित अवधि में ही समितियों का गठन किया जा चुका है।

4. गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की उप-समितियाँ

21 फरवरी 1975 को गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दो उप-समितियों का गठन किया गया। इन उप-समितियों ने 1975 में नौवहन और परिवहन, वाणिज्य, पर्यटन व नागर विमानन पेट्रोलियम एवं रसायन, निर्माण एवं आवास, उद्योग व नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, श्रम और गृह मंत्रालय, पुनर्वास, पूर्ति, इस्ताप, खान, स्वास्थ्य परिवार नियोजन राजस्व, राजभाषा, कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग तथा पूर्ति एवं निपटान महा निदेशालय, मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी का कार्यालय, संपदा निदेशालय, सीमा सुरक्षा बल एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महा निदेशक का दौरा किया।[2]

समितियों के सदस्य संबंधित मंत्रालयों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से मिले और यह जानकारी प्राप्त की कि उनके यहाँ हिन्दी का कितना प्रयोग हो रहा है, क्या कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं, उनका क्या व्यवहारिक हल निकल सकता है? जिन-जिन मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में उप-समिति के सदस्य गये वहाँ हिन्दी में सरकारी कामकाज करने के लिए काफी प्रोत्साहन मिला है।

5. संयुक्त सचिवों की समन्वय समिति

इस समिति का कार्य गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) शिक्षा मंत्रालय विधि, सूचना व प्रसारण मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हिन्दी के विकास और प्रसार से संबंधित कार्य तथा कार्यक्रमों का समन्वयन करना तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा केंद्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों को लागू करने में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करना है। राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार इस समिति के अध्यक्ष हैं।

---

1. "गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार हिन्दी के प्रसार तथा विकास के संबंध में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट" 1975–76, पृष्ठ 43(4)

6. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

यह संशोधित राजभाषा अधिनियम के उपबंधों तथा सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को हिन्दी शिक्षण के संबंध में गृह मंत्रालय (अब राजभाषा विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करती है और उनके अनुपालन में दिखाई देनेवाली कठिनाईयों व कमियों को दूर करने के संबंध में किये जा रहे उपायों के बारे में विचार करती है। राजभाषा विभाग के सचिव इस समिति के अध्यक्ष हैं और विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में कार्य कर रही राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष इसके सदस्य हैं।

7. संसदीय राजभाषा समिति

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 में व्यवस्था दी गई है कि 26 जनवरी 1975 के बाद एक संसदीय राजभाषा समिति बनाई जायेगी। इस समिति में 30 सदस्य होंगे, जिसमें 20 लोक सभा से 10 राज्य सभा सदस्य होंगे। यह समिति संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की जांच करेगी और उनके संबंध में सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगी। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवायेंगे और सभी राज्य सरकारों को भिजवायेंगे। इस प्रकार रिपोर्ट के बारे में जो विचार प्राप्त होंगे उनके आधार पर राष्ट्रपति या तो सारी रिपोर्ट के बारे में अथवा उसके किसी भाग के बारे में आदेश जारी करेंगे। इसके अनुसार समिति का गठन किया जा चुका है। गृह मंत्रालय में मंत्री श्री ओम महता समिति के अध्यक्ष चुने गये। समिति की पहली बैठक 4 मार्च 1976 को हुई।[1]

8. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

हिन्दी के प्रयोग के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए आदेशों के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए सन 1962 में गृहसचिव की अध्यक्षता में एक हिन्दी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति स्थापित की गई, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल किये गये। हिन्दी सलाहकार उप-समिति की सिफारिश पर 10 दिसंबर 1964 को सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया गया कि वे अपने मंत्रालयों व विभागों में हिन्दी कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियाँ गठित करें।[2]

---

1. टिप्पणीः संसदीय राजभाषा समिति द्वारा आरंभ से लेकर 1992 तक किये गये कार्यकलापों व सुझावों का विवरण अध्याय 4.5 में दिया जायेगा।
2. गृह मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन 6/63/64 रा. भा. दि. 10-12-1964

साधारणतः इन समितियों में संबंधित मंत्रालय/विभाग के विभिन्न प्रभागों का प्रतिनिधित्व करनेवाले उप-सचिव, अवर-सचिव और अनुभाग अधिकारी सदस्य के रूप में होते हैं और हिन्दी अधिकारी इनके सचिव का कार्य करता है। समिति की बैठक की अवधि तिमाही रखी गई। समितियों के कार्य सामान्य रूप में निम्नलिखित हैं[1] :

1. हिन्दी के प्रयोग के संबंध में गृह मंत्रालय के अनुदेशों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना तथा इस बारे में आरंभिक व अन्य कार्यवाही करना।

2. गृह मंत्रालय को भेजी जानेवाली तिमाही प्रगति रिपोर्टों का पुनरीक्षण करना और इस बात को सुनिश्चित करना कि ये रिपोर्ट ठीक समय पर प्रस्तुत की जा रही हैं।

3. हिन्दी के प्रयोग से संबंधित अनुदेशों के कार्यान्वयन में जो कठिनाइयाँ हों उनका पुनरीक्षण करना और जहाँ आवश्यक हो वहाँ गृह मंत्रालय को सुझाव भेजना।

4. हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के हिन्दी शिक्षण१ प्रशिक्षण के बारे में गृह मंत्रालय के अनुदेशों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना।

5. यह सुनिश्चित करना कि हिन्दी, हिन्दी टंकण और आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को उपयुक्त संख्या में भेजा जा रहा है।

बाद में सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी समितियों की सदस्यता का विस्तार करें तथा बैठक में केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधियों को बुलायें। पुनः 1972 में निर्देश दिये गए कि इन बैठकों में शामिल होने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के अधिकारियों को आमंत्रित करें ताकि आनेवाली कठिनाइयों को तत्काल निपटाया जा सके व उन्हें तत्काल ठीक सूचना मिल सके।[2]

इसके पश्चात सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया कि वे हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित अपने संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में ऐसी ही राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन करने हेतु निर्देश दें।[3] इन की बैठकें प्रत्येक तिमाही में होनी चाहिए व कार्यवृत्त संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा जाना चाहिए ताकि संवीक्षा की जा सके। इन्हें और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए गए कि वे स्वयं कार्यालय के काम में हिन्दी के प्रयोग के बारे में आदेशों के कार्यान्वयन की मात्रा व हिन्दी के प्रयोग को

---

1. गृह मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन 5/41/70 रा. भा. एकक दिनांक 12-10-1970 तथा कार्यालय ज्ञापन 5/2/71 रा. भा. एकक दि. 23-02-1972
2. "गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन 11015/82/72 रा. भा. दिनांक 28-11-1972
3. वही, 16/7/71 रा. भा. दिनांक 23-9-1871

निरूत्साहित करने के मामले में मूल्यांकन कर राजभाषा के प्रभावी उप सचिव को अपनी रिपोर्ट दें।[1]

इसके पश्चात इसका क्षेत्र बदलकर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी कर दिया गया तथा इन्हें :

1. हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने के संबंध में गृह मंत्रालय के अनुदेशों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना।

2. हिन्दी, हिन्दी टंकण व आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त संख्या में कर्मचारियों को भिजवाना सुनिश्चित करना।[2]

तदुपरी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि उनके कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ बनाई जाएँ जहाँ, अधीनस्थ कर्मचारियों को छोड़कर 25 कर्मचारी नियुक्त हैं। जहाँ एक ही जगह में दो या अधिक कार्यालय हों तो संयुक्त समिति का गठन किया जा सकता है।[3]

9. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

समस्त राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कार्य का विश्लेषण व समीक्षा करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन गृह सचिव की अध्यक्षता में किया गया। यह समिति दिए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करके उनके अनुपालन में दिखाई देनेवाली कमियों को दूर करने पर विचार करती है।[4]

छ. मासिक बैठकों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा:

सभी विभागों/प्रभागों/मंत्रालयों को सुझाव दिया गया कि संयुक्त सचिव/प्रभागाध्यक्ष अपने शाखा व अनुभाग अधिकारियों के साथ मासिक बैठकों के अन्य मामलों की संवीक्षा करते समय हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा भी करें।[5] इससे निश्चित रूप से हिन्दी कार्यान्वयन की जानकारी मिलेगी तथा कर्मचारी इसके महत्त्व को समझेंगे।

ज. गृह मंत्रालय में उप सचिव(कार्यान्वयन) का पद

हिन्दी कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके तथा समस्याओं की

---

1. गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन 5/20/71 रा. भा. दि. 21-10-1971
2. गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. श. 11013/8/73 रा. भा. दि. 6-6-1973
3. गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. ई 11015/26/73 रा. भा. दिन. 28-1-74
4. गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन 4/1/71 रा. भा. एकक दि. 13-4-71
5. गृह मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन 11015/1/73 रा. भा. दिनांक 4-6-93

तत्काल जानकारी मिल सके तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीति और उसके अंतर्गत बनाये गये कार्यक्रम व प्रशासनिक आदेशों का संबद्ध कार्यालयों में ठीक-ठीक अनुपालन हो रहा है व कार्यान्वयन में आनेवाली अड़चनों को दूर करने की दृष्टि से गृह मंत्रालय में 6-12-1973 से उप-सचिव (कार्यालय) का पद बनाया गया।[1]

झ. हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग

मई 1952 में राष्ट्रपति के 27/5/52 के आदेशों के अधीन 'राजभाषा के राज्यपालों', उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अधिपत्रों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत करने के अनुदेश जारी किए गए थे। बाद में 1955 के आदेशानुसार निम्नलिखित प्रलेखों का द्विभाषी करने का प्रावधान किया गया।[2]

1. जनता के साथ पत्र-व्यवहार

2. प्रशासनिक रिपोर्टें, सरकारी पत्रिकायें, संसद को प्रस्तुत की जानेवाली रिपोर्ट

3. सरकारी संकल्प व विधायी अधिनियमितियाँ

4. जिन राज्य सरकारों ने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपना लिया है, उनके साथ पत्र-व्यवहार

5. संधियाँ व करार

6. अन्य देशों की सरकारों तथा उनके दूतों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र-व्यवहार सन् 1964 में ये फिर दोहराए गए। 1966 में भारत सरकार द्वारा जारी की जानेवाली प्रेस विज्ञप्तियों, विज्ञापनों और अन्य सार्वजनिक नोटिसों के लिए हिन्दी का प्रयोग विहित करने के लिए अनुदेश जारी करके अन्य सरकारी कागजों और कागज-पत्रों के लिए हिन्दी का प्रयोग करने के लिए कहा गया था। 1966 में हिन्दी सलाहकार समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि सभी संकल्प, अधिसूचनायें और प्रशासनिक रिपोर्ट हिन्दी व अंग्रेजी में साथ-साथ जारी की जानी चाहिए।[3]

सभी सामान्य आदेश द्विभाषी जारी हों। यह सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सुझाव दिया कि वे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशासन के कार्यभारी उप-सचिव को सौंपने के संबंध में विचार करें कि जब कोई सामान्य आदेश केवल अंग्रेजी में ही साइक्लोस्टाइल करने के लिए प्राप्त हो तो उसे संबंधित अनुभाग इस टिप्पणी के साथ वापस भेज दिया जाए कि

---

1. गृह मंत्रालय अर्ध शासकीय पत्र सं. ई 11034/16/93/रा. भा. एकक 6-12-73
2. गृह मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन सं. 59/2254(पब–1) दिनांक 8-12-55
3. गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन 5/50/66 रा. भा. दि. 26-9-66

सामान्य आदेश उसके हिन्दी रूपांतर के साथ भेजा जाना चाहिए।[1]

सामान्य आदेश की परिभाषा[2]

1. विभागीय प्रयोग के लिए अभीष्ट और स्थायी प्रकार के सभी आदेश निर्णय या अनुदेश

2. व्यक्तियों के समूह अथवा समूहों से संबंधित या उन्हें संबोधित सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि चाहे वे व्यक्ति सरकारी सेवा से संबद्ध हों अथवा सामान्य जनता से।

3. सभी परिपत्र, चाहे वे विभागीय प्रयोग के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों या जनता के लिए।

राज्य सरकारों को भेजे जानेवाले सभी परिपत्र, सामान्य आदेश की उपर्युक्त परिभाषा में आते हैं। इसलिए उन्हें हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया जाए। परिपत्रों के दोनों पाठों को प्रमाणिक माना जाए न कि एक को दूसरे का अनुवाद तथा दोनों पाठों पर संबंधित प्राधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

ज. हिन्दी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिन्दी में देना[3]

राष्ट्रपति के दिनांक 3-12-1955 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ

क. जनता के साथ पत्र-व्यवहार

ख. हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनानेवाली राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार

ग. अन्य देशों की सरकारों और उनके दूतों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पत्र व्यवहार के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया।

सन् 1961 में मंत्रालयों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित सभी संबंधित कार्यालयों को इस संबंध में अनुदेश जारी करें।

1962 में यह बताया गया कि वह सुविधा, जनता और संभव होने पर किसी भी हिन्दी जाननेवाले व्यक्ति को मूल पत्र हिन्दी में भेजने के लिए किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के लिए कोई आपत्ति नहीं हो।[4] सन् 1971 में बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों से यह कहा गया कि वे उन राज्यों में रहनेवाले व्यक्तियों के साथ किये जानेवाले पत्र-

---

1. गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन 5/57/71 रा. भा. दि. 31-12-71
2. गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन ई 11015/118/73 रा. भा. व. 11015/7/74 दिनांक 28-2-74
3. गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन 5/17/71 रा. भा. दिनांक 21-7-1973
4. गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन 12/79/61 रा. भा. दि. 4-1-62

व्यवहार के लिए, जिसमें आयकर संबंधी नोटिस भी शामिल है, हिन्दी का प्रयोग आरंभ करें।[1]

जिन राज्यों ने अपनी राजभाषा के रूप में हिन्दी को अपना लिया है उनको केंद्रीय कार्यालयों से मूल रूप में भेजे जानेवाले पत्रों में हिन्दी का प्रयोग किया जाए। हिन्दी भाषी राज्यों (बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली) तथा महाराष्ट्र गुजरात व पंजाब राष्ट्रों, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के साथ हिन्दी में पत्र-व्यहार करने का निर्णय किया है, को भेजे जानेवाले सभी मूल पत्र आदि केवल हिन्दी में जारी किये जाने चाहिए। केवल अर्ध सरकारी पत्र कानूनी तथा तकनीकी मामलों से संबंधित पत्र तथा सभी राज्यों को संबोधित परिपत्र ही इसके अपवाद हो सकते हैं, किन्तु अपवादिक प्रकार का पत्र व्यवहार भी यथासंभव हिन्दी में होना चाहिए।[2]

यह बात स्पष्ट कर दी गई कि यद्यपि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आरोप पत्र अंग्रेजी में लेने से इनकार नहीं कर सकते, फिर भी हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके आरोप पत्र का हिन्दी में अनुवाद देना भी सामान्यत : वांछनीय होगा।[3]

ट. हिन्दी टिप्पणी व आलेखन

संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा सन 1961 में अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार सचिवालय के ऐसे चुने हुए अनुभागों में, जहाँ अधिकांश कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो, फाइलों पर टिप्पण में हिन्दी का प्रयोग प्रयोगात्मक आधार पर किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि आरंभ में हिन्दी पत्र-यवहार में संबंधित फाइलों में हिन्दी टिप्पण करना लाभजनक होगा।[4]

ऐसी स्थिति कार्यालयों में पैदा करने का प्रयास किया गया ताकि कार्यालयों में काम करनेवाले कर्मचारी हिन्दी माध्यम से काम करने में रूचि लें लेकिन प्रशाशन इस स्तर तक तैयार नहीं था कि समस्त काम बिना अंग्रेजी के सहारे किया जाय। अतः ऐसी व्यवस्था रखी गई कि हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी का रूपांतर दिया जाय। किन्तु जनवरी 1965 के उपरांत स्थिति में परिवर्तन आ गया। 1963 की धारा 3(1) में यह उपबंध किया गया कि संघ के उन सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाए जिस प्रकार 26 जनवरी 1965 से तत्काल पूर्व

---

1. गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन 16/23/70 रा. भा. दि. 3-10-70
2. गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन 5/88/68 रा. भा. दि. 9-4-69
3. गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन 12/83/61 रा. भा. दि. 5-1-62
4. "राजभाषा विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 16/7/61 रा-भा दि. 27, 3, 61

प्रयुक्त होती थी। इसलिए हरेक कर्मचारी हिन्दी तथा अंग्रेजी में टिप्पणी लिखने का मसौदा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

ये अनुदेश जारी किये गये कि (!) कोई कर्मचारी टिप्पण या आलेखन के प्रयोजन के लिए हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है और उसे स्वयं उसका अनुवाद करने के लिए नहीं कहा जाए (!!) जहां किसी टिप्पणी या पत्र को सरल या छोटा होने के कारण वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग या अन्य कर्मचारी उसके जवाबी या अन्य प्रकार से समझा सकते हों उन स्थितियों के अतिरिक्त, कर्मचारी के संबंधित टिप्पणी या पत्र में प्रयुक्त भाषा का कार्यसाधक ज्ञान न होने पर अनुवाद या सारांश उपलब्ध कराया जाना चाहिए[1]।

ठ. सरकारी कामकाज में बोलचाल की हिन्दी का प्रयोग

हिन्दी के विकास और प्रसार से संबंधित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का समन्वयन करने के लिए प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय समिति कार्य कर रही है। किन्तु शैक्षिक पहलू से हिन्दी के विकास एवं शिक्षण पर विचार करने और व्यवहारिक हिन्दी की समस्याओं के अध्ययन और उस सिलसिले में मार्गदर्शन देने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कोई संस्था नहीं है। आवश्यकता महसूस की गई कि सरकारी कामकाज में ऐसी हिन्दी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, जो आम बोलचाल में प्रयोग होती है व ऐसी हिन्दी हो जो साहित्य के क्षेत्र की भाषा न होकर मुख्यतः जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में खासकर प्रशासन के क्षेत्र में प्रयोग होनेवाली हो। यह भाषा अत्यधिक सरल हो। हिन्दी में लिखने की आदत को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से प्रयोग करनेवालों को हिन्दी शब्दावली का पूरा ज्ञान नहीं होने की स्थिति में यदि देवनागरी लिपि में लिखे हुए अंग्रेजी व अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।[2]

इस संबंध में भारत सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया कि सरकारी कामकाज में हिन्दी पदनामों तथा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करनेवाले कर्मचारी भविष्य में कुछ समय तक पदनामों तथा तकनीकी शब्दावली का अंग्रेजी रूपांतर (कोष्ठकों में देवनागरी लिपि में) भी दे दें, क्योंकि ऐसा करने से उन अधिकारियों को भी सुविधा होगी जो हिन्दी पदनामों आदि से भली-भाँति परिचित नहीं हैं।[3]

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्य विभिन्न क्षेत्रों में हुए जिससे

---

1. राजभाषा विभाग, कार्यालय ज्ञापन, सं. 2/29/68 रा. भा. दि. 6-7-63
2. हिन्दी शिक्षण योजना, भारत सरकार की पुनरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, वर्ष 1974, अध्याय 12, पृष्ठ 75
3. राजभाषा विभाग को पत्रांक का ज्ञा. सं. ई 110024/31/72 राजभाषा दिनांक 3/11/72 व का. ज्ञा. सं. 11024/16/73 रा भा. दिनांक 16-4-73

हिन्दी को प्रशासनिक क्षेत्र में विकसित होने का अवसर मिल गया।

ड. भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप

अप्रैल 27, 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के पैरा 10 में की गई व्यवस्था के अनुसार केंद्रीय सरकार के बजट, साहित्य समेत वैज्ञानिक, तकनीकी और सांख्यिकीय प्रकाशनों में सर्वत्र ही अंतर्राष्ट्रीय अंकों का समान रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। सांविधानिक व व्यवहारिक दृष्टि से सरकारी प्रकाशनों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होना चाहिए।

ढ. नये सरकारी संगठनों का हिन्दी/भारतीय भाषाओं में नामकरण

पहले सभी संगठनों व कार्यालयों का नामकरण प्रयाः अंग्रेजी पद्धति या अंग्रेजी नामों पर रखा जाता था। यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किये जानेवाले नये संगठनों, संस्थाओं आदि के नाम शुरू से ही हिन्दी में या किसी भारतीय भाषा में रखे जाने चाहिए। नाम पट्टों या पत्रशीर्षो पर हिन्दी नामों के साथ–साथ उसके अंग्रेजी पर्याय देने में कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान केंद्रीय सरकारी कार्यालयों/संगठनों/संस्थाओं के अंग्रेजी नामों के साथ-साथ हिन्दी/भारतीय नाम की शुरुआत की जाए। आरंभ में हिन्दीभाषी क्षेत्रों में यह व्यवस्था आरंभ की जाए, बाद में जब इसका पर्याप्त प्रचलन हो जाए तो सभी क्षेत्रों में इसका प्रचलन आरंभ किया जाए।[1]

इन आदेशों का आशय यह था कि हिन्दी/भारतीय नामों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए और अंग्रेजी में लिखे कागज-पत्रों में भी रोमन लिपि में लिखकर इन्हें लोकप्रिय बनाया जाए जैसाकि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन आदि के नामों का प्रयोग करते समय किया जाता है। ऐसा करने के लिए सरकारी स्वामित्व के अधीन कंपनियों के नामों का पंजीकरण, हिन्दी में तार पतों का पंजीकरण और हिन्दी में तार भेजना व इसकी व्यवस्था करना, टेलिफोन डायरेक्टरी हिन्दी में, विभागीय पत्रिकाओं में हिन्दी का प्रयोग व हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ये कुछ ऐसे कार्य थे जो तत्काल रूप से आरंभ कर दिये गये, ताकि संविधान की धारा 351 में दिये गये प्रावधानों के अनुपालन में हिन्दी का यथोचित विकास, प्रचार व प्रसार किया जा सके।

4.3.8 केंद्रीय हिन्दी समिति द्वारा 1975 तक लिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णय

सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ाने के उद्‌देश्य से

1. राजभाषा विभाग, भारत सरकार, गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 5/1/65 रा. भा. दिनांक 1-1-65

सुझाव देने व निर्णय लेने के उद्देश्य से केंद्रीय हिन्दी समिति का गठन हुआ। वर्ष 1974-75 तक केंद्रीय हिन्दी समिति ने कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये जो हिन्दी के प्रचार-प्रसार में बढ़ावा दे सकें।

१. विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठक नियमित रूप से बुलाना

समिति की 26 नवंबर 1974 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय सभी मंत्रालयों को लिखे और उनसे अनुरोध करे कि वे अपनी हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें हर तीन महीने में एक बार नियमित रूप से किया करें।

२. शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिन्दी के प्रचार विकास और प्रशिक्षण के लिए स्वयंसेवी हिन्दी संस्थाओं को सीधे अनुदान देना[1]

समिति ने अपनी 20-12-72 की बैठक में यह राय दी कि गैर-सरकारी संस्थाओं को हिन्दी पढ़ाने के लिए ग्रांट लेने के मामले में सरकार पुनः विचार कर और कोई ऐसा रास्ता निकाले कि राज्य सरकारों से बिना किसी प्रकार के संध के ही इन संस्थाओं को सीधे ग्रांट दी जा सके। लेकिन यह जरूरी है कि जिन संस्थाओं को सीधे ग्रांट दी जाए उसकी उचित देखरेख हो। यह भी तय किया गया कि यदि राज्य सरकारें किन्हीं स्वयंसेवी संस्थाओं के अनुदान संबंधी आवेदन पत्रों को केंद्र के पास न भेजें तो शिक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह ऐसी संस्थाओं के आवेदन पत्रों को विचार के लिए सीधे स्वीकार करें।

३. स्कूलों के छात्रों के लिए जेबी शब्दकोशों का निर्माण[2]

समिति की 10-8-73 को हुई बैठक में यह सुझाव दिया गया कि शिक्षा मंत्रालय को स्कूलों में छात्रों के लिए छोटे-छोटे श्ब्दकोष तैयार करने की योजना बनानी चाहिए। प्रारंभ में ये हिन्दी-अंग्रेजी, अंग्रेजी–हिन्दी में हों, धीरे-धीरे अन्य भारतीय भाषाओं जैसे हिन्दी-तमिल हिन्दी-कन्नड इत्यादि में।

४. अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक हिन्दी अध्यापक की नियुक्ति करना[3]

समिति ने 2-4-74 की बैठक में केंद्रीय हिन्दी समिति ने तय किया कि अहिन्दी

1–3 तक : वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट–1973–74, 74–75, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय अनुलग्न क (घ) केंद्रीय हिन्दी समिति के महत्त्वपूर्ण कार्य, पृष्ठ 110

भाषी क्षेत्रों के प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक हिन्दी अध्यापक की नियुक्ति के लिए शिक्षा मंत्रालय की समिति विचार करे।

५. दिल्ली में हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना[1]

केंद्रीय हिन्दी समिति ने अपनी 26-11-74 की बैठक में गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की यह सिफारिश स्वीकार की कि दिल्ली में केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में एक भारतीय भाषा पुस्तकालय की स्थापना के लिए कार्रवाई की जाए।

६. सरकारी समारोहों के लिए निमंत्रण पत्रों को प्रादेशिक भाषाओं में भी जारी करना[2]

अपनी 2-4-74 की बैठक में समिति ने सहमति प्रकट की कि निमंत्रण-पत्रों को छापने में आवश्यकतानुसार हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। संबंधित निमंत्रण-पत्र किस प्रकार तैयार किया जाय यह बात संयोजकों पर छोड़ दी जानी चाहिए।

७. जनता के प्रयोग में आनेवाले फार्मों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराना[3]

रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की 14 मार्च 1974 को हुई बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि जनता के उपयोग में आनेवाले रेलवे के फार्मों को हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं में भी छपवाने में प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण इन्हें हिन्दीभाषी क्षेत्रों में केवल हिन्दी में और अन्य क्षेत्रों में केवल हिन्दी तथा अंग्रेजी में छपवाया जाए। किन्तु 26-11-74 को केंद्रीय हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में यह राय व्यक्त की कि जनता की सहूलियत के लिए यह उचित होगा कि उनके उपयोग में आनेवाले फार्म क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराये जायें।[4]

8. पत्रों के पतों के लिप्यंतरण में रोमन लिपि की बजाय देवनागरी लिपि के प्रयोग के लिए डाकियों को देवनागरी लिपि का ज्ञान कराया जाय। इसकी शीघ्र व्यवस्था के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता अनुभव की गई। इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में जानेवाले पत्रों के लिए सुविधा होगी।

---

1. 1-3 तक "वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, राजभाषा विभाग" 1973–74 अनुलग्नक (घ) केन्द्रीय हिन्दी समिति के महत्त्वपूर्ण कार्य, पृष्ठ 111
4. "राजभाषा विभाग, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 1973–74, 74–75, अनुलग्न (घ) पृष्ठ 111

9. अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में दुभाषियों और आधुनिक साधनों की व्यवस्था करना

समिति की 2 अप्रैल 1974 को हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुभाषियों की व्यवस्था न होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लेनेवाली ऐसी संस्थाओं को कठिनाई होती है जो हिन्दी में बोलना चाहते हैं। अतः माइक्रोफोन, लाउडस्वीकर, हैडफोन आदि के कुछ पोर्टेबल सेटों आदि की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जब किसी मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए दुभाषियों की आवश्यकता हो तो उनसे काम लिया जा सके।[1]

10. विदेशों में हिन्दी सीखने के इच्छुक विदेशी नागरिकों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को पुस्तकें उपलब्ध कराना[2]

समिति की बैठक 10-8-73 को हुई, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि भारत सरकार द्वारा विदेशों में हिन्दी सीखने के इच्छुक विदेश नागरिकों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम भी तैयार किये जायें जो भारत की संस्कृति और रीति-रिवाजों को प्रतिबिंबित करें।

11. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जानेवाली अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखना

भारत सरकार के 18 जनवरी 1968 के संकल्प के पैरा 4(ख) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजन की जानेवाली अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित सभी भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति दी जायेगी। सामान्य ज्ञान व निबंध के प्रश्न-पत्रों के लिए ऐसी छूट दी जा चुकी है। समिति ने अपनी 10-8-73 की बैठक में यह सिफारिश की कि अन्य प्रश्न-पत्रों में भी हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग की अनुमति देने में तेजी लायें।[3]

12. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी के ही स्तर पर किसी एक भारतीय भाषा की अनिवार्यता[4]

समिति की 2.4.74 को आयोजित बैठक में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा

1–2 "राजभाषा विभाग, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 1973–74, 74–75, अनुलग्न (घ) पृष्ठ 111

3–4, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, अनुलग्न (घ) पृष्ठ 112

अखिल भारतीय तथा प्रथम श्रेणी की केंद्रीय सेवाओं के लिए ली जानेवाली परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्नपत्र के समान किसी एक भारतीय भाषा का प्रश्न-पत्र अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया। समिति ने निश्चित किया कि यह सुझाव आयोग के विचारार्थ कोठारी समिति को भेज दें।[1]

13. संविधान के वर्तमान हिन्दी अनुवाद को प्राधिकृत हिन्दी रूपांतर मानने का प्रश्न

समिति ने 10 अगस्त 1973 की बैठक में संविधान के वर्तमान हिन्दी अनुवाद को प्राधिकृत हिन्दी रूपांतर मानने के संबंध में यह तय किया कि विधि मंत्रालय व गृह मंत्रालय को इस मामले में शीध्र कार्य कर लेना चाहिए।[2]

14. शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति तथा रक्षा व विदेश मंत्रालय में केंद्रीय हिन्दी समिति की उप-समितियों का गठन

समिति ने 20-12-72 की बैठक में यह निर्णय लिया कि शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति और रक्षा तथा विदेश मंत्रालयों में केंद्रीय हिन्दी समिति की उपसमितियों का गठन किया जाए[3]।

15. केंद्रीय सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को हिन्दी प्रशिक्षण देने में प्राथमिकता

बैठक में यह सहमति हुई कि मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से एक पत्र भेजा जाए जिससे मंत्रियों, सचिवों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को हिन्दी सीखने के बारे में मौजूदा सुविधाओं की जानकारी दी जाए। गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया कि हिन्दी सिखाने के लिए आधुनिकतम तौर-तरीके अपनाये जा सकें और पाठों को टेपों व ग्रामोफोन, रिकार्ड आदि द्वारा सीखने का प्रबंध किया जाय। व्यवस्था होने पर आवश्यक सामग्री हिन्दी सीखने के इच्छुक उपर्युक्त प्रकार के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाय।[4]

इस प्रकार केंद्रीय हिन्दी समिति ने 1975 तक उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण निर्णय

1, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, अनुलग्न (घ) पृष्ठ 112

2 केंद्रीय हिन्दी समिति की दिनांक 10-8-1973 की बैठक, भारत सरकार गृह मंत्रालय वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 1973–74, पृष्ठ 113

3. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 1973–74, 74–75ए अनुलग्नक (घ), पृष्ठ 116–117

4. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 1973–74 अनुलग्न(घ), पृष्ठ 116–117

लिये। इनके परिणामस्वरूप राजभाषा कार्यान्वयन को प्रगति मिली। इसके साथ कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने व उन्हें इस योग्य बनाने के उद्देश्य से जुलाई 1952 में शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार के हिन्दी न जाननेवाले कर्मचारियों के लिए हिन्दी का शिक्षण आरंभ किया।[1] जून 1955 में भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सीखने की जरूरत के बारे में गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा तथा कुछ सुझाव दिये। इन सुझावों पर विचार कर समिति ने 1955 में अन्य बातों के साथ-साथ यह तय किया कि सरकारी कामकाज की भाषा के संबंध में गृह मंत्रालय के व्यापक प्रभाव को देखते हुए यह जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाय और हिन्दी कक्षायें कार्यालय समय में ही चलाई जायँ।

इस निर्णय के अनुसार अक्तूबर 1955 से गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हिन्दी कक्षायें कार्यालय समय में चलाई जा रही हैं। इस योजना को "केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण देने के लिए योजना" का नाम दिया गया।[2] आरंभ में यह शिक्षण उन लोगों के लिए था जो अपनी इच्छा से हिन्दी पढ़ना चाहते हैं। बाद में अप्रैल 1960 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के अधीन उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया जो 1 जनवरी 1961 को 45 वर्ष के नहीं हैं। टाइपिस्टों व आशुलिपिकों के लिए भी हिन्दी टाइपिंग व आशुलिपि अनिवार्य कर दी गई। लेकिन तीसरी श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों के वर्ग पर यह आदेश लागू नहीं किया गया।

विभिन्न स्थानों पर काम करनेवाले केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार पूर्णकालिक व अंशकालिक हिन्दी शिक्षण केंद्र खोले गये। इन केंद्रों की देखभाल सर्वकार्यभारी अधिकारी करते हैं तथा अधीनस्थ कार्यालयों में रोस्टर तैयार करने, शिक्षण की स्थिति का रिकार्ड रखने व योजनानुसार कार्य सँभालने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी नामजद करने का निर्णय लिया गया। अधिकारी को प्रभारी उप-सचिव से संपर्क रखने का निर्देश दिया गया। आरंभ में नई दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बंबई, जबलपुर में क्षेत्रीय कार्यालय बनाये गये।

हिन्दी टंकण आशुलिपि प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए 6 केंद्र बंबई ट्रांबे, बेंगलूर, मद्रास, कलकत्ता और जबलपुर में खोले गये।[3]

हिन्दी शिक्षण को प्रभावी व सुचारू रूप से चलाने के लिए समस्त कर्मचारी समूह को चार भागों में बाँटा गया[4]:

क. वर्ग 'क' वे अधिकारी जिनकी मातृभाषा हिन्दी है तथा हिन्दी इतनी अच्छी

---

1. भारत सरकार हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति 1974 रिपोर्ट, पृष्ठ 6 अध्याय १
2. हिन्दी शिक्षण योजना का इतिहास और वर्तमान स्थिति, अनुच्देद 1.1
3. "भारत सरकार हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति 1974, रिपोर्ट, पृष्ठ 2, अनुच्छेद 1.5
4. वही,

तरह जानते हैं कि उन्हें इस समय किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अधिकारियों को सरकारी हिन्दी शब्दावली के इस्तेमाल और हिन्दी में उच्च प्रकार के टिप्पण और आलेखन का बाद में किसी समय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ख. वर्ग 'ख' वे अधिकारी जिनकी मातृभाषा नीचे लिखी किन्हीं भाषाओं में से एक है—पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, पस्तो व अन्य संबद्ध भाषायें।

ग. वर्ग 'ग' वे अधिकारी जिनकी मातृभाषा नीचे लिखी किन्हीं भाषाओं में से एक है, मराठी, गुजराती, बँगला, सिंधी, असमिया, उड़िया तथा अन्य संबद्ध भाषायें।

घ. वर्ग 'घ' वे अधिकारी जो कोई दक्षिण भारतीय भाषा या अंग्रेजी समझते हैं।

उपर्युक्त वर्गीकरण में किसी प्रकार की भावना यह नहीं रही कि अधिकारी की योग्यता के आधार पर फेर-बदल न किया जाये, बल्कि शिक्षक की सलाह पर वर्ग परिवर्तन किया जा सकता है।

योजना को लागू करने के लिए तीन पाठ्यक्रम एक-एक वर्ष के तैयार किये—**प्रबोध**—आरंभिक कक्षा जो दक्षिण भारतीय या अंग्रेजी बोलनेवालों के लिए है। **प्रवीण**—यह बीच का पाठ्यक्रम है व उन कर्मचारियों के लिए हैं जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया, असमिया और सिंधी है। प्राज्ञ—यह हाईस्कूल के समान पाठ्यक्रम है। यह उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी भाषा पंजाबी, उर्दू कश्मीरी इत्यादि है।[1]

इस प्रकार व्यवस्था की गई कि 'घ' वर्गीय कर्मचारियों को तीन, 'ग' वर्ग को दो तथा 'ख' वर्ग को एक पाठ्यक्रम पास करना पड़े। सरकार ने इस संबंध में काफी उदार नीति अपनाई तथा सिखाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिये गये।[2]

क. पढ़ाई या परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं ली जाती।

ख. कक्षायें कार्यालय समय में होती हैं व इस समय को ड्यूटी पर माना जाता है।

ग. 1.5 कि.मी. से अधिक कक्षा में जाने की दूरी के लिए मार्गव्यय मिलता है।

घ. पाठ्य पुस्तकें मुफ्त।

ङ. परीक्षा के लिए वास्तविक मार्गव्यय तथा यात्राभत्ता।

च. परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन राशि।

यह आशा थी कि 1965 तक प्रशिक्षण पूरा हो जायेगा, किन्तु 1965-66 में जब पुनरीक्षण किया गया तब भी बहुत कर्मचारी अप्रशिक्षित थे। इसलिए 1966 में हिदायतें जारी की गईं।

1. प्रति वर्ष प्रत्येक मंत्रालय के कम-से-कम 20 प्रतिशत कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त

---

1 व 2 "हिन्दी शिक्षण योजना का इतिहास और वर्तमान स्थिति, गृह मंत्रालय, भारत सरकार", रिपोर्ट, 1974, पृष्ठ 2, क्रम सं. 1.6

करें।

2. तैनात किये कर्मचारी कक्षा में अवश्य जायें व परीक्षा में बैठना अनिवार्य कर दिया गया।

3. कक्षाओं में नियमित रूप से न जाने पर दंड की व्यवस्था की गई (साथ ही उच्चाधिकारियों को हिदायत दी गई कि कर्मचारियों को कक्षा में भाग लेने से न रोकें)

जब उपर्युक्त हिदायतें बेअसर सिद्ध हुई तो निम्नलिखित उपाय 1967 में के हिदायते जारी की गई।

1. प्रति वर्ष प्रत्येक मंत्रालय के कम–से–कम 20 प्रतिशत कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करें।

2. तैनात किये कर्मचारी कक्षा में अवश्य जायें व परीक्षा में बैठना अनिवार्य कर दिया गया।

3. कक्षाओं में नियमित रूप से न जाने पर दंड की व्यवस्था की गई (साथ ही उच्चाधिकारियों को हिदायत दी गई कि कर्मचारियों को कक्षा में भाग लेने से न रोकें)

जब उपर्युक्त हिदायतें बेअसर सिद्ध हुईं तो निम्नलिखित उपाय 1967 में केंद्रीय हिन्दी समिति के समक्ष आये:[1]

1. भारत सरकार के हर एक मंत्रालय और विभाग में एक अधिकारी को यह काम सौंपा जाना चाहिए जो इस बात की देखभाल करे कि साल में 20 प्रतिशत कर्मचारी कक्षाओं के लिए अवश्य भेजे जायें। वे कक्षाओं में बराबर हाजिर हों तथा पाठ्यक्रम पूरा होने पर परीक्षा में बैठें।

2. जो कर्मचारी कक्षाओं में जाने से इनकार करें या जो बिना कोई ठीक वजह बताये कक्षा से गैर-हाजिर रहें या जो परीक्षा में न बैठें उनके खिलाफ आवश्यक नोटिस देने के पश्चात अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

3. प्रत्येक मंत्रालय व विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाय तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्ष को या प्रशासन का काम देखनेवाले उसके उप–अधिकारी को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाय।

4. यदि प्रत्येक मंत्रालय और विभाग व संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय हिन्दी न जाननेवाले 20 प्रतिशत कर्मचारियों को हर साल भेजें तो सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने का काम 1972 तक पूरा हो सकता है। सन् 1972 से यह अनिवार्य कर दिया जाय कि भर्ती होनेवाले व्यक्ति की परख की अवधि में

---

1. गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट 1974, पृष्ठ 4, क्रम सं. 4

निर्धारित हिन्दी परीक्षा पास करना जरूरी है।[1]

उपर्युक्त हिदायतों के परिणामस्वरूप नामांकित कर्मचारियों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन कक्षा में उपस्थिति व परीक्षा में बैठनेवालों की संख्या में सुधार नहीं हुआ। बल्कि इसके विपरीत तमिलनाडु में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने जनवरी 1971 में यह निर्णय लिया कि राष्ट्रपति के अप्रैल 1960 के आदेश तथा उनके अधीन जारी किये गये प्रतिवादित परिपत्र राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों से मेल नहीं खाते। इसलिए जहाँ तक उन आदेशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है तथा प्रशिक्षण के लिए हाजिर न होने पर दंड की व्यवस्था की गई है वह अवैध है और संबंधित निर्देश रद्द कर दिये गये। इसके पश्चात इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के आदेशों पर रोक लगा दी। यह निर्णय चाहे केवल तमिलनाडु में स्थित कार्यालयों पर लागू होता है किन्तु इसका असर समस्त भारत पर पड़ा। गृह मंत्रालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आदेश जारी किये कि मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। अतः अब तक हिन्दी शिक्षण स्वैच्छिक कर दिया गया व दंडात्मक व्यवस्था वापस ले ली गई।[2]

बाद में पुनर्विचार के पश्चात 13 अप्रैल 1971 को सभी क्षेत्रीय अधिकारियों व सर्वकार्यभारी अधिकारियों को यह सलाह दी गई कि क्योंकि यह आदेश केवल तमिलनाडु के लिए है, अतः शेष क्षेत्रों में दंडात्मक व्यवस्था को छोड़कर शेष सभी योजनायें लागू की जाएँ।[3]

अक्तूबर 1971 में स्टे ऑर्डर प्राप्त होने के पश्चात गृह मंत्रालय ने 4.12..71 के अनुदेश जारी किये अब यह अनुरोध किया जाता है कि विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के संपर्क अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के आदेश सूचित किये जायें तथा हिन्दी का प्रशिक्षण पहले की भाँति देना आरंभ करें।

अध्ययनाधीन अवधि अर्थात् 1953–1973 तक की अवधि के दौरान जितने लोगों ने इस योजना के अंतर्गत परीक्षा पास की उनकी संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	कुल
1953	36	–	–	36
1954	655	–	–	655
1955	362	–	–	362

1. "राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट" 1974, पृष्ठ 4, क्र सं. 4
2. "गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन" सं. 8/19/65, हि. दिनांक 27 4 60
3. वही, सं. 3/8/72–हि–1 दिनांक 13 4 71

1956	259	124	—	383
1957	1488	605	337	2430
1958	1963	2289	1119	5371
1959	2179	2253	1707	6139
1960	3190	3045	2393	8628
1961	5712	10148	3721	19581
1962	12216	21063	8130	41409
1963	8707	16888	11421	37016
1964–65	4827	7230	14233	26290
1965–66	4888	8731	9382	23001
1966–67	3131	5875	7398	16404
1967–68	3533	5378	6332	15243
1968–69	2166	4341	6016	12523
1969–70	6760	5937	6082	18779
1970–71	6954	7182	7207	21343
1971–72	5723	6287	6469	18479
1972–73	5188	5922	5490	16600
1973–74	5383	5120	5095	15598
कुल	85320	118418	102532	306270

कुल ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 606270 थी, जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया तथा कई वर्ष 1973-74 के अंत तक लगभग तीन लाख कर्मचारी ऐसे शेष थे, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना शेष था।[1] इन लोगों में अधिकतर कर्मचारी परिचालन में हैं अथवा ऐसे स्थानों पर हैं जहाँ पर हिन्दी शिक्षण योजना का कोई केंद्र नहीं है।

हिन्दी आशुलिपि की परीक्षायें पास करनेवाले कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है। यह योजना 1960 से आरंभ की गई[2]:

वर्ष	हिन्दी टंकण	हिन्दी आशुलिपि	योग
1960	724	—	724
1961	984	196	1180

1. "राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट 197 परिशिष्ट 3 पृष्ठ 1
2. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट 197, परिशिष्ट–4, पृष्ठ 7

1962	1102	202	1304
1963	1006	162	1168
1964	1089	134	1223
1965–66	1038	201	1239
1966–67	915	203	1118
1967–68	840	183	1023
1968–69	919	278	1197
1969–70	1121	479	1600
1970–7१	1368	548	1916
1971–72	1283	408	1691
1972–73	1388	258	1646
1973–74	1364	193	1557
कुल योग	1541	3445	18586

हिन्दी शिक्षण योजना को अधिक प्रभावी तथा आकर्षक बनाने के लिए समय -समय पर कई उपाय किये गये जिनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं:[1]

1. स्वाध्याय द्वारा परीक्षायें पास करने के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि 1965 से देने की व्यवस्था इस प्रकार की गई थी—प्रबोध 75, प्रदीप 75, तथा प्राज्ञ 100 रुपये। 1968 में इसे बढ़ाकर क्रमशः 250, 250, 300 रुपये कर दिया गया।

2. केंद्रीय हिन्दी निदेशालय(शिक्षा मंत्रालय) द्वारा प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए पत्राचार आरंभ किया गया।

3. केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा द्वारा दिल्ली में दो और तीन महीनों की अवधि में दो प्रकार के गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किये गये। ये दोनों ही प्राज्ञ के बराबर के हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम में 30-30 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई।

4. प्रशिक्षण पास करने पर कर्मचारी 300 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि व एक वर्ष तक अपने वेतनमान में एक वेतन वृद्धि के बराबर पाने का हकदार है।

5. भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों से यह अनुरोध किया गया कि हिन्दी, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि की परीक्षायें पास करनेवाले कर्मचारियों के लिए प्रमाण पत्र, नकद पुरस्कार व एकमुश्त राशि से सम्मानित करने के लिए हर वर्ष कम-से-'कम एक समारोह किया जाए।

6. वयस्क, साक्षरों की जरूरतों को पूरा करनेवाली नई पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जाएँ तथानुसार पुस्तकें तैयार करने का प्रयास भी किया गया।

1. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट–1974 पृष्ठ 8, क्रम सं. 9

1956	259	124	—	383
1957	1488	605	337	2430
1958	1963	2289	1119	5371
1959	2179	2253	1707	6139
1960	3190	3045	2393	8628
1961	5712	10148	3721	19581
1962	12216	21063	8130	41409
1963	8707	16888	11421	37016
1964–65	4827	7230	14233	26290
1965–66	4888	8731	9382	23001
1966–67	3131	5875	7398	16404
1967–68	3533	5378	6332	15243
1968–69	2166	4341	6016	12523
1969–70	6760	5937	6082	18779
1970–71	6954	7182	7207	21343
1971–72	5723	6287	6469	18479
1972–73	5188	5922	5490	16600
1973–74	5383	5120	5095	15598
कुल	85320	118418	102532	306270

कुल ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 606270 थी, जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया तथा कई वर्ष 1973-74 के अंत तक लगभग तीन लाख कर्मचारी ऐसे शेष थे, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना शेष था।[1] इन लोगों में अधिकतर कर्मचारी परिचालन में हैं अथवा ऐसे स्थानों पर हैं जहाँ पर हिन्दी शिक्षण योजना का कोई केंद्र नहीं है।

हिन्दी आशुलिपि की परीक्षायें पास करनेवाले कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है। यह योजना 1960 से आरंभ की गई[2]:

वर्ष	हिन्दी टंकण	हिन्दी आशुलिपि	योग
1960	724	—	724
1961	984	196	1180

1. "राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट 197 परिशिष्ट 3 पृष्ठ 1
2. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट 197, परिशिष्ट–4, पृष्ठ 7

1962	1102	202	1304
1963	1006	162	1168
1964	1089	134	1223
1965–66	1038	201	1239
1966–67	915	203	1118
1967–68	840	183	1023
1968–69	919	278	1197
1969–70	1121	479	1600
1970–7१	1368	548	1916
1971–72	1283	408	1691
1972–73	1388	258	1646
1973–74	1364	193	1557
कुल योग	1541	3445	18586

हिन्दी शिक्षण योजना को अधिक प्रभावी तथा आकर्षक बनाने के लिए समय -समय पर कई उपाय किये गये जिनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं:[1]

1. स्वाध्याय द्वारा परीक्षायें पास करने के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि 1965 से देने की व्यवस्था इस प्रकार की गई थी—प्रबोध 75, प्रदीप 75, तथा प्राज्ञ 100 रुपये। 1968 में इसे बढ़ाकर क्रमशः 250, 250, 300 रुपये कर दिया गया।

2. केंद्रीय हिन्दी निदेशालय(शिक्षा मंत्रालय) द्वारा प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए पत्राचार आरंभ किया गया।

3. केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा द्वारा दिल्ली में दो और तीन महीनों की अवधि में दो प्रकार के गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किये गये। ये दोनों ही प्राज्ञ के बराबर के हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम में 30-30 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई।

4. प्रशिक्षण पास करने पर कर्मचारी 300 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि व एक वर्ष तक अपने वेतनमान में एक वेतन वृद्धि के बराबर पाने का हकदार है।

5. भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों से यह अनुरोध किया गया कि हिन्दी, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि की परीक्षायें पास करनेवाले कर्मचारियों के लिए प्रमाण पत्र, नकद पुरस्कार व एकमुश्त राशि से सम्मानित करने के लिए हर वर्ष कम-से-'कम एक समारोह किया जाए।

6. वयस्क, साक्षरों की जरूरतों को पूरा करनेवाली नई पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जाएँ तथानुसार पुस्तकें तैयार करने का प्रयास भी किया गया।

---

1. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट–1974 पृष्ठ 8, क्रम सं. 9

7. जहाँ टँकण व आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र नहीं है वहाँ अपने प्रयास से उक्त परीक्षायें पास करनेवाले कर्मचारियों को 150 व 300 रुपये का एकमुश्त पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई।[1]

8. हिन्दी शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्णकालिक अध्यापकों को प्रत्येक वर्ष नकद पुरस्कार देने की योजना मंजूर की गई है।[2]

9. नीचे दिये कार्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे केंद्रीय सरकार की प्रथम श्रेणी की सेवाओं में सीधे भर्ती होनेवाले अधिकारियों के लिए मैट्रिक स्तर या प्राज्ञ स्तर का हिन्दी प्रशिक्षण शुरू करें, ताकि हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन उन्हें बाद में हिन्दी न पढ़नी पड़े[3]:

1. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी
2. भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा सेवा अकादमी, शिमला
3. रेलवे स्टाफ कॉलेज, बड़ौदा
4. आयकर अधिकारी प्रशिक्षण कॉलेज, नागपुर
5. सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रशिक्षण स्कूल, नई दिल्ली
6. भारतीय जन संपर्क संस्थान, नई, दिल्ली
7. आसुध निर्माणी महानिदेशालय, कलकत्ता
8. वन अनुसंधान संस्थान और कॉलेज, देहरादून
9. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, नई दिल्ली
10. आर्थिक विकास संस्थान, यूनिवर्सिटी एन्क्लेव, नई दिल्ली–7

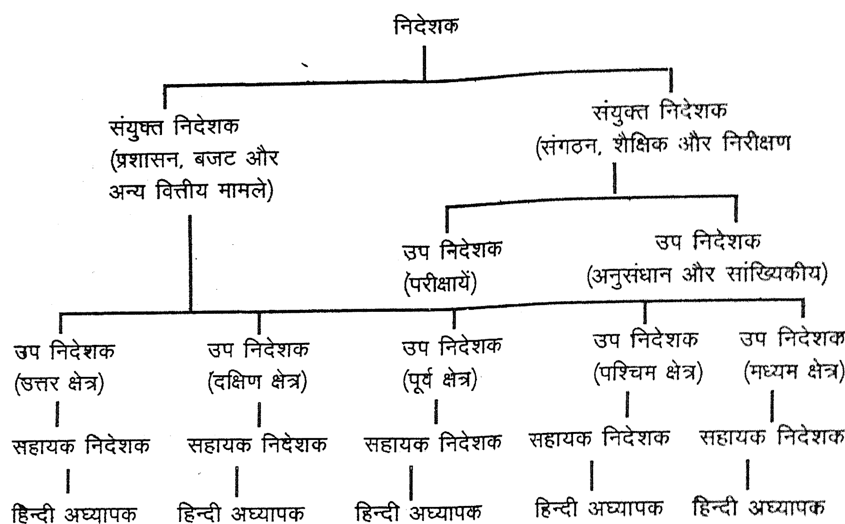
10. राजपत्रित कर्मचारियों के हिन्दी कक्षाओं में आने से तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए गृह मंत्रालय ने हिन्दी शिक्षण योजना के सर्व कार्यकारी अधिकारियों, क्षेत्रीय अधिकारियों, सभी मंत्रालयों व विभागों को लिखा कि काफी संख्या में राजपत्रित अधिकारियों को भी हिन्दी कक्षाओं में हिन्दी शिक्षण के लिए जाना चाहिए।

11. उपस्थिति को अधिक करने के लिए हर क्षेत्र के लिए मंत्रालय ने नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया। अनुवर्तन व समीक्षा की गई कि नामांकन लक्ष्य किसी हद तक पूरा हुआ। इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। 1962 में प्रशिक्षण के आँकड़े इस बात के सूचक हैं जब प्रबोध 12216, प्रवीण 21063 व प्राज्ञ 8130 कर्मचारियों ने परीक्षा पास की।

12. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना के लिए प्रशासनिक ढाँचा बनाया गया ताकि प्रभावी ढंग से उसे लागू किया जा सके।[4]

---

1. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पुनरीक्षण समिति रिपोर्ट–1974, पृष्ठ 8 क्रम सं..9
2–3 गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पुनरीक्षण समिति रिपोर्ट–1974, पृष्ठ 8, क्रम सं. 10
4. "भारत सरकार गृह मंत्रालय हिन्दी के बढ़ते चरण, चार्ट सं. 1, पृष्ठ 5, हिन्दी शिक्षण की प्रगति व पुनरीक्षण समिति रिपोर्ट परिशिष्ट–1(9)



इन कार्यालयों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर स्टाफ की आरंभिक स्थिति इस प्रकार थी :[1]

राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों की स्थिति

	क्षेत्रीय अधिकारी	पर्यवेक्षक सहायक पर्यवेक्षक	हिन्दी टंकण/ आशुलिपि	हिन्दी अद्यापक लेखकार		अन्य श्रेणी लिपिक	स्टेनो श्रेणी–3	निम्न श्रेणी लिपिक
मध्य क्षेत्र	1	4	1	38	–	2	1	10
उत्तरी क्षेत्र	1	6	8	48	1	7	2	8
पूर्व क्षेत्र	1	3	1	41	–	4	1	12
पश्चिम क्षेत्र	1	6	3	55	–	4	1	12
दक्षिणी क्षेत्र	1	5	1	43	–	7	1	7
योग	5	24	14	225	1	24	6	49

13. राजभाषा विभाग की स्थापना–संविधान के राजभाषा संबंधी उपबंधों तथा यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 के उपबंधों तथा योजना और असांविधिक साहित्य के अनुवाद का काम 1975 से पहले तक गृह मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग देखता था। इस काम के महत्त्व को देखते हुए, 26 जून 1975 को भारत सरकार ने दूसरे मंत्रालय व विभागों की तरह एक सचिव के अधीन स्वतंत्र राजभाषा विभाग की स्थापना की।[2]

1. भारत सरकार; राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय', राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण, 1965–75 पृष्ठ 34
2. वही

इस विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये[1] :

1. संविधान के राजभाषा संबंधित उपबंधों तथा-राजभाषा अधिनियम 1963 के उपबंधों का कार्यान्वयन।

2. राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।

3. संघ के विभिन्न प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामले।

4. संविधान, राष्ट्रपति के 27 अप्रैल 1960 के आदेश, राजभाषा अधिनियम 1963 और भाषा के बारे में सरकार के 18 जनवरी 1968 के संकल्प के उपबंधों के संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किये जा रहे राजभाषा से संबंधित कार्यों का समन्वय।

5. केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना।

6. केंद्रीय हिन्दी समिति से संबंधित मामले।

7. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिन्दी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय।

8. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले।

धारा 4 के अनुसार अब स्थिति यह है कि अधिनियम के अधीन नियम बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि शासकीय काम का निपटान अविलंब और कुशलतापूर्वक हो तथा इसमें सामान्य जनता के हितों को भी ध्यान में रखा जाय। खास तौर से इन नियमों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि उनके फलस्वरूप केंद्र के सरकारी कर्मचारी, चाहे वे हिन्दी में दक्षता रखते हों अथवा अंग्रेजी में अपना काम सरलता पूर्वक कर सकें और उनको सिर्फ इस कारण कोई नुकसान न हो कि उन्हें दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान नहीं है।

हम जानते हैं कि भारत के कर्मचारी अपना काम अंग्रेजी में करते आये हैं और इसलिए उन्हें अंग्रेजी में काम करने में सुविधा होती है। क्योंकि अंग्रेजी के व्यवहार में कोई बाधा नहीं है, इसलिए उनमें से अधिकतर लोग यह नहीं समझते कि उन्हें हिन्दी में दक्षता प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे कि वे हिन्दी के माध्यम से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं, उनका कोई अहित न हो[2]।

ख. सन् 1960 के राष्ट्रपति के आदेश में, केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है लेकिन साथ ही यह भी

---

1. भारत सरकार, राजभाषा, विभाग, गृह मंत्रालय, राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण 1965-75, पृष्ठ 34
2. "राजभाषा" (संबोधन) अधिनियम 1967 धारा 4 उपधारा 1, 2, 3

अनुदेश दिया गया है कि निर्धारित तिथि तक अपेक्षित स्तर प्राप्त न कर सकने की दशा में, कोई दंड न दिया जाए। परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारी हिन्दी की निर्धारित परीक्षायें पास करना टालते ही जाते हैं।

ग. मद्रास उच्च न्यायालय के पहले बताये गये निर्णय से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी का प्रशिक्षण अनिवार्य करने से संबंधित राष्ट्रपति के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है। इसमें संदेह नहीं कि यह निर्णय केवल तमिलनाडु पर ही लागू होता है और उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश के लागू होने पर रोक आदेश भी दिया है, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मद्रास उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रणाली पर प्रतिकूल असर पड़ा है।[1]

जहाँ सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी के उपयोग पर कोई रोक नहीं लगाई गई है वहाँ हिन्दी का उपयोग करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है। यही कारण है कि हिन्दी सीखने और उसमें काम करने, दोनों ही के बारे में, कर्मचारियों में आम तौर पर अपेक्षा की भावना है। यह भी देखा गया है कि विभिन्न कार्यालयों में जिन अधिकारियों पर हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन जारी की गई हिदायतों पर अमल कराने की जिम्मेदारी डाली गई है वे भी इस काम की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं देते। फलस्वरूप, हिन्दी कक्षाओं में जाने के लिए या पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा सीखने के लिए काफी कर्मचारी तैनात नहीं किये जाते।

ङ. यह भी सच है कि प्रशिक्षण के लिए तैनात किये गये बहुत से कर्मचारी हिन्दी कक्षाओं में प्रवेश नहीं लेते। जो प्रवेश लेते हैं उनमें से बहुत से किसी न किसी बहाने प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ देते हैं। जो प्रशिक्षण चालू रखते हैं उनमें से, बहुत से, परीक्षा का आवेदन पत्र नहीं भरते और जो भरते भी हैं उनमें से बहुत से परीक्षा में बैठते ही नहीं हैं। जो परीक्षायें पास कर लेते हैं, उनमें से बहुत कम अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने की कोशिश करते हैं। बाकी थोड़े ही दिनों में सीखा-सिखाया भूल जाते हैं।

च. सरकारी कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में अपना काम न करने के मामले का एक पहलू और भी है। अधिनियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी अपना सरकारी काम अपनी इच्छानुसार अंग्रेजी अथवा हिन्दी किसी भी भाषा में कर सकता है। फिर भी अब धीरे-धीरे ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो अपना काम सरलता से हिन्दी में कर सकते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो उसे हिन्दी में अंग्रेजी से बेहतर कर सकते हैं। दूसरी ओर कई वरिष्ठ तथा पुराने कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं जो हिन्दी अच्छी तरह नहीं जानते और जिन्हें अन्य कर्मचारियों अथवा अधिकारियों

---

1. "राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 1974" पृष्ठ 5, उपबंध 1.14 व 1.15

के हिन्दी में काम करने से परेशानी होती हैं। इस तरह जो छूट एक वर्ग के लिए सुविधा का कारण है वही छूट दूसरों के लिए परेशानी का।

इसका एकमात्र हल यह है कि जल्द-से-जल्द ज्यादा-से-ज्यादा कर्मचारियों को हिन्दी का शिक्षण दिया जाए ताकि यह अड़चन दूर हो सके। शुरू में यह जरूरी नहीं है कि सभी को दोमों भाषाओं में 'समझ तथा अभिव्यक्ति' दोनों ही का एक समान ज्ञान और अधिकार हो जाय, जरूरी यह है कि हर एक कर्मचारी को एक भाषा बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए ताकि वह उसमें अपने विचार सरलता से व्यक्त कर सके और दूसरी भाषा का इतना ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस भाषा में लिखी गई किसी बात को समझने में दिक्कत महसूस न करें।

छ. १ पाठ्यक्रम में संशोधनों के बावजूद वर्तमान पाठ्यक्रम शिक्षित और वयस्क कर्मचारियों के लिए आम तौर पर उपयुक्त नहीं है। उसमें कामकाज की भाषा सीखने के स्थान पर साहित्य की भाषा सिखाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

२. पढ़ाने के तौरतरीके की आधुनिकतम नहीं है। कई शिक्षकों को हिन्दी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

३. कक्षाओं के कमरों, फर्नीचर की हालत ऐसी है कि वहाँ का वातावरण अच्छी पढ़ाई-लिखाई के अनुकूल नहीं होता।

स्पष्ट है कि जब तक कोई ऐसा तरीका नहीं निकाला जाता जिससे सरकारी कर्मचारी वस्तुतः अपना कामकाज हिन्दी में करने लगें तब तक हालात इसी प्रकार चलते रहेंगे और सुधार की गुंजायश कम नज़र आती है।

उपर्युक्त उपायों को लागू करने व आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिये जा रहे हैं जो संभवतया कारगर सिद्ध होंगे।

4.3.9 मूल्यांकन और कमियों को दूर करने के लिए उपाय

संघ के कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए और हिन्दी के प्रसार और विकास की गति बढ़ाने के लिए सन् 1975-76 के लिए जो कार्यक्रम बनाये गये थे उनके कार्यान्वयन में हुई प्रगति का लेखा–जोखा दूसरे अध्याय में दिया जायेगा। अगले अध्याय में यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया जायेगा कि 1976-86 तक की अवधि में राजभाषा अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अनुपालन के लिए सरकार किस प्रकार प्रयत्नशील है। निजी संस्थाओं की क्या भूमिका रही है व इनके द्वारा अपनाये गये उपायों में क्या प्रगति हुई है। उसी अध्याय में कुछ ऐसे विषयों में भी हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का उल्लेख किया जायेगा जो वार्षिक कार्यक्रम में नहीं रखे जाते, परंतु जिनके बारे में मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों से तिमाही प्रगति रिपोर्टों द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है, जैसे–हिन्दी पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग, इन

राज्यों द्वारा मूल रूप से भेजे जानेवाले पत्रों में हिन्दी का प्रयोग, मंत्रालयों आदि में हिन्दी का उपयोग करनेवाले कर्मचारियों की संख्या आदि। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में की गई कुछ विशिष्ट कार्रवाइयों का भी अलग से उल्लेख किया जायेगा।

सरकार, निजी संस्थाओं मे राजभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार व विकास के लिए कदम उठाये हैं, जैसाकि हमने अध्ययनाधीन अवधि में ऊपर बताया है लेकिन इसके बावजूद यह गति धीमी है तथा अनेक कमियाँ बनी हुई हैं। मुख्य–मुख्य कमियाँ कौन-कौन-सी हैं राजभाषा कार्यान्वयन में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उन सभी पर विचार करने के पश्चात उनका विवरण उन कठिनाइयों को दूर करने के उपाय नीचे दिये जा रहे हैं :

1. बहुत से केंद्रीय नियमों का अनुवाद नहीं हो पाया है जिसकी वजह से, ऐसी फाइलों में जहाँ नियमों का उल्लेख करना पड़ता है, लोग अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं। कुछ मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों में अनुवाद का प्रबंध पर्याप्त नहीं है। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में जहाँ इसका प्रबंध ज्यादा आवश्यक है, अनुवाद का नाम मात्र को ही प्रबंध है, जो पर्याप्त नहीं है। इस द्विभाषी युग में इसकी कमी के कारण स्थिति चिंतनीय बनी हुई है।

2. पर्याप्त संख्या में मैन्युअलों, फार्मों, संहिताओं और सर्वाधिक साहित्य का अनुवाद होना अभी शेष है। यही प्रलेख कर्मचारियों के कार्य का आधार होते हैं। इनके अभाव में जो हिन्दी में काम करना चाहते हैं वे भी कर पाने में असमर्थ हैं। जो नहीं करना चाहते उनके लिए यह सशक्त बहाना है।

3. हिन्दी टाइपराइटरों और दूसरे यांत्रिक साधनों की कमी है। मंत्रालयों/विभागों तथा दूसरे कार्यालयों में हिन्दी टाइपिस्टों व आशुलिपिकों की कमी है जबकि अंग्रेजी टाइपिस्टों व आशुलिपिकों की मात्रा बहुत है। परिणाम यह होता है कि हिन्दी में काम करने के इच्छुक कर्मचारी भी काम को जल्दी निपटाने के लिए अंग्रेजी का ही सहारा लेते हैं।

4. हिन्दी टाइपिंग व आशुलिपि प्रशिक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है तथा न ही प्रशिक्षण का कोई समयबद्ध कार्यक्रम है, जिससे कर्मचारी अनिवार्य रूप से सीख सकें। इसलिए प्रशिक्षण में रुचि लेना न लेना कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करता है।

5. एक ओर तो वर्तमान टंककों/आशुलिपिकों के लिए प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं दूसरी ओर उनकी नियुक्ति के लिए भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि हिन्दी टंकण जाननेवाले टाइपिस्ट लगाये जायें। अतः अप्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोई समयरेखा निर्धारित नहीं की गई कि अमुक तिथि के बाद केवल उन्हीं टंकक/आशुलिपिक का भर्ती किया जायेगा जिन्हें हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि का ज्ञान हो।

6. अधिकारियों व कर्मचारियों को आमतौर पर गलतफहमी रही है कि सरकारी कामकाज के लिए केवल शुद्ध और संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अभी भी बहुत से अधिकारी हिन्दी अच्छी तरह नहीं जानते, इसलिए उनके साथ काम करनेवाले कर्मचारी हिन्दी में नोट आदि लिखने हैं क्योंकि ऐसा करने से फाइलों पर निर्णय करने में देर हो सकती है। कहीं-कहीं यह भी देखा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी अपने नीचे काम करनेवाले अधिकारियों को हिन्दी का प्रयोग करने में हतोत्साहित करते हैं या उन्हीं से हिन्दी में लिखे टिप्पण का अंग्रेजी अनुवाद माँगते हैं। इन सब झंझटों से बचने के लिए कर्मचारी अंग्रेजी में ही अपना कार्य करते हैं।

7. अंग्रेजी में काम करने का अवसर होने के कारण अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी में अपना काम करने में झिझकते हैं। बहुत से कार्यालयों में यह पाया गया है कि वहाँ के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी आदेशों व प्रावधानों का ज्ञान नहीं है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि गृह मंत्रालय से जारी आदेश या तो नीचे के कार्यालयों में परिचालित नहीं होते, यदि होते भी हैं तो वहाँ के अधिकारी उनके कार्यान्वयन पर ध्यान नहीं देते और आदेश वहाँ की फाइलों में ही लग कर रह जाते हैं।

8. जो निर्णय लिये जाते हैं उन्हें आनन-फानन में लागू करने का प्रयास एक बार तो किया जाता है, फिर भी धीरे-धीरे वही पुराना ढंग आरंभ हो जाता है। कोई किसी नियोजित ढंग से इसका निर्धारण नहीं होता, न ही कोई प्रभावी चैक प्वाइंट बनाया जाता, जिससे निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की सही जानकारी नहीं मिलती, केवल अनुमान मात्र लगाया जाता है।

4.3.10 उपसंहार

इस अध्याय में राजभाषा हिन्दी की प्रगति, स्थिति का अध्ययन करने में आनेवाली कठिनाइयाँ, उनको दूर करने के लिए किये गये प्रयासों का वर्णन किया गया है। अंत में इन सभी प्रयासों के बावजूद जो कमियाँ रही हैं उनका भी उल्लेख किया है। अगले अध्याय में हम 1976 से 1986 तक की स्थिति का अध्ययन करेंगे। यहाँ तक किये गये अध्ययन से यह तो स्पष्ट है कि चाहे सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए कदम उठाये गये हैं, किन्तु ये इतने प्रभावी सिद्ध नहीं हो सके। कारण स्पष्ट है कि नीति को टुकडों में लागू करने का प्रयास किया गया है, इसकी मूल अपेक्षाओं पर ध्यान दिया ही नहीं गया। ऐसा भी प्रतीत होता है कि लिये गये नीति संबंधी निर्णयों तथा कार्यान्वयन की भावनाओं में भी बहुत बड़ा अंतर रहा है। यदि सैद्धांतिक व कार्यान्वयन के व्यावहारिक पक्ष में एकरूपता होती तो अब तक किये गये प्रयासों के परिणाम कुछ अच्छे हो सकते थे।



अध्याय-4.4

राजभाषा नीति : द्वितीय अवस्था 1976–1986 प्रयोग और समस्याएँ

4.4.1 भूमिका

अंग्रेज सरकार की जो निश्चित नीति मैकाले के अनुसार बनी उसके बावजूद 1951 तक अंग्रेजी जाननेवालों का प्रतिशत मात्र एक तक ही रहा। आज़ादी के बाद अंग्रेज और उनकी सरकार तो चली गई पर उनके चहेतों ने अंग्रेजी को प्रशासन और उच्च शिक्षा में फैलाने की कोशिश की, लेकिन इतना होने के बाबजूद आज भी स्थिति यह है कि केवल 1½ प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी जान पाये। फलतः अंग्रेजी प्रशासन के वक्त सरकार व जनता के बीच जो खाई बनी हुई थी वह आज भी कायम है। उपनिवेशीय परिपालन व पार्लियामेंटरी लोकशासन में जनता की दृष्टि से कोई फरक नहीं पड़ा। उस वक्त भी अंग्रेज सरकार अंग्रेजी जाननेवाली नौकरशाही के माध्यम से मनमानी हुकूमत चलाती थी और आज भी कहने के लिए प्रजातंत्र है लेकिन हो वही रहा है जो पहले हुआ करता था अर्थात् जनता का संपर्क प्रशासन से बिलकुल नहीं है जो केवल जनभाषा के माध्यम से ही बन सकता था।[1]

आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जो कार्य अंग्रेज सरकार के समय में हिन्दी के लिए किया गया था, वैसा तक करने में हमारी अपनी स्वतंत्र सरकार हिम्मत नहीं बटोर पाती है। फैडरिक पिनकाट एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार पर दबाव डालकर यह आदेश जारी करवाये थे कि जो भी अंग्रेज भारत आये उसे हिन्दी की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया जाए।[2] यह अनिवार्य शब्द आज तक भारत सरकार प्रयोग नहीं कर पाई।

हिन्दी का सार्वदेशिक स्वरूप पहले से ही चला आ रहा है और उसी को आगे ले जाने की कोशिश संविधान द्वारा की गई है, जिसका उल्लेख पूर्व अध्याय में किया जा चुका है।

अंग्रेजी सरकार के सामने इस वस्तुस्थिति के कारण कोई अन्य रास्ता नहीं था कि भारत में आनेवाले उच्चाअधिकारियों के लिए हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य कर दें। इंडिया आफिस लंदन से संख्या 975-81 जे पी दिनांक 12-8-1981 को सेक्रेटरी

---

1. "राष्ट्र भाषा विहीन राष्ट्र–पहला अध्याय" पृष्ठ 7 लेखक गोपालराव एकबोटे
2. वही, पृष्ठ 8, लेखक गोपालराव एकबोटे

सिविल सर्विस कमीशन को भेजा गया जिसमें काफी विस्तार से विविध प्रांतों में जानेवाले अंग्रेज अधिकारियों के लिए भाषा निर्धारित की गई। हिन्दी के साथ-साथ प्रादेशिक भाषा को भी अनिवार्य बनाया गया।[२] हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह आदेश किस कदर महत्त्वपूर्ण रहा होगा इसकी ओर ध्यान देकर हमें यह भी देखना चाहिए कि इस बीच इस भाषानीति में कोई परिवर्तन भी हमने किया और किस कदर हम आगे बढ़ें। हिन्दी को प्रशासन की भाषा मानना, उसके महत्त्व को जानना उसके विकास के लिए प्रयत्न करना, हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण करना, उसका अधिकृत ज्ञान हर सरकारी अधिकारी के लिए अनिवार्य करार देना तथा ये परीक्षा पास करनेवालों के लिए पुरस्कार तथा इनामों आदि की व्यवस्था जैसी सारी चीज अंग्रेज सरकार ने न केवल स्वीकृत ही की, बल्कि उन्हें अमल में भी लाया था। मगर महत्त्व और आवश्यकता को उस समय में अंग्रेजों तक ने महसूस किया था, आज हम जैसे कई लोग विशेषतः केंद्र शासन के अधिकारी, राजनीतिक लोग और नौकरशाही समझ नहीं रहे हैं, या जानबूझकर केवल अपने स्वार्थ के लिए उपेक्षा की जा रही है—इन सभी का गठ—जोड़ सा बन गया है। परिणामतः प्रजातंत्र, समाजवादी समाज व्यवस्था तथा कल्याणकारी सरकार होने का भारत सरकार का दावा निरा खोखला साबित हो रहा है। शासक और शासितों में वही गहरा अंतर आज भी है और वही शोषण हो रहा है, जो अंग्रेजी के जमाने में मुट्ठीभर अंग्रेजी जाननेवाले सरकारी अधिकारी किया करते थे।

19वीं शताब्दी में जब हिन्दी को एक विकसित भाषा मान लिया गया था तो साथ ही यह भी स्वीकार कर लिया गया था कि वह प्रशासन में काम आने की सामर्थ्य और क्षमता भी रखती है। इसके पश्चात तो एक सौ साल में हिन्दी पठन—पाठन में अपनाई जा रही है, जिससे इसका विकास काफी हुआ है, तो फिर क्यों आज हम इस भाषा को अविकसित कहने लगे हैं ? क्यों इसे प्रशासन के कामकाज को सँभालने में असमर्थ मानने लगे हैं ? यह भ्रम हिन्दी में सामर्थ्य के आकलन से संबद्ध नहीं, बल्कि जनता से दूर होते जा रहे जननेता तथा नौकरशाही की स्वार्थान्ध दुरभिसंधि का परिणाम है। अंग्रेजी जाननेवाले। 1½ प्रतिशत व्यक्तियों के राज ही को क्यों महत्त्व दिया जा रहा है ? और यह जानकर भी कि अंग्रेजी ही उन्हें पुश्तैनी वर्चस्व और प्रभुत्व का रहस्य है, उन्हीं को हर प्रकार की सहूलियतें देते हुए कोटि-कोटि जनों को राज्य शासन से वंचित रखा जा रहा है। इन दोनों शक्तियों का गठबंधन जब तक न तोड़ा जायेगा हिन्दी को वह गौरव का स्थान प्राप्त नहीं होगा जो हमने उसे सविधान में दे रखा है।

हिन्दी की प्रगति से हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है

कोई समझदार व्यक्ति गंभीरतापूर्वक इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि देश का प्रजातांत्रिक प्रशासन किसी विदेशी भाषा के जरिए चलाया जा सकता है।

यदि जनता और प्रशासन की दूरी को पाटना है तो हमें हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को उचित और वास्तविक स्थान देना होगा। यह पुनीत कार्य जितनी जल्दी संपन्न हो उतना अच्छा है। यह ख्याल कि आधुनिक विस्तृत और जटिल प्रशासन कार्य को चलाने के लिए हिन्दी में अभी वह क्षमता नहीं है, मानसिक हीनता का द्योतक है, भाषा की प्रगति इसके प्रयोग के साथ-साथ होती है, इस तर्क के पक्ष में गोपाल राव एकबोटे ने अपनी पुस्तक 'राष्ट्र भाषा विहीन राष्ट्र' में लिखा है कि "एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहाँ भाषा का शासन कार्य में उपयोग हुआ हो। सौ साल पहले जो भाषा शासनकार्य में सक्षम थी आज उसे अक्षम क्यों महसूस किया जाने लगा समझ में नहीं आता।[1]

भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। गत चार दशकों से भी अधिक काल से हम राष्ट्रीय एकात्मकता के निर्माण में जुटे हुए हैं, किन्तु अभी तक देश में भाषायी एकात्मकता का निर्माण नहीं हो पाया। देश आज भी भाषायी एकता के मैदान में पिछड़ा हुआ है, जो इसके स्वतंत्र नागरिकों के लिए चिंता की बात है। यह सच है कि भारत हमेशा बहुभाषिक देश रहा है। यहाँ कोई एक भाषा, चाहे वह कोई भी रही हो, ऐसी नहीं रही हो समस्त भारतीयों द्वारा देश में सर्वत्र बोली व प्रयोग की जाती रही हो। हिन्दी बहुसंख्यक की भाषा रही है इसमें संदेह नहीं, किन्तु प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों का भी कम महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं होता। किसी भी भाषायी क्षेत्र में अन्य भाषा-भाषियों के द्वीप से मिलेंगे, कहीं-कहीं तो इन्हें समस्त क्षेत्र में भी बिखरा हुआ देखा जा सकता है। यह स्थिति किसी एक भाषा क्षेत्र तक ही सीमित हो ऐसा नहीं है, बल्कि भारतवर्ष के एक कोने से दूसरे कोने तक यही स्थिति मिलती है।

स्वतंत्रता के समय भाषायी सर्वेक्षण के अनुसार हिन्दुस्तान में 179 भाषायें, 699 बोलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें 15 प्रमुख विकसित भाषायें थीं तथा जिनकी अपनी लिपि एवं साहित्यिक समृद्धि भी है। एक विशेष तथ्य जो इन विभिन्न भाषाओं में एक समान पाया गया है वह है उनकी सुदृढ़ एकात्मकता तथा समानता व इनमें कमियाँ भी एक जैसी दिखाई देती हैं।[2]

जैसे ऊपर बताया गया है कि भाषा का विकास प्रयोग में आने के बाद ही होता है। इस कथन का केवल यह मतलब नहीं कि इस सिलसिले में किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, अर्थात किस क्षेत्र में भाषा प्रयुक्त होकर कैसा प्रत्यक्ष अस्तित्व प्राप्त कर रही है। बल्कि इस भाषा सृजनप्रक्रिया की बहुविधि व्याप्ति भी अनुलयित है। उपयोगरत रहकर ही भाषा को प्राप्त होनेवाली सामर्थ्य स्वयं यह जतलाती है कि भाषा वैसी ही बनेगी जैसे कि उसके मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने की व्याप्ति होगी।[3]

1. "राष्ट्रभाषा विहीन राष्ट्र", गोपाल राव एकबोटे, पहला अध्याय, पृष्ठ 11
2. "राष्ट्र भाषा विहीन राष्ट्र", गोपाल राव एकबोटे, पहला अध्याय, पृष्ठ 11
3. "हालिडे" डा. एस. के. वर्मा, प्रथम संस्करण 1978, पृष्ठ 4

सिविल सर्विस कमीशन को भेजा गया जिसमें काफी विस्तार से विविध प्रांतों में जानेवाले अंग्रेज अधिकारियों के लिए भाषा निर्धारित की गई। हिन्दी के साथ-साथ प्रादेशिक भाषा को भी अनिवार्य बनाया गया।[2] हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह आदेश किस कदर महत्त्वपूर्ण रहा होगा इसकी ओर ध्यान देकर हमें यह भी देखना चाहिए कि इस बीच इस भाषानीति में कोई परिवर्तन भी हमने किया और किस कदर हम आगे बढ़ें। हिन्दी को प्रशासन की भाषा मानना, उसके महत्त्व को जानना उसके विकास के लिए प्रयत्न करना, हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण करना, उसका अधिकृत ज्ञान हर सरकारी अधिकारी के लिए अनिवार्य करार देना तथा ये परीक्षा पास करनेवालों के लिए पुरस्कार तथा इनामों आदि की व्यवस्था जैसी सारी चीज अंग्रेज सरकार ने न केवल स्वीकृत ही की, बल्कि उन्हें अमल में भी लाया था। मगर महत्त्व और आवश्यकता को उस समय में अंग्रेजों तक ने महसूस किया था, आज हम जैसे कई लोग विशेषतः केंद्र शासन के अधिकारी, राजनीतिक लोग और नौकरशाही समझ नहीं रहे हैं, या जानबूझकर केवल अपने स्वार्थ के लिए उपेक्षा की जा रही है—इन सभी का गठ—जोड़ सा बन गया है। परिणामतः प्रजातंत्र, समाजवादी समाज व्यवस्था तथा कल्याणकारी सरकार होने का भारत सरकार का दावा निरा खोखला साबित हो रहा है। शासक और शासितों में वही गहरा अंतर आज भी है और वही शोषण हो रहा है, जो अंग्रेजी के जमाने में मुट्ठीभर अंग्रेजी जाननेवाले सरकारी अधिकारी किया करते थे।

19वीं शताब्दी में जब हिन्दी को एक विकसित भाषा मान लिया गया था तो साथ ही यह भी स्वीकार कर लिया गया था कि वह प्रशासन में काम आने की सामर्थ्य और क्षमता भी रखती है। इसके पश्चात तो एक सौ साल में हिन्दी पठन—पाठन में अपनाई जा रही है, जिससे इसका विकास काफी हुआ है, तो फिर क्यों आज हम इस भाषा को अविकसित कहने लगे हैं ? क्यों इसे प्रशासन के कामकाज को सँभालने में असमर्थ मानने लगे हैं ? यह भ्रम हिन्दी में सामर्थ्य के आकलन से संबद्ध नहीं, बल्कि जनता से दूर होते जा रहे जननेता तथा नौकरशाही की स्वार्थान्ध दुरभिसंधि का परिणाम है। अंग्रेजी जाननेवाले। 1½ प्रतिशत व्यक्तियों के राज ही को क्यों महत्त्व दिया जा रहा है ? और यह जानकर भी कि अंग्रेजी ही उन्हें पुश्तैनी वर्चस्व और प्रभुत्व का रहस्य है, उन्हीं को हर प्रकार की सहूलियतें देते हुए कोटि-कोटि जनों को राज्य शासन से वंचित रखा जा रहा है। इन दोनों शक्तियों का गठबंधन जब तक न तोड़ा जायेगा हिन्दी को वह गौरव का स्थान प्राप्त नहीं होगा जो हमने उसे संविधान में दे रखा है।

हिन्दी की प्रगति से हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है

कोई समझदार व्यक्ति गंभीरतापूर्वक इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि देश का प्रजातांत्रिक प्रशासन किसी विदेशी भाषा के जरिए चलाया जा सकता है।

यदि जनता और प्रशासन की दूरी को पाटना है तो हमें हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को उचित और वास्तविक स्थान देना होगा। यह पुनीत कार्य जितनी जल्दी संपन्न हो उतना अच्छा है। यह ख्याल कि आधुनिक विस्तृत और जटिल प्रशासन कार्य को चलाने के लिए हिन्दी में अभी वह क्षमता नहीं है, मानसिक हीनता का द्योतक है, भाषा की प्रगति इसके प्रयोग के साथ-साथ होती है, इस तर्क के पक्ष में गोपाल राव एकबोटे ने अपनी पुस्तक 'राष्ट्र भाषा विहीन राष्ट्र' में लिखा है कि "एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहाँ भाषा का शासन कार्य में उपयोग हुआ हो। सौ साल पहले जो भाषा शासनकार्य में सक्षम थी आज उसे अक्षम क्यों महसूस किया जाने लगा समझ में नहीं आता।[1]

भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। गत चार दशकों से भी अधिक काल से हम राष्ट्रीय एकात्मकता के निर्माण में जुटे हुए हैं, किन्तु अभी तक देश में भाषायी एकात्मकता का निर्माण नहीं हो पाया। देश आज भी भाषायी एकता के मैदान में पिछड़ा हुआ है, जो इसके स्वतंत्र नागरिकों के लिए चिंता की बात है। यह सत्य है कि भारत हमेशा बहुभाषिक देश रहा है। यहाँ कोई एक भाषा, चाहे वह कोई भी रही हो, ऐसी नहीं रही हो समस्त भारतीयों द्वारा देश में सर्वत्र बोली व प्रयोग की जाती रही हो। हिन्दी बहुसंख्यक की भाषा रही है इसमें संदेह नहीं, किन्तु प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों का भी कम महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं होता। किसी भी भाषायी क्षेत्र में अन्य भाषा-भाषियों के द्वीप से मिलेंगे, कहीं-कहीं तो इन्हें समस्त क्षेत्र में भी बिखरा हुआ देखा जा सकता है। यह स्थिति किसी एक भाषा क्षेत्र तक ही सीमित हो ऐसा नहीं है, बल्कि भारतवर्ष के एक कोने से दूसरे कोने तक यही स्थिति मिलती है।

स्वतंत्रता के समय भाषायी सर्वेक्षण के अनुसार हिन्दुस्तान में 179 भाषायें, [illegible] बोलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें 15 प्रमुख विकसित भाषायें थीं तथा जिनकी अपनी लिपि एवं साहित्यिक समृद्धि भी है। एक विशेष तथ्य जो इन विभिन्न भाषाओं में एक समान पाया गया है वह है उनकी सुदृढ़ एकात्मकता तथा समानता [illegible] कमियाँ भी एक जैसी दिखाई देती हैं।[2]

जैसे ऊपर बताया गया है कि भाषा का विकास प्रयोग में आने के बाद ही होता है। इस कथन का केवल यह मतलब नहीं कि इस सिलसिले में किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, अर्थात किस क्षेत्र में भाषा प्रयुक्त होकर कैसा प्रत्यक्ष अस्तित्व प्राप्त कर रही है। बल्कि इस भाषा सृजनप्रक्रिया की बहुविधि व्याप्ति भी अनुलक्षित है। उपयोगरत रहकर ही भाषा को प्राप्त होनेवाली सामर्थ्य स्वयं यह जतलाती है कि भाषा वैसी ही बनेगी जैसे कि उसके मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने की व्याप्ति होगी।[3]

1. "राष्ट्रभाषा विहीन राष्ट्र", गोपाल राव एकबोटे, पहला अध्याय, पृष्ठ 11
2. "राष्ट्र भाषा विहीन राष्ट्र", गोपाल राव एकबोटे, पहला अध्याय, पृष्ठ 11
3. "हालिडे" डा. एस. के. वर्मा, प्रथम संस्करण 1978, पृष्ठ 4

अंग्रेजी भाषा की वर्चस्वकारी भूमिका ने भारतीय बहुभाषिकता को झकझोर दिया था उसका स्थैर्य बिगड़-सा गया। आजादी के अनंतर किये गये भाषायी प्रयास भी इतने कारगर सिन हो सके। क्षेत्रीय भाषाओं तथा राजभाषा विषयक महत्ता की अनुभूति ने बहुभाषिकता के प्रति एक सहिष्णुतायुक्त और स्वस्थ वातावरण का निर्माण सही तौर पर नहीं होने नहीं दिया है।

हमने हिन्दी को संघ सरकार की राजभाषा के नाते स्वीकार किया है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य और राज्य सरकारों के बीच अपने आपसी व्यवहारों में हिन्दी के पत्राचार की भाषा होना मान लिया है। संघ सरकार पर हिन्दी को निर्देशित ढंग से विकसित करने का दायित्व दे रहा है, जिससे वह भारतीय समन्वित संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

इन तमाम बातों के लिए तथा तदनुषंगिक अन्य संबंधित मामलों के बारे में हम संविधान से आबद्ध हो चुके हैं। इस तरह मानवीय गतिविधियों के अति विस्तृत क्षेत्र को हिन्दी व्याप्त कर रही है और हमारे राष्ट्रीय जीवन के तमाम अंगों—प्रत्यंगों को स्पर्श कर रही है।

गत अध्याय में हमने राजभाषा से संबद्ध 1975 तक के क्रियाकलापों, विकास, प्रगति व कठिनाइयों का अध्ययन किया है। अध्ययनाधीन अवधि में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अनेकानेक कदम उठाये गये। सरकार की राजभाषा नीति तथा उनके कार्यान्वयन का वर्णन करते हुए इसके प्रयोग को बढ़ाने के लिये गये प्रयास व उसके प्रयोग के मार्ग में इस दशक में क्या बाधायें, समस्यायें आई हैं, उनका उल्लेख करने का प्रयास करेंगे।

4.4.2 राजभाषा नियम 1976

राजभाषा के प्रचार-प्रसार के बारे में संविधान में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अपने क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा राजभाषा नियम बनाये गये। ये नियम भारतीय संविधान की धारा 341, 351 के अंतर्गत दिये, प्रावधानों के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ गठित धारा 8 द्वारा प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने केंद्र के शासकीय प्रयोजनों के लिए 'राजभाषा नियम 1976' बनाये। इन्हें राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 का नाम दिया गया। (परिशिष्ट-6 देखें)

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की दिशा में इन नियमों का जारी किया जाना एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इन नियमों की कुछ महत्त्वपूर्ण व मुख्य बातें इस प्रकार हैं।[1]

1. "सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित अनुदेश का संक्षेप" दिसंबर 1992, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिग परिचालन व विकास विभाग बंबई द्वारा प्रकाशित से साभार

1. इन नियमों का विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय, संपूर्ण भारत पर होगा।

2. इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, देश को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है अर्थात्

क. क्षेत्र 'क' (हिन्दी भाषी)

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, संघशासित क्षेत्र दिल्ली व अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह।

ख. क्षेत्र 'ख'

महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़ संघशासित क्षेत्र।

ग. क्षेत्र 'ग'

अन्य सभी राज्य और संघशासित क्षेत्र

3. मूल पत्राचार का माध्यम

i. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से निम्नलिखित को पत्राचार	**पत्राचार की भाषा निम्नलिखित होगी**
क. क्षेत्र 'क' की राज्य सरकार या कोई कार्यालय या व्यक्ति	हिन्दी
ख. क्षेत्रा 'ख' की राज्य सरकार या कोई कार्यालय	हिन्दी
टिप्पणी : यदि किसी असाधारण परिस्थिति में क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' के पत्रादि अंग्रेजी में प्रेषित किये जाते हैं तो उनके साथ-साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जायेगा	
ग. क्षेत्र 'ख' का कोई व्यक्ति	हिन्दी अथवा अंग्रेजी
घ. क्षेत्र 'ग'. की राज्य सरकार या काई कार्यालय व्यक्ति	अंग्रेजी
ग.. क्षेत्र 'ख' का कोई व्यक्ति	हिन्दी अथवा अंग्रेजी
घ. क्षेत्र 'ग' की राज्य सरकार या कोई कार्यालय व्यक्ति	अंग्रेजी
II. अंग्रेजी सरकार के कार्यालयों (संघ सरकार के मंत्रालयों आदि सहित) के बीच पत्राचार	हिन्दी
क. क्षेत्र 'क' के कार्यालयों के बीच	हिन्दी
ख. क्षेत्र 'क' के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' के कार्यालयों के बीच	हिन्दी अथवा अंग्रेजी
ग. 'ख' या 'ग' के कार्यालयों के बीच	हिन्दी अथवा अंग्रेजी

सिविल सर्विस कमीशन को भेजा गया जिसमें काफी विस्तार से विविध प्रांतों में जानेवाले अंग्रेज अधिकारियों के लिए भाषा निर्धारित की गई। हिन्दी के साथ-साथ प्रादेशिक भाषा को भी अनिवार्य बनाया गया।[2] हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह आदेश किस कदर महत्त्वपूर्ण रहा होगा इसकी ओर ध्यान देकर हमें यह भी देखना चाहिए कि इस बीच इस भाषानीति में कोई परिवर्तन भी हमने किया और किस कदर हम आगे बढ़ें। हिन्दी को प्रशासन की भाषा मानना, उसके महत्त्व को जानना उसके विकास के लिए प्रयत्न करना, हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण करना, उसका अधिकृत ज्ञान हर सरकारी अधिकारी के लिए अनिवार्य करार देना तथा ये परीक्षा पास करनेवालों के लिए पुरस्कार तथा इनामों आदि की व्यवस्था जैसी सारी चीज अंग्रेज सरकार ने न केवल स्वीकृत ही की, बल्कि उन्हें अमल में भी लाया था। मगर महत्त्व और आवश्यकता को उस समय में अंग्रेजों तक ने महसूस किया था, आज हम जैसे कई लोग विशेषतः केंद्र शासन के अधिकारी, राजनीतिक लोग और नौकरशाही समझ नहीं रहे हैं, या जानबूझकर केवल अपने स्वार्थ के लिए उपेक्षा की जा रही है—इन सभी का गठ—जोड़ सा बन गया है। परिणामतः प्रजातंत्र, समाजवादी समाज व्यवस्था तथा कल्याणकारी सरकार होने का भारत सरकार का दावा निरा खोखला साबित हो रहा है। शासक और शासितों में वही गहरा अंतर आज भी है और वही शोषण हो रहा है, जो अंग्रेजी के जमाने में मुट्ठीभर अंग्रेजी जाननेवाले सरकारी अधिकारी किया करते थे।

19वीं शताब्दी में जब हिन्दी को एक विकसित भाषा मान लिया गया था तो साथ ही यह भी स्वीकार कर लिया गया था कि वह प्रशासन में काम आने की सामर्थ्य और क्षमता भी रखती है। इसके पश्चात तो एक सौ साल में हिन्दी पठन—पाठन में अपनाई जा रही है, जिससे इसका विकास काफी हुआ है, तो फिर क्यों आज हम इस भाषा को अविकसित कहने लगे हैं ? क्यों इसे प्रशासन के कामकाज को सँभालने में असमर्थ मानने लगे हैं ? यह भ्रम हिन्दी में सामर्थ्य के आकलन से संबद्ध नहीं, बल्कि जनता से दूर होते जा रहे जननेता तथा नौकरशाही की स्वार्थान्ध दुरभिसंधि का परिणाम है। अंग्रेजी जाननेवाले। 1½ प्रतिशत व्यक्तियों के राज ही को क्यों महत्त्व दिया जा रहा है ? और यह जानकर भी कि अंग्रेजी ही उन्हें पुश्तैनी वर्चस्व और प्रभुत्व का रहस्य है, उन्हीं को हर प्रकार की सहूलियतें देते हुए कोटि-कोटि जनों को राज्य शासन से वंचित रखा जा रहा है। इन दोनों शक्तियों का गठबंधन जब तक न तोड़ा जायेगा हिन्दी को वह गौरव का स्थान प्राप्त नहीं होगा जो हमने उसे सविधान में दे रखा है।

हिन्दी की प्रगति से हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है

कोई समझदार व्यक्ति गंभीरतापूर्वक इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि देश का प्रजातांत्रिक प्रशासन किसी विदेशी भाषा के जरिए चलाया जा सकता है।

यदि जनता और प्रशासन की दूरी को पाटना है तो हमें हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को उचित और वास्तविक स्थान देना होगा। यह पुनीत कार्य जितनी जल्दी संपन्न हो उतना अच्छा है। यह ख्याल कि आधुनिक विस्तृत और जटिल प्रशासन कार्य को चलाने के लिए हिन्दी में अभी वह क्षमता नहीं है, मानसिक हीनता का द्योतक है, भाषा की प्रगति इसके प्रयोग के साथ-साथ होती है, इस तर्क के पक्ष में गोपाल राव एकबोटे ने अपनी पुस्तक 'राष्ट्र भाषा विहीन राष्ट्र' में लिखा है कि "एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहाँ भाषा का शासन कार्य में उपयोग हुआ हो। सौ साल पहले जो भाषा शासनकार्य में सक्षम थी आज उसे अक्षम क्यों महसूस किया जाने लगा समझ में नहीं आता।[1]

भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। गत चार दशकों से भी अधिक काल से हम राष्ट्रीय एकात्मकता के निर्माण में जुटे हुए हैं, किन्तु अभी तक देश में भाषायी एकात्मकता का निर्माण नहीं हो पाया। देश आज भी भाषायी एकता के मैदान में पिछड़ा हुआ है, जो इसके स्वतंत्र नागरिकों के लिए चिंता की बात है। यह सच है कि भारत हमेशा बहुभाषिक देश रहा है। यहाँ कोई एक भाषा, चाहे वह कोई भी रही हो, ऐसी नहीं रही हो समस्त भारतीयों द्वारा देश में सर्वत्र बोली व प्रयोग की जाती रही हो। हिन्दी बहुसंख्यक की भाषा रही है इसमें संदेह नहीं, किन्तु प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों का भी कम महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं होता। किसी भी भाषायी क्षेत्र में अन्य भाषा-भाषियों के द्वीप से मिलेंगे, कहीं-कहीं तो इन्हें समस्त क्षेत्र में भी बिखरा हुआ देखा जा सकता है। यह स्थिति किसी एक भाषा क्षेत्र तक ही सीमित हो ऐसा नहीं है, बल्कि भारतवर्ष के एक कोने से दूसरे कोने तक यही स्थिति मिलती है।

स्वतंत्रता के समय भाषायी सर्वेक्षण के अनुसार हिन्दुस्तान में 179 भाषायें, 699 बोलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें 15 प्रमुख विकसित भाषायें थीं तथा जिनकी अपनी लिपि एवं साहित्यिक समृद्धि भी है। एक विशेष तथ्य जो इन विभिन्न भाषाओं में एक समान पाया गया है वह है उनकी सुदृढ़ एकात्मकता तथा समानता व इनमें कमियाँ भी एक जैसी दिखाई देती हैं।[2]

जैसे ऊपर बताया गया है कि भाषा का विकास प्रयोग में आने के बाद ही होता है। इस कथन का केवल यह मतलब नहीं कि इस सिलसिले में किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, अर्थात किस क्षेत्र में भाषा प्रयुक्त होकर कैसा प्रत्यक्ष अस्तित्व प्राप्त कर रही है। बल्कि इस भाषा सृजनप्रक्रिया की बहुविधि व्याप्ति भी अनुलयित है। उपयोगरत रहकर ही भाषा को प्राप्त होनेवाली सामर्थ्य स्वयं यह जतलाती है कि भाषा वैसी ही बनेगी जैसे कि उसके मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने की व्याप्ति होगी।[3]

1. "राष्ट्रभाषा विहीन राष्ट्र", गोपाल राव एकबोटे, पहला अध्याय, पृष्ठ 11
2. "राष्ट्र भाषा विहीन राष्ट्र", गोपाल राव एकबोटे, पहला अध्याय, पृष्ठ 11
3. "हालिडे" डा. एस. के. वर्मा, प्रथम संस्करण 1978, पृष्ठ 4

अंग्रेजी भाषा की वर्चस्वकारी भूमिका ने भारतीय बहुभाषिकता को झकझोर दिया था उसका स्थैर्य बिगड़-सा गया। आजादी के अनंतर किये गये भाषायी प्रयास भी इतने कारगर सिन हो सके। क्षेत्रीय भाषाओं तथा राजभाषा विषयक महत्ता की अनुभूति ने बहुभाषिकता के प्रति एक सहिष्णुतायुक्त और स्वस्थ वातावरण का निर्माण सही तौर पर नहीं होने नहीं दिया है।

हमने हिन्दी को संघ सरकार की राजभाषा के नाते स्वीकार किया है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य और राज्य सरकारों के बीच अपने आपसी व्यवहारों में हिन्दी के पत्राचार की भाषा होना मान लिया है। संघ सरकार पर हिन्दी को निर्देशित ढंग से विकसित करने का दायित्व दे रहा है, जिससे वह भारतीय समन्वित संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

इन तमाम बातों के लिए तथा तदनुषंगिक अन्य संबंधित मामलों के बारे में हम संविधान से आबद्ध हो चुके हैं। इस तरह मानवीय गतिविधियों के अति विस्तृत क्षेत्र को हिन्दी व्याप्त कर रही है और हमारे राष्ट्रीय जीवन के तमाम अंगों–प्रत्यंगों को स्पर्श कर रही है।

गत अध्याय में हमने राजभाषा से संबद्ध 1975 तक के क्रियाकलापों, विकास, प्रगति व कठिनाइयों का अध्ययन किया है। अध्ययनाधीन अवधि में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अनेकानेक कदम उठाये गये। सरकार की राजभाषा नीति तथा उनके कार्यान्वियन का वर्णन करते हुए इसके प्रयोग को बढ़ाने के लिये गये प्रयास व उसके प्रयोग के मार्ग में इस दशक में क्या बाधायें, समस्यायें आई हैं, उनका उल्लेख करने का प्रयास करेंगे।

4.4.2 राजभाषा नियम 1976

राजभाषा के प्रचार-प्रसार के बारे में संविधान में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अपने क्रियाकलापों को बढाने के लिए भारत सरकार द्वारा राजभाषा नियम बनाये गये। ये नियम भारतीय संविधान की धारा 341, 351 के अंतर्गत दिये, प्रावधानों के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ गठित धारा 8 द्वारा प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने केंद्र के शासकीय प्रयोजनों के लिए 'राजभाषा नियम 1976' बनाये। इन्हें राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 का नाम दिया गया। (परिशिष्ट-6 देखें)

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की दिशा में इन नियमों का जारी किया जाना एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इन नियमों की कुछ महत्त्वपूर्ण व मुख्य बातें इस प्रकार हैं।[1]

1. "सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित अनुदेश का संक्षेप" दिसंबर 1992, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिग परिचालन व विकास विभाग बंबई द्वारा प्रकाशित से साभार

अंग्रेजी भाषा की वर्चस्वकारी भूमिका ने भारतीय बहुभाषिकता को झकझोर दिया था उसका स्थैर्य बिगड़-सा गया। आजादी के अनंतर किये गये भाषायी प्रयास भी इतने कारगर सिन हो सके। क्षेत्रीय भाषाओं तथा राजभाषा विषयक महत्ता की अनुभूति ने बहुभाषिकता के प्रति एक सहिष्णुतायुक्त और स्वस्थ वातावरण का निर्माण सही तौर पर नहीं होने नहीं दिया है।

हमने हिन्दी को संघ सरकार की राजभाषा के नाते स्वीकार किया है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य और राज्य सरकारों के बीच अपने आपसी व्यवहारों में हिन्दी के पत्राचार की भाषा होना मान लिया है। संघ सरकार पर हिन्दी को निर्देशित ढंग से विकसित करने का दायित्व दे रहा है, जिससे वह भारतीय समन्वित संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

इन तमाम बातों के लिए तथा तदनुषंगिक अन्य संबंधित मामलों के बारे में हम संविधान से आबद्ध हो चुके हैं। इस तरह मानवीय गतिविधियों के अति विस्तृत क्षेत्र को हिन्दी व्याप्त कर रही है और हमारे राष्ट्रीय जीवन के तमाम अंगों–प्रत्यंगों को स्पर्श कर रही है।

गत अध्याय में हमने राजभाषा से संबद्ध 1975 तक के क्रियाकलापों, विकास, प्रगति व कठिनाइयों का अध्ययन किया है। अध्ययनाधीन अवधि में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अनेकानेक कदम उठाये गये। सरकार की राजभाषा नीति तथा उनके कार्यान्वयन का वर्णन करते हुए इसके प्रयोग को बढ़ाने के लिये गये प्रयास व उसके प्रयोग के मार्ग में इस दशक में क्या बाधायें, समस्यायें आई हैं, उनका उल्लेख करने का प्रयास करेंगे।

4.4.2 राजभाषा नियम 1976

राजभाषा के प्रचार-प्रसार के बारे में संविधान में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अपने क्रियाकलापों को बढाने के लिए भारत सरकार द्वारा राजभाषा नियम बनाये गये। ये नियम भारतीय संविधान की धारा 341, 351 के अंतर्गत दिये, प्रावधानों के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ गठित धारा 8 द्वारा प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने केंद्र के शासकीय प्रयोजनों के लिए 'राजभाषा नियम 1976' बनाये। इन्हें राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 का नाम दिया गया। (परिशिष्ट-6 देखें)

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की दिशा में इन नियमों का जारी किया जाना एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इन नियमों की कुछ महत्त्वपूर्ण व मुख्य बातें इस प्रकार हैं।[1]

1. "सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित अनुदेश का संक्षेप" दिसंबर 1992, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिग परिचालन व विकास विभाग बंबई द्वारा प्रकाशित से साभार

1. इन नियमों का विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय, संपूर्ण भारत पर होगा।

2. इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, देश को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है अर्थात्

क. क्षेत्र 'क' (हिन्दी भाषी)

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, संघशासित क्षेत्र दिल्ली व अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह।

ख. क्षेत्र 'ख'

महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़ संघशासित क्षेत्र।

ग. क्षेत्र 'ग'

अन्य सभी राज्य और संघशासित क्षेत्र

3. मूल पत्राचार का माध्यम

i. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से निम्नलिखित को पत्राचार	**पत्राचार की भाषा निम्नलिखित होगी**
क. क्षेत्र 'क' की राज्य सरकार या कोई कार्यालय या व्यक्ति	हिन्दी
ख. क्षेत्रा 'ख' की राज्य सरकार या कोई कार्यालय	हिन्दी
टिप्पणी : यदि किसी असाधारण परिस्थिति में क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' के पत्रादि अंग्रेजी में प्रेषित किये जाते हैं तो उनके साथ-साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जायेगा	
ग. क्षेत्र 'ख' का कोई व्यक्ति	हिन्दी अथवा अंग्रेजी
घ. क्षेत्र 'ग', की राज्य सरकार या काई कार्यालय व्यक्ति	अंग्रेजी
ग.. क्षेत्र 'ख' का कोई व्यक्ति	हिन्दी अथवा अंग्रेजी
घ. क्षेत्र 'ग' की राज्य सरकार या कोई कार्यालय व्यक्ति	अंग्रेजी
II. अंग्रेजी सरकार के कार्यालयों (संघ सरकार के मंत्रालयों आदि सहित) के बीच पत्राचार	हिन्दी
क. क्षेत्र 'क' के कार्यालयों के बीच	हिन्दी
ख. क्षेत्र 'क' के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' के कार्यालयों के बीच	हिन्दी अथवा अंग्रेजी
ग. 'ख' या 'ग' के कार्यालयों के बीच	हिन्दी अथवा अंग्रेजी

टिप्पणी :

क. जहाँ 'क' या क्षेत्र 'ख' में स्थित किसी कार्यालय को संबोधित पत्रादि हिन्दी अथवा अंग्रेजी में है, वहाँ आवश्यकता होने पर पहुँच के स्थान पर उनका अनुवाद दूसरी भाषा में उपलब्ध कराया जायेगा।

ख. जहाँ इस प्रकार के पत्रादि क्षेत्र 'ग' के कार्यालय को संबोधित है वहाँ पत्रादि के साथ दूसरी भाषा में अनुवाद भी संलग्न किया जायेगा।

III. तीनों क्षेत्रों के कार्यालयों में हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दी में होंगे।

4. कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है। जहाँ इस प्रकार के आवेदन आदि हिन्दी में किये जाते हैं या उन पर हिन्दी में हस्ताक्षर किये जाते हैं वहाँ उनका उत्तर हिन्दी में दिया जायेगा।

5. जब कोई कर्मचारी वह चाहता है कि सेवा विषयों (जिसमें अनुशासनिक कार्रवाइयाँ भी सम्मिलित है) के संबंध में उसे दिया जानेवाला कोई आदेश या सूचना हिन्दी में हो तो वह उसे बिना किसी विलंब के उसी भाषा में दिया जाए/दी जाय।

6. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों, अर्थात् संकल्पों, अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियों, सूचनाओं, सामान्य आदेशों, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टों, नियमों, ठेकों, करारों, लाइसेंसों, परमिटो, निविदा दस्तावेजों आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जायेगा। ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किये जाते हैं, निष्पादित किये जाते हैं या जारी किये जाते हैं।

7. कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करें।

8. मैन्युअल, संहितायें, अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य, स्टेशनरी की वस्तुयें आदि ये सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषी रूप में मुद्रित या साइक्लोस्टाइल कर प्रकाशित किये जायें। फार्मों और रजिस्टरों के शीर्ष हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे।

9. नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा स्टेशनरी की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में होंगी।

10. केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है और वह इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त और प्रभावकारी जाँच-पड़ताल के उपाय करें।

राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में 1976 में बनाये गये राजभाषा नियमों की विशेषता यह रही कि अब तक इस मामले में जो भी अधिनियम या संकल्प पारित हुए उनके मदों को लागू करने के लिए मार्ग निर्धारित किया गया। अब तक केवल कार्य का निर्धारण किया जाता था, किन्तु नियमों में स्पष्ट किया गया कि इन अपेक्षाओं की पूर्ति कैसे की जायेगी, केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों के बीच पत्राचार की स्थिति क्या होगी तथा राज्य सरकारों के बीच व राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के बीच पत्राचार की भाषा कौन-सी होगी ?

इन नियमों के बनने तक सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी ज्ञान के संबंध में भ्रमात्मक स्थिति बनी हुई थी। राजभाषा नियमों के नियम 9 व 10 में स्पष्ट किया गया कि किन कर्मचारियों को किस स्तर तक हिन्दी पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करने के परिणामस्वरूप कार्यसाधक ज्ञान अथवा प्रवीणता प्राप्त होना माना जायेगा। इससे कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान का स्तर जानकर विभिन्न कक्षाओं में भेजने में सुविधा हुई। इससे यह भी लाभ हुआ कि यह आँकड़े आसानी से उपलब्ध किये जा सके कि किसी विशेष समय पर कितने कर्मचारियों को शिक्षण दिलाना शेष है तथानुसार कार्य योजना बनाने में सुविधा रही।

राजभाषा नियमों में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी कार्यालय को कहीं से भी कोई पत्र आदि हिन्दी में प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना है। मैन्युअल, संहितायें, प्रक्रिया-संबंधी अन्य साहित्य व लेखन सामग्री इत्यादि द्विभाषा में मुद्रित किये जाने अनिवार्य कर दिये गये।

अब तक राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित दायित्व निर्धारण का प्रश्न भी मुंह खोले खड़ा था। नियमों में स्पष्ट कर दिया गया कि राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी समस्त प्रावधानों/अपेक्षाओं को पूरा करने का दायित्व कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का होगा।

राजभाषा विभाग द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि संघ की राजभाषा नीति मुख्यतः भारत के संविधान में दिये गये प्रावधान, राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 के नियम (ख) के अधीन केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या कंपनी के कार्यालय को केंद्रीय सरकार का कार्यालय माना गया है। राजभाषा नीति राष्ट्रीयकृत बैंकों पर भी लागू होगी।[1]

अध्ययनाधीन अवधि के अंतर्गत हम सामान्यतः राजभाषा कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, किन्तु मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर केंद्रित रहेंगे :

क. वार्षिक कार्यक्रम

ख. राजभाषा संबंधी समितियाँ

---

1. "राजभाषा विभाग, कार्यालय ज्ञापन 1/14013/35/85 रा. भा. (क--1) दिनांक 6-6-1985

ग. राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन की व्यवस्था प्रगति की स्थिति व उल्लेखनीय कार्य

घ. यांत्रिक सुविधायें

ङ. हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत किये गये विविध कार्य

च. अनुवाद व्यवस्था व केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा किये गये कार्य।

4.4.3 क. वार्षिक कार्यक्रम

गृहमंत्रालय द्वारा 18 जनवरी 1968 को जारी किये गये संकल्प संख्या (5/8/65 रा. भा.) में की गई व्यवस्था के अनुसार संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग हर साल एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है और सभी मंत्रालयों/विभागों से उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।

1968 से 1982 तक वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियाँ साइक्लोस्टाइल करके विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती थीं कि वे अपने सभी संबंधित विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि को कार्यक्रम की प्रति भेजते हुए कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध करें। परंतु वर्ष 1983-84 से वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियाँ एक छोटी-सी पुस्तिका के रूप में मुद्रित करके सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि को राजभाषा विभाग द्वारा वितरित की जा रही है। मुद्रित अवस्था में देने का लाभ यह हुआ कि इससे समस्त कर्मचारियों को इसका उपयोग करने में सुविधा रही। वार्षिक कार्यक्रम द्विभाषी डिगलॉट रूप में छपवाया जाता है। वार्षिक कार्यक्रम में पूरे वर्ष के लिए राजभाषा कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष विभिन्न बैठकों के माध्यम से कार्यकलापों की समीक्षा की जाती है व वर्ष के अंत में समस्त प्रगति की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करके अगले वर्ष के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

गत वर्ष वार्षिक कार्यक्रम की 30000 प्रतियाँ मुद्रित करवाकर सभी संबंधितों को भेजी गईं। वार्षिक कार्यक्रम में मुख्य-मुख्य निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्ष 1976 से 1986 तक की अवधि के कार्यक्रम में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया गया :

1. क. सभी अलग-अलग क्षेत्रों अर्थात 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र में पत्राचार की स्थिति व लक्ष्य निर्धारण। इसमें सभी नियमों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है।

एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को भेजे जानेवाले पत्रों की भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए।

1986-87 में 'क' क्षेत्र से मूल पत्राचार का कम-से-कम 80%, 'ख' क्षेत्र से 50% तथा 'ग' क्षेत्र से 10% हिन्दी में होना चाहिए।

—नियम 4(घ) व 4(ङ)

ख. हिन्दी में लिखे या हस्ताक्षर किये गये सभी आवेदनों, अपीलों या अभिवेदनों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिये जायें।

—राजभाषा नियम 1976 नियम 7 (2)

ग. हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिये जायें।

—नियम—5

घ. जिन कार्यालयों के 80% या इससे अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किये जायें व इनमें कार्य करनेवाले कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित किया जाए।

ङ. जिन अधिसूचित कार्यालयों में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों की संख्या 80% से अधिक है उन्हें नोटिंग, ड्राफ्टिंग तथा अन्य सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट करने में तेजी लाई जाये। अधिसूचित कार्यालयों में 75% हिन्दी प्रयोग का लक्ष्य प्राप्त करने का अधिकाधिक प्रयास किया जाए।

—नियम 8(4)

च. निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग सुनिश्चित किया जाय :

1. संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनायें, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन तथा प्रेस विज्ञप्तियाँ।

2. संविदायें, करार, अनुज्ञप्तियाँ इत्यादि।

3. संसद के समस्त प्रस्तुत किये जानेवाले कागज-पत्र राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3)

छ. राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अंतर्गत आनेवाले समस्त प्रक्रियात्मक साहित्य, स्टेशनरी इत्यादि में निरपवाद रूप से द्विभाषी/त्रिभाषी (जैसी भी स्थिति हो) प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

2. कार्यालयों से भेजे जानेवाले तार भी पत्र-व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। अतः निर्धारित किया गया कि 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के बीच भेजे जानेवाले कम से कम 25% तार देवनागरी में हों।

3. देवनागरी टाइपराइटरों की व्यवस्था—केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में एक भी देवनागरी टाइपराइटर नहीं उनमें कम-से-कम एक देवनागरी टाइपराइटर अवश्य खरीदा जाए।[1] जिन कार्यालयों में पहले से देवनागरी टाइपराइटर हैं, उनमें वर्ष के दौरान 'क' क्षेत्र में कम से कम 50% 'ख' क्षेत्र में 25% तथा 'ग' क्षेत्र में 10%

1. राजभाषा विभाग, वार्षिक रिपोर्ट—1984—पृष्ठ : 44

देवनागरी टाइपराइटर खरीदे जायें। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान रखा गया है कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में उपलब्ध रोमन टाइपराइटरों में से 10% को देवनागरी लिपि में बदलवा दिया जाय।[1]

4. 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों और अधीनस्थ सेवाओं और गैर-तकनीकी पदों के लिए ली जानेवाली परीक्षाओं में अंग्रेजी का एक प्रश्नपत्र अनिवार्य रहते हुए भी शेष विषयों के प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी में देने की छूट दी जाए। ऐसे प्रश्न-पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराये जायेंगे।[2]

5. प्रशिक्षण संस्थाओं में जहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं, अधिकांश में अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग होता है। अतः ये संस्थायें अपने 'क' क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण केंद्रों के पाठ्यक्रमों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें।

6. 'क' क्षेत्र में विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग का प्रावधन हो। प्रश्न-पत्र दोनों भाषाओं अर्थात् हिन्दी व अंग्रेजी में छापे जायें।

7. 1977 में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया था। कुछ विशिष्ट नगरों जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, देहरादून, मेरठ, झाँसी इत्यादि में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के सघन प्रयास किये जायें। इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर सुविधायें उपलब्ध कराई जायें। इनमें कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को सक्रीय बनाया जाए। 'ख' क्षेत्र में जिन प्रमुख नगरों में केंद्रीय सरकार के 10 या इससे अधिक कार्यालय हैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की जायें व पद सृजन पर कार्रवाई की जाय।[3]

8. 'ग' क्षेत्र के प्रमुख नगरों अर्थात श्रीनगर, कलकत्ता, मैसूर, कोचीन, बेंगलूर, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पणजी में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाए।

9. जिन प्रयोजनों के लिए केवल हिन्दी अथवा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य है उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जाँचबिन्दु स्थापित किये जायें।

10. कार्यालयों का निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिये जायें। अन्य बातों के अलावा इस बात की भी जाँच की जाय की राजभाषा संबंधी नियमों, अनुदेशों आदि का अनुपालन किस सीमा तक किया जा रहा है। निरीक्षण के समय अधिकारी यह

---

1. राजभाषा विभाग, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 1985-86 क्रम सं 4(ग) पृष्ठ 44 और वार्षिक रिपोर्ट 1986-87 का अनुलग्नक। पृष्ठ 75
2. राजभाषा विभाग वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 1984-85 क्र. सं. 4(ग) पृष्ठ 44 परिशिष्ट 1, क्रम सं. 8 पृष्ठ 45 व 53
3. राजभाषा विभाग वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 1984-85 क्र. सं. 4(ग) पृष्ठ 44 राजभाषा नियम का ज्ञापन 13035/3/80–रा. भा. (ग) दिनांक 27-4-81

भी ध्यान दें कि नियमों, आदेशों आदि के उपबंधों के अनुपालन पर निगाह रखनेवाले जाँचबिन्दु कितने सक्रिय हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें।

11. हिन्दी कार्यशालाओं के माध्यम से उन कर्मचारियों को जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, कम-से-कम एक बार हिन्दी में काम करने की झिझक को दूर करने के लिए प्रशिक्षित किये जाने की व्यवस्था की जाय।

12. फार्म कोड, मैन्युअल व गजट केवल द्विभाषी छापे जायें तथा जो सामग्री दोनों भाषाओं में छपने के लिए नहीं भेजी जाती उसे मुद्रण निदेशालय संबंधित विभाग को वापस भेज दें। इस प्रकार के जाँच-बिन्दु भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों के अधीन स्थापित प्रेसों में बनाये जायें ताकि सामग्री केवल अंग्रेजी में न छपे।

13. सरकारी कामकाज में राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरुकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि में वर्ष में एक बार हिन्दी सप्ताह/हिन्दी दिवस मनाया जाए।

14. सभी कार्यालय अपने पुस्तकालय अनुदान का कम-से-कम 25% हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए खर्च करें। बाजार में विभिन्न विषयों पर उपयुक्त हिन्दी पुस्तकें उपलब्ध होने पर यह रकम बढ़ाकर 50% तक की जा सकती है।

15. राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यप्रकृति को ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिए अलग से वार्षिक कार्यक्रम बनाया गया। यह मानकर कि बैंकों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन कुछ देरी से आरंभ हुआ, अतः वे 'क' 'ख' 'ग' क्षेत्र के लिए निर्धारित उपायों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपायों पर विशेष ध्यान दे।[1]

क. जिन कार्यालयों में 100 से अधिक कर्मचारी हैं उनमें देवनागरी टाइपराइटर की खरीद, हिन्दी टाइपिस्ट, हिन्दी आशुलिपिक, हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी अधिकारी नियुक्त किये जायें।

ख. हिन्दी न जाननेवाले कर्मचारियों का प्रशिक्षण, आशुलिपियों/टाइपिस्टों के हिन्दी आशुलिपि/टंकण का प्रशिक्षण।

ग. हिन्दी संदर्भ साहित्य की व्यवस्था।

घ. बैंकों में प्रयोग किये जा रहे फार्मों इत्यादि का अनुवाद व द्विभाषी रूप में मुद्रण।

ङ. बैंकों के लिए निम्नलिखित स्थानों पर अलग से बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया, बंबई, कलकत्ता, बेंगलूर, हैदराबाद,

---

1. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 1986-87' वार्षिक कार्यक्रम अनुलग्नक 1, क्रम सं. 5, पृष्ठ 88

अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर, पटना, त्रिवेंद्रम, भोपाल और इलाहाबाद। इन नगरों में बैंक का वरिष्ठतम अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा तथा अपनी सुविधानुसार सदस्य नामित करेगा।

च. जो प्रोत्साहन योजनायें केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में लागू की गई हैं वही योजनायें बैंकों में भी लागू की जा सकती हैं।

4.4.4 राजभाषा संबंधी समितियाँ

क. केंद्रीय हिन्दी समिति

हिन्दी के प्रचार–प्रसार तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों का समन्वय करने के लिए प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय हिन्दी समिति का गठन किया गया है।[1] यह समिति राजभाषा नीति के संबंध में दिशा-निर्देश देनेवाली सर्वोच्च समिति है। यह समिति 3–3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाती है। इस समिति ने प्रधान मंत्री के अतिरिक्त 13 केंद्रीय मंत्री, 6 मुख्य मंत्री, 7 संसद सदस्य, 12 गैर सरकारी व्यक्ति, सदस्य के रूप में तथा सचिव राजभाषा विभाग, सदस्य सचिव के रूप में शामिल है।

ख. हिन्दी सलाहकार समितियाँ

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संबंधित मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। ये समितियाँ अपने मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों/उपक्रमों में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा करती हैं तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार करती है और राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए ठोस कदम सुझाती है। वर्ष 1986 तक कुल 34 समितियाँ गठित थीं। नियमानुसार प्रत्येक तिमाही में इसकी बैठक होती है। 1981 से 1986 तक इसकी बैठकों की स्थिति इस प्रकार रही।[2]

वर्ष	बैठक
1981	24
1982	18
1983	49

---

1. "गृह मंत्रालय के दिनांक 10-12-64 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/63/64–रा. भा. अध्याय 3, पृष्ठ 41" हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेश।
2. "राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट 1988, पृष्ठ 36

1984	54
1985	29
1986	58

ग. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

यह समिति राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967) और राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण और उपर्युक्त के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है और उनके अनुपालन में पाई गई कमियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपायों के बारे में विचार करती है।

घ. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

दिल्ली के बाहर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी कार्य की प्रगति की जाँच करने और समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रमुख नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ बनाई गईं। इन समितियों की अध्यक्षता नगर के वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। नगर में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के प्रतिनिधि समिति की बैठकों में सम्मिलित होते हैं। वर्ष 1986 तक देश के प्रमुख विभिन्न नगरों में समितियों का गठन किया जा चुका है।

वर्ष 1986 में जनवरी से दिसंबर तक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की 144 बैठक हुई।[1] वर्षवार समितियों की बैठकों की संख्या निम्नलिखित है।

वर्ष	बैठक
1977	9
1978	20
1979	17
1980	37
1981	57
1982	58
1983	102
1984	118
1985	120
1986	144

1. "राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 1986-87" पृष्ठ 37 अनुलग्नक 5(1)

ङ. राष्ट्रीयकृत बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी के प्रयोग को प्रगति देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि प्रमुख नगरों में बैंकों की अलग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की जायें। उस नगर में अग्रणी बैंक का वरिष्ठ अधिकारी समिति का मुखिया होगा तथा अपनी इच्छा से सदस्य सचिव नियुक्त करेगा। इस समय 14 नगरों में बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ कार्यरत हैं। ये हैं, बंबई, कलकत्ता, बेंगलूर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़, कानपुर, लखनऊ, पटना, तिरूवंतुपुरम, इलाहाबाद, भोपाल तथा जबलपुर।

च. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/उपक्रम में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। इन समितियों की बैठकें प्रत्येक 3 महीने में एक बार आयोजित की जाती है। बैठक में उस विभाग, मंत्रालय, कार्यालय, उपक्रम का वरिष्ठ अधिकारी मुखिया होता है। बैठक में प्रत्येक तिमाही की समीक्षा की जाती है तथा राजभाषा विभाग द्वारा बनाये गये वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपायों पर विचार किया जाता है।

4.4.5 यांत्रिक सुविधायें

केंद्रीय सरकार के वार्षिक 1979-80 में इसकी व्यवस्था रखी गई थी, ताकि इसकी स्थिति में सुधार लाया जा सके इसलिए 1980-81 में भी इसे लागू रखा गया व्यवस्था की गई कि जिन कार्यालयों में एक भी देवनागरी टाइपराइटर नहीं है उनमें कम-से-कम एक टाइपराइटर देवनागरी का खरीदा जाय। जिन कार्यालयों में एक देवनागरी टाइपराइटर हो वे वर्ष में खरीदे जानेवाले टाइपराइटरों का हिन्दी भाषी क्षेत्रों में 50% तथा 'ख' क्षेत्र में 25% व 'ग' क्षेत्र में 10% देवनागरी के खरीदें। इसके लिए पूर्ति तथा निपटान निदेशालय को जाँच बिन्दु बनाया गया। जो क्रम आदेश सरकार के इन आदेशों के अनुसार नहीं होता उसे संबंधित कार्यालय को आवश्यक सुधार के लिए लौटा दिया जाता है।[1] इस दिशा में निरंतर बढ़ौतरी हुई दूसरी ओर आपूर्ति में सुधार हुआ।

वर्ष	टाइपराइटर
1976	6857
1977	9362

1. "राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार" का 23-5-78 का कार्यालय ज्ञापन 12015/9/78–रा. भा. (ख–1) अनुदेशों का संकलन"पृष्ठ 82

1978	10192
1979	13038
1980	12754
1981	12942
1982	13137
1983	13862
1984	15369
1985	16761
1986	23492

आरंभ में स्थिति यह थी कि टाइपराइटरों की माँग अधिक थी, उत्पादन कम था। अब माँग सीमित है, इसलिए उत्पादन को सीमित रखा जा रहा है। यह स्पष्ट किया गया कि आवश्यकतानुसार देवनागरी टाइपराइटर खरीदने की व्यवस्था तो करें ही, साथ ही उपलब्ध रोमन टाइपराइटरों की पूँजीपटल देवनागरी में बदलवाने के प्रयास करें।

1. पिन प्वाइंट टाइपराइटर

चैक तैयार करने या महत्त्वपूर्ण कागजों पर बिंदियों जैसे बने अक्षर टाइप करने के लिए पिन प्वाइंट टाइपराइटरों की आवश्यकता पड़ती है। 12 अप्रैल 1979 को सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में एक अंतर्विभागीय बैठक बुलाई गई जिसमें टाइपराइटर बनानेवाली कंपनियों के प्रतिनिधि भी बुलाये गये। 1985 तक कंपनियों द्वारा देवनागरी में पिन प्वाइंट टाइपराइटर बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। इसकी सहायता से वाणिज्य के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग पर अनुकूल प्रभाव पड़ा।

2. बिजली से चलनेवाले टाइपराइटर

राजभाषा अधिनियम और इसके अधीन बने नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों, नियमों में बहुत-सा काम हिन्दी में किया जाने लगा है, जो पहले अंग्रेजी में होता था। प्रेसों में हिन्दी की छपाई की क्षमता कम है, साथ ही, जिन रिपोर्टों या पुस्तकों की केवल एक-दो हजार प्रतियाँ तैयार करनी हों उन्हें कंपोज करने की बजाय उनकी सामग्री बिजली से चलनेवाले टाइपराइटरों पर करना सुविधाजनक होगा। कुछ प्रेसों में बिजली से चलनेवाले देवनागरी लिपि के टाइपराइटर काम में लाये जाते हैं। पहले इनका आयात किया जाता था किन्तु वर्ष 1985-86 से देवनागरी इलैक्ट्रिक टाइपराइटर, मैसर्स हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर लिमिटेड, मद्रास ने बनाने आरंभ कर दिये हैं। इस यंत्र की विशेषता है कि यह एक मिनट में 920 स्ट्रोक लगा सकता है।

3. पोर्टेबल टाइपराइटर

यात्रा के समय प्रयोग करने के लिए केवल रोमन टाइपराइटर उपलब्ध था। इस कमी को दूर करने के लिए देवनागरी टाइपराइटर का निर्माण रेमिंगटन कंपनी द्वारा किया गया। अब यह टाइपराइटर बाजार में उपलब्ध है।

4. बुलेटिन टाइपराइटर

अक्षरों की बनावट को बड़ा दर्शाने, सूचना पट्ट पर सूचनाओं के लिए तथा विशेषकर रेलवे आरक्षण में प्रयोग के लिए बुलेटिन टाइपराइटर का निर्माण इस अवधि में हुआ।

5. द्विभाषी इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटर

कार्यालयों में रोमन टाइपराइटरों का इलैक्ट्रिनक रूप आ जाने से हिन्दी के प्रयोग पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। इस प्रकार के टाइपराइटरों में मेमोरी होती है, जिसको प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोमन देवनागरी द्विभाषी टाइपराइटर का निर्माण आरंभ किया गया। इसकी मदद से दोनों भाषाओं के अक्षरों को टाइप किया जा सकता है। इनकी सहायता से बड़ी बड़ी रिपोर्ट और चार्ट आसानी से तैयार किये जा सकते हैं। साधारण टाइपराइटर से इसका कार्यनिष्पादन कई गुना अधिक है।

6. पता लेखी मशीनें

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में हिन्दी भाषी क्षेत्रों को जानेवाले पत्रों पर पते देवनागरी में लिखे जाने चाहिए। जिन कार्यालयों में पते मशीनों द्वारा लिखे जाते हैं इनमें से कुछ की कठिनाई यह थी कि उनके पास पतों की प्लेट तैयार करनेवाली मशीनें केवल रोमन लिपि में थीं। 1980-81 से भारत में भी ऐसी मशीन बनने लगी हैं जिनमें पते की प्लेंटें, विवरणियाँ, सूचियाँ, बिजली और पानी के बिल, प्रिमियम नोटिस आदि देवनागरी लिपि में तैयार किये जा सकते हैं। इस प्रकार इस मशीन का प्रयोग आरंभ हो गया तथा यह काफी लोकप्रियता हासिल करती जा रही है।[1] प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 26-5-1976 को हुई केंद्रीय हिन्दी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/निगमों और कंपनियाँ हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जानेवाली या प्रयोग में आनेवाली ऐसी सामग्री के लिए हिन्दी एंबोसिंग मशीनों का प्रबंध करें।

---

1. वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, 1980-81, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार, पृष्ठ 41 तथा वार्षिक रिपोर्ट 1984-85 पृष्ठ 15 तथा वार्षिक रिपोर्ट 1986-87 पृष्ठ 32

राजभाषा विभाग ने 16-11-1976 के इस संबंध में आदेश जारी किये[1]।

7. पुलिस बेतार

पुलिस बेतार अब तक रोमन लिपि में ही भेजे जाते हैं। इसे देवनागरी में भेजने के लिए प्रयास आरंभ कर दिये हैं तथा भारत सरकार के समन्वय निदेशालय द्वारा इस पर अमल किया जा रहा है। समन्वय निदेशालय द्वारा अब तक पुलिस तारों को इस ढंग से हिन्दी में भेजने के लिए पाँच पद सृजित किये हैं। इसमें आगे प्रगति होने की संभावना है जिसका उल्लेख अगले अध्याय में करेंगे।

8. द्विभाषी कंप्यूटर टर्मिनल

इस प्रकार के द्विभाषी टर्मिनल का प्रोटोटाइप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने विकसित किया है। यह 1984 में अस्तित्व में आया। इससे रोमनवाले कंप्यूटरों से देवनागरी में काम लेने के लिए उनके परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर टर्मिनल, देवनागरी टर्मिनल का काम करता है।

9. इलैक्ट्रोनिक टेलिप्रिंटर

देवनागरी में इलैक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर उपलब्ध कराने के संबंध में संचार मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग के बीच लंबे समय तक विचार-विमर्श चलता रहा। देवनागरी टेलिप्रिंटर के निर्माण के साथ–साथ देवनागरी के कुँजीपटल के संबंध में भी विचार किया गया। देवनागरी के कुँजीपटल का डिजाइन तैयार करने के लिए समिति गठित की गई। रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात कुँजीपटल का डिजाइन तैयार करने के सबंध में निर्णय लिया जायेगा। संयुक्त-सचिव ने आठ बिट कोडवाले द्विभाषी इलैक्ट्रोनिक टेलिप्रिंटर बनाने के लिए संचार मंत्रालय से अनुरोध किया है। यह जानकारी दी गई है कि फरवरी 87 से यह द्विभाषी टेलिप्रिंटर उपलब्ध हो जायेगा (इसकी प्रगति की जानकारी उसके अध्याय में दी जायेगी।) द्विभाषी इलैक्ट्रोनिक उपकरणों संबंधी सरकार की नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा समय-समय पर इलैक्ट्रोनिक उपकरणों संबंधी सरकार की नीति का कार्यान्यवन सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा समय–समय पर इलैक्ट्रोनिक उपकरणों का उपयोग द्विभाषिक रूप से बढ़ाने के लिए गृहराज्यमंत्री की अध्यक्षता में एक अंतः विभागीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।[2]

---

1. राजभाषा विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/9/76–रा. भा(ख) दिनांक 16-11-76 क्रम सं. 96
2. "राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, मूल्यांकन रिपोर्ट" 1986-82 पृष्ठ 34 क्रमांक 5-12

10. देवनागरी कप्यूंटर

देवनागरी कंप्यूटरों के निर्माण के संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन कियां गया। सचिव (राजभाषा) इस समिति के अध्यक्ष हैं। इस उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक 4-5-1984 को इलैक्ट्रोनिक विभाग में हुई। इलैक्ट्रानिक विभाग में हुई। इलैक्ट्रोनिक विभाग ने कंप्यूटर संबधी नीति 19-11-1984 को निर्धारित की है। निर्णय लिया गया कि देश तथा विदेश से खरीदे हुए सभी कंप्यूटरों के इनपुट-आऊटपुट को द्विभाषी रूप में बनाने के लिए शीध्र प्रयत्न किये जायेगें। डी. सी. एम. डाटा प्रोडक्टस् द्वारा निर्मित "सिद्धार्थ" नामक द्विभाषी कंप्यूटर अब बाजार में उपलब्ध हो चुका है जिससे राजभाषा कार्यान्वयन की गति पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।[1]

11. शब्द संसाधक (वर्ड प्रोसेसर)

कंप्यूटर मेंटैनेंस कार्पोरेशन हैदराबाद ने 'लिपि' नामक द्विभाषी शब्द संसाधक का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। इसमें अंग्रेजी-हिन्दी तथा अन्य पाँच भाषाओं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती तथा मलयालम का समावेश किया गया। शब्द संसाधक के द्वारा प्रारूप का संशोधन डिसप्ले पर ही किया जा सकता है और प्रिंट कमांड के पश्चात बहुत-सी प्रतियाँ निकाली जा सकती हैं। सिद्धार्थ नामक द्विभाषी कंप्यूटर भी शब्द संसाधक के रूप में काम कर सकता है। साथ ही द्विभाषी कंप्यूटर, यथा-विप्रो पी. सी. उषा पी. सी. शब्द-माला, सुलेख, देवनागरी, सिद्धार्थ, वी. जी. बी. मैकनतोष लिपि का निर्माण आरंभ हो चुका है। वर्ष 1986 में बहुलिपीय रंगीन कंप्यूटर का उत्पादन प्राथमिक तौर पर भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मद्रास ने किया है। एक ही कुँजीपटल से तीन लिपियों के अतिरिक्त कंप्यूटर द्वारा हिन्दी एवं तमिल अक्षरों का इच्छानुसार रग एवं आकार का चयन किया जा सकता है, संगीत की रचना की जा सकती है, शब्द संसाधन किया जा सकता है। शीर्षक के प्रदर्शन के लिए खिड़की का सृजन किया जा सकता है। इसका प्रयोग मद्रास दूरदर्शन में हो रहा है। जो कंप्यूटर किसी लिपि के शब्दों की प्रोसेसिंग करता है उसे शब्द संसाधक कहा जाता है। सी एम सी लिमिटेड हैदराबाद ने अब कंप्यटरों व अन्य आधुनिक प्रणालियों में राजभाषा हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रयोग के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। भारत सरकार द्वारा स्थापित इस कार्पोरेशन का 'लिपि' वर्ड प्रोसेसर अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी और किसी एक भारतीय भाषा (कन्नड, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगाली, असमिया या मराठी) में एक साथ, एक ही समय, कार्य कर सकता है। इसका निर्माण 1984 में आरंभ किया गया

---

1. "राजभाषा विभाग, संसद को प्रस्तुत रिपोर्ट 1984-85 पृष्ठ 12

था तथा 1986 में तैयार हो गया।

सरकार का प्रयास है कि इन बहुभाषी उपकरणों के बारे में पूरा प्रचार-प्रसार हो तथा इसके लिए प्रदर्शनियों के माध्यम से समुचित जानकारी दी जाय। अध्ययनाधीन अवधि में दिल्ली, गुवाहाटी में आयोजित बैठकों व सम्मेलनों में प्रदर्शनियाँ आयोजित की गईं, जो अत्यंत सफल रहीं। इनकी सफलता को देखते हुए यह तय किया गया कि भविष्य में देश के बड़े-बड़े नगरों में ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जायेगा, ताकि विभिन्न सरकारी विभाग एवं उपक्रम इनके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करके लाभ उठा सकें। इसका दायित्व तकनीकी विभाग के निदेशक राजभाषा विभाग को सौंपा गया।

4.4.6 हिन्दी शिक्षण योजना संबंधी नीति तथा इसके अंतर्गत किये गये विविध कार्य

जब तक सभी सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, केंद्र में लागू वर्तमान द्विभाषिक स्थिति सफल नहीं हो सकती। यदि यह कहा जाय कि भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा तत्पश्चात् नियमों में किये गये प्रावधानों अथवा अपेक्षाओं का आधार शिक्षण योजना है तो गलत न होगा। जब तक समस्त कर्मचारियों को हिन्दी कार्यसाधक ज्ञान नहीं हो जाता अगला कदम उठाना कठिन ही नहीं असंभव है। राजकाज कर्मचारियों द्वारा किया जाना है। जब तक कर्मचारियों को उस भाषा का ज्ञान नहीं हो जाता, जिसके लिए संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तब तक वे इस कार्य में किसी भी रूप में आगे आने में असमर्थ होंगे। इसलिए हिन्दी न जाननेवाले कर्मचारियों को हिन्दी सिखाना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के 27 अप्रैल 1960 के आदेश के अनुसार कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर केंद्रीय सरकार के समस्त कर्मचारियों के लिए हिन्दी सीखना अनिवार्य कर दिया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना चलाई जा रही है। सरकार के 30-7-1960 के आदेशानुसार हिन्दी शिक्षण अनिवार्य कर दिया गया।[1]

इसके पश्चात केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन कंपनियों, निगमों, उपक्रमों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिन्दी का शिक्षण अनिवार्य कर दिया गया।

---

1. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 16/22/60/रा. भा. दिनांक 30-7-1960, अध्याय 2, 'हिन्दी शिक्षण योजना संबंधी आदेशों का संकलन'

राजभाषा नीति को लागू करने के लिए उठाये गये कदम

1. हिन्दी शिक्षण केंद्रों की व्यवस्था

केंद्रीय सरकार के हिन्दी न जाननेवाले कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए योजना के अंतर्गत देश-भर में, पूर्णकालिक और अंशकालिक हिन्दी शिक्षण केंद्र चलाये जा रहे हैं। इनके संचालन के लिए अध्यापक नियुक्त किये गये हैं, जिनकी देख-रेख की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। इन्हें सर्वकार्यभारी अधिकारी कहा जाता है। इनसे संपर्क बनाये रखने के लिए दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बंबई और जबलपुर में हिन्दी शिक्षण योजना के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये। इनमें उपनिदेशक नियुक्त किये गये हैं, जो योजना का प्रशासनिक तथा संगठनात्मक काम देखते हैं। अन्य संस्थानों पर सर्वकार्यप्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जो योजना का संगठनात्मक और प्रशासनिक सभी काम देखते हैं। इन अधिकारियों को इस अतिरिक्त काम के लिए 50 रुपये से 140 रुपये तक मासिक मानदेय दिया जाता है। अध्ययनाधीन अवधि तक हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी शिक्षण के 155 केंद्र चल रहे हैं जिनमें 79 पूर्णकालिक, 76 अंशकालिक हैं।[1]

2. हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम को तीन भागों में बाँटा गया है। **प्रबोध**—यह प्रारंभिक पाठ्यक्रम है, **प्रवीण**—यह बीच का पाठ्यक्रम है जो मिडल कक्षा के बराबर है, **प्राज्ञ**—यह आखिरी पाठ्यक्रम है। इसका स्तर हाईस्कूल के समान है। विभिन्न केंद्रों में कार्यालय समय में प्राज्ञ की एक-एक, प्रवीण और प्रबोध की दो—दो घंटे की कक्षा चलाई जाती हैं।

वर्ष में दो सत्र चलाये जाते हैं। जहाँ पर हिन्दी शिक्षण योजना के केंद्र नहीं हैं उनके लिए केंद्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम चलाया जाता है।[2] पाठ्यक्रमों को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से हिन्दी शिक्षण योजना पुनरीक्षण समिति की सिफारिश पर, जनवरी 1982 में नये पाठ्यक्रम लागू किये गये हैं, जिसके अनुसार एकान्तर दिवस पर दो-दो घंटे की कक्षाओं का प्रावधान है, प्राज्ञ के लिए एक घंटा। ये तीनों पाठ्यक्रम 5 महीने की प्रशिक्षण अवधि (जनवरी—मई तथा जुलाई—नवंबर) में पूरे किये जाते हैं। अंशकालिक केंद्रों के लिए यह छूट दी गई कि वे अपनी सुविधानुसार नये प्रबोध और प्रवीण पाठ्यक्रम की कक्षायें एक दिन छोड़कर दो-दो घंटों के लिए लगाएँ या प्रतिदिन एक-एक घंटे की। सरकार द्वारा निगम/कंपनियों को पुस्तकें अपने स्तर पर छपवाने की छूट दी गई।

1. राजभाषा विभाग, संसद को प्रस्तुत रिपोर्ट, 1986-87, अध्याय 8, पृष्ठ 44
2. "राजभाषा विभाग, संसद को प्रस्तुत रिपोर्ट" 1986—87 अध्याय 8 पृष्ठ 44(8)(3)

3. हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत चलाई जानेवाली परीक्षाओं में प्रबोध परीक्षा को छोड़कर अन्य सभी परीक्षायें पहले दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय (परीक्षा शाखा) द्वारा ली द्वारा ली जाती थी। अब यह समस्त कार्य हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली में उप-निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय स्थापित किया गया है। अब प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा हिन्दी टाइपलेखन/हिन्दी आशुलिपि की परीक्षायें इसी परीक्षा-स्कंध द्वारा ली जा रही हैं। पहले परीक्षायें जून और दिसंबर में ली जाती थीं, किन्तु 1982 से अब नये पाठ्यक्रम के बाद ये परीक्षाएँ मई व नवंबर में ली जाती हैं।

4. हिन्दी टाइपलेखन और आशुलिपि प्रशिक्षण भी हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिया जाता है। इस समय कुल 27 केंद्र चल रहे हैं। जिनमें 9 केंद्र दिल्ली में, एक-एक केंद्र बंबई, पुणे अहमदाबाद, बेंगलूर, कलकत्ता, भुवनेश्वर, मद्रास, कानपुर, हैदराबाद, कोचीन, जबलपुर, पटना, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, गुवाहाटी देहरादून तथा इलाहाबाद में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा भी दिया जाता है। इसके समन्वयन सुधार व अधिक गति लाने का कार्य एक उप-निदेशक (टंकण व आशुलिपि) देख रहे हैं।

पहले यह सेवाकालीन प्रशिक्षण टाइपिस्टों व आशुलिपिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। अब लिपिकों के लिए भी आशुलिपि प्रशिक्षण स्वैच्छिक कर दिया गया। स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें भी दाखला दिया जा सकता है।

5. व्यवहारिक कारणों से सभी जगह प्रशिक्षण केंद्र खोलना संभव नहीं है इसलिए कर्मचारियों को निजी तौर पर गैर-सरकारी केंद्र में प्रशिक्षण लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। परीक्षा पास करने पर 200/- रु. व 500/- रुपये का एकमुश्त पुरस्कार दिया जाता है। आपश्यकता पड़ने पर राशि का कुछ भाग अग्रिम के रूप में भी दिया जा सकता है।

6. प्रशिक्षण की गति को तेज करने के लिए यह व्यवस्था की गई कि जहाँ शिक्षण/प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, वहाँ कार्यालय में कार्यरत टंकक/आशुलिपिक को ही प्रशिक्षण का दायित्व दिया गया है तथा मानदेय के आधार पर प्रशिक्षण का कार्य लिया जाता है।

7. अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में सरकारी काम करने के लिए आशुलिपिकों व टाइपिस्टों को हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता 30 रुपये और 20 रुपये देने की व्यवस्था की गई। इसके लिए पत्र टाइप करने के लिए मानदंड निर्धारित किये गये। प्रतिदिन 5 पत्र या टिप्पणियाँ अथवा प्रति तिमाही 300 पत्र/टिप्पणियाँ टाइप करने पर यह भत्ता देय होगा। पत्रांक 13034/31/85 रा. भा. (ग) दिनांक 14-2-86 के अनुसार

1. राजभाषा विभाग, संसद को प्रस्तुत रिपोर्ट, 1986-87 अध्याय 8 पृष्ठ 44/8/3

16-2-86 से यह भत्ता छः मास के लिए बढ़ा दिया गया, किन्तु शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।[1] इसक के बाद की स्थिति का विवरण अगले अध्याय में देंगे।

8. हिन्दी शिक्षण योजना का गतिविधियों पर नियंत्रण रखने तथा प्रगति की नियमित जानकारी प्राप्त करने के लिए रिपार्ट मंगाई जाती है। योजना के सभी क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट की, संयुक्त निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के कार्यालय में समीक्षा की जाती है और राजभाषा विभाग को सुझाव दिये जाते हैं। मई 1986 तक कुल 540708 कर्मचारियों ने हिन्दी की विभिन्न परीक्षायें तथा 49911 कर्मचारियों ने टाइपिंग व आशुलिपि की परीक्षायें पास कीं।[2]

अध्ययनाधीन अवधि अर्थात् 1976 से 1986 तक शिक्षण/प्रशिक्षण की स्थिति इस प्रकार रही :

वर्ष 1976 से 1986 तक शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी विवरण[3]

वर्ष	हिन्दी शिक्षण	हिन्दी टंकण	हिन्दी आशुलिपि
1976–77	20897	1760	288
1977–78	20870	1639	348
1978–79	19289	1864	338
1979–80	15764	2602	364
1980–81	15568	2410	372
1981–82	16350	2458	454
1982–83	21754	2346	459
1983–84	9821	1326	223
1984–85	23804	3111	416
1985–86	26312	2732	452
1986–87	12123	2385	353

9. केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

देश में फैले संघ सरकार तथा उसके नियंत्रणाधीन उपक्रमों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था 1955 से हिन्दी शिक्षण योजना के माध्यम से चल रही है। 1986 तक यह अवस्था थी कि जितने

1. राजभाषा विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. एफ 14012/55/76/रा. भा. (ग) दिनांक 12-8-83
2. गृह मंत्रालय संसद को प्रस्तुत रिपोर्ट 1986–76 राजभाषा विभाग, पृष्ठ 46
3. "राजभाषा विभाग द्वारा संसद को प्रस्तुत रिपोर्ट" मई 1986 से साभार पृष्ठ 47

कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया उतने ही शेष थे। अतः केंद्रीय हिन्दी समिति के एक प्रस्ताव को ध्यान में रखकर, 31 अगस्त 1985 को दिल्ली में केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। यही नहीं 12, जून 1985 को राष्ट्रपति द्वारा गृहमंत्री को लिखे पत्र के अनुसार कहा गया कि जहाँ संघ सरकार कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है, वहीं नये भर्ती होनेवाले कर्मचारियों के लिए अलग से पूर्ण गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जरूरी है, ताकि सरकार की नीति का सुचारु रूप से कार्यान्वयन हो सके। संघ सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्रीय सरकार के उपक्रमों/उद्यमों तथा नियंत्रणाधीन बैंकों के कर्मचारियों को भी भर्ती होते ही प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस संस्थान को निम्नलिखित काम सौंपे गये:[1]

1. नये भर्ती होनेवाले कर्मचारियों के लिए हिन्दी भाषा, हिन्दी टाइपिंग तथा आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था।

2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल अधिकारियों एवं अनुवादकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था।

3. राजभाषा से जुड़े प्रशिक्षकों, अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण।

4. टंककों व आशुलिपिकों को हिन्दी कंप्यूटर व वर्ड प्रोसेसर का प्रशिक्षण।

5. कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन।

6. चार्टों, पोस्टरों, लघु चित्रों की सहायता से प्रशिक्षण को रोचक बनाने के लिए व्यवस्था।

7. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों के लिए दो-दो, तीन-तीन दिन के सेमीनार आयोजित करना।

हिन्दी शिक्षण संस्थान द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं:

1. राजभाषा सेवा के सहायक निदेशकों/हिन्दी अधिकारियों के लिए 5 कार्यदिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

2. राजभाषा सेवा के वरीय एवं कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के लिए 5 कार्यदिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

3. संघ सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 5 कार्यदिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

4. संघ सरकार के अधिकरियों/कर्मचारियों के लिए 25 कार्य दिवसीय प्रारंभिक (प्रबोध) पाठ्यक्रम।

5. संघ सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 15 कार्यदिवसीय प्राज्ञ पाठ्यक्रम।

---

1. "राजभाषा विभाग द्वारा संसद को प्रस्तुत रिपोर्ट", मई 86, पृष्ठ 46

6. संघ सरकार के कर्मचारियों के लिए 45 कार्यदिवसीय हिन्दी टाइपिंग का गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

7. संघ सरकार के कर्मचारियों के लिए 90 कार्यदिवसीय हिन्दी आशुलिपि का गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

8. प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशकों (हिन्दी), सहायक निदेशकों (टंकण/आशुलिपि) तथा हिन्दी प्राध्यपाकों के लिए अलग-अलग 5 कार्यदिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

9. आशुलिपिकों के लिए शब्द-संसाधित (वर्ड-प्रोसेसर) का 7 कार्यदिवसीय पाठ्यक्रम।

10. टाइपिस्टों एवं आशुलिपिकों के लिए इलैक्ट्रानिक टाइपराइटिंग प्रशिक्षण।

11. हिन्दी कार्यशाला।

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले और हिन्दी में काम करने के इच्छुक कर्मचारियों की झिझक दूर करने तथा प्रयोजनमूलक हिन्दी का ज्ञान दिलाने के उद्देश्य से 1973 में सभी मंत्रालयों/विभागों को 30 दिवसीय व्यावहारिक कार्यशालायें चलाने के अनुदेश दिये गये थे। इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा 18 पाठ तैयार किये गये, शेष 12 पाठों की सामग्री, अपनी अपेक्षानुसार तैयार करनी है, समीक्षाधीन अवधि में अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

पुनरीक्षण समिति की एक अन्य सिफारिश के अनुसार मंत्रालय/विभाग के स्तर पर हिन्दी माध्यम से सरकारी कामकाज में विशेषज्ञता प्राप्त करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की मदद से नये पाठ्यक्रम की सामग्री तैयार कर रहा है। अब तक जिन मंत्रालयों/विभागों से सामग्री प्राप्त हो चुकी है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। शेष से सामग्री प्राप्त हो चुकी है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। शेष से सामग्री प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस पाठ्यक्रम के स्थान पर हिन्दी कार्यशालायें चलाई जा रही हैं। इन कार्यशालाओं को हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत चलाये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

इस प्रकार दिये गये तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत सरकार का प्रयास जारी है कि शीघ्रातिशीघ्र इस दिशा में प्रभावी कदम उठाकर राजभाषा नीति को लागू किया जाय।

4.4.7 केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा इसके कार्य

केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, निकायों तथा कार्यालयों के मैन्युअलों, संहिताओं, फार्मों आदि के विविध असांविधिक कार्यविधि साहित्य के अनुवाद के लिए गृह मंत्रालय के अधीन 1-3-1971 को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की

स्थापना की गई। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण पूर्वोपाय है। भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कंपनियों, निगमों, उपक्रमों आदि को भी ब्यूरो की सेवायें निःशुल्क उपलब्ध होती हैं।

अपने स्थापना काल से ही ब्यूरो सामान्यतः अनुवाद का निर्धारित वार्षिक लक्ष्य पूरा करता आया है। यह लक्ष्य प्रति वर्ष 30000 मानक पृष्ठों का है। अनुवाद कार्य का लक्ष्य पूरा करने के साथ-साथ पुरानी सामग्री के निपटान पर भी बल दिया जाता है। यह देखा गया कि किसी भी मंत्रालय/विभाग में ऐसा कोई अनुभाग नहीं है, जो अनुवाद कार्य के लिए जिम्मेदार हो, जिसके परिणामस्वरूप कार्यविधि साहित्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी किसी भी एक अनुभाग में उपलब्ध नहीं है। इसके अभाव में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा माँगी गई सूचना सामान्यतः अपूर्ण व देर से प्राप्त होती है, अनुवर्ती कार्रवाई करने पर भी वांछनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि इस कार्य के समन्वयन की जिम्मेदारी एक अनुभाग को सौंपी जाय, ताकि कार्य शीध्रता से हो और प्रगति आँकी जा सके। अतः सुझाव दिया गया कि वित्त मंत्रालय यह कार्य अपने किसी एक प्रशासनिक अनुभाग को सौंपे, ताकि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अनुवाद ब्यूरो ऐसे नामित किये गये प्रशासनिक अनुभाग से पत्र व्यवहार न कर सकें।[1]

1. अनुवाद प्रशिक्षण व्यवस्था

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेवारत कर्मचारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम 1973 में आरंभ किया गया था। एक वर्ष में 3-3 महीने के लिए 4 सत्र चलाये जाते हैं। पहले प्रत्येक सत्र में प्रतिभागियों की संख्या 30 रखी जाती थी। वर्ष 1981-82 में बढ़ाकर प्रतिभागियों की संख्या 40 कर दी गई। इस प्रकार प्रति वर्ष एक केंद्र में 160 कर्मचारियों को अनुवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है।

1-1-85 से एक केंद्र बंबई में तथा 1-10-85 से बेंगलूर में खोला जा चुका है। 1986 तक बंबई में 8 तथा बेंगलूर में 5 सत्र पूरे किये जा चुके हैं ताकि इन केंद्रों में दक्षिण और पश्चिम अंचल में स्थित केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध हो सकें।

अनुवाद प्रशिक्षण की प्रगति का वर्षवार तथा केंद्रवार ब्योरा नीचे दिया जा रहा है।[2]

---

1. 'हिन्दी आदेशों का संकलन' भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, तृतीय संस्करण, अप्रैल 1986 तक, अध्याय 9, पृष्ठ 102
2. "राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में संसद को प्रस्तुत रिपोर्ट" 1986-87, अध्याय 9, राजभाषा विभाग, भारत सरकार का मुद्रण, पृष्ठ 58

क्रम सं.	वर्ष	वर्ष में सत्रो की संख्या	प्रशिक्षित कर्मचारी
1	2	3	4
बंबई केंद्र :			
1.	1985	4	72
2.	1986	4	82
बेंगलूर केंद्र :			
1.	1985	1	27
2.	1986	4	99
दिल्ली केंद्र			
1.	1976	4	109
2.	1977	4	116
3.	1978	4	118
4.	1979	4	114
5.	1980	4	118
6.	1981	4	120
7.	1982	4	118
8.	1983	4	135
9.	1984	4	147
10.	1985	4	159
11.	1986	4	165

2. संक्षिप्त पाठ्यक्रम

समय की बढ़ती माँग को देखते हुए यह उचित समझा गया कि दिल्ली, बंबई, बेंगलूर के इन नियमित केंद्रों के अतिरिक्त देश के अन्य नगरों में कार्यरत कर्मचारियों को अनुवाद की कामचलाऊ जानकारी अवश्य दी जाय। इसके अंतर्गत 12 दिवसीय एक संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया और वर्ष 1986 में 12 पाठ्यक्रम आयोजित किये गये।[1]

अनुवाद के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम का विवरण 1985-86

क्रम सं.	केंद्र	अवधि	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
1.	दिल्ली	21 8 85 से 30 8 85	28
2.	तिरुवनंतपुरम	7 10 85 से 15 10 85	23

1. "राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित संसद को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट" वर्ष 1986-87, अध्याय 9, पृष्ठ 57

3.	राँची	28 10 85 से 4 11 85	25
4.	कानपुर	4 11 85 से 4 11 85	42
5.	जबलपुर	2 12 85 से 10 12 85	32
6.	नागपुर	2 12 85 से 21 1 86	32
7.	भोपाल	5 5 86 से 21 1 86	36
8.	खंभरिया	5 5 86 से 12 5 85	26
9.	कलकत्ता (बैंक)	18 8 86 से 25 8 86	36
10.	कलकत्ता	25 8 85 से 29 8 86	29
11.	दिल्ली	6 10 86 से 15 10 86	23
12.	मद्रास	1 12 85 से 8 12 85	22

कुल 355 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। पाठ्यक्रम बहुत लोकप्रिय और उपयोगी सिद्ध हुए। निकट भविष्य में कुछ अन्य नगरों में इस प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

3. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

अनुवाद का कार्य क्षेत्र मात्रा और गुणवत्ता दोनों दृष्टियों से निरंतर विकासोन्मुख हो रहा है। यह एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में तीव्र गति से विकासमान है। इसके लिए यह अनिवार्य समझा गया कि पहले से अनुवाद प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए रिफेचार पाठ्यक्रम तैयार किये जायें। समीक्षाधीन अवधि में इस योजना को अंतिम रूप दिया गया और अनुवाद ब्यूरो द्वारा प्रारंभिक कार्रवाई आरंभ की गई।

4. एक बिलकुल नया प्रयास इस अवधिक के अंत में अर्थात् 1986 में अनुवाद ब्यूरो द्वारा किया गया। इसके अनुसार भारत सरकार के अनेक ऐसे कार्यालय, जो दूर-दराज क्षेत्रों में फैले हुए हैं और जिन्हें ब्यूरो के अस्तित्व और उसके क्रियाकलापों की कोई जानकारी नहीं है, उन्हें ढूँढ़ निकालने के प्रयास किये गये। उनसे संपर्क करके अनुवाद सामग्री प्राप्त की गई और प्राप्त सामग्री अनूदित किया गया। वर्ष 1986 में अनुवाद के लिए प्राप्त मानक पृष्ठों की संख्या 70933 थी। इससे पहले वर्ष की इतनी ही अवधि में 42136 थी। ब्यूरो के प्रयास हैं कि अधिक से अधिक कार्य क्षेत्र को इसके अंतर्गत लाया जाय।

इसके प्रचार-प्रसार के लिए पंफलेट, फोल्डर, तैयार किये गये तथा हर प्रकार से इसे दिलचस्प बनाने का प्रयास किया गया।

अनुवाद के क्षेत्र में सतत प्रगति हुई, ज्यों-ज्यों राजभाषा कार्यान्वयन की गति में तेजी आती गई उसकी अनुपात में अनुवाद कार्य में प्रगति होती गई—वर्षवार प्रगति इस प्रकार है[1] :

---

1. संसद को प्रस्तुत रिपोर्ट 1986–87 का पृष्ठ 98 अनुलग्नक 5(1/11)

वर्ष	अनुवादित पृष्ठ
1980-81	31041
1981-82	35074
1982-83	41239
1983-84	40034
1984-85	41507
1985-86	41604
1986-87	41382

अनुवाद कार्य को सुलभ बनाने के लिए अनुवाद कार्य मानदेय पर करवाने की व्यवस्था संबंधी निर्देश दिये गये। राजभाषा विभाग के 21 फरवरी 1976 के कार्यालय ज्ञापन 11/13017/13/75 रा. भा. (ग) द्वारा निदेश दिया गया था कि जिन कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी या हिन्दी अनुवादक का कोई पद नहीं है, वहाँ जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद का कार्य, कार्यालय के किसी योग्य व्यक्ति से मानदेय के आधार पर करा लिया जाय। इसके लिए प्रति 1000 शब्दों पर 5 रुपये मानदेय निर्धारित किया गया। अब 1979 से 5 रुपये के स्थान पर 10 रुपये कर दिये गये।[1]

4.4.8 राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए किये गये उल्लेखनीय कार्य

जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है कि राजभाषा कार्यान्वयन को प्रगति देने के लिए राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम/विभागों से अनुरोध करता है। इसके अतिरिक्त समय की माँग के अनुसार कतिपय आदेश जारी किये जाते हैं। साथ ही राजभाषा विभाग समन्वय संबंधी कार्य करता है जो विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के संबंधित होता है।

समीक्षाधीन अवधि में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में निम्नलिखित उल्लेखनीय कार्य किये गये :

1. केंद्रीय हिन्दी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विभिन्न सरकारी पत्र-पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के जो अधिकारी काम करते हैं, उनके तथा समान प्रकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं में काम करनेवाले अधिकारियों के वेतनमान, पदनाम तथा अन्य सेवा शर्तों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं को और अधिक उपयोगी बनाने और उनकी भाषा, वर्तनी, लिपि, सज्जा

1. "राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 20013/2/77/रा. भा. (ग)" दिनांक 15-10-79

विषयवस्तु के स्तर संबंधी विचार करने के लिए राजभाषा विभाग के तत्त्वाधान में एक अंतर्विभागीय पत्रिका उपसमिति गठित की गई। इस सीमति ने अपनी बैठक में एक मानक स्टाफिंग पैटर्न का सुझाव दिया तथा इस उप-समिति का नाम पत्रिका-समिति दिया गया।

2. तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का लक्ष्य प्रथम तथा द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की उपलब्धियों को न केवल स्थायित्व देना था, अपितु इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को गति देना था, जो हिन्दी के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रूप को पुष्ट करती है।

3. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न पद हैं। प्रत्येक कार्यालय अपने-अपने कार्यालयों में हिन्दी पदों पर स्वयं ही नियुक्तियाँ करते थे। इन पदों के भर्ती नियमों, वेतनमानों, शैक्षिक अर्हताओं आदि में समानता नहीं थी और पदोन्नति के लिए भी कोई प्रक्रिया नहीं थी वह बहुत सीमित थी। इन सभी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से केंद्रीय हिन्दी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा नाम से 1976 में सेवा गठित की गई ताकि समस्त बिखरे पदों को गठित किया जा सके। यह एक केंद्रीय सेवा है और राजभाषा विभाग इसका नियंत्रक प्राधिकारी है। नियमों में किये गये प्रावधानों के आधार पर समूह 'क' 'ख' 'ग' पदों का आरंभिक गठन क्रमशः 1-3-85, 17-12-85 तथा 28-5-83 को पूरा कर लिया गया[1]।

4. हिन्दी पदों संबंधी निर्देशक सिद्धांत

व्यवस्था के अनुसार केंद्रीय सरकार में अनेक प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य है। इस दृष्टि से केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में हिन्दी अधिकारियों, अनुवादकों, टाइपिस्टों आदि की नियुक्ति आवश्यक है। यद्यपि इस समय योजनेत्तर नये पदों के सृजन पर रोक लगी हुई है। वित्त मंत्रालय द्वारा नये पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई थी।[1]

फिर भी वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के 6 अगस्त 1973 के पत्र में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अनेक संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/अनुपालन के लिए उपलब्ध पदों की समीक्षा व न्यूनतम पदों के सृजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत दिये गये थे। 27 अप्रैल 1981 को राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये कार्यालय ज्ञापन द्वारा, केंद्रीय सरकार के

---

1. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) 6-7-1979 ज्ञापन सं. एफ 7 7 (2) ई को आई/79 तथा ज्ञापन सं. एफ 7 (18) ई (की आई) 79 दि. 7-9-79

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध किया गया कि 6 अगस्त 1973 के परिपत्र में दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर अपने मंत्रालयों/विभागों तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/अनुपालन के लिए उपलब्ध पदों की समीक्षा की जाए। और जहाँ न्यूनतम पद उपलब्ध न हों, वहाँ तत्काल उनके सृजन के लिए कार्रवाई की जाय।[1]

इसके लिए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा 11-2-81 को जारी पत्र के अनुसार सभी वित्त-सलाहकारों को निर्देश दिये गये कि इस विभाग के 6-8-73 में दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांतो के आधार पर विभिन्न मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों में आवश्यक हिन्दी पदों के, राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए न्यूनतम पद मानकर, सृजन पर विचार किया जा सकता है तथा ऐसे मदों को सामान्य 'बैन' से मुक्त माना जा सकता है[2]।

नये पदों के सृजन पर पुन: 20-6-84 को रोक की अवधि को बढ़ा दिया गया, किन्तु वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की 31 अगस्त 1985 को हुई बैठक में वित्तमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि हिन्दी के न्यूनतम पदों के सृजन पर रोक नहीं है, परंतु इनकी स्वीकृति के लिए औचित्य बताते हुए वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। केंद्रीय हिन्दी समिति की 20वीं बैठक में, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 21-11-86 को हुई, वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जो प्रस्ताव हिन्दी के पदों के संबंध में आयेगा और मापदंड के अंतर्गत होगा उसे वित्त मंत्रालय में उदारता से जाँचा जायेगा।[3]

5. भारत सरकार के राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन की प्रगति देखने के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट मँगाई जाती है। राजभाषा विभाग द्वारा इनकी समीक्षा की जाती है। समीक्षा के दौरान पाई जानेवाली कमियों की ओर संबंधित मंत्रालय/विभाग का ध्यान आकर्षित किया जाता है। संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा संबंधित विभाग या मंत्रालय द्वारा स्वयं की जाती है।

6. भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों और राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अनुसार संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होनेवाले सभी मैन्युअलों, संहिताओं और अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य की छपाई द्विभाषिक रूप में किये जाने संबंधी आदेशों के अनुपालन पर कड़ी नजर रखी गई। निर्धारित नीति के अनुसार कार्यालय में प्रयोग किये जानेवाले सभी फार्म हिन्दी और अंग्रेजी दोनों

---

1. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का का. ज्ञा. 13035/3/80 रा. भा. दिनांक 27-4-81
2. वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग अर्ध शासकीय पत्र सं. एफ–7(7) ई (का आई) 81 दिनांक 11-12-1981
3. राजभाषा विभाग वार्षिक रिपोर्ट, अध्याय–4 (2), पृष्ठ 29

भाषाओं में मुद्रित कराये जाने चाहिए। इस अवधि में इस पर भी बड़ी नज़र रखी गई। भारत सरकार के सभी मुद्रणालयों को इसके लिए जाँच बिन्दु बनाया गया। ये जाँच बिन्दु प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।[1]

इस नियम के अंतर्गत 31 दिसंबर 1986 तक राजभाषा विभाग द्वारा ऐसे 58 मंत्रालयों/विभागों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किये जा चुके हैं। जहाँ तक अधीनस्थ कार्यालयों आदि का प्रश्न है राजभाषा विभाग, भारत सरकार गृह मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31-12-86 तक संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा 6437 कार्यालयों के नाम अधिसूचित किये जा चुके हैं।[2]

7. हिन्दी में मूल टिप्पण के लिए प्रोत्साहन

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वार कई प्रोत्साहन योजनायें आरंभ की गईं। वर्ष 1984-85 में टिप्पण/आलेखन के लिए एक नई योजना चालू की गई जिसके अनुसार प्रत्येक कार्यालय अपने कर्मचारियों को प्रति वर्ष 150/-रु. से 500/-रु तक के दस–दस पुरस्कार प्रदान कर सकता है। इस योजना से हिन्दी के प्रयोग की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई।

8. राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति की जाँच के लिए कार्यालयों का निरीक्षण– क्षेत्रीय निरीक्षण कार्यालय की स्थापना

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नियमों के अनुपालन एवं हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का अध्ययन करने के लिए राजभाषा विभाग के सचिव, संयुक्त सचिव तथा अन्य अधिकारीगण दिल्ली तथा समय–समय पर देश के अन्य कार्यालयों का दौरा करते आ रहे हैं। इस अवधि में निरीक्षण किये गये कार्यालयों की संख्या निम्नलिखित रही[3] :

वर्ष	कार्यालय
1977	87
1978	98
1979	122
1980	205
1981	155
1982	179
1983	239

1. "राजभाषा विभाग, वार्षिक रिपोर्ट" अध्याय 2 (5) पृष्ठ 15
2. "राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट" 1985-87, अध्याय 2, पृष्ठ 16
3. "राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट" 1986–87 अध्याय 2 पृष्ठ 16

1984	342
1985	342
1986	453

निरीक्षण के दौरान जो कमियाँ पाई गईं उनकी ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया तथा उन्हें दूर करने का अनुरोध किया गया। बाद में, संबंधित मंत्रालयों को अध्ययन रिपोर्ट भेजते समय भी यह अनुरोध किया गया कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों के काम-काज में, हिन्दी के प्रयोग की दृष्टि से पाई गई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

निरीक्षण कार्य को गति देने के लिए राजभाषा विभाग के अंतर्गत एक क्षेत्रीय कार्यान्बयन कार्यालय ने बंबई, बेंगलूर कलकत्ता में कार्य करना आरंभ किया।

9. विशिष्ट क्षेत्रों में हिन्दी काम करने के लिए प्रोत्साहन योजनायें

हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के प्रयत्नों को अधिक गतिशील बनाने के लिए उन क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन योजनायें लागू करने पर विचार किया जिनमें ये योजनायें अभी लागू नहीं की गई हैं। सरकार द्वारा वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और परिचालन कर्मचारियों के लिए ऐसी योजनायें लागू करने की व्यावहारिकता की जाँच करने के आदेश दिये गये जो एक ही प्रकार के विशिष्ट कार्य करते हैं तथा जो वर्तमान प्रोत्साहन के अंतर्गत नहीं आते ताकि उनके लिए प्रोत्साहन योजनाओं पर विचार किया जा सके।

10. प्रकाशनों के माध्यम से राजभाषा नीति का प्रचार-प्रसार

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हुई प्रगति की झांकी प्रस्तुत करने के उद्देश्य से अप्रैल 1978 में राजभाषा भारती नामक त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया। पत्रिका के बारे में पाठकों की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि पत्रिका काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई।

11. शील्ड योजना

केंद्रीय हिन्दी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक शील्ड योजना चालू की जानी चाहिए तथा जिस मंत्रालय/विभाग/उपक्रमों में सर्वाधिक काम हो रहा है उसे शील्ड दी जानी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत पहली बार 1979-80 के लिए प्रथम राजभाषा शील्ड 5-3-1982 को दी गई। तत्पश्चात 1982-83 की प्रतियोगिता का शील्ड वितरण समारोह 8-4-1984 को हुआ। इसी प्रकार हर वर्ष यह शील्ड प्रदान की जा रही है।

12. केंद्रीय सरकार की सेवाओं अथवा पदों पर सीधी–भर्ती के लिए ली जानेवाली परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम की छूट के अंतर्गत, कर्मचारी चयन आयोजन द्वारा आयोजित लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में, अंग्रेजी भाषा के प्रश्नपत्र को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाने की छूट दे दी गई। साथ ही दो मंत्रालयों/विभागों उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए ली जानेवाली विभागीय परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाने का निर्णय लिया गया तथा हिन्दीभाषी क्षेत्रों में इस निर्णय को लागू करने के निदेश जारी किये गये। टाइप/आशुलिपि की परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को यह छूट है कि वे चाहें तो हिन्दी आशुलिपि/टाइप की परीक्षा में चाहे अंग्रेजी आशुलिपि/टाइप की परीक्षा में बैठें।

13. अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संघ लोकसेवा आयोग द्वारा ली जानेवाली सम्मिलित परीक्षा में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित क़िसी एक भारतीय भाषा का प्रश्नपत्र अनिवार्य कर दिया गया। भाषा के प्रश्नपत्र को छोड़कर इस परीक्षा के अन्य सभी प्रश्नपत्रों में दिये आठवीं अनुसूची में दी गई किसी अन्य भारतीय भाषा में दिये जाने की छूट दी गई[1]।

14. देवनागरी टेलिप्रिंटरों की व्यवस्था

1978-79 के वार्षिक कार्यक्रम में प्रावधान किया गया था कि हिन्दीभाषी क्षेत्रों में स्थित तारघर, प्रधान डाकघरों आदि में देवनागरी टेलिप्रिंटर लगाया जाय। जहाँ टेलिप्रिंटर कम हैं, उनमें वृद्धि की जाय। 28-7-1979 के राजभाषा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सविस्तर चर्चा हुई। इसमें डाकतार बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल थे। निर्णय लिया गया कि 'क' 'ख' क्षेत्र में डिविजन मुख्यालयों में देवनागरी लिपि के टेलिप्रिंटर अवश्य लगाये जायें जिससे प्रेस के तार, सरकारी तार व जनता के तार देवनागरी में भेजे जा सकें। इसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार–प्रसार की व्यवस्था भी की गई। आरंभ में राजस्थान सर्किल तथा उत्तर प्रदेश के डिविजन मुख्यालयों को टेलिप्रिंटर उपलब्ध कराये गये।[1]

15. शब्दावली समन्वय समिति

भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार की अध्यक्षता में नियुक्त शब्दावली समन्वय समिति ने अपने काम को जारी रखते हुए कार्यालयों के नाम व पदनामों में प्राप्त होनेवाली विसंगतियों को दूर करने का काम पूरा कर लिया तथा इसे 'समेकित शब्दावली' में परिचालित किया गया। वर्ष 1980-81 में उसने प्रशासन की सामान्य

---

1. "राजभाषा–वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 1980-81" राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, पृष्ठ 29 का 2(18)

शब्दावली में प्राप्त होनेवाली विरांगतियों का निराकरण 'ए' से 'जी' तक पूरा किया। अंग्रेजी के समान संक्षिप्तियों का काम भी हिन्दी में संक्षिप्तियों के लिए पूरा कर लिया गया।[1]

16. नेमी प्रकार की कार्यालय टिप्पणियाँ

अहिन्दी भाषी प्रशासनिक अधिकारियों को हिन्दी का ज्ञान कराने व हिन्दी में काम करने में सहायता देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी द्वारा नेमी अर्थात कार्यालय के दिन प्रति दिन के काम में आनेवाली कार्यालय टिप्पणियाँ तैयार की गई थीं। जब भी जिस विभाग से माँग प्राप्त हुई उनकी आपूर्ति की गई। ये अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुईं।

17. अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति

त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में दूसरी तथा तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी के शिक्षण की व्यवस्था की गई। 1979-80 तक हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 100% अनुदान अपर प्राइमरी तथा उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिया जाता था। बाद में 1981 से 50 : 50 कर दिया गया। अध्ययनाधीन अवधि में संबोधित पद्धति पर निम्नलिखित अनुदान प्रदान किया गया।[2]

क्रम सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	प्रदान अनुदान रु	नियुक्त अध्यापक
1.	उड़ीसा सरकार	24320.00	133
2.	नागालैंड सरकार	22000.00	20
3.	केरल सरकार	500000.00	332
4.	मिजोरम सरकार	79000.00	55
5.	असम सरकार	200000.00	150
6.	मणिपुर सरकार	87000.00	50
7.	आंध्र प्रदेश सरकार	576000.00	200

प्रशिक्षण : प्रशिक्षण कॉलेजों के लिए अनुदान 100% प्रदान किया गया।

1. "राजभाषा–वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 1980–81" राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, पृष्ठ 30 का 2(21)
2. "वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट शिक्षा और संस्कृति, पृष्ठ 51, वर्ष 1980--81

क्रम सं.	राज्य	अनुदान की राशि
1.	मणिपुर	40000.00
2.	नागालैंड	180000.00
3.	असम	125000.00
4.	मिजोरम	80000.00
5.	त्रिपुरा	45000.00

18. अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी लेखकों, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न भाषा समूहों के लिए पुरस्कार घोषित किये गये। अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को मैट्रिक स्तर के बाद हिन्दी अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ दी गई। ये छात्रवृत्तियाँ स्नातकोत्तर तथा शोध छात्रों को भी दी जाती हैं।

4.4.9 राजभाषा कार्यान्वयन-मूल्यांकन

अध्ययनाधीन अवधि में राजभाषा नियम, अधिनियम को लागू करने के विभिन्न प्रयासों का उल्लेख इस अध्याय में किया गया। सभी मदों में इस अवधि में कितनी प्रगति हो सकी तथा किन-किन क्षेत्रों में कमियाँ रह गईं इसकी जानकारी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पद्धति से ली जा सकती है। हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा समय-समय पर उठाये गये कदम व उनके अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रत्येक तिमाही में सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों से एक रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में मँगाई जाती है। प्रोफार्मा इस ढंग से बनाया गया है कि राजभाषा अधिनियम व नियमों में दिये गये प्रावधानों के बारे में की गई कार्रवाई की जानकारी मिल सके। सितंबर 1980 से राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों की रिपोर्ट माँगकर समीक्षा करता है। समय-समय पर प्रोफार्मा में परिवर्तन किया गया है। अध्ययनाधीन अवधि के समग्र विश्लेषण से जो समस्यायें सामने आईं व कमियाँ पाई गईं वे इस प्रकार हैं :

1. बहुत से केंद्रीय नियमों का अनुवाद नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से उन फाइलों में जहाँ इनका उल्लेख किया जाता/पड़ता है, अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है।

2. पर्याप्त संख्या में मैन्युअलों, फार्मों, संहिताओं और सांविधिक प्रकार के अन्य कार्यविधि साहित्य का हिन्दी अनुवाद अभी होना बाकी है।

3. कुछ मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में अनुवाद का प्रबंध पर्याप्त नहीं है। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में अनुवाद के लिए अपेक्षित व्यवस्था नहीं हो पाई है। सरकारी उपक्रमों में अनुवाद की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

4. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अपेक्षित कागजात द्विभाषी अर्थात् हिन्दी-अंग्रेजी में जारी होने लगे हैं, किन्तु देखा गया है कि सामान्य आदेश, ज्ञापन, परिपत्र इत्यादि कई कार्यालयों द्वारा, केवल अंग्रेजी में जारी किये जा रहे हैं।

5. राजभाषा नियम 1976 बन जाने के पश्चात् केवल हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना ही पर्याप्त नहीं रहा, बल्कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों की सरकारों में तथा हिन्दी भाषी क्षेत्र के व्यक्तियों से मूल पत्राचार हिन्दी में किये जाने की अपेक्षा की जाती है। इस दिशा में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है।

6. हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में जारी होनेवाले आदेशों की जानकारी अधीनस्थ कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों तथा मुख्य कार्यालयों में बहुत समय बाद मिल पाती है और कभी-कभी बिलकुल भी नहीं मिल पाती।

7. अनेक कार्यालयों में हिन्दी टाइपराइटरों और दूसरे यांत्रिक साधनों की उचित मात्रा में व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ कार्यालयों में एक भी देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध नहीं है तथा कुछ स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित मात्रा में देवनागरी टाइपराइटरों की कमी है। यह भी देख गया है कि कुछ कार्यालयों में टाइपिस्टों और देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या में उचित तालमेल की आवश्यकता है, जिससे उपलब्ध देवनागरी टाइपराइटरों का भी पूर्ण प्रयोग हो सके।

8. कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिकों और टाइपिस्टों की कमी है। कार्य की अधिकता के कारण वर्तमान अंग्रेजी के आशुलिपिकों व टाइपिस्टों को निर्धारित नीति के अनुसार प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जा रहा है। इससे यह कमी दूर नहीं हो पा रही।

9. कर्मचारियों में दृढ़ निश्चय की कमी के कारण उनमें ऐसी मानसिकता घर कर गई कि वे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होने के बावजूद हिन्दी में काम नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जब भी पदोन्नति के लिए कोई अवसर सामने आता है, हिन्दी का परीक्षाओं में विकल्प होने के बावजूद उन्हें महसूस होता है कि यदि वे हिन्दी में काम करना आरंभ कर देते हैं, तो उनका अंग्रेजी भाषा का अभ्यास छूट जायेगा और किसी भी विभागीय प्रतियोगिता में पिछड़ जायेंगे।

10. जिन कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है वे भी हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रयोग करने में प्रायः हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनकी धारणा है कि हिन्दी का प्रयोग करते समय उन्हें केवल शुद्ध और संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें राजभाषा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इस विषय पर भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार द्वारा 17 मार्च 1976 के कार्यालय ज्ञापन में

जारी आदेशों की ओर उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया अथवा कर्मचारियों को सही दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं है।

11. नियमित रूप से हिन्दी का कामकाज में प्रयोग न होने के कारण हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत जिन कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान दिलवाया गया है उसे भूल गये हैं। इसी प्रकार टंककों और आशुलिपिकों को भी हिन्दी टंकण/आशुलिपि का नियमित प्रयोग न होने के कारण वे भी उसे भूल जाते हैं या भूल जाने का बहाना करते हैं।

12. अंग्रेजी में काम करने का अभ्यास होने के कारण कर्मचारी महसूस करते हैं कि हिन्दी में काम करने में अधिक समय लगता है इसलिए इसका प्रयोग करने में हिचकते हैं।

13. कुछ तो कर्मचारी स्वयं ही हिन्दी माध्यम से काम करने में हिचकते हैं, साथ ही कुछ उदाहरण ऐसे भी सामने आये हैं जहाँ कर्मचारी हिन्दी माध्यम से काम करना चाहते हैं, किन्तु उनके वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता। कभी-कभी तो वरिष्ठ अधिकारियों को होनेवाली असुविधा के कारण वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हतोत्साहित भी करते हैं।

14. अभी तक विभिन्न प्रयासों के बावजूद राजभाषा हिन्दी के पक्ष में कार्यालयों में वातावरण नहीं बन पाया है। ऐसे वातावरण में जहाँ चारों ओर अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित है, कुछ कर्मचारी यदि हिन्दी का प्रयोग करना आरंभ करते भी हैं तो कुछ समय पश्चात वे भी प्रोत्साहन की कमी के कारण हीन भवना का शिकार हो जाते हैं और अपने पुराने ढंग पर आ जाते हैं।

15. हिन्दी शिक्षण-प्रशिक्षण पर तो बल दिया जाता है किन्तु शिक्षण-प्रशिक्षण को गंभीरता से नहीं लिया जाता तथा उसके पश्चात राजभाषा कार्यान्वयन पर अनुवर्तन का अभाव है।

16. सरकार के आदेशों के बावजूद अभी भी बहुत से कार्यालयों में रबड़ मोहरें व फाइलों पर विषय केवल अंग्रेजी में ही हैं। विपरीत परिस्थितियों के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अभी भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी इन नियमों के अनुपालन की और या तो ध्यान नहीं देते या वे उनकी अवहेलना कर देते हैं। उनकी मान्यता है कि जब काम चल रहा है तो क्यों बेकार में सिरदर्दी मोल लें।

17. शिक्षण, प्रशिक्षण की अनिवार्यता तथा कक्षाओं में नामांकन के बावजूद जो कर्मचारी किसी कारण से हिन्दी लागू करने के पक्ष में नहीं हैं, वे बिना कोई तर्क-संगत कारण होते हुए भी कक्षाओं में नहीं जाते।

18. स्पष्ट निर्देश है कि सभी फार्म, रजिस्टरों के शीर्ष व स्टेशनरी की विभिन्न मदें द्विभाषी में छपी या साइक्लोस्टाइल होनी चाहिए। ये कुछ कार्यालयों में अभी भी केवल अंग्रेजी में हैं।

17. नीचे स्तर पर तो लागू करने का प्रयास किया जाता है किन्तु जिस अधिकारी के पास प्रशासनिक शक्तियाँ हैं तथा हिन्दी के कार्यान्वयन के पक्ष में नहीं हैं, ऐसे अधिकारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तथा उनकी शक्ति के मद के कारण यह शिक्षण व कार्यान्वयन व्यवस्था से परे की वस्तु बना रहता है।

4.4.10 उपसंहार

विश्लेषण तथा समीक्षा से जो कठिनाइयाँ व समस्यायें महसूस की गई हैं उनको दूर करने के लिए उपाय व सुझाव अगले अध्याय के बाद समेकित रूप से दिये जायेंगे। वर्ष 1976 से 1986 तक की अध्ययनाधीन अवधि के उपलब्ध आँकड़ों तथा जारी आदेशों व किये गये उपायों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि हर स्तर से प्रयास किये गये हैं और नये-नये उपाय भी सुझाये गये हैं किन्तु अभी भी राजभाषा नीति, इससे संबंधित बनाये गये नियमों व उनके कार्यान्वयन में सही योजना व समन्वय का अभाव है। इसके लिए कोई एक तत्त्व जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता बल्कि बहुत से पहलू व तत्त्व प्रत्यक्ष और परोक्ष में इसके लिए जिम्मेदार हैं।

अगले अध्याय में हम राजभाषा हिन्दी के वर्तमान पहलू, इसकी अध्यतन स्थिति का अध्ययन करते हुए इन जिम्मेदार पहलुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। उस अध्याय में उन सभी बिन्दुओं का बारीकी से अध्ययन करके समीक्षात्मक दृष्टि से विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।



अध्याय-4.5

राजभाषा हिन्दी : नीति, वर्तमान स्थिति, 1987 के पश्चात्-प्रयोग और समस्याएँ

4.5.1 विषय-प्रवेश

इक्कीसवीं शती की दहलीज पर खड़े भारत जैसे बहुभाषी और जनतांत्रिक देश की प्राथमिकता यह है कि समग्र लक्ष्य के अंतर्गत देश के लिए नागरिकों को जीवन की बुनियादी आवश्यकतायें उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाय। ऐसा करना देश की आर्थिक, सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। देश और समाज के अस्तित्व के लिए आर्थिक संपन्नता के साथ-साथ सांस्कृतिक पहचान जरूरी होती है। भाषा-व्यवहार सांस्कृतिक पहचान का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। इसलिए भाषा-व्यवहार के प्रसंग में देश को एक सुनिश्चित पहचान देने के लिए प्रयत्न आवश्यक है। हमारे संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के योजनाकारों के सामने यह बात स्पष्ट रही है। भारतीय संविधान की धारा 341 के अंतर्गत हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिये जाने के पीछे यही सोच काम करती रही है जिसका उल्लेख गत अध्यायों में किया जा चुका है। इससे जुड़ी धारा 351 के अंतर्भाव स्पष्ट झलकते हैं कि इस देश की अस्मिता को भाषिक पहचान मिले, ऐसी पहचान जो उसकी अपनी हो, राष्ट्रीय हो। बहुभाषी देश की जनता के बीच सार्थक संवाद की भाषा के रूप में हिन्दी संपर्क भाषा की भूमिका निर्वाह करे और शासकीय प्रयोजनों व कार्यव्यवहारों का माध्यम बनकर राजभाषा की आवश्यकता पूरी हो, ताकि सांस्कृतिक खाई भरी जा सके।

भाषा का देश के जनसामान्य से गहरा और नजदीकी रिश्ता है। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में सरकार व शासक की कल्याणकारी योजनाओं, कानून और व्यवस्था के प्रावधानों, विकास की योजनाओं को जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए जनसामान्य की भाषा की आवश्यकता स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही महसूस की गई थी। अधिनियम व नियम बनने के पश्चात हमारा ध्यान मुख्यतः इस बात पर रहा कि संविधान के अनुरूप बनाये गये अधिनियम, नियमों व वार्षिक कार्यक्रमों के अनुपालन में पत्राचार और प्रशिक्षण में वृद्धि हो, संदर्भ साहित्य और प्रशिक्षण सामग्री की रचना हो और सही अर्थों में हिन्दी कार्यान्वयन को दिशा मिले/एक समय था जब केवल सांविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति करके हम अपने हिन्दी संबंधी कर्तव्य की इतिश्री मान लिया करते थे किन्तु समय के साथ-साथ स्थितियाँ बदल रही हैं, अब तो प्रयास यह है कि हिन्दी प्रशासनिक कामकाज में प्रयोग के साथ-साथ हमारे चिंतन और

17. नीचे स्तर पर तो लागू करने का प्रयास किया जाता है किन्तु जिस अधिकारी के पास प्रशासनिक शक्तियाँ हैं तथा हिन्दी के कार्यान्वयन के पक्ष में नहीं हैं, ऐसे अधिकारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तथा उनकी शक्ति के मद के कारण यह शिक्षण व कार्यान्वयन व्यवस्था से परे की वस्तु बना रहता है।

4.4.10 उपसंहार

विश्लेषण तथा समीक्षा से जो कठिनाइयाँ व समस्यायें महसूस की गई हैं उनको दूर करने के लिए उपाय व सुझाव अगले अध्याय के बाद समेकित रूप से दिये जायेंगे। वर्ष 1976 से 1986 तक की अध्ययनाधीन अवधि के उपलब्ध आँकड़ों तथा जारी आदेशों व किये गये उपायों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि हर स्तर से प्रयास किये गये हैं और नये-नये उपाय भी सुझाये गये हैं किन्तु अभी भी राजभाषा नीति, इससे संबंधित बनाये गये नियमों व उनके कार्यान्वयन में सही योजना व समन्वय का अभाव है। इसके लिए कोई एक तत्त्व जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता बल्कि बहुत से पहलू व तत्त्व प्रत्यक्ष और परोक्ष में इसके लिए जिम्मेदार हैं।

अगले अध्याय में हम राजभाषा हिन्दी के वर्तमान पहलू, इसकी अध्यतन स्थिति का अध्ययन करते हुए इन जिम्मेदार पहलुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। उस अध्याय में उन सभी बिन्दुओं का बारीकी से अध्ययन करके समीक्षात्मक दृष्टि से विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।



अध्याय-4.5

राजभाषा हिन्दी : नीति, वर्तमान स्थिति, 1987 के पश्चात्-प्रयोग और समस्याएँ

4.5.1 विषय-प्रवेश

इक्कीसवीं शती की दहलीज पर खड़े भारत जैसे बहुभाषी और जनतांत्रिक देश की प्राथमिकता यह है कि समग्र लक्ष्य के अंतर्गत देश के लिए नागरिकों को जीवन की बुनियादी आवश्यकतायें उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाय। ऐसा करना देश की आर्थिक, सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। देश और समाज के अस्तित्व के लिए आर्थिक संपन्नता के साथ-साथ सांस्कृतिक पहचान जरूरी होती है। भाषा-व्यवहार सांस्कृतिक पहचान का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। इसलिए भाषा-व्यवहार के प्रसंग में देश को एक सुनिश्चित पहचान देने के लिए प्रयत्न आवश्यक है। हमारे संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के योजनाकारों के सामने यह बात स्पष्ट रही है। भारतीय संविधान की धारा 341 के अंतर्गत हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिये जाने के पीछे यही सोच काम करती रही है जिसका उल्लेख गत अध्यायों में किया जा चुका है। इससे जुड़ी धारा 351 के अंतर्भाव स्पष्ट झलकते हैं कि इस देश की अस्मिता को भाषिक पहचान मिले, ऐसी पहचान जो उसकी अपनी हो, राष्ट्रीय हो। बहुभाषी देश की जनता के बीच सार्थक संवाद की भाषा के रूप में हिन्दी संपर्क भाषा की भूमिका निर्वाह करे और शासकीय प्रयोजनों व कार्यव्यवहारों का माध्यम बनकर राजभाषा की आवश्यकता पूरी हो, ताकि सांस्कृतिक खाई भरी जा सके।

भाषा का देश के जनसामान्य से गहरा और नजदीकी रिश्ता है। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में सरकार व शासक की कल्याणकारी योजनाओं, कानून और व्यवस्था के प्रावधानों, विकास की योजनाओं को जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए जनसामान्य की भाषा की आवश्यकता स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही महसूस की गई थी। अधिनियम व नियम बनने के पश्चात हमारा ध्यान मुख्यतः इस बात पर रहा कि संविधान के अनुरूप बनाये गये अधिनियम, नियमों व वार्षिक कार्यक्रमों के अनुपालन में पत्राचार और प्रशिक्षण में वृद्धि हो, संदर्भ साहित्य और प्रशिक्षण सामग्री की रचना हो और सही अर्थों में हिन्दी कार्यान्वयन को दिशा मिले/एक समय था जब केवल सांविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति करके हम अपने हिन्दी संबंधी कर्तव्य की इतिश्री मान लिया करते थे किन्तु समय के साथ-साथ स्थितियाँ बदल रही हैं, अब तो प्रयास यह है कि हिन्दी प्रशासनिक कामकाज में प्रयोग के साथ-साथ हमारे चिंतन और

व्यवहार में विकसित हो।

आरंभ में राजभाषा कार्यान्वयन को तेजी से लागू करने में कठिनाइयाँ आईं जिनका उल्लेख पिछले अध्याय (4.4) में किया जा चुका है। गत वर्षों में पर्याप्त प्रयास के बावजूद भी हिन्दी उस गति से कामकाज की भाषा नहीं बन सकी जिसकी परिकल्पना की गई थी।

4.5.2 अध्ययन के लिए विभिन्न बिन्दुओं का चयन

इस अध्याय में हम राजभाषा हिन्दी वर्तमान स्थिति के बारे में मुख्य-मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा करेंगे जिनके बल पर राजभाषा हिन्दी को कामकाज की भाषा बनाने तथा इसे समस्त परिकल्पनाओं का आधार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति का अध्ययन निम्नलिखित 11 मदों को आधार मानकर किया जायेगा ताकि शोध कार्य को पूर्ण रूप से मौलिकता दी जा सके। इनसे मिलती-जुलती मदों पर इससे पहले अध्यायों में भी चर्चा की गई है किन्तु वह चर्चा केवल उस समयावधि तक ही सीमित रही। और हमारी समीक्षा का दायरा इन्हीं मदों में उस समयावधि तक सीमित रखा गया।

1. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन
2. वार्षिक कार्यक्रम और राजभाषा
3. कर्मचारियों के शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था
4. अनुवाद तथा अनुवाद प्रशिक्षण
5. यांत्रिक सुविधायें
6. समितियों के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन
7. प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार
8. जाँच-बिन्दु निर्धारण एवं नियंत्रण
9. प्रोत्साहन योजनायें
10. संसदीय राजभाषा समिति के कार्यकलाप एवं मुख्य-मुख्य अनुशंसायें
11. सम्मेलनों, संगोष्ठियों, बैठकों व सेमिनारों के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा हिन्दी नियमों, अधिनियमों के आधार पर इन्हीं बिन्दुओं के इर्द-गिर्द घूमती हुई प्रचार-प्रसार के माध्यमों से एवं इन नियमों और अधिनियमों के अंतर्गत रहते हुए सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों को आधार बनाकर आगे बढ़ रही है। इसलिए पूर्व अध्यायों में भी इन्हीं उल्लिखित बिन्दुओं को आधार मानकर चर्चा की गई है। किन्तु पूर्व अध्याय में हमारे अध्ययन की समय सीमा को ध्यान में रखा गया है और इन बिन्दुओं के आधार पर सभी दृष्टिकोणों से समीक्षा करके जानकारी एकत्रित की गई है। इस अध्याय में हम वर्ष 1987 के पश्चात उक्त मदों के बारे में सविस्तार जानकारी देने का प्रयास करेंगे।

4.5.3 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

अध्ययनाधीन अवधि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अधीन बनाये गये राजभाषा नियम 1976 सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों की भूमिका निभाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उत्तरदायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

सांविधिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन—राजभाषा अधिनियम तथा नियमों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में छः प्रावधान हैं—

पहला प्रावधान यह है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित कागजात जैसे—सामान्य आदेश, अधिसूचनायें, संकल्प, प्रेस-विज्ञप्तियाँ, संसद के सामने प्रस्तुत किये जानेवाले कागजात, करार आदि द्विभाषी रूप में (हिन्दी-अंग्रेजी) जारी किये जायें।

दूसरा प्रावधान यह है कि हिन्दीभाषी राज्यों तथा उन राज्यों को जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ हिन्दी में पत्राचार करना स्वीकार कर लिया है, सभी मूल पत्रादि हिन्दी में भेजे जायें।

तीसरा प्रावधान यह है कि इन राज्यों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के साथ भी पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग किया जाय।

चौथा, हिन्दी में कहीं से भी प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दी में दिये जायें। किसी भी क्षेत्र से हिन्दी में लिखित या हस्ताक्षरित पत्र को हिन्दी पत्र माना जाय और तथानुसार इसका उत्तर हिन्दी में दिया जाय।

पाँचवाँ, समस्त मुद्रित सामग्री, स्टेशनरी मदें व नेमी प्रकृति के पत्रादि द्विभाषी मुद्रित/साइक्लोस्टाइल करवाये जायें।

छटा, सभी आचार-संहिता, मैन्युअल, सेवा-नियम इत्यादि द्विभाषी में मुद्रित करवाये जायें।

4.5.3 (क) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम पदों का सृजन

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों व सरकारी उपक्रमों, नियमों, बैंकों आदि में पर्याप्त संख्या में हिन्दी पदों (वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अधिकारी, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, हिन्दी अनुवादक, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टाइपिस्ट) का होना आवश्यक है।

राजभाषा विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. 13055/3/80 रा.भा. (ग) दिनांक 27-4-81 जारी करके मंत्रालय/विभाग तथा संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों में अपेक्षित

हिन्दी पदों की न्यूनतम संख्या संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जो राजभाषा विभाग के अर्द्ध शा. पत्र सं. 11015/73 रा. भा. एकक दिनांक 6-8-73 में दिये गये थे, परिचालित किये गये थे। तथापि वित्त मंत्रालय के दिनांक 13-1-84 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 7(1) ई (को आई)/84 द्वारा नये पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई थी। कार्यालय ज्ञापन सं. 7(1)–ई(को आई)/84 दिनांक 20-6-84 में सांविधिक प्रावधानों की पूर्ति के लिए अपेक्षित पदों सहित अत्यधिक आपवादिक परिस्थितियों में अति आवश्यक पदों को इस रोक से मुक्त कर दिया गया। राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित पद भी उसमें सम्मिलित हैं। इस संबंध में वित्त मंत्रालया, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 10(4) ई(का आई)/85 दिनांक 18-6-88 भी देखना संगत होगा जिसके अंतर्गत राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पदों की मंजूरी के प्रस्तावों पर मंत्रालयों के प्रशासनिक सचिव द्वारा वित्त मंत्रालय के सलाहकारों के परामर्श से, राजभाषा विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय की सलाह से इस संबंध में तैयार और जारी किये गये मार्गनिर्देशों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।[1]

4.5.3(क-1) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए हिन्दी पदों की न्यूनतम संख्या के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत

हिन्दी पदों की न्यूनतम संख्या के बारे में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत लागू किये हैं[2] :

मंत्रालय/विभागों के लिए-

1. प्रत्येक मंत्रालय तथा स्वतंत्र विभाग में, जिसका पूर्णकालिक सचिव हो, एक सहायक निदेशक (राजभाषा)।

2. प्रत्येक ऐसे मंत्रालय या विभाग में, जहाँ 100 या 100 से अधिक अनूसचिवीय कर्मचारी हैं, एक वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी अर्थात् उप-निदेशक (राजभाषा) और राजभाषा विभाग द्वारा जारी 'नार्मस' को ध्यान में रखते हुए यह पद सहायक निदेशक के पद के बदले या उसके अतिरिक्त हो सकता है। मंत्रालय/विभाग में कार्य के स्वरूप और कार्य की मात्रा के आधार पर निदेशक का पद बनाया जा सकता है।[3]

---

1. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम 1990-91 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन अध्याय 3, पृष्ठ 7
2. "राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन" ज्ञ. सं. 13017/1/81 राभा (ग) दिनांक 13-4-1987"
3. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम 1990-91" राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 3, पृष्ठ 7

3. 50 से कम अनुसचिवीय कर्मचारियों पर एक अनुवादक, 50 से 100 अनुसचिवीय कर्मचारियों पर 2 अनुवादक, 101 से 150 अनसचिवीय कर्मचारियों पर 3 अनुवादक, 151 या इससे अधिक अनुसच्िवीय कर्मचारी होने पर 3 कनिष्ठ अनुवादक तथा 1 वरिष्ठ अनुवादक।

संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के लिए-

अ. 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों पर प्रत्येक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में एक हिन्दी अधिकारी (सहायक निदेशक राजभाषा)।

आ. (क) क क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए (रक्षा सेवाओं और अर्धसैनिक बलों के कार्यालयों को छोड़कर)–25 से 125 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक, 126 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए 2 कनिष्ठ अनुवादक।

(ख) ख तथा ग क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए–

25 से 75 तक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ सहायक, 76 से 125 तक 2 कनिष्ठ अनुवादक, 126 से 175 के लिए 3 कनिष्ठ अनुवादक, 175 से अधिक के लिए 1 वरिष्ठ तथा 3 कनिष्ठ अनुवादक।

रक्षा सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों के 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में भी जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं, यही मानक लागू होंगे।

'ख' व 'ग' क्षेत्र में स्थित ऐसे सभी कार्यालयों में, जहाँ कम-से-कम 25 अनुसचिवीय कर्मचारी हों, एक हिन्दी टाइपिस्ट, 'क' क्षेत्र में खोले जाने वाले नये कार्यालयों में भी यदि 25 कर्मचारी हों तो एक हिन्दी टाइपिस्ट का पद।

'क' क्षेत्र में स्थित रक्षा सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों के कार्यालय, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं, में भी यही मानक लागू होंगे।

इ. अनुसचिवीय कर्मचारियों से तात्पर्य वे सभी कर्मचारी तथा अधिकारी हैं जिनके पद अनुसचिवीय कार्यों के लिए सृजित किये गये हैं। चाहे वे तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी या अधिकारी हों। इसके अतिरिक्त यदि तकनीकी और वैज्ञानिक पद इस तरह के काम के लिए स्वीकृत हों किन्तु पदधारियों को अनुसचिवीय कार्य भी सौंपा गया हो तो आंतरिक कार्य अध्ययन एकक द्वारा इस तरह के कर्मचारियों के काम के स्वरूप की पड़ताल करने के बाद उन्हें हिन्दी पदों के सृजन के लिए गिना जा सकता है।[1]

4.5.3 (ख) प्रशासनिक प्रधान का दायित्व

राजभाषा अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक

---

1. "राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापन सं. 130353/88–रा. भा. (ग) दिनांक 5-4-1989

कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबंधों और केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है। उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि वह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच हेतु उपाय करें।[1]

संविधान की परिकल्पनाओं को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से हिन्दी को राजभाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास प्रारंभ से ही किया जा रहा है। हिन्दी को प्रशासन, राजकाज व जनजीवन में उसकी व्यवहारिक प्रगत्ति पर विचार करते हुए भारत की अन्य भाषाओं के उत्कर्ष को भी ध्यान में रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 इस मुद्दे की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। "हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा इसकी मूल प्रकृति को अक्षुण्ण रखते हुए हिन्दी तथा अष्ठम् अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूपों, शैली और पदावली को आत्मसात करके तथा जहाँ आवश्यक व वांच्छनीय हो, वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः इन उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करके उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।[2]

संविधान में दिये गये इस दायित्व के अंतर्गत हिन्दी को भारत की सामासिक संस्कृति का संवाहक बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघ सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वयन के कार्यकलापों का संवहन करने व इसके सुचारु रूप से अपेक्षानुसार कार्यकलापों को देखने के उद्देश्य से निदेशक, उप-निदेशक, सहायक निदेशक, राजभाषा अधिकारी, वरिष्ठ अनुवादकों के पद सृजित करने के लिए मानदंडों का निर्धारण किया गया और इन मानदंडों के अनुसार पदों का सृजन करने, के लिए निर्देश जारी किये गये। नये पदों के सृजन पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा लगाई गई रोक में हिन्दी पदों के सृजन पर छूट का प्रावधान दिया गया। इस प्रकार से राजभाषा कार्यान्वयन को गति देने के संबंध में कुछ प्रभावी कदम उठाये गये। इसका आधार, अर्थात् कर्मचारियों की नियुक्ति, को ठोस बनाने का प्रयास किया गया। इस प्रयास में कुछ सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है किन्तु इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। अंतिम अध्याय में दिये गये सुझावों में इस बारे में चर्चा की जायेगी।

1. "राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए बनाये गये राजभाषा नियम 1976" का नियम 12–मूल पाठ।
2. "भारत का संविधान," अनुच्छेद 351 से साभार

4.5.4 वार्षिक कार्यक्रम और राजभाषा

राजभाषा अधिनियम पारित करने के साथ-साथ दिसंबर 1967 में संसद के दोनों सदनों में भाषा नीति संबंधी एक संकल्प पारित किया गया जिसे 18 जनवरी 1968 को अधिसूचित किया गया था। इस संकल्प के पैरा1 के अनुसार हिन्दी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने हेतु प्रत्येक वर्ष का गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने का दायित्व केंद्र सरक़ार को सौंपा गया। इसके अनुपालन में राजभाषा विभाग द्वारा हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाता है जिसमें केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा एक वर्ष में हिन्दी में काम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

राजभाषा नीति के अनुपालन के विचार से वर्ष 1976 में बनाये गये राजभाषा नियमों के अनुसार, भारतवर्ष को 3 क्षेत्रों 'क', 'ख' और 'ग' में बाँटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में विभाजित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी गत अध्याय 4.4 के 4.4.2 में विस्तार से दी गई है।

भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग का परिमाण अलग-अलग होता है। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा किये जानेवाले प्रयासों की मात्रा भी अलग-अलग होना स्वाभाविक है। अतः वार्षिक कार्यक्रम का निर्धारण इसलिए किया जाता है ताकि मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/उपक्रम आदि इन लक्ष्यों को सामने रखकर अपनी कार्य योजना बनायें, जिनमें यह स्पष्ट हो जाता है कि वे वर्तमान में किस स्थिति में हैं तथा अपेक्षित स्थिति तक पहुँचने के लिए क्या प्रयास करने हैं ? इसके स्पष्ट निर्देश अपने प्रभागों, अनुभागों, शाखाओं एवं नियंत्रणाधीन कार्यालयों को दें जिससे इस कार्य में प्रगति लाई जा सके। वार्षिक कार्यक्रम में वे मदें सम्मिलित हैं जिनका सभी विभागों से संबंध है। कुछ कार्य राजभाषा नियम तथा अधिनियम के अनुरूप शत-प्रतिशत हिन्दी में या द्विभाषी किये जाने अपेक्षित हैं। इसमें राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन, हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना, 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के कार्यालयों से 'क' तथा 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों तथा जनता के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करना, 'ग' क्षेत्र से हिन्दी में पत्राचार करने संबंधी प्रावधान, कार्यालय के लिए आवश्यक उपकरण द्विभाषी खरीदना आदि शामिल हैं। अन्य मदों जैसे केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ पत्राचार की भाषा, देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद, हिन्दी पुस्तकें खरीदना आदि वार्षिक कार्यक्रम में 'क' 'ख' तथा 'ग' तीनों क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाता है, साथ ही तीनों क्षेत्रों के लिए विभिन्न मदों के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त यदि कोई विशेष कार्य उनके अधीनस्थ कार्यालयों में होता है तो उसे हिन्दी में कराने के बारे में स्वयं

लक्ष्य निर्धारित करके राजभाषा विभाग को सूचित करते हैं। जैसा ऊपर बताया गया है राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष क्षेत्रवार 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है तथा यह कार्यक्रम सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों पर लागू होता है।

अध्ययनाधीन अवधि के अंतिम वर्ष अर्थात् 1993-94 के लिए जो वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया है उसके अंतर्गत विभिन्न मदों में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :

1. पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग

'क' क्षेत्र

अ. 'क' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों (निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि सहित) से 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और उसके कार्यालयों तथा उनमें व्यक्तियों को भेजे जानेवाले पत्रादि-100%।[1]

आ. 'क' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों (निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि सहित) से 'ग' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों आदि को भेजे जानेवाले पत्रादि—40% (अधिसूचित कार्यालयों को छोड़कर शेष को अंग्रेजी अनुवाद भेजा जाए)।

'ख' क्षेत्र

अ. 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि से 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सरकार के कार्यालयों (निगमों, उपक्रमों बैंकों आदि सहित) को भेजे जानेवाले पत्रादि—75%।

आ. 'ख' क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सरकार के कार्यालयों (निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि सहित) आदि से 'ग' क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सरकारी कार्यालयों (निगमों, उपक्रमों बैंकों आदि सहित) को भेजे जानेवाले पत्रादि—40%। (अधिसूचित कार्यालयों को छोड़कर शेष को अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाए)।

इ. 'ख' क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सरकारी कार्यालयों (निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि सहित) आदि से 'क' और 'ख' क्षेत्रों में किसी राज्य, संघ

---

1. राजभाषा नियम 1976 का नियम 3(1), 3(2)(क), 4(ख), 4(ग) के अंतर्गत—राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993-94 का वार्षिक कार्यक्रम, अध्याय 5, पृष्ठ 21

सरकार संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालयों अथवा व्यक्तियों आदि को भेजे जाने वाले पत्रादि–100%।[1]

'ग' क्षेत्र

अ. 'ग' क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सरकारी कार्यालयों (निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि सहित) से 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सरकारी कार्यालयों आदि को भेजे जानेवाले पत्रादि–40%।

आ. 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालयों तथा व्यक्तियों को भेजे जानेवाले पत्रादि–75%।[2]

रक्षा मंत्रालय की यूनिटें ('क', 'ख', 'ग' तीनों क्षेत्रों के लिए)

क. तीनों सेना मुख्यालयों से रक्षा मंत्रालय व दूसरे मंत्रालयों के साथ पत्राचार–90%।

ख. थल सेना मुख्यालय तथा थल सेना के कमांड कार्यालयों के बीच व थल सेना के अन्य सभी यूनिटों तथा कमांड कार्यालयों के समस्त पत्राचार का–65%।

ग. नौ सेना तथा वायु सेना के मुख्यालयों और कमांड कार्यालयों के बीच आपसी पत्राचार तथा इन्हीं सेनाओं के अन्य सभी यूनिटों तथा कमांड कार्यालयों के समस्त पत्राचार का–60%।

तार/बेतार/टेलेक्स/फैक्स आरेख (नक्शे/ड्राइंगें)[3]

कार्यालयों से भेजे जानेवाले तार व टैलेक्स देवनागरी में भेजना–ये मदें भी पत्राचार की श्रेणी में आती हैं। अतः ये भी पत्राचार की भांति 'क' क्षेत्र को केवल हिन्दी में भेजना अपेक्षित है। फिर भी इसके लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :

'क' क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालय (बैंकों/निगमों/उपक्रमों सहित)–65%

'ख' क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालय (बैंकों/निगमों/उपक्रमों सहित)–40%

'ग' क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालय (बैंकों/निगमों/उपक्रमों सहित)–15%

उपरोक्त पत्राचार के लिए निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम में निम्नलिखित मुख्य-मुख्य बातों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

---

1. "राजभाषा नियम 1976 के नियम 4(घ) (ङ) 3 (1) 3 (2) (क), 3(2)(ख) के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993–94 का वार्षिक कार्यक्रम अध्याय 5 पृष्ठ 21
2. वही, राजभाषा नियम 1976 के नियम 3(1), 3(2)(क), 3(2)(ख)।
3. राजभाषा विभाग का संकल्प सं. 12015/34/87/रा. भा की मद सं. 25, दिनांक 29-3-90, वार्षिक कार्यक्रम 1993-94 का अध्याय 5, पृष्ठ 21

1. देवनागरी टाइपराइटर (साधारण पिनप्वांइट, बुलेटिन, पोर्टेबल तथा बिजली चालित) हिन्दी टंककों और हिन्दी आशुलिपिकों के अनुपात में समन्वय रखते हुए 'क' क्षेत्र के मंत्रालय/विभाग–70%, अन्य कार्यालयों में 80%, 'ख' क्षेत्र के में–55% तथा 'ग' क्षेत्र के मंत्रालय/विभाग/केंद्रीय कार्यालय (निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि सहित)–21%।

2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) में उल्लिखित प्रलेखों का द्विभाषी जारी करना।

3. सभी प्रकार का प्रक्रियात्मक साहित्य, स्टेशनरी आदि हिन्दी व अंग्रेजी, द्विभाषी प्रयोग सुनिश्चित करना[1]।

4. राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार उन कार्यालयों को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करना जिनमें कार्यरत कर्मचारियों में से कम-से-कम 80% को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

5. जिन कार्यालयों को नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है उनमें से मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, उपक्रम बैंक आदि अपने विभाग/कार्यालय आदि के काम और परिस्थिति को देखते हुए हिन्दी में काम करने का निर्देश देना चाहें, वे उस बारे में आदेश, नियम 8(4) के अधीन स्वयं जारी करें। किन्तु 'क' तथा 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों, हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना, किसी कर्मचारी द्वारा हिन्दी में दिये गये या हस्ताक्षर किये गये आवेदन अपील या अभ्यावेदन के उत्तर के अतिरिक्त होगी।[1]

6. सभी मंत्रालय/विभाग इस बात का प्रयास करें कि उनके हिन्दी अनुभाग को छोड़कर कम-से-कम एक अनुभाग में ('ग' क्षेत्र की राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यालयों को छोड़कर) शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो ताकि उससे अन्य विभागों को प्रेरणा मिल सके।[2]

7. केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा सभी विज्ञापन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किये जायें और उन्हें संबंधित भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय।

8. हिन्दी के प्रगामी और सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हिन्दी पदों के सृजन के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाय।

9. सभी सेवाकालीन विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में जिनमें अखिल

---

1. कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14013/9/87–रा. भा. (क–1) दिनांक 23-11-97 तथा 1/14013/9/87–रा. भा. (क–1) दिनांक 5-9-88 राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार
2. कार्यालय ज्ञापन 1/14013/15/87–रा. भा. (क–1) दिनांक 30-10-87 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

भारतीय स्तर पर ली जानेवाली परीक्षायें भी शामिल हैं, प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में लिखने की छूट दी जाय। प्रश्न-पत्र हिन्दी-अंग्रेजी, दोनों, भाषाओं में तैयार कराये जायें। और साक्षात्कार में भी हिन्दी में उत्तर देने की छूट दी जाय इसके संबंध में हिन्दी भाषा माध्यम की उपलब्धता के बारे में अभ्यर्थियों को विज्ञापन द्वारा पहले से ही साफ-तौर पर बता दिया जाये।[1]

10. सभी प्रकार की कंप्यूटर प्रणालियाँ (कंप्यूटर, वर्ड-प्रोसेसर, एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीन, डाटा एंट्री उपकरण आदि) केवल द्विभाषी रूप में खरीदे जायें। इन उपकरणों का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि जो काम हिन्दी में होना चाहिए वह अनिवार्य तौर पर केवल हिन्दी में और जो काम द्विभाषी होना चाहिए वह द्विभाषी में किया जाये।[2]

11. प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाय प्रशिक्षण के दौरान और अंत में लीं जानेवाली परीक्षा उनके प्रश्न-पत्र दोनों भाषाओं में तैयार कराये जायें और किसी भी भाषा में लिखने की छूट दी जाये।

12. अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और करार हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किये जायें। इस वर्ष के दौरान सुनिश्चित किया जाय कि भारत में हस्ताक्षर की जानेवाली सभी संधियों, करारों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाय और दोनों पाठों पर संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर कराये जायें।

13. हिन्दी कार्यशालाओं के लिए व्यवस्था की गई कि वर्ष के दौरान उन सभी कर्मचारियों का हिन्दी कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाय जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान या प्रवीणता प्राप्त है और जिन्हें अब तक कार्यशाला में प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।[3]

14. सरकारी कामकाज में राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के विभिन्न/मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि में हिन्दी दिवस अथवा हिन्दी सप्ताह मनाया जाय। हिन्दी दिवस समारोह प्रति वर्ष 14 सितंबर को ही मनाया जाए। यदि 14 सितंबर अवकाश का दिन हो तो आयोजन उससे ठीक परवर्ती कार्यदिवस में किए जायें। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए।[4]

---

1. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993-94 का वार्षिक कार्यक्रम अध्याय 5 पृष्ठ 23
2. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993-94 का वार्षिक कार्यक्रम", अध्याय 5, बिन्दु 5.9, पृष्ठ 23
3. "कार्यालय ज्ञापन सं. 12019/10/91–रा. भा. दि. 28-1-92" राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार, वार्षिक कार्यक्रम 1993-94 अध्याय 5, पृष्ठ 24
4. "कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14034/2/87–रा. भा. (क)–1(दिनांक 23-9-1987)" राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

15. सभी कार्यालय अपने पुस्तकालय अनुदान का कम-से-कम 25% हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए खर्च करें और पर्याप्त मात्रा में हिन्दी पुस्तकें उपलब्ध होने पर रकम बढ़ाकर 50% तक की जा सकती है।

16. अधिकारी जब भी दौरे पर जायें तो वे अन्य बातों के अलावा इस बात की भी जाँच करें कि राजभाषा संबंधी नियमों, अनुदेशों आदि का पालन किस सीमा तक किया जा रहा है। निरीक्षण के समय अधिकारी यह भी देखें कि नियमों आदेशों आदि के उपबंधों के अंतर्गत पाई गई कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें।

17. जहाँ केंद्र सरकार के दस या उससे अधिक कार्यालय स्थित है वहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाय तथा वर्ष के दौरान इनकी नियमित बैठकें सुनिश्चित की जायें।

18. 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के उन कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों से हिन्दी में काम करना सुनिश्चित किया जाय जो राजभाषा नियम के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है। हिन्दी में टिप्पण एवं आलेखन करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए।

19. फार्मों, कोडों, मैन्युअलों और गजट की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन, देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित दस्तावेजों का द्विभाषीकरण 'क' तथा 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों को भेजे जानेवाले पत्र आदि, लिफाफों पर हिन्दी में पते लिखना, रबड़ की मोहरें, नाम-पट्ट, साइन बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में बनाना, कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं/रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ, हिन्दी में प्राप्त पत्रों आदि के उत्तर हिन्दी में देना, इत्यादि के लिए प्रत्येक कार्यालय में प्रभावी जाँच-बिन्दु बनाये जायें तथा इन मदों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20. बैंकों के लिए 'क', 'ख' तथा 'ग' तीनों क्षेत्रों में स्थित शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिन्दी में किये जायें, जिन्हें 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

ग्राहकों द्वारा हिन्दी में भरे गये आवेदनों और ग्राहकों की सहमति से अंग्रेजी में भरे गये आवेदनों पर जारी किए जानेवाले माँग ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, सभी प्रकार की सूचियाँ-विवरणियाँ, सावधि जमा रसीदें, चैकबुक संबंधी पत्र आदि, दैनिक बही, मस्टर, लेजर प्रेषण बही, पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियाँ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा, ग्राहक सेवा संबंधी कार्य, नये खाते खोलना, लिफाफों पर पते लिखना, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास निर्माण अग्रिम, चिकित्सा संबंधी कार्य, बैठकों की कार्यसूची-कार्यवृत्त हिन्दी माध्यम से किये जायेंगे। वार्षिक कार्यक्रम में प्रति वर्ष उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रकाश डाला जाता है तथा लक्ष्य के साथ-साथ प्रक्रियात्मक पहलू के बारे में स्पष्ट किया जाता है।

4.5.5 कर्मचारियों के शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था

स्वतंत्रता प्राप्त से पूर्व अंग्रेजों की यह नीति थी कि जनता को शासन के कार्य से यथा संभव दूर रखा जाय किन्तु स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात इस बात को गहराई से महसूस किया गया कि जन सामान्य को शासन प्रक्रिया में शामिल होने में ही प्रजातंत्र की सार्थकता निहित है। यह तभी संभव था जब सरकारी कामकाज आम जनता की भाषा में किया जाता। इस परिप्रेक्ष्य में राजभाषा के विषय पर गंभीर चिंतन तथा ध्यानपूर्वक विचार विमर्श करने के बाद संविधान निर्माताओं ने देवनागरी लिपि में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। संविधान में 15 वर्ष की अवधि देने का तात्पर्य यह था कि इस बीच परिवर्तन के संक्रांन्ति काल के दौरान आवश्यक व्यवस्था तथा तैयारी पूरी की जा सके और निर्धारित अवधि के बाद निर्बाध रूप से उक्त परिवर्तन लाया जा सके। बाद में महसूस किया गया कि भारत जैसे देश में भाषाई परिवर्तन कोई छोटा-मोटा काम नहीं था। क्योंकि अंग्रेजी शासन में मिली परंपरा के कारण भारत सरकार के सभी कर्मचारी, अधिकारी सरकारी कामकाज केवल अंग्रेजी में करने के अभ्यस्त थे। हिन्दी के व्यापक प्रयोग के लिए कोई तैयारी नहीं थी न ही आवश्यक साधन और सुविधायें उपलब्ध थी। अधिकांश कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान नहीं था और जिन्हें ज्ञान था भी उन्हें भी हिन्दी में काम करने का अभ्यास न होने के कारण वे अपना कामकाज हिन्दी में करने का अभ्यास न होने के कारण वे अपना कामकाज हिन्दी में करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे।

गत अध्याय में हमने इस बात पर विस्तार से चर्चा की है कि राष्ट्रपति द्वारा 12 जून 1955 के अक्तूबर मास में गृहमंत्रालय के तत्त्वाधान में कर्मचारियों के हिन्दी शिक्षण के लिए कार्यालय समय में ही व्यवस्था की गई। अप्रैल 1968 में राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी का सेवा कालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया जो 1 जनवरी 1981 को 45 वर्ष के नहीं हुए थे। समूह 'घ' के कर्मचारियों को इससे छूट दी गई थी। इस शुरुआत से यह आशा हुई कि 1965 तक सभी कर्मचारी हिन्दी में कामकाज करने की सामर्थ्य विकसित कर लेंगे और इसको लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस संबंध में जहाँ एक ओर प्रयास किये गये वहाँ दूसरी ओर कुछ कठिनाइयाँ भी विकसित हुईं इनका उल्लेख अध्याय के अंत में करेंगे लेकिन यहाँ यह उल्लेख करना युक्तिसंगत होगा कि प्रयासों के बावजूद कर्मचारी स्वेच्छा से इसकी ओर आकर्षित नहीं हुए।

वर्तमान में लगभग सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिन्दी में काम करने की सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं परंतु यदि प्रतीक्षा है तो केवल उस समय की जब सभी कर्मचारी अपना नित्यप्रति का कामकाज हिन्दी में करना प्रारंभ करेंगे तभी

हिन्दी शिक्षण की सार्थकता सिद्ध होगी। वह सार्थकता हिन्दी के सक्षम अर्जित ज्ञान के उपयोग की आह्लादकारी परिणति ही नहीं होगी बल्कि वह संविधान की भावना का साकार रूप, सरकारी तंत्र के प्रयासों की उपलब्धि और देश के नागरिकों की अपने शासन में भागीदारी का कारण भी बनेगी। इन्हीं पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए हम हिन्दी शिक्षण योजना, इसके प्रयासों, सफलताओं और स्थिति से संबंधित मुद्दों का विवेचन करेंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण देने का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा गया ताकि हिन्दी का शिक्षण देने के संबंध में राष्ट्रपति के 27 मई 1952 तथा 28-4-1960 को दिये गये आदेश पर अमल किया जा सके। वर्ष 1986 तक इस क्षेत्र में जो कदम उठाये गये उसका उल्लेख गत अध्याय में किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा 1977 में हिन्दी शिक्षण योजना का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन भारत सरकार के तत्कालीन हिन्दी सलाहकार श्री रामप्रसन्न नायक की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 16-6-1974 को प्रस्तुत की। समिति ने हिन्दी शिक्षण योजना की धीमी गति के कारणों का विश्लेषण करते हुए अपने प्रतिवेदन के पैरा 1.19 में यह मत अभिव्यम्त किया "एक और जहाँ सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक नहीं लगाई गई है वहाँ हिन्दी का उपयोग करने के लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है यही कारण है कि हिन्दी सीखने और उसमें काम करने, दोनों ही के बारे में, कर्मचारियों में आम-तौर पर उपेक्षा की भावना है। यह भी देखा गया है कि विभिन्न कार्यालयों में जिन अधिकारियों पर हिन्दी-शिक्षण योजना के अधीन जारी की गई हिदायतों पर अमल करने की जिम्मेदारी डाली गई है वे भी इस काम की ओर यथेष्ठ ध्यान नहीं देते। फलस्वरूप हिन्दी कक्षाओं में जाने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी सीखने के लिए काफी कर्मचारी तैनात नहीं किये जाते। इसके सिवाय यह भी सच है कि प्रशिक्षण के लिए तैनात किये गये बहुत से कर्मचारी हिन्दी कक्षाओं में प्रवेश नहीं लेते। जो प्रवेश लेते हैं उनमें से बहुत से किसी-न-किसी बहाने प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ देते हैं जो प्रशिक्षण चालू रखते हैं उनमें से बहुत से परीक्षा का आवेदन-पत्र नहीं भरते और जो भरते भी हैं उनमें से बहुत से परीक्षा में बैठते ही नहीं।[1]

इस समिति ने हिन्दी शिक्षण योजना के विभिन्न पहलुओं पर 56 सिफारिशों की थी। जिन पर गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जा चुकी है। जहाँ तक हिन्दी शिक्षण का प्रश्न है सचिव राजभाषा विभाग ने समिति के सम्मुख साक्ष्य देते हुए बताया था कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या 15 लाख से अधिक है इसके अतिरिक्त लगभग 15000 कर्मचारी प्रति वर्ष नये भर्ती होते हैं जिन्हें

1. संसदीय राजभाषा समिति, प्रतिवेदन खंड–3 1988 अध्याय 10 पृष्ठ 67-68

हिन्दी शिक्षण की सार्थकता सिद्ध होगी। वह सार्थकता हिन्दी के सक्षम अर्जित ज्ञान के उपयोग की आह्लादकारी परिणति ही नहीं होगी बल्कि वह संविधान की भावना का साकार रूप, सरकारी तंत्र के प्रयासों की उपलब्धि और देश के नागरिकों की अपने शासन में भागीदारी का कारण भी बनेगी। इन्हीं पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए हम हिन्दी शिक्षण योजना, इसके प्रयासों, सफलताओं और स्थिति से संबंधित मुद्दों का विवेचन करेंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण देने का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा गया ताकि हिन्दी का शिक्षण देने के संबंध में राष्ट्रपति के 27 मई 1952 तथा 28-4-1960 को दिये गये आदेश पर अमल किया जा सके। वर्ष 1986 तक इस क्षेत्र में जो कदम उठाये गये उसका उल्लेख गत अध्याय में किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा 1977 में हिन्दी शिक्षण योजना का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन भारत सरकार के तत्कालीन हिन्दी सलाहकार श्री रामप्रसन्न नायक की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 16-6-1974 को प्रस्तुत की। समिति ने हिन्दी शिक्षण योजना की धीमी गति के कारणों का विश्लेषण करते हुए अपने प्रतिवेदन के पैरा 1.19 में यह मत अभिव्यम्त किया "एक और जहाँ सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक नहीं लगाई गई है वहाँ हिन्दी का उपयोग करने के लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है यही कारण है कि हिन्दी सीखने और उसमें काम करने, दोनों ही के बारे में, कर्मचारियों में आम-तौर पर उपेक्षा की भावना है। यह भी देखा गया है कि विभिन्न कार्यालयों में जिन अधिकारियों पर हिन्दी-शिक्षण योजना के अधीन जारी की गई हिदायतों पर अमल करने की जिम्मेदारी डाली गई है वे भी इस काम की ओर यथेष्ठ ध्यान नहीं देते। फलस्वरूप हिन्दी कक्षाओं में जाने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी सीखने के लिए काफी कर्मचारी तैनात नहीं किये जाते। इसके सिवाय यह भी सच है कि प्रशिक्षण के लिए तैनात किये गये बहुत से कर्मचारी हिन्दी कक्षाओं में प्रवेश नहीं लेते। जो प्रवेश लेते हैं उनमें से बहुत से किसी-न-किसी बहाने प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ देते हैं जो प्रशिक्षण चालू रखते हैं उनमें से बहुत से परीक्षा का आवेदन-पत्र नहीं भरते और जो भरते भी हैं उनमें से बहुत से परीक्षा में बैठते ही नहीं।[1]

इस समिति ने हिन्दी शिक्षण योजना के विभिन्न पहलुओं पर 56 सिफारिशों की थी। जिन पर गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जा चुकी है। जहाँ तक हिन्दी शिक्षण का प्रश्न है सचिव राजभाषा विभाग ने समिति के सम्मुख साक्ष्य देते हुए बताया था कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या 15 लाख से अधिक है इसके अतिरिक्त लगभग 15000 कर्मचारी प्रति वर्ष नये भर्ती होते हैं जिन्हें

---

1. संसदीय राजभाषा समिति, प्रतिवेदन खंड–3 1988 अध्याय 10 पृष्ठ 67-68

प्रशिक्षण दिये जाना है। वर्ष 1987 तक हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत 575101 कर्मचारी प्रशिक्षित किये जा चुके थे। यद्यपि हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तीनों पाठ्यक्रमों की वर्तमान प्रशिक्षण क्षमता 42000 कर्मचारी बताई गई है किन्तु व्यावहारिक कठिनाईयों के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता।[1]

राजभाषा विभाग के दिनांक 8/9 जून 1988 के कार्यालय ज्ञापन में निर्देश दिये गये हैं कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में सभी अधिकारियों को जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है एक वर्ष के अंदर हिन्दी शिक्षण योजना के केंद्रों या हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षण के लिए नामित कर दिया जाए या वे अपना नाम पत्राचार पाठ्यक्रम में दर्ज करवा लें। 'ग' क्षेत्र में स्थित सभी संबद्ध कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि के मुख्यालयों में 1990 तक 10% अधिकारी व कम से कम 80% कर्मचारी हिन्दी शिक्षण के लिए नामित कर दिये जायें।[2]

सरकार की यह कार्रवाई सही दिशा में उठाया गया एक कदम है परंतु मात्र लक्ष्य निर्धारित कर देना ही समस्या का समाधान नहीं है। जैसा कि हमने गत अध्याय में देखा है इस प्रकार के लक्ष्य सरकार द्वारा पहले भी निर्धारित किये गये थे परंतु उसके ठोस परिणाम सामने नहीं आये। आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसके रास्ते में आनेवाली अड़चनों को दूर किया जाय। इन अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक योजनायें बनाकर शिक्षण-प्रशिक्षण की गति को तेज न करने का प्रयास किया है। इस तथ्य को सिद्ध करने व सरकार की प्रगति सूचक योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से हम गत 1987 से 1992 तक के आँकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रयासों के होते हुए भी कक्षाओं में प्रतिनियुक्ति, कक्षाओं में उपस्थिति तथा परीक्षाओं में बैठने का अनुपात बहुत अंतर दर्शाता है।

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत 1987 से 1992 तक वर्षवार प्रगति का ब्योरा देखने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है[3] :

सत्र	पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या			परीक्षा में बैठनेवाले परीक्षार्थियों की संख्या			उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या		
	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
1987	15503	18140	15311	11485	13338	10559	9501	10187	9863
1988	16972	18789	17698	15175	13353	12750	9517	11046	9822
1989	18760	22718	24077	12742	15863	16775	10195	13446	13096

1. वही, पृष्ठ 68
2. "संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन" भारत सरकार का प्रकाशन प्रतिवेदन खंड–3, 1988, अध्याय 10, पृष्ठ 68
3. "राजभाषा विभाग, वार्षिक रिपोर्ट 1992–93," अध्याय 5 बिन्दु 5–71 पृष्ठ 16

1990	17044	23874	28321	10721	16111	19397	8832	13042	14597
1991	19035	22068	25279	11690	14244	16647	9410	11963	4051
1992	20926	23515	26868	13281	17807	0873	3456	15535	5277

4.5.5(क) हिन्दी शिक्षण की सुविधायें या प्रोत्साहन

सरकार द्वारा समय-समय पर उठाये गये कदमों के अनुसार वर्तमान स्थिति के अनुसार हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी शिक्षण पानेवाले कर्मचारियों को अनेक सुविधायें प्रोत्साहन व पुरस्कार दिये जाते हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

सुविधायें :

1. पढ़ाई और परीक्षा की कोई फीस कर्मचारी से नहीं ली जाती।

2. पाठ्य पुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं।

3. कक्षायें कार्यालय समय में चलाई जाती हैं।

4. कक्षाओं में आने जाने के लिए मार्ग व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

5. परीक्षाओं में बैठने के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता/वास्तविक खर्च दिया जाता है।

6. परीक्षाओं के लिए विशेष सुविधायें दी जाती हैं।

7. राजपत्रित अधिकारियों को हिन्दी सिखाने के लिए अलग कक्षायें चलाई जाती हैं।

8. परीक्षाओं में प्राइवेट बैठने का प्रावधान रखा गया है।

9. केंद्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाता है ताकि जो कर्मचारी नियमित्त कक्षाओं में भाग न ले सकें वे पत्राचार से शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

10. केंद्रीय हिन्दी संस्थान में 2-3 महीने के लिए गहन प्रशिक्षण द्वारा पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है।

11. निर्धारित परीक्षा पास करने पर प्रमाण-पत्र दिया जाता है तथा सेवा पंजी में उसकी प्रविष्टि की जाती है।

12. नकद और एकमुश्त पुरस्कारों की राशि पर आयकर नहीं लगता।

कक्षाओं में नामांकित कर्मचारियों के लिए कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहना और परीक्षा में बैठना अनिवार्य है। अब केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन कंपनियों, निगमों, उपक्रमों आदि के कर्मचारियों के लिए ही हिन्दी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। तथा यह निर्देश दिये गये हैं कि हिन्दी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। तथा यह निर्देश दिये गये हैं कि हिन्दी प्रशिक्षण के लिए बचे हुए कुल कर्मचारियों के 20% कर्मचारी प्रत्येक सत्र में नामित करें।[1]

---

1. "राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/5/83 रा. भा. (घ) दिनांक 29-10-84

प्रोत्साहन

क. वैयक्तिक वेतन (12 महीने की वेतन वृद्धि के बराबर)

उपरोक्त सुविधाओं के साथ-साथ कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से उन्हें निर्धारित परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

1. अराजपत्रित कर्मचारियों को प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर

2. जिन अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए प्रवीण या प्रबोध की परीक्षा ही अंतिम परीक्षा है उक्त परीक्षा पास करने पर

3. राजपत्रित अधिकारियों को अंतिम रूप में प्रवीण या प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर

4. जहाँ हिन्दी शिक्षण योजना के केंद्र नहीं है वहाँ के कर्मचारियों को स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों की मैट्रिक या उसके उच्च स्तर की मान्यता प्राप्त हिन्दी परीक्षा पास करने पर

ख. नकद पुरस्कार (विशेष योग्यता के साथ परीक्षा पास करने पर)

प्रवीण और प्राज्ञ	प्रबोध	नकद पुरस्कार के लिए पात्रता
450/—रु	300/—रु70% या अधिक अंकों पर	
300/—रु	150/—रु60% या अधिक अंकों पर	
150/—रु	75/—रु	55% या अधिक अंकों पर

ग. एकमुश्त पुरस्कार (निजी प्रयत्नों से परीक्षा पास करने पर)

1. प्रचलन कर्मचारियों तथा उन कर्मचारियों को जो ऐसे स्थानों पर नियुक्त हैं जहाँ हिन्दी शिक्षण योजना के केंद्र नहीं हैं तथा वे कर्मचारी पत्राचार पाठ्यक्रम या मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं से हिन्दी शिक्षण पूरा करते हैं

प्राज्ञ	प्रवीण	प्रबोध
4302- रु	375/—रु	375/—रु

2. जहाँ हिन्दी शिक्षण योजना के केंद्र नहीं हैं वहाँ के कर्मचारियों को स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों की मैट्रिक या उच्च स्तर की मान्यता प्राप्त हिन्दी परिक्षा पास करने पर-450/-रु

4.5.5(ख) हिन्दी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रम

भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा चलाई जा रही हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत उन कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान दिलवाने के लिए तीन पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है। वर्ष 1987 में इस योजना के पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया गया था। बैंकों के लिए प्राज्ञ परीक्षा का पाठ्यक्रम अलग से बैंकिंग आधार पर तैयार किया गया। किन्तु पूर्व

प्रचलित परीक्षा के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

प्रबोध–यह प्रारंभिक पाठ्यक्रम है। इसका स्तर प्राईमरी स्कूल की हिन्दी के स्तर के बराबर है।

प्रवीण–यह बीच का पाठ्यक्रम है। इसका स्तर मिडिल स्कूल की हिन्दी के बराबर है।

प्राज्ञ–यह आखिरी पाठ्यक्रम है। इसका स्तर हाईस्कूल की हिन्दी के बराबर है।

तीनों पाठ्यक्रमों के बारे में पिछले अध्याय में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है।

हिन्दी शिक्षण योजना के केंद्रों की व्यवस्था

केंद्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए देश भर में हिन्दी शिक्षण के केंद्र खोले गये हैं। जो दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में स्थित हिन्दी शिक्षण योजना के 5 क्षेत्रीय कार्यालय की देखरेख में कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार के हिन्दी न जाननेवाले कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत देश भर में पूर्णकालिक और अंशकालिक हिन्दी शिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन केंद्रों के संचालन के लिए प्राध्यापक नियुक्त किये गये हैं। इनकी देखरेख की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। क्षेत्रीय कार्यालय में उप निदेशक नियुक्त हैं। जो योजना का प्रशासनिक तथा संगठनात्मक काम देखते हैं। इस समय हिन्दी शिक्षण के लिए 78 पूर्णकालिक और 50 अंशकालिक केंद्र हैं।

हिन्दी शिक्षण योजना के विस्तार के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संस्थानों को सहयोग

भारत सरकार ने हिन्दी शिक्षण योजना के विस्तार और शिक्षणों में अधिक गति लाने के लिए यह निर्णय लिया है कि शिक्षण के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाय। क्योंकि सरकार ने महसूस किया है कि राजभाषा विभाग के अंतर्गत चलाये जा रहे अंशकालिक और पूर्णकालिक शिक्षण केंद्रों और केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के पत्राचार पाठ्यक्रम के बावजूद शिक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। अतः हिन्दी शिक्षण योजना के उप-निदेशकों से कहा गया है कि वे उन केंद्रों के बारे में सूचना दें जहाँ स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है। यह भी प्रावधान रखा गया है कि जहाँ संभव हो इन स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता से अंशकालिक प्रशिक्षण खोले जायँ और प्राध्यापकों का सहयोग भी लिया जाय।

4.5.5(ग) केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

गत् अध्याय में केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना तथा इसके द्वारा किये जा रहे कार्यकलापों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। संक्षेप में समीक्षाधीन अवधि में इसके कार्यकलापों का विवरण निम्न प्रकार है :

राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 21 अगस्त 1985 को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई है।

1. केंद्रीय सरकारी कार्यालय, उपक्रमों, उद्यमों तथा बैंकों आदि में नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए हिन्दी भाषा, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

2. राजभाषा कार्यान्वयन और अनुवाद कार्यों में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन।

3. प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को हिन्दी पढ़ाने की नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन।

4. प्रचालन कर्मचारियों तथा ऐसे कर्मचारियों के लिए जो उन स्थानों पर तैनात हैं जहाँ नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं हैं हिन्दी भाषा और हिन्दी टाइपिंग में पत्राचार पाठ्यक्रमों का आयोजन।

4.5.5(घ) केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के उप संस्थानों की स्थापना

संस्थान के कार्यकलाप को गति देने और प्रशिक्षण क्षमता का विस्तार करने के लिए संस्थान के अंतर्गत बंबई, कलकत्ता और बेंगलूर में तीन उप-संस्थान पहले खोले गये थे अब हैदराबाद और मद्रास में दो और उप-संस्थान खोले गये हैं।

क्षेत्रवार उप-संस्थान तथा इसके अंतर्गत चलाये जानेवाले गहन प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण इस प्रकार है।

पूर्वी क्षेत्र

क. केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण के उप-संस्थान, कलकत्ता

1. राइफल फैक्टरी, ईशापुर
2. साऊथ ईस्टर्न रेलवे, गार्डन रीच, कलकत्ता
3. आयुध निर्माणी बोर्ड, कलकत्ता
4. 8-किरणशंकर राय रोड, कलकत्ता

पश्चिमी क्षेत्र

ख. केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप-संस्थान, बंबई

1. पुणे
2. रायकोट

ग. केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, बेंगलूर

1. हासन (कर्नाटक)

2. दक्षिण रेलवे मैसूर

दक्षिण क्षेत्र

घ: केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप-संस्थान, मद्रास

1. पोर्ट ट्रस्ट मद्रास

2. दक्षिण रेलवे मद्रास

3. भारी वाहन निर्माणी आवड़ी

ङ. केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप-संस्थान, हैदराबाद

1. रेलवे मुख्यालय हैदराबाद

2. केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क कार्यालय, हैदराबाद

3. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद

प्रशिक्षण पाठयक्रम

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नीचे लिखे अनुसार चलाये जा रहे हैं :

1. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में लगे सहायक निदेशकों/हिन्दी अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

2. वरिष्ठ और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के लिए 5 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

3. अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम

4. 25 कार्यदिवसीय प्रबोध पाठ्यक्रम

5. 20 कार्यदिवसीय प्रवीण पाठ्यक्रम

6. 15 कार्यदिवसीय प्राज्ञ पाठ्यक्रम

7. 1 वर्ष का हिन्दी पत्राचार पाठ्यक्रम

8. 6 मास का हिन्दी टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम

9. 40 दिवसीय हिन्दी टाइपिंग का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम

10. 80 कार्यदिवसीय हिन्दी आशुलिपि का गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

11. प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशकों (हिन्दी) सहायक निदेशकों (टंकण/आशुलिपि) तथा हिन्दी प्राध्यापकों के लिए अलग-अलग समय अवधि के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

12. शिक्षण एवं प्रशासनिक संस्थानों के प्राध्यापकों के लिए भाषा शिक्षण के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम

13. सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान के विभिन्न प्रशिक्षार्थियों के लिए भाषा के पाठ्यक्रम

14. अवर सचिव/उपसचिवों के लिए तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 3 कार्यदिवसीय हिन्दी अभ्यास कार्यक्रम।

गहन प्रशिक्षण का आधुनिकीकरण

हिन्दी प्रशिक्षण के क्रियाकलापों को अधिक आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 1990-91 फोटोकापी मशीन, 5 स्लाइड प्रोजेक्टर्स (क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए) और 6 इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटर (3 दिल्ली, 1 कलकत्ता और 1 मद्रास के लिए) उपलब्ध कराये गये।

केंद्रीय हिन्दी शिक्षण संस्थान द्वारा 1992 में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 151 पाठ्यक्रम चलाये गये जिनमें 4021 प्रतिभागी शामिल हुए।[1]

प्रशिक्षित कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रमों की सं.	प्रतिभागियों की संख्या
1.	25 कार्य दिवसीय गहन प्रबोध पाठ्यक्रम	16	485
2.	20 कार्य दिवसीय गहन प्रवीण पाठ्यक्रम	25	707
3.	15 कार्य दिवसीय गहन प्राज्ञ पाठ्यक्रम	26	881
4.	टाइपिस्टों/लिपिकों के लिए 40 कार्यदिवसीय गहन टाइपिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	14	382
5.	आशुलिपिकों के लिए 80 कार्यदिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	04	82
6.	कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए 5 कार्यदिवसीय गहन हिन्दी कार्यशालायें	62	1357
7.	हिन्दी अधिकारियों/सहायक निदेशकों के लिए 5 कार्यदिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	02	38
8.	हिन्दी शिक्षण योजना के नये भर्ती हुए हिन्दी प्राध्यापकों के लिए 10 कार्यदिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	02	31
9.	वरिष्ठ अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	01	10
10.	सहायक निदेशकों के लिए 5 दिवसीय	05	128
	योग	157	4021

1. "राजभाषा कार्यान्वयन–वार्षिक रिपोर्ट 1992-93", राजभाषा विभाग गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 5, पृष्ठ 18

4.5.5(ङ) हिन्दी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि सीखने के लिए सुविधायें और प्रोत्साहन[1]

सुविधायें विवरण

1. पढ़ाई और परीक्षा की कोई फीस नहीं ली जाती
2. पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं
3. कक्षायें दफ्तर के समय में लगाई जाती हैं
4. कक्षाओं में आने-जाने के मार्ग व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है
5. परीक्षाओं में बैठने के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता/वास्तविक खर्च दिया जाता है
6. परीक्षाओं में प्राइवेट रूप में बैठने की भी छूट दी जाती है
7. परीक्षाओं के लिए विशेष छुट्टी दी जाती है
8. मान्यता प्राप्त टाइपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर दफ्तर के समय प्रशिक्षण के लिए आने की इजाजत दी जाती है
9. निर्धारित परीक्षा पास करने पर सेवापूँजी में प्रविष्टि की जाती है
10. नकद और एकमुश्त पुरस्कारों की राशि पर आयकर नहीं लगता

प्रोत्साहन

क. वैयक्तिक वेतन (12 महीने की वेतन वृद्धि के बराबर)

1. अराजपत्रित कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर
2. राजपत्रित आशुलिपिकों को भी हिन्दी आशुलिपि परीक्षा में 90% या उससे अधिक अंक लेकर पास करने पर

विशेष टिप्पणी

जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन्हें हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर पहले 12 महीनों के लिए दो वेतन वृद्धियाँ और अगले महीनों के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्ति वेतन दिया जाता है।

---

1. "राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट" 1992-93 अध्याय 5, पृष्ठ 18

ख. नकद पुरस्कार (विशेष योग्यता के साथ परीक्षा पास करने पर)

राशि	हिन्दी टाइपिंग	हिन्दी आशुलिपि
600/—रु	97%	95% या अधिक अंक होने पर
400/—रु	95%	92% या अधिक अंक होने पर
200/—रु	90%	88% या अधिक अंक होने पर

ग. एकमुश्त पुरस्कार (निजी प्रयत्नों से परीक्षा पास करने पर)

उन कर्मचारियों को, जो ऐसे स्थानों पर नियुक्त हैं, जहाँ हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि सीखने के केंद्र नहीं खोले गये हैं :

हिन्दी आशुलिपि—500/-रू हिन्दी टाइपिंग-रु 200/- वर्ष 1987 से 1992 तक हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि में प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है[1]

सत्र	पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या		परीक्षा में बैठने वालों की सं.		उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	
	टाइपलेखन	आशुलिपि	टाइपलेखन	आशुलिपि	टाइपलेखन	आशुलपि
1987	5696	982	4752	792	2568	460
1988	5486	1083	4546	871	2950	435
1989	6676	1110	5392	884	3601	529
1990	7833	1492	6198	1162	4223	754
1991	7575	1426	6440	1095	4065	706
1992	8286	1429	6324	1139	4996	649
1993	7915	1519	5855	1192	4047	70
1994	7449	1475	5762	1109	3867	620
1995	7570	1446	5649	1149	3806	842

4.5.5(च) हिन्दी शिक्षण की अनिवार्यता

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत उन कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण 27-4-60 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अनिवार्य कर दिया गया था।

वर्ष 1979 में राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 14013/2/79—राभा(घ) दिनांक 10-12-79 के अनुसार कर्मचारियों को आयु के बाधार पर छूट दी गई थी। कार्यालय ज्ञापन सं. ई—12014/1/74—एच राभा (घ) दिनांक 30-7-85 के अनुसार स्पष्ट किया गया कि जिन कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण से छूट है। वर्ष 1987 में इस पर पुनः विचार किया गया। अब तक वे भी कर्मचारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं जिनकी आयु 1-1-61 को 45 वर्ष थी। अतः हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी

1. "राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट" 1992-93 अध्याय 5 बिन्दु 5.7.2 पृष्ठ 16

का सेवाकालीन प्रशिक्षण अब केंद्रीय सरकार के उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है। राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 11016/10/87 राभा (घ) दिनांक 23-9-87 के अनुसार यह स्पष्ट दिया गया कि अब आयु के आधार पर कोई छूट नहीं है। परंतु यदि किसी केंद्र विशेष में नामांकित कर्मचारियों की संख्या प्रशिक्षण क्षमता से अधिक हो तो दाखिला देते समय 55 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाय।[1]

परीक्षा संचालन व्यवस्था में सुधार-काफी समय से यह मामला विचाराधीन रहा है। इस सबंध में 27-3-87 को संयुक्त निदेशक हिन्दी शिक्षण योजना की अध्यक्षता में गठित परीक्षा उपसमिति ने जो सुझाव दिये थे, उन्हें ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा निर्णय लिये गये हैं।[2] सूचना राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 15/65/87:30 (उ नि) परीक्षा/4106 दिनांक 20-7-87 के अनुसार दी गई।

1. प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा हिन्दी टंकण/आशुलिपि परीक्षा पास करने पर मिलनेवाले प्रोत्साहन पुरस्कार, वेतन वृद्धि आदि परीक्षा फल पर ही दिये जाय। इसके लिए प्रमाण-पत्रों का इंतजार न किया जाए।

2. बिना परीक्षा फल का इंतजार किये प्रवीण और प्राज्ञ कक्षा में प्रवेश दे दिया जाय।

3. उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन योजना के उपनिदेशकों के कार्यालयों में प्राध्यापकों/स्थानीय योग्य अधिकारियों/योजना के सेवा निवृत्त स्थानीय प्राध्यापकों/ अधिकारियों आदि को सौंपा जाता है। इसके लिए निम्नानुसार यात्रा भत्ता व मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक दिया जाए।

4. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के आरंभ होने के साथ और मौखिक परीक्षा फल परीक्षा समाप्त होते ही सीधे परीक्षा स्कंध को भेज दिया जाय। आंतरिक मूल्यांकन समय पर न भेजनेवाले प्राध्यापकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।[3]

5. अगस्त 1987 के सत्र से टंकण की कक्षायें एकांतर दिवसों की बजाय सभी कार्य दिवसों में प्रति दिन एक घंटे की चलाई जाये और परीक्षा में टंकण की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में 5 प्रतिशत की छूट पूर्ववत जारी रखी जाय।

6. परीक्षाफल परीक्षा तिथि से 1 ½ महीने भीतर अवश्य भेज दिया जाय ताकि अगली कक्षा में प्रवेश लेने और कार्य करने में दिक्कत न होने पाये।

7. परीक्षा स्कंध से परीक्षाफल और प्रमाण-पत्र मिलते ही वितरित किये जायें

---

1. "हिन्दी शिक्षण योजना संबंधी आदेशों का संकलन", अध्याय 4, पृष्ठ 52
2. "हिन्दी शिक्षण योजना 1987 आदेशों का संकलन", राजभाषा विभाग गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 4, पृष्ठ 14
3. "राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारव सरकार का कार्यालय ज्ञापन सं. 15/65/87–उ. नि (परीक्षा) 4106, दिनांक 24-9-87

और वितरित किये जानेवाले पत्र की प्रतिलिपि परीक्षा स्कंध को भी भेजी जाये।

8. परीक्षा केंद्रों पर हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशकों/प्राध्यापकों को पर्यवेक्षक न बनाया जाये।

9. जो कक्षायें लेते हैं उन्हें मौखिक परीक्षक न बनाया जाये।

10. परीक्षा केंद्र केंद्रीय विद्यालयों/सरकारी भवनों/अन्य विद्यालयों में सुविधानुसार रखे जायें और फर्नीचर, बिजली, पानी, आदि की समुचित व्यवस्था की जाये।

11. सर्व-कार्यभारी अधिकारी/उपनिदेशक यह सुनिश्चित करें कि केंद्र अधीक्षक हिन्दी शिक्षण योजना के बाहर के राजपत्रित स्तर के अधिकारी ही रखे जायें।

12. परीक्षा स्कंध द्वारा सभी केंद्र अधिक्षकों को प्रश्न-पत्र परीक्षा से 25 दिन पहले ही भेजे जायें।

13. परीक्षाओं के लिए तिथियाँ निर्धारित की गई तथा स्पष्ट किया गया कि इन तिथियों का कड़ाई से पालन किया जाय।

14. परीक्षा संचालन को सफल बनाना, क्योंकि उनके दैनिक कार्य का यह एक अंग है, इसलिए योजना से सबंधित उपनिदेशकों, सहायक निदेशकों, प्राध्यापकों का दायित्व होगा की वे उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करें।

परीक्षाओं के लिए निर्धारित तिथियाँ इस प्रकार हैं[1] :

	परीक्षा शाखा से फार्म मँगाने की अंतिम तिथि	फार्म भरकर परीक्षा शाखा में जमा करने की अंतिम तिथि जिसके बाद फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे	परीक्षा की संभावित अवधि, वास्तविक तिथि परीक्षा शाखा सूचित करेगा
प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ	30 दिसंबर (मई परीक्षा के लिए)	15 फरवरी (मई परीक्षा के लिए)	मई का दूसरा/ तीसरा सप्ताह
	30 जून (नवंबर परीक्षा के लिए)	30 अगस्त (नवंबर परीक्षा के लिए)	नवंबर का दूसरा/ तीसरा सप्ताह
टंकण/ आशुलिपि	30 जनवरी (जुलाई परीक्षा के लिए)	15 मार्च (जुलाई परीक्षा के लिए)	जुलाई का दूसरा/ तीसरा सप्ताह
	31 जुलाई के लिए)	15 सितंबर के लिए)	जनवरी का दूसरा/

1. "हिन्दी शिक्षण योजना संबंधी आदेशों का संकलन, राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, अध्याय। पृष्ठ 15

पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकृत पुस्तकें तथा उनकी व्यवस्था के लिए राजभाषा विभाग ने अखिल भारतीय हिन्दी संस्थान संघ को सरकारी उद्यमों, उपक्रमों, निगमों निकायों तथा बैंकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पुस्तकें सुविधानुसार उपलब्ध कराने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा निर्धारित पुस्तकें छापने का अधिकार दे दिया है, फिर भी उन्हें अपनी तात्कालिक आवश्यकता की आपूर्ति के लिए प्रकाशन विभाग के भंडार से पुस्तकें खरीदने की छूट दी है।

इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग के आदेश कार्यालय ज्ञापन सं. 21034/14/84–रा. भा. (घ) दिनांक 8-4-85 के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को दी गई पुस्तकें वापस न लेने का निर्णय लिया जा चुका है क्योंकि यह महसूस किया गया है कि पुस्तकें वापस लेने में व्यावहारिक और प्रशासनिक कठिनाईयाँ हैं।[1]

4.5.5.(छ) उपाय एवं सुझाव

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी शिक्षण के लिए शेष बचे कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध प्रशिक्षण व्यवस्था के अनुपात से बहुत अधिक है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि 'ग' क्षेत्र में अधिक है। अधिकतर विभाग, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना पर ही निर्भर रहना चाहते हैं क्योंकि यह ज्यादा सुविधाजनक है। किन्तु इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीमित सुविधाओं के कारण कठिनाई आ रही है।

गैर-सरकारी स्तर पर स्वयं सेवी संस्थायें हिन्दी शिक्षण संबंधी गतिविधियों में कार्यरत हैं जो इस काम में महत्त्वपूर्ण सहयोग दे रही है।

'क' तथा 'ख' क्षेत्र में जहाँ प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों की संख्या कम रह गई वहाँ के केंद्रों को बंद करके 'ग' क्षेत्र में जहाँ कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए अधिक मात्रा में बचे हैं, खोलने के लिए विचार किया जा रहा है। इस प्रकार 1989 में 'क' क्षेत्र के 13 केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया गया है ताकि वहाँ कार्यरत 13 अध्यापकों की सेवायें 'ग' क्षेत्र में दी जा सकें।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा-विभाग के केंद्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधिक से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिलाने के लिए उन्हें पत्राचार पाठ्यक्रम में नामित करें। राजभाषा विभाग द्वारा शिक्षा-विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रबंधों को सुदृढ़ करें ताकि सभी कर्मचारियों को, जो इस पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहें, उन्हें प्रवेश मिल सके।

3. 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में कर्मचारियों के प्रशिक्षण की शीध्र व्यवस्था के लिए

---

1. "राजभाषा विभाग, वार्षिक रिपोर्ट–1990-91" अध्याय 5 पृष्ठ 19

पर्याप्त पूर्णकालिक व अंशकालिक केंद्र खोले जा सकते हैं।

4. कुछ स्थानों पर अंशकालिक केंद्रों में नियुक्ति के लिए हिन्दी पदों की अपेक्षित योजनावाले व्यक्ति न भी उपलब्ध हो ऐसी स्थिति में योग्यता सीमा में ढील देकर एम० ए० हिन्दी की बजाय बी० ए० स्तर तक जिन्होंने हिन्दी पढ़ी हों उन्हें प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

5. राजभाषा विभाग द्वारा शिक्षण कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। उस पर अमल के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों द्वारा प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

6. प्रशिक्षण व्यवस्था को पूरक व सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है इसके बिना इन लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन है अतः इसे व्यावहारिक बनाना जरूरी है इसके लिए जहाँ एक ओर हिन्दी शिक्षण योजना के अतिरिक्त केंद्र खोलने होंगे दूसरी ओर प्रशिक्षण संस्थान की शाखायें/उप शाखायें सभी राज्यों में स्थापित की जानी होंगी।

7. विद्यमान विभागीय तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं का सहयोग तो अपेक्षित है ही, साथ ही विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को अतिरिक्त सहायता देकर पर्याप्त हिन्दी प्रशिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो पायेगी।

8. विभिन्न व्यक्तियों/कार्यालयों/संस्थाओं से इस विषय पर भेजी गई प्रश्नावली के उत्तर में प्राप्त सुझावों के अनुरूप बहुमत इस पक्ष में हैं कि यह प्रशिक्षण भर्ती के तुरंत पश्चात परिवीक्षा काल में दिया जाना चाहिए। इसके लिए भर्ती के पश्चात 3 वर्ष की अवधि निश्चित की जानी चाहिए। जो कर्मचारी परीवीक्षा काल में ऐसा न कर पाये उनके बारे में परीवीक्षा काल बढ़ाने संबंधी नीति पर सरकार विचार करे।

9. जब तक भर्ती से पूर्व हिन्दी ज्ञान की अनिवार्यता नहीं होगी तब तक कोई भी समय सीमा इसे पूरा नहीं कर सकती। पुराने कर्मचारियों का प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं होता और नई, भर्ती हो जाती है। अतः जहाँ वर्तमान कर्मचारियों के लिए समय सीमा की आवश्यकता है वहीं भर्ती से पूर्व हिन्दी ज्ञान की योग्यता वांछनीय है क्योंकि महसूस किया गया है कि नौकरी से पूर्व ज्ञान प्राप्त करना शीध्रता से पूरा किया जा सकता है जो भर्ती के बाद प्रतीत होता है। पहले आवश्यकता होती है अतः सभी इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास करने में संकोच नहीं करेंगे।

10. इस द्विभाषिक युग में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं की कुशलता प्राप्त करना होता है किन्तु यह कार्य जितना सरल प्रतीत होता है उतना नहीं है। इसके लिए पर्याप्त और कुशलता की आवश्यकता होती है। दोनों भाषाओं का ज्ञान रखनेवाले कर्मचारी को कुशलता प्राप्त कर्मचारी मानकर प्रोत्साहन भत्ता दिया जा सकता है जो न्यायोचित प्रतीत होता है। यह उन कर्मचारियों को देय होना चाहिए जिन्हें किसी निर्धारित-न्यूनतम मात्रा तक दोनों भाषाओं में काम करना पड़ता है।

11. राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत हिन्दी में काम करने के

आदेश जारी होने के बावजूद इन आदेशों का पूर्ण कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। अतः इसके लिए भी प्रोत्साहन योजना को उदार बनाना होगा।

12. हिन्दी शिक्षण/प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने व व्यवहारिक बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में समुचित संदर्भ साहित्य की आवश्यकता है जो इस समय उपलब्ध नहीं है। शोध प्रबंध अध्ययन हेतु विभिन्न छोटे-छोटे कार्यालयों में गया तथा पाया कि समुचित विभागीय सहायक/संदर्भ साहित्य शब्द-कोश आदि उपलब्ध न होने के कारण कुछ कर्मचारी हिन्दी में काम करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। देश में इस समय सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तर पर यद्यपि पर्याप्त सहायक/संदर्भ साहित्य तैयार किया जा चुका है और किया जा रहा है। किन्तु उपयुक्त वितरण के अभाव में उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। यह एक बहुत बड़ी बाधा है। इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

4.5.6 अनुवाद तथा अनुवाद प्रशिक्षण कार्य

हिन्दी के बढ़ते हुए प्रयोग को देखते हुए तथा अंग्रेजी में समस्त कार्यविधि साहित्य उपलब्ध होने के कारण इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हिन्दी के प्रयोग में भाषा और शब्दावली दोनों की दृष्टियों से एकरूपता हो। साथ ही भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग हो। इस दृष्टि से केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/निकायों के मैन्युअलों, संहिताओं, फार्मों आदि के विविध असांविधिक कार्यविधि साहित्य के अनुवाद के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1-3-1971 को की गई। इसका विवरण गत अध्याय में विस्तार से दिया गया है। ब्यूरो की स्थापना से 31 दिसंबर 1990 तक केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभाग, निकायों, निगमों आदि को 6,86,786 मानक पृष्ठों का अनुवाद उपलब्ध का वार्षिक लक्ष्य 46000 मानक पृष्ठ है। इसके अनुसार ब्यूरो की स्थापना के पश्चात सभी वर्षो में लगभग लक्ष्य पूरा किया जाता रहा है।

समीक्षाधीन अवधि में अनूदित मानक पृष्ठों का विवरण निम्न प्रकार है[1] :

वर्ष	अनूदित मानक पृष्ठों की संख्या
1987	44400
1988	45666
1989	45165
1990	47100
1991	46207

1. "राजभाषा कार्यान्वयन, वार्षिक रिपोर्ट 1992-93" राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार, अध्याय 6, पृष्ठ 19

1992	46210
1993	46197
1994	46051
1995	46000

4.5.6(क) अनुवाद प्रशिक्षण

भारत सरकार की भाषा नीति के अनुसार सहज सरल और सुबोध भाषा में अनुवाद शब्दावली की एकरूपता और अनुवाद की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1977 से केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को केंद्रीय स्तर पर अनुवादकों के प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के बढ़ते हुए कामकाज तथा अनुवाद की आवश्यकता को देखते हुए यह महसूस किया गया कि वे अनुवाद ब्यूरो की सेवाओं से अपेक्षित कार्य का अनुवाद नहीं हो पायेगा इसलिए केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाकर इस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया गया। इसलिए राजभाषा विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/13017/12/75–राभा

(ख) दिनांक 5-5-1975 के अनुसार केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा दिये जा रहे अनुवाद प्रशिक्षण को केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अनुवाद कार्य से संबंधित सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया।

अनैक सरकारी उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों का यह विचार था कि चूँकि वे उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत नहीं आते हैं और न ही उनके यहाँ अनुवादकों के पद हैं इसलिए वे प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को भेजने के लिए बाध्य नहीं हैं। राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. 13017/6/87 रा. भा. (ग) दिनाँक 18-11-87 के अनुसार स्पष्ट कर दिया गया कि जो अधिकारी या कर्मचारी अनुवाद कार्य से जुड़े हैं, चाहे उनके पदनाम कुछ भी हों उन्हें अनुवाद प्रशिक्षण के लिए अवश्य भेजा जाय।[1]

कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए तीन-तीन महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। साथ ही 7 दिन के अल्पकालीन अनुवाद प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई क्योंकि एक सत्र में केवल 40 कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसलिए इसी उद्देश्य से एक संक्षिप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (कंडेंस कोर्स) चलाने की योजना बनाई गई जिसमें 20 से 35 कर्मचारियों को 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें अनुवाद के सिद्धांत, प्रक्रिया, तकनीक, कार्यालयीन भाषा, टिप्पण तथा प्रारूप आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। उपक्रमों व बैंकों के लिए अलग से

1. "हिन्दी प्रयोग संबंधी प्रयोगों के आदेश का संकलन" राजभाषा विभाग गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 9, पृष्ठ 72

अनुवाद पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इस प्रशिक्षण की अवधि 21 दिन रखी गई है। इस पाठ्यक्रम में बैंकों व उपक्रमों के अनुवाद कार्य से जुड़े हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को चाहे उनके पदनाम कुछ भी क्यों न हों प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई। गृहमंत्रालय की कार्यालय ज्ञापन सं. 13017/6/87 राभा (ग) दिनांक 16-11-81 के अनुरूप इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य स्पष्ट किये गये हैं जिसमें बताया गया है कि अधिकारियों व कर्मचारियों को अनुवाद के विविध आयामों से परिचित कराना ताकि भाषा, अभिव्यक्ति तथा शब्दों के प्रयोग की एकरूपता बनी रहे तथा उनकी कार्यक्षमता और कार्यनिष्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि हो।[1]

संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस ढंग से बनाया गया ताकि यह कर्मचारियों की तात्कालिक आवश्यकता पूरी कर सके। वर्ष 1996 से दिसंबर 1992 तक 92 संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये और उनमें 2747 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। दिल्ली, आगरा, उडुपी, कांडला, तिरूवनंतपुरम, नागपुर मद्रास, बंबई व हैदराबाद में 11 संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण दिसंबर 90 तक चलाये गये जिनमें 286 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो में सरकारी उपक्रमों के लिए 16-4-1990 से 11-5-1990 तक 21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया जिसमें विभिन्न उपक्रमों के 39 अनुवाद कर्मियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।[2] 31 दिसंबर 1992 तक दिल्ली, बंबई, बेंगलूर, कलकत्ता द्वारा क्रमशः 76, 32, 29, 21 सत्र चलाकर 2577, 860, 778 तथा 415 कर्मचारियों को क्रमशः प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार कुल 4630 कर्मचारियों को अप्रैल से दिसंबर 1992 तक प्रशिक्षण दिया गया। 21 दिवसीय पाठ्यक्रम में 1992-93 तक 3 पाठ्यक्रम चलाकर कुल 92 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया[3]।

केंद्रीय सरकार की सेवा में अथवा पदों पर पदोन्नति के लिए ली जानेवाली परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प मिलने से संबंधित पुस्तकों के अनुवाद कार्य को पूर्ण करने के लिए राजभाषा विभाग कार्यालय ज्ञापन 14012/11/87–रा. भा. (ग) दिनांक 1-7-88 के अनुसार आदेश दिया गया ताकि जिन पुस्तकों, मैन्युअलों तथा दूसरी पुस्तकों का प्रयोग विभागीय परीक्षाओं में किया जाता है उन सभी का अनुवाद वर्ष 1992 तक पूरा करवा लिया जाना चाहिए ताकि कर्मचारी हिन्दी माध्यम से परीक्षा देने में कठिनाई अनुभव न करें।

---

1. "वार्षिक कार्यक्रम 1993-94" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन अध्ययन 1, पृष्ठ 3 बिन्दु 1.9 व पृष्ठ 4
2 "वार्षिक रिपोर्ट 1993-94" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय का प्रकाशन अध्याय 6 बिन्दु 6.3 व 6.4, पृष्ठ 21
3. "वार्षिक कार्यक्रम 1993-94" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन अध्याय 1, बिन्दु 1.13, पृष्ठ 4

अनुवाद की अनिवार्यता व तात्कालिकता को देखते हुए यह निर्देश भारत सरकार द्वारा दिया गया कि जिन कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी व हिन्दी अनुवादक नहीं हैं, उनमें मानदेय देकर अनुवाद कार्य करवा लिया जाय। समय के साथ–साथ मानदेय की राशि में भी परिवर्तन किया गया। 1975 में यह 5 रूपये प्रति हज़ार शब्द था, 1979 में इसे बढ़ाकर 10/-रु प्रति हज़ार किया गया। 1988 में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की 21 जून 1988 की आ हि सं. 17013/3/86 स्था. (भत्ता) में दी गई अवधि के बल पर राजभाषा विभाग ने कार्यालय ज्ञापन सं. 13017/3/87–रा. भा. (ग) दिनांक 19-7-80 को इसे बढ़कार सामान्य साम्रगी के अनुवाद के लिए 15 रुपये प्रति हजार तथा तकनीकी प्रकार की साम्रगी के लिए 20\- प्रति हज़ार किया गया। इसके पश्चय्यत कार्यालय ज्ञापन सं. 13017/289–रा. भा. (ग) दिनांक 29-11-91 के अनुसार सामान्य अनुवाद के लिए 40 रुपये प्रति हजार तथा तकनीकी प्रकार की सामग्री के लिए 45 रूपये प्रति हजार कर दिया गया।[1]

इतना कुछ होंने के बाद भी अनुवाद कार्य पर्याप्त मात्रा में शेष है। संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन का प्रथम खंड राष्ट्रपति को जनवरी 1987 में प्रस्तुत किया जिसमें शेष काम को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था, अनुवाद प्रशिक्षण संदर्भ और पूरक साहित्य के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं। प्रतिवेदन का प्रथम खंड अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार 8-5-1987 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया और इसकी प्रतियाँ सभी राज्य सरकारों को भिजवा दी गई। इसकी अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप से अथवा कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।[2]

4.5.6 (ख) राजभाषा नीति के प्रभावी अनुपालन के लिए संसदीय राजभाषा समिति के अनुवाद संबंधी सुझाव

अनुवाद के संबंध में प्रभावी ढंग से कार्य करने व इसके संबंध में समिति द्वारा जो मुख्य सिफारिशें की गई हैं उनका उल्लेख हम इसी अध्याय के बिन्दु 4.5.12 (क) में संसदीय राजभाषा समिति के कार्यकलाप तथा मुख्य अनुशंसायें-प्रथम प्रतिवेदन में करेंगें।

---

1. "राजभाषा कार्यान्वयन वार्षिक रिपोर्ट" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय भारत सरकार का प्रकाशन 1993-94 अध्याय 6 बिन्दु 6.3 व 6.4 पृष्ठ 21 तथा वार्षिक कार्यक्रम 1993-94 अध्याय। बिन्दु 1.13 पृष्ठ 4
2. "हिन्दी संबंधी अनुदेशों का पूरक संकलन" अध्याय 9 पृष्ठ 74 (247) संकल्प सं. 1/120012/1/87–रा. भा. (क–1) दिनांक 30-12-88

4.5.7 यांत्रिक सुविधायें/यांत्रिक उपकरण

राजभाषा नीति के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि सभी कार्यालयों में उचित संख्या में द्विभाषी/हिन्दी टाइपराइटर तथा अन्य यांत्रिक/इलैक्ट्रोनिक उपकरण उपलब्ध हों। उनके अभाव में राजभाषा नीति के अनुपालन का आधार ही नहीं बन पाता। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए चरणबद्ध ढंग से सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए अन्य मदों की भांति प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित करके लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। गत अध्याय में हमने वर्ष 1986 तक उपलब्ध यांत्रिक सुविधाओं की विस्तार से चर्चा की है। समीक्षाधीन अवधि में वर्ष 1990-91 के कार्यक्रम में राजभाषा विभाग द्वारा बढ़ते हुए राजभाषा कार्यान्बयन को देखते हुए टाइपराइटरों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों में वृद्धि की गई-इसके लिए निश्चय किया गया कि वर्तमान उपलब्ध टाइपराइटरों के बाद वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुसार देवनागरी टाइपराइटर खरीदे जायें।[1]

टाइपराइटरों संबंधी 1987 से 1993 तक खरीद संबंधी लक्ष्य निम्न प्रकार है :

वर्ष	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
1987	50%	25%	10%
1988	50%	25%	10%
1989	50%	25%	10%
1990	60%	30%	15%
1991	70%	35%	15%
1992	75%	45%	18%
1993	80%	55%	21%
1994	85%	60%	25%
1995	90%	65%	25%

इस प्रगति से स्पष्ट होता है कि इन उपकरणों की स्थिति में प्रभावी परिवर्तन नहीं किया इसीलिए खरीद को निश्चित करने के लिए आदेश दिये गये और यह निर्णय लिया गया कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के प्रत्येक कार्यालय में जहाँ अब तक एक भी टाइपराइटर देवनागरी का नहीं है एक देवनागरी टाइपराइटर अवश्य खरीदा जाय। राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 14012/19/90–रा. भा. (ग) दिनांक 26-1-1991 के द्वारा जारी संकल्प संख्या 12015/34/87 रा. भा. (तक) दिनांक 29-3-90 के अनुसार वर्ष 1994-95 के अंत तक 'क' क्षेत्र में देवनागरी टाइपराइटरों 90% 'ख' क्षेत्र में 66 2/3% तथा 'ग' क्षेत्र में 25% और हिन्दी टंककों, आशुलिपिकों का कुल टंककों/आशुलिपिकों की तुलना में 'क' 'ख' और

1. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993-94 का वार्षिक कार्यक्रम" राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार का प्रकाशन, 5 अध्याय, पृष्ठ 22

'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण या नियुक्ति के द्वारा 20% की वार्षिक वृद्धि की जानी चाहिए।[1]

जिन कार्यालयों में पहले से देवनागरी टाइपराइटर मौजूद हैं उनमें कम से कम 10% रोमन टाइपराइटरों को देवनागरी लिपि में बदलवा लें। यदि कोई रोमन टाइपराइटर नाकारा हो जाय तो उसकी जगह केवल देवनागरी का टाइपराइटर ही खरीदा जाय।[2]

इलैक्ट्रोनिक, इलैक्ट्रिक टाइपराइटरों तथा देवनागरी रोमन शब्द संसाधक देवनागरी में भी उपलब्ध है। सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए इन यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग किया जाय। राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/20/87 राभा(तक) दिनांक 15-6-87 के अनुसार यह निर्देश दिये गये हैं कि इलैक्ट्रिक, इलैक्ट्रोनिक उपकरण केवल द्विभाषी ही खरीदें जायें।

सभी प्रकार की कंप्यूटर प्रणालियाँ (जिनमें कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसर एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीन, डाटा एंट्री उपकरण आदि शामिल हैं (केवल द्विभाषी ही खरीदे जायें। इसके बारे में स्पष्ट किया गया कि ये उपकरण द्विभाषी तभी माने जायेंगे जबकि :[3]

क. इसमें अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी डेटा एंट्री की व्यवस्था हो

ख. कोई भी कर्मचारी इसे हिन्दी या अंग्रेजी जिस भाषा में चाहे प्रयोग कर सके। यंत्र में ऐसा प्रबंध हो जिससे स्क्रीन पर उस कर्मचारी की इच्छानुसार अंग्रेजी या हिन्दी में लिखा जा सके।

ग. कंप्यूटर आदि से तैयार होनेवाली सामग्री जैसे विवरणी, पत्र, लेख आदि कंप्यूटर पर काम करनेवाले कर्मचारी की इच्छानुसार हिन्दी या अंग्रेजी में प्रिंट हो सकें।

इसके लिए यह भी स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि उपकरणों का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि राजभाषा अधिनियम 1963 राजभाषा नियम 1976 और वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप जो काम हिन्दी में होना चाहिए वह अनिवार्य रूप से केवल हिन्दी में और जो काम द्विभाषी होना चाहिए वह अनिवार्य तौर पर केवल द्विभाषी किया जाये। कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/12/84–रा. भा. (क) दिनांक 31-8-87 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये निर्देश उन कंप्यूटरों पर भी लागू होते हैं जो विभिन्न संस्थाओं एवं निर्माताओं से लंबी अवधि के लिए किराये पर लिये जाते हैं। कंप्यूटर इत्यादि विदेश से आयात करते समय भी ऐसा प्रबंध किया जाय कि उन पर हिन्दी में भी काम किया जा सके।[4]

1. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993-94 का वार्षिक कार्यक्रम" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 5, पृष्ठ 22 बिन्दु 5.3
2. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम 1993-94" पृष्ठ 22 पर संदर्भित कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14013/12/89–रा भा. (का–1) दिनांक 27-11-87
3. "भारत सरकार, राजभाषा, वार्षिक कार्यक्रम" 1993-94, पृष्ठ 13
4. वही।

वर्ष 1993-94 में यह व्यवस्था की गई कि मंत्रालयों/विभागों में मुख्यालयों में कुल टाइपराइटरों में से 70 प्रतिशत देवनागरी के तथा मुख्यालयों के अतिरिक्त शेष कार्यालयों में 80% देवनागरी के हों, जब तक किसी कार्यालय में टाइपराइटरों का अनुपात उपरोक्त अनुसार निर्धारित अनुपात में नहीं हो जाता तब तक केवल देवनागरी के टाइपराइटर ही खरीदे जायें।[1] यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिस कार्यालय में जितने टाइपराइटर हों कम-से-कम उतने टाइपिस्टों को हिन्दी का टंकण प्रशिक्षण दिया जाय।

यांत्रिक/इलैक्ट्रोनिक उपकरणों से संबंधित सुविधायें उपलब्ध कराने में सहयोग करने के लिए राजभाषा विभाग में एक तकनीकी कक्ष स्थापित है :

4.5.7(क) तकनीकी कक्ष के कार्य

तकनीकी कक्ष को प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य सौंपे गये :

1. राजभाषा की तकनीकी आवश्यकताओं का विश्लेषण।
2. तकनीकी विकास की योजनाओं का समन्वय।
3. आधुनिक तकनीक के प्रयोग के संबंध में कार्यालयों को परामर्श।
4. देवनागरी टाइपराइटरों के की। बोर्ड में सुधार।
5. विभिन्न प्रकार के देवनागरी टाइपराइटरों के उत्पादन तथा उपलब्धता के बारे में सूचना एकत्र करना और ऐसी सूचना का मूल्यांकन।
6. कंप्यूटरों में देवनागरी के प्रयोग का प्रबंध करना।
7. देवनागरी टेलिप्रिंटरों के उत्पादन तथा विकास की समीक्षा।
8. मुद्रण मशीनरी में हिन्दी के प्रयोग संबंधित कार्य।
9. वायरलैस में देवनागरी का प्रयोग, कोड बनाना, प्रशिक्षण आदि सुनिश्चित करना।
10. कंप्यूटरों आदि में हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की समीक्षा

4.5.7(ख) राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/12/84

राभा(क) (तक) दिनांक 31-8-87 में दिये गये निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि समस्त यांत्रिक उपकरणों का द्विभाषी प्रयोग किया जाय यदि किसी कारणवश, किसी कार्यालय उपक्रम, बैंक आदि में उपर्युक्त निर्देशों में किसी ढील की आवश्यकता हो तो उसके लिए राजभाषा विभाग से अनुमति ली जाय न कि 30-5-85 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इलेक्ट्रोनिक विभाग से। राजभाषा विभाग को

1. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993-94 का वार्षिक कार्यक्रम" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय भारत सरकार का प्रकाशन अध्याय 5, बिन्दु 5.3, पृष्ठ 22 और राजभाषा कब विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14013:9/89–रा. भा. (क)। दिनांक 9-2-90

प्रस्ताव भेजने से पहले संबंधित विभाग इलेक्ट्रोनिक विभाग से परामर्श कर लेगा और ये प्रस्ताव तभी किये जायें यदि इलेक्ट्रोनिक विभाग यह प्रमाणित कर दें कि जो उपकरण खरीदा जा सकता है उसे द्विभाषी बनाना संभव नहीं है और उसकी जगह किसी ऐसे उपकरण के प्रयोग से काम नहीं चलाया जा सकता जो द्विभाषी उपलब्ध है।[1]

कंप्यूटर इत्यादि विदेश से आयात करते समय भी ऐसा प्रबंध किया जाये कि उन पर हिन्दी भाषा में भी काम किया जा सके।

4.5.7(ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम करनेवाले वैयक्तिक कंप्यूटरों पर केवल द्विभाषी(हिन्दी-अंग्रेजी) रूप में कार्य करना

कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/12/84—रा. भा. (ख—1) दिनांक 30-5-85 के आदेशों के बावजूद बहुत से सरकारी कार्यालयों में ऐसे वैयक्तिक कंप्यूटर खरीदे गये हैं जो केवल रोमन में काम करते हैं यह स्पष्ट किया गया कि जिन कार्यालयों में वैयक्तिक कंप्यूटर खरीदे गये हैं जो आई० बी० एम० के अनुरूप एम० एस० डोस या पी० सी० डोस आपरेटिंग सिस्टम पर आधारित हैं तथा जो इस समय केवल रोमन में काम करते हैं 14 जनवरी 1988 से 6 महीने के अंदर-अंदर उनके कुंजीपटलों को द्विभाषी रूप से परिवर्तित कर लिया जाय और उनमें द्विभाषी शब्द संसाधन की सुविधा उपलब्ध कराई जाय। द्विभाषी शब्द संसाधकों के कुछ पैकेज बाजार में उपलब्ध हैं। इनके बारे में जानकारी इलेक्ट्रोनिक विभाग या राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष से प्राप्त की जा सकती है।[2]

4.5.7(घ) केंद्रीय कार्यालयों के केवल द्विभाषी इलेक्ट्रोनिक टेलिप्रिंटर/टेलेक्स लगाना

दूर-संचार विभाग के अंतर्गत सरकारी उपक्रम में, हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर द्वारा अब द्विभाषिक इलेक्टोनिक टेलिप्रिंटर बनाने शुरू कर दिये गये हैं। इन्हें सीधा खरीदा जा सकता है तथा दूर-संचार विभाग से इन्हें लीज पर भी लिया जा सकता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/9/88 रा. भा. (तक) दिनांक 20-3-1988 के अनुरूप सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि से अनुरोध किया गया है कि वे भविष्य में केवल द्विभाषी टेलिप्रिंटर/टेलेकस ही खरीदें व लीज पर लें। जिन कार्यालयों में इस समय केवल रोमन टेलिप्रिंटर/टेलेक्स लीज पर लिया हुआ है वे दूर संचार विभाग को इनके

---

1. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993-94 का वार्षिक कार्यक्रम 1993-94" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन अध्याय 4 पृष्ठ 12
2. "राजभाषा विभाग, कार्यालय सं. 12015/12/84—रा. भा. (तक)" दिनांक 14-1-88

बदले द्विभाकि इलैक्ट्रानिक टेलिप्रिंटर/टेलेक्स लगाने के लिए तुरंत अनुरोध करें।

पहले लिये गये रोमन टेलिप्रिंटर या देवनागरी इलैट्रो-मकैनिकल टैलिप्रिंटर के बदले द्विभाषिक इलेक्ट्रोनिकल टेलिप्रिंटर उपलब्ध कराने के मामले पर मैं. हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर द्वारा विचार किया जा रहा है। इसलिए द्विभाषी इलेक्ट्रोनिक टेलिप्रिंटर से बदलने के बारे में विचार-विमर्श चल रहा है। इस संबंध में अंतिम निर्णय होने पर सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचित कर दिया जायेगा।

4.5.7(ङ) यांत्रिक/इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की वर्तमान स्थिति

1. देवनागरी टाइपराइटर-गत अध्याय 4.4 में साधारण टाइपराइटरों, पोर्टेबल पिन प्वाइंट, बुलेटिन टाइपराइटरों के बारे में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। देवनागरी टाइपराइटरों का निर्माण गोदरेज, रेमिंगटन तथा रायला आदि कंपनियाँ कर रही हैं।

2. देवनागरी इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर-संचार मंत्रालय अपने सरकारी उपक्रम में हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर लि. मद्रास से देवनागरी इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर बनवाने लगा है, माँग भेजने पर वह टाइपराइटर उपलब्ध हो सकता है। इस यंत्र की विशेषतायें हैं–

1. जब यंत्र की मोटर बंद होगी, कुंजीपटल कार्य नहीं करेगा

2. यदि दो करैक्टर एक साथ दब जाते हैं तो कुंजीपटल काम करना बंद कर देता है।

3. एक मिनट में 920 स्ट्राक लगा सकते हैं।

4. जब मोटर काम कर रही होती है तो टाइपराइटर की टॉप प्लेट स्वयं बंद होती है।

3. द्विभाषी इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर, पता लेखी मशीन, द्विभाषिक साफ्टवेयर पैकेज द्विभाषी इलेक्ट्रोनिक टेलिप्रिंटर के बारे में गत अध्याय 4(4) में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की जा चुकी है। उस अध्याय में दी गई जानकारी के अतिरिक्त मैं साफ्टवेयर प्रा. लि. नई दिल्ली ने एक बेसिक भाषा में कम्पाइलर का निर्माण किया है जिसके द्वारा लिखे गये प्रोग्राम में देवनागरी के आंकडों को प्रविष्ट कराया जा सकता है। देवनागरी रोमन दोनों में रिपोर्ट छापी जा सकती है। वह पैकेज किसी भी आई० बी० एम० वैयक्तिक कंप्यूटर पर चल सकता है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में लगी अधिकांश मशीने आई० बी० एम० प्रणाली के अनुरूप है इसलिए बहुत से कार्यालय इस पैकेज से फायदा उठा सकते हैं।[1]

4. डेटा बेस-पी० सी० कंप्यूटरों पर आजकल डेटा बेसों का उपयोग बहुत बढ़

1. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1990–91 का वार्षिक कार्यक्रम" अध्याय 4 पृष्ठ 13 बिन्दु 5

गया है। डेटा बेस एक विशेष प्रकार की प्रोग्राम व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के आंकड़े सुव्यवस्थित ढंग से संग्रहित किये जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आँकड़ों को विभिन्न प्रकार से छापा जा सकता है। इस समय विश्व में सबसे लोकप्रिय डेटा बेस पैकेज डी० बेस-3 है। भारत में भी द्विभाषी रूप में काम करनेवाला एक डाटा बेस "देवबेस" बनाया गया है।

यह मैं साफ्टवेयर प्रा. लि. द्वारा बनाया गया है।[1]

5. ग्राफिक्स इंडियन स्क्रिप्ट टर्मिनलः

देवनागरी में कार्य हार्डवेयर में परिवर्तन करके भी किया जा सकता है। भारत में ही विकसित ग्राफ़िक्स इंडियन स्क्रिप्ट टर्मिनल की तकनीक ने इस विकल्प को चुना है यह एक ऐसा टर्मिनल है जिसे किसी भी कंप्यूटर, प्रणाली से जोड़ा जा सकता है और उस कंप्यूटर प्रणाली से मौजूदा प्रोग्रामों में देवनागरी में इनपुट-आऊटपुट किया जा सकता है। जैसे यदि किसी भिन्न कंप्यूटर में यदि राशन कार्ड नियंत्रण पाने के लिए पैकेज रोमन में बचा है तो इस तकनीक के द्वारा उस पैकेज का प्रयोग देवनागरी में भी किया जा सकता है। अर्थात् राशन कार्डधारकों के नाम देवनागरी में भी दिये जा सकते हैं। जहाँ तक पी० सी० का सवाल है, इसी जिस्ट तकनीक पर आधारित एक प्लग-इन कार्ड बनाया गया है जिसे पी० सी० के अंदर लगाकर उसमें मौजूद प्रोग्रामों को देवनागरी में चलाया जा सकता है। उदाहरणतया ग्राफ़िक्स इंडियन स्क्रिप्ट कार्ड को किसी भी पी० सी० पर लगाकर डी बेस-3 पैकेज से देवनागरी में चलाया जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा देवनागरी के अतिरिक्त कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी स्क्रिप्ट टर्मिनल व कार्ड के निर्माताओं के पते नीचे दिये गये हैं। इस तकनीक के प्रयोग के समय केवल एक ही सावधानी बरतनी पड़ती है कि यदि इस तकनीक पर आधारित कार्ड किसी पी० सी० में लगाया जाए तो उसमें हरक्युलिस कार्ड होना चाहिए तथा उसका दृश्य-पटल हाईरिजोल्यूशन हरक्युलिस किस्म का होना चाहिए।

ग्राफिक्स स्क्रिप्ट टर्मिनल विनिर्माताओं के नाम, पते आदि[2]:

क्रम सं.	विनिर्माताओं का नाम व पता	उपकरण
1.	मैं. एप्लाइड इलैक्ट्रानिक्स–नई दिल्ली	टर्मिनल और कार्ड
2.	क्वार्क कंप्यूटर्स लि. कानपुर	टर्मिनल और कार्ड

---

1. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयान के लिए वर्ष 1990-91 का वार्षिक कार्यक्रम", अध्याय 4, पृष्ठ 13, बिन्दु 7
2. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993–94 का वार्षिक कार्यक्रम, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, का प्रकाशन अध्याय 4 पृष्ठ 14 बिन्दु 8

3. ब्युस्टार लिमिटेड, नई दिल्ली — टर्मिनल

4. नेशनल इन्फर्मेशन टेक्नॉलोजीज लिमिटेड, भोपाल — टर्मिनल और कार्ड

6. डेस्क-टॉप प्रकाशन प्रणाली

कंप्यूटर का योगदान प्रकाशन एवं टाइप सेटिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय हो गया है। छोटे पी सी द्वारा दस्तावेजों की टाइप सेटिंग की जा सकती है और चित्रों आदि के साथ विस्तृत लेआउट बनाया जा सकता है। इसके बाद इन दस्तावेजों को अति सूक्ष्म लेजर प्रिंटर पर छाया जा सकता है। ऐसे कंप्यूटर युक्त लेजर प्रिंटिंग प्रणाली को लघु प्रकाशन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। पृष्ठ के लेआउट के डिजाइन में मुख्यतः दो तरह के सॉफ्टवेयर पैकेजों का प्रयोग होता है :

1. वेंचूरा और
2. पेज मेकर

आज भारत में अनेक कंपनियाँ लघु प्रकाशन प्रणालियाँ बना रही हैं और लगभग सभी प्रणालियों के साथ देवनागरी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में छपाई संभव है। कुछ कंपनियों ने ऐसे इलैक्ट्रानिक कार्ड का विकास किया है जिससे वेंचूरा एवं पेज मेकर के पैकेज भी देवनागरी में चलाये जा सकें। लघु प्रकाशन प्रणालियों में बहुत अधिक टॉप स्टाइल उपलब्ध हैं और इन प्रणालियों में अनेकों सुविधायें उपलब्ध हैं जिनसे प्रकाशन को आकर्षक बनाया जा सकता है। ये प्रकाशन प्रणालियाँ इतने अधिक किस्म की हैं और उनमें इतनी भिन्नता है कि उनकी सूची देना उपयोगी नहीं रहेगा। यदि कोई उपभोक्ता प्रकाशन प्रणाली लगाना चाहता है वह कंप्यूटर निर्माताओं से सीधे संपर्क कर सकता है।

6. विभिन्न देवनागरी व द्विभाषिक इलैक्ट्रानिक उपकरणों की जानकारी विभिन्न प्रकार के देवनागरी तथा द्विभाषी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में समय-समय पर तकनीकी कक्ष हिन्दी में 'यांत्रिक सुविधायें' नाम पैम्फलैट तथा "राजभाषा चक्षु" नामक बुलेटिन निकालता है, जिससे उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मिल जाती है।

4.5.7(च) तकनीकी कक्ष की गतिविधियाँ

अब तक इस कक्ष के कामों का लेखा-जोखा इस प्रकार रहा[1]:

1. देवनागरी में यांत्रिक सुविधाओं का प्रचार-प्रसार-सरकारी कार्यालयों में प्रयोग लाये जा रहे उपकरणों में हिन्दी की सुविधाओं के बारे में सभी कार्यालयों को जानकारी देना राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

---

1. "राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट 1992" राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, पृष्ठ 22, 1991, पृष्ठ 25, 1990, पृष्ठ 26

इस उद्देश्य से तकनीकी कक्ष द्वारा 'देवनागरी में यांत्रिक सुविधायें' नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई। बुलेटिन भी प्रकाशित और वितरित किया गया। इसका पहला अंक जुलाई 1989 में छापा। देवनागरी में कार्य की प्रणाली के 50 व्यवहारिक प्रदर्शन विभाग के तकनीकी कक्ष में किये गये।

2. कंप्यूटरों के द्विभाषीकरण के लिए पहले से कंप्यूटर में भरे गये आँकड़ों को पुनः देवनागरी में भरने में भरने की समस्या आती है। इसके समाधान के लिए तकनीकी कक्ष द्वारा एक साफ्टवेयर पैकेज विकसित किया गया है। एक वर्ष में लगभग 30 कार्यालयों में इसका प्रदर्शन किया जाता है, अब तक कुल 80 कार्यालयों में इसका प्रदर्शन हो चुका है।

3. कंप्यूटरों के द्विभाषीकरण के लिए पहले से कंप्यूटर में भरे गये आँकड़ों को पुनः देवनागरी में भरने में आनेवाली कठिनाई के समाधान के लिए साफ्टवेयर पैकेज तकनीकी कक्ष ने विकसित किया था। वर्ष 1991-92 में 50 कार्यालयों में तथा 1992-93 में 30 कार्यालयों में इसका प्रदर्शन करके आपूर्ति की गई।[1]

4. संसदीय राजभाषा समिति के दूसरे प्रतिवेदन में सरकारी कार्यालयों में देवनागरी में यांत्रिक सुविधाओं के प्रयोग व इन पर प्रशिक्षण के बारे में सिफारिशें की गई थीं। इन सिफारिशों पर विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि से विचार विमर्श करने के उपरांत निर्णय लिये गये थे। इन निर्णयों के संबंध में 29-9-90 को जारी किये गये संकल्प परर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों एवं राजभाषा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अक्तूबर 1991 में संसदीय राजभाषा समिति को अवगत कराया गया।[2]

5. सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटरों द्वारा कार्य कर रहे कर्मचारियों को हिन्दी में काम कर सकने में समर्थ बनाने की विभिन्न तकनीकों की जानकारी देने के लिए बैंगलूर में दिनांक 7 व 8 नवंबर 1989 को राजभाषा विभाग द्वारा 'कंप्यूटरों के द्विलिपीय संचालन' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के कंप्यूटर से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। निजी क्षेत्र, इलेक्ट्रोनिक विभाग, तथा तकनीकी संस्थाओं के विशेषज्ञों ने इस संगोष्ठी में पेपर पढ़े। इस अवसर पर इलेक्ट्रोनिक उपकरणों को एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न द्विभाषी शब्द संसाधक साफ्टवेयर पैकेजों, ग्राफिक्स इंडियन स्क्रिप्ट टर्मिनल (जिस्ट) कार्ड, द्विभाषी कंप्यूटर टर्मिनल, टेलेक्स तथा

---

1. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993-94 की वार्षिक रिपोर्ट", राजभाषा विभाग गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 7, पृष्ठ 22
2. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट" भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृहमन्त्रालय का प्रकाशन, अध्याय 7, पृष्ठ 22

द्विभाषी डेस्क टॉप पब्लिशिंग सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। इस संगोष्ठी के फलस्वरूप द्विभाषी उपकरणों की उपलब्धता के बारे में उपभेक्ताओं में जानकारी बढ़ी है। 1990-91 में लखनऊ तथा बंबई में एक दिवसीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इनमें लगभग 200 कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देहरादून व कोचीन में एक दिवसीय संगोष्ठियाँ क्रमशः 8-9-92 और 2-12-92 को आयोजित की गई। उनमें लगभग 150 कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने कंप्यूटरों द्वारा द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) रूप में कार्य करने के लिए विभिन्न तकनीकों के बारे में जानकारी दी।[1]

6. द्विभाषी कंप्यूटरों के व्यावहारिक प्रदर्शन हेतु तीन प्रदर्शनियाँ लगाई गईं। दो प्रदर्शनियाँ 'कंप्यूटरों पर देवनागरी में कार्य' विषय पर आयोजित संगोष्ठियों के अवसर पर 21 व 22 सितंबर 1992 को आयुध निर्माणी व गुण्वत्ता आश्वासन महा-निदेशालय संगठन के कार्यालय कानपुर में वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी के आयोजन के अवसर पर आयोजित की गई। 14 सितंबर 1990 को हिन्दी दिवस के अवसर पर महानगर टेलिफोन निगम में द्विभाषी उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई।

7. कंप्यूटरों पर द्विभाषी रूप में कार्य करने के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए तकनीकी कक्ष के प्रयासों के फलस्वरूप अब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने लगे हैं। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली में वर्ष 1992-93 में 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 3-7 अगस्त 1992, 2-6 नवंबर 1992 तथा 15-19 फरवरी 1993, प्रायोजित करवाये गये।

8. हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत देश-भर में प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की मई तथा नवंबर 1992 सत्र की परीक्षाओं का डाटा हिन्दी कंप्यूटर पर प्रविष्टि कर परीक्षाफल तथा प्रमाण पत्र प्रोग्राम द्वारा तकनीकी कक्ष में तैयार किये गये। इसी प्रकार हिन्दी टंकण व आशुलिपि की जुलाई 1992 व जनवरी 1993 सत्र की परीक्षाओं का परीक्षाफल तथा प्रमाण पत्र कंप्यूटर पर तैयार किये गये।

9. जिस्ट तकनीक के द्वारा कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने के लिए स्वराधारित कुंजीपटल का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु एक 'जिस्ट की-बोर्ड ट्यूटर' सी डेक, पुणे द्वारा तैयार करवाया गया है। इस ट्यूटर का कंप्यूटर पर प्रयोग करके कोई भी कर्मचारी स्वराधारित कुंजीपटल से हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण स्वयं प्राप्त कर सकता

1. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए 1990-91 की वार्षिक रिपोर्ट", राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन 1990 का पृष्ठ 26 तथा 1991 का पृष्ठ 25 तथा 1992 का पृष्ठ 22

है। वर्ष 1992-93 तक इस साफ्टवेयर की 55 प्रतियाँ विभिन्न कार्यालयों को वितरित की गईं।

10. राजभाषा विभाग में कंप्यूटरीकरण तथा आफिस आटोमेशन की दिशा में अधिकाधिक सहयोग हेतु राष्ट्रीय सूचना विकास तथा विभाग के बीच एक समन्वय समिति (एन एम सी सी) का गठन दिनांक 11-8-1992 को संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में किया गया। समिति की पहली बैठक दिनांक 18-11-1992 को आयोजित की गई जिसमें निर्णय लिया गया कि विभाग के विभिन्न कार्यों के कंप्यूटरीकरण हेतु प्रोग्राम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार करवाया जाय। इस निर्णय के अनुसार कार्रवाई चल रही है।

सरकारी कामकाज में मशीनों का प्रयोग बढ़ रहा है। जहाँ उन मशीनों से सरकारी कार्यों को निपटाना अधिक सुविधाजनक हो गया है वहीं कार्य के निष्पादन में भी गति आई है। आरंभ में कार्यालयों में लगाई गई सभी मशीनों पर केवल अंग्रेजी में काम करने की सुविधा ही उपलब्ध थी। सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप जैसी हमने ऊपर चर्चा की है इन सभी उपकरणों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सभी सुविधायें हिन्दी या द्विभाषिक रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है। अध्ययनाधीन अवधि में राजभाषा विभाग और इलेक्ट्रोनिकी विभाग के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप सरकारी कार्यालयों में लगनेवाली विभिन्न मशीनों में अब हिन्दी या द्विभाषिक रूप में काम करने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। मशीनों में उपलब्ध, हिन्दी या द्विभाषिक सुविधाओं को देखते हुए यह नीति बनाई गई है कि सभी सरकारी कार्यालयों में लगाई जानेवाली मशीनों पर, जिनमें अंग्रेजी में काम करने की सुविधा है, हिन्दी/द्विभाषिक रूप में काम करने की सुविधा उपलब्ध हो।

11. डाटा मैट्रिक्स-कंप्यूटर पर उच्च गति से मुद्रण के लिए 9 पिन प्रिंटरों के स्थान पर 24 पिन प्रिंटरों का प्रयोग किया जा सकता है। निश्चित समय सीमा के अंदर बहुत अधिक मुद्रण कार्य के लिए एक से अधिक ऐसे प्रिंटरों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा लाइनो मैट्रिक प्रिंटर का प्रयोग लगभग 200 लाइन प्रति मिनट की गति से मुद्रण के लिए किया जा सकता है।

नवीनतम उपलब्ध उपकरण

क. ओकी माइक्रो लाइन 321 तथा 321 +

मुद्रण गति 300 सी पी एस तथा 360 सी पी एस क्रमशः मुद्रण गारंटी 2000 लाख अक्षर।

विक्रेता एजेंट : सुजाता टेक्नीकल सर्विसेज़ प्रा. लि. डी-48 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज–1, नई दिल्ली–110001

ख. केलिग्रा :

उच्च रिजोलूशन के आउटपुट के लिए 24 पिन प्रिंटर जिसमें तीन अलग–अलग तरह के मुद्रण के विकल्प दिये गये हैं तथा जिसके मुद्रण की गति 240 सी पी एस से 300 सी पी एस तक है।

विक्रेता एजेंट : मै. टेलिवाइप्स सिस्टम, जी 10 निहाल भवन

95, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110001

गोदरेज 900 एक्स प्रिंटर में कई तरह के मानक फ्रोंटस दिये गये हैं तथा एक एम्यूलेशन कार्ड का विकल्प भी है जो कि इस प्रिंटर को कई तरह के सिस्टम के लिए संगत बनाता है। जैसे–आई बी एम एप्सन इत्यादि।

निर्यातक : गोदरेज एवं ब्रास, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि.

मार्केटिंग डिपार्टमेंट (कंप्यूटर) कृत

प्लाट 16, फिरोजशा नगर

विखरोली, बंबई

ग. शिवा डी एल 3400 :

24 पिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के विक्रेता ऐजेंट मै. स्टर्लिंग कंप्यूटर लिमिटेड, बंबई।

घ. एम टी 660/661–उच्च गति से हिन्दी में मुद्रण के लिए लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर प्राप्त करने के लिए संपर्क सूत्र :

मै. लिपि डाटा सिस्टम, पिपन सेंटर, प्लाट सं. 2, लोकल शापिंग कॉम्प्लेक्स, मस्जिद मोठ, नई दिल्ली।

इनके बारे में संक्षेप में जानकारी इस प्रकार है :

द्विभाषिक इलैक्ट्रानिक उपकरणों संबंधी आदेश[1]

राजभाषा नीति के अंतर्गत अध्ययनाधीन अवधि में समय-समय पर जो आदेश जारी किये गये उनका विवरण विस्तार से ऊपर दिया जा चुका है। इस संबंध में सरकार के प्रयास एवं उठाये गये कदमों की जानकारी उनके आदेशों से जानी जा सकती है।

1. ऐसे कंप्यूटर शब्द इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर खरीदे जायें जिनके कुंजीपटलों पर सभी अक्षर/आदेश द्विभाषी रूप में उत्कीर्ण किये गये हों। 'क' और 'ख' क्षेत्र में जहाँ द्विभाषी उपकरण लगाये गये हैं। राजभाषा संबंधी नियमों के अनुसार इनका मुख्यतः हिन्दी में ही काम करने के लिए उपयोग किया जाय।[2]

---

1. "राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/18–90–राभा(तक) दिनांक 25-5-1990
2. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993-94 का वार्षिक कार्यक्रम" राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 4 बिन्दु 4.2 पृष्ठ 13

राजभाषा विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/18/90–राभा (तक) दिनांक 25-5-1990

राजभाषा विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/42/90–राभा (तक) दिनांक 12-8-91

2. द्विभाषिक इलेक्ट्रोनिक टेलिप्रिंटर/टेलेक्स उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग करवाने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया कि प्रयोग में लाये जानेवाले पूर्व मुद्रित लेखन सामग्री के शीर्ष में द्विभाषिक इलेक्ट्रोनिक टेलेक्स उपकरण उपलब्ध होने की स्थिति में उसकी द्विभाषिक टेलेक्स संख्या दी जानी चाहिए।

राजभाषा विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/9/1990 : राभा (तक) दिनांक 28-3-1988

राजभाषा विभाग का कार्यालय ज्ञापन स. 12015:31:1992 : राभा (तक) दिनांक 15-5-1992

3. केवल द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटरों की व्यवस्था तथा उनका प्रयोग-खरीदे जानेवाले इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटरों में रोमन के साथ-साथ देवनागरी लिपि में भी प्रयोग की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। भविष्य में इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर केवल द्विभाषी (अंग्रेजी-हिन्दी) ही खरीदे जायें। इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये।[1]

इस प्रकार भारत सरकार की यांत्रिक उपकरणों की खरीद के संबंध में नीति स्पष्ट है किन्तु अभी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साफ्टवेयर उपलब्ध हो रहे हैं। नीति तो स्पष्ट है किन्तु कार्यान्वयन स्तर पर विभिन्न रूपों में कठिनाइयाँ सामने आती हैं जिनका जिक्र हम अगले अध्याय में करेंगे।

4.5.8 समितियों के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन

गत अध्याय में हमने वर्ष 1986 तक विभिन्न समितियों की प्रकृति व उनके कार्यकलापों पर चर्चा की थी। अध्ययनाधीन अवधि में इन समितियों के कार्यकलापों का विवरण प्रस्तुत है।

1. केंद्रीय हिन्दी समिति

राजभाषा विभाग के दिनांक 20 जनवरी 1989 के संकल्प सं. 1/120017/3/87–रा. भा. (क–1) के अनुसार इस समिति का पुनर्गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हिन्दी के विकास और प्रचार तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किये

---

1. "राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/20/87–रा.भा.(तक) दिनांक 15-6-87, एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/18/90–रा.भा.(तक) दिनांक 25-5-90 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/16/92–रा.भा.(तक) दिनांक 22-6-92.

जा रहे कार्य में समन्वय करने के लिए किया गया है। मार्च 1993 तक समिति की 22 बैठकें हो चुकी हैं। प्रक्रिया संबंधी जानकारी अध्याय 4.3.7(छ) में दी जा चुकी है।

2. हिन्दी सलाहकार समितियाँ[1]

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में संबंधित मंत्रियों की अध्यक्षता में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन स्तर की समीक्षा करके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाती है। संसदीय राजभाषा समिति के सुझाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय हिन्दी समिति की दिनांक 2 दिसंबर 1987 की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन मंत्रालयों/विभागों के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों की संख्या काफी है उनमें अलग-अलग सलाहकार समितियाँ बनाई गईं। इसके अनुसार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में वर्ष 1989 में 34 समितियाँ गठित कीं जिनकी 50 बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 1990 में इस प्रकार की 30 समितियाँ कार्यरत थीं। 11 सलाहकार समितियों के पुनर्गठन/गठन की प्रक्रिया पूरी की गई तथा कुल 18 बैठकें आयोजित की गईं।

अब तक कुल 45 हिन्दी सलाहकार समितियाँ गठित की गई हैं, जिनमें से 42 समितियाँ प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं और 16 समितियों के गठन/पुनगर्ठन की प्रकिया चल रही है। 1-4-95 से 31-3-96 तक 48 बैठकें आयोजित की गई।

हिन्दी सलाहकार समितियों की नई सूची

क. कृषि मंत्रालय

1. कृषि और सहकारिता विभाग तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
2. ग्रामीण विकास विभाग
3. उर्वरक विभाग (फर्टिलाइज़र विभाग)

ख. वाणिज्य मंत्रालय

4. वाणिज्य विभाग तथा पूर्ति-विभाग

ग. संचार मंत्रालय

5. डाक-विभाग
6. दूरसंचार विभाग

घ. रक्षामंत्रालय

7. रक्षाविभाग
8. रक्षा उत्पादन और पूर्ति-विभाग तथा रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग

---

1. "हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का अनुपूरक संकलन 1988" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, पृष्ठ 23-24 व कार्यालय ज्ञापन 11/20015/45/87–रा.भा. (क–2) दिनांक 15 3 1988

ङ. ऊर्जा मंत्रालय

9. कोयला विभाग

10. विद्युत विभाग

11. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग

टिप्पणी : संदर्भ पृष्ठ 310 की पाद टिप्पणी में दिया है।

च. पर्यावरण और वन मंत्रालय

12. पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवविभाग

छ. विदेश मंत्रालय

13. विदेश मंत्रालय

ज. वित्त मंत्रालय

14. आर्थिक कार्य विभाग

15. राजस्व और व्यय विभाग

झ. खाद्य और नागरिक पूर्तिमंत्रालय

16. खाद्य और नागरिक पूर्तिमंत्रालय

य. स्वास्थ्य विभाग तथा परिवारकल्याण

17. स्वास्थ्य विभाग तथा परिवारकल्याण विभाग

ट. गृहमंत्रालय

18. आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृहविभाग, न्यायविभाग एवं राजभाषा विभाग

ठ. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

19. शिक्षा विभाग

20. युवा कार्यक्रम और खेल विभाग तथा महिला कल्याण विभाग

21. कला विभाग तथा संस्कृति विभाग

टिप्पणी : संदर्भ पृष्ठ 310 की पाद टिप्पणी में दिया है।

22. औद्योगिक विकास विभाग तथा सरकारी उद्यम विभाग

23. कंपनी कार्य विभाग तथा रसायन और पैट्रो–रसायन विभाग

ड. सूचना और प्रसारण मंत्रालय

ढ़. श्रममंत्रालय

ण. विधि और न्यायमंत्रालय

24. विधि-कार्य विभाग तथा विधायी विभाग

त. संसदीय कार्य मंत्रालय

थ. कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

25. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग

द. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

26. योजना मंत्रालय-योजना विभाग तथा सख्यिकीय विभाग

ध. कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

27. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मंत्रालय-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग, बायो टेक्नोलोजी विभाग एवं महासागर विकास विभाग।

28. इस्पात विभाग

29. खान विभाग

टिप्पणीः संदर्भ पृष्ठ 310 की याद टिप्पणी में दिया है।

न. रेल मंत्रालय

प. नागर विभनन मंत्रालय

फ. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

ब. शहरी विकास मंत्रालय

भ. जल संसाधन मंत्रालय

म. कल्याण मंत्रालय

30. इलेक्ट्रोनिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग

य. पर्यटन मंत्रालय

र. वस्त्र मंत्रालय

4.5.8(क) सलाहकार समितियों के गठन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत[1]

इस संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किये गये जिनमें स्पष्ट किया गया कि–

1. **सदस्य संख्या**–सामान्यतः किसी भी समिति में 30 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए इससे विचार-विमर्श में सुविधा रहेगी साथ ही यात्रा व दैनिक भत्ते पर अधिक खर्च नहीं होगा।

2. **वर्गवार विभाजन**

क. राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार सभी समितियों के पदेन सदस्य रहेंगे। राजभाषा विभाग का एक अन्य प्रतिनिधि भी सभी समितियों में अवश्य रखा जाना चाहिए। मंत्रालय के मंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे। राज्य मंत्री, उपमंत्री, सचिव और सचिव तथा संबंधित संयुक्त सचिव समिति के

---

1. "हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का अनुपूरक संकलन-1988" राजभाषा विभाग, भारत सरकार, गृहमंत्रालय का प्रकाशन, पृष्ठ 24-25

पदेन सदस्य होंगे। मंत्री यदि चाहे तो राज्यमंत्री/उपमंत्री को समिति का उपाध्यक्ष नामित कर दें, जो उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

ख. गैर-सरकारी सदस्य–केवल ऐसे व्यक्तियों को सदस्य नामित किया जाय जो हिन्दी के प्रचार प्रसार में विशेष रुचि रखते हों तथा सबंधित मंत्रालय के कामकाज की जानकारी हो।

समिति के सदस्यों को चुनते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाय

I. संसद सदस्यों की संख्या सामान्यतया 2 लोकसभा से, 2 राज्यसभा से तथा 2 सदस्य संसदीय राजभाषा समिति से हों।

II. अन्य गैर सरकारी सदस्य

मंत्रालयों के कार्य–क्षेत्र से संबंधित और हिन्दी में रुचि रखनेवाले व्यक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित अखिल भारतीय हिन्दी संस्थाओं से भी एक या दो प्रतिनिधि रखे जाने चाहिए :

1. अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ
2. नागरी प्रचारिणी सभा
3. राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा
4. हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रभाग
5. केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद

जहाँ तक संभव हो दिल्ली से बाहर के सदस्यों की संख्या कम रखी जानी चाहिए।

III. जब कभी राजभाषा विभाग को यह महसूस हो कि किसी खास वर्ग या क्षेत्र को किसी समिति में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है तो वह उस समिति में अधिक से अधिक 3 सदस्य नामित कर सकता है।

3. राजभाषा विभाग से परामर्श

सभी मंत्रालयों/विभागों को चाहिए कि गठन से पूर्व राजभाषा विभाग से विचार-विमर्श कर लें। यह विचार-विमर्श संबंधित मंत्री के अंतिम आदेश लेने से पूर्व लिया जाय।

4. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों का काम राजभाषा संबंधी संविज्ञान अधिनियम, नियम के उपबंधों, केंद्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों तथा गृहमंत्रालय/राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में संबंधित विभाग/मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना है। यदि कोई समिति नियमों/अधिनियमों के बारे में परिवर्तन सुझाती है तो मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वे ऐसे सुझाव को राजभाषा विभाग को भेज दें।

5. समिति का कार्यकाल

इसका कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष होता है। यदि कोई व्यक्ति बीच में नामित

किया जाता है तो उसका कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेगा। समिति का कार्यकाल विशेष परिस्थितियों में कम या ज्यादा किया जा सकता है।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20015/23/88–रा.भा. (क–2) दिनांक 29-6-1988 के अनुसार निर्देश दिये गये हैं कि यदि सभा के किसी नामित सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है या किसी सदस्य की मृत्यु/त्यागपत्र के कारण पद रिक्त हो जाता है तो रिक्त भरने के लिए संसद सदस्य का नामांकन करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को पत्र लिखे किन्तु इसका सही अनुपालन न करने की सूचना मिली है। क्योंकि ये समितियाँ उच्चस्तरीय समितियाँ हैं जो महत्त्वपूर्ण सलाह देती हैं। इसलिए इन समितियों में से संसद सदस्य का अभाव अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। त्यागपत्र/मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए तथा 15 दिन तक उस मंत्रालय का उत्तर प्राप्त न हो तो संसदीय कार्य मंत्रालय स्वयं इस रिक्ति को भरने की कार्रवाई पूरी करें।[1]

समितियों की बैठकें पूरी तैयारी के साथ समय पर संपन्न करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा बैठकों का एक कैलेंडर तैयार करके परिचालित किया गया और तदनुसार बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक समिति से वर्ष में दो बार बैठकों का आयोजन करने का अनुरोध किया गया।[2] राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन 12024/6/89–रा.भा. (ख–2) दिनांक 20-12-89 और कार्यालय ज्ञापन सं. 12027/121/89–रा.भा.(ख–2) दिनांक 14-5-1990 के अनुसार आदेश जारी किये गये।

वर्ष 1992 के अंत तक वर्षवार आयोजित बैठकों का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	**बैठकें**
1987	132
1988	158
1989	170
1990	214
1991	202
1992	204
1993	168
1994	208
1995	218

1 व 2. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993-94 का वार्षिक कार्यक्रम" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 3, बिन्दु 3.4(4) पृष्ठ 9

4.5.8(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

केंद्रीय कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए नगरों में जहाँ इन कार्यालयों की संख्या अधिक है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। बैंकों व उपक्रमों के अतिरिक्त 101 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ अब तक गठित की जा चुकी हैं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए प्रमुख नगरों में अलग समितियों का गठन किया गया है।[1] गत अध्याय 4.4 के 4.4.4(ङ) में हमने 14 बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का विवरण दिया है। अब 20 नगरों में बैंकों की तथा 2 नगरों में उपक्रमों की नगर राजभाषा समितियाँ कार्यरत है।[2]

नगर राजभाषा समितियों के कार्यकलापों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के उपनिदेशकों को दिनांक 7-1-85 व 8-1-85 के पत्रांक 12027/3/83–रा.भा(ख–2) के अनुसार व्यय की अनुमति दी गई। राजभाषा विभाग के पत्रांक 12024/9/87–रा. भा.(ख–2) दिनांक 20 6 88 के अनुसार निम्नलिखित वार्षिक निधि का आबंटन किया गया।[3]

पूर्व क्षेत्र	कलकत्ता कार्यालय	25600
उत्तर पूर्व क्षेत्र	गुवाहाटी कार्यालय	16000
पश्चिम क्षेत्र	बंबई कार्यालय	49600
उत्तर क्षेत्र	गाजियाबाद कार्यालय	70400
दक्षिण क्षेत्र	बेंगलूर कार्यालय	38400

36 नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को प्रति बैठक 2000/- व वार्षिक 4000/-रु खर्च की स्वीकृति दी गई है।[4]

1. इलाहाबाद	13.बंबई (कार्यालय)	25. कलकत्ता (कार्यालय)
2. लखनऊ	14. बंबई (उपक्रम)	26 राँची
3. वाराणसी	15. अहमदाबाद	27. पोर्ट ब्लेयर
4. कानपुर	16. भोपाल	28. भुवनेश्वर
5. देहरादून	17. बड़ौदा	29. पटना

1. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1992-93 का वार्षिक कार्यक्रम" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय भारत सरकार का प्रकाशन अध्यारय 3 बिन्दु 3.4.(3) पृष्ठ 8
2. वही, पृष्ठ 10
3. "हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन, 1986-88" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय भारत सरकार का प्रकाशन, मद सं. 211, अध्याय 3, पृष्ठ 29 व 30
4. "हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन 1986-88" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन मद सं. 211 अध्याय 3 पृष्ठ 29 व 30

6. आगरा
7. गोरखपुर
8. चंडीगढ़
9. जम्मू
10. जयपुर
12. श्रीनगर
12. शिमला
18. पुणे
19. नागपुर
20. गोवा
21. जबलपुर
22. इंदौर
23. ग्वालियर
24. गुवाहाटी
30. त्रिवेंद्रम
31. कोचीन
32. हैदराबाद
33. मद्रास
34. बेंगलूर
35. मंगलूर
36. मैसूर

इसी प्रकार निम्नलिखित 53 नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को 2000/-रु प्रति वर्ष (1000/-रु प्रति बैठक) स्वीकृत किया गया।[1]

1. इज्जत नगर
2. अलीगढ़
3. मथुरा
4. मेरठ
5. गाजियाबाद
6. लुधियाना
7. अमृतसर
8. पटियाला
9. फरीदाबाद
10. हिसार
11. अंबाला
12. रोहतक
13. करनाल
14. अजमेर
15. कोटा
16. जोधपुर
17. उदयपुर
18. बीकानेर
19. झाँसी
20. जालंधर
21. औरंगाबाद
22. भावनगर
23. रायपुर
24. कंडला
25. सूरत
26. रतलाम
27. नासिक
28. राजकोट
29. अमरावती
30. दुर्गापुर
31. मुज्जफरपुर
32. पाराद्वीप पतन
33. बोकारो
34. धनबाद
35. बर्नपुर-आसनसोल
36. गंगटोक
37. अगरतला
38. ईटानगर
39. शिलांग
40. दीमापुर
41. आईजोल
42. इंपाला
43. सिलचर
44. विशाखापट्टनम
45. कोयंबटूर
46. विजयवाड़ा
47. सालेभ
48. कालिकट
49. बेलगाँव
50. कण्णुर
51. हुब्ली
52. त्रिशूर
53. पांडिच्चेरी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों को अधिक प्रभावी बनाने या उनके माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन की गति को तेज करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 12027/39/88–रा.भा. (ख–2) दिनांक

---

1. "हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन 1986-88" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन मद सं. 211 अध्याय 3 पृष्ठ 29 व 30

22-9-88 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन 12027/2/79/रा.भा. (ख–1) दिनांक 3-9-79 में दी गई मदों के अतिरिक्त निम्नलिखित मदें चर्चा के लिए अवश्य रखी जायें।[1]

1. कार्यसूची मदें तैयार की जायें।

2. इस बैठक से पूर्व बैठक में जो निर्णय लिये गये थे उस बैठक की कार्रवाई की पुष्टि

3. पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई की विवेचना

4. विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे गये आँकड़ों की समीक्षा-निर्धारित स्थिति

क. कर्मचारियों का हिन्दी ज्ञान एवं प्रशिक्षण से संबंधित स्थिति

ख. हिन्दी टाइपिंग एवं आशुलिपि के प्रशिक्षण की स्थिति

ग. हिन्दी टाइपराइटरों की स्थिति

घ. धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किये गये कागजातों की स्थिति

ङ. हिन्दी में प्राप्त पत्र व उनका उत्तर हिन्दी में देने की स्थिति

च. हिन्दी पत्राचार की स्थिति

छ. हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन की स्थिति

ज. हिन्दी पदों की स्थिति

झ. कार्यालय के प्रयोग में आनेवाली सामग्री-फार्म, मोहरों, नामपट्टों की स्थिति

5. वर्ष के दौरान हिन्दी दिवस/सप्ताह तथा अन्य हिन्दी प्रतियोगिताओं की स्थिति

6. वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये लक्ष्यों के अनुपात की स्थिति

7. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई मद

इस प्रकार से यह निश्चित कर दिया गया कि ये मदें प्रत्येक बैठक में रखी जायेंगी, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हों ताकि इस बैठक में व्यवस्था व एकरूपता बनी रहे। ऐसा करने से सबसे बड़ा लाभ यह रहा कि बैठकों में हुई चर्चा व उनमें लिये गये निर्णयों का मूल्यांकन करने में सुविधा रही।

बैठक में चर्चा के विषय निर्धारित कर दिये गये किन्तु यह अनिवार्य नहीं किया गया कि केवल इन्हीं मदों पर चर्चा की जाय बल्कि अन्य अनेक मामले जो समय-समय पर कार्यान्वयन में सामने आते हैं, चर्चा के लिए रखे जा सकते हैं। यह महसूस किया गया कि बैठकों में राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय तो लिये आते हैं, और स्थानीय कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान को इसका सदस्य बनाया गया है किन्तु यह देखा गया है कि विभिन्न जगहों में कार्यालयों के प्रधान

---

1. "हिन्दी के प्रयोग से संबंधित आदेशों का अनुपूरक संकलन 1986-88" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 3, मद सं. 212, पृष्ठ 32

जो इन बैठकों को निम्न प्राथमिकता देते हैं वे इन बैठक में भाग नहीं लेते और संबद्ध कनिष्ठ अधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए भेज देते हैं। परिणामत: यह समितियाँ प्रभावी तौर पर कार्य करने एवं उन उद्देश्यों की उपलब्धि के योग्य नहीं रह जाती जिनके लिए इनका गठन किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 12027/4/87–राभा (ख–2) दिनांक 26-4-87 के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया कि वे नगर स्थित संबंद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के प्रधान अधिकारियों को विशेष अनुदेश दें[1] कि वे समिति की छःमाही बैठक में स्वयं भाग लें, यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वे स्वयं भाग न ले सकें तो अगले वरिष्ठतम अधिकारी को बैठक में भाग लेने के लिए भेजें। दिनांक 22-9-87 के पत्र में पुनः इस बात पर बल दिया गया तथा यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय अध्यक्ष या उनके अधीन उच्चतम अधिकारी जब समिति की बैठक में भाग लेने जायें तो उनके साथ हिन्दी अधिकारी या राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित कोई भी अधिकारी बैठक में जा सकते हैं।[2] इसलिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों को भी यह निर्देश दिये गये कि वे इन बैठकों में विभिन्न कार्यालयों से आये हिन्दी अधिकारियों आदि को तभी बैठक में भाग लेने की अनुमति दें, जब वे अपने कार्यालय अध्यक्ष या किसी ऐसे अधिकारी के साथ आयें, जो उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्यभार औपचारिक रूप से ग्रहण करने की क्षमता रखते हों।[2]

इन समितियों की बैठकों के आयोजन व कार्यान्वयन को गति देने के लिए अधिक कारगर व प्रभावी बनाने के लिए कारगर कदम उठाये गये। इन उपायों को लागू करने में कई कठिनाइयाँ भी आईं, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है।

4.5.8 (ग) केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से समय-समय पर जारी किये गये निदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है और उनमें पाई गई कमियों और आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपाय सुझाती है। सचिव, राजभाषा विभाग इस समिति के अध्यक्ष और विभिन्न मंत्रालयों विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। समिति की बैठक 27 7 1989, 4-1-1991 तथा 8-1-1993 को हुई। अब तक समिति की कुल 25 बैठकें हो चुकी हैं[3] तथा 25वीं बैठक 28-7-95 को आयोजित की गई।

---

1. "हिन्दी के प्रयोग से संबंधित आदेशों का अनुपूरक संकलन–1986-88" अध्याय 3, मद 212, पृष्ठ 28-29
2. वही पृष्ठ 32
3. "राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट–1992-93" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, पृष्ठ 10

27-3-1989 की बैठक में हिन्दी कार्यशालाओं में हिन्दी में काम करने का अभ्यास कराने के लिए वक्ताओं के मानदेय की राशि बढ़ाने और सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना को अधिक आकर्षक बनाने के बारे में निर्णय लिये गये तथा हिन्दी में कामकाज के लक्ष्यों के निर्धारण के बारे में गंभीर विचार-विमर्श किया गया।[1]

4. 1. 1991 को आयोजित बैठक में हिन्दी पदों के सृजन में कठिनाइयाँ, कार्यान्वयन संबंधी प्रोत्साहन की योजना, हिन्दी अनुवादकों का दर्जा बढ़ाना, निज़ी व्यवसायिक केंद्रों द्वारा हिन्दी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण आदि विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

इसी प्रकार 8-1-1993 की बैठक में हिन्दी शिक्षण योजना, प्रोत्साहन योजना व कार्यक्रम निर्धारण पर गंभीरता से चर्चा हुई।

4.5.6(घ) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

पहले विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ केवल बड़े-बड़े कार्यालयों या प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत थीं किन्तु राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 20001/35/88–रा.भा. (ख–2) दिनांक 24-5-1989 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एक-एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता साधारणतया संयुक्त सचिव तथ अपर सचिव स्तर के अधिकारी करते हैं। संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों/बैंकों आदि में भी जहाँ (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) 25 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ बनाई जायें। इसकी बैठकें हर तिमाही में एक बार बुलाई जानी अपेक्षित हैं। समिति की बैठकों में राजभाषा अधिनियम 1963 और उसके अंतर्गत बताये गये राजभाषा नियम 1976 तथा अन्य आदेशों हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा की जाती है और कर्मियों को दूर करने के उपाय किये जाते हैं।

राजभाषा नीति और तत्संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी तथा अद्यतन आदेशों की जानकारी देने के लिए इन बैठकों में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधि भी शामिल होता है। दिसंबर 1995 तक मंत्रालयों/विभागों की समितियों की 184 बैठकें हो चुकी हैं। गत वर्षों की बैठकों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :[2]

---

1. "राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट–1992-93" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 4 पृष्ठ 10
2. "राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट 1992-93" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय का प्रकाशन, अध्याय 4, बिन्दु 4.5, पृष्ठ 12

वर्ष	बैठकों की संख्या
1987	146
1988	179
1989	162
1990	162
1991	149
1992	186
1993	139
1994	105
1995	184

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 12024/11/87 रा.भा. (ख–2) दिनांक 21-1-88 में कहा गया है कि राजभाषा विभाग में मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट से यह पता चलता है कि विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा करने में भी सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि सभी मंत्रालय/विभाग/उपक्रम इत्यादि[1] –

1. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से हर तिमाही में एक बार अवश्य करायें। इनकी जिम्मेदारी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के राजभाषा अधिकारी को दी गई।

2. समितियों की बैठकों में राजभाषा विभाग तथा मंत्रालय/विभाग में काम कर रही केंद्रीय सचिवालय परिषद की शाखा के प्रतिनिधि को अवश्य समय पर सूचना भेजी जाय ताकि वे इस बैठक में भाग ले सकें। बैठक में उपस्थित होकर राजभाषा नीति और तत्संबंधी व्यवस्थाओं तथा अद्यतन आदेशों की जानकारी दे सकें।

3. प्रत्येक तिमाही में आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन के लिए निर्णय लें। सभी बैठकों में यह सुनिश्चित किया जाय कि पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत किया जाय और उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाय। बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार जिन-जिन क्षेत्रों में कमियाँ रह गई हैं उन्हें पूरा करने के लिए उपायों पर विचार किया जाये।

4.5.9 प्रकाशन एवं प्रचार

राजभाषा नीति के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये नियमों, आदेशों आदि की विस्तृत जानकारी देने के लिए और राजभाषा कार्यान्वयन में आनेवाली कठिनाइयों को दूर करके इसके प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनायें बनाई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत कई प्रकाशन निकाले जा रहे हैं। ये

1. "हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन 1986-88" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 4, मद सं. 2.2.1, पृष्ठ 53

प्रकाशन मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, बैंकों और विभिन्न संस्थाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। राजभाषा के प्रचार-प्रसार व अध्ययन स्थिति की जानकारी देने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रकाशन नियमित रूप से जारी किये जा रहे हैं :

1. राजभाषा भारतीः (त्रैमासिक)

संघ सरकार के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किये जा रहे कार्यों तथा राजभाषा के संबंध में संविधानिक और कानूनी स्थिति के बारे में लोगों को आवश्यक जानकारी देने के लिए अप्रैल 1978 से 'राजभाषा भारती' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका द्वारा प्रकाशित की जा रही है। अब तक पत्रिका के 72 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। पहले इसकी 7000 प्रतियाँ मुद्रित की जाती थीं। किन्तु 72वें अंक से प्रतियों की संख्या बढ़ाकर 10000 प्रति तिमाही कर दी गई है। ऐसा इस पत्रिका की माँग व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राजभाषा संबंधी प्रेरक तथा उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने में पत्रिका अत्यंत सफल सिद्ध हुई है। पत्रिका में विभिन्न क्षेत्रों के लेखों के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं, विभागों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्यकलापों की जानकारी दी जाती है। इस सचित्र पत्रिका में राजभाषा को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों व आदेशों का विवरण दिया जाता है।[1]

2. राजभाषा पुष्पमाला (मासिक)

राजभाषा भारती त्रैमासिक पत्रिका होने के कारण समय के अनुसार बढ़ती हुई माँग को पूरा कर पाने में असमर्थ महसूस की गई। इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा एक मासिक प्रकाशन आरंभ किया गया 'राजभाषा पुष्पमाला'। राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में जो भी प्रभावी कदम उठाये जाते हैं इनकी शीघ्र जानकारी देने के लिए इस पत्रिका ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रिका छोटी है, किन्तु अधिक लाभप्रद व सूचनाप्रद होने के कारण इसकी प्रतियों की संख्या 1991 में 10000 से बढ़ाकर 20000 कर दी गई है।[2] पत्रिका का 89वां अंक सितम्बर 95, हिन्दी दिवस विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया। 31-3-96 तक पत्रिका का 92वां अंक प्रकाशित किया गया।

3. वार्षिक कार्यक्रम(डिगलॉट)

राजभाषा संकल्प के अनुसरण में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए

---

1. "राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट 1990-91" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 2, पृष्ठ 17
2. वही, पृष्ठ 18

वर्ष	बैठकों की संख्या
1987	146
1988	179
1989	162
1990	162
1991	149
1992	186
1993	139
1994	105
1995	184

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 12024/11/87 रा.भा. (ख–2) दिनांक 21-1-88 में कहा गया है कि राजभाषा विभाग में मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट से यह पता चलता है कि विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा करने में भी सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि सभी मंत्रालय/विभाग/उपक्रम इत्यादि[1] –

1. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से हर तिमाही में एक बार अवश्य करायें। इनकी जिम्मेदारी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के राजभाषा अधिकारी को दी गई।

2. समितियों की बैठकों में राजभाषा विभाग तथा मंत्रालय/विभाग में काम कर रही केंद्रीय सचिवालय परिषद की शाखा के प्रतिनिधि को अवश्य समय पर सूचना भेजी जाय ताकि वे इस बैठक में भाग ले सकें। बैठक में उपस्थित होकर राजभाषा नीति और तत्संबंधी व्यवस्थाओं तथा अद्यतन आदेशों की जानकारी दे सकें।

3. प्रत्येक तिमाही में आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन के लिए निर्णय लें। सभी बैठकों में यह सुनिश्चित किया जाय कि पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत किया जाय और उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाय। बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार जिन-जिन क्षेत्रों में कमियाँ रह गई हैं उन्हें पूरा करने के लिए उपायों पर विचार किया जाये।

4.5.9 प्रकाशन एवं प्रचार

राजभाषा नीति के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये नियमों, आदेशों आदि की विस्तृत जानकारी देने के लिए और राजभाषा कार्यान्वयन में आनेवाली कठिनाइयों को दूर करके इसके प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनायें बनाई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत कई प्रकाशन निकाले जा रहे हैं। ये

1. "हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन 1986-88" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 4, मद सं. 2.2.1, पृष्ठ 53

प्रकाशन मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, बैंकों और विभिन्न संस्थाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। राजभाषा के प्रचार-प्रसार व अध्ययन स्थिति की जानकारी देने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रकाशन नियमित रूप से जारी किये जा रहे हैं :

1. राजभाषा भारती: (त्रैमासिक)

संघ सरकार के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किये जा रहे कार्यों तथा राजभाषा के संबंध में संविधानिक और कानूनी स्थिति के बारे में लोगों को आवश्यक जानकारी देने के लिए अप्रैल 1978 से 'राजभाषा भारती' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका द्वारा प्रकाशित की जा रही है। अब तक पत्रिका के 72 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। पहले इसकी 7000 प्रतियाँ मुद्रित की जाती थीं। किन्तु 72वें अंक से प्रतियों की संख्या बढ़ाकर 10000 प्रति तिमाही कर दी गई है। ऐसा इस पत्रिका की माँग व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राजभाषा संबंधी प्रेरक तथा उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने में पत्रिका अत्यंत सफल सिद्ध हुई है। पत्रिका में विभिन्न क्षेत्रों के लेखों के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं, विभागों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्यकलापों की जानकारी दी जाती है। इस सचित्र पत्रिका में राजभाषा को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों व आदेशों का विवरण दिया जाता है।[1]

2. राजभाषा पुष्पमाला (मासिक)

राजभाषा भारती त्रैमासिक पत्रिका होने के कारण समय के अनुसार बढ़ती हुई माँग को पूरा कर पाने में असमर्थ महसूस की गई। इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा एक मासिक प्रकाशन आरंभ किया गया 'राजभाषा पुष्पमाला'। राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में जो भी प्रभावी कदम उठाये जाते हैं इनकी शीघ्र जानकारी देने के लिए इस पत्रिका ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रिका छोटी है, किन्तु अधिक लाभप्रद व सूचनाप्रद होने के कारण इसकी प्रतियों की संख्या 1991 में 10000 से बढ़ाकर 20000 कर दी गई है।[2] पत्रिका का 89वां अंक सितम्बर 95, हिन्दी दिवस विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया। 31-3-96 तक पत्रिका का 92वां अंक प्रकाशित किया गया।

3. वार्षिक कार्यक्रम(डिगलॉट)

राजभाषा संकल्प के अनुसरण में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए

---

1. "राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट 1990-91" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 2, पृष्ठ 17
2. वही, पृष्ठ 18

राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी अध्याय के आरंभ में की जा चुकी है। इसके माध्यम से सरकार के राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक लक्ष्यों की जानकारी दी जाती है। बढ़ती हुई माँग के साथ-साथ इसकी प्रतियों की संख्या बढ़ाकर वर्ष 1993-94 के लिए 70000 कर दी गई है।[1]

4. वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बनाये गये वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर विभिन्न मदों पर क्या काम हुआ है तथा किस स्तर तक काम हुआ है। यह जानने के लिए सभी मंत्रालयों, विभागों से रिपोर्ट मँगाई जाती है। और उसका विश्लेषण करके मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह मूल्यांकन रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है। वर्ष 1993–94 की 24वीं रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जा चुकी है।

5. हिन्दी के प्रयोग से संबंधित आदेशों का संकलन

राजभाषा विभाग ने 1980 में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित अप्रैल 1986 तक के आदेशों का एक बृहत संकलन द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया है या इसके पश्चात मई 1986 से दिसंबर 1988 तक के आदेशों का अनुपूरक संकलन प्रकाशित किया गया। इसका उद्देश्य है सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों आदि के लिए राजभाषा विभाग संबंधी कानूनी उपबंध और प्रशासनिक अनुदेश सहजतापूर्वक उपलब्ध हो सकें। यह एक सममूल्य प्रकाशन है। जिसका मूल्य 20 रूपये 30 पैसे है। इसकी प्रतियाँ भारत सरकार के प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली या उसकी अधिकृत एजेंसियों से खरीदी जा सकती हैं।

6. राजभाषा संबंधी सांविधिक उपबंध अधिनियम, संकल्प एवं नियमों तथा संसदीय राजभाषा समिति के चार प्रतिवेदनों के आधार पर कार्यान्वयन की दृष्टि से एक संदर्भ पुस्तक के रूप में इस संकलन का उपक्रमों, निगमों, स्वैच्छिक संस्थाओं, कार्यान्वयन समितियों आदि से लगातार इसकी माँग प्राप्त होती रहती है। इस संकलन की 30000 प्रतियाँ डिगलॉट रूप में छपवाई गई हैं और वितरित की जा रही है।[2]

7. हिन्दी शिक्षण योजना संबंधी आदेशों का संकलन(डिगलॉट)

हिन्दी शिक्षण योजना के आरंभ से लेकर 1987 तक के आदेश इसमें संकलित

---

1. "राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट–1991-92", अध्याय 2, पृष्ठ 18
2. "राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट–1991-92 राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 2, पृष्ठ 17

किये गये हैं, ताकि उसका उपयोग संदर्भ ग्रंथ के रूप में किया जा सके। इसकी प्रतियाँ मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि को मानार्थ वितरित की गई हैं। यह सममूल्य ग्रंथ है तथा भारत सरकार के प्रकाशन विभाग या उसके प्राधिकृत एजेंसियों से 24/- रुपये एक प्रति मूल्य पर खरीदी जा सकती है।

8. राजभाषा कार्यशालायें—रूपरेखा और अभ्यास के लिए पाठ

इस प्रकाशन में कार्यशाला संबंधी उपयोगी जानकारी और अभ्यास के लिए पाठों का विशद ब्यौरा दिया गया है। यह कार्यशालाओं के लिए सहायक सिद्ध हुई है। इसकी पहले मुद्रित प्रतियाँ समाप्त हो चुकी थीं अतः पुनः मुद्रित की जा रही हैं।

9. राजभाषा संबंधी पोस्टर

राजभाषा कार्यान्वयन और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर छपवाकर देशभर में वितरित किये गये। वर्ष 1990-91 में 4 प्रकार के पोस्टर छपाये गये तथा 1991-92 में इनके अतिरिक्त 6 प्रकार के पोस्टर छपवाकर वितरित किये। पोस्टरों को काफी आकर्षक ढंग से बनाया गया है तथा सम्मेलनों, बैठकों, गोष्ठियों के माध्यम से इन्हें हर कार्यालय में पहुँचाने का प्रयास किया गया है। पोस्टरों के माध्यम से राजभाषा के कानूनी पहलुओं, वैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त हिन्दी की विशेषताओं की जानकारी बहुत ही सरल ढंग से दी गई है। अब इस पोस्टरों का पुनः मुद्रण किया जा रहा है।[1]

10. वृत्तचित्र

राजभाषा हिन्दी के विभिन्न पहलुओं और स्वयंसेवी संस्थाओं व महान पुरुषों द्वारा हिन्दी के विकास के लिए हुए कार्य पर प्रकाश डालनेवाले वृत्तचित्र सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म द्वारा तैयार किये गये हैं। इन वृत्त चित्रों में उपयोगी सूचनाओं के साथ-साथ अनेक भावात्मक दृश्य भी अंकित किये गये हैं। मधुर संगीत के साथ मनोहरी नृत्य भी इन फिल्मों को आकर्षक रूप प्रदान करते हैं। अब तक 16 वृत्तचित्रों के कैसेट फिल्म प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार कराये गये हैं। 1. उदयांजलि 2. एकता का पर्व 3. हिन्दी सब संसार 4. हिन्द की वाणी 5. देश की बाजी 6. भारत की वाणी 7. 14 सितंबर 1949 8. एकता की वाणी 9. पूर्वांजलि खंड-1 10. संविधान के साक्षी 11. अरुणांजलि 12. मेघांजलि 13. नागांजलि 14. मणिपुर गाथा 15. केरलांजलि 16. जयहिंद।

---

1. "राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट—1991-92" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 2, पृष्ठ 17

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 20034/10/85--अ वि दिनांक 21-12-1988, 21-9-1989, 20-2-1990 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 20034/15/91—रा. भा. (अ वि) दिनांक 30-11-92 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि इन वृत्तचित्रों को विभिन्न सम्मेलनों, विचारगोष्ठियों, बैठकों, कार्यशालाओं में प्रदर्शित किया जाय।[1]

11. हिन्दी में छपी विभिन्न विषयों की पुस्तकों की खरीद

हिन्दी में छपी विभिन्न विषयों की पुस्तकों का भाषा प्रसार में विशेष योगदान रहा है। इसलिए यह स्पष्ट निर्देश दिये गये कि सभी कार्यालय अपने पुस्तकालय अनुदान का कम-से-कम 25 प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए खर्च करें। बाजार में विभिन्न विषयों पर उपयुक्त हिन्दी पुस्तक अपलब्ध होने पर यह रकम बढ़ाकर 50% की जा सकती है। राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 20034/6285 राभा(पत्रिका) दिनांक 4-5-1988 के अनुसार स्पष्ट किया गया कि जो भी पुस्तकें खरीदी जायें उनमें यदि निम्नलिखित प्रकार की हों तो अधिक उपयोगी होंगी :

क. हिन्दी में काम करने के लिए संदर्भ ग्रंथ जैसे शब्दकोश, शब्दावली विभाग/कार्यालय के काम से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तकें आदि।

ख. ऐसी पुस्तकें जो सरल भाषा में और रोचक विषयों पर लिखी हों या सरल और लोकप्रिय समाचार पत्र, पत्रिकायें आदि जिनसे कर्मचारियों में हिन्दी पढ़ने-लिखने की रुचि पैदा हो और वे सरल भाषा में बिना झिझक सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में सक्षम हो सकें।

ग. सरल और रोचक भाषा में लिखी गई पुस्तकें, पत्रिकायें आदि जिन्हें पढ़कर हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले कर्मचारी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें और उनमें रुचि बढ़े।

घ. वे मंत्रालय विभाग एवं तकनीकी कार्यालय, जिनके लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकार की न्दिी में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, वे निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए हिन्दी की शब्दावली, कार्यालय सहायिका, संदर्भ ग्रंथ आदि खरीदें।

ङ. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही मौलिक पुस्तक लेखन योजनाओं के अतंर्गत पुरस्कृत प्रकाशित पुस्तकें।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 20034/5/85-पत्रिका एकक दिनांक 31-3-1986 के अनुसार मौलिक पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों/कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा लिखी गई अच्छे स्तर की पुस्तकों की सूची जारी की गई तथा अनुरोध किया गया कि इन पुस्तकों को अपने पुस्तकालय के

---

1. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993-94 का वार्षिक कार्यक्रम" राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 5 मद सं. 5.14 पृष्ठ 28

लिए खरीदा जाय। जारी की गई 90 पुस्तकों की सूची में विभिन्न विषयों को समाहित किया गया है, जिसमें सूचना और प्रसारण माध्यम, नागरिक और आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य परिवारकल्याण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग, रक्षा मंत्रालय विधि और न्याय मंत्रालय, आदि वैज्ञानिक व तकनीकी विषय की पुस्तकें दी गई हैं।[1] इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी पत्र-पत्रिकायें खरीदने का प्रावधान भी दिया गया, ताकि कर्मचारियों में हिन्दी पढ़ने के प्रति रुचि जागृत हो। लगभग सभी मंत्रालयों द्वारा अपनी अपनी गृहपत्रिकायें जारी की जाती हैं। पत्रिकाओं में हिन्दी रचनाओं के लिए पृष्ठ देने की व्यवस्था की गई। यह अनिवार्य कर दिया गया कि प्रत्येक पत्रिका में अंग्रेजी के समान हिन्दी के भी पृष्ठ दिये जायें। राजभाषा प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा भी केवल हिन्दी में पत्रिकायें प्रकाशित की जा रही हैं। राजभाषा विभाग ने कार्यालय ज्ञापन सं. 20034/2/87 पत्रिका एकक दिनांक 22-6-87 के अनुसार विभिन्न संस्थाओं, उपक्रमों द्वारा 21 वैज्ञानिक एवं तकनीकी, 38 अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, 7 भूगोल व भूविज्ञान संबंधित पत्रिकाओं की सूची पते सहित प्रकाशित की है।[2] कार्यालय मंत्रालय/विभागों/उपक्रम/बैंकों/विभागों तथा केंद्रीय सरकारी संस्थाओं के हिन्दी पुस्तकालयों में पुस्तकों की खरीद के लिए 110 पुस्तकों की सूची जारी की है।

4.5.10 जाँच-बिन्दु निर्धारण व नियंत्रण

राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रकाशन अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है। कि वह राजभाषा अधिनियम 1963 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के समुचित अनुपालन के लिए प्रभावी जाँच-बिन्दु बनायें।

जाँच-बिन्दु से तात्पर्य उन कार्यकलापों से है। जिसके माध्यम से अलग-अलग मदों की स्थिति की जानकारी मिल सके तथा जिन मदों में अपेक्षित कार्य नहीं हो रहा है उनके बारे में कमियों का पता चल सके। जाँच बिन्दुओं का निर्धारण करके ही कोई कार्यालय प्रमुख राजभाषा के अलग-अलग क्षेत्रों व मदों के संबंध में होनेवाली प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। जाँच-बिन्दुओं का राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में विशेष महत्त्व है।

इस समय जो जाँच-बिन्दु काम कर रहे हैं तथा जो अन्य बनाये जा सकते हैं उसका विवरण निम्नलिखित है :

---

1. राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हिन्दी अनुदेशों का अनुपूरक संकलन 1986-87 अध्याय 12 पत्र-पत्रिकायें पृष्ठ 95
2. वही, पृष्ठ 102

1. फार्मों, कोडों, मैन्युअलों, गजट की सामग्री अथवा रजिस्टर, फार्मों व अन्य स्टेशनरी मदों का द्विभाषीकरण

शहरी विकास मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के प्रेस तथा विभिन्न उपक्रमों/कार्यालयों/विभागों के मुद्रण व स्टेशनरी विभाग इसके लिए जाँच-बिन्दु बनाये गये हैं, जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी सामग्री मुद्रण के लिए उपलब्ध होती है वह निरपवाद रूप से द्विभाषीरूप में मुद्रित हो। सभी प्रशासनिक कार्यालयों को यह निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके बावजूद यदि कोई कार्यालय केवल अंग्रेजी में मुद्रण के लिए भेजता है तो मुद्रण विभाग से उसे संबंधित कार्यालय/विभाग को लौटा दिया जाता है।

इस प्रकार के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद ये जाँच-बिन्दु अपेक्षायें पूरी नहीं कर पाते तथा अभी सभी स्तरों पर मुख्यालयों को जाँच-बिन्दु बनाया भी नहीं गया है।

2. देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद

पूर्ति और निपटान निदेशालय अपने यहाँ टाइपराइटरों की खरीद संबंधी प्राप्त होनेवाले इंडेंटों की जाँच करके यह देखें कि क्या आदेशों का पालन हो रहा है। सरकार द्वारा हर वर्ष अलग-अलग क्षेत्रों के लिए देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। जो विभाग/कार्यालय/उपक्रम अपने टाइपराइटरों की खरीद, पूर्ति एवं निपटान की मार्फत न कर सीधे खरीदते हैं उनके भी अपने कार्यालयों में आपूर्ति करनेवाले विभाग/अनुभाग को जाँच-बिन्दु बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो अधिकारी टाइपराइटरों की खरीद व पूर्ति के लिए आदेश/इंडेंट दे रहा है उसे भी देखना चाहिए कि उनकी माँग लक्ष्य के अनुसार नियमानुसार है।

3. सामान्य आदेश व अन्य कागजातों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होने चाहिए। इसको सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे जारी किये जानेवाले दस्तावेजों को द्विभाषी जारी करने के लिए राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 के अंतर्गत उस पर हस्ताक्षर करनेवाले अधिकारी का दायित्व है कि उसे तभी जारी किया जाये जब वह द्विभाषी में हो। फिर भी इसके लिए उस अनुभाग को जाँच-बिन्दु बनाया जाये जहाँ ये मुद्रित होते हैं। जब भी साइक्लोस्टाइल या मुद्रण के लिए भेजे जायें तो दोनों भाषाओं में साथ-साथ भेजे जायें। अंतिम चरण में उस स्थान को भी जाँच-बिन्दु बनाया जा

सकता है जिस अनुभाग से प्रेषण का काम किया जाता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे सभी दस्तावेज द्विभाषी जा रहे हैं।

4. 'क' तथा 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों को भेजे जानेवाले पत्रादि

यह सुनिश्चित करने के लिए कि 'क' एवं 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों को भेजे जानेवाले पत्र हिन्दी में ही जा रहे हैं, प्रेषण अनुभाग को जाँच-बिन्दु बनाया जाय ताकि इन सरकारों को भेजे जानेवाले पत्रादि तभी स्वीकार किये जाएँ जब ये हिन्दी में हों अथवा अंग्रेजी पत्रों के साथ हिन्दी रूपांतर भी हो।

5. लिफाफों पर हिन्दी में पते लिखना

प्रेषण अनुभाग को जाँच-बिन्दु बनाया जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि 'क' एवं 'ख' क्षेत्र को जानेवाले पत्रों के लिफाफों पर पते देवनागरी में लिखे जायें।

6. रबड़ मोहरें, नामपट्ट, साइन-बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में बनाना

जो अनुभाग/विभाग इस काम को देखता है उसके प्रभारी अधिकारी को जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 में उल्लिखित वस्तुयें हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी हों या त्रिभाषी, जैसे भी स्थिति हो, तैयार करवाई जायें।

इसके लिए इंडेट करनेवाले अधिकारी की भी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह केवल द्विभाषी समान की ही माँग करे केवल अंग्रेजी में नहीं।

7. कर्मचारियों की सेवा-पंजियाँ/रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ

सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में रखे जानेवाले रजिस्टरों/सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ हिन्दी में की जायें 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियाँ यथासंभव हिन्दी में की जायेंगी। राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 12024/2/93–रा.भा. (ख–2) दिनांक 21-7-92 के अनुसार स्पष्ट निर्देश दिया गया कि कर्मचारियों के संबंध में रखे जानेवाले रिकार्ड व सेवा पंजियाँ/सर्विस कार्ड में 'क' व 'ख' क्षेत्र में प्रविष्टियाँ हिन्दी में ही किये जायें। इसके लिए सेवा कार्ड/सेवा पंजियों पर आद्यक्षर करनेवाले अधिकारी इसके लिए जाँच–बिन्दु का कार्य करेंगे। विभिन्न कार्यालयों से किये गये सर्वेक्षण तथा प्रश्नावली के माध्यम से विदित होता है कि इस मद में अभी-भी इतनी उत्साहवर्धक प्रगति नहीं हुई है।

8. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने के संबंध में जिम्मेदारी उस अधिकारी की होनी चाहिए जो उस पर हस्ताक्षर करता है

मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों में प्रत्येक स्तर पर जाँच-बिन्दु निर्धारण का काम प्रगति में है तथा अनेकानेक कार्यालयों में इसे गंभीरता के साथ नियंत्रित किया जा रहा है। इसके विपरीत बहुल से कार्यालयों में पाया गया कि जाँच-बिन्दु क्या हैं, इसकी भी जानकारी नहीं है। इसके निर्धारण व पालन का प्रश्न तो बहुत दूर की बात है। इसके अतंर्गत पाई जानेवाली कतियों का मूल्यांकन करके हम इसी अध्याय के बिन्दु 4(3)11 में उल्लेख करते हैं।

4.5.11 प्रोत्साहन योजनायें

सरकार की राजभाषा कार्यान्वयन की नीति प्रेम व प्रोत्साहन की है। इसलिए राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों को इसके लिए बार-बार कहना न पड़े, बल्कि उन्हें आर्थिक व अन्य ढंग से लाभ पहुँचा कर प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपनी इच्छा से आगे आयें।

सर्वप्रथम इस बात पर बल दिया गया कि कर्मचारी हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित हों। इसलिए राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ या उनके समकक्ष परीक्षा पास करने पर एकमुश्त प्रोत्साहन राशि के साथ-साथ पढ़ने के लिए पाठ्य-पुस्तकें, लेखन सामग्री मुफ्त दी जाती हैं तथा कार्यालय समय में ही कक्षायें संचालित करने का प्रावधान है। यह स्पष्ट किया गया है कि हिन्दी शिक्षण अनिवार्य है तथा प्रत्येक वर्ष अप्रशिक्षित कर्मचारियों के शेष का 20% कक्षाओं में अवश्य नामित किया जाय तथा परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर तथा नकद पुरस्कार दिये जायेंगे।[1] कर्मचारियों को कक्षाओं में जाने-आने के लिए यात्रा भत्ता/वास्तविक खर्च दिया जाता है। परीक्षा के लिए सुविधायें दी गई हैं। मिलनेवाले नकद पुरस्कार पर किसी प्रकार का आयकर नहीं लगेगा।[2]

नकद पुरस्कार, सुविधायें व प्रोत्साहन का विवरण इसी अध्याय की मद सं. 4.5.5(क) में दिया गया है।

हिन्दी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि सीखने के लिए सुविधायें व प्रोत्साहन सुविधायें, इनका उल्लेख इसी अध्याय की मद सं. 4.5.5(क) में किया जा चुका है।

---

1. "कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/5283–रा.भा. (घ) दिनांक 29-10-84", राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार
2. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993–94 का वार्षिक कार्यक्रम" राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार अध्याय 1, पृष्ठ 1

अराजपत्रित कर्मचारियों को भी हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दी जानेवाली सुविधाओं व प्रोत्साहन का विवरण इसी अध्याय के मद सं. 4.5.5(ङ) में दिया गया है।

डाकियों के हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था विशेष रूप से की गई। देश के हिन्दीतर-भाषी क्षेत्रों में काम करनेवाले और हिन्दी न जाननेवाले डाकियों को देवनागरी लिपि का ज्ञान कराने के लिए एक अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना बनाई गई और केंद्रीय हिन्दी संस्थान हैदराबाद के सहयोग से इस प्रशिक्षण के लिए एक अल्पकालीन पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। ऐसे कर्मचारियों के लिए जो उन स्थानों पर काम करते हैं, जहाँ हिन्दी शिक्षण योजना के केंद्र हैं, उनके लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।

कर्मचारियों की सुविधा के लिए कार्यदिवसों में कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी मानकर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इनका विवरण इसी अध्याय की मद संख्या 4.5.5.(घ) में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है।

4.5.11(क) शील्ड व ट्रॉफी योजनायें

राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के प्रति कर्मचारियों में रूचि उत्पन्न करने के लिए शील्ड तथा ट्रॉफी योजनायें चलाई जाती हैं।

1. गवर्नर राजभाषा शील्ड योजना

सभी बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में श्रेठ कार्यनिष्पादन के लिए प्रति वर्ष प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक के तत्त्वविधान में दिये जाते हैं। यह योजना 1980 में आरंभ की गई थी जिसका बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन पर अनुकूल प्रभाव रहा।

2. इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड और इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार

केंद्रीय समिति की सिफारिशों के अनुपालन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों कार्यालयों/बैंकों और वित्तीय संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और व्यक्तियों को, सरकार की राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के कार्य में उत्कृष्ठ उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्रदान करने हेतु एक योजना लागू की गई है। इस पुरस्कार का नाम रखा गया 'इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार'। यह वर्ष 1986 से लागू किया यगा। इसे मुख्यतः चार वर्गों के लिए निर्धारित किया गया है :

क. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड
ख. बैकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड
ग. सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा

शील्ड

घ. हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार

प्रथम वर्ग में योग्यता क्रम में भारत सरकार के उन मंत्रालयों/विभागों को दी जाती है, जो राजभाषा कार्यान्वयन में सर्वोत्कृष्ट घोषित किये जाते हैं। इसके मूल्यांकन के लिए मानदंड निर्धारित किये गये हैं।

दूसरे वर्ग में उन वित्तीय संस्थाओं, बैंकों के लिए पुरस्कार का प्रावधान है जिन संगठनों में राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। तीन सर्वोत्कृष्ट संस्थाओं को निर्धारित करने में राजभाषा विभाग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का सहयोग लिया जाता है जो सामान्यतः वित्तीय संस्थाओं के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

तीसरे वर्ग में 'क', 'ख' व 'ग' क्षेत्रों के लिए तीन-तीन पुरस्कार देने का प्रावधान है। इन नौ संगठनों का निर्धारण करने में राजभाषा विभाग को उद्योग मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग से सहयोग प्राप्त होता है।

चौथे वर्ग में मौलिक पुस्तक लेखन को रखा गया है। कर्मचारियों का जिन विषयों से सरकारी तौर पर संबंध हो उन पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ऐसी पुस्तकों के लिए तीन पुरस्कार रखने का प्रावधान है। पुरस्कारों की राशि निम्न रखी गई है :

प्रथम पुरस्कार 10,000/- रु. द्वितीय पुरस्कार 8,000/- रु. और तृतीय पुरस्कार 5,000/- रु.

प्रतियोगिता में पुस्तकों की प्रविष्टि के लिए पुस्तक पूर्व वर्ष में लिखी गई होनी चाहिए तथा वह उस मंत्रालय/विभाग की ओर से विधिवत् सिफारिश के साथ आनी चाहिए। मंत्रालय/विभागों की संख्या को देखते हुए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से केवल दो पुस्तकों पर ही विचार किया जा सकता है। पुरस्कार के लिए पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग में गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा। समिति की सिफारिशें गृहमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राजभाषा विभाग को प्रस्तुत की जायेंगी।

भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग अपने कार्य से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए दिये जानेवाले उन पुरस्कारों को भी चालू रखेंगे जो राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन 11/20034/6/79 रा.भा.(क–1) के अनुपालन में आरंभ किये गये थे।

4.5.11(ख) सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/12013/रा.भा.(का–2) दिनांक

25 मई 1984 के तहत जारी की गई प्रोत्साहन योजना के स्थान पर एक नई प्रोत्साहन योजना 1-4-1988 से लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से प्रोत्साहन योजना लागू कर सकते हैं।

इस प्रोत्साहन योजना में वे सभी कर्मचारी/अधिकारी भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं। इस योजना में वे कर्मचारी/अधिकारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो 'क' व 'ख' क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 20,000 तथा 'ग' क्षेत्र में 10,000 शब्द हिन्दी में लिखते हैं। पहली योजना में केवल मूल-टिप्पण तथा लेखन को ही स्थान दिया गया था। किन्तु इस योजना में मूल-टिप्पण व आलेखन के अतिरिक्त हिन्दी में किये गये अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके जैसे रजिस्टर में इंदराज, सूची तैयार करना, लेखा काम आदि भी शामिल होंगे। इसमें हिन्दी के काम से जुड़े कर्मचारी व हिन्दी अधिकारी व अनुवादक भाग नहीं ले सकते।

क. काम के आधार पर पहला पुरस्कार (2) प्रत्येक 500/-रुपये दूसरा पुरस्कार (3) प्रत्येक 300/-रु.। तीसरा पुरस्कार (5) प्रत्येक पुरस्कार 150/-रु.। ये पुरस्कार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग, संबद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से हैं।

ख. केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से पहला पुरस्कार (2) प्रत्येक 400/- रु.। (5) प्रत्येक 150/-रु.। राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/12013/3/87–रा.भा.(क–2) दिनांक 16-2-1986 के अनुसार इसे संबंद्ध सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को सूचित किया गया।

4.5.11 (ग) विशिष्ट क्षेत्रों में हिन्दी में काम करने के लिए पुरस्कार योजनायें

विशिष्ठानों/कार्यालयों मे वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, प्रचालन कर्मचारियों द्वारा विशिष्ट प्रकार के कार्य किए जाते हैं उनके लिए भी सरकार ने पुरस्कार योजना चलाने का प्रावधान कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20015/35/84-रा. भा. (क–2) दिनांक 20-11-94 के अनुसार दिया है। वे कार्यानय/प्रतिष्ठान अपने स्तर पर पुरस्कार योजना आरंभ कर सकते हैं।[2]

---

1. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993-94 का वार्षिक कार्यक्रम", राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 2, बिन्दु 2.2, पृष्ठ 6
2. "राजभाषा नीति के कार्यान्वसन के लिए वर्ष 1993-94 का वार्षिक कार्यक्रम", राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 2, बिन्दु 2.3, पृष्ठ 6

4.5.11 (घ) अंग्रजी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों को हिन्दी में भी साथ-साथ काम करने के लिए प्रोत्साहन भत्ता

उन आशुलिपिकों और टाइपिस्टों को जो अंग्रेजी टाइपिंग व आशुलिपि जानते हैं और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी अपना सरकारी कामकाज करते हैं उन आशंलिपिकों को 60/- रु तथा टाइपिस्टों को 40/- रु प्रति माह विशेष भत्ता दिया जाता है। इसके लिए वे ही आशुलिपिक व टाइपिस्ट पात्र होंगे जो हिन्दी में औसतन 5 टिप्पणियाँ/प्रारुप-पत्र प्रतिदिन अथवा लगभग 300 टिप्पणियाँ/प्रारुप/पत्र प्रति तिमाही टंकित करते हैं। केवल एक या दो लाइन के प्रारुप/टिप्पणियाँ इसमें शामिल नहीं होंगे। यह विशेष भत्ता वेतन नहीं माना जायेगा और इस राशि पर मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता नगर प्रतिकर भत्ता और अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।[1]

4.511(ङ) पी सी व टेलेक्स परिचालकों को भत्ता

पी सी परिचालकों, टेलेक्स परिचालकों के लिए भी उसी दर से भत्ता उन्हीं शर्तो पर दिया जायेगा जो टंककों को हिन्दी में टंकण कार्य करने पर दिया जाता है।

4.5.11(च) सर्वश्रेष्ठ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को पुरस्कार देने की योजना

दिल्ली के बाहर प्रमुख नगरों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी कार्य की प्रगति की समीक्षा करने और समस्याओं पर विचार करने के लिए ऐसे नगरों में जहाँ कम-से-कम 10 केंद्रीय सरकार के कार्यालय हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ बनाई गई हैं। हिन्दी के प्रोत्साहन व प्रगति के क्षेत्र में अच्छा कार्य करनेवाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिये जाते हैं।

4.5.11(छ) केंद्रीय हिन्दी परिषद द्वारा प्रोत्साहन

प्रत्येक वर्ष हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन करके पुरस्कार वितरित किये जाते हैं। इनमें टिप्पण एवं लेखन प्रतियोगिता, टाइपलेखन प्रतियोगिता, निबंध लेखन, हिन्दी में कार्य प्रतियोगिता अहिन्दी भाषी वर्गो के कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाती है। प्रतियोगितायें पूरे देश में

1. "राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1993-94 का वार्षिक कार्यक्रम", राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, अध्याय 2, बिन्दु 2.4, पृष्ठ 6

चलाई जाती हैं तथा विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिये जाते हैं।

4.5.11(ज) वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों की हिन्दी पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहन

सरकार ने जहाँ हिन्दी में मूल पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार योजना रूपायित की है वहीं विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मौलिक पुस्तक लेखन योजना आरंभ की है। विभिन्न मंत्रालयों की बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित विभागों/संस्थाओं द्वारा लेखकों को विविध सुविधायें प्रदान की जाती हैं तथा उस पर होनेवाले खर्च की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 11/12034/8/86–रा.भा.(क–2) दिनांक 31-10-88 के अनुपालन में यह योजना आरंभ की है। विभिन्न मंत्रालयों की बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित विभागों/संस्थाओं द्वारा लेखकों को विविध सुविधायें प्रदान की जाती हैं तथा उस पर होनेवाले खर्च की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालयज्ञापन सं. 11/12034/8/86–रा.भा.(क–2) दिनांक 31-10-88 के अनुपालन में यह योजना आरंभ की गई है। उपलब्ध प्रोत्साहन में वृद्धि करने का प्रावधान भी रखा गया है। इसके बावजूद भी आमतौर पर देखने में आया है कि अच्छे स्तर की मौलिक पुस्तकें पुरस्कार देने के लिए उपलब्ध नहीं हो रही हैं। अतः इन योजनाओं का दायरा तथा संरचना बढ़ाने की आवश्यकता है।

प्रोत्साहन योजना को विकसित करने के उद्देश्य से मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया कि प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत यदि मौलिक पुस्तकें अच्छे स्तर की उपलब्ध न हों तो अनुवाद की गई पुस्तकों को शामिल करने पर विचार कर लें। ऐसा करने से विभिन्न विषयों में अच्छे स्तर की हिन्दी पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होगी।

4.5.12 संसदीय राजभाषा समिति के कार्यकलाप तथा अनुशंसाये

संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है।[1]

समिति ने अपना प्रतिवेदन खंडों में प्रस्तुत करने का निश्यच किया था। समिति के प्रतिवेदन का अनुवाद व्यवस्था, शब्दावली निर्माण आदि संबंधी पहला खंड जनवरी 1987 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। सरकारी कामकाज में हिन्दी

1. "राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 4 राजभाषा के सबध में पारित अधिनियम से साभार

के प्रयोग की सुविधा के लिए आवश्यक यांत्रिक व्यवस्थाओं और संबंधित कार्मिक शक्ति की उपलब्धता और प्रशिक्षण आदि के बारे में दूसरा खंड जुलाई 1987 में, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण तथा हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था और इनसे जुड़े हुए पहलुओं से संबंधित समिति के प्रतिवेदन का तीसरा खंड फरवरी 1989 में, समिति की उप-समितियों द्वारा तब तक किये गये निरीक्षणों के आधार पर देश के विभिन्न भागों में सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों आदि में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति से संबंधित चौथा खंड नवंबर 1989 में तथा विधायन की विभिन्न न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में प्रयोग की जानेवाली भाषा से संबंधित पाँचवाँ खंड मार्च 1992 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया जा चुका है। इसी क्रम में प्रतिवेदन के पहले, दूसरे, तीसरे तथा चौथे खंड में की गई सिफारिशों के बारे में क्रमशः दिनांक 30 दिसंबर 1988, दिनांक मार्च 1990, दिनांक 4 नवंबर 1991 तथा 28 जनवरी 1992 को राष्ट्रपति जी के आदेश जारी हो चुके हैं।[1]

4.5.12 समिति के प्रतिवेदन के प्रथम खंड की अनुशंसायें

संसदीय राजभाषा समिति ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समिति द्वारा अब तक किये गये कार्य तथा उसकी सिफारिशों के बारे में खंडवार चर्चा किया जाना युक्तिसंगत होगा। प्रथम प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकारों से प्राप्त विचारों पर विचार विमर्श किया गया तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 30 दिसंबर 1988 के संकल्प संख्या 1/20012/1/87–रा.भा.(क–1) के अनुसार जारी किया गया इस प्रतिवेदन में मुख्यतः अनुवाद कार्य तथा इसकी व्यवस्था के संबंध में कहा गया है। समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें मूल रूप से कुल संशोधन के साथ स्वींकार कर ली गईं।

क. अनुवाद कार्य पूरा करना।[2]

1. सभी फार्मों का अनुवाद करके द्विभाषी मुद्रण कियां जाय व इनका द्विभाषी प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

कोडों व मैन्युअल आदि के अनुवाद के लिए समिति ने 1987 तक समय सीमा रखी थी। वह सीमा बीत चुकी है इसलिए शेष अनुवाद कार्य 1994-95 के अंत तक पूरा करने के लिए कहा गया।

प्रशिक्षण सामग्री का अग्रता के आधार पर अगले 3 वर्षों में अनुवाद पूरा किया जाय तथानुसार आदेश जारी किया जाय।

---

1. "संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जी के आदेशों का सकलन" राजभाषा विभाग भारत सरकार का प्रकाशन प्रस्तावना से साभार
2. वही

ख. अनुवाद व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण—समिति ने सुझाव दिया कि

1. प्रक्रियात्मक साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था तत्काल पूरी की जाय तथा इसके लिए आवश्यकतानुसार स्टाफ उपलब्ध किया जाय।

अनुवाद के संबंध में राजभाषा नियमों व अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए व्यवस्था।

ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि विभिन्न उच्च पदों पर अनुवाद से जुड़े लोगों को आकर्षित किया जा सके।

ग. कोडों, मैन्युअलों व फार्मों का द्विभाषिक निर्माण तथा संशोधन, मुद्रण, प्रकाशन व वितरण सुनिश्चित करें। जो भी प्रक्रियात्मक साहित्य संशोधित रूप में पुनः मुद्रित किया जाय वह केवल द्विभाषी ही हो।[1]

घ. अनुवाद प्रशिक्षण

1. समिति का सुझाव था कि अनुवाद कर्मियों को एक समयबद्ध योजना बनाकर उन-उन कर्मचारियों को अनवार्य रूप से प्रशिक्षरण दिया जाय जो अनुवाद कार्य से जुड़े हुए हों। समिति के सुझावानुसार 1988 तक प्रशिक्षण पूरा किया जाय। किन्तु सरकार ने माना कि इस अवधि तक संभव नहीं है। अतः 1991 तक प्रशिक्षण पूरा किया जाय ताकि असांविधिक साहित्य का अनुवाद पूरा हो सके। विधिवत साहित्य के अनुवाद की भी व्यंवस्था तत्काल की जाय।

2. अनुवाद पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए सुझाव दिया गया कि अनुवाद से जुड़े लोगों का ज्ञान अद्यतन करने के लिए प्रथम प्रशिक्षण के 5 साल बाद पुनः प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

3. हिन्दी अधिकारियों व उनसे ऊपर के अधिकारियों से अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था पूरी की जाय।

ङ. मानक शब्दावली का निर्माण—समिति ने सुझाव दिये कि

1. नये शब्दों के मानक पर्याय निश्चित किये जायें

2. शब्दावलियों की आवधिक पुनरीक्षा की जाय तथा नये शब्द जोड़े जायें।

3. जो शब्दावलियाँ निर्माणाधीन हैं उनमें तेजी लाई जाय और यह काम 1988 तक पूरा कर लिया जाय। किन्तु अभी तक अपेक्षित कार्य नहीं किया गया।

4. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोजन के सदस्यों के खाली स्थान तत्काल भरे जायें और मार्गदर्शन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय।

च. मानक शब्दावली का प्रयोग, प्रचार, प्रसार और विवरण सुनिश्चित करने के लिए मानक हिन्दी पर्यायों का प्रयोग सुनिश्चित किया जाय, प्राध्यापकों के लिए कार्यशालायें चलाई जायें। अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान की जाय।

---

1. "संसदीय समिति के प्रतिवेदन, भारत सरकार का प्रकाशन, प्रथम खंड, पृष्ठ 4

शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रहों का अनुकूलन। अध्ययन में मानक शब्दावलियों का प्रयोग किया जाय। इसके लिए स्कूलों व कॉलेजों में जाकर अध्यापकों के लिए संगोष्ठियों व कार्यशालाओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाय।

2. कार्यशालाओं में परिभाषित शब्दावली की जानकारी दी जाय ताकि राजभाषा के काम में उनका प्रयोग किया जा सके।

3. वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर हिन्दी में पुस्तकें लिखने के लिए निजी प्रकाशनों को इस शर्त के साथ प्रोत्साहित किया जाय कि इनमें प्रमाणिक शब्दावली का प्रयोग हो।

4. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों विशेषकर आकाशवाणी व दूरदर्शन पर विधि, विज्ञान तकनीकी मानव शब्दावली का प्रयोग किया जाय।

5. पर्याप्त रूप में शब्दावलियों का वितरण किया जाय।

6. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों आदि को वर्तमान और भविष्य में निर्मित की जानेवाली शब्दावलियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाय।

7. भविष्य में कंप्यूटर के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए विधि विज्ञान, तकनीकी और मानविकी के क्षेत्र में निर्मित शब्दावली के लिए शब्दावली बैंक का निर्माण तुरंत किया जाय। यह कार्य प्रगति पर है किन्तु अभी तक अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आये हैं।

छ. 1. विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूपण हिन्दी में किया जाय ताकि मूल रूप से हिन्दी में ही लिखे जायें।

2. भविष्य में कोड, मैन्युअल आदि का सृजन मूल रूप से हिन्दी में किया जाना चाहिए।

3. हिन्दी में प्रकाशित वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य का व्यापक प्रचार।

4. समिति की इस सिफारिश पर कि उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को बनाया जाय। यह काम मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को सौंपा गया।

ज. अनुवाद की भाषा का स्वरूप ऐसा हो जो भारत की अखंडता तथा एकता के हित में हो तथा जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 351 में किया गया है।

झ. समिति ने सुझाव दिया कि राजभाषा नियम 1976 के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रशासनिक प्रधान का है। अधिकांश विभागाध्यक्षों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है इसलिए सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। सरकार ने इस सिफारिश को संशोधन के द्वारा माना है कि राजभाषा कार्यान्वयन प्रेरणा और प्रोत्साहन से दिया जाय पर साथ ही नियमों और

आदेशों आदि के अनुपालन में दृढ़ता बरती जाय।[1]

ञ. समिति ने राज्य सरकारों के संबंध में भी कुछ सिफारिशें की हैं[2]:

1. न्यायिक अधिकारियों को राज्य की राजभाषा में प्रशिक्षण दिया जाय ताकि ये निर्णय इत्यादि राज्य की राजभाषा में दे सकें।

2. अधिवक्ताओं व विधि अधिकारियों द्वारा न्यायालयों में राज्य की राजभाषा में बहस की जाय ताकि निर्णय राज्य की राजभाषा में दिया जा सके तथा यह भी अनिवार्य किया जाय कि याचिकाओं आदि में विधि शब्दावली का ही प्रयोग हो तथा राज्य सरकारें शपथ पत्र, वैध पत्र और लिखित कथन केवल अपने राज्य की राजभाषा में ही प्रस्तुत करें ताकि अंततोगत्वा ये कार्य पूर्ण राज्य की राजभाषा में हो सकें।

3. अधीनस्थ न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य किया जाय कि वे अपने निर्णय डिक्रि और आदेश अपने राज्य की राजभाषा में पारित करें।

4.5.12(ख) समिति के प्रतिवेदन के दूसरे खंड की अनुशंसायें

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(1) के अधीन गठित संसदीय राजभाषा समिति ने अपना द्वितीय प्रतिवेदन देवनागरी में यांत्रिक सुविधाओं के बारे में जुलाई 1987 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार इसे 29 मार्च 1988 को लोकसभा में तथा 30 मार्च 1988 को राज्यसभा के पटल पर रखा गया। इसकी प्रतियाँ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनसे राय लेने के लिए भेजी गई हैं। संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधन के साथ मान लिया गया है। लिये गये निर्णयों के अनुसार तत्कालीन राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री निशिकांत महाजन के हस्ताक्षर से राजभाषा विभाग के दिनांक 29 मार्च 1990 के संकल्प संख्या 12015/34/87–रा.भा.(तक) जारी किया गया।[3]

समिति की विभिन्न सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

समिति ने सिफारिश की है कि (क) 1990 तक 'क' क्षेत्र स्थित कार्यालयों में कम से कम 90% 'ख' क्षेत्र में 66½% तथा 'ग' क्षेत्र में 25% टाइपराइटर देवनागरी

---

1. "संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदनों पर राष्ट्रपति के आदेशों का संकलन, भारत सरकार, गृह मंत्रालय का प्रकाशन, खंड 1, पृष्ठ 12, बिन्दु 30(6)
2. वही खंड 1, पृष्ठ 12, बिन्दु 30(8)
3. "संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेशों का सकलन" राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, खंड 2, पृष्ठ 14

के होने चाहिए। साधारण टाइपराइटरों के अतिरिक्त पिन प्वाइंट, बुलेटिन और पोर्टेबल तथा बिजली से चालित टाइपराइटरों पर भी यह बात लागू होगी। इसे वार्षिक कार्यक्रम में स्पष्ट किया गया है।

(ख) प्रत्येक कार्यालय में कम-से-कम एक टाइपराइटर देवनागरी का हो। समिति की सिफारिश मान ली गई है किन्तु समय 1994-95 के अंत तक रखा गया। प्रत्येक कार्यालय में देवनागरी का एक टाइपराइटर अवश्य हो तथा वर्तमान देवनागरी टाइपराइटरों में प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि करते हुए 1994-95 तक लक्ष्य प्राप्त किया जाय। इस संबंध में आदेश जारी किये जा चुके हैं।[1]

2. देवनागरी टाइपराइटर बनानेवाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाय ताकि आवश्यकतानुसार आपूर्ति हो सके।

3. जब तक केवल देवनागरी इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर नहीं आ जाता तब तक केवल ऐसे टाइपराइटर खरीदे जायें जिनमें द्विभाषी सुविधा हो। इसके अनुसार राजभाषा विभाग द्वारा 15 जून 1987 को आदेश जारी किये गये।[2]

4. हिन्दी टाइपिंग व आशुलिपि में प्रशिक्षण सभी कर्मचारियों की सेवाओं का हिन्दी के काम के लिए उपयोग किया जाय। जहाँ हिन्दी टाइप जाननेवाले कर्मचारी हैं वहाँ तत्काल हिन्दी टाइपराइटर खरीदा जाय। जिन्हें हिन्दी टाइपिंग व आशुलिपि का ज्ञान नहीं है 1990 तक प्रशिक्षण दिलवाया जाय। सिफारिश को इस संशोधन के साथ मान लिया गया कि प्रशिक्षण 1994-95 तक पूरा किया जाय।

हिन्दी टाइपिंग व आशुलिपि प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था सुदृढ़ की जाय। इसके लिए केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान को तत्काल कदम उठाने के लिए निर्देश दिया गया।

सिफारिशों के अनुसार :

क. पूर्णकालिक व अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र खोलना

ख. राज्य सरकार व स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था।

ग. निजी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण में होनेवाले खर्च की प्रतिपूर्ति

घ. पूर्णकालिक प्रशिक्षण व गहन प्रशिक्षण के अंतर्गत क्रैश कोर्स उपरोक्त ढंग से सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक कार्यालय एक टंकक को हिन्दी टंकण का ज्ञान अवश्य हों।[3]

5. टेलेक्स तथा टेलिप्रिंटर प्रचालकों के लिए भी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित

---

1. "संसदीय राजभाषा समिति के अभिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेशों का संकलन", राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, खंड 2, पृठ 15, बिन्दु 5(क)
2. वही पृष्ठ 16, बिन्दु 7 (क)(ख)(ग)
3. "संसदीय राजभाषा समिति के अभिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेशों का संकलन", राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, खंड 2, पृष्ठ 15, बिन्दु 5(क)

किया जाये। यह कार्य दूर संचार विभाग तथा केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान को सौंपा गया।

6. पता लेखी मशीनों के साथ देवनागरी एंबोसिंग मशीन लगाई जाय यह 'क' 'ख' तथा 'ग' तीनों क्षेत्रों में होनी चाहिए क्योंकि 'ग' क्षेत्र के कार्यालयों से भी पर्याप्त मात्रा में पत्राचार 'क', 'ख' क्षेत्रों में होता है, इसके लिए कर्मचारियों को हिन्दी भाषा में काम करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।

इलेक्ट्रोनिक टेलिप्रिंटर रोमन की बजाय द्विभाषी लगाये जायें। यह काम 30-9-1993 तक पूरा होना चाहिए। इसके लिए दूर संचार विभाग समयबद्ध योजना बनाये ताकि यथाशीघ्र टेलेक्स मशीनें द्विभाषी में कार्यालयों में उपलब्ध हों। यह भी सुनिश्चित करें कि मुख्यतः देवनागरी में काम हो। टेलेक्स प्रचालकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा शीघ्र की जाय।

7. कंप्यूटर प्रणाली में देवनागरी में काम करने व शब्द संसाधक आदि खरीदने के संबंध में सरकार कड़ाई से कार्य करने के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा 31-8-1987 के निर्देश की पुनरावृत्ति की गई। इसके लिए इलेक्ट्रोनिक विभाग में एक स्पेशल सेल खोला गया। केवल देवनागरी में डाटा प्रोसैसिंग के लिए देवनागरी कंप्यूटर प्रणाली के लिए हार्डवेयर साफ्टवेयर का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।[1]

8. हिन्दी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। ऐसे शोध के प्रयास किये जायें ताकि कुंजीपटल की बजाय केवल उच्चरण से ही अपेक्षित सामग्री भरी जा सके। इलेक्ट्रोनिक विभाग को इसके शोध का काम सौंपा गया।

9. जिन कंप्यूटरों में केवल रोमन में कार्य करने की सुविधा है वहाँ देवनागरी टर्मिनल तत्काल लगाया जाये।

जिन कंप्यूटरों में तकनीकी कारणों से द्विभाषी सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती उन्हें नवीनतम द्विभाषी कंप्यूटरों में बदला जाय।

क. केवल ऐसे कंप्यूटरों की व्यवस्था की स्वीकृति इलेक्ट्रोनिकी विभाग द्वारा दी जाय जिनपर हिन्दी प्रोसैसिंग व प्रिंटिंग की सुविधा हो।

ख. कंप्यूटर से संबंधित पुस्तकें मूल रूप से हिन्दी में प्रकाशित करने के लिए इलेक्ट्रोनिक विभाग कदम उठाये।

ग. अन्य विदेशी भाषाओं व अंग्रेजी से सरल अनुवाद की व्यवस्था कंप्यूटर के माध्यम से की जाने की व्यवस्था के लिए इलेक्ट्रोनिक विभाग कदम उठाये।

---

1. "संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पहले 4 खंडों पर राष्ट्रपति के आदेशों का संकलन", राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, दूसरा खंड, पृष्ठ 21, बिन्दु 25.4

घ. कुंजीपटल पर देवनागरी में भी वर्ण उत्कीर्ण करने की व्यवस्था की जाय।[1]

10. तार प्रेषण प्रणाली का देवनागरी साफ्टवेयर निर्माण के सबंध में समिति की सिफारिश मान ली गई है तथा दूर संचार विभाग को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा गया।[2]

11. समिति की यह सिफारिश कि भारत सरकार के सभी प्रकाशन द्विभाषी में साथ-साथ निकाले जायें, सभी सरकारी मुद्रणालयों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के मुद्रण कार्य के लिए सुचारु व्यवस्था हो और हिन्दी मुद्रण किसी भी स्थिति में अंग्रेजी मुद्रण से कम कोटिका हो यह मान ली गई तथा मुद्रण निदेशालय को तत्संबंधित कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है।[3]

द्विभाषी उपकरणों की खरीद व उनके देवनागरी में प्रयोग के संबंध में समिति ने महसूस किया कि चाहे आदेश जारी किये जा चुके हैं किन्तु अभी भी कुछ विभागाध्यक्षों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जिससे राजभाषा के रूप में हिन्दी के कार्यान्वयन की गति अवरुद्ध हुई है और अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ावा मिला है। अतः जिन विभागाध्यक्षों ने आदेशों का समुचित अनुपालन नहीं किया है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाय। सरकार ने इन सुझावों पर अमल करने के लिए मान लिया है।[4]

4.5.12(ग) समिति के प्रतिवेदन के तीसरे खंड की अनुशंसायें

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति तथा प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिन्दी शिक्षण व हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में सिफारिशें करते हुए समिति ने अपने प्रतिवेदन का तीसरा खंड फरवरी 1989 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इसे 13 अक्तूबर 1989 को लोकसभा एवं 29 दिसंबर 1989 को राज्यसभा के पहल पर रखा गया। चूंकि सिफारिशों का संबंध केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण तथा हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था से है। अतः इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से भी राय आमंत्रित की गई। सभी स्तरों से प्राप्त मत पर विचार करने के बाद समिति की अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप से किन्तु कुछ को कुछ संशोधन के साथ मानकर कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी किये गये। सिफारिशों के आधार पर जो नीति अपनाई गई वह संक्षेप में इस प्रकार है[5]:

1–4 "संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पहले 4 खंडों पर राष्ट्रपति के आदेशों का संकलन, राजभाषा विभाग, भारत सरकार का प्रकाशन, दूसरा खंड, पृष्ठ 21-22

5. "संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पहले चार खंडों पर दिये गये राष्ट्रपति के आदेशों का संकलन," भारत सरकार का प्रकाशन राजभाषा विभाग काय संकल्प सं. 13015/1/91/रा.भा.(घ) दिनांक 4-11-1991 खंड–3, पृष्ठ 24 से साभार

1. हिन्दी शिक्षण योजना तथा विभागीय व्यवस्था सुदृढ़ करना।

2. हिन्दी प्रशिक्षण/शिक्षण के लिए प्रोत्साहन योजना।

3. निजी प्रयत्नों से हिन्दी शिक्षण योजना की परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन राशि सामान्य से दुगुनी करना।

4. हिन्दी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रमों की समीक्षा व सुधार।

5. 'क' व 'ख' क्षेत्र में 1990 तक तथा 'ग' क्षेत्र में 1993 के अंत तक शिक्षण व्यवस्था पूरी करना किन्तु सरकार से इसके लिए विचारोपरांत 'क', तथा 'ख' क्षेत्रों में 1997 तक तथा 'ग' क्षेत्र में 2000 तक पूरा करने का आदेश दिया।

6. नये भर्ती होनेवाले कर्मचारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण से पूर्व हिन्दी का गहन प्रशिक्षण देना।

7. 'ग' क्षेत्र में शिक्षण योजना के नये केंद्र खोलना तथा वर्तमान मानदंडों में ढील देना। अंशकालिक केंद्रों का पूर्णकालिक केंद्रों में परिवर्तन।

8. अंशकालिक प्राध्यापकों के मानदेय में वृद्धि व प्राध्यापकों के नये पद सृजित करना और वर्तमान प्रतिमानों में ढील देना।

9. प्रशिक्षण कार्य को सुचारु ढंग से चलाने के लिए अप्रशिक्षित कर्मचारियों का रोस्टर तैयार करना ताकि उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सके।

10. नव-प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षणोपरांत हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित करना व प्रोत्साहन देना।

11. हिन्दी शिक्षण का कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन के लिए अनुदान व अन्य प्रोत्साहन देना व उदार मानदंड अपनाना।

12. सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अरबी, चीनी, जर्मन, फ़्रैंच, स्पैनिश के माध्यम से हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था। केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 1990-91 में अतिरिक्त पाठ्यक्रम कर दिये गये हैं।[1]

13. दीर्घ अवधि पाठ्यक्रमों में हिन्दी का प्रशिक्षण एक विषय के रूप में देना। ऐसी व्यवस्था करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा सभी विभागों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं। जिन विभागों से विभागीय हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है उनकी व्यवस्था की जाय।[2]

14. आकाशवाणी, दूरदर्शन द्वारा हिन्दी पाठ्यक्रमों का प्रसारण-समय बढ़ाना व पाठ प्रसारित करना। हिन्दी कार्यशालाओं के माध्यम से सभी कर्मचारियों को

---

1. "राजभाषा संबंधी सांविधिक उपबंध, राष्ट्रपति के आदेश 1960 व राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 का संकलन", भारत सरकार, गृह मंत्रालय का प्रकाशन, पृष्ठ 38

2. "संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश का संकलन", राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, पृष्ठ 28, खंड 4

प्रयोजनमूलक हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाय ताकि वे हिन्दी माध्यम से काम करने में सक्षम हो सकें। वह कार्य 5 वर्ष में पूरा करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा निर्देश दिये गये।

15. देश-भर में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई हिन्दी में करने के लिए उपर्युक्त व्यवस्था हो, ताकि हिन्दी माध्यम से पठन-पाठन करने में कोई बाधा न हो। केंद्र सरकार की शिक्षा संस्थाओं में लागू करने के लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं, साथ ही राज्य सरकारों को उनके स्तर पर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया। द्विभाषा सूत्र को सभी राज्यों में शीघ्र लागू करवाया जाय। शिक्षा विभाग इसके लिए सोच-विचार कर कदम उठाये तथा अपने नियंत्रणाधीन केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाये। भर्ती के लिए साक्षात्कार में हिन्दी का विकल्प।[1]

16. कृषि, इंजिनियरिंग तथा आयुर्विज्ञान की भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प। इसके लिए पाठ्य-सामग्री व संदर्भ साहित्य का भी हिन्दी में निर्माण किया जाय। इस सिफारिश को मान लिया गया है किन्तु इस विषय में विभिन्न संस्थाओं को छूट दी जाय कि वे हिन्दी माध्यम का विकल्प देने के लिए कृषि अनुसंधान परिषद अपने नियंत्रणाधीन संस्थाओं को इस बारे में समुचित निर्देश दें तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

17. संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1968 के परिप्रेक्ष्य में सभी पदों को भर्ती नियमों की इस दृष्टि से समीक्षा की जाय कि भर्ती के समय अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है या नहीं। इसे मानते हुए प्रशिक्षण हेतु कार्मिक विभाग को भर्ती के समय हिन्दी का निर्धारित ज्ञान न होने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि के दौरान हिन्दी में निर्धारित स्तर का ज्ञान प्राप्त करने का प्रावधान करने का अनुरोध किया गया।[2]

18. प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण

क. सभी प्रकार का प्रशिक्षण चाहे अल्पावधि हो या दीर्घावधि 'क' व 'ख' क्षेत्र में हिन्दी माध्यम से दिया जाय।

ख. नये भर्ती होनेवाले कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान न होने की स्थिति में सेवा शुरू होते ही हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था। दीर्घावधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के दौरान प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी के गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना।

ग. 15 दिन या इससे अधिक की अवधि के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी देना।

---

1. "संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेशों का संकलन", राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, पृष्ठ 30, खंड 4, बिन्दु 22(ख) 3
2. "संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेशों का संकलन" राजभाषा विभाग, भारत सरकार का प्रकाशन बिन्दु 22(ज), खंड 3, पृष्ठ 31

घ. प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य-सामग्री का अनुवाद।

ङ. विभिन्न विभागों के कार्य क्षेत्र से संबंधित तकनीकी विषयों पर पुस्तकें लिखने पर देय प्रोत्साहन योजना को उदार और आकर्षक बनाना।

च. प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को अपने विषय से संबंधित हिन्दी में पुस्तकें लिखने पर विशेष प्रोत्साहन।

छ. 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में कार्यरत हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देनेवाले प्रशिक्षकों को कुछ समय के लिए 'ग' क्षेत्र में भेजना तथा ऐसे प्रशिक्षकों को 'ग' क्षेत्र में कार्य करने की अवधि के दौरान आकर्षक एवं विशेष वेतन दिया जाय।

4.5.12(घ) समिति के प्रतिवेदन के चौथे खंड की अनुशंसायें

संसदीय राजभाषा समिति की 3 उप-समितियों द्वारा अनेक मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/संस्थानों आदि के निरीक्षण तथा गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ चर्चा के पश्चात अपने प्रतिवेदन के चौथे खंड में हिन्दी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला गया है और इन निरीक्षणों और अद्यतन सूचनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात समिति ने केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने तथा राजभाषा नियम व अधिनियम को समुचित रूप से लागू करने के संबंध में सिफारिशें करते हुए अपने प्रतिवेदन का चौथा खंड नवंबर 1989 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इसे अगस्त 1990 में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया। इसकी प्रतियाँ राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को उनकी राय जानने के लिए भेजी गईं। विचारोपरांत लिये गये निर्णयों के आधार पर राजभाषा विभाग, भारत सरकार के संकल्प संख्या 12019/10/91–रा. भा.(भा) दिनांक 28-1-1992 के अनुसार निर्देश जारी किये गये[1]।

समिति की मुख्य अनुशंसायें निम्नलिखित हैं[2]:

क. राजभाषा नीति को कारगर रूप से कार्यान्वयन करने हेतु निरीक्षण एवं मानिटरिंग व्यवस्था मजबूत करना तथा इसके लिए अलग स्टाफ की व्यवस्था करना।

---

1 "संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश का संकलन", राजभाषा विभाग, भारत सरकार, गृह मंत्रालय का प्रकाशन, चौथा खंड, प्रस्तावना, पृष्ठ 35

2 "संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेशों का संकलन", राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, चौथा खंड, पृष्ठ 35 अनुशंसाओं से साभार

ख. राजभाषा के पक्ष में कर्मचारियों की मनोवृत्ति बदलने व व्यापक जानकारी देने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों व सम्मेलनों का आयोजन। कार्यशालाओं में हिन्दी जाननेवाले प्रत्येक कर्मचारी को वर्ष में कम-से-कम एक बार भाग लेकर हिन्दी में मूल रूप से काम करने के अभ्यास का अवसर मिले।

ग. अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों में उनके राजभाषा हिन्दी के ज्ञान का स्तर, उनमें हिन्दी में काम करने की क्षमता और अभिरुचि का उल्लेख किया जाय।

घ. समिति ने बता दिया कि

1. दूसरे खंड की अनुशंसा के अनुसार हिन्दी टंकण/आशुलिपि में प्रशिक्षण पूरा किया जाय। हिन्दी टाइपराइटर व यांत्रिक सुविधाओं संबंधी अपेक्षाओं को तत्काल पूरा किया जाय।

2. पहले खंड की अनुशंसाओं के अतंर्गत राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति पूरी की जाय।

ङ. वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियाँ सभी संबंधित कार्यालयों में अप्रैल माह के अंत तक उपलब्ध कराई जाएँ।

च. सभी छोटे-बड़े कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या का भेदभाव रखे बिना राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की जायँ व इनकी नियमित बैठकें बुलाई जायें। वर्ष में 6 बैठकों के सुझाव के मुकाबले 4 बैठकों पर सहमति व्यक्त की गई।

छ. 'क' तथा 'ख' क्षेत्र को भेजे जानेवाले तार केवल हिन्दी में भेजे जायें तथा 'ग' क्षेत्र में भी तार हिन्दी में भेजने की शुरुआत की जाय तथा पत्राचार संबंधी लक्ष्य को पूरा करें। सरकार ने आदेश दिये हैं कि जो मंत्रालय/विभाग/कार्यालय लक्ष्य से बहुत पीछे हैं वे समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके एक समय सीमा के अंदर समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ज. हिन्दी में काम करने का वातावरण बनाने तथा राजभाषा हिन्दी में मूलकाम करने में उपलब्ध सहायक साहित्य का पूरा प्रचार किया जाय तथा शब्दकोश, शब्दावली, सहायक तथा संदर्भ साहित्य और अन्य हिन्दी पुस्तकों की व्यवस्था की जाय।

झ. भारत सरकार के देश विदेशों में स्थित सभी कार्यालयों और क्षेत्र 'क' व 'ख' में स्थित केंद्रीय सरकार के अनुदान पानेवाले स्वैच्छिक संस्थान भी यह सुनिश्चित करें कि वे अपने-अपने नामपट्ट, मोहरें पत्र शीर्ष, लोगो आदि द्विभाषी रूप में तैयार करवायें व 'ग' क्षेत्र में त्रिभाषी पहले जारी आदेशों को पुनः परिचालित किया जाय।

ञ. तीसरे खंड में की गई सिफारिशें, हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण को तत्काल

प्रभावी ढंग से लागू किया जाय। इसके अनुपालन में 4-11-91 से कार्रवाई की जा चुकी है।

ट. भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता को तुरंत समाप्त करके यह सुनिश्चित किया जाय कि 18 जनवरी 1988 के संसद के संकल्प में की गई व्यवस्था का निष्ठापूर्वक आदर किया जाय।

ठ. रजिस्टरों व सेवा पंजियों के शीर्षक, बहियों के बिल्ले प्रतीक चिह्न व वर्दियों पर काढ़े जानेवाले नाम हिन्दी व अंग्रेजी में होने चाहिए व 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में भेजे जानेवाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिन्दी में लिखे जायें।

समिति ने अपने प्रतिवेदन के चारों खंडों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी लगभग सभी पहलुओं पर अनुशंसायें की हैं तथा कोई पहलू अछूता नहीं छोड़ा है। जहाँ कहीं व्यावहारिक कठिनाई आई है उस पर भी समिति ने गहन विचार किया है। अंत में समिति ने सरकार से अनुरोध किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के चारों खंडों में की गई सिफारिशों पर अविलंब अपेक्षित कार्रवाई की जाय जिससे संघ की राजभाषा नीति के सुचारु एवं प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके तथा देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखा जा सके। समिति द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व प्रस्तुत प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि समिति ने राजभाषा के व्यावहारिक पहलु का विभिन्न क्षेत्रों में जाकर गहराई से अध्ययन किया है व पाई गई कमियों के आधार पर संविधान की भावनाओं को समझते हुए अनुशंसा की है।

4.5.13 राजभाषा सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, बैठकें व सेमिनारों के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा हिन्दी के प्रसार व प्रचार के लिए पत्र-पत्रिकाओं व अन्य संचार-माध्यमों के अतिरिक्त वार्षिक कार्यक्रम में निश्चित किये गये हिन्दी-दिवस-समारोहों का सहारा लिया जा रहा है। प्रति वर्ष 14 सितंबर को मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/निगमों आदि में हिन्दी-दिवस-समारोह का आयोजन किया जाता है। वार्षिक कार्यक्रम में इसे एकमद के रूप में रखा जाता है। कुछ मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में हिन्दी सप्ताह, माह मनाया जाता है। इसके माध्यम से कर्मचारियों को राजभाषा के प्रति रुचि जागृत करने के साथ-साथ विभिन्न नियमों व संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी जाती है।[1] राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14034/2/87–रा.भा.–1(का–1) दिनांक 21-4-87 व 1/14034/2/87 रा.भा.(क–1) दिनांक 23-9-87 द्वारा हिन्दी-दिवस-समारोह के आयोजन के लिए कार्यक्रम की जानकारी दी गई है तथा निर्देश दिया गया कि प्रति वर्ष हिन्दी दिवस 14 सितंबर को ही मनाया जाय क्योंकि इसी तारीख को 1949 में संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यदि

ख. राजभाषा के पक्ष में कर्मचारियों की मनोवृत्ति बदलने व व्यापक जानकारी देने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों व सम्मेलनों का आयोजन। कार्यशालाओं में हिन्दी जाननेवाले प्रत्येक कर्मचारी को वर्ष में कम-से-कम एक बार भाग लेकर हिन्दी में मूल रूप से काम करने के अभ्यास का अवसर मिले।

ग. अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों में उनके राजभाषा हिन्दी के ज्ञान का स्तर, उनमें हिन्दी में काम करने की क्षमता और अभिरुचि का उल्लेख किया जाय।

घ. समिति ने बता दिया कि

1. दूसरे खंड की अनुशंसा के अनुसार हिन्दी टंकण/आशुलिपि में प्रशिक्षण पूरा किया जाय। हिन्दी टाइपराइटर व यांत्रिक सुविधाओं संबंधी अपेक्षाओं को तत्काल पूरा किया जाय।

2. पहले खंड की अनुशंसाओं के अतंर्गत राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति पूरी की जाय।

ङ. वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियाँ सभी संबंधित कार्यालयों में अप्रैल माह के अंत तक उपलब्ध कराई जाएँ।

च. सभी छोटे-बड़े कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या का भेदभाव रखे बिना राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की जायँ व इनकी नियमित बैठकें बुलाई जायें। वर्ष में 6 बैठकों के सुझाव के मुकाबले 4 बैठकों पर सहमति व्यक्त की गई।

छ. 'क' तथा 'ख' क्षेत्र को भेजे जानेवाले तार केवल हिन्दी में भेजे जायें तथा 'ग' क्षेत्र में भी तार हिन्दी में भेजने की शुरुआत की जाय तथा पत्राचार संबंधी लक्ष्य को पूरा करें। सरकार ने आदेश दिये हैं कि जो मंत्रालय/विभाग/कार्यालय लक्ष्य से बहुत पीछे हैं वे समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके एक समय सीमा के अंदर समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ज. हिन्दी में काम करने का वातावरण बनाने तथा राजभाषा हिन्दी में मूलकाम करने में उपलब्ध सहायक साहित्य का पूरा प्रचार किया जाय तथा शब्दकोश, शब्दावली, सहायक तथा संदर्भ साहित्य और अन्य हिन्दी पुस्तकों की व्यवस्था की जाय।

झ. भारत सरकार के देश विदेशों में स्थित सभी कार्यालयों और क्षेत्र 'क' व 'ख' में स्थित केंद्रीय सरकार के अनुदान पानेवाले स्वैच्छिक संस्थान भी यह सुनिश्चित करें कि वे अपने-अपने नामपट्ट, मोहरें पत्र शीर्ष, लोगो आदि द्विभाषी रूप में तैयार करवायें व 'ग' क्षेत्र में त्रिभाषी पहले जारी आदेशों को पुनः परिचालित किया जाय।

ञ. तीसरे खंड में की गई सिफारिशें, हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण को तत्काल

प्रभावी ढंग से लागू किया जाय। इसके अनुपालन में 4-11-91 से कार्रवाई की जा चुकी है।

ट. भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता को तुरंत समाप्त करके यह सुनिश्चित किया जाय कि 18 जनवरी 1988 के संसद के संकल्प में की गई व्यवस्था का निष्ठापूर्वक आदर किया जाय।

ठ. रजिस्टरों व सेवा पंजियों के शीर्षक, बहियों के बिल्ले प्रतीक चिह्न व वर्दियों पर काढ़े जानेवाले नाम हिन्दी व अंग्रेजी में होने चाहिए व 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में भेजे जानेवाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिन्दी में लिखे जायें।

समिति ने अपने प्रतिवेदन के चारों खंडों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी लगभग सभी पहलुओं पर अनुशंसायें की हैं तथा कोई पहलू अछूता नहीं छोड़ा है। जहाँ कहीं व्यावहारिक कठिनाई आई है उस पर भी समिति ने गहन विचार किया है। अंत में समिति ने सरकार से अनुरोध किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के चारों खंडों में की गई सिफारिशों पर अविलंब अपेक्षित कार्रवाई की जाय जिससे संघ की राजभाषा नीति के सुचारु एवं प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके तथा देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखा जा सके। समिति द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व प्रस्तुत प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि समिति ने राजभाषा के व्यावहारिक पहलु का विभिन्न क्षेत्रों में जाकर गहराई से अध्ययन किया है व पाई गई कमियों के आधार पर संविधान की भावनाओं को समझते हुए अनुशंसा की है।

4.5.13 राजभाषा सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, बैठकें व सेमिनारों के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा हिन्दी के प्रसार व प्रचार के लिए पत्र-पत्रिकाओं व अन्य संचार-माध्यमों के अतिरिक्त वार्षिक कार्यक्रम में निश्चित किये गये हिन्दी-दिवस-समारोहों का सहारा लिया जा रहा है। प्रति वर्ष 14 सितंबर को मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/निगमों आदि में हिन्दी-दिवस-समारोह का आयोजन किया जाता है। वार्षिक कार्यक्रम में इसे एकमद के रूप में रखा जाता है। कुछ मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में हिन्दी सप्ताह, माह मनाया जाता है। इसके माध्यम से कर्मचारियों को राजभाषा के प्रति रुचि जागृत करने के साथ-साथ विभिन्न नियमों व संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी जाती है।[1] राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14034/2/87—रा.भा.—1(का—1) दिनांक 21-4-87 व 1/14034/2/87 रा.भा.(क—1) दिनांक 23-9-87 द्वारा हिन्दी-दिवस-समारोह के आयोजन के लिए कार्यक्रम की जानकारी दी गई है तथा निर्देश दिया गया कि प्रति वर्ष हिन्दी दिवस 14 सितंबर को ही मनाया जाय क्योंकि इसी तारीख को 1949 में संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यदि

इस दिन छुट्टी हो तो इससे ठीक परवर्ती कार्य-दिवस में मनाया जाय।[1]

क. कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा संबंधी नियमों, अधिनियमों, अनुदेशों आदि से परिचित कराना

ख. हिन्दी में टिप्पण/आलेखन/टंकण/आशुलिपि के अभ्यास के लिए कार्यक्रम आयोजित करना

ग. हिन्दी में काम करने की प्रेरणा के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा अपील जारी करना, निर्देशों के कार्यान्वयन में आनेवाली कठिनाइयों पर विचार विमर्श करना।

घ. राजभाषा संबंधी प्रचार सामग्री (जैसे शब्दावली, पत्र-पत्रिकायें, संदर्भ-साहित्य) का प्रदर्शन और वितरण

ङ. हिन्दी में हुए या हो रहे कामकाज के नमूनों (जैसे हिन्दी में चेक टिप्पण आलेख आदि का प्रदर्शन

च. हिन्दी में प्रकाशित कार्यालयीन विषयों से संबंधित पुस्तकों, शब्दावलियों और पत्रिकाओं आदि की प्रदर्शनी आयोजित करना। द्विभाषी इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर, वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर आदि के प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है।

छ. हिन्दी में आलेखन, टिप्पण, टंकण आशुलिपि भाषण, वाद-विवाद, निबंध-काव्यपाठ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन

ज. हिन्दी में सुरुचिपूर्ण अभिनय, नाटक, गीत आदि कार्यक्रम का आयोजन

झ. राजभाषा हिन्दी से संबंधित आवधिक रिपोर्टों के संबंध में आवश्यक जानकारी देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन

ञ. हिन्दी में सराहनीय कार्य करने के लिए पुरस्कार, प्रमाण-पत्र आदि का वितरण।

यह भी स्पष्ट किया गया कि राजभाषा हिन्दी में शासकीय कार्य को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य कार्यालयीन कार्यों का ही अंग है। इसलिए जिस प्रकार अन्य कार्यालयीन कार्यों के लिए खर्चे की व्यवस्था की जाती है उसी प्रकार हिन्दी के राजभाषा के तौर पर उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित कार्यों के लिए भी वे खर्चे की व्यवस्था करें।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए, ताकि संविधान की धारा 351 के प्रावधानों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। समय-समय पर राजभाषा सम्मेलन, क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों, नगर राजभाषा समिति की बैठकों, विशेष अवसरों पर समारोहों का आयोजन इत्यादि करके राजभाषा हिन्दी के प्रभावी प्रयोग के लिए विचार-विमर्श किया जाता है तथा कर्मचारियों/संस्थाओं के अपने काम की सराहना करके प्रोत्साहित किया जाता है।

---

1. "वार्षिक कार्यक्रम 1990-91", अध्याय 5, पृष्ठ 20 तथा आदेशों का अनुपूरक संकलन अध्याय 15, पृष्ठ 115

प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं और इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया जाता है।

हिन्दी में काम-काज करने की प्रेरणा प्रदान करने और जिन कार्यालयों में समुचित मात्रा में हिन्दी में कामकाज होता है उनकी जानकारी दूसरी संस्थाओं को देने, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर क्षेत्रीय राजभााषा सम्मेलन, अखिल भारतीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1989-90 में तीन क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 19 जुलाई, को पुणे, 15 सितंबर को कोचीन तथा 20 नवंबर को लखनऊ में आयोजित किये गये तथा इनमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय भाषाओं के विशिष्ट विद्वानों क्रमशः श्रीधर बी सोहोनी, मद्रम श्री डॉ. के. एम. जार्ज और श्री अमृत लाल नागर को आमंत्रित किया गया। 1990-91 में 1 जून 1990 को शिलांग तथा 11 जनवरी 1991 को कलकत्ता में दो सम्मेलन किये गये। इनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार श्री वीरेंद्र भट्टाचार्य और श्री विमल मित्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इन सम्मेलनों में संबंधित क्षेत्रों के केंद्रीय कार्यालयों/उपक्रमों और बैंकों आदि के विभागाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक/महा प्रबंधकों, उच्चाधिकारियों तथा राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें संबंधित क्षेत्रों में हिन्दी में उल्लेखनीय काम करनेवाले अधिकारियों और राजभाषा अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के उन अध्यक्षों और सचिवों को भी सम्मानित किया गया जिनके प्रयासों से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति विशेष सक्रिय रही। इन सम्मेलनों की अध्यक्षता सचिव (राजभाषा) और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार व संयुक्त सचिव ने की। सम्मेलनों में राजभाषा के कार्य में आनेवाली कठिनाइयों पर चर्चा की गई और सुझाव दिये गये।[1]

वित्त मंत्रालय द्वारा लगाये गये वित्तीय प्रतिबंधों के कारण 1992-93 में कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया। इनके स्थान पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की गुवाहाटी, मंगलूर व बड़ोदरा में हुई बैठकों में ही क्रमशः 29-5-92, 24-12-92 व 12-1-93 को पुरस्कार वितरित किये गये।[2]

राजभाषा को गति देने व समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से बैंकों के अलग-अलग से राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

अब तक दो सम्मेलनों का आयोजन 10 व 21 मई 1988 को कलकत्ता में तथा दूसरा 15-16 सितंबर 1990 को बंबई में हुआ। इनमें राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़ी अपेक्षाओं व इसके कार्य में आनेवाली बाधाओं पर चर्चा हुई। सम्मेलनों के अतिरिक्त राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए वैज्ञानिक और

---

1. "वार्षिक रिपोर्ट" 1989-90 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, पृष्ठ 7 व 1990-91 का पृष्ठ 7
2. वही, पृष्ठ 6

तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। सरकार की सोची-समझी नीति है कि वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग को अधिक-से-अधिक बढ़ावा दिया जाय ताकि वह वैज्ञानिक और तकनीकी संकल्पनाओं के संप्रेषण को मौलिक और सशक्त माध्यम बन सके। इसकी पूर्ति के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों को आदेश जारी किये गये हैं कि हिन्दी में वैज्ञानिक तकनीकी संगोष्ठियों में कर्मचारियों को हिन्दी में वैज्ञानिक तकनीकी पेपर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाय तथा उन्हें प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय। परिणामस्वरूप निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण संगोष्ठियों का आयोजन किया गया[1] :

	संस्थान	**विषय**
1.	नेशनल मिनरल डिबेलपमेंट कार्पोरेशन दोणिमल्ले उपनगर, जिला—बल्लारी (कर्नाटक)	संसाधनों के यथोचित उपयोग के लिए युक्तिपरक प्रबंधन योजना
2.	आयुर्विज्ञान सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	सांख्यिकी का स्वास्थ्य सेवा में योगदान
3.	केंद्रीय हिन्दी संस्थान, दिल्ली केंद्र	कंप्यूटर संसाधित हिन्दी भाषा शिक्षण एवं सृजनात्मक लेखन शिक्षण
4.	विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना, विशाखापट्टनम	इस्पात उद्योग में उत्पाद कार्य संस्कृति का विकास मूल आवश्कतायें
5.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (जीवरसायन विज्ञान प्रभाग, पुणे)	पादपकोशिका तथा उसका संवर्धन
6.	मलेरिया अनुसंधान केंद्र, दिल्ली	मलेरिया नियंत्रण
7.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, राँची	ऊर्जा संरक्षण : वर्तमान संदर्भ और भविष्य
8.	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन और बंबई विश्वविद्यालय	साहित्य/विज्ञान संबंधी खोज
9.	अपापरिंक ऊर्जा स्रोत विभाग, नई दिल्ली	वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के प्रचार-प्रसार में राजभाषा का योगदान
10.	केंद्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	पर्यावरण अनुरक्षण रहित कीट-नियंत्रण
11.	भारतीय विकीरण संरक्षण, बंबई	जयपुर में विकीरण संबंधी गोष्ठी

1. "वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 1990-91, 1992-93", अध्याय 3, पृष्ठ 8, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन

12.	भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बंबई	परमाणु विज्ञान एवं विकास
13.	काशी हिन्दी विश्वविद्यालय, वाराणसी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नये आयाम
14.	हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद भाषा अनुसंधान केंद्र, बंबई	कृषि चिकित्सा और प्रौद्योगिकीय परमाणु
15.	रक्षा विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली	वैज्ञानिक शोधपत्र संस्थान योजना रिपोर्ट लेखन
16.	केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली	जल आयोजन एवं नदी प्रबंध
17.	विस्फोटक अनुसंधान तथा विज्ञान प्रयोगशाला, पुणे	राकेट नोदक एव परियोजना रिपोर्ट लेखन
18.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की	जल विज्ञान

सम्मेलनों व गोष्ठियों में जहाँ राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में आनेवाली बाधाओं पर चर्चा करके विकास पर बल दिया जाता है वहीं रेडियो प्रचार माध्यम के रूप में असंदिग्ध है। राजभाषा हिन्दी के प्रसार-प्रचार के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से रेडियो स्पॉट बनवाकर आकाशवाणी के वाणिज्यिक केंद्रों से प्रसारित करने का अभियान जारी है।

45.5.14: उपसंहार:

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में वर्ष 1987 से वर्तमान समय तक सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत किये गये प्रयासों को अलग-अलग 11 मदों में बाँटकर अध्ययन किया गया है। राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में सरकार द्वारा जो प्रभावी कदम उठाये गये उसका उल्लेख करते हुए उनकी सफलता व कार्यान्वयन में आनेवाली कठिनाइयों का विवेचन किया गया है। संविधान की धारा 351 की भावना के अनुसार राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार ने प्रेम व प्रोत्साहन की नीति अपनाते हुए प्रशासनिक अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु चतुर्दिक कदम उठाये हैं। जिन कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान नहीं है उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान दिलाने के लिए प्रयास, ताकि वे इस योग्य हो सकें कि अपना दैनिक कामकाज हिन्दी माध्यम से कर सकें। जिन कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है किन्तु प्रशासनिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के अभ्यास हो चुके हैं उनके लिए हिन्दी कार्यशाला के माध्यम से प्रयाजनमूलक हिन्दी का प्रशिक्षण देने के प्रयास किये गये हैं।

इसी प्रकार से अंग्रेजी टंककों/आशुलिपिकों के हिन्दी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही उसी मात्रा में उपकरणों की खरीद हिन्दी अथवा द्विभाषी रूप में करने के लिए भी आदेश दिये गये हैं और इसे

अनिवार्य कर दिया गया है। हिन्दी को योजनाबद्ध ढंग से लागू करने के लिए प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है।

राजभाषा कार्यान्वयन को सही दिशा देने व कार्यान्वयन का दायित्व निभाने के लिए हिन्दी पदों का सृजन व नियुक्तियाँ इनके लिए मानदंड निर्धारित करना, अनुवाद की व्यवस्था करना, ताकि कर्मचारियों को हिन्दी माध्यम से काम करने के लिए सहायक सामग्री उपलब्ध हो सके और वे हिन्दी में काम करने में कठिनाई अनुभव न करें। अलग-अलग स्तरों पर समितियों का गठन, ताकि वे समय-समय पर समीक्षा कर सकें व आगामी प्रभावी कदम उठा सकें। हिन्दी के प्रचार व प्रसार के लिए प्रचार व प्रेरणाप्रद सामग्री तैयार करना, जाँच बिन्दु निर्धारित करना जैसे कदम उठाये गये। इसके अतिरिक्त हिन्दी माध्यम से काम करने के लिए प्रोत्साहन योजनायें लागू की गईं ताकि कर्मचारी हिन्दी माध्यम से काम करने में रुचि लें।

उपरोक्त उठाये गये कदमों व प्रयासों के बावजूद हिन्दी अब तक भी भारतीय संविधान की भावना के अनुसार प्रशासनिक कामकाज का पूर्णतया माध्यम नहीं बन सकी। इतने प्रयासों के बाद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। इसके क्या कारण हैं? हिन्दी के मार्ग में आनेवाली बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इसका विवेचन हम अगले अध्याय में करेंगे।



पाँचवाँ अध्याय

अध्ययन के निष्कर्ष व सुझाव

5.1 पूर्व अध्यायों का परिचयः

शोध-प्रबंध के आरंभ में प्रस्तुत शोध के उद्देश्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है। हिन्दी संविधान में राजभाषा का स्थान प्राप्त करके आज तक अपने वास्तविक स्थान को प्राप्त नहीं कर पाई है। वर्तमान परिस्थितियों तक पहुँचने के लिए हिन्दी के संघर्ष, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार तत्त्वों पर प्रकाश डालने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वस्तुस्थिति से जानकारी लेकर इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों का विवेचन किया जा सके।

प्रथम अध्याय : प्रथम अध्याय में हिन्दी के उद्‌भव व विकास से संबंधित इसके प्रारंभिक रूप की झलक प्रस्तुत करते हुए विभिन्न कालों में इसकी तत्कालीन प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है। राजभाषा के रूप में हिन्दी ने समकालीन शासकों द्वारा प्रयोग की जानेवाली भाषाओं के साथ किये गये संघर्ष का विवरण साथ-साथ दिया है। राजभाषा के रूप में इसके संघर्ष का विवेचन इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

दूसरा अध्याय : इस अध्याय में राजभाषा से मिलते-जुलते पारिभाषिक शब्दों की सार्थकता, प्रयोगात्मक आधार पर भिन्नता, व्यावाहारिक कसौटी पर स्थायित्व और इनके अलग-अलग रूपों में प्रयोग का विवरण दिया गया है। इसका उद्‌देश्य एक जैसे दिखाई देनेवाले शब्दों के कारण उत्पन्न भ्रामक स्थिति को स्पष्ट करना रहा है। राजभाषा राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा, संपर्क भाषा, क्षेत्रीय भाषा इत्यादि में अंतर स्पष्ट किया गया है।

तीसरा अध्याय : तीसरे अध्याय में राजभाषा के रूप में हिन्दी के संघर्ष का विवरण दिया गया है। विभिन्न कालों, विभिन्न शासकों के शासन काल में हिन्दी ने किस प्रकार से अपनी विशेषताओं के बल पर अपने अस्तित्व को बनाये रखा है, इसकी क्या स्थिति रही है, इसका विवरण देते हुए राष्ट्र के प्रशासनिक कामकाज सुचारु रूप से चलाने के लिए राजभाषा की क्या आवश्यकता है, का विवरण दिया गया है। अनेक समृद्ध भारतीय भाषाओं के होते हुए हिन्दी को ही राजभाषा के रूप में चुने जाने के औचित्य पर प्रकाश डाला गया है।

चौथा अध्याय : चौथे अध्याय को 5 भागों में बाँटा गया है।

4.1 में राजभाषा हिन्दी के संबंध में संविधान सभा की चर्चाओं के आधार पर राजभाषा के पद पर आसीन होने की पृष्ठभूमि का विवेचन किया गया है। इस अध्याय में संविधान सभा के अनेक सदस्यों द्वारा दिये गये तर्कों को प्रस्तुत किया

गया है। सभी तर्क व वितर्कों के पश्चात संविधान सभा द्वारा राजभाषा हिन्दी, देवनागरी लिपि व अंकों को संविधान में अपनाये जाने की चर्चा के मुख्य अंश व प्रक्रिया का समीक्षात्मक विवेचन किया गया है।

4.2 में राजभाषा हिन्दी के संबंध में भारतीय संविधान में दिये गये प्रावधानों का समीक्षात्मक अध्ययन दिया गया है। प्रदत्त प्रावधानों के औचित्य व अनौचित्य का समीक्षात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है।

अध्याय 4.3 में भारत सरकार की राजभाषा नीति के बारे में 1950 से 1975 तक का विवरण देते हुए सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश व राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए किये गये उपायों के संबंध में प्रयोग व समस्याओं का विवेचन किया गया है।

अध्याय 4.4 द्वितीय अवस्था में 1976-86 तक के अध्ययन का विवरण दिया गया है। सरकार ने संविधान की भावनाओं के अनुसार उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं के बारे में जो कदम उठाये हैं उनका अध्ययन प्रस्तुत करते हुए व्यावहारिक आधार पर उनके प्रयोग व कार्यान्वयन में होनेवाली कठिनाइयों का विवरण दिया गया है।

अध्याय 4.5 में आरंभिक स्थिति से चलते-चलते राजभाषा हिन्दी आज जिस स्थिति में विद्यमान है, इसके लिए सरकार की नीति को लागू करने के लिए किये गये प्रयासों पर विचार किया गया है। राजभाषा हिन्दी के विभिन्न पहलुओं तथा हिन्दी शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुवाद कार्य, प्रक्रियात्मक साहित्य शब्दावली निर्माण के संबंध में किये गये प्रयासों पर गहन अध्ययन करके विस्तृत जानकारी दी गई है। सरकार ने राजभाषा नीति को लागू करने के लिए जो कदम तथा योजनायें, प्रोत्साहन, प्रेरणा, सुविधायें, नियुक्तियाँ इत्यादि कदम उठाये हैं इसके लिए अपनाये गये मानदंडों का विवेचन किया गया है। इन सभी क्षेत्रों में प्रयोग में आनेवाली व्यावहारिक कठिनाइयों का विवरण देते हुए अंतिम अध्याय में सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

5.2 पाँचवें अध्याय का प्रतिपाद्य

प्रस्तुत अध्याय में राजभाषा हिन्दी की विकास-परंपरा, सरकार की नीति की विशेषता, कमियाँ, इन्हें लागू करने का प्रयास, उपलब्धियाँ व व्यावहारिक कठिनाइयाँ, निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने सुझावों के साथ शोध कार्य की उपलब्धियाँ प्रस्तुत की जायेंगी।

15 अगस्त को स्वाधीनता प्राप्त होते ही स्वतंत्रता संघर्ष की मंजिल पूरी हो गई। इस संघर्ष के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलनेवाली राजभाषा हिन्दी को भी समय की इस सीमा पर अपनी मंजिल के सर्वोच्च पर पहुँचकर पूर्णविराम लेना

चाहिए था। यही न्यायोचित और राष्ट्रीयता के अनुकूल होता। किन्तु ऐसा हुआ नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही राजभाषा नीति को लेकर भारतीयों, मुख्यतः अहिन्दी भाषी नेताओं की मनोवृत्ति बदली हुई दिखाई पड़ी। हिन्दी के प्रति जोश ठंडा सा दिखाई दिया। अब हिन्दी प्रेम को लाभ और हानि के तराजू में तोला जाने लगा। राष्ट्रीयता के बदले प्रांतीयता ने बल पकड़ा। स्वार्थ के वशीभूत नेताओं ने कपटपूर्ण राजभाषा नीति का ऐसा कवच पहना कि संविधान में हिन्दी की अक्षमता के बहाने और लोगों के हिन्दी ज्ञान को विकसित करने की आड़ में निर्धारित 15 वर्ष की अवधि अंतहीन बना दी गई। सभी दृष्टियों से सक्षम राजभाषा हिन्दी को स्वार्थांधता ने पंगु बनाकर पथ पर छोड़ दिया। आज आज़ादी के 46 वर्ष बाद भी गलत नीतियों के कारण हिन्दी उसी प्रकार संघर्षरत है जैसे आज़ादी से पहले थी। अंतर केवल इतना है कि पहले संघर्ष राष्ट्रभाषा के नाम से था अब सीधा राजभाषा के रूप में है। उस समय विदेशी इसके विरोधी थे अब स्वार्थान्ध अहिन्दी भाषी नेता, राजनीतिक संकीर्णता और हीन भावना इसके मार्ग में बाधा है।

5.3 संघ सरकार की राजभाषा नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी

संविधान की धारा 343 व 351 को क्रियान्वित करने का संकल्प पारित हुआ। इसके लिए कार्यक्रम बनाकर संसद के पटल पर रखा गया। किन्तु दुर्भाग्य से इसके लिए कोई प्रचार-प्रसार नहीं हुआ। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये? इससे संबंधित मूल्यांकन विलंब से सदन में रखा गया व इसकी जानकारी आमजनता को नहीं दी गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण अध्ययन में इस पर चर्चा नहीं की जा सकी। कार्यक्रम की प्रतियाँ राज्य सरकारों को भेजी गईं। उनकी इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया रही है, जानकारी भी न तो सदनों को दी जाती है न नागरिकों को। इन प्रयासों को जनता तक पहुँचाने की आवश्यकता है। अतः इस सामग्री के अभाव में इस संबंध में किये गये उपाय और हिन्दी की प्रगति की जानकारी देना असंभव है। इसलिए इस संबंध में भी विवरण नहीं दिया गया है।

आठवीं अनूसूची में दी गई 18 भाषाओं के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्र सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाये इसका भी पता नहीं चलता है। यह कार्यक्रम सदनों के पटलों पर रखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को नहीं दी गई, जबकि केंद्र सरकार द्वारा उठाये गये कदम बनाये गये कार्यक्रम की जानकारी देने का दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया है, तो राज्य सरकारों के लिए क्यों नहीं? यह कार्यक्रम बने भी या नहीं, उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये? इसकी जानकारी आम जनता को दिया जाना आवश्यक है। समन्वित संस्कृति की दृढ़ता और देश की भावनात्मक एकता के लिए हिन्दी के

साथ-साथ इन भाषाओं का विकास यदि एक कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाबद्ध ढंग से किया जाय तो बहुत सी समस्यायें स्वतः हल हो जायेंगी। संकल्प के अनुसार इसे कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

लोकसेवाओं के विषय में संकल्प कहता है कि प्रादेशिक भाषाओं व हिन्दी को वैकल्पिक रूप में रखा जाना चाहिए। इसे शीघ्र कार्यान्वित भी किया गया, किन्तु अनुभव यह रहा है कि प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है। हिन्दी भी उतनी आगे नहीं बढ़ी। अधिकतर लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। इस तरह अंग्रेजी ने हिन्दी व प्रादेशिक भाषाओं को पीछे धकेल दिया है।

प्रशासन में यदि हिन्दी व प्रादेशिक भाषाओं को आगे लाना है तो लोकसेवा आयोग तथा अन्य उच्च स्तरीय सेवाओं में इन्हें आगे बढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि एक प्रश्न-पत्र के रूप में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जाय और संकल्प के अनुसार हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाय। आज़ादी से पूर्व इसका संघर्ष शासकों की भाषा से था। आज हिन्दीतर प्रादेशिक भाषाओं की आड़ में अंग्रेजी से है। हिन्दी को राजभाषा का पद देकर भी संविधान में 15 साल की अवधि का प्रावधान करके अंग्रेजी को अनंतकाल तक राजभाषा का अधिकार सौंप दिया गया प्रतीत होता है।

1963 का अधिनियम, 1967 का संशोधन, 1968 का संसद का संकल्प 1976 के नियम राजभाषा के क्षेत्र में हारी हुई लड़ाई पर खिसियाने से प्रमाणित सिद्ध हुए। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। 13 वर्ष बाद राजभाषा अधिनियम 1963 बना। इसके 13 वर्ष बाद राजभाषा नियम 1976 अस्तित्व में आये। इस बीच राजनीतिक दबाव और समझौतों के कारण राजभाषा का प्रश्न सुलझने की बजाय उलझता चला गया। हमने संविधान की राजभाषा हिन्दी विषयक सभी धाराओं का सविस्तार अध्ययन किया। राजभाषा अधिनियम व नियमों पर विस्तार से चर्चा की। इसके अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग, पहले 15 वर्ष तक संविधानानुसार और बाद में, अधिनियम के अंतर्गत जब तक अहिन्दी भाषी प्रदेशों की संविधान सभायें अंग्रेजी को हटाने का प्रस्ताव मान्य न करें और संसद इसकी पुष्टि न करे, जारी रहेगा। अंग्रेजी को कहीं भी राजभाषा या सहयोगी राजभाषा नहीं कहा गया। केवल नौकरशाही अपने खेल-खिला रही है।

राजभाषा नियमों के आरंभ में ही कहा गया है, "इसकी व्याप्ति तमिलनाडु के सिवा संपूर्ण भारत पर होगी।" क्या तमिलनाडु भारत का अंग नहीं? राजभाषा अधिनियम की धारा 8 कहती है कि शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार नियम बना सकेगी। किसी प्रदेश को छूट देने संबंधी कोई प्रावधान नहीं, वह तो न्यायालय ही कर सकता है। इससे एक ओर तो तमिलनाडु अंधेरे की ओर जा रहा है, दूसरी ओर समस्त भारत के लिए समान नीति का अभाव चलता है।

इसी प्रकार का प्रावधान राजभाषा अधिनियम की धारा 9 में रखा गया जिसमें कहा गया है कि धारा 6 व 7 के उपबंध जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होंगे। इससे समस्त भारत में समान न्यायालधीन पद्धति एक जैसी होने व एक भाषा में होने पर प्रश्न चिह्न लगाती है, जो अनुचित व विषमता पैदा करनेवाली है। राजभाषा नियमों के नियम 3, जिसमें पत्राचार संबंधी दिशा-निर्देश हैं, में मामूली तौर पर "हिन्दी के साथ अंग्रेजी रूपांतर" नियम 5 में केवल हिन्दी पत्र का उत्तर हिन्दी में देने के साथ-साथ अंग्रेजी पत्र का उत्तर हिन्दी में देने की बात का अभाव भी दृढ़ निश्चय की कमी दर्शाता है, यदि इसके साथ यह भी जोड़ दिया जाता कि यदि कर्मचारी चाहे तो अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर भी हिन्दी में दिया जा सकता है, तो अधिक स्पष्ट एवं उपयुक्त होता। नियम 10 के उपनियम 4 को हटा देना चाहिए। इससे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्ति में बाधा आती है। होना यह चाहिए कि नियम 10(4) के स्थान पर समस्त कर्मचारियों के लिए एक तिथि निर्धारित करके हिन्दी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता दे दी जाय ताकि वे किसी भी जरिए इस अपेक्षा को समयबद्ध ढंग से पूरा कर सकें। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) व राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 में अनिवार्य रूप से प्रलेखों, सामग्री इत्यादि का द्विभाषी होना अनिवार्य है, का उल्लेख किया गया है, इससे अंग्रेजी को निरंतर साथ-साथ चलने का मौका मिलता है। इसके स्थान पर प्रावधान यह होना चाहिए था कि जो कार्यालय हिन्दी में काम करता है व करना चाहता है उनके लिए केवल हिन्दी में ऐसी समस्त सामग्री प्राप्त करने की छूट है। वहाँ अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं। द्विभाषी प्रयोग केवल संक्रमण काल के लिए उचित है, चिरकाल के लिए नहीं। नियम 12 की व्यवस्था के अनुसार जो जिम्मेदारी निर्धारित की गई है उसकी समय-समय पर उच्च अधिकारियों से जाँच होनी चाहिए तथा लगातार निगरानी की आवश्यकता है।

पिछले अध्यायों में दिये गये तथ्यों से यह प्रमाणित हो जाता है कि न तो सरकार की नियत इस संबंध में साफ रही है न ही परिस्थितियों ने राजभाषा हिन्दी को संविधान की अपेक्षाओं के अनुसार लागू करने में मदद की है। राजभाषा के संबंध में बनाये गये कानून केवल 'खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे' वाली स्थिति बनकर रह गई है।

1955 का राष्ट्रपति का आदेश और उस पर राजभाषा विभाग की विज्ञप्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र औपचारिकता का निर्वाह किया गया है। इन्हें प्रभावी कदमों की संज्ञा नहीं दी जा सकती। प्रत्येक निर्णय के साथ 'यथासंभव' शब्द हिन्दी में चाहने वालों के लिए ऐसी ढाल है, प्रायः जिसका प्रयोग करके वे अपने कर्तव्य का निर्वाह मान लेते हैं।

राजभाषा आयोग 1955 द्वारा तत्कालीन वातावरण में राजभाषा के संदर्भ में

1956 में जो सिफारिशें की थीं यदि उन पर अमल कर लिया जाता तो संभव है संविधान में की गई भूल का सुधार हो जाता। उससे कुछ आशायें बँधी थीं। राजभाषा आयोग द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के प्रकाशित होने पर, जहाँ एक ओर हिन्दी प्रेमी आम जनता व नेताओं की हृदय कलिका जो असहाय स्थिति में मुरझा रही थी, खिल उठी, वहीं राजनीतिक स्वार्थ को लेकर हिन्दी साम्राज्य की स्थापना की आड़ में अंग्रेजी समर्थक अराष्ट्रीय तत्त्वों के पुतले, कूटनीतिज्ञ बौखला उठे और आम जनता की भावनाओं को उनके अहित होने की आशंका को इस प्रकार हवा दी कि सारा वातावरण जल उठा, हिन्दी विरोधी आंदोलन, तोड़-फोड़ शुरू हो गये। इस वातावरण को दूषित करने में उन सरकारी कर्मचारियों ने भी मदद की जो ब्रिटिश शासन काल से अंग्रेजी में काम करने के अभ्यस्त हो गये थे तथा अंग्रेजियत के बल पर आम भारतीय पर अपनी विद्वत्ता का रोब डालने के आदी हो गये थे। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करना तो दूर एक ऐसी छाप भारत सरकार पर इसकी पड़ी कि उसके बाद जो भी कदम इस क्षेत्र में उठाया गया, जो भी निर्णय राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति के क्षेत्र में लिये गये, उन निर्णयों से ही भावी आशंकाओं का भय मिश्रित हुआ दिखाई दिया, अर्थात् कोई भी निर्णय स्पष्ट नहीं लिया जा सका। 'दूध का जला छाछ को भी फूँक-फूँक कर पीता है, वाली स्थिति राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार के लिए उत्पन्न हो गई। परिणाम यह हुआ कि स्वशासन काल में भी हिन्दी के महल में अंग्रेजी राजरानी बनी हुई है और हिन्दी उसका मुँह ताक रही है।

वर्तमान परिस्थितियों में युवा वर्ग को यह दलील देकर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है कि यदि हिन्दी को पूर्ण रूप से राजभाषा के रूप में लागू कर दिया गया तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोग उनसे आगे निकलकर बाजी मार लेंगे और वे पिछड़ जायेंगे। युवा वर्ग इसी भय से दक्षिण भारत में चाहते हुए भी हिन्दी को अपनाने में संकोच करता है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि भविष्य का अनदेखा अंधकार किसे भय के आगोश में नहीं खींच लेता। देश का युवक वर्ग दिशाहीन सा, इन कुचक्रों को समझने में असमर्थ हो गया है और भावनाओं में बहकर उसी ओर चल पड़ता है जिस ओर उन्हें स्वार्थी तत्त्व खींच लेते हैं। उन्हें केवल निराशाजनक पहलू की जानकारी दी जाती है। जब तक वे सही बात समझ पाते हैं या सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। वे चाहते हुए भी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते। यह क्रम चलता ही जा रहा है, अंतहीन सा। इसकी कोई चरम सीमा होगी कहा नहीं जा सकता।

यह समझने का प्रयास कदाचित नहीं किया जा रहा है कि राजभाषा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? हिन्दी के सिंहासनारूढ़ होने से किसी भारतीय भाषा का

कोई अहित नहीं होगा, केवल एक विदेशी भाषा के स्थान पर हिन्दी को राजभाषा का स्थान देने का प्रयास किया जा रहा है। वह भी उस भाषा के स्थान पर जिसने इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को तहस-नहस करने का उस समय प्रयास किया जब अंग्रेज इस देश की समृद्धि से खिलवाड़ करके इसके जनमानस के मस्तिष्क को गुलामी के आवरण से ढकने का प्रयास कर रहे थे। यह स्थिति किसी भी रूप में हितकर नहीं कि देश में इतनी समृद्ध भाषाओं के होने के बावजूद अंग्रेजी जैसी एक विदेशी भाषा हमारे कामकाज का माध्यम बनी रहे जो कभी भी हमारी सोच को स्वतंत्र होने नहीं देना चाहती। यह जानकारी देने के विपरीत कि हिन्दी भारतीय भाषाओं के स्थान पर नहीं बल्कि अंग्रेजी के स्थान पर स्थापित की जा रही है, आज स्थिति पहले से भी बदतर बनती जा रही है। जो स्वार्थी तत्त्व पहले प्रशासन में प्रभावी थे वे आज भी अपनी हीन मानसिकता को छिपाने के लिए अंग्रेजी की विभीषिका का वितान ताने हुए हैं।

अंग्रेजी की सेना, शिव की बारात जैसी बन गई है। उसमें कूटनीतिज्ञों व स्वार्थान्ध राजनेताओं ने छात्रों, अनपढ़ लोगों को सम्मिलित कर लिया है। जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, जिनका भाषा के सीखने-सिखाने से कोई सरोकार नहीं। छात्रों को उनके भविष्य की विभीषिका देकर, बुजुर्गों को उनके बच्चों की आजीविका का हवाला देकर कर्मचारियों को उनके पदों तक पहुँचने की बाधा का हवाला देकर साथ मिला लिया गया है। ऐसा क्यों होता है, यह विषय विचारणीय है। सरकार की नीति कहाँ तक सफल हो पाई है? क्या कदम उठाये गये हैं? इसका विवरण गत अध्यायों में दिया गया है।

सरकार की नीति के अनुसार जो निर्णय लिये गये हैं उसमें क्या बाधायें हैं। बात आकर समस्याओं पर रुकती है। आज भी समस्या ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। मंजिल दस कोस थी, पूरे दस कोस चल लिये, लेकिन दसवें कोस पर जाकर भी पता चला कि मंजिल अभी भी दस कोस ही है।

5.4 समस्यायें व समाधान के लिए सुझाव

अध्ययन के आधार पर राजभाषा हिन्दी के मार्ग में आनेवाली समस्यायें व उनके समाधान के लिए सुझाव दे रहे हैं।

1. पारिभाषिक शब्दावली, व्याकरण, वर्तनी

अंग्रेजी जब तक शासन में हिस्सा बाँटती रहेगी तब तक हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को लेकर चाहे जितनी भी उन्नत पारिभाषिक शब्दावली गढ ली जाय, व्याकरण और वर्तनी को चाहे कितना ही सरल कर लिया जाए, राजभाषा की समस्या ज्यों-की-त्यों रहेगी। इसका कारण हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली का अभाव या भाषा की कक्लिष्ठता नहीं, बल्कि इससे मूल में शासन के मध्य अंग्रेजी प्रयोग

की प्रवृत्ति है, फिर भी उचित यही रहेगा कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के द्वार अन्य भाषाओं के लिए पूर्णतया खोल देने चाहिए ताकि अपनी क्षमता के अनुसार यह अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को ग्रहण करते हुए अपने शब्द भंडार को अधिक समृद्ध कर सके। चाहे इससे हिन्दी में भाषा के रूप में, विकृति आ सकती है, किन्तु राजभाषा के रूप में वह समृद्ध होगी बल्कि हमें तो लगता है कि हिन्दी भाषारूप की तथाकथित संभावित भी दरअसल, भाषा तथा अभिव्यक्ति क्षमता में विधायक अभिवृद्धि करेगी।

2. शब्दावली की एकरूपता

ज्ञान और कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में लोग मनमाने ढंग से शब्दों का प्रयोग करते जा रहे हैं जिससे अभिव्यक्ति और ग्राह्यता में अस्पष्टता उत्पन्न हो रही है। इसके कारण यह कहने का अवसर मिल जाता है कि उपयुक्त शब्द चयन करने में कठिनाई आ रही है। अतः यह आवश्यक है कि ज्ञान और कार्य के सभी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट विकसित शब्दावलियाँ तैयार की जायें, ताकि एकरूपता आ सके और भाषा प्रयोग में तथाकथित कठिनाई न हो। शब्दावली का निर्माण केवल अंग्रेजी को नजर में रखकर न किया जाय, बल्कि भाषा तत्त्वों को भी ध्यान में रखा जाय, अन्यथा भाषा के साथ अनाचार होगा।

3. अनुवाद पर निर्भरता

एक भाषा से दूसरी भाषा तक का मार्ग तय करने के लिए अनुवाद का सहारा लिया जाता है किन्तु एक देश की राजभाषा के स्वरूप का निर्माण ही यदि अनुवाद पर निर्भर करने लगे तो उस भाषा में विकृति स्वाभाविक हो जाती है। अंग्रेजी और हिन्दी को साथ-साथ देने तथा अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद का तात्पर्य यह था कि पहले सभी अंग्रेजी माध्यम से कार्य करने के अभ्यस्त हो गये थे, उसके समान रूप शब्दों के लिए हिन्दी में अनुवाद किया जाता था। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ गई कि राजभाषा हिन्दी, हिन्दी न रहकर अंग्रेजी का लिप्यंतरण होती जा रही है। यह स्थिति राजभाषा के हित में नहीं है। अतः अनुवाद को साधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। साक्ष्य के रूप में नहीं।

4. हिन्दी माध्यम से मौलिक चिन्तन

किसी भी काम की पहल अंग्रेजी में करके बाद में हिन्दी में अनुवाद का रिवाज सा बन गया है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि इसे परंपरा न बनाकर उपलब्ध प्रक्रिया को अनूदित किया जाय तथा नवीन चिंतन, मौलिक रूप में राजभाषा हिन्दी में करके लागू किया जाये। इससे अन्य लाभों के अतिरिक्त धन व साधनों के अपव्यय को रोकने में सहायता मिलेगी। भाषा और भावों की स्वाभाविक एवं सहज अभिव्यक्ति एवं विकास होगा।

5. कार्य और कार्मिक शक्ति का सन्तुलन

राजभाषा हिन्दी कार्यान्वयन में सबसे बड़ी बाधा तथाकथित समयाभाव की है, इसमें कुछ तो सच्चाई भी है। कर्मचारी काम के भार से इतना त्रस्त है कि वह अपने कार्य को भाषा विशेष की परवाह किये बिना पूरा करने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में जिस भाषा में वह काम करने का अभ्यस्त है चाहे वह विदेशी ही क्यों न हो, वह उसे अपनी सी व सरल लगती है। साधन सीमित हैं काम असीमित। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि काम व कार्मिक-शक्ति का संतुलन बनाया जाय ताकि काम करने वाला आरंभ में भाषा परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर ले व काम में विलंब का भय न हो।

6. कर्मिकों के असन्तुलन को कम करना

राजभाषा के कार्यान्वयन व प्रसार के लिए राजभाषा अनुभाग व राजभाषा अधिकारी का प्रावधान है। वर्तमान नीति कुछ इस प्रकार ही है कि यह मानकर चला जाता है कि राजभाषा कार्यान्वयन का दायित्व केवल राजभाषा अनुभागों/विभागों/कक्षों में कार्य करनेवाले राजभाषा अधिकारी व इससे जुड़े लोगों का है। इससे दो अखाड़े से बने प्रतीत होते हैं, जिनमें खिलाड़ी की भावना की बजाय खींचतान अधिक चल रही है। आदतन अंग्रेजी माध्यम से काम करनेवालों की संख्या अधिक है, हिन्दी के प्रचार-प्रसार में जुटे लोगों की कम। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि इस होड़ को कम करने के लिए कदम उठाये जायें और ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि सभी कर्मचारी अपना-अपना कार्य हिन्दी माध्यम से करने को प्राथमिकता दें अन्यथा यह असंतुलन कम होने की बजाय बढ़ता ही जायेगा।

7. प्रक्रियात्मक साहित्य की अपर्याप्तता

बहुत सा प्रक्रियात्मक साहित्य, कोड, मैन्युअल, आचार संहितायें अभी भी केवल अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। उनका मूल रूप हिन्दी में तैयार करना तो दूर अभी तक वे अनूदित भी नहीं हुए हैं, जिससे कर्मचारी जब इनसे संदर्भ या मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो न चाहते हुए भी उन्हें इनका हवाला अंग्रेजी में देना पड़ता है। अतः आवश्यक है कि ऐसा साहित्य तत्काल हिन्दी में उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये जायें। इस क्षेत्र में पर्याप्त काम हुआ है किन्तु अभी भी बहुत कार्य करना शेष है।

8. कानूनी पहलुओं के अक्षरशः लागू करना

राजभाषा अधिनियम व नियमों के अनुसार जो कागजात द्विभाषी जारी होने चाहिए। जाँच-बिन्दु निर्धारित करने की जिम्मेदारी निश्चित करने के बावजूद प्रायः देखा गया है कि तात्कालिकता का बहाना करके वे प्रायः केवल अंग्रेजी में जारी किये जाते हैं और बाद में आँसू पौंछने के लिए केवल रिकार्ड बनाने की दृष्टि से उनका हिन्दी रूपांतर फाइलों में लगा जाता है। इससे वस्तुस्थिति सामने नहीं आ

पाती और उद्देश्य प्रभावित होता है। अतः इस कानूनी पहलू को अक्षरशः लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही अब 'क' व 'ख' क्षेत्र में उन्हें केवल हिन्दी में जारी करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

9. 'निर्देश अनुपालन में कठोरता लाना

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में जारी होनेवाले आदेशों की जानकारी अधीनस्थ कार्यालयों तक या तो पहुँच नहीं पाती और यदि पहुँचती भी है तो बहुत विलंब से। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रक्रिया को सहज व सरल बनाया जाय और आदेशों को कड़ाई से लागू करवाया जाय। जो भी आदेश या निर्देश जारी किये जाते हैं, विरोध होने के भय से इसे लचीला न रखा जाय, बल्कि अन्य आदेशों की भाँति दृढ़ता से लागू करवाया जाय।

10. जांच बिन्दुओं को प्रभावी बनाना

कार्यालयों में यांत्रिक सुविधाओं व हिन्दी टाइपराइटरों का प्रायः अभाव होता है। यदि टाइपराइटर है तो टाइपिस्ट नहीं, यदि टाइपिस्ट है तो टाइपराइटर नहीं। दोनों में समन्वय की कमी है। यदि दोनों हैं तो हिन्दी में काम की मात्रा पर्याप्त नहीं। इसके लिए चाहे लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। अब तो सरकार ने इस संबंध में कड़ा रुख अपनाकर स्पष्ट निर्देश भी दिये हैं कि जब तक निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता केवल अंग्रेजी के यंत्र न खरीदे जायें बल्कि या तो देवनागरी के या द्विभाषी यंत्र खरीदे जायें। इसके बाद भी प्रायः इसका अतिक्रमण हो रहा है और जब भी कोई नया कार्यालय खुलता है चाहे आवश्यकता हो या न हो रोमन टाइपराइटर या अन्य यंत्र जो केवल रोमन में होते हैं, उपलब्ध करवा दिये जाते हैं। एक बार यह यंत्र रोमन में उपलब्ध करवाने के बाद भाग-दौड मचती है कि कैसे राजभाषा नियमों को लागू किया जाये। इसी भाग-दौड़ में समय निकलता जाता है किन्तु स्थिति वहीं की वहीं रहती है। गहन फोलोअप के बावजूद हिन्दी क्षेत्रों में भी देवनागरी टाइपराइटर की आवश्यकता यह कहकर नकार दी जाती है कि इसका अभी उपयोग नहीं हो पायेगा या यह कहकर नकारने का प्रयास किया जाता है कि अभी हिन्दी में इतना काम नहीं होता कि टाइपराइटर पर धन खर्च किया जाय। ऐसे मौके पर व्यवहार्यता की दुहाई देने में भी नहीं चूकते। इस स्थिति से बचने के लिए जाँच-बिन्दुओं को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

जाँच-बिन्दुओं को प्रभावी बनाने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि जारी किये गये निर्देशों का उल्लंघन करनेवाले अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय। उपयोगिता सुनिश्चित करते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए कदम उठाये जायें तथा टाइपराइटर व टाइपिस्टों के अनुपात में समन्वय स्थापित किया जाये। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने हिन्दी जाननेवाले टाइपिस्ट हों उतने टाइपराइटर अवश्य उपलब्ध होने चाहिए।

11. कर्मिको की नियुक्ति संबंधी आदेशों को लागू करना

नियुक्ति के लिए हिन्दी-अंग्रेजी टंककों व आशुलिपिकों के लिए निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इनके लिए आनुपातिक आधार पर प्रतिशत भी निर्धारित किया गया है। पहले से नियुक्त टंककों व आशुलिपिकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर भी यह समस्या ज्यों की ज्यों बनी हुई है और अब भी विज्ञापनों में प्रायः देखने में आता है कि जहाँ रोमन टंककों व आशुलिपिकों की माँग सौ होती है वही देवनागरी टंककों/आशुलिपिकों की माँग एक या दो तक सीमित रहती है। जो दो-चार भर्ती किये भी जाते हैं उनसे भी अधिकतर अंग्रेजी माध्यम से काम लेने का प्रयास किया जाता है। भर्ती किये गये रोमन टंककों/आशुलिपिकों को शिक्षण दिलाने के लिए बाद में भगदड़ मचती है। इस प्रकार प्रशिक्षण की प्रक्रिया अंतहीन बन गई है। इसके लिए जरूरी है कि कड़े कानून बनाये जायें व उनका उसी रूप में सही ढंग से अनुपालन किया जाय। जिस व्यक्ति अथवा स्तर से इसका उल्लंघन होता है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय। मात्र प्रोत्साहनों से बात बननेवाली नहीं है। प्रशासन में केव़ल मृदुता नहीं कठोरता की भी आवश्यकता होती है। 'भय बिन होय न प्रीत', प्रशिक्षण को गहन बनाया जाय व ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है कि प्रशिक्षण के उपरांत उनसे हिन्दी माध्यम से काम करवाया जा सके।

12. प्रोत्साहन के लिए काम की बजाय काम के लिए प्रोत्साहन

प्रोत्साहन के लिए काम नहीं बल्कि काम के लिए प्रोत्साहन होना चाहिए। धारणा इसके एकदम विपरीत बन गई है। प्रायः देखा गया है कि केवल प्रोत्साहन की राशि वसूलने के लिए आँकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस प्रवृत्ति को रोककर पूर्ण सद्भावना के साथ प्रोत्साहन योजना लागू करने की आवश्यकता है। प्रोत्साहन को वास्तव में काम के लिए विकसित किया जाय न कि प्रोत्साहन पाने के लिए आँकड़ों से खिलवाड़। आँकड़ों की विश्वसनीयता व सत्यता को परखने के लिए प्रभावी जाँच-बिन्दु निर्धारित करने की आवश्यकता है।

13. व्यवहारिक बनाना

हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रचार-प्रसार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु अभी तक साक्षात्कार, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही बना हुआ है। उच्च वर्ग की तो बात ही दूर है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए भी, चाहे हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं का विकल्प दिया गया है किन्तु अंग्रेजी प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता कायम है। ऐसी स्थिति में चाहते हुए भी कर्मचारी या आम जनता अंग्रेजी से विमुख नहीं हो पाती क्योंकि सभी को रोजी चाहिए। अतः हिन्दी को रोजी-रोटी या कैरियर से जोड़ना अनिवार्य है।

नियुक्तियों में अंग्रेजी प्रश्न-पत्र को अनिवार्य करने की बजाय हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्न-पत्र अनिवार्य किये जायें। चाहें तो अंग्रेजी को केवल उत्तर देने के लिए विकल्प के रूप में रखा जा सकता है।

14. न्यायालय व न्याय प्रणाली का माध्यम

कानून समस्त देश की जनता के लिए समान रूप से लागू होता है बशर्ते कि उसमें कोई अन्यथा व्यवस्था न दी गई हो। अध्ययन से पता चलता है कि केवल 1½% भारतीय अंग्रेजी का ज्ञान रखते हैं। देश की न्याय-व्यवस्था देश के शेष 98½% लोगों के लिए भी है।

अभी तक भी देश के कानून का साहित्य, पुस्तकें, आचार संहितायें अंग्रेजी में हैं, जो आम जनता के लिए होकर भी उससे अनभिज्ञ हैं। लोग जान ही नहीं पाते कि किस संबंध में कानून क्या है। परिणामतः कानून उनके लिए होकर भी उनका नहीं बन पाया है। अतः समस्त कानून संबंधी ग्रंथ हिन्दी में उपलब्ध करवाये जायें। न्यायालयों में प्रयोग के लिए समरूप कानूनी पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाए। ये न केवल हिन्दी में बल्कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। यदि इस कार्य को गंभीरता से किया जाय तो एक उचित अवधि में यह काम पूरा हो सकता है।

15. व्यावसायिक क्षेत्र से विवशता की स्थिति समाप्त करना

शिक्षा के क्षेत्र में त्रिभाषी सूत्र लागू किये पर्याप्त समय बीत चुका है। इसे कार्यान्वित भी किया गया, किन्तु सूत्र की भावनाओं के अनुकूल नहीं। इसे मात्र औपचारिकता बनाया गया है। अंग्रेजी यहाँ भी अपना आधिपत्य जमाए हुए है। कुछ प्रदेशों में किसी कक्षा में हिन्दी में पास या फेल होने का उसके परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसके कारण छात्र वर्ग इसे गंभीरता से नहीं लेते। परिणामतः उच्च परीक्षायें पास करके भी वे राजभाषा हिन्दी से अपरिचित ही रहते हैं। व्यावसायिक शिक्षा में तो इसे पूरी तरह नकार ही दिया गया है। अभी भी व्यावसायिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही बना हुआ है। इसी कारण अपने भविष्य की चिंता में अंग्रेजी सीखने की विवशता बनी रही है। अतः व्यावसायिक शिक्षा का माध्यम शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं में करने की आवश्यकता है। इसके लिए पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें हिन्दी में मूल रूप से तैयार की जानी चाहिए।

16. परिवीक्षा काल में हिन्दी शिक्षक की अनिवार्यता

कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण की अनिवार्यता का प्रावधान हुए जमाना बीत गया। इसके लिए समय-समय पर अनेक निर्देश जारी हुए। नियुक्ति के लिए भाषा आयोग की सिफारिश अभी तक लागू नहीं की गई, जिसके अभाव में हिन्दी नहीं जाननेवाले लोगों की नियुक्ति की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है।

जितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उससे कई गुना ऐसे नियुक्त कर दिये जाते हैं जिन्हें हिन्दी नहीं आती। यह एक अन्तहीन प्रक्रिया बनकर रह गई है। वैसे भी मानव स्वभाव है कि-एक बार रोजी-रोटी की व्यवस्था हो जाने पर सीखने-सिखाने की ओर कम ही ध्यान दिया जाता है और अनेकानेक बहाने पनप जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकारी सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के बाद परिवीक्षा काल में हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य किया जाय तथा एक निश्चित तिथि निर्धारित करके उसके बाद की जानेवाली नियुक्तियों में हिन्दी का ज्ञान नियुक्तियों की शर्तों के रूप में रखा जाय और उसे बिना ढील दिए लागू किया जाए।

17. अंग्रेजी शिक्षक की अनिवार्यता की विवशता के पहलु को समाप्त करना

जो लोग हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त हैं, उनके लिए किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए अंग्रेजी ज्ञान की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने पर अंग्रेजी सीखने की विवशता स्वतः समाप्त हो जायेगी व अंग्रेजी के प्रति यदि मोह होगा तो भी यह भंग हो जायेगा।

18. हिन्दी के कैरियर में जोड़ना

'भय बिन होय न प्रीत' आज के वातावरण में सही बैठती है। मात्र प्रोत्साहन व प्रेम की सरकार की नीति पूर्णतया असफल रही है। हिन्दी सीखने की अनिवार्यता प्रोत्साहनों तक नहीं, बल्कि पदोन्नति व उत्कर्ष के साथ जोड़ी जाए। प्रोत्साहन आर्थिक रूप में न देकर कर्मचारियों के कैरियर से जोड़ना अधिक कारगर सिद्ध होगा। प्रोत्साहन दिया अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए यह आवश्यक है, किन्तु जब एक प्रोत्साहन या नीति व्यवहार की कसौटी पर असफल रहती है या अपेक्षित परिणाम नहीं देती तो उसका रुख बदलने में क्या हानि है? अतः प्रोत्साहन कैरियर व भय दोनों से जोड़ना उचित रहेगा। अन्यथा स्थिति वह बन कर रह गई है कि कुत्ते के मुँह में जब तक टुकड़ा है वह चुपचाप स्वाद लेगा, टुकड़ा खत्म होते ही वह आदतन फिर भौंकने लगता है। इस भावना को बदलनें की आवश्यकता है।

19. निर्देशों को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता

प्रायः एक मंतव्य ने कार्यालयों में घर बना लिया है, जब कहा जाता है कि हिन्दी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, नियमानुसार इसे लागू करना है या अमुक कार्य हिन्दी में करना अनिवार्य है तो उत्तर मिलता है कि यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? यह प्रश्न सदैव अनुत्तरित बना रहता है। सरकार ने यह निर्देश दिया है कि नियम व अधिनियम के अनुसार यदि कोई कर्मचारी हिन्दी लागू करने में लापरवाही दर्शाता है तो उसके विरुद्ध उसी प्रकार अनुशासनिक कार्रवाई

की जाय जिस प्रकार से उस संस्था में अन्य कार्यों में अवहेलना के कारण की जाती है। यहाँ यह कहना युक्तिसंगत है कि इस नियम का उल्लंघन मध्यम व निम्न श्रेणी कर्मचारियों द्वारा कम, संस्था के सर्वोच्च पदों व उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों द्वारा अधिक किया जाता है। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का खोखला निर्देश क्या कारगर सिद्ध होगा? नहीं अतः इसके लिए अधिनियम व नियमों में ही संशोधन की आवश्यकता है। केवल निर्देश सहायक सिद्ध नहीं होंगे।

20. उच्च स्तर पर हिन्दी विरोधी प्रवृति पर रोक

राजभाषा नियमों के नियम 12 के तहत जिन लोगों पर संविधान, अधिनियम व नियमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों व समय-समय पर जारी निर्देशों को लागू करने की जिम्मेदारी डाली गई है, प्रायः उन्हीं की ओर से अधीनस्थ कर्मचारियों को यह कहकर हतोत्साहित करते पाया गया है कि उन्हें हिन्दी नहीं आती, इसलिए इस भाषा में नोटिंग से परहेज ही करें तो बेहतर होगा। यह भी कहा जाता है कि चार-पाँच पृष्ठ की जो नोटिंग/सामग्री अंग्रेजी में 5 मिनट में पढ़ी जा सकती है हिन्दी में लिखी टिप्पणी/सामग्री पढ़ने में उनका बहुत समय बर्बाद होता है। चाहे उच्चाधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष में मना नहीं किया गया किन्तु अधीनस्थ कर्मचारी के लिए यह संकेत मात्र ही एक निर्देश बन जाता है और अपने उच्चाधिकारी के तथा-कथित समय की बर्बादी को बचाने के लिए उनकी सुविधा व उन्हें खुश रखने के लिए पुनः पुराना ढंग अपना लिया जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि इस उच्च स्तरीय प्रकृत्ति पर रोक लगाई जाय और पेड़ के फूल- पत्तों पर पानी डालने की बजाय जड़ सींचने का प्रयास किया जाना चाहिए अर्थात राजभाषा कार्यान्वयन उच्च स्तर से आरंभ किया जाय।

अच्छा तो यह होगा कि न केवल सरकारी अधिकारी अपितु तथाकथित जनता के सेवक अर्थात् प्रधानमंत्री, मंत्री और संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों के अध्यक्ष आदि भी हर स्तर पर स्वयं राजभाषा को सम्मान देकर हर स्तर पर उसका प्रयोग कर कर्मचारियों एवं जनसाधारण के समक्ष नजीर पेश करें। आजकल दूरदर्शन पर प्रसारित संसद के प्रश्नोत्तर काल से भी स्पष्ट झलकता है कि सदस्यों द्वारा हिन्दी में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के मंत्रियों आदि द्वारा भी अंग्रेजी में दिया जाता है, फिर अहिन्दी भाषा-भाषियों से कैसे यह अपेक्षा की जाय कि वे राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करें? क्या विदेशी आगंतुकों, जो अपने-अपने देश की भाषा में अपनी बात कहते हैं, को देखकर भी हमारे इन नेताओं/प्रशासकों की आँखें अब तक खुलीं? नहीं, शायद अब उन्हें कुछ सूझे तो राजभाषा हिन्दी और हमारी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को उनका सम्मान मिलने की संभावना जगे।

21. व्यावहारिकता को स्वीकार करने की आवश्यकता

दूरदर्शन, आकाशवाणी ऐसे माध्यम हैं जिनकी आवाज भारत के प्रत्येक कोने में पहुँचती है। इसका प्रभाव भी पड़ता है। रामायण व महाभारत जैसे सीरियलों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि भारत की अधिकतर जनता हिन्दी समझ सकती है, यदि कहीं कठिनाई है भी तो केवल सुदूर ग्रामीण अंचलों में बसे निरक्षर लोगों की। किन्तु इन सीरियलों को इन्होंने भी समझा और रुचि ली। आश्चर्य तब होता है जब दूरदर्शन पर आमंत्रित अतिथि हिन्दी में बोलते हैं किन्तु पता नहीं किसके लिए और किस भावना में बहकर दूरदर्शन के कर्मचारी धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोलते जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के उपलक्ष में आयोजित समारोह के अवसर पर तो इस क्षेत्र में सीमा ही लाँघ दी गई। अध्यक्ष महोदय अंग्रेजी में बोले उसका हिन्दी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद प्रसारित होना चाहिए था किन्तु नहीं हुआ, जब प्रधानमंत्री जी हिन्दी भाषा में बोले तो उसका साथ-साथ अंग्रेजी रूपांतर जारी किया गया। क्यों और किसके लिए? यह समझ नहीं आया। यदि अंग्रेजी के भाषण का हिन्दी अनुवाद करके प्रसारण किया जाता है तो बात समझ में आती है कि वह भारत की जनता को समझाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत हिन्दी भाषण का अंग्रेजी रूपांतर क्यों प्रसारित किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? यह बात एक सामान्य बुद्धिवाले व्यक्ति की सीमा से आगे है। इस प्रक्रिया व प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस पर रोक लगाने से दो लाभ होंगे, आम जनता प्रिय नेताओं द्वारा कही गई बात आसानी से समझ सकेगी और प्रसार माध्यमों से हिन्दी के पक्ष में वातावरण समृद्ध बनेगा।

दूरदर्शन पर ही 23-9-93 को प्रातःकालीन प्रसारण में 7.50 पर सरदार रघुवर सिंह नरूला को मेलबोर्न(आस्ट्रेलिया) में हुए अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश स्पीकिंग प्रतियोगिता के विजेता के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रसारित साक्षात्कार में श्री नरूला द्वारा बार-बार यह कहा गया कि अंग्रेजी का सीखना प्रत्येक भारतवासी के लिए अनिवार्य है। उसके बिना कम्युनिकेशन संपूर्ण नहीं होता। यह साक्षात्कार प्रसारण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि इसे दिखाया जाना अनिवार्य था ही, तो बार-बार यह कहा जाना कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हिन्दी केवल भारत की भाषा है। ऐसे अंशों को एडिटिंग करते समय निकाल देना चाहिए था। जबकि उद्घोषक महोदय जो प्रसारण कर रहे थे उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि हिन्दी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और किसी भी रूप में तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय कहलाई जानेवाली भाषा अंग्रेजी से कम नहीं है। हमारा यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का प्रसारण भारतीय युवकों को दिग्भ्रमित करने के साथ-साथ हमारी राजभाषा व राष्ट्रभाषा हिन्दी के बारे में भ्रामक जानकारी देता है।

चाहिए यह कि भारत सरकार की राजभाषा नीति को सफल बनाने व हिन्दी

की जाय जिस प्रकार से उस संस्था में अन्य कार्यों में अवहेलना के कारण की जाती है। यहाँ यह कहना युक्तिसंगत है कि इस नियम का उल्लंघन मध्यम व निम्न श्रेणी कर्मचारियों द्वारा कम, संस्था के सर्वोच्च पदों व उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों द्वारा अधिक किया जाता है। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का खोखला निर्देश क्या कारगर सिद्ध होगा? नहीं अतः इसके लिए अधिनियम व नियमों में ही संशोधन की आवश्यकता है। केवल निर्देश सहायक सिद्ध नहीं होंगे।

20. उच्च स्तर पर हिन्दी विरोधी प्रवृति पर रोक

राजभाषा नियमों के नियम 12 के तहत जिन लोगों पर संविधान, अधिनियम व नियमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों व समय-समय पर जारी निर्देशों को लागू करने की जिम्मेदारी डाली गई है, प्रायः उन्हीं की ओर से अधीनस्थ कर्मचारियों को यह कहकर हतोत्साहित करते पाया गया है कि उन्हें हिन्दी नहीं आती, इसलिए इस भाषा में नोटिंग से परहेज ही करें तो बेहतर होगा। यह भी कहा जाता है कि चार-पाँच पृष्ठ की जो नोटिंग/सामग्री अंग्रेजी में 5 मिनट में पढ़ी जा सकती है हिन्दी में लिखी टिप्पणी/सामग्री पढ़ने में उनका बहुत समय बर्बाद होता है। चाहे उच्चाधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष में मना नहीं किया गया किन्तु अधीनस्थ कर्मचारी के लिए यह संकेत मात्र ही एक निर्देश बन जाता है और अपने उच्चाधिकारी के तथा-कथित समय की बर्बादी को बचाने के लिए उनकी सुविधा व उन्हें खुश रखने के लिए पुनः पुराना ढंग अपना लिया जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि इस उच्च स्तरीय प्रकृत्ति पर रोक लगाई जाय और पेड़ के फूल- पत्तों पर पानी डालने की बजाय जड़ सींचने का प्रयास किया जाना चाहिए अर्थात राजभाषा कार्यान्वयन उच्च स्तर से आरंभ किया जाय।

अच्छा तो यह होगा कि न केवल सरकारी अधिकारी अपितु तथाकथित जनता के सेवक अर्थात् प्रधानमंत्री, मंत्री और संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों के अध्यक्ष आदि भी हर स्तर पर स्वयं राजभाषा को सम्मान देकर हर स्तर पर उसका प्रयोग कर कर्मचारियों एवं जनसाधारण के समक्ष नजीर पेश करें। आजकल दूरदर्शन पर प्रसारित संसद के प्रश्नोत्तर काल से भी स्पष्ट झलकता है कि सदस्यों द्वारा हिन्दी में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के मंत्रियों आदि द्वारा भी अंग्रेजी में दिया जाता है, फिर अहिन्दी भाषा-भाषियों से कैसे यह अपेक्षा की जाय कि वे राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करें? क्या विदेशी आगंतुकों, जो अपने-अपने देश की भाषा में अपनी बात कहते हैं, को देखकर भी हमारे इन नेताओं/प्रशासकों की आँखें अब तक खुलीं? नहीं, शायद अब उन्हें कुछ सूझे तो राजभाषा हिन्दी और हमारी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को उनका सम्मान मिलने की संभावना जगे।

21. व्यावहारिकता को स्वीकार करने की आवश्यकता

दूरदर्शन, आकाशवाणी ऐसे माध्यम हैं जिनकी आवाज भारत के प्रत्येक कोने में पहुँचती है। इसका प्रभाव भी पड़ता है। रामायण व महाभारत जैसे सीरियलों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि भारत की अधिकतर जनता हिन्दी समझ सकती है, यदि कहीं कठिनाई है भी तो केवल सुदूर ग्रामीण अंचलों में बसे निरक्षर लोगों की। किन्तु इन सीरियलों को इन्होंने भी समझा और रुचि ली। आश्चर्य तब होता है जब दूरदर्शन पर आमंत्रित अतिथि हिन्दी में बोलते हैं किन्तु पता नहीं किसके लिए और किस भावना में बहकर दूरदर्शन के कर्मचारी धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोलते जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के उपलक्ष में आयोजित समारोह के अवसर पर तो इस क्षेत्र में सीमा ही लाँघ दी गई। अध्यक्ष महोदय अंग्रेजी में बोले उसका हिन्दी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद प्रसारित होना चाहिए था किन्तु नहीं हुआ, जब प्रधानमंत्री जी हिन्दी भाषा में बोले तो उसका साथ-साथ अंग्रेजी रूपांतर जारी किया गया। क्यों और किसके लिए? यह समझ नहीं आया। यदि अंग्रेजी के भाषण का हिन्दी अनुवाद करके प्रसारण किया जाता है तो बात समझ में आती है कि वह भारत की जनता को समझाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत हिन्दी भाषण का अंग्रेजी रूपांतर क्यों प्रसारित किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? यह बात एक सामान्य बुद्धिवाले व्यक्ति की सीमा से आगे है। इस प्रक्रिया व प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस पर रोक लगाने से दो लाभ होंगे, आम जनता प्रिय नेताओं द्वारा कही गई बात आसानी से समझ सकेगी और प्रसार माध्यमों से हिन्दी के पक्ष में वातावरण समृद्ध बनेगा।

दूरदर्शन पर ही 23-9-93 को प्रातःकालीन प्रसारण में 7.50 पर सरदार रघुवर सिंह नरूला को मेलबोर्न(आस्ट्रेलिया) में हुए अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश स्पीकिंग प्रतियोगिता के विजेता के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रसारित साक्षात्कार में श्री नरूला द्वारा बार-बार यह कहा गया कि अंग्रेजी का सीखना प्रत्येक भारतवासी के लिए अनिवार्य है। उसके बिना कम्युनिकेशन संपूर्ण नहीं होता। यह साक्षात्कार प्रसारण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि इसे दिखाया जाना अनिवार्य था ही, तो बार-बार यह कहा जाना कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हिन्दी केवल भारत की भाषा है। ऐसे अंशों को एडिटिंग करते समय निकाल देना चाहिए था। जबकि उद्घोषक महोदय जो प्रसारण कर रहे थे उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि हिन्दी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और किसी भी रूप में तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय कहलाई जानेवाली भाषा अंग्रेजी से कम नहीं है। हमारा यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का प्रसारण भारतीय युवकों को दिग्भ्रमित करने के साथ-साथ हमारी राजभाषा व राष्ट्रभाषा हिन्दी के बारे में भ्रामक जानकारी देता है।

चाहिए यह कि भारत सरकार की राजभाषा नीति को सफल बनाने व हिन्दी

को सही रूप में आम जनता तक पहुँचाने के लिए दूरदर्शन पर हिन्दी के संबंध में अधिकाधिक कार्यक्रम प्रसारित किये जायें, और सरलता की दुहाई देने के चक्कर में हिन्दी के अपने अल्प ज्ञान को छिपाकर गलत हिन्दी प्रस्तुत करने से संकोच करें तभी प्रसार माध्यमों के जरिए हिन्दी सही रूप में जनता तक पहुँचेगी।

22. निर्देशों के पालन में एकरूपता लाई जाए

सरकार द्वारा राजभाषा नीति के लिए समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों को लागू करने के लिए अलग-अलग संस्थायें अलग-अलग ढंग अपनाती हैं। जिससे निर्देशों की स्पष्टता पर प्रश्न चिह्न लग जाता है। अतः आवश्यकता है कि निर्देश स्पष्ट दिये जायें और सभी संस्थाओं में उसी रूप में लागू करने के लिए सही मानिटरिंग की जाय ताकि अलग-अलग संस्थाओं में इन्हें भिन्न रूप में न अपनाया जा सके।

23. विभिन्न कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 की धारा 10(4) व 8(4) के अंतर्गत अधिसूचित व विनिर्दिष्ट किया जा चुका है। इनमें अधिकतर काम हिन्दी में करने की अपेक्षा की जाती है। समस्या यह है कि नियुक्ति व स्थानांतरण के समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि अमुक कर्मचारी को हिन्दी का ज्ञान है या नहीं। यदि किसी कर्मचारी को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है और उसे ऐसी शाखाओं में नियुक्त कर दिया जाता है तो परिणाम यह होता है कि राजभाषा नियमों की व्यवस्था के अनुसार काम नहीं हो पाता जो काम पहले हिन्दी माध्यम से होता आ रहा है उस पर भी रोक लग जाती है। और राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। ताकि कम से कम उन कार्यालयों में हिन्दी माध्यम से काम करने की परंपरा कायम रहे जिन्हें राजभाषा नियमों के अंतर्गत अधिसूचित करके हिन्दी माध्यम से काम करने के लिए नामित किया गया है।

24. प्रशिक्षणोपरांत्त हिन्दी में कार्य करने की अनिवार्यता

सभी कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा हिन्दी कार्यशालायें नियमित रूप से चलाई जा रही हैं। इन्हें और अधिक उपयोगी व उद्देश्य-परक बनाने के लिए इसमें एकरूपता लाना आवश्यक है। होता यह है कि प्रत्येक संस्था अपने-अपने ढंग से आँकड़े दर्शाने व खानापूर्ति के लिए कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। इनमें एकरूपता लाकर अधिक से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन करके सभी कर्मचारियों के यथाशीघ्र प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कार्यशालाओं की पाठ्न सामग्री विभागों की उपयोगिता के अनुसार तैयार की जानी चाहिए। इन्हें इतना अधिक व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए ताकि एक बार प्रशिक्षण के पश्चात कर्मचारी अपने विभाग का कार्य हिन्दी माध्यम से कर सकें।

25. पदों को गंभीरता से भरा जाए

हिन्दी पदों के लिए अलग से प्रावधान किये गये, लंबी अवधि गुजर चुकी है, किन्तु अभी भी स्थिति यह है कि कहीं पर हिन्दी अधिकारी नहीं है तो कहीं पर हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति करके ही अपेक्षाओं को पूरा हुआ मान लिया जाता है। उसके पास न कोई सहायक होता है न टंकक और न अनुवादक। अनुवादकों के अलग से पदों के सृजन का प्रावधान है किन्तु राजभाषा अधिकारी जिसे कार्यान्वयन का कार्य पूरा करना है उसे अनुवाद का काम करने पर लगा दिया जाता है जिससे अपेक्षित गति में राजभाषा कार्यान्वयन नहीं हो पाता। अतः यह आवश्यक है कि पद सृजन के जो मानदंड निर्धारित किये गये हैं उन्हीं के अनुसार तत्काल नियुक्तियाँ की जायें।

दूसरे हिन्दी संबंधी पदों पर रोक नहीं है, यह कहा जाता है, और निर्देशानुसार यह सही भी है। किन्तु यह मात्र एक छलावा बनकर रह गया है। वास्तविकता यह है कि भारत सरकार द्वारा आनुपातिक आधार पर जो नवीन नियुक्तियों की व्यवस्था है उस अनुपात में हिन्दी पदों को अंतिम प्राथमिकता दी जाती है। इसका कारण भी है, वह यह है कि जो संस्था जिस कार्य में लगी है उस कार्य को संपन्न करने को प्राथमिकता दिया जाना स्वाभाविक है। राजभाषा कार्यान्वयन तो अवशेष परिकल्पनाओं की विवशता है। सरकार के पद सृजन संबंधी निर्देश भी स्पष्ट नहीं हैं। उनमें पदों के सृजन के लिए कहा गया है कि जहाँ पर्याप्त कार्य हो वहाँ पद बनाये जायें। शायद यह समझ नहीं पा रहे हैं कि यह राजभाषा की कार्यान्वयन अवस्था है। जब स्टाफ होगा तभी कार्य हो पायेगा। तभी वह अन्य कर्मचारियों को प्रेरित कर पायेगा और काम स्वतः ही पैदा हो जायेगा। जब स्टाफ ही नहीं होगा तो काम कहाँ से आयेगा? और काम होने की प्रतीक्षा में अपेक्षित पदों का सृजन होगा ही नहीं। इस क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी राजभाषा कार्यान्वयन में बहुत बड़ा अवरोध। वैसे भी हिन्दी कार्यान्वयन या हिन्दी में काम करना कौन चाहता है? यदि हिन्दी अधिकारी या हिन्दी कार्यान्वयन से जुड़ा स्टाफ प्रेरणा व प्रोत्साहन से काम करवाता भी है तो भी अन्य कर्मचारी उसे इस रूप में लेते हैं जैसे वे उस पर व्यक्तिगत अहसान कर रहे हैं।

इसलिए यह आवश्यक है कि केवल आँसू पोंछने की कला, जिसे चलते पर्याप्त समय हो चुका है, को त्याग कर बिना किसी 'किन्तु' 'परंतु' और 'शर्तों' के सरकार द्वारा बनाये गये मानदंडों के आधार पर पदों का सृजन करके नियुक्तियाँ की जानी चाहिए ताकि इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का मनोबल बढ़े और सरकार की नीति को अक्षरशः लागू कर सकें।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का दायित्व जिन लोगों के कंधों पर है उनके कार्यनिरुपादन, पदोन्नति इत्यादि के बारे

में अधिकार उन्हीं अधिकारियों को दिये गये हैं जिन्हें हिन्दी कार्यान्वयन से कोई सरोकार नहीं तथा जिन्होंने हिन्दी को मन से कभी स्वीकार नहीं किया। यह उन कर्मचारियों का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? हिन्दी के विकास के क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी आजीविका को बचाने के लिए उन लोगों के रहमोकरम पर पड़े हैं जो हिन्दी को किसी भी रूप में कार्यान्वित होता देखना नहीं चाहते। परिणामस्वरूप उनके अंतर्निहित भय से राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े लोग चाहते हुए भी अपना दायित्व पूर्णतया नहीं निभा पाते। यह तत्त्व सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने में एक सशक्त भूमिका निभाता है इसलिए इस क्षेत्र में एक नवीन नीति का निर्धारण करके सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

26. संसदीय राजभाषा समिति की अनुशंसाओं को लागू करना

राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विभिन्न कार्यालयों तथा संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा करके व्यावहारिक दृष्टिकोण पर इसका आंकलन किया गया है। राष्ट्रपति को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा जो निर्णय लिये गये हैं, उनसे सरकार के दृढ़ निश्चय की कमी झलकती है। जहाँ कहीं भी समिति ने शिक्षण-प्रशिक्षण, यांत्रिक सुविधाओं, अनुवाद कार्य के लिए समय-सीमा निर्धारित की है, सरकार द्वारा उसे हू-ब-हू न मानते हुए उसमें संशोधन के साथ समय-सीमा या तो काफी आगे बढ़ा दी गई है या उसे संविधान की धारा 343(1) की तरह अंतहीन बना दिया है, जिससे जो कर्मचारी राजभाषा के प्रति रुचि नहीं रखता या जो किसी कारणवश इसे लागू नहीं करना चाहता, उसे इस बहाने, इससे बचने का रास्ता मिल जाता है। अतः संसदीय राजभाषा समिति की अनुशंसाओं की व्यावहारिकता एवं भावनाओं को समझते हुए इन्हें ज्यों-का-त्यों लागू किया जाये।

27. प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिसकों को हिन्दी में प्रवीण होने की अनिवार्यता

सभी संस्थाओं के प्रशिक्षण केंद्रों में सरकार द्वारा कुछ प्रतिशत कार्यक्रम या तो हिन्दी माध्यम से संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं तथा अपेक्षा की गई है कि अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम या तो हिन्दी माध्यम से चलाये जायें या प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिन्दी के संबंध में जानकारी दी जाय व कम-से-कम एक सत्र अवश्य रखा जाय। लेकिन विडंबना यह है कि जिन प्रशिक्षकों से हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने की अपेक्षा की जाती है, उन्हें स्वयं ही हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान भी नहीं है। सरकार द्वारा दिये गये इन आदेशों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। "प्रशिक्षण केंद्रों में केवल उन्हीं प्रशिक्षकों को नियुक्त किया जाये जिन्हें हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त हो व प्रवीणता देने की क्षमता हो।" इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने की आवश्यकता है और प्रशिक्षकों को इस क्षमता के बावजूद भी समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण

दिलवाया जाये ताकि उनका ज्ञान अद्यतन बना रहे। अन्यथा इसका परिणाम उसी प्रकार दयनीय होगा जैस कहावत है, "जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलम-ठेला"। प्रशिक्षण कार्यक्रम अंग्रेजी में चलाये जाते हैं और कर्मचारियों से हिन्दी में काम करने की अपेक्षा की जाती है। यह असंगत है। अतः जिन क्षेत्रों में व जो काम हिन्दी माध्यम से करने की अपेक्षा की जाती है उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हिन्दी माध्यम से ही चलाये जायें।

28. जनसंपर्क संस्थओं में हिन्दी को प्राथमिकता

जिन संस्थाओं/कार्यालयों में जनसंपर्क का कार्य सीधे रूप से जुड़ा हुआ है व उनके व्यवसाय का मुख्य अंग है, जैसे बैंकिंग, कर व राजस्व, ऊर्जा विभाग इत्यादि में पत्राचार विषय पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। अतः ऐसे विभागों, कार्यालयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिन्दी माध्यम से पत्राचार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

29. प्रशिक्षकों की नियुक्ति के मानदण्डों में एकरूपता

हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए संकाय सदस्यों की आवश्यकता होगी। वर्तमान स्थिति यह है कि कुछ संकाय सदस्य इसमें सक्षम हैं, कुछ नहीं। जो सक्षम हैं, वे भी अलग-अलग ढंग से अपनी-अपनी संस्था में प्रशिक्षण सामग्री व शब्दावली का प्रयोग करके प्रशिक्षण देते हैं। यह स्थिति एक ही प्रकार का व्यवसाय करनेवाली संस्थाओं में भी है। बैंकिंग का उदाहरण लिया जा सकता है। सभी बैंकों का व्यवसाय एक जैसा है, किन्तु उनके प्रशिक्षण केंद्रों में अलग-अलग ढंग से प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः एकरूपता लाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी बैंकों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति की एक व्यवस्था हो। नियुक्ति के पश्चात सभी बैंकों में प्रशिक्षकों को भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में प्रशिक्षण दिया जाय, ताकि सभी संस्थाओं में एक ही शब्दावली व प्रक्रिया अपनाई जा सके। इसी प्रकार एक ही प्रकार के अन्य विभागों/संस्थाओं में भी ऐसा ही ढंग अपनाया जा सकता है।

30. पुस्तकालयों की स्थापना

सभी कार्यालयों/विभागों में चाहे पहले से ही पुस्तकालय के लिए प्रावधान है किन्तु उनमें विभिन्न विषयों की पुस्तकों का अभाव रहता है। अतः यह आवश्यक है कि सभी पुस्तकालयों में उनके व्यवसाय व कार्यों से संबंधित पुस्तकों के अतिरिक्त दूसरे विषयों व ज्ञान के क्षेत्र की पुस्तकें भी होनी चाहिए। विशेषकर प्रशिक्षण संस्थाओं में इस पर विशेष बल दिया जाय ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षक इन्हें संदर्भ के रूप में प्रयोग कर सकें।

31. उक्त उल्लिखित समस्याओं व सुझावों के अतिरिक्त हमने हिन्दी शिक्षण/प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने व शिक्षण/प्रशिक्षण को पूरा करने के संबंध में

अध्याय 4.5 बिन्दु 4.5.5 (छ) पृष्ठ 180 से 182 तक सुझाव दिये हैं। हमारा विश्वास है कि उक्त सुझावों को लागू करने से हिन्दी शिक्षण/प्रशिक्षण को गति मिलेगी और निर्धारित समय में पूरा किया जा सकेगा। परंतु इसके लिए नियमों को दृढ़ता से लागू करने व अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

32. राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को कारगर व प्रभावी बनाना

समितियों की बैठकें मात्र औपचारिकता बन कर रह गई हैं। इन बैठकों का उद्देश्य यह है कि विभिन्न संस्थाओं के उच्च अधिकारी राजभाषा कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों व मदों पर चर्चा करके निर्णय लें और अपनी-अपनी संस्थाओं में लागू करें। किन्तु स्थिति यह है कि सभी संस्थाओं से मात्र खाना-पूर्ति की जा रही है और अपने कार्यालय के राजभाषा अधिकारी या उससे भी कनिष्ठ अधिकारी को बैठक में भेजकर अपनी संस्था की उपस्थिति लगवाने की चेष्टा में रहते हैं, जबकि भारत सरकार का स्पष्ट आदेश है कि संस्था अथवा स्थानीय कार्यालय का प्रमुख अधिकारी इनमें भाग लेगा। यह स्थिति केवल विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की नहीं है बल्कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में भी ऐसा होता है। अनुभव यह कहते हैं कि इन बैठकों में खाने-पीने और इधर-उधर की चर्चा के सिवाय कोई सार्थक चर्चा नहीं होती या फिर अधिकाधिक किसी कार्यालय के पत्राचार की क्या स्थिति रही है उसकी सूचना मात्र देकर कार्यवाही समाप्त मान ली जाती है। यदि कभी-कभार कोई निर्णय लिया भी जाता है तो उस निर्णय पर क्या कार्रवाई की गई उसके संबंध में जानकारी अपर्याप्त होती है।

यह आवश्यक है कि बैठकों का आयोजन गंभीरता से हो और जो भी निर्णय लिये जायें उनकी मानिटरिंग व अनुवर्ती कार्रवाई हो। जब तक कोई भी कार्यालय/संस्था उस पर पूरी तरह अमल नहीं करती उस मामले को बंद नहीं किया जाना चाहिए। इस कार्य को संपन्न करने के लिए कनिष्ठ अधिकारियों की बजाय उच्च स्तरीय अधिकारियों से जवाब माँगा जाय। जो भी निर्णय लिये जायें उन्हें फाइलों में बंद करने के बजाय स्तरों पर परिचालित किया जाय।

33. प्रोत्साहन योजनाओं को व्यावहारिक रूप देना

प्रोत्साहन योजनायें मात्र आँकड़ों का खेल बनकर रह गई हैं। इस मानसिकता पर रोक लगाकर इसे सही अर्थों में प्रोत्साहन के रूप में लागू किया जाय और व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसकी परख की जाय। अपनी-अपनी संस्था के लिए जीतने के लिए रातोंरात जादुई चमत्कार से आँकड़ों के मायाजाल को फैलाने की कला पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जाए प्रोत्साहन के लिए कम नही।

34. रिपोर्टिंग सिस्टम में शुद्धता

राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सरकार के नियम, अधिनियम की स्थिति को जाँचने के लिए प्रचलित एकमात्र तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रोफार्मा किसी संस्था के सही चित्र का प्रस्तुतीकरण नहीं करता। अधीनस्थ कार्यालयों में इस रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया जाता। बहुत ही लापरवाही के साथ खाने भर दिये जाते हैं। वहाँ से प्राप्त आँकड़ों का संकलन उसके नियंत्रण कार्यालय में होता है, उनके द्वारा भेजे गये आँकड़े अगले उच्च कार्यालय में संकलित किये जाते हैं, इस प्रकार गलत आँकड़ों के संकलन की यह प्रक्रिया जो अधीनस्थ कार्यालयों से आरंभ होती है, प्रधान कार्यालय में जाकर उसी रूप में संपन्न हो जाती है। कोई भी अपने स्तर पर सत्यापन का दायित्व नहीं लेना चाहता। यदि कभी इस संबंध में आँकड़ों के बारे में स्पष्टीकरण माँग भी लिया जाय तो यह कहकर दायित्व का निर्वाह हुआ मान लिया जाता है कि अधीनस्थ कार्यालयों से जो आँकड़े प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा केवल उनका संकलन किया गया है। इसलिए सही स्थिति सामने नहीं आ पाती। अधीनस्थ स्तर पर क्योंकि, यह पता ही नहीं होता कि किस कॉलम में क्या भरा जाना है।

प्रस्तुत किये गये इन्हीं आँकड़ों पर विश्वास करके सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रगति रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है। इस प्रकार इस महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया की इति मानकर अगले वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिये जाते हैं।

आवश्यकता है कि आँकड़े प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया अपनाई जाय, प्रस्तुत आँकड़ों के सत्यापन की व्यवस्था हो, अधीनस्थ कार्यालयों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को दायित्व सौंपा जाय जिसे इस रिपोर्ट के सभी कॉलम सही ढंग से भरने की जानकारी दी जाय। गलत आँकड़े प्रस्तुत करने के लिए दंड की व्यवस्था हो ताकि सही स्थिति सामने आ सके।

35. सम्मेलनों, गोष्ठियों का स्वरूप मेलों का हो गया है। कुछ एक राजनीतिक नेताओं को बुलाकर राजनीतिक मंच की भाँति वाह-वाही लूटने की परंपरा बन गई है। सम्मेलनों को संबोधित करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को बुला लिया जाता है जिन्हें राजभाषा के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं होती। एक वाक्य जो रटा-रटाया होता है उनसे बुलवा लिया जाता है कि "हिन्दी थोपी नहीं जायेगी," "इसे सरल रूप से प्यार और सद्भावना के साथ लागू किया जायेगा"। इसका प्रभाव अनुकूल होने की बजाय विपरीत पड़ता है और जहाँ कहीं इस क्षेत्र में थोड़ा-बहुत काम होता भी है, इस वाक्य की आड़ में बंद हो जाता है, क्योंकि हर स्थिति में हिन्दी को थोपने की श्रेणी में मान लिया जाता है।

यह आवश्यक है कि सम्मेलनों व गोष्ठियों के माध्यम से राजभाषा संबंधी नियमों व अधिनियमों की जानकारी दी जाय। सरकार द्वारा उठाये गये नवीन कदमों के बारे में सूचना दी जाय व भावी स्वरूप का उल्लेख किया जाय। इस क्षेत्र

के विद्वानों को इनमें आमंत्रित किया जाय ताकि लोगों को सही दिशा मिल सकें, राजभाषा की प्रकृति का स्पष्टीकरण प्राप्त हो सके, लोगों को प्रेरणा मिले व हिन्दी थोपने संबंधी पद पर प्रतिबंध लगाया जाये। इसके बदले में राजभाषा कार्यान्वयन को अपनेक्षानुसार सरल बनाकर उसके स्वरूप को बिगाड़े बिना उसे अधिक कारगर व व्यवहारिक बनाया जाय।

ऊपर दिये गये सुझावों पर गहनता से मनन करके यदि राजभाषा कार्यान्वयन पर विचार किया जाता है तो स्वभाविक है कि परोक्ष के भय से प्रत्यक्ष में दिखाई देनेवाली समस्याओं का बिना किसी बल प्रयोग व किसी की संवेदनाओं को ठेस पहुँचाये बिना हिन्दी राजभाषा के रूप में स्वतः लागू हो जायेगी।

5.5: उपसंहार

विषय के गहन अध्ययन व व्यावहारिक स्तर पर अनुभवों के आधार पर हमारा मंतव्य है कि यदि उपरोक्त सुझाव लागू किये जाते हैं तो राजभाषा की समस्या जो कठिन प्रतीत होती है, सुलझने में कठिनाई नहीं होगी।

सैकड़ों वर्ष तक अंग्रेजी में काम करते-करते कर्मचारियों की मानसिकता तदनुरूप बन गई है। मानव प्रकृति ही ऐसी है कि जो सहज में मिल जाये या तो सरलता से बिना अंग प्रत्यगों को कष्ट दिये पूरा हो सके, करने का प्रयास किया जाता है। नयेपन में जो मेहनत करनी पड़ती है, उसकी जहमत कौन उठाये। इसलिए अपने पूर्वजों से जो गढ़े-गढ़ाये वाक्य शासन-प्रशासन को चलाने के लिए विरासत में मिले हैं, उन्हीं से काम चलाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए हिन्दी में काम करने में कर्मचारी कठिनाई महसूस करते हैं। कठिनाई हो भी सकती है, किन्तु कभी तो, किसी बिन्दु पर इस लक्ष्मणरेखा को पार करना ही होगा। इसके लिए राज्य सरकारों को क्षेत्रीयता के मोह को भंग करके एक राष्ट्रीयता की भावना के साथ राष्ट्र की एकता की प्रतीक राजभाषा हिन्दी को अपनाना होगा। विदेशी भाषा की खोखली झंकार व अप्रत्याशित भय से बचते हुए अपनी राजभाषा हिन्दी को सम्मान देना होगा। केंद्र सरकार को दृढ़ संकल्प के साथ सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए नई योजना व नियम बनाकर उन्हें उसी भावना के साथ लागू करना होगा। इसके लिए तुर्की के महान मुक्तिदाता, कमालपाशा के दृढ़ निश्चय को आदर्श बनाने की आवश्यकता है, जिसका उल्लेख इस शोध-प्रबंध के निष्कर्ष में देना युक्तिसंगत होता है। कमालपाशा ने स्वराज्य प्राप्ति करने पर प्रमुख शिक्षा-शास्त्रियों और सहयोगियों से राजभाषा के रूप में तुर्की भाषा को स्थान दिलाने के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने को कहा। जब इन सहयोगियों ने तुर्की को राजभाषा के रूप में विकसित होने के लिए 10 वर्ष का समय निर्धारित करने की माँग की, तो उन्होंने घोषणा की कि "आप लोग यह समझ लें कि कल सुबह 10

बजे पूरे 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उस समय से तुर्की राजभाषा घोषित की जाती है।"[1] इस निर्णय से विदेशी भाषा के थोड़े से जानकार क्षुब्ध अवश्य हुए, लेकिन अधिकांश जनता ने यह निर्णय सर-आँखों पर स्वीकार किया, जिससे इसके विरोधियों को भी उक्त निर्णय के अनुसार कार्य करना पड़ा। हम सभी भारतीयों (कर्मचारी, छात्र व आम जनता) को मानसिक हीन भावना को त्याग कर हिन्दी अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति व अभ्यास की आवश्यकता है।

अब भी चेता जा सकता है और प्रशासनिक क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को स्थापित करके उनका स्थान दिलाया जा सकता है। आज भाषा को लेकर जो प्रांतीयता की भावना उभर रही है, और हिन्दी के साथ प्रांतीय भाषाओं के वैमनस्य की बात चलाई जाती है, वह अराष्ट्रीयता व अस्वस्थ दृष्टिकोण का परिचायक है। "यहाँ की प्रत्येक भाषा वीणा के ऐसे तार के समान रह कर ही सार्थकता पाती है जो रागिणी की संपूर्णता के लिए ही अपनी झंकार से भिन्न है। सभी भारतीय भाषायें प्रणम्य हैं। सभी ने अपनी चिंतना और भावना की उपलब्धियों से राष्ट्रजीवन को समृद्ध किया है।"[2]

ये विचार महादेवी वर्मा ने दक्षिण भारतीय हिन्दी प्रचार सभा के तत्वावधान में आयोजित 50वें अखिल भारतीय सम्मेलन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए व्यक्त किये थे।

अपना शोध-प्रबंध हम इन शब्दों के साथ संपन्न करना चाहेंगे; "शोध प्रबंध में दिये गये तथ्यों, अध्ययन व अनुभवों से यह स्पष्ट हो चुका है कि परस्पर भिन्न होते हुए भी सभी भारतीय भाषायें राष्ट्रीयता की पोषक हैं, आंतरिक दृष्टि से उनमें साम्य है। वे एक-दूसरे की सहयोगी हैं, विरोधी नहीं। अब आवश्यकता है समस्त देशवासियों के अंतःकरण में ऐसी चेतना जगाने की जिससे अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी व प्रांतीय स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्थापित किया जा सके। यह एक ऐसा ढंग होगा जिसके आगे सभी प्रांतीय सरकारों को झुकना पड़ेगा। केंद्र में हिन्दी व राज्यों में उनकी क्षेत्रीय भाषायें राजभाषा की भूमिका निभायेंगी। इस प्रकार अंग्रेजी अपने आप प्रशासनिक क्षेत्रों से बहिष्कृत हो जायेगी। हिन्दी व प्रांतीय भाषाओं का आधिपत्य प्रशासन पर कायम हो जायेगा। इससे समस्त राष्ट्र के प्रशासनिक क्षेत्र से अंग्रेजी के बहिष्कृत हो जाने के साथ-साथ जनतांत्रिक प्रणाली में दिखाई देनेवाली राजभाषा की समस्या स्वतः सुलझ जायेगी और देश का प्रशासन आम जनता के अत्यधिक समीप होगा।"

❐

1. "दिनमान हिन्दी पत्रिका"– 7 जनवरी सन् 1968, पृष्ठ 3
2. "दिनमान हिन्दी पत्रिका"– 7 मई 1967, पृष्ठ 14-15

सहायक ग्रंथ
संदर्भ ग्रंथ-सूची

हिन्दी पुस्तकें

01. राष्ट्रभाषा हिन्दी-स्वरूप—डॉ. रामेश्वर मिश्र
02. राजभाषा समस्या—व्यावहारिक समाधान—डॉ. कन्हैया लाल गांधी
03. हिन्दी भाषा का इतिहास—डॉ. धीरेंद्र वर्मा
04. हिन्दी साहित्य का इतिहास—प्रथम खंड—जार्ज ग्रियर्सन
05. हिन्दी साहित्य का इतिहास—गार्तो-दा-तासो
06. भारत का भाषा सर्वेक्षण—खंड-1—जार्ज ग्रियर्सन
07. दक्खिनी हिन्दी—डॉ. बाबूराम सक्सेना
08. हिन्दी भाषा का उद्‌भव और विकास—डॉ. भोलानाथ तिवारी
09. राष्ट्रभाषा हिन्दी(भाषा का प्रश्न)—सुमित्रानंदन पंत
10. भाषा विज्ञान पर भाषण 'मैक्समूलर' एवं हेमचंद्र जोशी
11. सामान्य भाषा विज्ञान—डॉ. बाबू राम सक्सेना
12. भाषा शास्त्र की रूपरेखा—डॉ. उदय नारायण तिवारी
13. भाषा विज्ञान—डॉ. श्यामसुंदर दास
14. भाषा रहस्य—आचार्य पद्‌म नारायण
15. तुलनात्मक भाषा शास्त्र—डॉ. मंगल देव शास्त्री
16. राष्ट्रभाषा विहीन राष्ट्र—गोपाल राव एकबोटे
17. सूरपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य—टी डबल्यू रायडेविस
18. हिन्दी साहित्य—प्रथम खंड—डॉ. चंडिका प्रसाद शुक्ल
19. राजस्थानी भाषा—डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी
20. राजभाषा के संदर्भ में हिन्दी आंदोलन का इतिहास—डॉ. उदय नारायण दुबे
21. सूरपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य—डॉ शिवप्रसाद सिंह
22. भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी—डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी
23. हिन्दी समस्या और समाधान—बलराज सिरोही, सावित्री अग्रवाल
24. राजभाषा हिन्दी विकास के विविध आयाम—डॉ. मलिक मुहम्मद
25. राजभाषा हिन्दी—डॉ. भोलानाथ तिवारी
26. नाट्‌यशास्त्र—भरत मुनि
27. पंजाबी भाषा और उसका साहित्य—प्रो. करतार सिंह दुग्गल
28. प्राचीन लिपि माला—प्रो. गौरी शंकर
29. शब्दकोश—फरदंग-ए-असमिया

30. राष्ट्रभाषा एक भारतीय आत्मा–रवि कैलांग
31. राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता–दिनकर
32. भारत की भाषा संबंधी समस्यायें–डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी
33. हिन्दी और हिन्दुस्तानी–जार्ज ग्रियर्सन
34. हिन्दी भाषा का आंदोलन–संकलित–लक्ष्मीचंद
35. हिन्दी की समस्यायें–प्रो. कामेश्वर शर्मा
36. संपर्क भाषा हिन्दी–कमल सिंह व भोलानाथ तिवारी
37. राजभाषा हिन्दी प्रयोग और संदर्भ–कृष्ण लाल अरोड़ा

वैदिक संस्कृत ग्रंथ

1. वाक्य पदीयम
2. अथर्ववेद
3. शतपथ ब्राह्मण
4. ऐतरेय
5. अष्टाध्यायी
6. महाभाष्यम

अंग्रेज़ी ग्रंथ

1. हिस्ट्री ऑफ साऊथ इंडिया–नीलकांत शास्त्री
2. लैंग्वेजिस ऑफ इंडिया–प्रो. पी. एन. पुष्प
3. लैंग्वेजिस ऑफ इंडिया–जयराम दौलत राम
4. डिबेट ऑफ कंस्टीट्युशन एसेंम्बली वाल्युम–1/11–भारत सरकार का प्रकाशन
5. इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेजिस कमीशन रिपोर्ट–1955-56, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
6. सैंसिज ऑफ इंडिया 1971, सीरीज, पार्ट-I पार्ट-II–भारत सरकार का प्रकाशन
7. रिपोर्ट आफ आफिशियल लैंग्वेज कमीशन–1956–भारत सरकार का प्रकाशन

पत्र-पत्रिकायें

1. साप्ताहिक हिन्दुस्तान
2. हिन्दी नवजीवन पत्रिका
3. यंग इंडिया पत्रिका
4. दैनिक पत्र–हिन्दु
5. दिनमान पत्रिका–हिन्दी
6. राजभाषा भारती–गृह मंत्रालय पत्रिका
7. राजभाषा पुष्पमाला–गृह मंत्रालय पत्रिका
8. अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन–पत्रिका
9. बैंक राजभाषा सम्मेलन–स्मारिका

रिपोर्ट/प्रतिवेदन/संकल्प

01. अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 1918–स्मारिका
02. संविधान सभा बहस, वाल्यूम 9, मई दिल्ली–भारत सरकार का प्रकाशन
03. भारतीय विधान परिषद–बहस की सरकारी रिपोर्ट
04. संविधान सभा की सरकारी रिपोर्ट
05. भारतीय संविधान का मूल पाठ–भारत सरकार प्रेस
06. परिवर्द्धित देवनागरी–शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय निदेशालय दिल्ली
07. राजभाषा अधिनियम संशोधित–1963 मूल पाठ–भारत सरकार प्रेस
08. राजभाषा अधिनियम संशोधित–1967 मूल पाठ–भारत सरकार प्रैस
09. राजभाषा नियम–1976–मूलपाठ–भारत सरकार प्रेस
10. राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश–1955–भारत सरकार प्रेस
11. विधि आयोग रिपोर्ट–भारत सरकार प्रेस
12. वर्तनी आयोग रिपोर्ट–भारत सरकार प्रेस
13. राजभाषा संकल्प–1968–भारत सरकार प्रेस
14. राजभाषा आयोग की रिपोर्ट–1959–भारत सरकार प्रेस
15. गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन
16. गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, भारत सरकार के संकल्प
17. हिन्दी के प्रयोग के संबंध में आदेशों का संकलन–भारत सरकार–1986
18. हिन्दी के प्रयोग के संबंध में आदेशों का अनुपूरक संकलन–1988, भारत सरकार
19. राजभाषा संबधी सांविधिक उपबंध–राजभाषा नियम–भारत सरकार का प्रकाशन

20. राजभाषा–वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट–1975–भारत सरकार का प्रकाशन
21. राजभाषा–वार्षिक रिपोर्ट –1977 के 1992 –भारत सरकार का प्रकाशन
22. राजभाषा–बढ़ते चरण–राजभाषा विभाग, भारत सरकार का प्रकाशन
23. संसदीय राजभाषा समिति–प्रतिवेदन–खंड–1–भारत सरकार का प्रकाशन
24. संसदीय राजभाषा समिति–प्रतिवेदन–खंड–2–भारत सरकार का प्रकाशन
25. संसदीय राजभाषा समिति–प्रतिवेदन–खंड–3–भारत सरकार का प्रकाशन
26. संसदीय राजभाषा समिति–प्रतिवेदन–खंड–4–भारत सरकार का प्रकाशन
27. हिन्दी शिक्षण योजना संबंधी आदेशों का संकलन–गृह मंत्रालय–भारत सरकार का प्रकाशन
28. राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी नियम–राजभाषा विभाग–भारत सरकार का प्रकाशन
29. राजभाषा के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम–1976–77 से 1993–94 तक
30. लोकसभा बहस ग्रंथ–17–लोकसभा सचिवालय–भारत सरकार का प्रकाशन
31. लोकसभा बहस ग्रंथ–31–लोकसभा सचिवालय–भारत सरकार का प्रकाशन
32. लोकसभा बहस ग्रंथ–32–लोकसभा सचिवालय–भारत सरकार का प्रकाशन
33. लोकसभा बहस ग्रंथ–38–लोकसभा सचिवालय–भारत सरकार का प्रकाशन
34. हिन्दी सलाहकार–भारत सरकार के सरकारी पत्र–राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
35. हिन्दी शिक्षण योजना का इतिहास और वर्तमान स्थिति–राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
36. हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट–राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
37. वित्त मंत्रालय–व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन–भारत सरकार
38. वित्त मंत्रालय–व्यय विभाग के अर्धशासकीय पत्र–भारत सरकार

प्रश्नावली/साक्षात्कार

1. विभिन्न व्यक्तियों को भेजी गई प्रश्नावली–प्राप्त सुझाव
2. विभिन्न व्यक्तियों/सदस्यों से किया गया साक्षात्कार–प्रतिक्रिया

पत्र-पत्रिकायें

1. साप्ताहिक हिन्दुस्तान
2. हिन्दी नवजीवन पत्रिका
3. यंग इंडिया पत्रिका
4. दैनिक पत्र–हिन्दु
5. दिनमान पत्रिका–हिन्दी
6. राजभाषा भारती–गृह मंत्रालय पत्रिका
7. राजभाषा पुष्पमाला–गृह मंत्रालय पत्रिका
8. अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन–पत्रिका
9. बैंक राजभाषा सम्मेलन–स्मारिका

रिपोर्ट/प्रतिवेदन/संकल्प

01. अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 1918–स्मारिका
02. संविधान सभा बहस, वाल्यूम 9, मई दिल्ली–भारत सरकार का प्रकाशन
03. भारतीय विधान परिषद–बहस की सरकारी रिपोर्ट
04. संविधान सभा की सरकारी रिपोर्ट
05. भारतीय संविधान का मूल पाठ–भारत सरकार प्रेस
06. परिवर्द्धित देवनागरी–शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय निदेशालय दिल्ली
07. राजभाषा अधिनियम संशोधित–1963 मूल पाठ–भारत सरकार प्रेस
08. राजभाषा अधिनियम संशोधित–1967 मूल पाठ–भारत सरकार प्रैस
09. राजभाषा नियम–1976–मूलपाठ–भारत सरकार प्रेस
10. राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश–1955–भारत सरकार प्रेस
11. विधि आयोग रिपोर्ट–भारत सरकार प्रेस
12. वर्तनी आयोग रिपोर्ट–भारत सरकार प्रेस
13. राजभाषा संकल्प–1968–भारत सरकार प्रेस
14. राजभाषा आयोग की रिपोर्ट–1959–भारत सरकार प्रेस
15. गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन
16. गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, भारत सरकार के संकल्प
17. हिन्दी के प्रयोग के संबंध में आदेशों का संकलन–भारत सरकार–1986
18. हिन्दी के प्रयोग के संबंध में आदेशों का अनुपूरक संकलन–1988, भारत सरकार
19. राजभाषा संबधी सांविधिक उपबंध–राजभाषा नियम–भारत सरकार का प्रकाशन

20. राजभाषा–वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट–1975–भारत सरकार का प्रकाशन
21. राजभाषा–वार्षिक रिपोर्ट –1977 के 1992 –भारत सरकार का प्रकाशन
22. राजभाषा–बढ़ते चरण–राजभाषा विभाग, भारत सरकार का प्रकाशन
23. संसदीय राजभाषा समिति–प्रतिवेदन–खंड–1–भारत सरकार का प्रकाशन
24. संसदीय राजभाषा समिति–प्रतिवेदन–खंड–2–भारत सरकार का प्रकाशन
25. संसदीय राजभाषा समिति–प्रतिवेदन–खंड–3–भारत सरकार का प्रकाशन
26. संसदीय राजभाषा समिति–प्रतिवेदन–खंड–4–भारत सरकार का प्रकाशन
27. हिन्दी शिक्षण योजना संबंधी आदेशों का संकलन–गृह मंत्रालय–भारत सरकार का प्रकाशन
28. राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी नियम–राजभाषा विभाग–भारत सरकार का प्रकाशन
29. राजभाषा के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम–1976–77 से 1993–94 तक
30. लोकसभा बहस ग्रंथ–17–लोकसभा सचिवालय–भारत सरकार का प्रकाशन
31. लोकसभा बहस ग्रंथ–31–लोकसभा सचिवालय–भारत सरकार का प्रकाशन
32. लोकसभा बहस ग्रंथ–32–लोकसभा सचिवालय–भारत सरकार का प्रकाशन
33. लोकसभा बहस ग्रंथ–38–लोकसभा सचिवालय–भारत सरकार का प्रकाशन
34. हिन्दी सलाहकार–भारत सरकार के सरकारी पत्र–राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
35. हिन्दी शिक्षण योजना का इतिहास और वर्तमान स्थिति–राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
36. हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट–राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
37. वित्त मंत्रालय–व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन–भारत सरकार
38. वित्त मंत्रालय–व्यय विभाग के अर्धशासकीय पत्र–भारत सरकार

प्रश्नावली/साक्षात्कार

1. विभिन्न व्यक्तियों को भेजी गई प्रश्नावली–प्राप्त सुझाव
2. विभिन्न व्यक्तियों/सदस्यों से किया गया साक्षात्कार–प्रतिक्रिया

ज
शि

ले

पु

पु

स

परिशिष्ट-1

2 सितंबर 1949 को कांग्रेस दल की बैठक हुई। इसमें प्रारूप समिति ने मुंशी आयंगर मसौदा तैयार किया। इसके सदस्य निम्नलिखित थे :

1. अल्लादी कृष्ण स्वामी अरूयर
2. एन गोपालस्वामी आयंगर
3. बी. आर. अम्बेडकर
4. के. एम. मुंशी
5. मुहम्मद सादुल्ला
6. बी. एम. मित्तर
7. डी. पी. खेतान
8. एम. माधव राव
9. टी. टी. कृष्णमचारी

शिवाराव बी. फ्रैमिंग, इंडिया कंस्टीच्यूशन, ए स्टडी, नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1968, पृष्ठ 794

(**नोटः**— बी. एल. मित्तर के स्थान पर एम. माधव राव तथा डी. पी. खेतान की मृत्यु पर श्री टी. टी. कृष्णमचारी को नियुक्त किया गया था।)

परिशिष्ट-2

संविधान की अष्टम अनुसूची में
(अनुच्छेद 344(1) और 351)

स्वीकृत भाषायें

01. असमिया
02. उड़िया
03. उर्दू
04. कन्नड़
05. गुजराती
06. कश्मीरी
07. तमिल
08. तेलुगु
09. पंजाबी
10. बंगला
11. मराठी
12. मलयालम
13. संस्कृत
14. सिंधी
15. हिन्दी
16. कोंकणी
17. नेपाली
18. मणिपुरी

संदर्भ पृष्ठ 104

परिशिष्ट-3

आयोग के सदस्यों की सूची

01. बी. जी. खेर—अध्यक्ष
02. डॉ. विरची कुमार बरक—अध्यक्ष, असमी विभाग—गुवाहाटी विश्वविद्यालय
03. डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी—अध्यक्ष, बंगाल विधान सभा
04. श्री मगन भाई देसाई—गुजरात विद्यापीठ
05. प्रो. पृथ्वीनाथ पुष्प—अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर
06. श्री एम. के. राजा—संपादक, दीनबंधु, एनीकुलम
07. डॉ. पी. सुब्बारामन—सदस्य राज्यसभा—मद्रास
08. श्री जे. पी. नेने—राष्ट्रभाषा भवन पुणे
09. डॉ. पी. के. पारीजा—उत्कल विश्वविद्यालय
10. सरदार तेज सिंह—भूतपूर्व न्यायाधीश, पंजाब
11. श्री एम. सत्यनारायणन—सदस्य राज्य सभा, मद्रास
12. बाबूराम सक्सेना—इलाहाबाद विश्वविद्यालय
13. डॉ. आबिद हुसैन—जामिया मिलिया, दिल्ली
14. डॉ. अमरनाथ झा—अध्यक्ष लोक सेवा आयोग व पटना
15. डॉ. आर. पी. त्रिपाठी—उपकुलपति, सागर विश्वविद्यालय
16. श्री बालकृष्ण शर्मा—सदस्य, लोकसभा
17. श्री मौलिचंद्र शर्मा—दिल्ली
18. डॉ. हजारी प्रसाद त्रिवेदी—काशी विश्वविद्यालय
19. श्री जयनारायण व्यास—जयपुर
20. अनंत शयनम आयंगर—उपाध्यक्ष, लोकसभा
21. श्री डी. सी. पावटे, उपकुलपति, कर्नाटक विश्वविद्यालय

1955 में डॉ. अमरनाथ झा की मृत्यु पर श्री रामधारी सिंह दिनकर, सदस्य राज्यसभा, बिहार को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया।

8 मार्च, 1956 को जब आयंगर साहब लोकसभा के अध्यक्ष चुने गये तो उन्होंने आयोग से इस्तीफा दे दिया।

परिशिष्ट-4

संविधान की आठवीं अनुसूची में (अद्यतन संशोधन से पहले तक) संस्कृत सहित 15 क्षेत्रीय भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। 1981 की जनगणना के अनुसार इन भाषाओं को बोलनेवालों के संबंध में आँकड़े नीचे सारणी में दिये गये हैं।

अनुसूचित भाषाओं के बोलनेवालों की अवरोही क्रम में संख्या

	भाषा	बोलनेवालों की संख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत (संस्थागत जनसंख्या को छोड़कर)
01.	हिन्दी	264,189,057	(39.94)
02.	तेलगु	54,226,227	(8.20)
03.	बंगला	51,503,085	(7.79)
04.	मराठी	49,624,847	(7.50)
05.	तमिल	44,730,389	(6.76)
06.	उर्दू	35,323,282	(5.34)
07.	गुजराती	33,189,039	(5.02)
08.	कन्नड़	26,887,837	(4.06)
09.	मलयालम	25,952,966	(3.92)
10.	उड़िया	22,881,053	(3.46)
11.	पंजाबी	18,588,400	(2.81)
12.	कश्मीरी	3,174,684	(0.48)
13.	सिंधी	1,949,278	(0.29)
14.	असमिया*	70,525	(0.01)
15.	संस्कृत	2,946	नगण्य

*असम में जनगणना नहीं की गई।

कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को इस अनुसूची में बाद में जोड़ा गया है, अतः आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट-3

आयोग के सदस्यों की सूची

01. बी. जी. खेर—अध्यक्ष
02. डॉ. विरची कुमार बरक—अध्यक्ष, असमी विभाग—गुवाहाटी विश्वविद्यालय
03. डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी—अध्यक्ष, बंगाल विधान सभा
04. श्री मगन भाई देसाई—गुजरात विद्यापीठ
05. प्रो. पृथ्वीनाथ पुष्प—अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर
06. श्री एम. के. राजा—संपादक, दीनबंधु, एनीकुलम
07. डॉ. पी. सुब्बारामन—सदस्य राज्यसभा—मद्रास
08. श्री जे. पी. नेने—राष्ट्रभाषा भवन पुणे
09. डॉ. पी. के. पारीजा—उत्कल विश्वविद्यालय
10. सरदार तेज सिंह—भूतपूर्व न्यायाधीश, पंजाब
11. श्री एम. सत्यनारायणन—सदस्य राज्य सभा, मद्रास
12. बाबूराम सक्सेना—इलाहाबाद विश्वविद्यालय
13. डॉ. आबिद हुसैन—जामिया मिलिया, दिल्ली
14. डॉ. अमरनाथ झा—अध्यक्ष लोक सेवा आयोग व पटना
15. डॉ. आर. पी. त्रिपाठी—उपकुलपति, सागर विश्वविद्यालय
16. श्री बालकृष्ण शर्मा—सदस्य, लोकसभा
17. श्री मौलिचंद्र शर्मा—दिल्ली
18. डॉ. हजारी प्रसाद त्रिवेदी—काशी विश्वविद्यालय
19. श्री जयनारायण व्यास—जयपुर
20. अनंत शयनम आयंगर—उपाध्यक्ष, लोकसभा
21. श्री डी. सी. पावटे, उपकुलपति, कर्नाटक विश्वविद्यालय

1955 में डॉ. अमरनाथ झा की मृत्यु पर श्री रामधारी सिंह दिनकर, सदस्य राज्यसभा, बिहार को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया।

8 मार्च, 1956 को जब आयंगर साहब लोकसभा के अध्यक्ष चुने गये तो उन्होंने आयोग से इस्तीफा दे दिया।

परिशिष्ट-4

संविधान की आठवीं अनुसूची में (अद्यतन संशोधन से पहले तक) संस्कृत सहित 15 क्षेत्रीय भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। 1981 की जनगणना के अनुसार इन भाषाओं को बोलनेवालों के संबंध में आँकड़े नीचे सारणी में दिये गये हैं।

अनुसूचित भाषाओं के बोलनेवालों की अवरोही क्रम में संख्या

	भाषा	बोलनेवालों की संख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत (संस्थागत जनसंख्या को छोड़कर)
01.	हिन्दी	264,189,057	(39.94)
02.	तेलगु	54,226,227	(8.20)
03.	बंगला	51,503,085	(7.79)
04.	मराठी	49,624,847	(7.50)
05.	तमिल	44,730,389	(6.76)
06.	उर्दू	35,323,282	(5.34)
07.	गुजराती	33,189,039	(5.02)
08.	कन्नड़	26,887,837	(4.06)
09.	मलयालम	25,952,966	(3.92)
10.	उड़िया	22,881,053	(3.46)
11.	पंजाबी	18,588,400	(2.81)
12.	कश्मीरी	3,174,684	(0.48)
13.	सिंधी	1,949,278	(0.29)
14.	असमिया*	70,525	(0.01)
15.	संस्कृत	2,946	नगण्य

*असम में जनगणना नहीं की गई।

कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को इस अनुसूची में बाद में जोड़ा गया है, अतः आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट-5

1981 की जनगणना के अनुसार अष्टम अनुसूची में दी गई भाषाओं में से विभिन्न भाषा-भाषियों में हिन्दी जानने वालों की संख्या

भाषा-भाषी	हिन्दी जानने वालों की संख्या
सिंधी	1949278
असमिया	70525
पंजाबी	18588400
मराठी	49624847
गुजराती	33189039
उड़िया	22881053
बंगला	51503085
संस्कृत	2946

राजभाषा विभाग गृहमंत्रालय, भारत सरकार की तिमाही पत्रिका राजभाषा भारती अंक अक्तूबर-दिसंबर 1992 से साभार।

परिशिष्ट-6

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग)

नियम 1976

(भारत के 17 जुलाई, 76 के राजपत्र के भाग—II खंड-3 उपखंड(1) में प्रकाशित)

भारत सरकार, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 28 जून, 1976 की अधिसूचना।

सा. का. नि. 152, केंद्रीय सरकार, राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ गठित, धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।
2. इन नियमों का विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा।
3. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषायें

इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,

क. 'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963(1963 का 19) अभिप्रेत है।

ख. केंद्रीय सरकार के कार्यालय में निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं अर्थात्

1. केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय
2. केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति या अभिकरण का कोई कार्यालय, और
3. केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी का कार्यालय।

ग. 'कर्मचारी' से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

घ. 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है।

ङ. 'हिन्दी' में प्रवीणता से नियम 9 में यथावर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है।

च. 'क' क्षेत्र से, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के राज्य तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

छ. 'ख' क्षेत्र से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब के राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

ज. 'ग' क्षेत्र से, खंड(च) और (छ) में निर्दिष्ट से भिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

झ. 'हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में यथावर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

3. राज्यों, आदि, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न, के साथ पत्रादि

1. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से 'क' क्षेत्र के राज्य को या ऐसे राज्य में (केंद्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न) किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि, असाधारण दशाओं में के सिवाय हिन्दी में होंगे तथा यदि कोई पत्रादि उनमें से किसी को अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ-साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जायेगा।
2. केंद्रीय सरकार के कार्यालय से

क. 'क' क्षेत्र के राज्य को या ऐसे राज्य में, (केंद्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न) किसी कार्यालय को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ-साथ उनका हिन्दी अनुवाद भेजा जायेगा। परंतु यदि कोई ऐसा

राज्य यह वॉछा करता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि उतनी अवधि तक जो संबंधित राज्य की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंग्रेजी में या हिन्दी में, दूसरी भाषा में अनुवाद सहित भेजे जायें तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जायेंगे।

ख. 'ख' क्षेत्र के राज्य में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

3. केंद्रीय सरकार के कार्यालय से 'ग' क्षेत्र के राज्य को या ऐसे राज्य में (केंद्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न) किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

4. उन नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी 'ग' क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से 'क' क्षेत्र या 'ख' क्षेत्र के राज्य को या ऐसे राज्य में (केंद्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न) किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी में या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

4. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि

क. केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी में या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

ख. केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और 'क' क्षेत्र में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालय में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने के लिए सुविधाओं और उनके आनुषंगिक विषयों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

ग. 'क' क्षेत्र में स्थित, खंड 'क' या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न केंद्रीय सरकार के कार्यालयेां के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे।

घ. 'क' क्षेत्र या 'ख' क्षेत्र या 'ग' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

ङ. 'ख' क्षेत्र या 'ग' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में या अंग्रेजी में हो सकते हैं, परंतु ऐसे पत्रादि के साथ उनका दूसरी भाषा में अनुवाद :

1. जहाँ पत्रादि 'क' क्षेत्र या 'ख' क्षेत्र के कार्यालय को संबोधित है, वहाँ यदि आवश्यक हो तो, पहुँच के स्थान पर उपलब्ध कराया जायेगा।
2. जहाँ पत्रादि 'ग' क्षेत्र के कार्यालय को संबोधित है, वहाँ ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उपलब्ध कराया जायेगा

परंतु यह और कि दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जायेगी यदि पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है।

5. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी हिन्दी में पत्रादि के केंद्रीय सरकार के कार्यालय से उत्तर हिन्दी में होंगे

6. हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का ही प्रयोगः

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों की प्रयोग में लाई जायेंगी और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार किये जाते हैं, निष्पादित किये जाते हैं या जारी किये जाते हैं।

7. आवेदन, अभिवेदन आदि

1. कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन, हिन्दी में या अंग्रेजी में कर सकता है।
2. उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन, जब भी हिन्दी में किया जाए या उसमें हिन्दी में हस्ताक्षर किये जायें तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जायेगा।
3. जब कोई कर्मचारी यह वॉछा करता है कि सेवा विषयों से (जिसमें अनुशासनिक कार्रवाहियाँ सम्मिलित हैं) संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति हिन्दी में या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे बिना किसी अनुचित विलंब के उसी भाषा में दी जायेगी।

8. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पण का लिखा जाना

1. कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे।
2. केंद्रीय सरकार का कर्मचारी, जिसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, किसी हिन्दी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की माँग तब के सिवाय नहीं कर सकता जब दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है।
3. यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि अमुक दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो उसका विनिश्चय विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
4. उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा, ऐसा अधिसूचित कार्यालय विनिर्दिष्ट कर सकती है जहाँ टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे

अन्य शासकीय प्रयोजन के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें, उन कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जायेगा।

9. हिन्दी में प्रवीणता

कर्मचारी के बारे में यह समझा जायेगा कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है यदि :

क. उसने मैट्रिक परीक्षा या उसकी कोई समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा, हिन्दी को परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाकर उत्तीर्ण की है, अथवा

ख. स्नातकोत्तर परीक्षा में अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी उसका एक वैकल्पिक विषय था, अथवा

ग. वह इन नियमों से उपबद्ध प्रारूप में यह घोषण करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है।

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान

1. कर्मचारी के बारे में समझा जायेगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है–

क. यदि उसने–

1. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अथवा
2. केंद्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा, या जब सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में ऐसा विनिर्दिष्ट किया जाए, उसयोजना के अंतर्गत निम्नतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अथवा
3. केंद्रीय सरकार उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अथवा

ख. यदि वह इन नियमों से उपबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2. केंद्रीय सरकार के कार्यालय के कर्मचारीवृंद के बारे में सामान्यतया यह समझा जायेगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है यदि उस कार्यालय में कार्य करनेवाले कर्मचारीवृंद में से अस्सी प्रतिशत ने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
3. केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारणा कर सकेगा कि केंद्रीय सरकार के कार्यालय

के कर्मचारीवृंद ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया, या नहीं।

4. केंद्रीय सरकार के उन कार्यालयों के नाम, जहाँ के कर्मचारीवृंद ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया, राजपत्र में अधिसूचित किये जायेंगे।

परंतु यदि केंद्र सरकार की यह राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारीवृंद का प्रतिशत किसी तारीख से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से गिर गया है तो यह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकता है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रहेगा।

11. मैन्युअल, संहितायें और अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य, स्टेशनरी के सामान आदि

1. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैन्युअल, संहितायें और अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में, यथास्थिति, मुद्रित किया जायेगा, साइक्लोस्टाइल किया जायेगा और प्रकाशित किया जायेगा।
2. केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग में लाये जानेवाले प्रारूपों और जिस्टरों के शीर्ष हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।
3. केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए मुद्रित या उत्कीर्ण लेख नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा स्टेशनरी की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में होंगी।

परंतु केंद्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो साधारण या विशेष आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकती है।

12. अनुपालन का उत्तरदायित्व

केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होता कि वह–

1. यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का सुनिश्चित रूप से अनुपालन किया जाता है, और
2. इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच-पड़ताल के उपाय करें।
3. केंद्रीय सरकार अधिनियमों और इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जैसे कि आवश्यक हों।

परिशिष्ट-7
प्रश्नावली व साक्षात्कार
प्रश्नावली

01. क्या हिन्दी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया जाना उचित था?
02. हमारे देश में 18 राष्ट्रीय भाषायें हैं। सभी भाषायें अत्यंत महत्त्वपूर्ण व समृद्ध हैं। हिन्दी को ही राजभाषा क्यों बनाया गया?
03. राजभाषा निर्धारित करते समय संविधान समिति का क्या दृष्टिकोण रहा होगा?
04. क्या हिन्दी में भारत जैसे देश की राजभाषा बनने की क्षमता है? यदि हाँ, तो अष्टम अनुसूची में प्रदत्त अन्य 17 भाषाओं की तुलना में हिन्दी में ऐसी कौन-सी विशेषता है जिसके कारण इसे राजभाषा घोषित किया गया?
05. संविधान में दिये गये प्रावधान क्या राजभाषा की स्थिति को स्पष्ट करते हैं?
06. स्वतंत्रता के 43 वर्ष पश्चात् भी हिन्दी अपेक्षानुसार अपना पद नहीं प्राप्त कर सकी। क्या संविधान की धाराओं में दोष है?
    क. यदि हाँ, तो संविधान की किस धारा में कौन-सी कमियाँ हैं जिनके कारण हिन्दी अभी तक अपना संवैधानिक पद प्राप्त नहीं कर सकी?
    ख. यदि नहीं, तो अभी तक हिन्दी अपना वास्तविक स्थान क्यों नहीं पा सकी?
07. संविधान की धाराओं को पूरा करने के लिए आरंभ से ही राजभाषा कार्यान्वयन हेतु इसके प्रचार-प्रसार पर बल दिया जा रहा है। क्या आपकी दृष्टि में अब तक उठाये गये कदम पर्याप्त हैं अथवा आप इस संबंध में कोई सुझाव देंगे।
08. क्या भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राजभाषा नीति सफल है? हाँ/नहीं
    क. यदि हाँ, तो अभी तक कोई स्पष्ट मार्ग क्यों दिखाई नहीं दे रहा है?
    ख. यदि नहीं, तो आप इसके सफल नियोजन के लिए क्या सुझाव देंगे?
09. समय-समय पर देश के विभिन्न भागों में हिन्दी के विरोध में वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाता है। आपके विचार में ऐसा क्यों होता है?
10. हिन्दी के प्रचार व प्रसार हेतु भारत सरकार की नीति प्रेरणा व प्रोत्साहन की रही है क्या भारत जैसे देश में यह नीति सफल है। पक्ष व विपक्ष में अपना तर्क दें।
11. भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जबकि नियुक्ति करते समय इस ओर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। क्या यह उचित है?

12. हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहन योजनायें बनाई गई हैं। प्रायः ऐसे महसूस होता है कि कर्मचारियों की अभिरुचि मात्र प्रोत्साहन राशि पाने तक सीमित रहती है इसके पश्चात न कर्मचारी ध्यान देते हैं न संस्थायें। इसको प्रभावी बनाने हेतु आप क्या सुझाव देंगे?

13. आरंभ से ही राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी वार्षिक कार्यक्रम लगभग एक जैसे हैं कोई विशेष परिवर्तन नहीं, कोई टोस कदम उठाकर इसे कार्यान्वित कर पाना कठिन प्रतीत होता है। आपके विचार में कमी कहाँ हैं? निर्धारण कार्यान्वयन में?

14. प्रायः दोषारोपण किया जाता है कि हिन्दी थोपी जा रही है आपके विचार में क्या यह सत्य है? तर्क दें।

15. कुछ लोगों का मत है कि हिन्दी का कार्यान्वयन केवल आँकड़े एकत्रित करने तक सीमित है। विभिन्न शील्डों पर संस्थाओं की नजर रहती है जिसके कारण केवल आँकड़े एकत्रित किये जाते हैं आप इससे कहाँ तक सहमत हैं।

16. राजभाषा अधिनियम 1963
    - क. क्या इसकी आवश्यकता थी? हाँ/नहीं
    - ख. क्या यह सामयिक था? हाँ/नहीं
    - ग. इसमें पारित मुद्दे क्या राजभाषा कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध हुए हैं? तर्क दें

17. राजभाषा अधिनियम (संशोधन) 1968)
    - क. क्या संशोधन आवश्यक था? हाँ/नहीं
    - ख. राजभाषा कार्यान्वयन पर इसका किस प्रकार का प्रभाव रहा है?

18. राजभाषा नियम 1976
    - क. देश का क्षेत्रीय वर्गीकरण किया गया है तथा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए यह हितकर है? हाँ/नहीं
    - ख. क्या इससे भाषायी समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें

19. मेरे विचार में यदि 1949 में हिन्दी को राजभाषा घोषित करते ही यह आवश्यक कर दिया जाता कि समस्त कागजात केवल हिन्दी में होगा तो राजभाषा के संबंध में न तो कोई विवाद खड़ा होता और यदि होता भी तो कुछ समय पश्चात् स्वतः शांत हो जाता और उसके पश्चात् किसी नियम, अधिनियम की आवश्यकता ही नहीं होती। आपका इस संबंध में क्या विचार है। क्या वर्तमान नीति के अनुसार हिन्दी वास्तव में पूर्णतया राजभाषा बन पायेगी? यदि हाँ, तो आपके विचार में कितना समय लग सकता है।

परिशिष्ट-8
साक्षात्कार हेतु प्रश्नावली

01. सरकार के विभिन्न विभागों में राजभाषा अधिनियम का पालन जिस हद तक हो रहा है क्या आप उससे सहमत हैं?
02. हिन्दी में काम करने में लोग रुचि क्यों नहीं लेते?
03. राजभाषा नियम 1976 में क्षेत्रवार वर्गीकरण किया गया है, क्या यह लाभकारी है?
04. यदि 1950 में बिना किसी ढील के हिन्दी को पूर्णरूपेण राजभाषा घोषित कर दिया जाता तो आपके विचार में इसका क्या प्रभाव पड़ता।
05. भारत वर्ष में प्रत्येक स्तर पर चाहे राज्य सरकार सेवा हो या केंद्र सरकार और इसके उपक्रम किसी भी नियुक्ति के समय अंग्रेजी पर ही जोर दिया जाता है। अंग्रेजी ही जरूरी कर दी जाती है। हिन्दी को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती?
06. यदि प्रत्येक क्षेत्र में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी को ही अधिमान दिया जायेगा तो अंग्रेजी न जानने वाले पिछड़ जायेंगे। प्रत्येक युवक को नौकरी की आवश्यकता होती है। इसके लिए तभी तो वे अंग्रेजी के पीछे भागते हैं। क्या ऐसी स्थिति हिन्दी के लिए लाभदायक है?
07. जिस प्रकार से अंग्रेजी का अनिवार्य पेपर रखा जाता है उसी प्रकार से हिन्दी के लिए अनिवार्य पर्चा क्यों नहीं रखा जाता।
08. वर्तमान नीति से ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी भाषी नुकसान उठा रहे हैं।
09. ऐसा लगता है कि अनुवाद पर बहुत जोर दिया जा रहा है। क्या हम केवल अनुवाद के माध्यम से हिन्दी ला सकते हैं?
10. कर्मचारियों को अंग्रेजी के प्रति बहुत मोह है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है?
11. हिन्दी राजभाषा का स्थान पूर्ण रूप से प्राप्त कर ले इसके लिए आप किस प्रकार के कदम उठाने के लिए बल देंगे।
12. हिन्दी का काम करने के लिए सरकार ने साम और दाम की नीति अपनाई है। आपके विचार में क्या यह नीति पूरी तरह सफल रही है?
13. हिन्दी की परीक्षायें पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार व अन्य प्रोत्साहन दियें जाते हैं आपके विचार में क्या इस प्रकार के प्रोत्साहन देने से हिन्दी का प्रचार अधिक होगा, या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे जिसमें हिन्दी शीघ्र अपना स्थान पा सके?

14. हम बड़ी शान से लिखने व बोलने में गलत अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। जब गलत ही लिखना है तो क्यों न हिन्दी का प्रयोग करें।

15. जब भी हिन्दी को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तभी देश के किसी-न-किसी भाग में कोहराम मच जाता है इसका क्या कारण है?

16. अब तक सरकार द्वारा राजभाषा के संबंध में जो नीति अपनाई गई है क्या आप इसे 'हिन्दी लादी जा रही है' की नीति मानते हैं?

17. एक तरफ कार्यालयों में किसी-न-किसी रूप में हिन्दी लागू की जा रही है दूसरी ओर आने वाली पीढ़ी अर्थात् बच्चों को उनके माता-पिता अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने पर पैसा खर्चा करते हैं। क्या इस संबंध में कोई कदम उठाया जा सकता है ताकि आनेवाली पीढ़ी स्वतः कार्यालय में आकर अपना काम हिन्दी में कर सके?

18. नीचे वर्गों के कर्मचारी दोषारोपण करते हैं कि उच्चाधिकारी हिन्दी लागू नहीं करना चाहते। उच्चाधिकारियों का आरोप है कि निचले वर्ग के कर्मचारी हिन्दी माध्यम से काम करने में रुचि नहीं लेते आपका क्या विचार है?

❑❑❑

राष्ट्रीयता और राष्ट्र की अस्मिता के परिचायक महत्वपूर्ण तत्वों में से उस देश के राजकार्य सम्पन्न करने वाली राजभाषा का स्थान सर्वोपरि है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए ही संविधान जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में इसका प्रावधान किया गया और इसी के अनुरूप स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान के निर्माताओं और देश की राजभाषा नीति के प्रणेताओं ने एक सुविचारित राजभाषा नीति प्रदान की। किन्तु इस महान राष्ट्र के प्रतिष्ठित प्रजातान्त्रिक ढांचे, भौगोलिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विभिन्नता और भाषायी अनेकता के कारण इस नीति के कार्यान्वयन पक्ष ने चिन्तन-मनन और सर्वेक्षण के अनेक आयामों को जन्म दिया। राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के विविध पहलुओं, व इसके स्वरूप पर अनेक विद्वानों, मनीषियों, राजनेताओं ने प्रकाश डाला और इसके महत्व पर बल दिया। राजभाषा के रूप में इसके कुछ पहलुओं पर दृष्टिपात करने वाले कुछेक प्रयास, विद्वानों व संस्थाओं द्वारा सरकारी तौर पर अवश्य हुए हैं किन्तु इसके विविध पक्षों के सभी पहलुओं पर संवैधानिक अपेक्षाओं, सरकार की नीति, परवर्ती प्रयासों व इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रगति व इनसे उभर कर आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए सुझावों को एक साथ उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से किया जा रहा है। यह पुस्तक जहां इस विषय की प्राथमिक जानकारी के जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा को शांत करने में सहायक होगी वहीं विषय में मर्मज्ञ विद्वानों के लिए मनन के नये वातायन खोलकर स्पष्ट दिशा प्रदान करेगी।